

सत्यके प्रयोग अथवा

आत्मकथा

लेखक

मोहनदास करमचंद गांधी



अनुवादक

हरिभाऊ उपाध्याय



१९४८

सस्ता साहित्य मंडल

नई दिल्ली

प्रकाशक

मोहन उपाध्याय, मंत्री,
सम्माननात्मक मण्डल, नई दिल्ली

मूल्य मात्र १०.८०
मूल्य मात्र चार रुपये

मुद्रण
दिल्ली प्रेस
नई दिल्ली

सातवें संस्करणके बारेमें

आजमे कोई अठारह साल पहले मैंने 'आत्मकथा' का हिन्दी अनुवाद किया था। उसके बाद यह पहला मौका है जब कि मैं उसे दुहरानेका समय निकाल पाया हूँ। हिंदीमें अबतक इसके छ सस्करण निकल चुके हैं। कुछ मित्रोंने इस बातकी ओर ध्यान भी दिलाया कि मैं एक बार फिर मूल गुजरातीसे मिलाकर अनुवादको देख जाऊँ तो अच्छा रहे। मेरे पास इस समय गुजराती 'आत्मकथा'की छठी आवृत्ति है, जो १९४० में प्रकाशित हुई थी। उससे मिलाकर, डममें जहाँ कहीं कसर या बूटि मालूम हुई है मैंने उसे ठीक करनेका प्रयास किया है। अपना ही लिखा हम जब-जब देखते हैं तब-तब कुछ-न-कुछ सुधार करनेकी इच्छा हो जाती है, तो फिर १८ साल पहलेका अनुवाद देखनेसे मुझे यो भी शब्दो व भाषा-संबन्धी कई सुधार सूझना स्वभाविक था। मैंने इसमें कजूसीसे काम नहीं लिया है।

पूज्य बापूकी इस पवित्र कथा और धनमोल प्रयोगोको फिरसे एक बार अच्छी तरह पढनेका जो सुअवसर मिला उससे मेरी आत्माको भी अच्छी खुराक मिली, कई पुरानी भावनाएँ नये सिरसे जाग उठी, उनके प्रकाशमें अपनी कमियो व कमजोरियोको भी देखने व परखनेका मौका मिला, यह अमित छाप फिरसे हृदय पर पड़ी कि बापूकी यह 'आत्मकथा' उसके प्रतिक्षण विकासशील दिव्य जीवनकी तरह, पाठकोको वास्तवमें नित नई सत्यकी प्रेरणा व प्रकाश देने वाली है और सत्यकी शोधके इतिहासमें इसका अमर स्थान है। क्या अच्छा हो कि बापू अपने अब तकके सत्यके और भी महान् प्रयोग व अनुभवोकी कथा और लिख डालें। मुझे विश्वास है कि सत्यके इस निडर उपासकके अगले अनुभव अधिक दिव्य व अद्भुत होंगे और उनसे ससारको एक नई रोशनी मिलेगी।

गाधी-आश्रम, हट्टूडी (अजमेर) }
शीतला सप्तमी, २००२ वि०

—हरिभाऊ उपाध्याय

अनुवादककी आरसे

(प्रथम सस्करण)

यह मेरा अहोभाग्य है कि महात्माजीकी 'आत्म-कथा'के हिन्दी अनुवादका अवसर मुझे मिला। 'नवजीवन'में आत्म-कथाके प्रकाशित होनेके पहले ही मैं 'हिन्दी-नवजीवन'को छोड़कर, महात्माजीकी आज्ञामें, राजस्थानमें काम करनेके लिए आ चुका था। मेरे बाद कई भाज्योंके हाथोंमें 'हिन्दी-नवजीवन'का काम रहा और आत्म-कथाका अनुवाद भी उगम कई मित्रों द्वारा हुआ। अतएव उममें भाषा-अर्थका एक-मात्र रहना स्वाभाविक था। परन्तु उसे पुस्तक-रूपमें प्रकाशित करनेके लिए यह आवश्यक समझा गया कि अनुवाद किसी एक व्यक्तिसे कराया जाय। यह निर्णय होने ही होने भूले भिगारीकी तरह, छपट घर, अनुवादका भार अपने गिरपर ले लिया। सचमुच, वह दिन मेरे बड़े सद्भाग्यका दिन था।

अनुवाद मैंने गुजरातीमें किया। मूल कथा महात्माजी गुजरातीमें ही लिख रहे हैं। अर्थके अनुवादमें बहुत स्वतंत्रता ली गई है। अतएव अर्थेजीसे हिन्दी उल्था करनेमें हिन्दी अनुवाद मूल गुजरातीसे बहुत दूर जा पड़ता। महात्माजी गुजरातीमें बड़े बोझमें, और बहुत खूबीमें, अपने हृदयके गूढ भावोंको व्यक्त कर देते हैं। उनका अनुवाद करना, कई बार बड़ा कठिन हो जाता है। भावको विगद करने जाते हैं तो भाषा-सौंदर्य नहीं निभ पाता और भाषा-सौंदर्यपर ध्यान देने लगते हैं तो भावमें गडबडी पड़ने लगती है। मैंने कहीं-कहीं भाषाके किंचित् अटपटेपनको स्वीकार करके भी महात्माजीकी मार्मिक वाक्य-रचनाको कायम रखनेकी कोशिश की है। पाठक महात्माजीके ऐसे वाक्योंको 'आर्ष' वाक्य ही समझ लें। दूसरे हिन्दीभाषा ज्यों-ज्यों राष्ट्र भाषाकी योग्यता और श्रेष्ठताको पहचती जायगी त्यों-त्यों उसका 'परदेकी वीवी' बनी रहना सम्भव होता जायगा। उमें गुजराती, मराठी, बंगाली आदि के सुंदर श्री-मार्मिक शब्द-प्रयोगको अपनाकर अपना भंडार भरे बिना गुजर नहीं। इस दृष्टिसे तो इस अनुवादके ऐंसे शब्द-प्रयोग मेरी रायमें केवल क्षम्य ही नहीं, स्वागत-योग्य भी हैं।

रहा अनुवाद । मो इसकी अन्टार्ड-वृगटिके वाग्म मुझे कुछ भी कहनेवा
अधिकार नहीं । मूल वस्तुकी अद्वितीयतामे तो कोई उन्कार नहीं कर माता ।
अनुवादमे यदि मूलकी उत्तमताने पाठकर्ता बचिन रहना पडे तो अपनी इस
अममर्यताका दोष-भागी मैं अवन्त हू ।

जबसे मैंने अनुवादको हाथमे लिया है, मैं मुझिलमे एक जगह ठहरने
पाया ह— जहा ठहरने भी पाया हू, नहा अन्यान्य नामोमे भी लाा रहना पडा है ।
अनएव जितना जल्दी मैं चाहता था, इस अनुवादको पूरा न कर सका । इम्का
मुझे बडा दुःख है । पाठकोनी बडी हुई उत्सुकताको यदि यह अनुवाद पन्द हुआ
ता मेरा दुःख कम हो जायगा । अभी तो यह भाव कि मैं महात्माजीके इस प्रवादको
हिंदी पाठकोके सामने पुष्क-स्वरूपमे रङ्गनेका निमित्त-भागी बना हू, उस दुःखको
कम कर रहा हूँ । और जब मेरी दृष्टि इस अनुवादके भार्वा कार्यकी ओर जाती है,
तब तो मुझे इस सीमापर गवं होने लगना है । मुझे विश्वास है कि महात्माजीकी
यह उज्ज्वल 'आत्म-व्या' भूमण्डलके आत्मार्थियोंके लिए एक दिव्य प्रताप-
पथका काम देगी और उन्हें आना तथा आत्माका अमर गदेश सुनावेगी ।

उज्जैन,

फाल्गुन शुक्ल ८,

संवत् १९८४

—हरिभाऊ उपाध्याय

प्रस्तावना

चार-पाच साल पहले, अपने नजदीक साथियोंके आग्रहसे, मैंने 'आत्म-कथा' लिखना मजूर किया था और शुरूआत भी कर दी थी। परंतु एक पृष्ठ भी न लिख सका था कि बर्बईमें दगा हो गया, और आगेका काम जहा-का-तहा रह गया। उसके बाद तो मैं इतने कामोंमें उलझता गया, कि अतको मुझे यरबडामें जाकर शांति मिली। यहा श्री जयरामदास भी थे। उन्होने चाहा कि मैं, अपने दूसरे तमाम कामोंको एक ओर रखकर, सबमे पहले 'आत्म-कथा' लिख डालू। मैंने उन्हें कहलाया कि मेरे अध्ययनका क्रम वन चुका है, और उसके पूरा होनेके पहले मैं 'आत्म-कथा' शुरू न कर सकूंगा। यदि मुझे पूरे छ साल यरबडामे रहनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ होता, तो मैं अवश्य वही 'आत्म-कथा' लिख डालता। पर अध्ययन-क्रमको पूरा होनेमे अभी एक साल बाकी था और उसके पहले मैं किसी तरह लिखना शुरू न कर सकता था। इस कारण बहा भी वह रह गई। अब स्वामी आनदने फिर वही बात उठाई है। इधर मैं भी द० अ०के सत्यागहका इतिहास पूरा कर चुका हू, इसलिए, 'आत्म-कथा' लिखनेको मन हो रहा है। स्वामी तो यह चाहते थे कि पहले मैं सारी कथा लिख डालू और फिर वह पुस्तकाकार प्रकाशित हो। पर मेरे पास एक साथ इतना समय नहीं। हा 'नवजीवन' के लिए तो रफता-रफता लिख सकता हू। इधर 'नवजीवन'के लिए भी हर हफ्ता मुझे कुछ-न-कुछ लिखना पडता है, तो फिर 'आत्म-कथा' ही क्यों न लिखू? स्वामीने इस निर्णयको स्वीकार किया, और अब जाकर 'आत्म-कथा' लिखनेकी बारी आई।

पर मैं यह निर्णय कर ही रहा था—वह मोमवारका मेरा मौन दिन था— कि एक निर्मल हृदय साथीने आकर कहा—

“आप ‘आत्म-कथा’ लिखकर क्या करेंगे ? यह तो पश्चिमी प्रथा है। हमारे पूर्वमें तो मायद ही किमीने ‘आत्म-कथा’ लिखीं हैं। और फिर आप लिखेंगे भी क्या ? आज जिन बानकों सिद्धांतके तारपर मानते हैं, वल उगे न मानने लगे तो ? अथवा उस सिद्धांतके अनुमान जो राम आप आज करते हैं उनमें वादको परिवर्तन करना पड़े तो ? आपके नेत्रोंको बहुत लोग प्रमाण मानकर अपना जीवन बनाते हैं। उन्हें यदि गलत रास्ता मिला तो ? इसलिए अभी ‘आत्म-कथा’के रूपमें कुछ लिखनेकी ज़रूरी न करे तो ठीक होगा।”

इन दलीलका चोडा-बहुत अमर मुसपर हुआ। पर मैं ‘आत्म-कथा’ कहा निब रहा हूँ ? मैं तो ‘आत्म-कथा’के बहाने अपने उन प्रयोगोंकी क्या लिखना चाहता हूँ, जो मैंने सत्यके लिए समय-ममय पर किये हैं। हा, यह बान सही है, कि मेरा सारा जीवन ऐसे ही प्रयोगोंमें भरा हुआ है। इसलिए यह कथा एक जीवन-वृत्तान्तका रूप धारण कर लेगी। पर यदि इनका एक-एक पृष्ठ मेरे प्रयोगोंके वर्णनमें ही भरा हो तो इन कथाओंमें स्वयं निर्दोष मानूंगा। यह मानता हूँ—अथवा यो कहिये, मुझे ऐसा मोह है—कि मेरे तमाम प्रयोग यदि लौगिक मानने आ जाय, तो इनमें उन्हें लाभ ही होगा। राजनैतिक क्षेत्रके मेरे प्रयोगोंको तो भारतवर्ष जानता है—यही नहीं उन्नत मानी जानेवाली दुनिया भी, थोडा बहुत जानती है। पर मेरी दृष्टिमें उनका मूल्य बहुत कम है और चूकि इन्हीं प्रयोगोंके कारण मुझे ‘महात्मा’ पद मिला है, इसलिए मेरे नजदीक तो उनका मूल्य बहुत ही कम है। अपने जीवनमें बहुत बार इस विवेचनसे मुझे बटा हुआ है। मुझे एक भी ऐसा क्षण याद नहीं पड़ना जब इस विवेचनमें मैं मनमें फून उठा होऊँ। पर, हा, अपने उन आध्यात्मिक प्रयोगोंका वर्णन अवश्य मुझे प्रिय होगा, जिन्हें कि अकेला मैं ही जान सकना हूँ और जिनकी बदौलत मेरी राजनैतिक-क्षेत्र मरबी शक्ति उत्पन्न हुई है। और यदि ये प्रयोग सचमुच आध्यात्मिक हों, तो फिर उनमें फूलनेके लिए जगह ही कहा है ? उनके वर्णनका फल तो नम्रताकी वृद्धि ही हो सकती है। ज्यो-ज्यो मैं विचार करता जाता हूँ, अपने भूतकालके जीवनपर दृष्टि डालता जाता हूँ त्यों-त्यों मुझे अपनी अल्पता साफ-साफ दिखलाई देती है। जो बात मुझे करनी है, आज ३० सालसे जिनके लिए मैं उद्योग कर रहा हूँ, वह तो है—आत्म-दर्शन, ईश्वरका साक्षात्कार, मोक्ष।

मेरे जीवनकी प्रत्येक क्रिया इसी दृष्टिसे होती है। मैं जो कुछ लिखता हू, वह भी सब इसी उद्देशसे, और राजनैतिक क्षेत्रमें जो मैं कूदा सो भी इसी बातको सामने रखकर।

परन्तु गुरु हीसे मेरी यह राय रहीं है कि जिस बातको एक आदर्श कर सकता हूँ उसे सब लोग कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रयोग खानगी तौर पर नहीं हुए और न वैसे रहे ही। इस बातसे कि सब लोग उन्हें देख सकते हैं, उनकी आध्यात्मिकता कम होती होगी, यह मैं नहीं मानता। हा, कितनी ही बातें ऐसी जरूर होती हैं जिन्हें हमारी आत्मा ही जानती है, जो हमारी आत्मामें ही समाई रहती है। परन्तु ऐसी बात तो मेरी पहुँचके बाहरकी बात हुई। मेरे प्रयोगमें तो आध्यात्मिक शब्दका अर्थ है नैतिक, धर्मका अर्थ है नीति, और जिस नीतिका पालन आत्मिक दृष्टिसे किया हो वही धर्म है, इसलिए इस कथामें उन्हीं बातोंका समावेश रहेगा, जिनका निर्णय बालक युवा, वृद्ध करते हैं और कर सकते हैं। ऐसी कथाको यदि मैं तटस्थ भावसे, निरभिमान रहकर, लिख सका, तो उससे अन्य प्रयोग करने वालोंको अपनी सहायताके लिए कुछ मसाला अवश्य मिलेगा।

मैं यह नहीं कहता कि मेरे ये प्रयोग सब तरह सम्पूर्ण हैं। मैं तो इतना ही कहता हू कि जिस प्रकार एक विज्ञानशास्त्री अपने प्रयोगकी अतिगम्य नियम और विचार-पूर्वक सूक्ष्मताके साथ करते हुए भी उत्पन्न परिणामोंको अतिम नहीं बताता, अथवा जिस प्रकार उनकी सत्यताके विषयमें यदि सशक नहीं तो तटस्थ रहता है, उसी प्रकार मेरे प्रयोगोंको समझना चाहिए। मैंने भरसक खूब आत्म-निरीक्षण किया है, अपने मनके एक-एक भाव की छानबीन की है, उनका विश्लेषण किया है। फिर भी मैं यह दावा हरगिज नहीं करना चाहता कि उनके परिणाम सबके लिए अतिम हैं, वे सत्य ही हैं, अथवा वही सत्य है। हाँ, एक दावा अवश्य करता हू कि वे मेरी दृष्टिसे सच्चे हैं और इस समय तक तो मुझे अतिम जैसे मालूम होते हैं। यदि ये ऐसे न मालूम होते हो तो फिर इनके आवार पर मुझे कोई काम उठा लेनेका अधिकार नहीं। पर मैं तो जिननी कीजे सामने आती हैं उनके, कदम-कदम पर दो भाग करता जाता हू—ग्राह्य और त्याज्य, और जिस बातको ग्राह्य समझता हू उसके अनुसार अपने आचरणको बनाता हू, एव जबतक ऐसा आचरण मुझे—अर्थात् मेरी बुद्धिको और आत्मको—

सनोप देता है तब तक उसके क्षुभ परिणाम पर मुझे अवश्य अटल विश्वास रहता है ।

यदि मैं केवल सिद्धांतोंका अर्थान् नत्त्वोका ही वर्णन करना चाहना होना तो मैं 'आत्म-कथा' न लिखता । परंतु मैं तो उनके आचारपर उठायें गए वायोंका इतिहास देना चाहता हूँ, और इसलिए मैंने इन प्रयत्नका पहला नाम रखा है 'सत्यके प्रयोग' । इसमें यद्यपि अहिंसा, ब्रह्मचर्य आ तो जायेंगे, परंतु मेरे निकट तो सत्य ही सर्वोपरि है, और उसमें आग्नि वस्तुओंका समावेश हो जाता है । यह सत्य म्यून अर्थान् वाचिक सत्य नहीं है । यह तो वाचा की तरह विचारणा भी सत्य है । यह सत्य केवल हमारा कल्पनागत सत्य ही नहीं, बल्कि स्वतंत्र चिरस्थायी सत्य, अर्थात् स्वयं परमेश्वर ही है ।

परमेश्वरकी व्याख्याएँ अगणित हैं, क्योंकि उसकी विभूतियाँ भी अगणित हैं । विभूतियाँ मुझे आश्चर्य-चकित तो करती हैं, मुझे क्षण भरके लिए मुग्ध भी करती हैं, पर मैं तो पुजारी हूँ सत्य-रूपी परमेश्वरका ही । मेरी दृष्टिमें यह एकमात्र सत्य है, दूसरा सब कुछ मिथ्या है । पर यह सत्य अब तक मेरे हाथ नहीं लगा है, अभी तक मैं तो उसका शोधक-मात्र हूँ । हा, उनकी शोधके लिए मैं अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तुको भी छोड़ देनेके लिए तैयार हूँ, और इस शोध-रूपी यज्ञमें अपने शरीरको भी होम देनेकी नैयारी करली है । मुझे विश्वास है कि इतनी शक्ति मुझमें है । परंतु जब तक इस सत्यका साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक मेरी अन्तरात्मा जिसे सत्य समझती है उसी काल्पनिक सत्यको अपना, आधार मानकर, दीप-स्तम्भ समझकर, उसके सहारे मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूँ ।

यह मार्ग यद्यपि तलवारकी धारपर चलने जैसा दुर्गम है, तथापि इसे सत्ये अनुभवमें अत्यंत सरल मालूम हुआ है । इस रास्ते जाते हुए अपनी भयकर भूलें भी मेरे लिए मामूली हो गई हैं । क्योंकि इन भूलोंको करते हुए भी मैं साइको और खदरोंमें बच गया हूँ और अपनी ममजके अनुसार तो आगे भी बढ़ा हूँ । पर यही तक बस नहीं, हा, दूर-दूरसे विगुड़ सत्यकी—ईश्वरकी—क्षत्रक भी देख रहा हूँ । मेरा यह विश्वास दिन-दिन बढ़ता जाता है कि सृष्टिमें एक-मात्र सत्यकी ही सत्ता है और उसके सिवा दूसरा कोई नहीं है । यह विश्वास किस तरह

बढता गया है, यह बात मेरे जगत् अर्थात् 'नवजीन' इत्यादिके पाठक चाहे तो गीकसे मेरे प्रयोगोमें हिस्सेदार वनें तथा उस सत्य परमात्माकी झलक भी मेरे साथ-साथ देखे । फिर मैं यह बात अधिकाधिक मानता जाता हू कि जितनी बातें मैं कर सकता हू, उतनी एक बालक भी कर सकता है । और इसके लिए मेरे पास सबल कारण हैं । सत्यकी शोधके कारण जितने कठिन दिखाई देते हैं, उतने ही सरल हैं । अभिमानको जो बात अशक्य मालूम होती है वही एक भोले-भाले शिशुको बिलकुल सरल मालूम होती है । सत्यके गोचरको एक रज-कणसे भी नीचे रहना पड़ता है । सारी दुनिया रज-कणको पैरो तले रौंदती है, पर सत्यका पुजारी तो जबतक इतना छोटा नहीं बन जाता कि रज-कण भी उसे कुचल सके, तबतक स्वतंत्र सत्यकी झलक भी होना दुर्लभ है । यह बात वसिष्ठ-विश्वामित्रके आख्यानमें अच्छी तरह स्पष्ट करके बताई गई है । ईसाई धर्म और इस्लाम भी इसी बातको साबित करते हैं ।

आगे जो प्रकरण क्रमश लिखे जायगे उनमें यदि पाठको मेरे अभिमानका भास हो तो अवश्य समझना चाहिए कि मेरी शोधमें कमी है और मेरी वे झलके मृग-जलके सदृश हैं । मैं तो चाहता हू कि चाहे मुझे जैसे अनेकोका क्षय हो जाय, पर सत्यकी सदा जय हो । अल्पात्माको नापने के लिए सत्यका गज कभी छोटा न वने ।

मैं चाहता हू, मेरी विनय है, कि मेरे लेखोको कोई प्रमाणभूत न माने । उनमें प्रदर्शित प्रयोगोको उदाहरण-रूप मानकर सब अपने-अपने प्रयोग यथा-शक्ति और ययामति करें, इतनी ही मेरी इच्छा है । मुझे विश्वास है कि इस सकुचित क्षेत्रमें, आत्मा-सबधी मेरे लेखोसे बहुत कुछ सहायता मिल सकेगी । क्योंकि एक भी ऐसी बात जो कहने लायक है, छिपाऊगा नहीं । पाठकोको अपने दोषोका परिचय मैं पूरा-पूरा करानेकी आशा रखता हू । क्योंकि मुझे तो सत्यके वैज्ञानिक प्रयोगोका वर्णन करना है । यह दिखानेकी कि मैं कैसा अच्छा हू मुझे तिल-मात्र इच्छा नहीं है । जिस नापसे मैं अपनेको नापना चाहता हू और जो नाप हम सबको अपने लिए रखना चाहिए, उसे देखते हुए तो मैं अवश्य कहूंगा—

मो सम कौन कुटिल छल कामी ।

जिन तनु वियो ताहि बिसरायो ऐसो निमकहरामो ॥

क्योंकि जिते में मोलहो आने विद्वानके साथ अपने श्वासोच्छ्वासका स्वामी मानना हू, जिने में अपने नमस्कार देने वाला मानना हू, उससे में अभी तक दूर हू और यह बात मुझे प्रतिक्षण काटेकी तरह चुभ रही है । इसके कारण-रूप अपने विकारोंको मैं देख तो सकता हू, पर अब भी उन्हें निर्मूल नहीं कर पाया हू ।

पर अब इसे समाप्त करना हू । प्रत्यावताने हटकर यहा प्रयोगोंकी कथामें प्रवेश नहीं कर सकता । यह तो कथा-प्रकरणोंमें ही पाठकको मिलेगी ।

सत्याग्रहाश्रम, साबरमती,
मार्गशीर्ष शुक्ला ११, १९८२.

—सोहनदास करमचन्द गाधी

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
पहला भाग		२१ 'निर्बलके बल राम'	७४
१ जन्म	३	२२ नारायण हेमचन्द्र	७७
२ बचपन	६	२३ महाप्रदार्शनी	८१
३ बाल-विवाह	८	२४ वैरिस्टर तो हुए—लेकिन	
४ पतिदेव	११	आगे ?	८३
५ हाई स्कूलमे	१४	२५ मेरी कुविद्या	८६
६ दुःखद प्रसंग—१	१९		
७ दुःखद प्रसंग—२	२३	दूसरा भाग	
८ चोरी और प्रायश्चित्त	२६	१ रायचदमाई	९०
९ पिताजीकी मृत्यु और		२ ससार-प्रवेश	९३
मेरी धर्म	३०	३ पहला मुकदमा	९७
१० धर्मकी झलक	३३	४ पहला आघात	१००
११ विलायतकी तैयारी	३७	५ दक्षिण अफ्रीकाकी	
१२ जाति-ग्रहणकार	४१	तैयारी	१०३
१३ आखिर विलायतमे	४४	६ नेटाल पहुँचा	१०६
१४ मेरी पसन्दगी	४८	७ कुछ अनुभव	१०९
१५ 'सभ्य' देशमे	५१	८ प्रिटोरिया जाते हुए	११२
१६ परिवर्तन	५५	९ और कष्ट	११७
१७ भोजनके प्रयोग	५८	१० प्रिटोरियामे पहला दिन	१२१
१८ झेप—मेरी ढाल	६२	११ ईसाइयोंसे परिचय	१२५
१९ असत्य-रूपी जहर	६६	१२ भारतीयोंने परिचय	१२९
२० धार्मिक परिचय	७१	१३ कुलीनका अनुभव	१३१

विषय	पृष्ठ	विरा	पृष्ठ
१४ मुकदमेरी तैयारी	१३८	१०	जोग-शुद्ध २१४
१५ धार्मिक-भयन	१३८	११	नग-शुद्धाग शारात पत्र २१८
१६ 'को जाने करती ?'	१४१	१२	देन-मानन २२०
१७ बम गया	१४६	१३	देगमें २२६
१८ वर्ष-श्रेय	१४८	१४	राग-शुद्धाग 'देरा' २२८
१९ नेटाल इटिनन जात्रेन	१५०	१५	राग-शुद्धाग २२९
२० बालानुदग्म	१५१	१६	लाड-जैनरा शाराग २३१
२१ तीन पीडका कर	१५८	१७	गोय-श्रेय नाथ २३३
२२ धर्म-निरीक्षण	१६१	१८	एक मान-१ २३३
२३ गृह-व्यवस्था	१६६	१८	गोवलेके नाथ २३६
२४ देनकी और	१६८	१९	एक मान-२ २३६
२५ हिंदुस्तानमें	१७१	१९	गो-श्रेय नाथ २३९
२६ राजनिष्ठा और मुश्रूपा	१७६	२०	एक मान-३ २४१
२७ ब्रह्ममें नभा	१७८	२०	काशीमें २४१
२८ पूना और मद्रासमें	१८१	२१	ब्रह्ममें स्थिर हृद्या २४५
२९ 'जल्दी लीटो	१८३	२२	धर्म-नरट २४८
		२३	फिर दक्षिण अफ्रीका २५१
तीसरा भाग			
१ तूफानके चिह्न	१८६		
२ तूफान	१८८		
३ कर्मोटी	१९२	१	बिया-करावा न्वाहा ? २५६
४ शांति	१९६	२	एशियाई नवाबगाही २५७
५ बाल-शिक्षण	१९९	३	जहरकी घूट पीनी पडी २५९
६ मेवा-भाव	२०२	४	त्याग-भावकी वृद्धि २६२
७ ब्रह्मचर्य—१	२०५	५	निरीक्षणका परिणाम २६४
८ ब्रह्मचर्य—२	२०८	६	निरामिपाहारली वेदी-पर २६७
९ नादगी	२१३		

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
७ मिट्टी और पानीके प्रयोग	२६९	२८ पत्नीकी दृढता	३०८
८ एक चैतावनी	२७२	२९ घरमे सत्याग्रह	३३२
९ जवरदस्तसे मुकाबला	२७५	३० समयकी ओर	३३५
१० एक पुण्य स्मरण और प्रायश्चित्त	२७७	३१ उपवास	३३७
११ अग्नेजोसे गाढ परिचय	२८०	३२ मास्टर साहव	३४०
१२ अग्नेजोसे परिचय (चालू)	२८३	३३ अक्षर-शिक्षा	३४२
१३ 'इडियन ओपीनियन'	२८७	३४ आत्मिक शिक्षा	३४५
१४ 'कुली लोकेगन' या भगीटोला ?	२९०	३५ अच्छे-बुरेका मेल	३४७
१५ महामारी—१	२९३	३६ प्रायश्चित्तके रूपमें उपवास	३४९
१६ महामारी—२	२९५	३७ गोखलेमे मिलने	३५१
१७ लोकेशनकी होली	२९९	३८ लडाईमे भाग	३५३
१८ एक पुस्तकका चमत्कारी प्रभाव	३०१	३९ धर्मकी समस्या	३५६
१९ फिनिक्सकी स्थापना	३०४	४० सत्याग्रहकी चकमक	३५८
२० पहली रात	३०६	४१ गोदलेकी उदारता	३६२
२१ पोलक भी कूद पड़े	३०९	४२ इलाज क्या क्रिया ?	३६४
२२ 'जाको राखे साहया'	३१२	४३ विदा	३६७
२३ घरमे फेर-फार और बाल-शिक्षा	३१५	४४ बकालत की कुछ स्मृतिया	३६९
२४ जुलू 'बनवा'	३१९	४५ चालाकी ?	३७२
२५ हृदय-मथन	३२१	४६ मवकिल साथी बने	३७४
२६ सत्याग्रहकी उत्पत्ति	३२४	४७ मवकिल जेममे कमे बचा ?	३७५
२७ भोजनके और प्रयोग	३२६	१ पांचवां भाग	
		२ पहना अनुभव	३७९
		३ गोखलेके नाच पूनामे	३८१

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
३ घमकी ?	३३३	३५ रेखाती जगतीग मज	११४
४ शानि-निश्चिनल	३३८	३६ गिदये प्रजग	११८
५ तीसरे बजेकी फजीहत	३३०	३७ रज्जुटांगी मती	११९
६ मेरा प्रदल	३००	३८ मृत्यु-मनास	१५१
७ कुन	३०३	३९ गीमिटे-मेरुटे श्री मेरा	
८ लदमण-जूला	३०८	घम-मनास	१४०
९ आश्रमकी स्थापना	६०१	३० गज-रज्जुन दुन	१०३
१० कर्माटीपर	६०३	३१ बह-मनास ! — १	१०१
११ गिगमिटे-धरा	१०६	३२ बह-मनास ! — २	१००
१२ नीलका श्रा	१११	३३ 'हिमावत-सेनी मज	१०१
१३ दिहायी मज्जना	११३	३४ 'नरकोपन मी	
१४ अहिमादेवीरा		'रग-रिजि'	१०३
मावाला	११६	३५ पजायमे	१०८
१५ मुकदमा वापस	१२०	३६ विनादनवे प्रज्जमे	
१६ कार्य-पद्धति	१२३	गो-शा ?	१०३
१७ साची	१२६	३७ अमृत-मनास	१०५
१८ ग्राम-प्रवेग	१२८	३८ कायेममे प्रदेश	१०९
१९ उज्ज्वल पल	१३०	३९ ग्यादीग ज्ज	१११
२० मजदुरमे नवध	४३०	४० मिन मया	११३
२१ आश्रमकी झाकी	६३५	६१ एर मनास	४९६
२२ उपवास	६३७	४२ अमृतयोगरा प्रवाह	४९८
२३ वेडामे मत्याग्रह	४४०	४३ नापुरमे	५०२
२४ 'प्याज-बोर'	६४२	६४ पूर्णाहिनि	५०३

आत्म कथा

पहला भाग

१

जन्म

गांधी-परिवार, कहते हैं, पहले पसारीका^१ काम करता था। परंतु मेरे दादासे लेकर तीन पुस्तक उसने दीवानगिरी की है। जान पड़ता है, उत्तमचंद गांधी, उर्फ भोला गांधी, बड़े ट्रेकवाले थे। उन्हें राज-दरबारी साजिकोंके कारण, पोरबंदर छोड़कर जूनागढ़ राग्यमें जाकर रहना पड़ा था। बहा गये तो उन्होंने बायें हाथसे नवाब साहबको सलाम किया। जब किसीने इस स्पष्ट गुस्ताखी का कारण पूछा, तो उत्तर मिला— 'बाहिना हाथ तो पोरबंदरके सुपुर्द हो चुका है।'

श्रीता गांधीने एक-एक करके अपने दो विवाह किये थे। पहली पत्नीसे चार लड़के हुए थे और दूसरीसे दो। लेकिन अपना बचपन याद करते हुए मुझे यह खयाल तक नहीं आता कि ये भाई सौतेले लगते थे। उनमें पाचवें करमचंद गांधी, उर्फ कवा गांधी और अंतिम तुलसीदास गांधी थे। दोनों भाई चारी-चारीसे पोरबंदरमें दीवान रहे थे। कवा गांधी मेरे पिताजी थे। पोरबंदरकी दीवानगिरी छोड़नेके बाद वह 'राजस्थानिक कोर्ट'के सभासद रहे थे। इसके पश्चात् राजकोटमें और फिर कुछ समय बोकानेरमें दीवान रहे। मृत्युके समय राजकोट-दरबारके पेंशनर थे।

कवा गांधीके भी एक-एक करके चार विवाह हुए थे। पहली दो पत्नियोंसे दो लड़किया थीं, अंतिम, पुतलीबाईसे एक कन्या और तीन पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटा मैं हू।

^१गुजरात-काठियावाड़में पसारीको गांधी कहते हैं।—अनु०

मेरे पिताजी कुटुम्ब-प्रेमी, सत्यप्रिय, दूर और उदार परन्तु साथ ही श्रोणी थे। मेरा खयाल है, कुछ विपयासक्त भी रहे होंगे। उनका अंतिम विवाह चालीन वर्षकी अवस्थाके बाद हुआ था। अर्द्ध रिट्चमने सदा दूर रहते थे, और इसी कारण अच्छा प्याय करते थे, ऐसी प्रविद्धि उनकी हमारे कुटुम्बमें तथा बाहर भी थी। वह राज्यके बड़े बफादार थे। एक बार असिस्टेंट पोलिटिकल एजेंटने राजनोटके ठाकुरसाहबसे अपमानजनक शब्द कहे तो उन्होंने उसका सामना किया। साहब बिगड़े और कवा गाधीमें कहा, माफ़ी मागो। उन्होंने साफ इन्कार कर दिया। इससे कुछ घटके लिए उन्हें हवालातमें भी रहना पड़ा। पर वह टन-ने-मस न हुए। तब साहबको उन्हें छोड़ देनेका हुक्म देना पड़ा।

पिताजीको धन जोड़नेका लोभ न था। इससे हम भाइयोंके लिए वह बहुत थोड़ी नम्पत्ति छोड़ गये थे।

पिताजीने शिक्षा केवल अनुभव-द्वारा प्राप्त की थी। आजकी अपर प्राइमरीके बराबर उनकी पढाई हुई थी। इतिहास भूगोल विलकुल नहीं पढ़े थे। फिर भी व्यावहारिक ज्ञान इतने ऊँचे दरजेका था कि नूझ-से-नूझ प्रश्नोंको हल करनेमें अवका हज़ार आदमियोंसे काम लेनेमें उन्हें कठिनाई न होनी थी। धार्मिक शिक्षा नहीं-के बराबर हुई थी। परन्तु मंत्रिरामे जानने-क्या-मुगण मुननेमें जो धर्मज्ञान असल्य हिंदुओंको महज ही मिलना रहना है वह उन्हें था। अपने अंतिम दिनोंमें एक विद्वान् ब्राह्मणकी मनाहसे, जोकि हमारे कुटुम्बके मित्र थे उन्होंने गीता-पाठ शुरू किया था और नित्य कुछ दशरु प्रजाके समय उच्च स्वरने पाठ किया करते थे।

मानाजी माधवी स्त्री थी ऐसी छाप मेरे दिलपर पड़ी है। वह बहुत भावु थी। पूजा-पाठ किये बिना कभी भोजन न करती, हमेशा हवेली—वैष्णव मंदिर—जाया करती। जवमे मैंने होध मन्हाला मुझे याद नहीं पडना कि उन्होंने कभी चातुर्मास छोड़ा ही। कठिन-ने-कठिन ब्रत लिया करती और उन्हें निर्विघ्न पूरा करती। बीमार पड़ जानेपर भी वह ब्रत न छोड़ती। ऐसा एक समय मुझे याद है, जब उन्होंने चाटायणव्रत किया था। बीचमें बीमार पड़ गई, पर ब्रत न छोड़ा। चातुर्मासमें एक बार भोजन करना तो उनके लिए मामूली बात थी। इननेने सगोप न मानकर एक बार चातुर्मासमें उन्होंने हर

सीसरे दिन उपवास किया। एक साथ दो-तीन उपवास तो उनके लिए एक मामूली बात थी। एक चातुर्मासमे उन्होंने ऐसा व्रत लिया कि सूर्यनारायणके दर्शन झोनेपर ही भोजन किया जाय। इस चौमासेमें हम नडकेलोग आसमानकी तरफ देखा करते कि कब सूरज दिखाई पड़े और कब मा खाना खाय। सब लोग जानते हैं कि चौमासेमें बहुत बार सूर्य-दर्शन मुस्किलसे होने हैं। मुझे ऐसे दिन याद है, जबकि हमने सूर्यको निकला हुआ देखकर पुकारा है—‘मा-मा, वह सूरज निकला,’ और जबतक मा जल्दी-जल्दी दौड़कर आती हैं, सूरज छिप जाता था। मा यह कहती हुई वापस जाती कि ‘खैर, कोई बात नहीं, ईश्वर नहीं चाहता कि आज खाना मिले’ और अपने कामोमे मशगूल हो जाती।

माताजी श्रवणहार-कुशल थी। राज-दरवारकी सब बातें जानती थीं। रनवासमे उनकी बुद्धिमत्ता ठीक-ठीक आती जाती थी। जब मैं बच्चा था, मुझे दरवारगढमे कभी-कभी वह साथ ले जाती थीर ‘बामा—साहब’ (ठाकुर साहबकी विधवा माता) के साथ उनके कितने ही सवाद मुझे अब भी याद हैं।

इन माता-पिताके यहा आश्विन वदी १२ सवत् १९२५ अर्थात् २ अप्रतबर १८६९ ईसवीको पोरबदर अथवा सुदामापूरीमे मेरा जन्म हुआ।

मेरा बचपन पोरबदरमे ही बीता। ऐसा याद पडता है कि किसी पाठशाला मे मैं पटने बैठया गया था। मुस्किलसे कुछ पहाडे पढा होउगा। उस समय बने और लडकोके साथ मेहताजी—मास्टर साहब—को सिर्फ गाली देना सीखा था, इतना याद पडता है। और कोई बात याद नहीं आती। इससे यह अनुमान करता हू कि मेरी बुद्धि मद रही होगी और स्मरणशक्ति उन पक्तियोंके कच्चे पापडकी तरह रही होगी जोकि हम लडके गाया करते थे—

एकडे एक, पापड शेक,

पापड कच्चो...मारो...

पहली खाली जगह मान्तर साहबका नाम रहता था। उन्हें मैं अमर करना नहीं चाहता। दूसरी खाली जगहमें एक गाली रहती, जिमे यहा देनेकी आवश्यकता नहीं।

बचपन

पोरबदरसे पिताजी 'राजस्थानिक कोर्ट'के सम्म्य होकर जब राजकोट गये तब मेरी उम्र कोई ७ सालकी होगी। राजकोटकी देहाती पाठशालामें भर्ती कराया गया। इस पाठशालाके दिन मुझे अच्छी तरह याद है। मास्टरोके नाम-ठाम भी याद है। पोरबदरकी तरह वहाकी पटाईके सबधमें भी कोई खास बात जानने लायक नहीं। मामूली विद्यार्थी भी मुश्किलसे माना जाता होठगा। पाठशालासे फिर ऊपरके स्कूलमें—और वहासे हाईस्कूलमें गया। यहातक पहुचते हुए मेरा बारहवा साल पूरा हो गया। मुझे न तो यही याद है कि अबतक मैंने किसी भी शिक्षकसे झूठ बोला हो, न यही कि किसीसे मित्रता जोडी हो। बात यह थी कि मैं बहुत खेपू लडका था, मदरसेमें अपने कामसे काम रखता। घटी लगते समय पहुच जाता, फिर स्कूल वद होते ही घर भाग आता। 'भाग आता' शब्दका प्रयोग मैंने जान-बूझकर किया है, क्योंकि मुझे किसीके साथ बातें करना न सुहाता था—मुझे यह डर भी बना रहता कि 'कहीं कोई मेरी दिल्लगी न उढाए ?'

हाईस्कूलके पहले ही सालके परीक्षाके समयकी एक घटना लिखने योग्य है। शिक्षा-विभागके इन्स्पेक्टर, जाइल्स साहब, निरीक्षण करने आये। उन्होने पहली कक्षाके विद्यार्थियोंको पाच शब्द लिखवाये। उनमें एक शब्द था 'केटल' (Kettle)। उसे मैंने गलत लिखा। मास्टर साहबने मुझे अपने बूटसे टल्ला देकर चेताया। पर मैं क्यों चेतने लगा ? मेरे विभागमें यह बात न आई कि मास्टर साहब मुझे आगेके लडकेकी स्टेट देखकर सही लिखनेका इशारा कर रहे हैं। मैं यह मान रहा था कि मास्टर साहब यह देख रहे हैं कि हम दूसरेसे नकल तो नहीं कर रहे हैं। सब लडकोंके पाचो शब्द सही निकले, एक मैं ही बुद्धू सावित हुआ। मास्टर साहबने बादमें मेरी यह 'मूर्खता' मुझे समझाई, परन्तु उसका मेरे दिलपर कुछ असर न हुआ। दूसरोकी नकल करना मुझे कभी न आया।

ऐसा होते हुए भी मास्टर साहबका अदब रखनेमें मैंने कभी गलती न की।

बड़े-बूढ़ोंके ऐव न देखनेका गुण मेरे स्वभावमें ही था। बादको तो इन मास्टर साहबके दूसरे ऐव भी मेरी नजरमें आये। फिर भी उनके प्रति मेरा आदर-भाव कायम ही रहा। मैं इनना जान गया था कि हमें बड़े-बूढ़ोंकी आज्ञा माननी चाहिए, जैसा वे कहे करना चाहिए, पर वे जो-कुछ करें उसके काजी हम न वें।

इसी समय और दो घटनाएँ हुई, जो मुझे सदा याद रही हैं। मामूली तौर पर मुझे कोर्सकी पुस्तकोंके अलावा कुछ भी पढ़नेका शौक न था। इस खयालसे कि अपना पाठ याद करना उचित है, नहीं तो उलाहना सहन न होगा और मास्टर साहबसे झूठ बोलना ठीक नहीं, मैं पाठ याद करता, पर मन न लगा करता। इससे सबक कई बार कच्चा रह जाता। तो फिर दूसरी पुस्तकें पढ़नेकी तो बात ही क्या? परन्तु पिताजी एक 'श्रवण-पितृ-भक्ति' नामक नाटक खरीद लाये थे, उसपर मेरी नजर पड़ी। उसे पढ़नेको दिल चाहा। बड़े चाबसे मैंने उसे पढ़ा। इन्हीं दिनों शीशेमें तसवीर दिखानेवाले लोग भी आया करते। उनमें मैंने यह चित्र भी देखा कि श्रवण अपने माता-पिताको कावरमें बैठाकर तीर्थयात्राके लिए ले जा रहा है। ये दोनों चीजें मेरे अतन्तल पर अंकित हो गईं। मेरे मनमें यह बात उठा करती कि मैं भी श्रवणकी तरह बनू। श्रवण जब मरने लगा तो उस समयका उसके माता-पिताका विलाप अब भी याद है। उस ललित छंदको मैं बाजेपर भी बजाया करता। बाजा सीखनेका मुझे शौक था और पिताजी ने एक बाजा खरीद भी दिया था।

इसी अरसेमें एक नाटक कंपनी आई और मुझे उसका नाटक देखनेकी छुट्टी मिली। हरिश्चंद्रका खेल था। इसको देखने मैं अघाता न था, बार-बार उसे देखनेको मन हुआ करता। पर यो बार-बार जाने कौन देने लगा? लेकिन अपने मनमें मैंने इस नाटकको सैकड़ों बार खेला होगा। हरिश्चंद्रके सपने आते। यही धुन समाई कि 'हरिश्चंद्रकी तरह सत्यवादी सब क्यों न हो?' यही धारणा जमी कि हरिश्चंद्रके जैसी विपत्तियां भोगना, पर सत्यको न छोड़ना ही सच्चा मत्थ है। मैंने तो यही मान लिया था कि नाटकमें जैसी विपत्तियां हरिश्चंद्रपर पड़ी हैं, वैसी ही वान्तवमें उसपर पड़ी होगी। हरिश्चंद्रके दुःखोंको देखकर, उन्हें याद कर-कर, मैं खूब रोया हू। आज मेरी वृद्धि कहती है कि संभव है, हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक अ्यक्ति न हो। पर मेरे हृदयमें तो हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी

जीवित है। आज भी यदि मैं उन नाटकोंको पट पाठ नो ग्रान् अन्ये विना न रहूँ।

३

वाल-विवाह

जी चाहता हूँ कि यह प्रकल्प मुझे न निजना पड़े तो अच्छा, परंतु इन कथामें मुझे ऐसी निजनी ही बटुनी घट गीनी पड़ेगी। मन्थके पूजारी होनेका दावा करके मैं इनमें कैसे बच सकता हूँ ?

यह लिखने हुए मेरे हृदयको बड़ी चट्टा होनी है कि १३ वर्षकी उम्रमें मेरा विवाह हुआ। आज मैं उम्र १०-१३ वर्षके बच्चोंकी देवना हूँ और अपने विवाहका स्मरण हो आता है तब नृत्य अभिनेता नरम ग्रामे लगनी है और उन बच्चोंको इन बातके लिए बयाई देनेकी इच्छा होनी है कि वे मेरी दुर्गतमे अब न बचे हुए हैं। नेरह सालकी उम्रमें हुए मेरे इन विवाहके नमयनमें एक श्री नैतिक दनील मेरे विभागमें नहीं आ सकती।

पाठक यह न समझें कि मैं नगाईकी जान लिया रहा हूँ। नगाईका तो अर्थ होना है मा-नापके द्वारा किया हुआ दो लडके-लडकियोंके विवाहका ठहराव—चाग्दान। सगाई टूट भी सकती है। नगाई ही जानेपर यदि लडका नर जाय तो उससे कन्या विधवा नहीं होती। सगाईके मामलेमें वर-कन्याकी कोई पूछ नहीं होनी। दोनोंको उबर हुए विना ही सगाई हो सकती है। मेरी एक-एक करके तीन सगाइया हुईं। किंतु मुझे कुछ पना नहीं कि वे कब हो गईं। मुझमें कहा गया कि एक-एक करके दो कन्याएँ मर गईं, तब मैं जान पाया कि मेरी तीन सगाइया हुईं। कुछ ऐसा याद पडता है कि तीनरी नगाई सातेक सालकी उम्रमें हुई होगी। पर मुझे कुछ याद नहीं आता कि नगाईके समय मुझे उसकी खबर की गई हो। लेकिन विवाहमें तो वर-कन्याकी उपस्थिति आवश्यक होती है, उसमें धार्मिक विधि-विधान होने हैं। इन पटा मैं सगाईकी नहीं, अपने विवाह की ही बात कर रहा हूँ। विवाहका स्मरण तो मुझे अच्छी तरह है।

पाठक जान ही गये हैं कि हम तीन भाई थे। सबसे बड़ेकी शादी हो

चुकी थी। मझले भाई मुझसे दो-तीन वर्ष बड़े थे। मेरे पिताजीने तीन विवाह एक साथ करनेका निश्चय किया—एक तो मझले भाईका, दूसरे मेरे चचेरे भाई का, जिनकी उम्र मुझसे गायद एकाध साल ज्यादा होगी, और तीसरा मेरा। इसमें हमारे कल्याणका कोई विचार न था, हमारा इच्छाकी तो बात ही क्या? अब, केवल माता-पिताकी इच्छा और खर्च-वर्चकी सुविधा ही देती गई थी।

हिंदू-संसारमें विवाह कोई ऐसी-वैसी चीज नहीं। वर-कन्याके व्याप विवाहके पीछे बरवाद ही जाते हैं। धन भी लुटाते हैं और समय भी बरवाद करते हैं। महीनो पहलेसे तैयारिया होने लगती हैं, तरह-तरहके कपड़े तैयार होते हैं, जेवर बनते हैं, जाति-भोजोका तखमीना बनाया जाता है, नानेकी चीजोंकी शोह-सी लगती है। स्त्रिया, सुर हो या वे-सुर, गीत गा-गाकर अपना गला बँठा चैती है, बीमार भी पड जाती है, और पडोसियोकी शक्ति भग करती है सो श्लग। पडोसी भी तो जब उनके यहा अवसर आता है तब ऐसा ही करते हैं, इसलिए इस-सारे शोरगुलको तथा भोजोकी जूठल व दूमरी गदरीको नुपचाप सहन कर लेते हैं।

यह इतना झकट तीन बार अलग-अलग करने के बजाय एक ही धार कर डालना क्या अच्छा नहीं? 'कम खर्च वाला नशीन।' क्योंकि तीन विवाह एक-साथ होनेसे खर्च भी खुले हाथ किया जा सकता था। पिताजी और चाचाजी वृद्ध थे। हम लोग थे उनके सबसे छोटे लडके। इसलिए हमारे विवाह-नवर्धों अपनी उमरको पूरा करनेका भाव भी उनके मनमें था ही। इन कारणोंसे तीन विवाह एकसाथ करनेका निश्चय हुआ और उसके लिए, जैसा कि मैं लिखा चुका हूँ, महीनो पहलेसे तैयारिया होती रही और सामग्रिया जुटती रही।

हम भाइयोने तो सिर्फ उन तैयारियोमें ही जाना कि हमारे विवाह इतने-वाले हैं। मुझे तो इस समय उन मनमूर्खोंके अलावा कि अच्छे-अच्छे कपडे पहनेंगे, बाजे बजने देखेंगे, तरह-तरहका भोजन, मिठाई मिलेगी, एक नई लडकीके साथ हसी-पेल करेगे, और किसी विगेष भावका रहना याद नहीं आता। विषय-भोग करनेका भाव तो पीछेमें उत्पन्न हुआ। यह किन प्रकार हुआ, सो मैं दना तो मकता हूँ परन्तु हमकी जिजाभा पाठक न रक्ते। अपनी इस धर्मपर मैं पक्का डाले रखना चाहता हूँ। किन्तु जो वामें उनके जानने योग्य है, वे मर आंग

प्राजायेंगी—वे भी इसलिए कि जो मध्य विन्दु मने अपनी दृष्टि के सामन रखा है, उनका कुछ नबच उनके व्योरेके साथ है ।

हम दोनों भाइयोंको राजकोटने पोरबदर ले गये । वहा हलदी लगाने इत्यादिकी जो विबिया हुई वे गेचक तो हैं, पर उनका बर्षन छोड देने ही साथक है ।

पिताजी दीवान थे तो रज्य हुआ, थे तो आदिन नौकर ही । फिर राजप्रिय थे, इन्तिए और भी पराधीन । ठाकुर माह्वने आडिरी बकनतक उन्हें जाने न दिया । फिर जब इजाजत दी भी तो षा दिन पहले, जबकि मवारीका जगह-जगह इनिजाम करना पडा । पर देवने कुछ और ही मोच रक्खा था । राजकोटसे पोरबदर ६० कोस है । बैलगाडीने ५ दिनका रास्ता था । पिताजी तीन दिनमें आये । आखिरी मजिनपर नागा उलट गया । पिताजीको मरन चोट आई । हाथ-पाव और बदनमें पट्टिया बांधे चर आये । हमारे लिए और उनके लिए भी विवाहका आनद आवा रह गया । परन्तु इसने विवाह घोडे ही रक सकते थे ? सिवा मुहूर्त कहे टल सकना था ? और मैं तो विवाहके बाल-उल्लाममें पिता-जीकी चोटको भून ही गया ।

मैं जिनना पितृ-भक्त था उतना ही विषय-भक्त भी । यहा विषयने मननत्र जिनी एक इद्रियके विषयसे नहीं, बल्कि भोग-मात्रने है । यह होस तो अभी आना बाकी था कि माता-पिताकी भक्तिके लिए पुत्रको अपने सब सुख छोड देने चाहिए । ऐसा होते हुए भी, मानो इन भोगेच्छाकी मजा मुझे मिलनी हो, मेरी जिदगामें एक ऐसी दुर्घटना हुई जो मुझे आज भी काटेकी तरह चुभती है । जब-जब निष्कुलानदकी यह पक्ति—

‘त्याग न टके रे बरतग बिना, करिये कोटि उपाय जी’

गाता अथवा सुनता हूँ, नव-तब यह दुर्घटना और ऋतु-अमन मुझे याद आता है और इमिन्दा करता रहता है ।

पिताजीने खुद मानो थप्पड मारकर अपना मुह लाल रक्खा । शरीरमें-चोट और पीडाके रहते हुए भी विवाह-कार्यमें पूरा-पूरा योग दिया । पिताजी किम अथनरपर कहा-कहा बंठे थे, यह सब मुझे ज्यों-का-त्यों याद है । बाल-विवाह पर विचार करने हुए पिताजीने कार्यपर जो टीका-टिप्पणी आज मैं कर रहा हूँ, उनका स्वप्न भी उस समय न आय था । उस समय तो मुझे वे सब बातें रुचिकर

और उचित ही मालूम होती थी। क्योंकि एक तो विवाहकी उत्सुकता थी और दूसरे पिताजी जो-कुछ करते थे वह सब उस समय ठीक ही जान पड़ता था। अतः उस समयकी स्मृति आज भी मेरे मनमें ताजा है।

हमारा पाणि-ग्रहण हुआ, सप्तपदीमें वर-वधू साथ बैठे, दोनोंने एक-दूसरेको कसार खिलाया, और तभीसे हम दोनों एक साथ रहने लगे। ओह, वह पहली रात! दो अबोध बालक विना जाने, विना समझे, ससार-सागरमें कूद पड़े! भाभीने सिखाया कि पहली रातको मुझे क्या-क्या करना चाहिए। यह याद नहीं पड़ता कि मैंने धर्म-पत्नीमें यह पूछा हो कि उन्हें किसने सिखाया था। अब भी पूछा जा सकता है, पर अब तो इसकी इच्छातक नहीं होती। पाठक इतना ही जान लें कि कुछ ऐसा याद पड़ता है कि हम दोनों एक-दूसरेसे डरते और डरमाते थे। मैं क्या जानता कि बातें कैसे व क्या-क्या करें? सिखाई बातें भी कहातक मदद कर सकती हैं? पर क्या ये बातें सिखानी पड़ती हैं? जहा सस्कार प्रबल है, वहा सिखाना फिजूल हो जाता है। धीरे-धीरे हमारा परिचय बढ़ता गया। आज्ञादीके साथ एक-दूसरेसे बोलने-बतलाने लगे। हम दोनों हम-उम्र थे, फिर भी मैं पतिदेव बन बैठा।

४

पतिदेव

जिन दिनों मेरा विवाह हुआ, छोटेछोटे निबन्ध—पैसेपैसे या पाईपाईके सो याद नहीं पड़ता—छपा करते। इनमें दाम्पत्य प्रेम, मितव्ययता, बाल-विवाह इत्यादि विषयोंकी चर्चा रहा करती। इनमेंसे कोई-कोई निबन्ध मेरे हाथ पड़ता और उसे मैं पढ़ जाता। शुरूसे यह मेरी आदत रही कि जो बात पढ़नेमें अच्छी नहीं लगती उसे भूल जाता और जो अच्छी लगती उसके अनुसार आचरण करता। यह पढा कि एक-पत्नी-व्रतका पालन करना पतिका धर्म है। वस, यह मेरे हृदयमें अंकित हो गया। सत्यकी लगन तो थी ही। इसलिए पत्नीको घोषा या भुलावा देनेका तो अबसर ही न था। और यह भी समझ चुका था कि दूसरी स्त्रीसे सब

बचपनमें मैंने कभी उनकी ऐसी इच्छा नहीं देखी कि 'वह पढते हैं तो मैं भी पढू ।' इससे मैं मानता हू कि मेरी भावना इकतरफा थी । मेरा विषय-सुख एक ही स्त्रीपर अवलम्बित था और मैं उस सुखकी प्रतिध्वनिकी आवाज लगाये रहता था । अस्तु । प्रेम यदि एक पक्षीय भी हो तो यहा सर्वांगमें दुःख नहीं हो सकता ।

मुझे कहना चाहिए कि मैं अपनी पत्नीसे जहातक सबव है, विषयासक्त था । स्कूलमें भी उसका ध्यान आता, और यह विचार मनमें चला ही करता कि कब रात हो और कब हम मिले । वियोग असह्य हो जाता था । कृतनी ही ऊट-पटाग बातें कह-कहकर मैं कस्तूरवाईको देरतक मोने न देता । इस प्रासक्ति के साथ ही यदि मुझमें कर्त्तव्यपरायणता न होती, तो मैं समझना हू, या तो किसी वृषी बीमारीमें फसकर अकाल ही कालकवलित हो जाता अथवा अपने और दुनिया के लिए भारभूत होकर वृथा जीवन व्यतीत करता होना । 'सुवह होते ही नित्यकर्म तो हर हालत में करने चाहिए, झूठ तो बोल ही नहीं सकते' आदि अपने इन विचारों को बढीलत मैं अपने जीवनमें कई सन्टोसे बच गया हू ।

मैं ऊपर कह आया हू कि कस्तूरवाई निरक्षर थी । उन्हें पढानेकी मुझे बड़ी चाह थी । पर मेरी विषय-वासना मुझे कैसे पढाने देती ? एक तो मुझे उनकी मर्जीके खिलाफ पढाना था, फिर रातमें ही ऐसा मौका मिल सस्ता था । वृजुर्गोंके मामने तो पत्नीकी तरफ देखतक नहीं सकते—रात कग्ना तो दूर रहा । उम्र समय काठियावाड़में घूषट निकालनेका निरर्थक और जगली रिवाज था, आज भी थोडा-बहुत बाकी है । इस कारण पढानेके अवसर भी मेरे प्रतिकूल थे । इसलिए मुझे कहना होगा कि युवावस्थामें पढानेकी जितनी कोशिशें मैंने की वे सब प्राय बेकार गईं; और जब मैं विषय-निद्रासे जगा तो तब सार्वजनिक जीवनमें पड चुका था । इस कारण अधिक समय देने योग्य मेरी स्थिति नहीं रह गई थी । शिक्षक रत्नकर पढानेके मेरे यत्न भी विफल हुए । इसके फलस्वरूप आज कम्तरवाई मामूली चिट्ठी-पत्री व गुजराती लिखने-पढनेसे अधिक साक्षर न होने पाई । यदि मेरा प्रेम विषयसे दूषित न हुआ होता, तो मैं मानता हू आज बट विदुषी हंग गई होती । उनके पढनेके आलस्यपर मैं विजय प्राप्त कर पाता । क्योंकि मैं जानता हू कि शुद्ध प्रेमके लिए दुनियामें कोई बात असम्भव नहीं ।

इस तरह अपनी पत्नीके साथ विषय-रत रहते हुए भी मैं कैसे बहन-

कुछ बच गया, इनाम एव तारण देने उद्यम बनाया। इस निरतिमने में एव और बात कहने जैसी है। मीठा प्रनभयोने मने पा नितांग नितामा है कि निमर्ता निष्ठा मन्वी है, उने गूद परमेपर ही बना बना है। निरु-मगागमें जहां मान-विवाहकी शान्त प्रसा है, यहा उगा माय ही उरमने दृष्ट गुाि र दिनानेनामा भी एक दिवाज है। बाबा वर-श्रया। मा-बा उहा गमयनर एपनाय नहीं रहने देते। गाल-गर्नाता मा रने गदा गमय भाषामें जाता है। इनारे माय भी ऐसा ही हुआ। तरांत् १३ श्री-१८ नावरी उमरके रगमिमान पोशा-पोडा करके तीन सानने धरिफ माय न ग्द गो लगे। उ-घाट मरने रूना हुआ नही कि पत्नीके मा-गपका बुनामा भाग नगे। उम मनय ती ये बुताय द्ये नागवार मानूम होने। परन्तु गव पूछिए ता उन्दरि यरीना ह्य दोनों बहा वच गये। फिर १८ मालकी अवस्थामें मैं जिनाया गया—नये और मुन्दर नियोगका अवसर प्राप्त। विनायतमें गौटनेपर भी हम एगमाय तो छ महीने मुदितसे रहे हीगे, क्योंकि मुने राजकोट-बवई चार-चार धाना-आना पठता था। फिर इतनेमें ही दक्षिण अफ्रीका का निमयण प्रा पहुचा—और इस बीच ती भेरी माबे बहुत-कुछ चल भी चुकी थी।

५

हाँई स्कूलमें

मैं पहले लिख चुका हू कि जब मेरा विवाह हुआ तब मैं हाई स्कूलमें पठता था। उस समय हम तीनों भाई एक ही स्कूलमें पठते थे। बड़े भाई बहुत ऊपरके दरजेमें थे और जिन भाईका विवाह मेरे साथ हुआ वह मुझसे एक दरजा भागे थे। विवाहका परिणाम यह हुआ कि हम दोनों भाइयोंका एक साल बेकार गया। मेरे भाईको तो और भी बुरा परिणाम भोगना पडा। विवाहके पश्चात् यह विद्यालयमें रह ही न सके। परमात्मा जाने, विवाहके कारण कितने नवयुवकोंको ऐसे अनिष्ट परिणाम भोगने पडते हैं। विद्याध्ययन और विवाह ये दोनों बातें द्विह-समाजमें ही एक साथ हो सकती हैं।

मेरा अध्ययन चलता रहा। हाईस्कूलमें मैं बुद्धू नहीं माना जाता था। शिक्षकोंका प्रेम हमेशा संपादन करता रहा। हर साल मां-बाप को विद्यार्थीकी पढाई तथा चाल-चलनके सबबमें स्कूलसे प्रमाण-पत्र भेजे जाते। उनमें किसी वार मेरी पढाई या चाल-चलनकी शिकायत नहीं की गई। दूसरे दरजेके बाद तो इनाम भी पाये और पाचवें तथा छठे दरजेमें तो क्रमशः ४) और १०) मासिककी छात्रवृत्तिया भी मिली थी। छात्र-वृत्ति मिलनेमें मेरी योग्यताकी अपेक्षा तकदीरने ज्यादा मदद की। छात्रवृत्तिया सब लडकोंके लिए नहीं थी; सिर्फ सोरठ प्रातके विद्यार्थियोंके लिए ही थी और उस समय चालीस-पचास विद्यार्थियोंकी कक्षामें सोरठ-प्रातके विद्यार्थी बहुत नहीं हो सकते थे।

अपनी तरफसे तो मुझे याद पडता है कि मैं अपनेको बहुत योग्य नहीं समझता था। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य होता, परंतु हा, अपने आचरणका मुझे बडा खयाल रहता था। सवाचारमें यदि चूक होती तो मुझे रोना आ जाता। यदि मुझसे कोई ऐसा काम बन पडता कि जिसके लिए शिक्षकोंको उलाहना देना पडे, अथवा उनका ऐसा खयाल भी हो जाय, तो यह मेरे लिए असह्य हो जाता। मुझे याद है कि एक वार मैं पिटा भी था। मुझे इस बातपर तो दुःख न हुआ कि पिटा, परंतु इस बातका महा दुःख हुआ कि मैं दडका पात्र समझा गया। मैं फूट-फूटकर रोया। यह घटना पहली अथवा दूसरी कक्षाकी है। दूसरी घटना सातवें दरजेकी है। उस समय दोरावजी एदलजी गीमी हेड-मास्टर थे। वह विद्यार्थी-प्रिय थे। क्योंकि वह सबसे नियमोंका पालन करवाते, विविपूर्वक काम करते और काम लेते तथा पढाई अच्छी करते। उन्होंने उंचे दरजेके विद्यार्थियोंके लिए कसरत-क्रिकेट लाजिमी कर दी थी। लेकिन मुझे उनसे अरुचि थी। लाजिमी होनेके पहले तो मैं कसरत, क्रिकेट या फुटबॉलमें कमी न जाता था। न जानेमें मेरा झेपूषन भी एक कारण था। वित्तु अद्य मैं देखता हू कि कसरतकी वह अरुचि मेरी भून थी। उस समय मेरे एंमे गलत विचार थे कि कसरतका शिक्षाके साथ कोई मत्रव नहीं। पीछे जाकर मैंने समझा कि व्यायाम अर्थात् शारीरिक शिक्षाके लिए भी विद्याध्ययनमें उत्तना ही स्थान होना चाहिए जितना मानसिक शिक्षाको है।

फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरतमें न जानेसे मुझे कोई नुकसान

न हुआ। इसका कारण है। पुस्तकमें मन पटा था कि तुली तबमें घूमना अच्छा होता है। वह मुझे पसंद आया और तबमें— रातमें—दिनेमें— घूमने जानेकी आदत मुझे पढ गई थी, जो अबनक है। घूमना भी एक प्रवाणन व्यायाम ही है। मैंने इस कारण मेरा शरीर थोड़ा-बहुत गठोला हो गया।

असुविधा दूसरा कारण था पिताजीकी सेवा-सुधूपा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होने ही तुरंत घर पहुंचना उनकी सेवामें जुट जाता। लेकिन जब कमरन राजिमी कर दी गई तब इस मेदामें विघ्न शाने गया। मैंने गीर्वा नाहयने अनुरोध किया कि पिताजीकी सेवा करनेके लिए मुझे कमरतने माफी मिलनी चाहिए, परंतु वे क्या माफी देने लगे? एक जिनियारको मुबहका दूबन था। जामकी ४ बजे कसरतम जाता था। मेरे पाम घटी न थी। आकाशमें बादल छा रहे थे इस कारण समयका पता न चला। बादलोंने मुझे धोखा दिया। जववन कस तकके लिए पहुंचता हू तबतक तो सब लोग न गये थे। दूसरे दिन गीर्वा गहवने हाजिरी देली तो मुझे गैरहाजिर पाया। मुझे कारण पूछा। कारण तो जो था सो ही मैंने बताया। उन्होंने उम्मे सब न माना और मुझपर एक या दो आना (ठीक याद नहीं कितना) जुमाना हो गया। मुझे उस बातने प्रत्यत दुःख हुआ कि मैं झूठा समझा गया। मैं यह कैसे मावित करना कि मैं गूढ नहीं बोला। पर कोई उपाय न रहा था। मन मसोसकर रह जाना पडा। मैं रोया धार समझा कि सब बोलनेवाले और सब करनेवाले हो गाफिल भी न रहना चाहिए। अपनी पटाईके दरमियान मुझसे ऐसी गफलत बह पहली और आखिरी थी। मुझे कुछ-कुछ स्मरण है कि अतको मैं बह जुमाना माफ करा पाया था।

अतको कसरतमें छुट्टी मिल ही गई। पिताजीकी चिट्ठी जब हेडमास्टरको मिली कि मैं अपनी सेवा-सुधूपाके लिए स्कूलके बाद इमे अपने पाम चाहना तब तब उम्मे छुटकारा मिल गया।

व्यायामकी जगह मैंने घूमना जारी रक्खा। इस कारण शरीरसे मैंने न लेनेकी भूलके लिए मायद मुझे सजा न भोगनी पडी हो, परंतु एक दूसरी भूलकी सजा मैं आजतक पा रहा हू। पढाईमें खुशखत होनेकी जरूरत नहीं, यह गलत जयाल मेरे मनमें जाने कहसे आ धुसा था, जो ठेठ विलायत जातेतक रहा। फिर और ग्वासकर दक्षिण अफ्रीकामें, जहां बकीनोंके और दक्षिण अफ्रीकामें

जन्मे और पढे नवयुवकोंके मोतीकी तरह अक्षर देखे, तब तो बहुत लजाया और पछताया। मने देखा कि वेडोल अक्षर होना अधूरी शिक्षाकी निशानी है। अत मने पीछेसे अपना खत सुधारनेकी कोशिश भी की, परन्तु पन्के घडेपर कही मिट्टी चढ सकती है? जवानीमे जिस बातकी अवहेलना मने की उसे मे फिर आजतक न सुधार सका। अन हरेक नवयुवक और युवती मेरे इस उदाहरणको देखकर चेते और समझे कि सुलेख शिक्षाका एक आवश्यक अंग है। सुलेखके लिए चित्रकला आवश्यक है। मेरी तो यह राय वनी है कि बालकोंको आलेखन कला पहले सिखानी चाहिए। जिस प्रकार पक्षियो और वस्तुओ आदिको देखकर बालक उन्हें याद रखता और आसानीसे पहचान लेता है उसी प्रकार अक्षरोको भी पहचानने लागता है और जब आलेखन या चित्रकला सीखकर चित्र इत्यादि निकालना सीख जाता है तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर छापेकी तरह हो जावे।

इस समयके मेरे विद्यार्थी-जीवन की दो बाते लिखने जैसी है। विवाहके वदीलत जो मेरा एक साल टूट गया था उसकी कसर दूसरी कक्षामे पूरी करानेकी प्रेरणा मास्टर साहबने की। परिश्रमी विद्यार्थियो को ऐसा करनेकी इजाजत उन दिनों तो मिलती थी। अतएव मे छ यहीने तीसरे दरजे मे रहा और गर्मियोंकी छुट्टी के पहेलेवाली परीक्षाके बाद चौथे दरजेमे चढा दिया गया। इस कक्षा से कुछ विषयोकी शिक्षा अग्रेजीमे बी जाती है, पर अग्रेजी मे कुछ न समझ पाता। भूमिति—रेखागणित भी चौथे दरजेसे शुरू होता है। एक तो मे उसमे कमजोर था, और फिर समझमे भी कुछ न आता था। भूमिति-बिद्यक पढानेमें तो अच्छे थे, पर मेरी कुछ समझ हीमे न आता था। इससे मे बहुत बार निराश हो जाता। कभी-कभी यह भी दिनमे आता कि दो दरजोंकी पढाई एक सालमें करनेसे तो अच्छा हो कि मे तीसरी कक्षामे ही फिर चला जाऊ। पर ऐसा करनेसे मेरी बात विगडती और जिस शिक्षकने मेरी मेहनतपर विश्वास रखकर दरजा चढानेकी सिफारिश की थी उनकी भी बात विगडती! इस भयसे नीचे उतरनेका विचार तो बढ ही रखना पडा। आखिर परिश्रम करते-करते जब 'युक्सिड' के तेरहवें प्रमेयतक पहुचा तब मुझे एकाएक लगा कि भूमिति तो सबसे सहज विषय है। जिस बातमें केवल बुद्धिका सीधा और सरल उपयोग ही करना है उसमे मुश्किल क्या है? उसके बादसे भूमिति मेरे लिए बड़ा सहज और रोचक विषय हो गया।

मस्कून मुझ रेवागणितमें भी अधिक मुग़िल मान्य पडी। रेवागणितमें तो रटने की कोई बात न थी, परंतु मस्कूनमें, मेरी ममज़में वज गटना ही गटना था। वह विषय भी चौथी कक्षामें शुरू होता था। आखिरी गठी कक्षामें जाकर मेरा दिन बैठ गया। मस्कून-शिक्षक बड़े मरन आदमी थे। विद्यार्थियोंको बहुतेरा पदा देनेका लोभ उन्हें रहा करता। सस्कृत-वर्ग और फ़ारसी-वर्ग में एक प्रवार की प्रतिस्पर्धा रहती। फारसीके मौलवी माहय नरम आदमी थे। विद्यार्थी लोग आपसमें बातें करते कि फारसी बडी सग्न है और मौलवी साहब भी भले आदमी हैं। विद्यार्थी जितना याद करता है उनसेही पर दह निभा लेने हैं। सहज होनेकी वानमें मैं भी ललचाया और एक दिन फ़ारसीके वर्गमें जाकर बैठा। सस्कृत शिक्षकको इसमें बडा दुःख हुआ। उन्होंने मुझे बलाया— 'यह तो मोचो कि तुम किसके लडके हो? अपने वर्गकी भाषा तुम नहीं पढ़ना चाहते? तुमको जो कठिनाई हो सो मुझे बताओ। मैं तो सारे विद्यार्थियोंको अच्छी संस्कृत पढाना चाहता हूँ। आगे चलकर तो उसमें तुम्हें रसकी छत्रे मिलेगी। अतः तुमको इस तरह निरास न होना चाहिए। तुम फिर मेरी कक्षामें जाकर बैठो।' मैं जर्मदा हुआ। उन शिक्षक के इस प्रेमकी अवहेलना न कर सका। आज मेरी अतरात्मा कृष्णशंकर भास्करका उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उम समय पढी थी, यदि उतनी भी न पढा होता तो आज मैं मस्कून-ग्रामशाला जो आनंद ले रहा हूँ वह न ले पाता। वल्कि मुझे तो इस बातका पछतावा रहता है कि मैं अधिक संस्कृत न पढ़ सका। क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि किसी भी हिंदू-बालकको संस्कृतका अच्छा अध्ययन किये बिना न रहना चाहिए।

अब तो मैं यह मानना हूँ कि भारतवर्षके उच्च शिक्षण-क्रममें मातृभाषाके उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ीके लिए भी स्थान होना चाहिए। इतनी भाषाओंकी गिनतीमें किसीको डर जानेकी जरूरत नहीं, यदि भाषाएँ विधिपूर्वक पढाई जाय और सब विषयोंका अध्ययन अंग्रेज़ी के द्वारा करनेका बोझ हमपर न हो तो पूर्वोक्त भाषाएँ भाररूप न मालूम हों, वल्कि उनमें बडा रस आने लगे। फिर जो एक भाषाको विधि-पूर्वक सीख लेता

^१ अब इसे शाहीजी 'हिंदुस्तानी' कहते हैं।—अनु.

है उसे दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुगम हो जाता है। सच पूछिए तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत ये एक भाषा मानी जा सकती हैं। यही फारसी और अरबी के लिए कह सकते हैं। फारसी यद्यपि संस्कृतसे मिलती-जुलती है, और अरबी हिब्रूमे, तथापि दोनों भाषाएँ इस्लामके प्रादुर्भावके पश्चात् फली-फूली हैं, इसलिए दोनोंमें निकट संबंध है। उर्दूको मैंने पृथक् भाषा नहीं माना, क्योंकि उसके व्याकरणका समावेश हिंदीमें होना है। अलबत्ता उसके शब्द फारसी और अरबी ही हैं। ऊँचे दरजेकी उर्दू जाननेके लिए अरबी और फारसी जानना आवश्यक होता है, जैसा कि उच्च कोटिकी गुजराती, हिंदी, बंगला, मराठी जाननेवालेके लिए संस्कृत जानना जरूरी है।

६

दुःखद प्रसंग-१

मैं पहले कह आया हूँ कि हाई स्कूलमें मेरी बहुत कम लोगोसे निजी मित्रता थी। जो जिन्हें घनिष्ट कह सकते हैं ऐसे मित्र तो मेरे कुल दो ही थे, सो भी जुदा-जुदा समयपर। उनमें एककी मित्रता अधिक समयतक न निभी, हालांकि मैंने अपनी तरफसे उसे नहीं तोड़ा। दूसरेसे मित्रता करनेके कारण पहले मित्रने मेरा साथ छोड़ दिया। पर वह दूसरी मित्रता मेरे जीवनका एक दुःखद प्रकरण है। यह सब बहुत दिनोतक बला। एक सुधारककी दृष्टि रखकर मैंने यह मित्रता की थी। उस व्यक्तिकी मित्रता पहले मेरे महले भाईके साथ थी। वह उनका सहपाठी था। मैं उसके कई ऐंबाँको जान पाया था, परंतु मैंने उसे अपना बफादार साथी मान लिया था। मेरी माताजी, बड़े भाई और धर्मपत्नी तीनोंको उसकी मोहबत बुरी मालूम पडनी थी। पत्नीकी चेतावनीपर तो मैं—अभिमानी पति—क्यों ध्यान देने लगा ? हा, माताकी बातको तो मैं टाल ही नहीं सकता था। बड़े भाईकी भी माननी पडती। परंतु मैंने उन्हें जो समझा दिया—“आप उसकी जो बुराईया बताते हैं, उन्हें तो मैं जानता हूँ। पर उनके गुणोंको आप नहीं जानते। मुझे वह खराब रास्ते नहीं लेजा सकता, क्योंकि मैंने उसके साथ सबंध केवल उसे सुधारनेके लिए बाधा है। मुझे विश्वास है कि यदि वह सुधार

गया तो बड़ा अच्छा आदमी साबित होगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी तरफसे बिलकुल निजक रहें।” मैं नहीं समझता कि मेरे इन वचनोंसे उन्हें सतोष हुआ हो; पर इतना जरूर हुआ कि उन्होंने मुझपर विश्वास रक्खा और मुझे अपने रास्ते जाने दिया।

पीछे जाकर मैंने देखा कि मेरा अनुमान ठीक न था। सुधार करनेके लिए भी मनुष्यको गहरे पानीमें न पैठना चाहिए। जिनका सुधार हमें करना हो उनके साथ मित्रता नहीं हो सकती। मित्रतामें अद्वैत-भाव होता है। ऐसी मित्रता ममारमें बहुत कम देखी जाती है। ममान गुण और शीलवालोमें ही मित्रता घोभती और निभती है। मित्र एक-दूसरेपर अपना असर छोड़े बिना नहीं रह सकते। इस कारण, मित्रतामें सुधारके लिए बहुत कम गुजाइश होती है। मेरा मन यह है कि निजी या अशुद्ध मित्रता अनिष्ट है, क्योंकि मनुष्य दोषको मट ग्रहण कर लेता है। शत्रु गुण ग्रहण करनेके लिए प्रयत्नकी जरूरत है। जो आत्माकी—ईश्वरकी—मित्रता चाहता है उसे एकाकी रचना उचित है, या फिर सारे जगत्के साथ मित्रता करनी उचित है। ये विचार नहीं हो या गलत, परन्तु इनमें कोई मद्देह नहीं कि मेरा निजी मित्रता जोड़ने और बटानेका यह प्रयत्न विफल साबित हुआ।

जिन दिनों इन महागुरुमें मेरा संपर्क हुआ, राजकोटमें ‘सुधारक-सभ’का जोरजोर था। इन मित्रने बताया कि बहुतेरे हिंदू-निखक छिपे-छिपे मासाहार और मद्यपान करते हैं। राजकोटके दूसरे प्रसिद्ध व्यक्तियोंके नाम भी लिये। हाईस्कूलके गिनने ही विद्यार्थियोंके नाम भी मेरे पास आये। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मन ही दुःख नी। जद मैंने इसका कारण पूछा तो यह बताया गया—“हम नाम नहीं जाने, टनीलिए कमजोर हो गये हैं। अग्रेज जो हमपर दृक्मन कर रहे हैं उनका कारण है उनका मानाहार। तुम जानते ही हो कि मैं गिनना हटा-मटा और मजबूत हूँ और चितना ढीठ सभता हूँ। इसका कारण भी—मेरा मानाहार ही है। मासाहारको फोड़े-फुमी नहीं होते, हों भी तो जन्दी अच्छे हो जाते हैं। देनों, हमारे शिक्षक लोग याम खाते हैं, इतने भले-भन्ने आदमी खाने हैं, नां क्या बिना भोजन-समझ ही ? तुमको भी खाना चाहिए। खाना तो देना कि तुम्हारे बदनमें गिननी ताकत आ जाती है।”

ये दलील एक ही दिनमें नहीं पेश हुईं । अनेक उदाहरणोंसे सजाकर कई बार पेश की गई । मेरे मझले भाई तो मास खाकर भ्रष्ट हो ही चुके थे । उन्होंने भी इस दलीलका समर्थन किया । इन मित्रके और अपने भाईके मुकाबलेमें मैं दुबला-पतला और कमजोर था । उनके शरीर ज्यादा सुगठित थे । उनका शरीर-बल मुझसे बहुत ज्यादा था । वह निर्भय थे । इन मित्रके पराक्रम मुझे मुग्ध कर लेते । वह जितना चाहे दौड़ सकते । गति भी बहुत तेज थी । बहुत लंबा और ऊंचा कूद सकते थे । मार सहनेकी शक्ति भी वैसी ही थी । इस शक्तिका प्रदर्शन भी वह समय-समय पर करते । अपने अदर जो सामर्थ्य नहीं होता उसे दूसरेमें देखकर मनुष्य को अवश्य आश्चर्य होता है । वैसा ही मुझे भी हुआ । आश्चर्यसे मोह पैदा हुआ । मुझमें दौड़ने-कूदने की शक्ति नहींके बराबर थी । मेरे मनने कहा—“ इन मित्रके समान बलवान मैं भी बन जाऊ, तो क्या बहार हो ? ”

फिर मैं डरपोक भी बढा था । चोर, भूत, साप आदिके भयसे सदा घिरा रहता । इन भयोंसे मैं घबराता भी बहुत । रातमें कहीं अकेले जानेकी हिम्मत न होती । अंधेरेमें तो कहीं न जाता । विना चिरागके सोना प्राय असभव था । कहीं यहासे भूत-पिशाच निकलकर न आ जाय, वहासे चोर और उधरसे साप न आ घुसे—यह डर बना रहता, इसलिए रोशनी जरूर रखता । इधर अपनी पत्नी के सामने भी, जो कि पास ही सोती और अब कुछ-कुछ दुत्रती हो चली थी, ये भयकी बातें करते हुए सकोच होता था । क्योंकि मैं इतना जान चुका था कि वह मुझसे अधिक हिम्मतवाली है, इस कारण मैं शरमाता था । उसे साप बगैरहका भय तो कहीं छूतक नहीं गया था, अंधेरेमें अकेली चली जाती । मेरी इन कमजोरियोंका हाल उन मित्रको मालूम था । वह तो मुझसे कहा करता कि मैं जीते सापको हाथसे पकड लेता हू । चोरसे तो वह डरता ही न था, न भूत-प्रेतोंको ही मानता था । मतलब यह कि उसने यह बात मेरे मनमें जमा दी कि यह सब मासाहारका प्रताप है ।

इन दिनों नर्मद कविकी यह कविता स्कूलमें गाई जाती—

भयोजो राज करे, देशी रहे दवाई,
देशी रहें दवाई, जोने बेना शरीर भाई,

पेलो पाच हाथ पूरो, पूरो पाचसे ने ।^१

इन सबका मेरे दिलपर बटा असर हुआ । मैं राखी हो गया । मैं मानने लगा कि मामाहार अच्छी चीज है । उमने मैं बलवान् और निर्भय बनूंगा । सारा देश यदि मान खाने लगे, तो हम अंग्रेजोंको हरा सकते हैं ।

मासाहारकी घुटभालका दिन तय हुआ ।

इन निश्चय—इस प्रारम्भ—का अर्थ सब पाठक न समझ सकेगे । गांधी-परिवार वैष्णव-प्रदायका अनुयायी था । माता-पिता कट्टर वैष्णव माने जाते थे । हमेशा वैष्णव मंदिर जाने । कितने ही मंदिर तो हमारे कुटुंबके ही गिने जाते । फिर गुजरातमें जैनप्रदायका भी बहुत जोर था । उसका असर हर जगह और हर काममें पाया जाता था । इसलिए मामाहारके प्रति जो विरोध—निरस्कार गुजरातमें और धावको तथा वैष्णवोंमें दिखाई पड़ता है वह हिंदुस्तानमें या मारी दुनियामें कहीं नहीं दिखाई पड़ता । ये थे मेरे निस्कार ।

फिर माता-पिताका मैं परम भय ठहरा । मैं मानता ही था कि यदि उन्हें मेरे मासाहारका पता लग जायगा तो वे तो बे-मान ही प्राण छोड़ देंगे । जान-अनजानमें मत्स्यका भी सेवक तो मैं था ही । पर वह नहीं कह सकता कि यह जान मुझे नहीं था कि यदि मान खाने लगा तो माता-पिताके सामने झूठ बोलना पड़ेगा ।

ऐसी स्थितिमें मेरा माम खानेका निश्चय, मेरे लिए बड़ी गंभीर और भयकर बात थी ।

परंतु मैं तो चुपचाप करना चाहता था । मास शीकके लिए नहीं खाना चाहता था । न स्वादके लिए मामाहारका शीगणना करना था । मैं तो बलवान्, निर्भय माहमी होना चाहता था । दूसरोंको ऐसा बननेकी प्रेरणा करना चाहता था और फिर अंग्रेजोंको हराकर भारतवर्ष को स्वतंत्र करना चाहता था । 'स्वराज्य' शब्द उन समय नहीं सुन पड़ता था । करना चाहिये, उन मुधारकी उममें उन

^१भाव यह है कि अंग्रेज इसी कारण हट्टे-कट्टे हैं और हमपर राज्य करने हैं कि ये माम खाते हैं, और हिंदुस्तानी इसीलिए मुर्दा बने हुए हैं कि वे मासाहार नहीं करते ।—जन्

समय तो मेरी अवन बौरिया गई थी ।

७

दुःखद प्रसंग—२

नियत दिन आया । उस समयकी मेरी दशाका हूबहू वर्णन करना कठिन है । एक ओर सुधारका उत्साह, जीवनमें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करनेका बुतूहल और दूसरी ओर चोरकी तरह लुक-छिपकर काम करनेकी शरम ! नहीं कह सकता इनमें किस भाव की प्रधानता थी । हम एकांत जगहकी तलाशमें नदीकी तरफ चले । दूर जाकर एक ऐसी जगह मिली जहा कोई सहसा न देख सके और जहा मैंने देखा मास, जिसे जीवनमें पहले कभी न देखा था, साथमें भटियारेके यहाकी डवल रोटी भी थी । दोनोंसे एक भी चीज न भाई । मास चमडेकी तरह लगा । खाना असभव हो गया । मुझे कैसी होने लगी । खाना यो ही छोडना पडा ।

मेरे लिए यह रात बहुत कठिन साबित हुई । नीद किसी तरह न आनी थी । ऐसा मालूम होता मानो वकरा मेरे शरीरके अदर जीवित है और सपनेमें मानो वह बे-बे चिन्लाता है । मैं चौक उठता, पछताता, पर फिर मोचता कि मासाहारके विना तो गति ही नहीं, यो हिम्मत न हारनी चाहिए । मित्र भी पिट छोडनेवाणे न थे । उन्होंने अब मासको तरह-तरहसे पकाना और सुस्वादु बनाना तथा ढककर रखना शुरू किया । नदी किनारे ले जानेके बजाय राज्यके एक भवनमें वहाके वावर्चीसे इतजाम करके छिपे-छिपे जानेकी तजवीज की, और वहा मेज कुर्सी इत्यादि सामग्रियोंके ठाट-वाटसे मुझे लुभाया । इसका अभीष्ट असर मेरे दिलपर हुआ । डवलरोटीसे नफरत हटी, वकरेकी दया-माया छूटी और मासका तो नहीं कह सकता, पर मासवाले पदार्थोंका स्वाद लग गया । इस तरह एक साल गया होगा और इस बीच कुल पाच-छ बार मास खानेको मिला होगा । क्योंकि एक तो बार-बार राज्यका भवन न मिलता, और दूसरे मासके सुस्वादु पदार्थ हमेशा तैयार न हो पाते । फिर ऐसे भोजनोंके लिए खर्च भी करना पडता । इधर मेरे पास कानी कौडी भी न थी । मैं देता क्या ? खर्चका इतजाम मोचना

उस मित्रके जिम्मे रहा था। मुझे आज तक खबर नहीं कि उसने कहासे इतनाम किया था। उसका इरादा तो था मुझे मासकी चाट लगा देना, मुझे भ्रष्ट कर देना। इसलिए सर्बका भार वह खुद ही उठाता था। पर उसके पास भी अटूट खजाना तो था नहीं, इस कारण ऐसे भोजनोंके अवसर कभी-कभी ही आते।

जब-जब ऐसे भोजनोंमें शरीक होना तब-तब घर खाना न खाया जाता। जब मा खानेको बुलाती तो बहाना करना पड़ता, आज भूख नहीं, खाना पचा नहीं। जब-जब मैं बहाने बनाने पड़ते तब-तब मेरे दिलको सरत चोट पहुँचती। इननी झूठ बान, फिर भाके सामने। फिर यदि मा-बाप जान जाए कि लडके माम खाने लग गये हैं, तब तो उनपर विजली ही टूट पड़ेगी। ये विचार मेरे हृदयको हरदम नोचते रहते। इस कारण मैंने निश्चय किया कि मास खाना तो आवश्यक है, उसका प्रचार अरके हिंदुस्तानको सुधारना भी आवश्यक है, पर माता-पिताको धोखा देना और झूठ बोलना मास न खानेसे भी ज्यादा बुरा है। इसलिए माता-पिताके जीतेजी माम न खाना चाहिए। उनकी मृत्युके बाद, स्वसत्र हो जानेपर खुल्लम-खुल्ला खाना चाहिए, और जबतक वह समय न आवे मासके रास्ते न जाना चाहिए। यह निश्चय मैंने अपने मित्रपर प्रकट कर दिया। उस दिनसे जो मासाहार छूटा सो छूटा ही। हमारे माता-पिताने कभी न जाना कि उनके दो पुत्र मास खा चुके हैं।

माता-पिताको धोखा न देनेके शुभ विचारसे मैंने मासाहार तो छोड़ा, परंतु उस मित्रकी मित्रता न छोड़ी। मैं जो दूसरोंको सुधारनेके लिए आगे बढ़ा था सो खुद ही विगड़ गया और सो भी ऐसा कि विगड़ जानेका भानतक न रहा।

उमीकी मित्रताके कारण मैं व्यभिचारमें भी फस जाता। एक बार यही महाशय मुझे बकलेमें ले गये। वहा एक बाईके मकानमें जहरी वाते समझाकर भेजा। ऐसे देना-दिवाना मुझे कुछ न था। वह सब पहले ही हो चुका था। मेरे लिए तो सिर्फ एकांत लीला करनी बाकी थी।

मैं मकानमें दाखिल तो हुआ, पर ईश्वर जिसे बचाना चाहता है वह गिरनेकी इच्छा करने हुए भी बच सकता है। उस कमरेमें जाकर मैं तो मानो अथा बन गया। कुछ बोलनेका ही औसान न रहा। मारे घरभके चुपचाप उन बाईकी खटियापर बँठ गया। एक लपजतक जवानसे न निकला। बाई

झज्झाई और मुझे दो-चार बुरी-भली सुनाकर सीधा दरवाजे का रास्ता दिखाया ।

उस समय तो मुझे लगा, मानो मेरी मर्दानगी को लाछन लग गया, और धरती फट जाय तो मैं उसमें समा जाऊँ । परंतु वादको, इससे मुझे उबार लेनेपर, मैंने ईश्वरका सदा उपकार माना है । मेरे जीवनमें ऐसे ही चार प्रसंग और आये हैं । बहुतोमें मैं विना प्रयत्नके, दैवयोगसे, बच गया हूँ । विशुद्ध दृष्टि से तो इन अवसरोपर मैं गिरा ही समझा जा सकता हूँ, क्योंकि विषयकी इच्छा करते ही मैं उसका भोग तो कर चुका । फिर भी लौकिक दृष्टिसे हम उस आदमीको बचा हुआ ही मानते हैं जो इच्छा करते हुए भी प्रत्यक्ष कर्मसे बच जाता है । और मैं इन अवसरोपर इसी तरह, इतने ही अक्षतक, बचा हुआ ममझा जा सकता हूँ । फिर कितने ही काम ऐसे होते हैं, जिनके करनेसे बचना ब्यक्तिके तथा उसके संपर्कमें आनेवालोंके लिए बहुत लाभदायक मावित होता है । और जब विचार-शुद्धि हो जाती है तब उस कर्मसे बच जानेकी वह ईश्वरका अनुग्रह मानता है । जिस प्रकार हम यह अनुभव करते हैं कि न गिरनेका यत्न करते हुए भी मनुष्य गिर जाता है उसी प्रकार पतनकी इच्छा हो जानेपर भी अनेक कारणोंसे मनुष्य बच जाता है । यह भी अनुभव सिद्ध है । इसमें कहा पुरुषार्थके लिए स्थान है, कहा दैवके लिए, अथवा किन नियमोंके दशवर्ती होकर मनुष्य अतमें गिरता है, या बचता है, ये प्रश्न गूढ हैं । ये आजतक हल नहीं हो सके हैं, और यह कहना कठिन है कि इनका अंतिम निर्णय हो सकेगा या नहीं ।

पर हम आगे चलें ।

मुझे अब भी इस बातका भान न हुआ था कि इस मित्रकी मित्रता अनिष्ट है । अभी और कङ्कए अनुभव होने वाकी थे । यह तो मुझे तभी मालूम हुआ, जब मैंने उनके ऐसे दोषोंका प्रत्यक्ष अनुभव किया, जिसकी मुझे कभी कल्पनातक न हुई थी । पर मैं जहातक हो, समयानुक्रमसे अपने अनुभव लिख रहा हूँ, इसलिए वे बातें आगे समयपर आ जावेंगी ।

एक बात तो इसी समयकी है, जो यही कहूँ हूँ । हम दपत्तिमें जो कितनी ही बार मतभेद और मनमुटाव हो जाया करता, उसका कारण यह मित्रता भी थी । मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं जैसा प्रेमी था वैसा ही वहमी पति भी था ।

यह मित्रता मेरे वहम को बटानी रहनी थी, क्योंकि मित्रको नच्चाईपर मुझे अ-
 विश्वास बिलकुल न था। उन मित्रकी बातें मानकर मैंने अपनी धर्मपत्नीको कई
 बार दुःख दिया है। उन हिंसाके लिए मैंने कभी अपनेको माफ नहीं किया।
 हिंदू स्त्री हीं ऐसे दुःखको महन कर सकनी होंगी। और इसलिए मैंने स्त्रीको
 हमेशा नञ्जलीनताकी मूर्ति माना है। नौकर-चाकर पर यदि सूठा वहम आने
 लगे तो वे नौकरी छोड़कर चले जाते हैं, पुत्रपर ऐसी बीते तो बापका
 घर टोट्टर चला जाना है मित्रोंमें सदेह पड जाय तो मित्रता टूट जाती है,
 पत्नीको यदि पतिपर शक हो तो बेचारी मन मनोमकर रह जाती है,
 पर यदि पतिके मनमें पत्नीके लिए शक पड जाय तो बेचारीकी मौत ही
 नभझिए। वह कहा जाय ' उच्च-वर्णकी हिंदू स्त्री अदालतमें जाकर तलाक
 भी नहीं दे सकती। ऐसा एक-पक्षी न्याय उनके लिए रखा गया है। यही
 न्याय मैंने उमने साथ ब्रम्हा, इन दुःखको मैं कभी नहीं भूल सकता। इस
 वहमका मंत्रथा नाम तो नहीं हुआ जब मुझे अहिंसाका सूक्ष्म ज्ञान हुआ।
 अर्थात् जब मैं इहमन्त्राजी महिमाको समझा और समझा कि पत्नी पतिकी दानी
 नहीं बरन् महत्कारिणी है, महर्घमिणी है। दोनों एक-दूसरेके मुख-दुःखके समान-
 भागी हैं और पतिको अच्छा-दुरा करनेकी जितनी स्वतन्त्रता है उतनी ही पत्नीको
 भी है। इन वहमके समर्थकी जब मुझे याद आती है तब मुझे अपनी भूर्त्तल और
 विपत्तय निर्बंधतापर श्रौं और मित्रता-विषयक अपनी उस मूर्च्छा—मूटनापर
 तर्क आता है।

८

चोरी और प्रायश्चित्त

मानाहारके समयके और उमके पहलेके अपने कुछ दूषणोंका वर्णन करना
 अभी बाकी है। ये या तो विवाहके पहलेके हैं या तुरत बादके।

अपने एक रिज्नेदागके साथ मूये मिगरेट पीनेका चक्का लग गया।
 पैमे तो हमारे पास ये हीं नहीं। दोनोंमेंसे किसीको भी यह तो नहीं मालूम होता
 था कि मिगरेट पीनेमें कुछ फायदा है या उनकी गधमें कुछ स्वाद है, पर इनका

जरूर मालूम हुआ कि केवल धुआ फूकनेमें ही कुछ आनंद है । मेरे चाचाजीको सिगरेट पीनेकी आदत थी । और उनको तथा औरोको धुआ उडाते देखकर हमें भी फूक लगानेकी इच्छा हुआ करती । पैसे ये ही नहीं, इसलिए चाचाजीके पीकर फेंके हुए सिगरेटके टुकड़े चुरा-चुराकर हम लोग पीने लगे ।

परन्तु ये टुकड़े भी हर वक्त नहीं मिल सकते थे और उनसे बहुत धुआ भी नहीं निकलता था । इसलिए हम नौकरके पैसेमेंसे एक-एक दो-दो पैसे चुराने और बीड़ी खरीदने लगे । पर यह दिक्कत थी कि उन्हें रखके कहा ? यह तो जानते थे ही कि बड़े-बूढ़ोंके सामने बीड़ी-सिगरेट पी नहीं सकते । ज्यो-त्यों करके दो-चार पैसे चुराकर कुछ सप्ताह काम चलाया । इसी बीच सुना कि एक किस्मके पीवे (उसका नाम भूल गया) के डठल बीड़ीकी तरह सुलगते हैं, और पी सकते हैं । हम उन्हें ला-लाकर पीने लगे ।

पर हमें सतोष न हुआ । यह पराधीनता हमें सनने लगी । बड़े-बूढ़ोंकी आज्ञाके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, यह दिन-दिन नागवार होने लगा । अतको उक्तताकर हमने आत्म-हत्या करनेका निश्चय किया ।

परन्तु आत्म-हत्या करे किस तरह ? जहर लावे कहासे ? हमने सुना था कि घतुरेके बीज खानेसे आदमी मर जाता है । जगलमें घूम-फिरकर बीज लाये । शामका समय ठीक किया । केदारजीके मंदिरमें जाकर दीपकमें घी डाला, दर्शन किया, और एकांत ढूढा, पर जहर खानेकी हिम्मत न होती थी । 'तुरन् ही प्राण न निकले तो ? मरनेसे आखिर क्या लाभ ? पराधीनतामेंही क्यों न पड़े रहे ? ' ये विचार मनमें आने लगे । फिर दो-चार बीज खा ही डाले । ज्यादा खानेकी हिम्मत न चली । दोनों मौतसे डर गये, और यह तय किया कि रामजीके मंदिर में जाकर दर्शन करके खामोश हो रहे और आत्म-हत्याके खयाल को दिलसे निकाल डालें ।

तब मैं समझा कि आत्म-हत्याका विचार करना तो सहल है, पर आत्म-हत्या करना सहल नहीं । अतएव जब कोई आत्म-हत्या करनेकी वमकी वेता है तब मुझपर उसका बहुत कम असर होता है, यथवा यह कहू कि विलकुल ही नहीं होता तो हर्ष नहीं ।

आत्म-हत्याके विचारका एक परिणाम यह निकला कि हमारी जूठी

सिगरेट चुराकर पीनेकी, नौकरके पैसे चुरानेकी और उसकी बीड़ी लाकर पीनेकी टेव छुट गई। बटा होनेपर भी मुझे कभी बीड़ी पीनेकी उच्छासक न हुई। और मेने सदा इस टेवको जगली, हानिकारक और गंदी माना है। पर प्रबन्ध में यह नहीं समझ पाया कि बीड़ी-सिगरेट पीनेका इतना जबरदस्त और दुनियाको आखिर क्यों है? रेलके जिस टिब्बेमें बहुतेरी बीडिया फूँजी जानी हैं, यहा बैठना मेरे लिए मुश्किल हो पड़ता है और उनके धुएँसे मेरा दम घुटने लगता है।

सिगरेटके टुकड़े चुराने तथा उसके लिए नौकरके पैसे चुरानेसे बटवर चोरीका एक दोष मुझमें हुआ है, और उसे मैं इसमें ज्यादा गंभीर समझता हूँ। बीड़ीका चस्का तब लगा जब मेरी उम्र १२-१३ सालकी होगी। शायद इनमें भी कम हो। दूसरी चोरीके समय १५ वर्षकी रही होगी। यह चोरी भी मेरे मासाहारी भाईके सोनेके कड़ेके टुकड़ेकी। उन्होंने २५) के लगनग कर्जा कर रक्ता था। हम दोनों भाई हम सोचमें पड़े कि यह चुकावें किस तरह। मेरे भाईके हाथमें सोनेका एक ठोस कडा था। उसमेंसे एक तोला सोना काटना कठिन न था।

कड़ा कटा। कर्ज चुका, पर मेरे लिए यह घटना असह्य हो गई। आगेमें कदापि चोरी न करने का मैंने निश्चय किया। मनमें आया कि पिताजीके सामने जाकर चोरी कबूल कर लूँ। पर उनके सामने मुह खुलना मुश्किल था। यह डर तो न था कि पिताजी खुद मुझे पीटने लगेंगे, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने हम भाइयोंमेंसे कभी किसीको पीटा हो। पर यह खटकना जरूर था कि वह खुद बड़ा मताप करेंगे, शायद अपना सिर भी पीट ले। तथापि मैंने मनमें कहा—
“यह जोखिम उठाकर भी अपनी बुराई कबूल कर लेनी चाहिए, इसके बिना गुडि नहीं हो सकती।”

अतमें यह निश्चय किया कि चिट्ठी लिखकर अपना दोष स्वीकार कर लूँ। मैंने चिट्ठी लिखकर खुद ही उन्हें दी। चिट्ठीमें सारा दोष कबूल किया था और उसके लिए सजा चाही थी। आजिजीके साथ यह प्रार्थना की थी कि आप किसी तरह अपनेको दुखी न बनावें और प्रतिज्ञा की थी कि आगे मैं कभी ऐसा न करूँगा।

पिताजीको चिट्ठी देते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। उस समय वह भगदरकी बीमारीसे पीडित थे। अत खटियाके वज्राय लकड़ीके तख्तोंपर उनका बिछौना

रहता था। उनके सामने जाकर बैठ गया।

उन्होंने चिट्ठी पढ़ी। आखीसे मोतीके बूद टपकने लगे। चिट्ठी भीग गई। थोड़ी देरके लिए उन्होंने आखे मद ली। चिट्ठी फाड़ डाली। चिट्ठी पढ़नेको जो वह उठ बैठे थे सो फिर लेट गये।

मैं भी रोया। पिताजीके दुखको अनुभव किया। यदि मैं चितेरा होता तो आज भी उस चित्रको हूबहू खींच सकता। मेरी आखीके सामने आज भी वह दृश्य ज्यो-का-त्यो दिखाई दे रहा है।

इस भीती-बिंदुके प्रेमवाणने मुझे वीष डाला। मैं शुद्ध हो गया। इस प्रेमको तो वही जान सकता है, जिसे उसका अनुभव हुआ है—

रामवाण बाग्यारे होय ते जाणे^१

मेरे लिए यह अहिंसाका पदार्थ-पाठ था। उस समय तो मुझे इसमें पितृ-वात्सल्यसे अधिक कृच्छ्र न दिखाई दिया, पर आज मैं इसे शुद्ध अहिंसाके नामसे पहचान सका हूँ। ऐसी अहिंसा जब व्यापक रूप ग्रहण करती है तब उसके स्पर्शसे कौन अलिप्त रह सकता है? ऐसी व्यापक अहिंसाके बलको नापना असंभव है।

ऐसी शांतिमय क्षमा पिताजीके स्वभावके प्रतिकूल थी। मैंने तो यह अदाज किया था कि वह गुस्सा होंगे, मस्त-सुस्त कहेंगे शायद अपना सिर भी पीट लें। पर उन्होंने तो असीम शांतिका परिचय दिया। मैं मानता हूँ कि यह अपने दोषको शुद्ध हृदयमें मंजूर कर लेने का परिणाम था।

जो मनुष्य अधिकारी व्यक्तिके सामने स्वेच्छापूर्वक अपने दोष शुद्ध हृदयसे कह देता है और फिर कभी न करनेकी प्रतिज्ञा करता है, वह मानो शुद्धतम प्रायश्चित्त करता है। मैं जानता हूँ कि मेरी इस दोष-स्वीकृतिसे पिताजी मेरे सबधमें निश्चक हो गये और उनका महाप्रेम मेरे प्रति और भी बट गया।

^१प्रेम-बाणसे जो बिषा हो वही उसके प्रभावको जानता है।—अनु०

६

पिताजीकी मृत्यु और मेरी शर्म

यह दिन मेरे मोनट्रवे नामका है। पाठक जानते हैं कि पिताजी नगदर की बीमारीमें विलक्षण विद्यार्थीपर ही लेटे रहने थे। उनकी मेवा-शुश्रूषा अधिकांशमें माताजी एक पुराने नौकर और मेरे जिम्मे थी। मैं 'नर्म'—परिचारकका काम करता था। घावको घोना, डममें दवा डालना जरूरत ही तब मरहम लगाना दवा पिनाना और जगर ल हो तब घर पर दवा तैयार करना, यह मेरा काम था। रातको हमेशा उनके पैर दवाना और जब वह कहे तब, अथवा उनके मो जानेके बाद, जागर सोना मेरा नियम था। वह सेवा मुझे प्रतिनिय प्रिय थी। मुझे राद नहीं पड़ना कि किसी दिन मैंने इसमें गफलत की हो। ये दिन मेरे हाईस्कूलके थे। इस कारण भोजन-पानसे जो समय बचता वह या तो स्कूलमें या पिताजीकी मेवा-शुश्रूषामें जाता। जब वह कहने, अथवा उनकी तबीयतके अनुकूल होता, तब शामको घूमने चला जाता।

इसी वर्ष पत्नी गर्भवती हुई। आज मुझे इसमें दोहरी शर्म मालूम होती है। एक तो यह कि विद्यार्थी-जीवन होने हुए मैं समय न रख सका, और दूसरे यह कि यद्यपि मैं स्कूलकी पढाई पढनेका और इसमें भी बटकर माता-पिताकी भक्तिको धर्म गनता था—यहातक कि इस म्वधमें वात्स्यायन्यामे ही श्रवण मेरा आदर्श रहा था—तथापि विषय-लालना मुझपर हावी हो सकी थी। यद्यपि मैं रातको पिताजी के पाव दबाया करता तथापि मन अयन-गृहकी तरफ दौड़ा करता और वह भी गमे समय नि जब श्री-सा धर्म-आस्थ, वैद्यक-आस्थ और व्यवहार-गाम्त्र तीनों अनुनार त्याग्य था। जब उनकी मेवा-शुश्रूषामें मुझे छुट्टी मिलती तब मुझे म्मी होनेो और पिताजीके घर छूकर मैं भीषा अयन-गृह में चला जाता।

पिताजीकी बीमारी बढती जानी थी। वैद्योंने अपने-अपने लेप आजमाये, इवीमोंने मरहम-पट्टिना आजमाई, मामूली नाई-टूजामो आदिकी घरेलू दवाए की, अग्रज डॉक्टरने भी अपनी अकल नडा देवी। अग्रज डॉक्टरने कहा, नस्तर लगानेके सिवा दूसरा रास्ता नहीं। हमारे बुद्धके मिन वैद्यने प्राप्ति की और

ढलती उन्नमे ऐसा नशतर लगवार्नकी सलाह उन्होंने न दी । दवाभोकी बीसो बोटलें खपी, पर व्यर्थ गई और नशतर भी नहीं लगाया गया । वैद्यराज थे तो काबिल और नामाकित, पर मेरा खयाल है कि यदि उन्होंने नशतर लगाने दिया होता तो धावके अच्छा होनेमें कोई दिक्कत न आती । आपरेशन बवर्डके तत्कालीन प्रसिद्ध सर्जनके द्वारा होनेवाला था । पर अत नजदीक आ गया था, इसलिए ठीक वात उस समय कैसे सूझ सकती थी ? पिताजी बवर्डसे विना नशतर नगाये वापस लौटे और नशतर-मबधी खरीदा हुआ सामान उनके साथ आया । अब उन्होंने अधिक जीनेकी आशा छोड दी थी । कमजोरी बढ़ती गई और हर क्रिया विछीनेमें ही करने की नीवत आ गई । परतु उन्होंने अनतक उसे स्वीकार न किया और उठने-बैठने का कष्ट उठाना मजूर किया । वैष्णव-धर्मका यह कठिन शासन है । उसमें बाह्य-शुद्धि अति आवश्यक है । परतु पाश्चात्य वैद्यक-शास्त्र हमें सिखाता है कि मल-त्याग तथा स्नान आदिकी समस्त क्रियाये पूरी-पूरी स्वच्छताके साथ विछीने में हो सकती है और फिर भी रोगी को कष्ट नहीं उठाना पडता । जब देखिए तब विछीना स्वच्छ ही रहता है । ऐसी स्वच्छताको मैं तो वैष्णव-धर्म के अनुकूल ही मानता हू । परतु इस समय पिताजी का स्नानादिके लिए विछीनेको छोडनेका आग्रह देखकर मैं तो आश्चर्य-चकित रहता और मनमें उनकी स्तुति किया करता ।

अवसानकी घोर रात्रि नजदीक आई । इस समय मेरे चाचाजी राजकोटमें थे । मुझे कुछ ऐसा याद पडता है कि पिताजीकी बीमारी बढनेका समाचार सुनकर वह आ गये थे । दोनो भाइयोमें प्रगाढ प्रेम-भाव था । चाचाजी दिन-भर पिताजीके विछीनेके पास ही बैठे रहते और हम सबको सोनेके लिए रवाना करके खुद पिताजीके विछीने के पास सोते । किसीको यह खयालतक न था कि यह रात आखिरी सावित होगी । भय तो सदा रहा ही करता था । रातके साटे दस या ग्यारह बजे होंगे । मैं पैर दबा रहा था । चाचाजीने मुझमें कहा—
“अब तुम जाकर सोओ, मैं बैठूंगा ।” मैं खुश हुआ और सीधा शयन-गृहमें चला गया । पत्नी बेचारी भर-नीदमें थी । पर मैं उसे क्यों मोने देने लगा ? जगाया । पाच-सात ही मिनट हुए होंगे कि नौकरने दरवाजा खटकाया ।

मैं चौका । उसने कहा—“उठो, पिताजीकी हासत बहुत खराब है ।”

बहुत खराब है, यह तो मैं जानता ही था, इसलिए 'बहुत खराब' का विशेष अर्थ समझ गया। एम-आरजी विडोनेने हटकर पूछा—

“कहो ना, वात क्या है ?”

“पिताजी गुजर गये।”—उत्तर मिला।

अब पञ्चास्तान किन् कामका ? मैं बहुत दर्मिन्दा हुआ, बड़ा खेद हुआ। पिताजीके कमरेमें दौड़ा गया। मैं समझता कि यदि मैं विषयाभ न होता, तो संत मर्मयका यह विद्वान् मने भाग्यमें न होता, मैं अतिम घडियोतक पिताजीके पैर दवाना रहता। अब नौ चाचाजीके मुहमें ही सुना, “बापू तो हमें छोड़कर चले गये।” अपने जेठ भाइके परम भक्त चाचाजी उनकी अतिम सेवाके सीनात्यके भागी हुए। पिताजीको अपने भवमानका खयाल पहलेसे ही चुका था। उन्होंने इयाग्ने लिखनेकी नामची भागी। कागजपर उन्होंने लिखा, ‘तैयारी करो।’ छतना निखकर अपने हाथपर बना ताबीज जोड़ फेंका। सोनेकी कंठी पहने हुए ये, उने भी जोड़ फेंका और एक क्षण में प्राण-मखेर उड़ गए।

पिताके प्रवृत्तम मने अपनी त्रिप धर्मकी और मकेत किया था, वह यही धर्म थी। मेवाके समयमें भी विषयेच्छा। उस काले घन्वेको मैं आज्ञातक न पाँछ सका, न भूल सका। और मने हुनेवा माना है कि यद्यपि माता-पिता के प्रति मेरी भक्ति अपार थी उनके लिए मैं सब-कुछ छोड़ सकता था, परंतु उस सेवाके समयमें भी मेरा मन विषयभोगको न छोड़ सका, यह उस सेवामें अक्षम्य रही थी। इनीलिए मने अपनेको एक-पत्नी-व्रतका पालन करनेवाला मानते हुए भी विषयाभ माना है। इसने छूटने में मुझे बहुत समय लगा है और छूटनेके पहलेतक बड़े धर्म-मकट सहने पड़े हैं।

अपनी इन दुहेरी धर्मका प्रकरण पूरा करनेके पहले यह भी कह देना है कि पत्नीने जिस बालकको जन्म दिया वह दो या चार दिन ही सास लेकर चलता हुआ। दूसरा क्या परिणाम हो सकता था ? इस उदाहरणको देखकर जो मा-बाप अथवा धपती चेतना चाहें वे चेतें।

‘काठियावाड़में पिताकी जापू करते हैं।—अनु०

१०

धर्मकी झलक

छ-सात सालकी उम्रसे लेकर १६ वर्षतक विद्याभ्ययन किया, परतु स्कूलमें कहीं धर्म-शिक्षा न मिली। जो चीज शिक्षकोके पाससे सहज ही मिलनी चाहिए, वह न मिली। फिर भी वायुमंडलमेंसे तो कुछ-न-कुछ धर्म-प्रेरणा मिला ही करती थी। यहा धर्मका व्यापक अर्थ करना चाहिए। धर्मसे मेरा अभिप्राय है आत्ममानसे, आत्मज्ञानसे।

वैष्णव-संप्रदायमें जन्म होनेके कारण बार-बार 'वैष्णव-मंदिर' जाना होता था। परतु उसके प्रति श्रद्धा न उत्पन्न हुई। मंदिरका वैभव मुझे पसंद न आया। मंदिरोंमें होनेवाले अनाचारोकी बातें सुन-सुनकर मेरा मन उनके सबधमें उदासीन हो गया। वहासे मुझे कोई लाभ न मिला।

परतु जो चीज मुझे इस मंदिरसे न मिली, वह अपनी दाईके पाससे मिल गई। वह हमारे कुटुंबमें एक पुरानी नौकरानी थी। उसका प्रेम मुझे आज भी याद आता है। मैं पहले कह चुका हू कि मैं भूत-प्रेत आदिसे डरा करता था। इस रमाने मुझे बताया कि इसकी दवा 'राम-नाम' है। किंतु राम-नामकी अपेक्षा रभापर मेरी अधिक श्रद्धा थी। इसलिए वचनमें मैंने भूत-प्रेतादिसे वचनेके लिए राम-नामका जप शुरू किया। यह सिलसिला यो बहुत दिनतक जारी न रहा, परतु जो बीजारोपण वचनमें हुआ वह व्यर्थ न गया। राम-नाम जो आज मेरे लिए एक अमोघ शक्ति हो गया है, उसका कारण यह रभावाई का बोया हुआ बीज ही है।

मेरे बचेरे भाई रामायणके भक्त थे। इसी अर्थमें उन्होंने हम दो भाइयोको 'राम-रक्षा' का पाठ सिखानेका प्रवच किया। हमने उसे मुखाग्र करके प्रातःकाल स्नानके बाद पाठ करनेका नियम बनाया। जबतक पोरबंदरमें रहे, तबतक तो यह निभता रहा। परतु राजकोटके वातावरणमें उसमें गिथिपना आ गई।

सल रहीं है कि लडकपनमे कितने ही अच्छे ग्रंथोका श्रवण-पठन न हो पाया ।

राजकोटमे मुझे सब सप्रदायोके प्रति समानभाव रखनेकी शिक्षा अनायाम मिली । हिंदू-धर्मके प्रत्येक सप्रदायके प्रति आदर-भाव रखना सीखा, क्योंकि माता-पिता वैष्णव-मंदिर भी जाते थे, शिवालय भी जाते व राम-मंदिर भी जाते थे और हम भाइयोको भी ले जाते अथवा भेज देते थे ।

फिर पिताजीके पास एक-न-एक जैन धर्माचार्य अवश्य आया करते । पिताजी भिक्षा देकर उनका आदर-भक्तार भी करते । वे पिताजीके साथ धर्म तथा व्यवहार-चर्चा किया करते । इसके सिवा पिताजीके मुसलमान तथा पारसी मित्र भी थे । वे अपने-अपने धर्मकी बातें सुनाया करते और पिताजी बहुत बार आदर और अनुरागके साथ उनकी बातें सुनते । मैं पिताजीका 'नर्स' था, इसलिए ऐसी चर्चाके समय मैं भी प्राय उपस्थित रहा करता । इस सारे वायुमंडलका यह अमर हुआ कि मेरे मनमे सब धर्मोंके प्रति समानभाव पैदा हुआ ।

हा, ईसाई-धर्म इसमे अपवाद था । उसके प्रति तो जरा श्रद्धा ही उत्पन्न हो गई । इसका कारण था । उस समय हाईस्कूलके एक कोनेमे एक ईसाई व्याख्यान दिया करते थे । वह हिंदू-नेतायो और हिंदू-धर्मवालोकी निंदा किया करते । यह मुझे सहन न होता । मैं एकाद ही बार इन व्याख्यानोको सुननेके लिए खड़ा रहा होऊंगा, पर फिर बहा खटा होनेको जी न चाहा । इसी समय मुना कि एक प्रसिद्ध हिंदू ईसाई हो गये हैं । गावमें यह चर्चा फैली हुई थी कि उन्हें जब ईसाई बनाया गया तब गो-मांस खिलाया गया और शराब पिलाई गई । उनका लिबास भी बदल दिया गया । और ईसाई होनेके बाद वह सज्जन कोट-पतलून और हूट लगाने लगे । यह देखकर मुझे ब्याधा पहुची । 'जिस धर्ममे जानेके लिए गो-मांस खाना पडता हो, शराब पीनी पडती हो और अपना पहनावा बदलना पडता हो, उसे क्या धर्म कहना चाहिए ?' मेरे मनमे यह विचार उत्पन्न हुआ । फिर तो यह भी सुना कि ईसाई हो जानेपर यह महाशय अपने पूर्वजोंके धर्मकी, रीति-रिवाजकी, और देसकी भर-भेट निंदा करते फिरते हैं । इन सब बातोंसे मेरे मनमें ईसाई-धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई ।

इन प्रकार यद्यपि हमरे धर्मोंके प्रति समभाव उत्पन्न हुआ, तो भी यह नहीं कह सकते कि ईश्वरके प्रति मेरे मनमे श्रद्धा थी । इस समय पिताजीके

पुस्तक-संग्रहमेंसे मनुस्मृतिका भाषानर मेरे हाथ पडा। उसमें सृष्टिकी उत्पत्ति अद्विजा वर्णन पटा। उसपर श्रद्धा न जमी। उलटे कुछ चास्तिकता आ गई। मेरे दूनरे चचेरे भाई जो अभी मौजूद हैं, उनकी बुद्धिपर मुझे विश्वास था। उनके सामने मैंने अपनी शकाये रखी। परतु वह मेरा समाधान न कर सके। उन्होंने उत्तर दिया—“ बडे होनेपर इन प्रश्नोंका उत्तर तुम्हारी बुद्धि अपने-आप देने लगेगी। ऐसे-ऐसे सवाल कच्चीको न पूछने चाहिए।” मैं चुप हो रहा, पर मनको शांति न मिली। मनुस्मृतिके साद्याज्ञाद-प्रकरणमें तथा दूसरे प्रकरणोंमें भी प्रचलित प्रयाका विरोध दिखाई दिया। इन शकाका उत्तर भी मुझे प्राय ऊपर लिखे अनुसार ही मिला। तब यह नौचकर मनको समझा लिया कि एक-न-एक दिन बुद्धिका विकास होगा, तब अधिक पठन और मनन करूंगा, और तब सब कुछ समझमें आने लगेगा।

मनुस्मृतिको पढ़कर मैं उस समय तो उससे अहिंसाकी प्रेरणा न पा सका। मासाहारकी बात ऊपर आ ही चुकी है। उसे तो मनुस्मृतिका भी सहारा मिल गया। यह भी जना था कि साप-खटमल आदिको मारना नीति-विहित है। इस समय, मुझे याद है, मैंने धर्म समझकर खटमल इत्यादिको मारा है।

पर एक बातने मेरे दिलपर अच्छी जड़ जमा ली। यह सृष्टि नीतिके पायेपर खड़ी है, नीति-मात्रका समावेश सत्यमें होता है। पर नत्यकी खोज तो अभी बाकी है। दिन-दिन सत्यकी महिमा मेरी दृष्टिमें बढ़ती गई, सत्यकी व्याख्या विस्तार पाती गई और अब भी पाती जा रही है।

फिर एक नीति-विषयक छप्पय हृदयमें अंकित हो गया। अपकारका बदना अपकार नहीं, बल्कि उपकार हो सकता है, यह बात मेरा जीवन-सूत्र बन गई। उनमें मुझपर अपनी सत्ता जमाने शुरू की। अपकार करनेवालेका भला चाहना और करना मेरे अनुरागका विषय हो चला। उसके अग्रगणित प्रयोग क्रिये। वह चमत्कारी छप्पय यह है—

घाणी धामने पाय, भलू भोजन तो बीजे;
 आबी नमावे शीश, दडवत कौहे कीजे।
 आपग धामे दाम, काम महोरो नु करीए;
 आप उगारे प्राण ते तणा हु ख मा मरीए।

गुण कहे तो गुण दशगणो, मन वाचा कर्म करी;
अवगुण कहे जे गुण करे, ते जगमा जीत्यो सही ।^१

११

विलायतकी तैयारी

१८८७ ईसवीमे मेट्रिककी परीक्षा पास की। ववई और अहमदाबाद दो परीक्षा केंद्र थे। देशकी दरिद्रता और कुटुंबकी आर्थिक अवस्थाके बहुत मामूली होनेके कारण, मेरी स्थितिके काठियावाड-निवासीके लिए नजदीकी और सस्ते अहमदाबादको पसंद करना स्वाभाविक था। राजकोटसे अहमदाबादकी मेने यह पहली बार अकेले यात्रा की।

घरके वडे-बूढोकी यह इच्छा थी कि पास हो जानेपर अब आगे कालेजमे पढू। कालेज तो ववईमे भी था और भावनगरमें भी। भावनगरमे खर्च कम पडना था, इसलिए शामलदास कालेजमे पढनेका निश्चय हुआ। वहा सब-कुछ मुझे मुश्किल दिखने लगा। अध्यापकोके व्याख्यानोमें मन न लगता, न समझ ही पडती। उसमें अध्यापकोका दोष न था। मेरी पढाई ही कच्ची थी। उन समयके शामलदास कालेजके अध्यापक तो प्रथम पक्तिके माने जाते थे। पहला सत्र पूरा करके घर आया।

हमारे कुटुंबके पुराने मित्र और सलाहकार एक विद्वान् व्यवहारकुशल ब्राह्मण—मावजी दवे थे। पिताजीके स्वर्गवासके बाद भी उन्होंने हमारे कुटुंबके साथ सबध कायम रक्खा था। छुट्टियोके दिनोंमे वह घर आये। माताजी और

^१ जल-फलका उपहार, पेट भर भोजन दीजे।
समुद नमनके लिए दंडवत् प्यारे कीजे ॥
कौडी पाकर मित्र, मुहर बबलेमें देना।
होवे कष्ट-सहाय, प्राण उसके हिल देना ॥
गुणके बबले दस गुना, गुण करना यह धर्म है।
अवगुण बबले गुण करे, सत्य-धर्मका मर्म है ॥

बड़े भाईके साथ बातें करते हुए मेरी पढाईके विषयमें पूछताछ की। यह सुनकर कि मैं शामलदास कालेजमें पढता हूँ, उन्होंने कहा—“अब जमाना बदल गया है। तुम भाइयोंमेंसे यदि कोई क्वा गाधीजी गद्दी कायम रखना चाहो तो यह बिना पढाईके नहीं हो सकता। यह अभी पट रहा है। इसलिए उस गद्दीको कायम रखनेका भार हमपर डालना चाहिए। इसे अभी ४ माल बी ए होनेमें लगेंगे। इसके बाद भी ५०)–६०)की नाँकरी भले ही मिले, दीवान-पद नहीं मिल सकता। फिर अगर उसके बाद मेरे लडकेकी तरह वकील बनाओगे तो कुछ और साल लगेंगे, और तब तक तो दीवानगिरीके लिए किनने ही वकील तैयार हो जायेंगे। आपको चाहिए कि इसे विलायत पढने भेजें। केवलराम (भावजी दवेका पुत्र) कहता है कि बहा पढाई आसान है। तीन सालमें पढकर लौट आयेगा। खर्च भी ४–५ हजारसे ज्यादा न लगेगा। देखो न, वह नया वैरिस्टर आया है। कैसे ठाट-बाट से रहता है। वह यदि चाहे तो आज दीवान बन सकता है। मेरी सलाह तो यह है कि मोहनदासको आप इसी साल विलायत भेज दें। विलायतमें केवलरामके बहुतेरे मित्र हैं। वह परिचय-पत्र दे देगा तो इसे बहा कोई कठिनाई न होगी।”

जोशीजीने (भावजी दवेको हम इसी नामसे पूकारा करते थे), मानो उन्हें अपनी सलाहके मजूर हो जानेमें कुछ भी सदेह न हो, मेरी ओर मुखातिब होकर पूछा—

“क्यों, तुम्हें विलायत जाना पसंद है या यही पढना ?”

मेरे लिए यह 'नेकी और पूछ-पूछ'वाली मसल हो गई। मैं कालेजकी कठिनाइयोंसे तग तो आ ही गया था। मैंने कहा—“विलायत भेजे तो बहुत ही अच्छा। कालेजमें जल्दी-जल्दी पास हो जानेकी आशा नहीं मालूम होती। पर मुझे डॉक्टरके लिए क्यों नहीं भेजते ?”

बड़े भाई बीच में बोले—“बापको यह पसंद न था। तुम्हारी बात जब निकलती तो कहते हम तो वैष्णव हैं। हाड-मांस नोचनेका काम हम कैसे करें ? बापू तो तुमको वकील बनाना चाहते थे।”

जोशीजीने बीचमें ही हा-में-हा मिलाई—“मुझे गाधीजीकी तरह डाक्टरों ने नफरत नहीं। हमारे शास्त्रोंने इसका तिरस्कार नहीं किया है। परन्तु डाक्टरों पाम करके तुम दीवान नहीं बन सकते। मैं तुमको दीवान और इससे भी बढकर

देखना चाहता हूँ। तभी तुम्हारे विशाल कुट्टवका काम चल सकता है। जमाना दिन-दिन बदलता जाता है और मुष्किल होता जाता है, इसलिए बैरिस्टर बनाना ही बुद्धिमानी है।”

माताजीकी ओर देखकर कहा— “आज तो मैं जाता हूँ। मेरी बातपर विचार कीजिएगा। वापस आनेपर मैं विलायत जानेकी तैयारीके समाचार सुननेकी आशा रखूँगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे खबर कीजिएगा।”

जोशीजी गये। इधर मैंने हवाई किले बाधना शुरू किये।

बड़े भाई शशोपजमें पढ गये। रुपयेका क्या इतजाम करे ? फिर मुझ जैसे नौजवानको इतनी दूर कैसे भेज दे ?

माताजी भी बड़ी दुविधामें पढ गईं। दूर भेजने की बात तो उन्हें अच्छी न लगी। परतु शुरूमें तो उन्होंने यही कहा— “हमारे कुट्टवमें तो भ्रव चाचाजी ही बड़े-बूढे हैं। इसलिए पहले तो उन्हीकी सलाह लेनी चाहिए। यदि वह इजाजत दे दे तो फिर सोचेंगे।”

बड़े भाईको एक और विचार सूझा— “पोरबदर राज्यपर हमारा हक है। लेली साहब एडमिनिस्ट्रेटर है। हमारे परिवारके सबधमें उनका अच्छा मत है। चाचाजीपर उनकी खास मेहरवानी है। शायद वह राज्यकी ओरसे तुम्हारी थोड़ी-बहुत मदद भी करदें।”

मुझे यह सब पसद आया। मैं पोरबदर जानेके लिए तैयार हुआ। उस समय रेल न थी। बैल-गाडिया चलती थी। ५ दिनका रास्ता था। मैं स्वभावसे डरपोक था, यह तो ऊपर कह चुका हूँ। पर इस समय मेरा डर न जाने कहा चला गया। विलायत जानेकी घुन सवार हुई। मैंने धाराजी तककी गाडी की। धोराजीसे एक दिन पहले पहुचनेके इरादेसे ऊट किया। ऊटकी सवागीका यह पहला अनुभव था।

पोरबदर पहुचा। चाचाजीको साप्टाग प्रणाम किया। सारा किस्सा^८ उनसे कहा। उन्होंने विचार करके उत्तर दिया—

“विलायत जाकर अपना धर्म कायम रख सकोगे कि नहीं, यह मैं नहीं जानता। सारी बातें सुनकर तो मुझे सदेह ही होता है। देखो न, बड़े-बड़े बैरिस्टरोंसे मिलनेका मुझे मौका मिलता है। मैं देखता हूँ कि उनकी और माह्व

नोगोकी रहन-सहनमें कोई फर्क नहीं। उन्हें खानपानका कोई परहेज नहीं होता। निगार तो मुझे अलग ही नहीं होती। पहनाव भी देखो तो नया। यह सब अपने कुटुंबको गोभा नहीं देगा। पर मैं तुम्हारे साहसमें विघ्न डालना नहीं चाहता। मैं थोड़े ही दिनोंमें तीर्थयात्राको जानेवाला हूँ। मेरी जिदगीके अब थोड़े ही दिन बाकी हैं। सो मैं, जोकि जिदगीके किनारेतक पहुँच गया हूँ, तुमको विलायत जानेकी, समुद्र यात्रा करनेकी इजाजत कैसे दूँ ? पर मैं तुम्हारा रास्ता न रोकूँगा। असली इजाजत तो तुम्हारी माताजीकी है। अगर वह तुम्हें इजाजत दे दे तो तुम शीरूम जाओ। उनसे कहना कि मैं तुम्हें न रोकूँगा। मेरी आशीष तो तुम्हें हई है।”

“इससे ज्यादाकी आशा मैं आपसे नहीं कर सकता। अब मुझे माताजीकी राजी कर लेना है। परतु लेनी साहबके नाम आप चिट्ठी तो देंगे न ?” मैंने कहा।

चाचाजी बोले, “यह तो मुझमें कैसे हो सकता है ? पर साहब भले आदमी हैं। तुम चिट्ठी लिखो। अपने कुटुंबकी याद दिलाना तो वह जरूर भिलने-ग समय देंगे, और उन्हें जवाब तो मदद भी कर देंगे।”

मुझे ग्यान नहीं आता कि चाचाजीने साहबके नाम चिट्ठी क्यों न दी ? पर कुछ-कुछ ऐसा अनुमान होना है कि विलायत जानेके बर्ष-विच्छेद कार्यमें इतनी भीनी मदद देते हुए उन्हें मजबूत हुआ होगा।

मैंने लेनी साहबकी चिट्ठी लिखी। उन्होंने अपने रहनेके बगलपर मुझे बुलाया। पाँचों पीनेपर चटने-चटने साहब मुझमें मिले और यह कहते हुए ऊपर चट गये कि— “पहले ही ए हो लो, फिर मुझमें भिन्नो, अभी कुछ मजद नहीं हो गयनी।” मैं बहुत नैयारी उनके, बहुतेरे वाक्योंको रटकर, गया था। बहुत आगर दोस्रो हासिले मलाम जिना था, पर मेरी मारी मिहनत फिजूल गई।

पर मेरी नजर अपनी पन्नीके गहनांपर गई। बड़े भाईपर मेरी अपार भ्रमा थी। उनको आगताही सीमा न थी। उनका प्रेम पिताजीकी तरह था।

मैं पोंगव-रुम्मे जिना हुआ और राजतोड़ आगर सब जाने मुनाई। जोशीजी मे आता उनका जिना। उन्होंने तब तक भी विलायत भेजनेकी मलाह दी। मैं मुनास कि पन्नीके गहने देख उनके जाय। गहनांमे दो-तीन हजारने ज्यादा मजद मिलनेकी मजद न थी। जिना भाई आगने जिना नोट हो रूपयेका इतनाम

करनेका बीडा उठाया ।

पर माताजी क्योंकर मानती ? उन्होंने विलायतके जीवनके सबधमे पूछ-ताछ शुरू की । किसीने कहा, नवयुवक विलायत जाकर विगड जाते हैं । कोई कहता था, वे मास खाने लग जाते हैं । किसीने कहा, चहा शराब पिये बिना नहीं चलता । माताजीने यह सब मुझसे कहा । मैंने समझाया कि तुम मुझपर विश्वास रखो, मैं विश्वासघात न करूंगा । मैं कसम खाकर कहता हू कि मैं इनमें तीनों बातोंसे बचूंगा । और अगर ऐसी जोखिमकी ही बात होती तो जोशीजी क्यों जानेकी सलाह देते ?

माताजी बोली— “मुझे तेरा विश्वास है । पर दूर देगमें तेरा कैसे क्या होगा ? मेरी तो अकल काम नहीं करती । मैं बेचरजी स्वामीसे पूछूगी ।” बेचरजी स्वामी भोड बनियेसे जैन साधु हुए थे । जोशीजी की तरह हमारे सलाहकार भी थे । उन्होंने मेरी मदद की । उन्होंने कहा कि मैं इससे तीनों बातोंकी प्रतिज्ञा लिवा लूंगा । फिर जाने देनेमें कोई हर्ज नहीं । तबनुसार मैंने मास, मदिरा और स्त्री-संगसे दूर रहनेकी प्रतिज्ञा ली । तब माताजीने इजाजत दे दी ।

मेरे विलायत जानेके उपलक्ष्यमें हाईस्कूलमें विद्यार्थियोंका सम्मेलन हुआ । राजकोटका एक युवक विलायत जा रहा है, इसपर सबको आश्चर्य ही हो रहा था । अपनी विदाईके जवाबमें मैं कुछ लिखकर ले गया था । पर मैं उसे मुश्किलसे पढ सका । सिर धूम रहा था, बदन काप रहा था, इतना मूझ याद है ।

बड़े-बूढ़ोंके आशीर्वाद प्राप्तकर मैं बवई रवाना हुआ । बवईकी मेरी यह पहली यात्रा थी, इसलिए बड़े भाई साथ आये ।

परन्तु अच्छे काममें सँकडो विघ्न आते हैं । बवईका बंदर छूटना आसान न था ।

१२

जाति-बहिष्कार

माताजीकी आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त कर, कुछ महीनेका बच्चा पत्नीके साथ छोड़कर, मैं उमग और उत्कटाके साथ बवई पहुँचा । पहुँच तो गया, पर

वहा मित्रोंने भाईसे कहा कि जून-जुलाई में हिंदू महामागरमें तूफान रहता है । यह पहली बार नमूद्र-यात्रा कर रहा है, इसलिए दिवालीके बाद अर्थात् नवंबर में इनको भेजना चाहिए । इनमेंमें ही किमीने तूफानमें किसी जहाजके डूब जानेकी बात भी कही डानी । इनमें वडे भाई जिनिन हो गये । उन्होंने मुझे ऐसी जोखिम उठाकर उनी नमय भेजनेमें उन्का २२ दिना, और वही अपने एक मित्रके यहां मुझे छोड़कर खुद अपनी नावरीपर राजकोट चले गये । अपने एक बहनोंईके पास स्पेरे-यने रुक गये और कुछ मित्रोंसे मेरी मदद करनेको भी कहते गये ।

वर्षमें मेरा पडाव लया हो गया । वहा नुझे दिन-रात विलायतके ही अपने जाने ।

उनी बीच हमारी जातिमें खलबली नहीं । पचायत इकट्ठी हुई । मोट वनियोंमें अथवा कोई विलायत नहीं गया था और उन लोगोंका कहना था कि यदि मैं ऐसा नाहन करता हू तो मुझमें जबाब तलब होना चाहिए । मुझे जातिनी पचायतमें हाजिर होनेका हुकम हुआ । मैं गया । ईश्वर जाने मुझे एकाएक यह हिम्मत कहामें आई । वहा जाने हुए न मरौच हुआ न डर । जातिके मुखियाके साथ दूसरा कुछ रिना भी था, पिताजीके साथ उनका अच्छा संबंध था । उन्होंने मुझमें कहा—

‘पचायत यह मत है कि तुम्हारा विलायत जानेका विचार ठीक नहीं है । अपने धर्ममें मनुद्र-यात्रा नला है । फिर हमने नुना है कि विलायतमें धर्मका पालन नहीं हो सकता । वहा अंग्रेजोंके साथ लाना-थीना पडना है ।’

मैंने उत्तर दिया मैं तो समझता हू, विलायत जाना किसी तरह अधर्म नहीं । मुझे तो वहा जाकर निर्र्णय विद्याध्ययन ही करना है । फिर जिन बातोंका भय आपको है उनमें डर रहनेकी गतिजा मैंने जानाजीके सामने ले ली है और मैं उनमें डर रहूँगा ।’

“पर हन तुममें कहने है कि वहा धर्म कायम नहीं रह सकता । तुम जानते हो कि तुम्हारे दिवालीके मय मेरा बंधा मय था, तुम्हें मेरा कहना मान लेना चाहिए,” सुन्या बोले ।

“जी, आपका शब्द मुझे याद है । आप मेरे लिए पिताके समान हैं । परन्तु मैं बातमें मैं जाचार हू । विलायत जानेका निश्चय मैं नहीं पलट सकता ।

मेरे पिताजीके मित्र और सलाहकार, जो कि एक विद्वान् ब्राह्मण हैं, मानते हैं कि मेरे विलायत जानेमे कोई बुराई नहीं। माताजी और भाई साहबने भी दजाजम दे दी है।" मैंने उत्तर दिया।

"पर पचोका हुकम तुम नहीं मानोगे ?"

"मैं तो लाचार हूँ, मैं समझता हूँ पचोको इस मामलेमें न पडना चाहिए।"

इस जवाबसे उन मुखियाको गुस्सा आ गया। मुझे दो-चार भली-बुरी सुनाई। मैं चुप बैठ रहा। उन्होंने हुकम दिया—

"यह लडका आजसे जात बाहर समझा जाय। जो इसकी मदद करेगा अथवा पहुचाने जायगा वह जातिका गुनहगार होगा और उससे सवा रुपया जुर्माना लिया जावेगा।"

इस प्रस्तावका मेरे दिलपर कुछ असर न हुआ। मैंने मुखियामे विदा मागी। अब मुझे यह सोचना था कि इस प्रस्तावका असर भाई साहबपर क्या होगा। वह कहीं डर गये तो? पर सौभाग्यसे वह दृढ़ रहे और मुझे उत्तरमें लिखा कि जातिके इन प्रस्तावके होते हुए भी मैं तुमको विलायत जानेसे नहीं रोकूंगा।

इस घटनाके बाद मैं अधिक चिंतातुर हुआ। भाई साहबपर दबाव डाला गया तो? अथवा कोई और विघ्न खडा हो गया तो? इस तरह चिंतासे मैं दिन बिता रहा था कि इतनेमे खबर मिली कि ४ सितवरको छूटनेवाले जहाजमें जूनागढके एक वकील बैरिस्टर बननेके लिए विलायत जा रहे हैं। मैं भाई साहबके उन मित्रोंसे मिला, जिनसे वह मेरे लिए कह गये थे। उन्होंने सलाह दी कि डम साथको नहीं छोडना चाहिए। समय बहुत थोडा था। भाई साहबने तार द्वारा आज्ञा मागी। उन्होंने दे दी। मैंने वहनोई साहबसे रुपये मागे। उन्होंने पचोकी आज्ञाका जिक्र किया। जाति-बाहर रहना उन्हें मजूर न हो सकता था। तब अपने कुटुंबके एक मित्रके पास मैं पहुचा, और किराये वगैराके लिए आवश्यक रकम मुझे देने और फिर भाई साहबसे वसूल कर लेनेका अनुरोध मैंने किया। उन्होंने न केवल इस बातको स्वीकार ही किया, बल्कि मुझे हिम्मत भी दघाई। मैंने उनका अहसान-मानकर रुपये लिये और टिकिट खरीदा।

विलायत-यात्राका सारा सामान तैयार करना था। एक दूसरे अनुभवी

मित्रने माज-सामान तैयार करवाया। मुझे वह नव बड़ा विचित्र मालूम हुआ। कुछ बातें अच्छी लगीं, कुछ बिलकुल नहीं। नेकटाई तो बिलकुल अच्छी न लगी—हालांकि भागे जाकर मैं उसे बड़े शौकसे पहनने लगा था। छोटा-सा जैकेट नगा पहनावा मालूम हुआ। परंतु विलायत जानेकी धुनमें इस नापसंदीके लिए जगह नहीं थी। साथमें खानेका सामान भी काफी बाव लिया था।

मेरे लिए स्थान भी मित्रोंने व्यवकराय मजूमदार (जूनागड़वाले वकील) की कैबिनमें रिजर्व कराया। उनमें मेरे लिए उन्होंने कह भी दिया। वह तो थे अवेड, अनुभवही आदमी। मैं ठहरा अठारह बरसका नौजवान, दुनियाके अनुभवोंमें बखबर। मजूमदारने मित्रोको मेरी तरफसे निश्चित रहनेका आश्वासन दिया। इस तरह ४ मितचर १८८८ ई० को मैंने चर्चई बंद छोड़ा।

१३

आखिर विलायतमें

जहाँमें समुद्रसे मुझे कोई तकलीफ न हुई। पर ज्यो-ज्यो दिन जाते, मैं असमजसमें पडता चला। स्टुअर्टके साथ बोलते हुए झंपता। अग्नेजीमें बातचीत करनेकी आदत न थी। मजूमदारको छोड़कर बाकी सब यात्री अग्नेज थे। उनके मामने बोलते न चलता था। वे मुझमें बोलनेकी चेष्टा करते तो उनकी बातें मेरी समझमें न आती और यदि समझ भी लेता तो यह शौमान नहीं रहता कि जबाब क्या दू। हर वाक्य बोलनेमें पहले मनमें जमाना पडता था। छूरी-काटेसे खाना जानता न था। और वह पूछनेकी भी जुरत न होती कि इसमें बिना मासकी चीजें क्या-क्या हैं? इस कारण मैं भोजनकी मेजपर तो कभी गया ही नहीं, कैबिन—कमरे—में ही खा लेता। अपने साथ मिठाइया बर्गैर ले रखी थी—प्रधानत उन्हेंपर गुजर करता रहा। मजूमदारको तो किसी प्रकारका मकौच न था। वह भवके माथ हिलमिल गये। डेकपर भी जहा जो चाहा धूमते फिरते। मैं सारा दिन कैबिनमें घूमा रहता। डेकपर जब लोगोकी भीड़ कम देजता, तब वहाँ जाकर वहाँ बैठ जाता। मजूमदार मुझे समझाते कि सबके माथ मिना-जुला करो और रहते—वकील जबादराज होना चाहिए। वकीलकी

हैसियतसे अपना अनुभव भी सुनाते। कहते—“अंग्रेजी हमारी मानु-भाषा नहीं, इसलिए बोलनेमें भूलें होना स्वाभाविक है। फिर भी बोलनेका रफ्त तो करना ही चाहिए, भादि।” परन्तु मेरे लिए अपना दबूपन छोडना भारी पडता था।

मुझपर तरस खाकर एक भले अंग्रेजने मुझसे बातचीत करना शुरू कर दिया, वह मुझसे बडे थे। मैं क्या खाता हू, कौन हू, कहा जा रहा हू, क्यों किसीके साथ बातचीत नहीं करता, इत्यादि सवाल पूछते। मुझे खानेके लिए भेजपर जानेकी प्रेरणा करते। मास न खानेके मेरे आग्रहकी बात सुनकर एक रोज हसे और मुझपर दया प्रदर्शित करते हुए बोले—“यहा तो (पोर्टसईव पढूचेतक) सब ठीक-ठाक है, परतु बिस्केके उपसागरमें पढुवनेपर तुम्हे अपने बिचार बदलने पडेगे। इंग्लैडमें तो इतना जाडा पडता है कि मासके बिना काम चल ही नहीं सकता।”

मैंने कहा—“मैंने तो सुना है कि वहा लोग बिना मासाहार किये रह सकते है।”

उन्होंने कहा—“यह झूठ है। मेरी जान-पहुचानवालोमें कोई आदमी ऐसा नहीं है, जो मास न खाता हो। मैं शराब पीनेके लिए तुमसे नहीं कहता, पर मैं समझता हू, मांस तो तुम्हे अवश्य खाना चाहिए।”

मैंने कहा—“आपकी सलाह के लिए मैं आपका आभारी हू। पर मैंने अपनी माताजीको बचन दिया है कि मैं मास न खाऊंगा। अत मैं मास नहीं खा सकता। यदि उसके बिना न रह सकते हो तो मैं फिर हिंदुस्तानको लौट जाऊंगा, पर मास हरगिज न खाऊंगा।”

बिस्केका उपसागर आया। वहा भी मुझे न तो मासकी आवश्यकता मालूम हुई, न मदिराकी ही। घरपर मुझसे कहा गया था कि मास न खानेके प्रमाणपत्र सग्रह करते रहना। तो मैंने इन अंग्रेज मित्रमें प्रमाणपत्र मांगा। उन्होंने खुशीसे दे दिया। बहुत समय तक मैंने उन्हें धनकी तरह मनालकर रखा। पीछे जाकर मुझे पता चला कि प्रमाणपत्र तो मास खाकर भी प्राप्त किये जा सकते है। तब उससे मेरा दिल हट गया। मैंने कहा—यदि मेरी बातपर किसीको विश्वास न हो तो ऐसे मामलोमें प्रमाणपत्र दिवानेमें भी मुझे क्या लाभ हो सकता है ?

किन्ती तन्ह दुःख-सुख उठा हमारी यात्रा पूगी हुई और माउडेम्प्टन बंदरपर हमारे जहाजने लगर डाना । मुझे याद पटना है उन दिन गनिवार था । मैं जहाजपर गाले कपडे पहनना था । मिश्रीने मेरे लिए सफेद फ्लालैनेके कोट-पनलून भी बना दिये थे । मैंने सोचा था कि बिलायनमें उतरने समय मैं उन्हें पहनू । यह समझकर कि मफेद कपडे ज्यादा अच्छे मालूम होते हैं, इस लिबायनमें मैं जहाजसे उतरा । नितवरके अतिथि दिन थे । ऐसे लिबासमें मैंने सिर्फ अपनेको ही बहा पाया । मेरे सडूक और उनकी तालिया गिडले व पनीके शुमान्ने लोग ले गये थे । जैसा और लोग करते हैं, ऐसा ही मुझे भी करना चाहिए यह नमझकर मैंने अपनी तालिया भी उन्हें दे दी थी ।

मेरे पास चार परिचय-पत्र थे— एक डाक्टर प्राणजीवन मेहताके नाम, दूसरा बलपनराम शुक्लके नाम, तीसरा प्रिन्स रणजीतसिंहके नाम, और चौथा दादाभाई नारोजीके नाम । मैंने माउडेम्प्टनमें डाक्टर मेहताको तार कर दिया था । जहाजमें किन्तीने सलाह दी थी कि विन्टोरिया होटलमें ठहरना ठीक होगा, इसलिए नजूमदार और मैं वहा गये । मैं तो अपने सफेद कपडोकी अममें ही बुरी तरह शेष रहा था । फिर होटलमें जाकर जबर लगी कि कल रविवार होनेके कारण मोमवारतक गिडलेके बहासे सामान न आ पावेगा । इसमें मैं बड़ी दुविद्यामें पड गया ।

मान-आठ बजे डाक्टर मेहता आये । उन्होंने प्रेम-भावसे मेरा खूब मन्त्राण उडाया । मैंने अनजानमें उनकी रेगनी रोएगली टोपी देखनेके लिए उठाई और उसपर उलटी तरफ हाथ फेरने लगा । टोपीके रोए उठ खड़े हुए । यह डाक्टर मेहताके चेन्वा । मुझे तुरत रोक दिया पर कुसूर तो ही चुका था । उनकी रोकका फल इतना ही हो पाया कि मैं समझ गया— आगे फिर ऐसी हरकत न होनी चाहिए ।

यहामे मैंने यूरोपियन रूम-रिवाजका पहला पाठ पटना गुट किया । डाक्टर मेहता हंसते जाते और बहनेरी बातें समझाने जाते । 'किसीकी चीजको यहा छूना न चाहिए । हिन्दुस्तानमें परिचय होने ही दो बातें सहज पूछी जा सकती हैं, वे यहा न पूछनी चाहिए । बातें जोर-जोरमें न करनी चाहिए । हिन्दुस्तानमें साहबोंके साथ बातें करते हुए 'सर' कहनेवा जो रिवाज है वह यहा अनावश्यक

है। 'सर' तो नीकर अपने मालिकको मथवा अपने अफसरको कहता है।' फिर उन्होंने यह भी कहा कि 'होटलमें तो खर्चा ज्यादा पड़ेगा, इसलिए किमी कुदुबके साथ रहना ठीक होगा।' इस सवधमें विचार सोमवारतक मुलतवी रहा। और भी कितनी ही हियायतें देकर डाक्टर मेहता विदा हुए।

होटलमें तो हम दोनों को ऐसा मालूम हुआ मानो कहींसे आ धुसे हो। खर्च भी बहुत पड़ता था। माल्टासे एक सिबी यात्री सवार हुए थे। मजूमदारकी उनके साथ अच्छी जान-पहचान हो गई थी। वह सिबी यात्री लन्दनके जानकार थे। उन्होंने हमारे लिए दो कमरे ले लेनेका जिम्मा लिया। हम दोनों रजामद हुए और सोमवारको ज्यो ही सामान मिला, होटलका बिल चुकाकर उन कमरोंमें दाखिल हुए। मुझे याद है कि होटलका खर्चा लगभग तीन पाँड मेरे हिस्से में आया था। मैं तो भौंचक रह गया। तीन पाँड देकर भी भूवा ही रहा। वहाकी कोई चीज अच्छी नहीं लगी। एक चीज उठाई, वह न भाई। तब दूसरी ली। पर दाम तो दोनोंका देना पड़ता था। मैं अभीतक प्राय बबईसे लाये खाद्य-पदार्थोंपर ही गुजारा करता रहा।

उस कमरेमें तो मैं बड़ा दुःखी हुआ। देश खूब याद आने लगा। माताका प्रेम साक्षात् सामने दिखाई पड़ता। रात होने ही रलाई शुरू होती। घरकी तरह-तरहकी बातें याद आती। उस तूफानमें नीद भला क्यों आने लगी? फिर उस दुःखकी बात किमीसे कह भी नहीं सकता था। कहुनेसे लाभ ही क्या था? मैं खुद न जानता था कि मुझे किस इलाजसे तसल्ली मिलेगी। लोग निराले, रहन-सहन निराली, मकान भी निराले और घरोंमें रहनेका तौर-तरीका भी निराला। फिर यह भी अच्छी तरह नहीं मालूम कि किस बातके बोल देनेसे अथवा क्या करनेसे यहाके शिष्टाचारका अथवा नियमका भंग होता है। इसके अलावा खान-पानका परहेज अलग, और जिन चीजोंको मैं खा सकता था, वे रूखी-सूखी मालूम होती थी। इस कारण मेरी हालत साफ-छछूदर जैसी हो गई। विलायतमें अच्छा नहीं लगता था और देशको भी वापस नहीं लौट सकता था। फिर विलायत आ जानेके बाद तो तीन साल पूरा करके ही लौटने का निश्चय था।

१४

मेरी पसंदगी

डाक्टर मेहना मोमवाग्ना विकटोग्या हॉटलमें मुयमें मिलने गये । वहा उन्हें हमारे नये मरानना पना नगा । वह वहा आये । मेरी बेवकूफीमे जहाजमें गुझे दाद हो गई थी । जहाजमें नारे पानीमें नहाना पडता । उसमें मावून घुलना नही । डयर में मादूनमे नहानेमें मभ्यता ममराना था । उसनिए नगीर साफ होनेके अददे उलटा विकटा हो गया और मुये दाद पैदा हो गई । डाक्टरने नेजाव-या एसिटिक-एमिड दिया, जिसने मुये रनाकर छोडा । डाक्टर मेहवाने हमारे कमरे आदिकां देखकर निर हिलाया व कहा— "यह मवान कामका नही । इस देशमें आकर महज पुष्पके पढनेकी अपेक्षा यहाका अनुभव पाज करना ज्यादा जरूरी है । इनके लिए किनी कृत्रुममें रहनेकी जरूरत है । पर फिलहाल कुछ वाने मीननेके लिए के यहा रहना ठीक होगा । मैं तुमको उनके यहा ले चलूंगा । '

मैंने मबन्धवाद उनकी बात मान ली । उन मित्रके यहा गया । उन्होंने मेरी खातिर-तवाजोमें किनी बातकी कसर न रखी । मुझे अपने सगे भाईकी तरह रक्खा, अंग्रेजी रस्म-रिवाज सिजाये । अंग्रेजीमें कुछ बातचीत करनेकी देव भी उन्होंने मुझे डाली ।

पर मेरे भोजनका सवाल बडा विकट हो पडा । बिना नमक, मिर्च, मसालेका साग भाता नहीं था । मालकिन बेचारी मेरे लिए पकाती भी क्या ? सुबह ओट-मीलकी एक किस्मकी लपमी बनती, उससे कुछ पैट भर जाता, पर दोपहरको और शामको हमेशा भूखा रहता । यह मित्र मानाहार करनेके लिए रोज ममझाते । पर मैं अपनी प्रतिज्ञाका नाम लेकर चुप हो रहना । उनकी दलीलोका मुकाबला न कर सकता था । दोपहरको सिर्फ रोटी और चौलाईके साग तथा मुरखेपर गुजर करता । यही खाना शामको भी । मैं देखता था कि रोटीके तो दो ही तीन टुकड़े ले सकते हैं, धन ज्यादा मागते हुए सेंप लगती । फिर मेरा माहार भी काफी था । जठराग्नि तेज थी, और काफी आहार भी

चाहती थी। दोपहरको या शामको दूध विलकुल नहीं मिलता था। मेरी यह हालत देखकर वह मित्र एक दिन झल्लाये और बोले— “देखो, यदि तुम मेरे सगे भाई होते तो मैं तुमको जरूर देश लौटा देता। निरक्षर माफो यहाकी हालत जाने बगैर दिये गये वचनका क्या मूल्य ? इसे कौन प्रतिज्ञा कहेगा ? मैं तुमने कहता हू कि कानूनके अनुसार भी इसे प्रतिज्ञा नहीं कह सकते। ऐसी प्रतिज्ञा लिये बैठे रहना भ्रम-विषयासके सिवा कुछ नहीं। और ऐसे भ्रम-विषयासोका शिकार बने रहकर तुम इस देशसे कोई बात अपने देशको नहीं ले जा सकते। तुम तो कहते हो कि मैंने मास खाया है। तुम्हे तो वह भाया भी था। अब जहा खानेकी कोई जरूरत न थी वहा तो खा लिया, और जहा खाम तीरपर उसकी जरूरत है वहा उसका त्याग। कितने ताज्जुबकी बात है।”

पर मैं टससे मस न हुआ।

ऐसी दलीलें रोज हुआ करती। छत्तीस रोगोकी दवा 'नम्रा' ही मेरे पास थी। वह मित्र ज्यो-ज्यो मुझे समझाते त्यो-त्यो मेरी दृढता बढ़ती जाती। रोज मैं ईश्वरसे अपनी रक्षाकी याचना करता और रोज वह पूगी होती। मैं यह तो नहीं जानता था कि ईश्वर क्या चीज है, पर उस रखाकी दी हुई श्रद्धा अपना काम कर रही थी।

एक दिन मित्रने मेरे सामने बेथमकी पुस्तक पढनी शुरु की। उपयोगिता-वादका विषय पढा। मैं चौका। भापा विलष्ट। मैं थोडा-बहुत समझता। तब उन्होंने उसका विवेचन करके समझाया। मैंने उत्तर दिया, “मुझे इससे माफी दीजिए। मैं इतनी सूफम बातें नहीं समझ सकता। मैं मानता हू कि भाम खाना चाहिए, परतु प्रतिज्ञाके बधनबो मैं नहीं तोड़ सकता। इसके मबधमें मैं वाद-विवाद भी नहीं कर सकता। मैं जानता हू कि बहसमें मैं आपने नहीं जीत सकता। अत मुझे मूर्ख समझकर, अथवा जिद्दी ही समझकर, इस बातमें मेरा नाम छोड दीजिए। आपके प्रेमको मैं पहचानता हूँ। आपका उद्देश्य भी समझता हू। आपको अपना परम हितेच्छु मानता हू। मैं यह भी देवता हूँ कि आप इसीलिए प्राग्रह करते हैं कि आपको मेरी हालतपर दुःख होता है। पर मैं साचार हू। प्रतिज्ञा किसी तरह नहीं टूट सकती।”

मित्र बेचारे देगते रह गये। उन्होंने पुस्तक बंद करदी। “अम,अम

मैं तुमसे इन बात पर बहस न करूंगा।” कहकर चुप हो रहे। मैं खुदा हुआ। इसके बाद उन्होंने बहस करना छोड़ दिया।

पर मेरी तरफसे उनकी चिंता दूर न हुई। वह मिगरेट पीते, शराब पीते। पर इसमेंसे एक भी बातके लिए मुझे कभी नहीं ललचाया। उलटा मना करते। पर उनकी सारी चिंता तो यह थी कि मामाहारके बिना मैं कमजोर हो जाऊंगा और इंग्लैंडमें आजादीसे न रह सकूंगा।

इस तरह एक मास तक मैंने नीयित्तिबंधके रूपमें उम्मीदबारी की। उन मित्रका स्थान रिचमंडमें था, इससे लंदन सप्ताहमें एक-दो बार ही जाया जाता। अब डाक्टर मेहता तथा श्री दलपतराम शुक्लने यह विचार किया कि मुझे किसी कुटुंबमें रखना चाहिए। श्री शुक्लने वेस्ट केंसिंगटनमें एक एंग्लो-इंडियनका घर खोजा, और वहां मेरा डेरा लगा। मालकिन विधवा स्त्री थी। उससे मैंने अपने मास-त्यागकी बात कही। बुटियाने मेरे लिए निरामिष भोजनका प्रबंध करना स्वीकार किया। मैं वहां रहा, पर वहां भी शूझे ही दिन बीतते। घरसे मैंने मिठाईया आदि मगाईं तो थी, पर वे अभी पहुंच नहीं पाईं थीं। बुटियाके यहाका खाना सब बे-स्वाद लगता। बुटिया वार-वार पूछती, पर बेचारी करती क्या, फिर मैं अभीतक घरमाता था। बुटियाके दो लडकिया थीं। वे आग्रह करके कुछ रोटी ज्यादा परोस देती, पर वे बेचारी क्या जानती थी कि मेरा पेट तो तभी भर सकता था, जब उनकी सारी रोटिया सफा कर जाता।

लेकिन अब मेरे पख फूटने लग गये थे। अभी पढाई तो शुरू हुई थी नहीं। यो ही अखवार वर्गरा पटने लगा था। वह हुआ शुक्लजीके वदीलत : हिंदुस्तानमें मैंने कभी अखवार नहीं पटा था। परंतु निरंतर पटनेके अभ्यासमें उन्हें पडनेका शौक लग गया। ‘डेलीन्यूज’, ‘डेली टेलीग्राफ’ और ‘पेलमेल गजट’ इतने अखबारो पर नजर डाल लिया करता था। परंतु शुरू-शुरूमें इसमें एक घंटे से ज्यादा न लगता था।

मैंने धूमना शुरू कर दिया। मुझे निरामिष अर्थात् अन्नके भोजनवाले भोजन-गृहकी तलाश थी। मकान-मालकिनने भी कहा था कि लंदन शहरमें ऐसे गृह हैं अवश्य। मैं १०-१२ मील रोज धूमना। किसी मामूली भोजनालयमें जाकर रोटी तो पेट-भर खा लेता, पर दिल न भरता। इस तरह भटकते हुए

एक दिन मैं फॉर्गस्टन स्ट्रीट पहुँचा, श्री 'बेंजिटेरियन रेस्तराँ' (निरामिप भोज-नालय) नाम पढ़ा । बच्चेको मनचाही चीज मिलनेमें जो आनन्द होता है, वही मुझे हुआ । हर्षोल्लास होकर मैं अदर पहुँचा ही नहीं कि उरबाजके पास रात्रकी गिटकीम विक्रयार्थ पुस्तकें देखी । उनमें मैंने गार्डकी 'अप्राहारवी हिमायत' नामक पुस्तक देखी । एक शिालग देकर खरीदी और फिर भोजन करने बैठा । त्रिनाथतमं आनेके बाद यही पहला दिन था, जब मैंने गेट-भर गाना गाय । उस दिन ईश्वरने मेरी भूमि धुआँट ।

मॉल्टकी पुस्तक पढ़ी । मेरे दिलपर उसकी अच्छी छाप पड़ी । यह पुस्तक पढ़नेके दिनमें मैं अपनी दृष्टिमें, अर्थात् सांख्यमजकर, अप्राहारका कार्यालय हुआ । माताजीके मामले की हुई प्रतिज्ञा अब मुझे विशेष आनन्ददायक हो गई । अब तब जो मैं यह मान रहा था कि सब लोग आशाहारी हों जाय तो अच्छा और पहले केवल सत्यकी रक्षाके लिए और पीछेसे प्रतिज्ञा-पालनके लिए आशाहारसे परहेज करता रहा और भविष्यमें किसी दिन आजादीके मुलेआम मास खाकर हमरोंको आम-भोजियोंकी टोलीमें शामिल करनेवा होमला स्पता था, तो अबमें, उसके बजाय खुद अप्राहारी रहकर आंगोंको भी ऐसा बनानेकी धुन मेरे मिरपर भवार हुई ।

१५

'सभ्य' देशमें

अप्राहारपर मेरी श्रद्धा दिन-दिन बढ़ती गई । मॉल्टकी पुस्तकने आहार-विषयपर अधिक पुस्तकें पढ़नेकी उत्सुकता नीत्र कर दी । ऐसी जितनी पुस्तकें मुझे मिली उतनी खरीदी और पढ़ी । हावर्ट विनियम्नकी 'आहार-नीति' नामक पुस्तकमें भिन्न-भिन्न युगके ज्ञानियों, अत्रतारों, पैगवरोंके आहारका और उनमें गवध रखनेवाले उनके विचारोंका वर्णन किया गया है । पाउथागोरस, रामामीहू उत्पादिकों उनमें मत्र अप्राहारी गावित करनेकी कोशिश की है । टाक्टर मिसेज एना किंगसफर्डकी 'उत्तम आहारकी रीति' नामक पुस्तक भी चित्तकार्यक थी । फिर प्रारोप्य-भवकी डा. एनिल्लनके लेख भी ठीक मददगार

नावित हुए। उासे उन पद्धतिका नमर्दन तिया गया था कि ज्या देनेके बजान केवल भोजनमें फेरफार करनेमें रोगी सँभे श्रच्छे हो जाने दें। गफ्टर एन्ग्लन बुद अन्नाहारी में और रोगियोंको केवल अन्नाहार ही बताते। उन तन्नाम पुन्तबोधे पठनका यह परिणाम हुआ कि मेरी जिन्दगीमें भोजनके प्रयोगोंने महत्त्वका म्यान प्राप्त कर लिया। शुरूमें इन प्रयोगोंने आरोग्यकी दृष्टिकी प्रधानता थी। पीछे चलकर धार्मिक दृष्टि नवोंपनि हो गई।

अबतक मेरे उन मित्रकी तिनना मेरी तरफसे दूर न हुई थी। प्रेमके बसवर्ती होकर वह यह मान बैठे थे कि यदि मैं मामाहार न चम्गा तो कमजोर हो जाऊगा, यही नहीं बल्कि बुद्धू बना रह जाऊगा, न्यांकि अग्रज-मनाजमें मैं मिल-जुल न सकूगा। उन्हे मेरे अन्नाहार-नवगी पुस्तकोंके पढनेकी म्बर थी। उन्हे यह भय हुआ कि ऐसी पुस्तकोंकी पढनेमें मेरा दिमाग खराब हो जायगा, प्रयोगोंने मेरी जिन्दगी को ही बरवाद हो जायगी, जो मुझे करना है वह एक तरफ रह जायगा और मैं मनकी बनकर बैठ जाऊगा। इन कारण उन्होंने मुझे सुधारने का आखिरी प्रयत्न किया। मुझे एक नाटकने चलने को बुलाया। वहा जानेके पहले उनके साथ हॉवर्न भोजनालयमें भोजन करना था। वह भोजनालय क्या, मेरे लिए खाना एक महल था। विक्टोरिया होटलकी छोडनेके बाद ऐसे भोजनालयमें जानेका यह पहला अनुभव था। विक्टोरिया होटलका अनुभव तो यो ही था, क्योंकि उस समय तो मैं कर्तम्य-भूट था। अन्तु, सँकजे लोगोके बीच हम दो मित्रोंने एक मेजपर आसन जमाया। मित्रने पहला खाना मगाया। वह 'सूप' या शोरवा होता है। मैं दुविधामें पडा। मित्रने क्या पूछता? मैने परोसने वालेको नजदीक बुलाया।

मित्र समझ गये। चिटकर बोले—“क्या मामला है ?”

मैने धीमेसे सकोचके साथ कहा—“मैं जानना चाहता हू कि इसमें मांस है या नहीं ?”

“ऐसा जगलीपन इस भोजनालयमें नहीं चल सकता। यदि तुमकी अब भी यह चस्म-चस्म करनी हो तो बाहर जाकर किसी ऐसे-गैरे भोजनालयमें खालो और वही बाहर मेरी राह देखो।”

मुझे उस प्रस्तावसे बड़ी चुप्पी हुई, और मैं तुरत दूसरे भोजनालयकी

खोजमें चला । पास ही एक अन्नाहारवाला भोजनालय था तो, पर वह वद हो गया था । तब क्या करना चाहिए ? कुछ न सूझ पडा । अतको भूखा ही रहा । हम लोग नाटक देखने गये । पर मित्रने उस घटनाके बारेमें एक गव्दतक न कहा । मुझे तो कुछ कहना ही क्या था ?

परतु हमारे दरमियान यह आखिरी मित्र-युद्ध था । इससे हमारा सबध न तो टूटा, न उसमें कटुता ही आई । मैं उनके तमाम प्रयत्नोके मूलमें उनके प्रेमको देख रहा था, इससे विचार और आचारकी भिन्नता रहते हुए भी मेरा आदर उनके प्रति बढा, घटा रत्तीभर नहीं ।

पर अब मेरे मनमें यह आया कि मुझे उनकी भीति दूर कर देनी चाहिए । मैंने निश्चय किया कि मैं अपनेको जगली न कहलाने दूंगा, सभ्योके लक्षण प्राप्त करूंगा और दूसरे उपायोसे समाजमें सम्मिलित होनेके योग्य बनकर अपनी अन्ना-हार की विचित्रताको ढक लूंगा ।

मैंने 'सभ्यता' सीखनेका रास्ता इस्तियार तो किया, पर वह था मेरी पहचके परे और बहृत सकडा । अस्तु ।

मेरे कपडे थे तो विलायती, परतु बवईकी काट के थे । अतएव वे अच्छे अग्रेजी समाजमें न फवेगे, इस विचारसे 'आर्मी और नेवी स्टोर' मे दूसरे कपडे बनवाये । उन्नीस शिलिंगकी (यह दाम उस जमानेमें बहृत था) 'चिम्नी' टोपी लाया । इससे भी सतोष न हुआ । बाड स्ट्रीटमें शौकीन लोगोके कपडे सिये जाते थे । यहा ग्रामके कपडे दस पौडपर वत्ती रखकर, बनवाये । अपने भोले और दरियादिल बडे भाईमें खास तौरपर सोनेकी चेन अनवाकर भगवाई, जो दोनो जेवोमें लटकाई जा सकती थी । बधी-बघाई तैयार टाई पहननेका रिवाज न था । इसलिए टाई बाधनेकी कला सीखी । देशमें तो आइना मिर्फ वाल बनवानेके दिन देखते हैं, पर यहा तो बडे आइनेके सामने खडे रहकर टाई ठीक-ठीक बाधनेमें और बालकी पट्टिया पाडने और ठीक-ठीक माग निकालनेमें रोज दसेक मिनट बरबाद होते । फिर बाल मुलायम न थे । उन्हे ठीक-ठीक सवारे रखनेके लिए ब्रुश (यानी शाडू ही न ?) के साथ रोज लडाई होती । और टोपी देते और उतारते हाथ तो मानो माग-सवारेके लिए निरपर चडे रहने और बीच-बीचमें जब कभी समाजमें बैठे हो तब मागपर हाथ फेरकर बालोको सवारते

रहनेकी एक और सभ्य क्रिया होनी गहनी थी, मो श्रम ।

परन्तु इनती तडक-भटक काफी न थी । अन्ते मन्थ निदान पढ़न लेनेसे थोड़े ही कोई सभ्य हो जाता है ? इमलिए मन्थनाके और भी किन्हे ही ऊपर लक्षण जान लिये थे । अब उनके अनुचार रग्ना बाकी था । मन्थ पुष्पको नाचना आना चाहिए, फिर फ्रेंच भाषा ठीक-ठीक जानना चाहिए । क्योंकि फ्रेंच एक तो इंग्लैंडके पहोमी फ्रासकी भाषा थी, और दूसरे मारे यूरोपकी गरद-भाषा भी थी । मुझे यूरोप-भ्रमण करनेकी इच्छा थी । फिर मन्थ पुष्पको लच्छेदार व्याख्यान देनेकी कलामें भी निपुण होना चाहिए । मैंने नाचना चीन लेनेका निश्चय किया । नाचनेके एक विद्यालयमें भरती हुआ । एक मद्रवी फीम कोई तीनेक पीठ दी होगी । कोई तीन सप्ताहमें पाच-छ पाठ पढ़े होंगे । पर ठोक्-ठीक तालपर पाव नहीं पडता था । पियानो तो बजता था, पर यह न जान पडता था कि यह क्या कह रहा है, 'एक, दो, तीन' का द्रम चलता, पर इनके बीचका अंतर तो वह बापा ही दिखाता था, मो कुछ समझ न पडता । तो अब ? अब तो दादाजीकी लगोटीवाला रिस्त हुआ । लगोटीको चूहोंमें बचानेके लिए बिल्नी, और विल्लीके लिए बकरी—इस तरह दादाजीका परिवार बढ़ा । नौचा, बायोलिन बजाना सीखलू तो सुर और तालका ज्ञान हो जावेगा । तीन पीठ बायोलिन खरीदनेमें विगडे और उमें सीखनेके लिए भी कुछ दक्षिणा दी । व्याख्यान-कला सीखनेके लिए एक और शिक्षकका घर योजा । उमें भी एक गिन्नी भेट की । उसकी प्रेरणासे 'स्टैंडर्ड एलोन्युमानिस्ट' खरीदा । पिटके भाषणसे श्रीगणेश हुआ ।

पर, इन बेल साहवने मेरे कानमें 'बेल' (घटा) बजाया । मैं जगा, सचेत हुआ ।

मैंने कहा, "मुझे सारी जिदगी तो इंग्लैंडमें बिताना है नहीं, लच्छेदार व्याख्यान देना सीखकर भी क्या करेगा ? नाच-नाचकर मैं सभ्य कैसे बनूंगा ? बायोलिन तो देशमें भी सीख सकता हू । फिर मैं तो ठहरा विद्यार्थी । मुझे तो विद्या-वन बढ़ाना चाहिए, मुझे अपने पेशेके लिए आवश्यक तैयारी करनी चाहिए, अपने सद्ब्यवहारके द्वारा यदि मैं सभ्य समझा जाऊ तो ठीक है नहीं तो मुझे यह सोम छोड़ देना चाहिए ।"

इस विचारकी धुनमे पूर्वोक्त आशयका पत्र मैने व्याख्यान-शिक्षकको भेज दिया। उससे मैने दो या तीन पाठ पढे थे। नाच-शिक्षिकाको भी ऐसा ही पत्र लिख दिया। वायोलिन-शिक्षिकाके यहा वायोलिन लेकर पहुचा और उसे कह आया कि जो दाम मिले लेकर वेच दो। उससे कुछ मित्रता-सी हो गई थी, इसलिए उससे मैने अपनी वेवकूपीका जिक्र भी कर दिया। नाच इत्यादिके जजालसे छूट जानेकी बात उसे भी पसद हुई। खैर।

सम्य बननेकी मेरी यह सनक तो कोई तीन महीने चली होगी, किंतु कपडो-की तडक-भडक बरसौनक चलती रही। पर अब मैं द्विधार्थी बन गया था।

१६

परिवर्तन

कोई यह न समझे कि नाच आदिके मेरे प्रयोग मेरी उच्छृ खलताके युगको सूचित करते हैं। पाठकोने देखा ही होगा कि उसमें कुछ विचारका अंश था। इस मूच्छकिके समयमे भी कुछ अंशतक मैं सावधान था। एक-एक पाईका हिसाब रखता। खर्चका अंदाजा था। यह निश्चय कर लिया था कि १५ पाँड प्रति माससे अधिक खर्च न हो। बस (मोटर) फिराया और डाकखर्च भी हमेशा लिखता और सोनेके पहले हमेशा हिसाबका मेल मिला लेता। यह टेब अततक कायम रही, और मैंने देखा कि उसके वदीलत सार्वजनिक कार्योंमे मेरे हाथसे जो लाखो रुपये खर्च हुए उनमे मैं किफायतसे काम ले सकता हूँ, और जितनी हलचले मेरी देख-रेपमें चली हैं उनमे मुझे कर्ज नहीं करना पडा। चलटा हरेकमें कुछ-न-कुछ बचत ही रही है। यदि हरेक नवयुवक अपने थोडे रुपयोका भी हिसाब चिंताके साथ रखेगा, तो उसका लाभ उसे अवश्य मिलेगा, जैसा कि मेरी इस आदतके कारण आगे चलकर मुझे और समाज दोनोंको मिला।

अपनी रहन-सहनपर मेरी कडी नजर थी। इसलिए मैं देख सकता था कि मुझे कितना खर्च करना चाहिए। अब मैने खर्च आधा कर डालनेका विचार किया। हिसाबको गौरसे देखा तो मालूम हुआ कि गाडी-भाडेका खर्च काफी चैठता था। फिर एक फुटुवके साथ रहनेके कारण कुछ-न-कुछ खर्च प्रति सप्ताह लग

ही जाता। कुट्टुवके लोगोंको एक-एक दिन भोजनके लिए बाहर ले जानेके शिष्टाचारका पालन करना जरूरी था। फिर उनके साथ कई वार दाबतमें जाना पड़ता और उसमें गाड़ी-भाड़ा लगता ही। मालकिन की लड़की यदि साथ हो, तो उसको अपना खर्च न देने देकर खुद ही देना उचित था। और दाबतमें बाहर जानेपर घर खाना न होता, उसने भी पैसे देने पड़ते और बाहर भी खर्च करना पड़ता। मैंने देखा कि यह खर्च बचाया जा सकता है और यह भी ध्यान में आया कि लोक-मान्यने जो निजना ही खर्च करना पड़ता है वह भी बच सकता है।

अब कुट्टुवके साथ रहना छोड़कर अलग कमरा लेकर रहनेका निश्चय निजा, और यह भी तय किया कि ज्ञानके अनुसार तथा अनुभव प्राप्त करनेके लिए अलग-अलग मुहल्लामें घर लेने चाहिए। घर ऐसी जगह पसंद किया कि जहासे कामने म्यानपर पैदन जा सके और गाड़ी-भाड़ा बच जाय। इससे पहले जानेके लिए एक तो गाड़ी-भाड़ा खरचना पड़ता और, दूसरे, घूमने जानेके लिए अला बस्त निजानना पड़ता। अब ऐसी तजवीज की गई कि जिससे कामपर जानेके साथ ही घूमना भी हो जाया करता। आठ-दस मील तो मैं सहज घूम-फिर डालता। अचानक इसी एक आदतके कारण मैं विनायतमें शायद ही बीमार पड़ा होऊ। शरीर ठीक-ठीक सुगठित हुआ। कुट्टुवके साथ रहना छोड़ कर दो कमरे बिरायेपर लिये, एक सोनेके लिए और एक बैठनेके लिए। इस परिदृश्यको हमारा भुग कह सकते हैं। तीसरा परिवर्तन अभी आगे आने वाला था।

इन तरह आवा खर्च करना। पर समय ? मैं जानता था कि वैरिस्टरी-परीक्षाके लिए बहुत पढ़नेकी जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बेंफिकर था। मेरी बच्ची अरेजी मुझे पढ़ना करती थी। लेकिन माहूवके शब्द बी० ए० होकर मेरे पास आना मुझे चुना करने में। इसलिए मैंने मोक्षा, वैरिस्टर होनेके अतिरिक्त मुझे कुछ और अध्ययन भी करना चाहिए। आम्बफंड, केंद्रजमें पना लगाया। मित्रने ही मित्रोंने निजा। देखा कि यहा जानेमें खर्च बहुत पड़ेगा और पाठ्य-ग्रन्थ भी लवा है। मैं तीन रुपये ज्यादा यहा रह नहीं सकता था। किसी मित्रने कहा, "यदि तूने कोई कठिन परीक्षा ही देना चाहते हो तो लदनकी प्रवेश-परीक्षा पास कर लो। इनमें परिश्रम काफी करना पड़ेगा और मामान्य ज्ञान भी बढ़ जायगा।

साथ ही गचं बिलकुल नहीं बड़ेगा।" यह बात मुझे पसंद हुई। पर परीक्षाके विषय देखकर मेरे कान खड़े हुए। लैटिन और एन दूसरी भाषा अनिवार्य थी। अब लैटिनकी तैयारी कैसे हो? पर मित्रने मुझाया, "बहीलको लैटिनका बड़ा काम पढ़ना है। लैटिन जाननेवालेको गानूनकी पुस्तकें समझने में सहूलियत होती है। फिर रोमन लॉकी परीक्षामें एक प्रश्न-पत्र तो केवल लैटिन भाषाका ही होता है, और लैटिन जान लेनेमें अंग्रेजी भाषापर ज्यादा अधिकार हो जाता है।" इन बातोंका धरम मेरे दिलपर हुआ। चाहे मुश्किल भले ही हो, पर लैटिन जरूर सीखना चाहिए। प्रश्न जो गुरु की थी उसे भी पूरा करना चाहिए। मत दूसरी भाषा फ्रेंच लेनेका निश्चय किया। एक खानगी मैट्रिकयुलेशन क्लाम मुला था, उसमें भरती हुआ। परीक्षा हर छठे महीने होती। मुश्किलमें पांच महीनेका समय मिला था। यह काम मेरे बूतेके बाहर था, किंतु परिणाम यह हुआ कि गम्य बननेकी धुनमें मैं अत्यन्त उद्यमी विद्यार्थी बन गया। टाइम-टेबल बनाया। एक-एक मिनट बचाया। परंतु मेरी बुद्धि और स्मरण-शक्ति ऐसी न थी कि दूसरे विषयोंके उपरांत लैटिन और फ्रेंचको भी समझ सकता। परीक्षा थी, पर लैटिनमें फेल हुआ, उससे दुःख तो हुआ, पर हिम्मत न हारा। इधर लैटिनका स्वाद लग गया था। सोचा कि फ्रेंच ज्यादा अच्छी हो जायगी और विज्ञानमें नया विषय ले लूंगा। रसायनशास्त्र, जिसमें मैं अब देखता हू कि खूब मन लगना चाहिए, प्रयोगोंके अभावमें, मुझे अच्छा ही न लगा। देशमें यह विषय मेरे पाठ्यक्रममें रहा ही था। इसलिए लदन-मैट्रिकके लिए भी पहली बार इसीको पसंद किया था। इस बार 'प्रकाश और उष्णता' (Light & Heat) को लिया। यह विषय आमान समझा जाता था और मुझे भी आसान ही मालूम हुआ।

फिर परीक्षा देनेकी तैयारीके साथ ही रहन-सहनमें और भी सादगी दाखिल करनेकी कोशिश की। मुझे लगा कि अभी मेरे जीवनमें इतनी सादगी नहीं आ गई है, जो मेरे पानदानकी गरीबीको शोभा दे। भाई साहबकी तगदस्ती और उदारताका पर्याय आते ही मुझे बड़ा दुःख होता। जो १५ पीठ और ८ पीठ प्रति मास खर्चते थे उन्हें तो छात्रवृत्ति मिलती थी। मुझसे अधिक सादगीसे रहनेवालोंको भी मैं देखता था। ऐसे गरीब विद्यार्थी काफी तादादमें मेरे संपर्क में आते थे। एक विद्यार्थी लदनके गरीब मुहल्लेमें प्रति सप्ताह दो शिलिंग देकर

एक कोठरीमें रहना था, और लोकार्दकी सस्ती कोकोकी दुकानमें दो पेनीका कोको और रोटी खाकर गुजारा करता था। उसकी प्रतिस्पर्धा करनेकी तो मेरी हिम्मत न हुई, पर इनना जरूर नमझा कि मैं दोकी जगह एक ही कमरेसे काम चला सकता हूँ और आधी रसोई हाथसे भी पका सकता हूँ। ऐसा करनेपर ४ या ५ पाँड मामिकपर रह सकता था। सादी रहन-सहन सबकी पुस्तकें भी पटी थी। दो कमरे छोड़कर = गिलिंग प्रति सप्ताहका एक कमरा किरायेपर लिया। एक स्टोव खरीदा और नुवह हाथमें पकाने लगा। २० मिनटसे अधिक पकानेमें नहीं लगना था। ओट-मीलकी लपमी और कोकोके लिए पानी उबालने में कितना समय जा सकता था? दोपहरको बाहर कहीं खा लिया करता और शामको फिर कोको तैयार करके रोटीके साथ खा लिया करता। इस तरह मैं रोज एकसे सवा गिलिंगमें भोजन करने लगा। मेरा यह समय अधिक-से-अधिक पढाईका था। जीवन सादा हो जानेमें नमय ज्यादा बचने लगा। दुवारा परीक्षा दी और उत्तीर्ण हुआ।

पाठक यह न समझें कि सादगीसे जीवन नीरस हो गया हो। जल्दा इन परिवर्तनोंमें मेरी आंतरिक और बाह्य स्थितिमें एकता पैदा हुई। कौटुंबिक स्थितिके साथ मेरी रहन-सहनका मेल मिला। जीवन अधिक सारमय बना। मेरे आत्मानन्दका पार न रहा।

१७

भोजनके प्रयोग

जैसे-जैसे मैं जीवनके विषयमें गहरा विचार करता गया तैसे-तैसे बाहरी और भीतरी आचारमें परिवर्तन करनेकी आवश्यकता मालूम होनी गई। जिस गतिमें रहन-सहनमें अथवा वर्च-वर्चमें परिवर्तन प्रारम्भ हुआ, उन्ही गतिमें अथवा उसने भी अधिक वेगमें भोजनमें परिवर्तन प्रारम्भ हुआ। अन्नाहार-विषयकी अग्रणी पुस्तकोंमें मैंने देखा कि लेखकोंने बड़ी छान-बीनने लाय विचार किया है। अन्नाहारपर उन्होंने धार्मिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक और वैद्यकी दृष्टिसे विचार किया था। नैतिक दृष्टिमें उन्होंने यह दिखाया कि मनुष्यको जो मत्ता पशु-पक्षीपर प्राप्त हुई है वह उनको मार खानेके लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षाके

लिए हैं, अथवा जिस प्रकार मनुष्य एक-दूसरेका उपयोग करता है परंतु एक-दूसरेको खाना नहीं, उनी प्रकार पशु-पक्षी भी ऐसे उपयोगके लिए हैं, खा डालनेके लिए नहीं। फिर उन्होंने यह भी दिखाया कि खाना भी भोगके लिए नहीं, बल्कि जीनेके लिए ही है। इसपरने कुछ लोगोंने भोजनमें मास ही नहीं, अडे और दूधतकको निषिद्ध बताया और खुद भी परहेज किया। विज्ञानकी तथा मनुष्यकी शरीर-रचनाकी दृष्टिसे कुछ लोगोंने यह अनुमान निकाला कि मनुष्यको खाना पकानेकी बिलकुल आवश्यकता नहीं। उसकी सृष्टि तो सिर्फ डाल-पके फलोको ही खानेके लिए हुई है। दूध पिये भी तो वह मिर्फ भाताका ही। दात निकलनेके बाद उसे ऐसा ही खाना खाना चाहिए, जो चबाया जा सके। वैद्यकी दृष्टिसे उन्होंने मिर्च-मसालेको त्याज्य ठहराया और ब्यावहारिक तथा आर्थिक दृष्टिसे बताया कि सस्ते-से-सस्ता भोजन अन्न ही है। इन चारो दृष्टि-विंदुओका असर मुझपर हुआ और अन्नाहारवाले भोजनालयोंमें चारो दृष्टि-विंदु रखनेवाले लोगोंसे मेल-मुलाकात बढ़ाने लगा। विलायतमें ऐसे विचार रखनेवालोंकी एक सस्था थी। उसकी ओरसे एक साप्ताहिक पत्र भी निकलता था। मैं उसका ग्राहक बना और सस्थाका भी सभासद हुआ। थोड़े ही समयमें मैं उसकी कमेटीमें ले लिया गया। यहा मेरा उन लोगोंसे परिचय हुआ, जो अन्नाहारियोंके स्तभ माने जाते हैं। अब मैं अपने भोजन-सवधी प्रयोगोंमें निमग्न होता गया।

घरसे जो मिठाई, मसाले आदि मगाये थे उन्हें मना कर दिया और अब मन दूसरी ही तरफ दौडने लगा। इससे मिर्च-मसालेका शौक मद पडता गया और जो साग रिचमडमें मसाले बिना फीका मालूम होता था वह अब केवल उबाला हुआ होनेपर भी स्वादिष्ट लगने लगा। ऐसे अनेक अनुभवोंसे मैंने जाना कि स्वादका सच्चा स्थान जीभ नहीं, बल्कि मन है।

आर्थिक दृष्टि तो मेरे सामने थी ही। उस समय एक ऐसा दल भी था, जो चाय-काँफीको हानिकारक मानता और कोकोका समर्थन करता। केवल शरीर-ब्यापारके लिए जो चीज जरूरी है उसीको खाना चाहिए यह मैं समझ चुका था। इसीलिए चाय-काँफी मुख्यत छोड दी और कोकोको उनका स्थान दिया।

भोजनालयमें दो विभाग थे। एकमें जितनी चीज खाते उतने ही दाम

देने पड़ने। इसमें एक बारमे एक-दो शिलिंग भी खर्च हो जाते। इसमें अच्छी स्थितिके लोग आने। दूसरे विभागमें छ पेनीमे तीन चीजें और डबल रोटीका एक टुकड़ा मिलना। जब मैंने खूब किरफायनगारी इस्तियार की तब ज्यादातर मैं छ पेनीवाले विभागमें भोजन करता।

इन प्रयोगोंमें उप-प्रयोग तो बहुतैरे हो गये। कमी स्टार्चवाली चीजें छोड़ देता। कमी निर्फ रोटी और फलपर ही रहता। कमी पनीर, दूध और अंडे ही लेता।

यह आखिरी प्रयोग लिखने लायक है। यह पत्रह दिन भी न चला। जो बिना स्टार्चकी चीजें खानेका समर्थन करते थे, उन्होंने अंडेकी तारीफके खूब पुल बाचे थे और यह सावित किया था कि अंडे मांस नहीं है। हा, इतनी बात तो थी कि अंडे खानेसे किनी जीवित प्राणीको कष्ट नहीं होता था। सो इस दलीलके चक्करमें आकर अपनी प्रतिज्ञाके रहते हुए भी मैंने अंडे खाये। पर मेरी यह मूर्च्छा थोड़ी ही देर ठहरी। प्रतिज्ञाका नया अर्थ करनेका मुझे अधिकार न था। अर्थ तो वही ठीक है, जो प्रतिज्ञा दिलानेवाला करे। मैं जानता था कि जिस समय माने मान न खानेकी प्रतिज्ञा दिलाई थी, उन समय उसे यह खयाल नहीं हो सकता था कि अंडा मानने अलग समझा जा सकेगा। इसलिए ज्योंही प्रतिज्ञाका यह रहस्य मेरे ध्यानमें आया मैंने अंडे छोड़ दिये और यह प्रयोग बंद कर दिया।

यह रहस्य सूक्ष्म और ध्यानमें रखने योग्य है। विलायतमें मैंने मांसकी तीन व्याख्यायें पढ़ी थीं। एकमें मांसका अर्थ था पशु-पक्षीका मांस। इसलिए इस व्याख्याके कायल लोग उनको तो न छूते, परंतु मछली खाते और अंडे तो खाते ही। दूसरी व्याख्याके अनुसार जिन्हे आमतौरपर प्राणी या जीव कहते थे उनका मांस वर्जित था। इसके अनुसार मछली त्याज्य थी, परंतु अंडे ग्राह्य थे। तीसरी व्याख्यामें आमतौरपर प्राणीमात्र और उनमेंसे बननेवाली चीजे निषिद्ध मानी गई थी। इस व्याख्याके अनुसार अंडे और दूध भी छोड़ देना लाजिमी था। इसमें यदि पहली व्याख्याको मैं मानना तो मैं मछली भी खा सकता था। परंतु मैंने अच्छी तरह समझ लिया था कि मेरे लिए तो माताजीकी व्याख्या ही ठीक थी। इसलिए यदि मुझे उनके सामने की गई प्रतिज्ञाका पालन करना हो तो मैं अंडे नहीं ले सकता था। इसलिए अंडे छोड़ दिये, पर इससे कठिनाईमें पड़ गया, क्योंकि

वारीकीसे जब मने खोज की तो पता लगा कि अन्नाहारवाले भोजनालयोमे भी बहुत-सी चीजें ऐसी बना करती थी, जिनमें अडे पडा करते थे । फलत यहा भी परोमने-वालेसे पूछ-ताछ करना मेरे नसीबमे बदा रहा, जबतक कि मैं खूब वाकिफ न हो गया था, क्योंकि बहुतेरे पुडिंग और केकमें अडे जरूर ही रहते हैं । इस कारण एक तरहसे तो मैं जजालसे छूट गया, क्योंकि फिर तो मैं विलकुल सादी और मामूली चीजें ही ले सकता था । हा, दूसरी तरफ दिलको कुछ धक्का अलबत्ता लगा, क्योंकि ऐसी कितनी ही वस्तुएँ छोडनी पडी, जिनका स्वाद जीमको लग गया था । पर यह धक्का क्षणिक था । प्रतिज्ञा-पालनका स्वच्छ, सूक्ष्म और स्थायी स्वाद मुझे उस क्षणिक स्वादसे अधिक प्रिय मालूम हुआ ।

परतु सच्ची परीक्षा तो अभी आगे आनेवाली थी, उसका सबध था दूसरे ऋतसे । परतु—

‘जाको राखे साइयां मार सके ना कोय’ ।

इस प्रकरणको पूरा करने के पहले प्रतिज्ञाके अर्थके सबधमे कुछ कहना जरूरी है । मेरी प्रतिज्ञा मातासे किया हुआ एक इकरार था । दुनियामे बहुतेरे झगडे इकरारोके अर्थकी खीचातानीसे पैदा होते हैं । आप चाहे कितनी ही स्पष्ट भाषामे इकरारनामा लिखिए, फिर भी भाषा-शास्त्री उसे तोड़-मरोडकर अपने मतलबका अर्थ निकाल ही लेंगे । इसमे सभ्यासभ्यका भेद नहीं रहता । स्वार्थ सबको अघा बना डालता है । राजासे लेकर रकतक इकरारोके अर्थ अपने मनके मुआफिक लगाकर दुनियाको, अपनेको और ईश्वरको घोखा देते हैं । इस प्रकार जिस शब्द अथवा वाक्यका अर्थ लोग अपने मतलबका लगाते हैं उसे न्यायाशास्त्र ‘द्विअर्थी मध्यमपद’ कहता है । ऐसी दशामें स्वर्ण-न्याय तो वह है कि प्रतिपक्षीने हमारी बातका जो अर्थ समझा हो वही ठीक समझना चाहिए, हमारे मनमें जो अर्थ रहा हो वह झूठा और अधूरा समझना चाहिए । और ऐसा दूसरा स्वर्ण-न्याय यह है कि जहा दो अर्थ निकलते हो वहा वह अर्थ ठीक मानना चाहिए, जिमे कमजोर पक्ष ठीक समझता हो । इन दो स्वर्ण-मार्गोंपर न चलनेके कारण ही बहुत-कुछ झगडे होते हैं और अधर्म चला करता है । और इस अन्यायकी जड है असत्य । जो सत्यके ही रास्ते चलना चाहता है, उसे स्वर्ण-मार्ग सहज ही प्राप्त हो जाता है । उसे शास्त्रोकी पोथियां नहीं उलटनी पडती । माताजीने माम

जब्दका जो अर्थ माना था और जो मैं उस समय समझता था, वही मेरे लिए सच्चा अर्थ था। और जो अर्थ मैंने अपनी विद्वत्ताके मदमें किया अथवा यह मान लिया कि अदिक अनुभवसे सीखा, वह सच्चा न था।

अतक मेरे प्रयोग आर्थिक और आरोग्यकी दृष्टिसे होते थे। विलायतमें उन्हें वार्षिक स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ था। वार्षिक दृष्टिसे तो कठोर प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में हुए, जिनका जिज्ञासागे आयेगा। पर हा, यह जरूर कह सकते हैं कि उनका बीजारोपण विलायतमें हुआ।

मसल मराहूर है कि 'नया मुसलमान जोरसे वाग देता है।' अन्नाहार विलायतमें एक नया धर्म ही था, और मेरे लिए तो वह नया था ही। क्योंकि बुद्धिने भासाहारका हिमायती बननेके बाद ही मैं विलायत गया था। समझ-बूझकर अन्नाहार तो मैंने विलायतमें ही स्वीकार किया था। इसलिए मेरी हालत 'नये मुसलमान' की-सी थी। नवीन धर्मको ग्रहण करनेवालेका उल्साह मुझमें आ गया था, अतएव जिन मुहल्लेमें मैं रहता था वहां अन्नाहारी-मडल स्थापित करनेका प्रस्ताव मैंने किया। मुहल्लेका नाम था 'बेच-वाटर'। उसमें सर एडविन एर्नान्ड रहते थे। उन्हें उपाध्यक्ष बनानेका यत्न किया और वह ही भी गये। डाक्टर ओल्डफील्ड अध्यक्ष बनाये गये, और मंत्री बना मैं। थोड़े समय तो वह सस्या कुछ चली, परतु कुछ महीनोंके बाद उसका अंत आ गया। क्योंकि अपने दस्त्रके मुताबिक उस मुहल्लेको कुछ समयके बाद मैंने छोड़ दिया। परंतु इन छोड़े और थोड़े समयके अनुभवने मुझे नम्पाओकी रचना और मचालनका कुछ अनुभव प्राप्त हुआ।

१८

भेष—मेरी ढाल

अन्नाहारी-मडलकी कार्य-समितिमें मैं चुना तो जरूर गया, उसमें हर नमय हाजिर भी जरूर होना, परतु बोलनेको मुह ही न खुलता था। डाक्टर ओल्डफील्ड कहते—“तुम धेरे साथ तो अच्छी तरह बातें करते हो, परतु समितिकी बैठकमें कभी मुंह नहीं खोलते। तुम्हें 'नर-भक्ती' क्यों न कहना चाहिए ?” मैं इस विनोदका भाव समझा। भविष्यता तो गिरतर नाम करती रहती है,

परन्तु नर-भगवती कुछ काम नहीं करती— हा, ताना-शीता श्रवणता रहती है। समितिमें शीर मोग तो अपने-अपने मत पदर्शित करने, पर मैं मुह मीकर चुपचाप बैठा हूँ— यह भद्दा मानूम होता था। यह धान नहीं कि बोगनेके लिए मेरा दिल न होना, पर नभज ही नहीं पड़ता कि बोल् बंने ? सभी सदस्य मुझे अपनेमें अधिक जानाए दिवार् देते। फिर ऐसा भी होता कि कोई विषय मुझे बोलने योग्य मानूम हुआ और मैं बोलनेकी हिम्मत करने लगता कि इननेमें ही दूसरा विषय चन निकलता।

बहुत दिनोंतक ऐसा चलता रहा। एक बार समितिमें एक गभीर विषय निरला। उनमें योग न देना मुझे अनुचित था अन्याय जैसा लगा। चुपचाप मन देकर सामोना हो रहता दबूपन मानूम हुआ। मउलके अध्यक्ष 'टेम्स आयरन बर्क' के मालिक मिस्टर हिल्ले थे। वह बट्टर नीतिवादी थे। प्राय उन्हींके द्रव्यपर मउल चन रहा था। समितिके चहुनेरे लोग उन्हींकी छत्रछायामें निभ रहे थे। उन समितिमें डाक्टर एलिन्सन भी थे। उन दिनों मतति-निग्रहके लिए कृत्रिम उपाय काममें लानेकी हलचल चन रही थी। डा० एलिन्सन कृत्रिम उपायोंके हामी थे और मजदूरोमें उनका प्रचार करते थे। मि० हिल्सको ये उपाय नीति-नाशक मानूम होने थे। उनके नजदीक अन्नाहारी-मउल केवल भोजन मुधारके ही लिए नहीं था, बल्कि एक नीति-वर्धक मडल भी था, और इस कारण उनकी यह राय थी कि डा० एलिन्सन जैसे समाज-घातक विचार रखनेवाले लोग इस मउलमें न हूँने चाहिए। इसलिए डा० एलिन्सनको समितिसे हटानेका प्रस्ताव पेश हुआ। मैं इस चर्चामें दिलचस्पी लेता था। डा० एलिन्सनके कृत्रिम उपायोंवाले विचार मुझे भयकर मानूम हुए। उनके मुकाबलेमें मि० हिल्सके विरोधको मैं शुद्ध नीति मानता था। मि० हिल्सको मैं बहुत मानता था। उनकी उदारताको मैं आदरकी दृष्टिसे देखता था। परन्तु एक अन्नाहार-वर्धक-मडलमेंसे एक ऐसे पुरुष का निकाला जाना जो कि शुद्ध नीतिका कायल न हो, मुझे विलकुल अन्याय दिखाई पड़ा। मेरा मत हुआ कि स्त्री-पुरुष-मबध-विषयक हिल्स साहबके विचारोंसे अन्नाहारी-मउलके सिद्धातका कोई सबध न था, वे उनके अपने विचार थे। मउलका उद्देश्य तो था केवल अन्नाहारका प्रचार करना, किसी नीति-नियमका प्रचार नहीं। इसलिए मेरा यह मत था कि दूसरे कितने ही नीति-नियमोंका

हुई। विनायतमे बिदा होनेके पहले अन्नाहारी मित्रोंको हॉबर्न भोजनालयमें मंने भोजनके लिए निमन्त्रित किया था। मंने विचार किया कि अन्नाहारी भोजनालयमें तो अन्नाहार दिया ही जाना है, परन्तु मागाहारवाले भोजनालयमें अन्नाहारका प्रवेग हों नो अच्छा। यह सोचकर मंने दूग भोजनालयके व्यवस्थापकमें ग्यान तौणपर प्रवेग करके अन्नाहारकी तजवीज की। यह नया प्रयोग अन्नाहारियोंको बडा अच्छा मालूम हुआ। यो तो मभी भोज भोगके री लिए होते हैं, परन्तु पद्विचममें उमे एक कलाका रूप प्राप्त हो गया है। भोजनके समय खास मजायट और धूम-धाम होती है। वाजे बजते हैं और भाषण होते हैं सो अलग। उम छोटे-मे भोजमें भी यह मारा आउवर हुआ। अब मेरे भाषणका समय आया। मं त्वू मीच-मीचकर बोगनेकी तैयारी करके गया था। थोड़े ही वाक्य तैयार किये थे, परन्तु पहले ही वाक्यने आगे न बढ़ सका। एडिसनवाली गत हुई। उनके झेंपूणनका हान मं पहले कहाँ पढ़ चुका था। हाउस भाव काममें वह व्यान्यान देने खडा हुआ। 'मेरी धारणा है', 'मेरी धारणा है', 'मेरी धारणा है'— यह तीन बार कहा, परन्तु उसके आगे न बढ़ सका। अगेजी शब्द जिसका अर्थ धारण करना है, 'गर्मधारण' के अर्थमें भी प्रयुक्त होता है। इसलिए जब एडिसन आगे न बोल सका तब एक मसएरा सभ्य बोल उठा—'इन साहबने तीन बार गर्म धारण किया, पर पैदा कुछ न हुआ?' इस घटनाको मंने ध्यानमें रख छोटा था, और एक छोटी-मी विनोदयुक्त वक्तृता देनेका विचार किया था। मंने अपने भाषणका श्रीगणेश हमी कहानीमें किया, पर वही अटक गया। जो सोचा था सब भूल गया। और विनोद तथा हास्य-युक्त भाषण करने जाते हुए मं मुद ही विनोदका पान बन गया। 'मज्जनों, आपने जो मेरा निमन्त्रण स्वीकार किया इसके लिए मं आपका उपकार मानता हूँ।' कहकर मुझे बैठ जाना पडा।

यह झेंपूणन जाकर ठेठ दक्षिण अफ्रीका में टूटा। विलफुल टूट गया हो सो तो अब भी नहीं कह सकने। अब भी बोलते हुए विचारना तो पडता ही है। नये समाजमें बोलते हुए सकुचाता हूँ। बोलनेसे पीछा छूट सके तो जरूर छुडा लूँ। और यह हालत तो आज भी नहीं है कि यदि किसी सस्था या समाजमें बैठ होऊँ तो खाम बात कर ही मकू या बात करनेकी इच्छा ही हो।

परन्तु इस झेंपू स्वभावके कारण मेरी फजीहत होनेके अलावा और कुछ

मुन्साव न हुआ—कुछ फायदा ही हुआ है। बोलनेके सत्रोचसे पहले तो मुझे कुछ होता था; परन्तु अब मुलू होता है। बड़ा सान तो यह हुआ कि मैंने सबको निष्कायत-शारी सीडी। अपने विचारोंको कानून रखनेकी भावना सहज ही हो गई। अपनेको मैं यह प्रनाप-प्रभासातीति दे सन्ना हूँ कि मेरी बलाव अपवा कलनसे विना विचारे अथवा विना तौले सायद ही कोई इन्द्र निम्नता हो। मुझे याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेखके जिन्नी अंशके लिए धर्मनिश होने या पड़ानेकी आवश्यकता मुझे कभी हुई हो। इसके बदीलत अनेक खतरोंसे मैं बच गया और बड़तेरा समय भी बच गया, यह सान अलग है।

अनुभवने यह भी बताया है कि सत्यके पुजारीको मौलका अवनमन करना उचित है। ज्ञान-अनजानमें अनुप्य बहुत-कार अत्युक्ति करता है, अथवा कहने योग्य बातको छिपाता है, या दूसरी तरहसे कहता है। ऐसे संज्ञोसे बचने के लिए भी अल्पनायी होना आवश्यक है। जोड़ा बोलनेवाला विना विचार नहीं बोलता, वह अपने हरेक शब्दको तौलेगा। बहुत बार अनुप्य बोलनेके लिए शकौर हो जाता है। 'मैं भी बोलना चाहता हूँ' ऐसी चिट किन्तु सनापतिको न मिली होगी ? फिर दिया हुआ समय भी उन्हें काफी नहीं होता, और बोलनेकी इजाजत चाहते हैं, एवं फिर भी विना इजाजतके बोलते रहते हैं। इन सबके इतने बोलनेसे संसारको सान होता हुआ तो शायद ही दिखाई देता है। हाँ, यह अलबत्ता हम स्पष्ट देख सकते हैं कि इतना समय व्यर्थ जा रहा है। इसीलिए यद्यपि मारने में ही क्षोभन मुते अखरता था. पर आज उच्च स्तरप मुझे आनंद देता है यह क्षोभन मेरी ढाल था। उससे मेरे विचारोंको परिष्कृत होनेका अवसर मिला। सत्यकी आराधनामें उसने मुझे सहायता मिली।

११

असत्य-रूपी जहर

चार्लिस साल पहले विलायत जानेवालोंकी संख्या अबसे कम थी। उन्हें ऐसा रिवाज पड़ गया था कि खुद विवाहित होते हुए भी अपनेको अविवाहित बताते। वहाँ हाईस्कूल अथवा कालेजमें पढनेवाले सब अविवाहित होते हैं।

वहा विवाहितके लिए विद्यार्थी-जीवन नहीं होता । हमारे यहा तो प्राचीन समयमें विद्यार्थीका नाम ही ब्रह्मचारी था । बाल-विवाहकी चाल तो इसी जमानेमें पडी है । बाल-विवाहका नामनिश्चान विलायतमें नहीं । इस कारण वहाके भारतीय नवयुवकको बताते यह गरम मालूम होती है कि हमारा विवाह हो गया है । विवाहकी बात छिपानेका दूसरा मतलब यह है कि यदि यह बात मालूम हो जाय तो जिन कुटुंबोंमें वे रहते हैं उनकी युवती लडकियोंके साथ घूमने-फिरने और आमोद-प्रमोद करनेकी स्वतंत्रता न मिल पावेगी । यह आमोद-प्रमोद बहुताशमें निर्दोष होता है और खुद मा-बाप ऐसे मेलजोलको पसंद करते हैं । युवक और युवतियोंमें ऐसे सहवासकी आवश्यकता भी समझी जाती है, क्योंकि वहा तो हरेक नवयुवकको अपनी सह-धर्मचारिणी खोज लेनी पडती है । इस कारण जो सबब विलायतमें स्वाभाविक समझा जा सकता है वही यदि हिंदुस्तानके नवयुवक वहा जाकर दाखने लगे तो परिणाम भयकर हुए बिना नहीं रह सकता । ऐसे कितने ही भीषण परिणाम सुने भी गये हैं । फिर भी इस मोहिनी-मायामे हमारे नवयुवक फसे हुए थे । जो सत्रघ अग्नेजोके लिए चाहे कितना निर्दोष हो, पर जो हमारे नजदीक सर्वथा त्याज्य है, उनके लिए वे अमत्याचरण पसंद करते थे । मैं भी इस जालमें फस गया । पाच-छ वर्षसे विवाहित होते हुए और एक लडकेका बाप होते हुए भी मैं अपनेको अविवाहित कहते न हिचका । पर इस 'कुवारेपन' का स्वाद मैं बहुत न चख पाया । मेरे श्लेषूपनने और मौनने मुझे बहुत बचाया । भला जब मैं बात ही नहीं कर सकता था, तो कौन लडकी ऐसी फाजिल होती, जो मुझसे बातचीत करने आती ? शायद ही कोई लडकी मेरे साथ घूमने निकलती ।

मैं जैसा श्लेषू था, वैसे ही डरपोक भी था । बेटनरमें जैसे घरमें रहता था वहा यह रिवाज था कि घरकी लडकी मुझ जैसे अतिथिको साथ घूमने ले जाय । तदनुसार मुझे मकान-मालकिनकी लडकी बेटनरके आसपास की सुंदर पहाडियोंपर घूमने ले गई । मेरी चाल यो धीमी न थी, परंतु उसकी चाल मुझमें भी तेज थी । मैं तो एक तरह उसके पीछे खिंचता-बसिटता जाता था । वह तो रास्तेमें बातोंके फव्वारे उडाती चलती और मेरे मुहसे सिर्फ कभी 'हा' और कभी 'ना' की ध्वनि निकल पडती । मैं बहुत-से-बहुत बोलता तो इतना ही कि— 'वाह कंसा

सुदर । ' वह तो हवाकी तरह उड़ती चली जाती और मैं यह मोक्षता कि कब घर पहुँचेंगे । फिर भी वह कहतेकी हिम्मत न पड़ती कि चलो चापस लौट चलो । इनमें ही हम एक पहाड़ीकी चोटीपर आ खड़े हुए । अब उतरे कैसे ? मगर ऊँची एडीके बूट होते हुए भी यह २०-२५ वर्षकी रमणी बिजलीकी तरह नीचे उतर गई और मैं शर्मिन्दा होकर यह मोक्ष ही रहा हू कि कैसे उतरे । वह नीचे उतरकर कहफहा लगानी है और मुझे हिम्मत दिनाती है । कहती है—'ऊपर आकर हाथ पकड़कर नीचे खींच ले चलो ? ' मैं अपनेको ऐसा बोधा कैसे सावित करता ? अतको सम्भल-सम्भलकर पैर रखता और कहीं-कहीं बैठता हुआ नीचे उतरा । इधर वह मजाकमें 'शा वाश' कहकर मुझ धारमाये हुएको और भी शर्मिन्दा करने लगी । मैं मानता हू कि इस तरह मजाकमें शर्मिन्दा करनेका उसे हक था ।

परतु हर जाह मैं इस तरह कैसे यत्न सकता था ? ईश्वरको मजूर था कि प्रत्यक्ष जहर मेरे अदरमें निकल जाय । बेंटरकी तरह ब्रायटन भी नमुद्रतपर हवालौरीका मुकाम है । वहाँ मैं एक बार गया । जिस होटलमें ठहरा था, वहाँ एक मामूली दरजेकी अच्छी हैसियतवाली बिचवा बुडिया घूमने आई थी । यह मेरे पढ़े सालकी बान है— बेंटरके पहलेकी घटना है । वहाँ नोज्य पदार्थोंके नाम फ्रेंच भाषामें लिखे हुए थे । मैं उन्हें नहीं समझ पाया बुडिया और मैं एक ही मेजपर बैठे हुए थे । बुडियाने देखा कि मैं अजनबी हूँ और कुछ कुविचामे हूँ । उसने बात छोड़ी, तुम अजनबी मालूम होते हो ? किस फिर्में पड़े हो ? तुमने खानेके लिए अवनक कुछ नहीं मगाया ? मैं खानेके पदार्थोंकी नामावली पड रहा था और परोसनेवालोंने पूछनेका विचार ही कर रहा था । मैंने डम भली देवीको बन्धुवाद दिया और कहा— "ये नाम मेरी समझमें नहीं आते । मैं अन्नाहारी हूँ और मैं जानना चाहता हू कि इनमें कौन-सी चीजें मेरे कामकी हैं ? "

यह देवी बोली— "तो लो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ और तुम्हें बताये देनी हू कि इनमेंसे कौन-कौन सी चीजें ले सकने हो । "

मैंने उसकी महायत्ना बध्नुवाद स्वीकार की । यहासे जो परिचय उसके साथ हुआ, सो मेरे विन्यायत छोड़नेके बाद भी बरसों कायम रहा । उनमें

सैनिका अपना पता मुझे दिया और हर रविवारको अपने यहा भोजनके लिए निमंत्रित किया था। इसके सिवा भी जब-जब अवसर आता मुझे बुलाती। चाहकर मेरी शरम तुडवाती। युवती स्त्रियोसे पहचान करवाती और उनके साथ बात करनेके लिए ललचाती। एक बाई उसीके यहा रहती थी। उसके साथ बहुत बातें करवाती। कभी-कभी हमे अकेले भी छोड देती।

पहले-पहल तो मुझे यह बहुत अटपटा मालूम हुआ। सूझ ही न पडता कि बात क्या करूँ। हसी-दिल्लगी भी भला क्या करता, पर वह बाई मेरा हाँसला बढाती। मैं इसमे डलने लगा। हर रविवारकी राह देखता। अब तो उसकी बातोंमे भी मन रमने लगा।

द्वार बूढिया भी मुझे लुभाये जाती। वह हमारे इस मेल-जोलको बडी दिलचस्पीसे देखती। मैं समझता हूँ उसने तो हम दोनोका भला ही सोचा होगा।

अब क्या करूँ? अच्छा होता यदि पहलेसे ही इस बाईसे अपने विवाह की बात कह दी होती। क्योंकि फिर भला वह क्यों मुझ-जैसेके साथ विवाह करना चाहती? अब भी कुछ विगडा नही। समय है, सच कह देनेसे अधिक सफटमे न पडूंगा। यह मोचकर मैंने उसे चिट्ठी लिखी। अपनी स्मृतिके अनुसार उसका सार नीचे देता हूँ—

‘जबसे त्रायटनमे आपसे भेट हुई, तबसे आप मुझे स्नेहकी दृष्टिसे देखती आ रही है। मा जिस प्रकार अपने बेटेकी सम्हाल रखती है उसी प्रकार आप मेरी सम्हाल रखती है। आपका खयाल है कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए और इसलिए आप युवतियोंके साथ मेरा परिचय कराती है। इसके पहले कि ऐसे सवधकी सीमा और आगे बढे, मुझे आपको यह कह देना चाहिए कि मैं आपके प्रेमके योग्य नही। मैं विवाहित हूँ और यह बात मुझे उसी दिन कह देना चाहिए थी, जिस दिनसे मैं आपके घर आने-जाने लगा। हिंदुस्तानके विवाहित विद्यार्थी यहा अपने विवाहकी बात जाहिर नही करते, और इसीलिए मैं भी उसी ढरँपर चल पडा, पर अब मैं महसूस करता हूँ कि मुझे अपने विवाहकी बात बिलकुल ही न छिपानी चाहिए थी। मुझे तो आगे बढकर यह भी कह देना चाहिए कि मेरी शादी वचनमे ही हो गई थी और मेरे एक लडका भी है। यह बात तो मैंने आपसे अबतक छिपा रखी थी, इसपर मुझे बड़ा पश्चात्ताप हो रहा है। परतु अब भी ईश्वरने मुझे

सत्य कह देनेकी हिम्मत दे दी, इसके लिए साथ ही मुझे आनंद भी हो रहा है। आप मुझे माफ तो कर देंगी न ? जिस वहनसे आपने मेरा परिचय कराया है, उनके साथ मैंने कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया है, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं अपनी स्थितिको अच्छी तरह जानता था, अतएव मैं तो कोई अनुचित बात कर ही नहीं सकता था, पर आप चूँकि उत्तसे नावाक़िफ थी इसलिए आपकी यह इच्छा होना स्वाभाविक ही है कि मेरा विवाह-सवध किसीके साथ हो जाय। अतः आपके मनमें यह विचार और आगे न बढें, इसलिए भी मुझे सब बात आपपर अवश्य प्रकट कर देनी चाहिए।

“यह पत्र मिलनेके बाद यदि आप अपने यहाँ आनेके योग्य मुझे न समझें तो मुझे विलकुल बुरा न मानूँ होगा। आपकी इस ममताके लिए तो मैं सदाके लिए आपका ऋणी हो चुका हूँ। इतना होनेपर भी यदि आप मुझे अपनेसे दूर न हटावे, तो बड़ी प्रसन्नता होगी। यदि अब भी आप मुझे अपने यहाँ आने योग्य समझेंगी, तो इसे मैं आपके प्रेमका एक नया चिह्न समझूँगा और उसके योग्य बननेके लिए प्रयत्न करता रहूँगा।”

यह पत्र मैंने चट-मट नहीं लिख डाला। न जाने कितने मसबिदे बनाये होंगे। पर हाँ, यह बात-जल्द है कि यह पत्र भेज देनेपर मेरे दिलमें बड़ा बोझ उतर गया। लगभग लौटनी डाकने उस विधवा मित्रका जवाब आया। उसमें लिखा था—

“तुमने दिन खोनाकर जो पत्र लिखा, वह मिल गया। हम दोनों पढ़कर बुझ हुए और त्रिभक्तिलाकर हमें। ऐमा अनत्याचरण तो अनर्थ ही हो सकता है। हाँ, यह अच्छा किआ जो तुमने अपनी सच्ची कथा लिख दी। मेरे निमंत्रणको ज्यो-का-त्यो तायम ममक्षना। इन रविवारको हम दोनों तुम्हारी राह अवश्य देखेंगी। तुम्हारे वान-विवाहको वाने मुनेगी और तुमसे हमी-दिल्ली करवैना आनंद प्राप्त करेंगी। विद्वान् रक्वो, अपनी मित्रानान फर्क न आन पावेगा।”

उन तरह आने घदर छिपा यह अमत्यवा जहर मने निकाना, और फिर तो कहीं भी अपने विगत इत्यादिकी बातें करने हुए मुझे पनीपेदा न होता।

२०

धार्मिक परिचय

विलायतमें रहते हुए कोई एक साल हुआ होगा, इस बीच दो थियो-सॉफिस्ट मित्रोंसे मुलाकात हुई। दोनों सगे भाई थे और अविवाहित थे। उन्होंने मुझसे गीताकी बात निकाली। उन दिनों ये एड्विन एर्नाल्ड-कृत गीताके अंग्रेजी अनुवादको पढ़ रहे थे, पर मुझे उन्होंने अपने साथ सस्कृतमें गीता पढ़नेके लिए कहा। मैं लज्जित हुआ, क्योंकि मैंने तो गीता न सस्कृतमें न प्राकृतमें ही पढ़ी थी। यह बात झेंपते हुए मुझे उनसे कहनी पड़ी। पर साथ ही यह भी कहा कि 'मैं आपके साथ पढ़नेके लिए तैयार हू। यो तो मेरा सस्कृत ज्ञान नहींके बराबर है, फिर भी मैं इतना समझ सकूंगा कि अनुवाद कहीं गड़बड़ होगा तो वह बता सकू।' इस तरह इन भाइयोंके साथ मेरा गीता-वाचन आरम्भ हुआ। दूसरे अध्यायके अंतिम श्लोकोंमें,

ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते ।

सगात्संजायते कामः कामात्क्रोधोभिजायते ॥

क्रोधाद्भ्रवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ।

स्मृतिभ्रमात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥^१

इन श्लोकोंका मेरे दिलपर गहरा असर हुआ। बस, कानोंमें उनकी ध्वनि दिन-रात गूँजा करती। तब मुझे प्रतीत हुआ कि भगवद्गीता तो अमूल्य ग्रंथ है। यह धारणा दिन-दिन अधिक दृढ़ होती गई—और, भव तो तत्त्वज्ञानके लिए मैं उसे सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हू। निराशाके समयमें इस ग्रंथने मेरी अमूल्य सहायता की है। यो इसके लगभग तमाम अंग्रेजी अनुवाद मैं पढ़ गया हू। परतु एड्विन

^१ विषयका चिंतन करनेसे, पहले तो उसके साथ संग पैदा होता है और सगसे कामकी उत्पत्ति होती है। कामनाके पीछे-पीछे क्रोध आता है। फिर क्रोधसे संमोह, संमोहसे स्मृतिभ्रम, और स्मृतिभ्रमसे बुद्धिका नाश होता है और अंतमें पुरुष खुद ही नष्ट हो जाता है।

एर्नाल्डका अनुवाद सत्रमें थोड़ा मालूम होता है। उन्होंने मूल ग्रन्थके भावोंकी अच्छी रक्षा की है और तिम पर भी वह अनुवाद-जैमा नहीं मालूम होता। फिर भी यह नहीं कह सकते कि इस समय मैंने भगवद्गीताका अच्छा अध्ययन कर लिया हो। उसका रोज-भरा पाठ तो वर्षों बाद शुरू हुआ।

इन्हीं भाइयोंने मुझे एर्नाल्ड लिखित बुद्ध-चरित पढ़नेकी सिफारिश की। अबतक मैं तो सिर्फ यही जानता था कि सिर्फ गीताका ही अनुवाद एर्नाल्डने किया है, परन्तु बुद्ध-चरितको मैंने भगवद्गीतासे भी अधिक चावके साथ पढ़ा। पुस्तक जो एक बार हाथमें ली सो खनम करके ही छोड़ सका।

ये भाई मुझे एक बार ब्लेवेट्स्की-लॉजमें भी ले गये। वहाँ मंडम ब्लेवेट्स्की तथा मिसेज वेसेंटेके दर्शन मुझे कराये। मिसेज वेसेंट उन्हीं दिनों थियोसोफिकल सोसायटीमें आई थी, और इस विषयकी चर्चा अखबारोंमें चल रही थी। मैं उसे चावसे पढ़ता था। इन भाइयोंने मुझे थियोसोफिकल सोसायटीमें आनेके लिए कहा। मैंने विनयपूर्वक 'ना' करके कहा— 'मुझे अभी किसी धर्मका कुछ भी ज्ञान नहीं, इसलिए मेरा दिल नहीं होता कि अभी किसी भी सप्रदायमें भिन्न जाऊँ।' मुझे कुछ ऐसा खयाल पड़ता है कि इन्हीं भाइयोंके कहनेमें मेडम ब्लेवेट्स्की रचित 'कौटु थियोसोफी' पुस्तक भी मैंने पढ़ी। उससे हिंदू-धर्म-संबंधी पुस्तकोंके पढ़नेकी इच्छा हुई। पादरी लोगोंके मुहसे जो यह सुना करता था कि हिंदू-धर्म तो अब विश्वासोंसे भरा हुआ है, यह खयाल दिलसे निकल गया।

इसी अरसेमें एक अन्नाहारी छात्रालयमें मेचेस्टरके एक भले ईसाईसे मुलाकात हुई। उन्होंने ईसाई-धर्मकी बात मुझसे छेड़ी। मैंने अपना राजकोटका अनुभव उन्हें सुनाया। उन्हें बहुत दुःख हुआ। कहा— 'मैं खुद अन्नाहारी हूँ। शरावतक नहीं पीता। बहुतरे ईसाई मांस खाते हैं, शराव पीते हैं, यह सच है। पर ईसाई-धर्ममें दोनोमेंसे एक चीज भी लाजिमी नहीं। आप बाइबिल पढ़ें तो मालूम होगा।' मैंने उनकी सलाह मानी। उन्होंने एक बाइबिल भी खरीदकर ला दी। मुझे कुछ-कुछ ऐसा याद पड़ता है कि वह सज्जन खुद ही बाइबिल बेचते थे। उन्होंने जो बाइबिल मुझे दी उसमें कई नक्के और अनुक्रमणिका इत्यादि थी। पढ़ना शुरू तो किया, परन्तु 'ग्रोल्ड टेस्टामेंट' तो पढ़ ही न सका। जेनिसेस— 'मृष्टि-उत्पत्ति'—वाले प्रकरणके बाद तो पढ़ते-पढ़ते नींद आने लगती। केवल

इसी खयालसे कि यह कह सकू कि 'हा बाइविल पढ ली' मैंने त्रे-मन और बे-समझे आगेके प्रकरणको बड़े कष्टसे पढा। 'नवर्स' नामक प्रकरण पढकर तो उलटी अरुचि हो गई। पर जब 'न्यू टेस्टामेंट' तक पहुँचा तब तो कुछ और ही असर हुआ। हजरत ईसाके गिरि-अवचनका असर बहुत ही अच्छा हुआ। वह तो सीधा ही हृदयमें पैठ गया। बुद्धिने गीताजीके साथ उसकी तुलना की। 'जो तेरा कुरता मागे उसे तू अगलखा दे डाल। जो तेरे बाहिने गालपर थप्पड मारे उसके आगे वाया गाल करदे।' यह पढकर मुझे अपार आनन्द हुआ। श्यामल भट्टका वह छप्पय याद आया। मेरे युवक मनने गीता, एर्नाल्ड-कृत बुद्ध-चरित्र और ईसाके वचनोका एकीकरण किया। 'त्यागमें धर्म है' यह बात दिलको जच गई।

इन पुस्तकोके पठनसे दूसरे धर्माचार्योके जीवन-चरित्र पढनेकी इच्छा हुई। किसी मित्रने सुझाया—कालाईलकी 'विभूतिया और विभूति-पूजा' पढो। उसमें मैंने हजरत मुहम्मद-विषयक अथ पढा और मुझे उनकी महत्ता, वीरता और उनकी तपश्चर्याका परिचय मिला।

वस, इतने धार्मिक परिचयसे आगे मैं न बढ़ सका, क्योंकि परीक्षा सबधी पुस्तकोके अलावा दूसरी पुस्तके पढनेकी फुरसत न निकाल सका। मगर मेरे दिलमें यह भाव जम गया कि मुझे भी धर्म-पुस्तके अवश्य पढनी चाहिए और समस्त मुख्य-भूतय धर्मोका आवश्यक परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए।

मला यह कैसे संभव था कि विलायतमें रहकर नास्तिकताके मवधमें कुछ न जानता? उन दिनों ब्रेडलाका नाम समस्त भारतवासी जानते थे। ब्रेडला नास्तिक माने जाते थे। इस कारण नास्तिकवादके विषयमें भी एक पुस्तक पढी। नाम इस समय याद नहीं पडता। मेरे मनपर उसकी कुछ छाप न पडी। क्योंकि नास्तिकतारूपी सहाराका रेगिस्तान अब मैं पार कर चुका था। मिसेज वेसेटकी कीर्ति तो उस समय भी बहुत फैली हुई थी। वह नास्तिकसे आनिब बनी थी, इस बातने भी मुझे नास्तिकताकी ओरमें उदासीन बनाया। वेसेटकी 'मैं थियोमोफिस्ट कैसे हुई?' पुस्तिका मैं पढ चुका था। इन्ही दिनों ब्रेडलाका देहात हुआ। उनकी अत्येष्टिक्रिया बोकिगमें हुई थी। मैं भी बहा गया था। मेरा खयाल है कि शायद ही कोई ऐसा भारतवासी होगा, जो बहा न गया हो।

किन्तु ही पादरी भी उनके सम्मानमें उपस्थित हुए थे। लौटते समय हम सब एक जगह ट्रेनकी राह देख रहे थे। वहाँ भीड़में एक पहलवान नास्तिकता-वादीने एक पादरीसे जिरह करना शुरू की—

“क्यों जी, आप कहते हैं न, कि ईश्वर है ?”

उस भले पादरीने धीमी आवाजमें जवाब दिया—“हा भाई, कहता तो हूँ।”

पहलवान हंसा, और इस भावसे कि मानो पादरीको पराजित कर दिया हो, बोला—“अच्छा, आप यह तो मानते हैं न, कि पृथ्वीकी परिधि २५००० मील है ?”

“हां, अवश्य।”

“तब बताओ तो देखे, ईश्वरका कद कितना बड़ा है और वह कहा रहता होगा ?”

“यदि हम नमस्ते तो वह हम दोनोंके हृदयमें वास करता है।”

चागे और खड़े हुए हम लोगोंकी और यह कहकर उसने विजयीकी तरह टेकरू कहा—“किमी बच्चेको फुमलाइए किसी बच्चेको।”

पादरी ने नम्रता के साथ मौन धारण कर लिया।

उम नवाबने नास्तिकवादकी ओरने मेरा मन और भी हटा दिया।

२१

‘निर्घलके बल राम’

इस तरह मुझे धर्म-शान्ति तथा दुनियाके धर्मोंका कुछ परिचय तो मिला, लेकिन इनका ज्ञान मनुष्यको बचानेके लिए काफी नहीं होना। आपत्तिके समय जो वस्तु मनुष्यको बचाती है, उम्मा उमे उन समय न तो जान ही रहता है, न ज्ञान ही। नास्तिक जब बच जाता है, तो कहने लगता है कि मैं तो अज्ञानक बच गया। आम्तिज ऐसे समय कहेगा कि मुझे ईश्वरने बचाया। परिणामके बाद वह ऐसा अनुमान करेगा कि धर्मोंके अध्ययनमें, ईश्वर हृदयमें प्रपट होता है। इस प्रकारका अनुमान करनेका उमे अधिकार है। लेकिन बचते समय वह

नहीं जानता कि उसे उसका समय बचाता है या और कोई। जो अपने समय-बलका गर्व करता है, उसका समय भ्रष्ट नहीं हुआ, ऐसा किसने अनुभव नहीं किया? ऐसे समय शास्त्र-ज्ञान तो व्यर्थ-सा मालूम होता है।

इस बौद्धिक धर्म-ज्ञानके मिथ्यात्वका अनुभव मुझे विलायतमें हुआ। पहले जो इस प्रकारके भयोंसे मैं बचा, उसका विश्लेषण करना असंभव है। उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी। लेकिन अब तो मैं बीस वर्षका हो गया था। गृहस्थाश्रमका अनुभव खूब प्राप्त कर चुका था।

बहुत करके विलायतमें मेरे आखिरी वर्षमें, अर्थात् १८९० में, पोर्टस्मथम अन्नाहारियोंका एक सम्मेलन हुआ। उसमें मुझे तथा एक और भारतीय मित्रको निमन्त्रण मिला था। हम दोनों वहाँ गये। हम दोनों एक बाईके यहाँ ठहराये गये।

पोर्टस्मथ मल्लाहों का बदर कहा जाता है। वहाँ दुराचारिणी स्त्रियोंके बहुत-से घर हैं। वे स्त्रियाँ वेश्या तो नहीं कही जा सकती, लेकिन साथही उन्हें निर्दोष भी नहीं कह सकते। ऐसे ही एक घरमें हम ठहराये गये थे। कहनेका आशय यह नहीं है कि स्वागत-समितिके जान-बूझकर ऐसे घर चुने थे। लेकिन पोर्टस्मथ-जैसे बदरमें जब मुसाफिरोके ठहरनेके लिए घर खोजनेकी जरूरत पड़ती है, तब यह कहना कठिन हो जाता है कि कौन घर अच्छा और कौन बुरा।

रात हुई। सभासे हम घर लौटे। भोजनके बाद हम ताश खेलने बैठे। विलायतमें अच्छे घरोंमें भी गृहिणी मेहमानोंके साथ इस प्रकार ताश खेला करती हैं। ताश खेलते समय सब लोग निर्दोष मजाक करते हैं। परंतु यहाँ गदा विनोद शुरू हुआ।

मैं नहीं जानता था कि मेरे साथी इसमें निपुण हैं। मुझे इस विनोदमें दिल-चस्पी होने लगी। मैं भी सम्मिलित हुआ। विनोदके वाणीसे चेष्टामें परिणत होनेकी नीवत आ गई। ताश एक और रखनेका अवसर आ गया, पर मेरे उस भले साथीके हृदयमें भगवान् जगो। वह बोले, "तुम और यह कलियुग—यह पाप? यह तुम्हारा काम नहीं। भगो यहाँसे।"

मैं शर्मिदा हुआ। चेत। हृदयमें इस मित्रका उपकार माना। मातासे की हुई प्रतिज्ञा याद आई। मैं भगा। कापता हुआ अपने कमरेमें पहुँचा। कलेजा धड़कता था। मेरी ऐसी स्थिति हो गई मानो कातिलके हाथसे छूटा शिकार।

परस्त्रीको देवद्वार विकाराधीन होनेका और उसके साथ खेलनेकी इच्छा होनेका यह पहला प्रसंग मेरे जीवनमें था। रात-भर मुझे नींद न आई। अनेक तरहसे विचारोंने मुझे आ घेरा। 'क्या करूँ ? घर छोड़ दूँ ? गहासे भाग निकलूँ ? मैं कहाँ हूँ ? यदि मैं सावधान न रहूँ तो मेरे क्या हाल होंगे ?' मैंने खूब सचेत रहकर जीवन बितानेका निश्चय किया। सोचा कि घर तो अभी न छोड़ूँ, पर पोटैस्मथ तुरत छोड़ देना चाहिए। सम्मेलन दो ही दिनतक होने-वाला था। इसलिए जहाँतक मुझे याद है, दूसरे ही दिन मैंने पोटैस्मथ छोड़ दिया मेरे मानी बहा कुछ दिन रहे।

उम समय मैं 'धर्म क्या है, ईश्वर क्या चीज है, वह हमारे अंदर किस तरह बान करता है' ये बातें नहीं जानता था। लौकिक अर्थमें मैं समझा कि ईश्वरने मुझे बचाया। परंतु जीवनके विविध क्षेत्रोंमें भी मुझे ऐसे ही अनुभव हुए हैं। 'ईश्वरने बचाया' इन वाक्यका अर्थ मैं आज बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। पर यह भी जानता हूँ कि अभी इसकी कीमत मैं ठीक-ठीक नहीं आक सका हूँ। यह तो अनुभवमें ही आती जा सकती है। पर हा, कितने ही आध्यात्मिक अवसरों-पर, बरालनके भित्तिलेमें, नस्थाओंका संचालन करते हुए, राजनैतिक मामलोंमें, मैं कह सकता हूँ कि 'ईश्वरने मुझे बचाया है।' मैंने अनुभव किया है कि जब चारों ओरने आनामं छोड़ बैठनेका यत्नर आ जाता है, हाथ-पाव कीले पडने लगते हैं, तब कहीं-न-कहींमें सहायता अचानक आ पहुँचती है। स्तुति, उपासना, प्रार्थना, अत्रविश्राम नहीं, बल्कि उतनी अथवा उसमें भी अधिक सच बातें हैं, जितना कि हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, ये सच है। बल्कि यो कहनेमें भी अत्युक्ति नहीं कि यही एतमान सच है, इनरी सब बातें जूठ हैं, मिथ्या हैं।

ऐसी उदात्तता, ऐसी प्रार्थना बागीका वैभव नहीं है। उसका मूल कठ नहीं, बल्कि हृदय है। अनपव यदि हम हृदयको निर्भय बना से, उसके तारोका मुर मिला लें, नो उरमेंमें जो मुर मिलना है वह गानगाभी हो जाना है। उसके लिए जीमफी आवश्यकता नहीं। यह नो सनभावन हीं अद्भुत बस्तु है। विचार-रूपी मन्त्री शुद्धिमें लिए शक्ति उगासना एर जीवन-जडी है, उर विपथमेंमुझे जरा भी मन्हे नहीं। परंतु उम प्रगादीकी पानेन लिए हमारे अंदर पूरी-पूरी सन्नता होनी चाहिए।

२२

नारायण हेमचन्द्र

लगभग इसी दरमियान स्वर्गीय नारायण हेमचन्द्र विलायत आये थे । मैं सुन चुका था कि वह एक अच्छे लेखक हैं । नेशनल इंडियन एसोसियेशन-वाली मिस मैनिंगके यहा उनसे मिला । मिस मैनिंग जानती थी कि सबसे हिलमिल जाना मैं नहीं जानता । जब कभी मैं उनके यहा जाता तब चुप-चाप बैठा रहता । तभी बोलता, जब कोई बातचीत छेड़ता ।

उन्होंने नारायण हेमचन्द्रसे मेरा परिचय कराया ।

नारायण हेमचन्द्र अंग्रेजी नहीं जानते थे । उनका पहनावा विचित्र था । वेढगी पतलून पहने थे । उसपर था एक वादामी रंग का मैलाकुचैला-सा पारसी काटका बेंडौल कोट । न नेकटाई, न कालर । सिरपर ऊनकी गुथी हुई टोपी और नीचे लबी दाढी ।

वदन इकहरा, कद नाटा कह सकते हैं । चेहरा गोल था, उसपर चेचकके दाग थे । नाक न नोकदार थी, न चपटी । हाथ दाढीपर फिरा करता था ।

वहाके लाल-गुलाल फैशनेवल लोगोमें नारायण हेमचन्द्र विचित्र मालूम होते थे । वह औरोसे अलग छटक पढते थे ।

“आपका नाम तो मैंने बहुत सुना है । आपके कुछ लेख भी पढे हैं । आप मेरे घर चलिए न ? ”

नारायण हेमचन्द्रकी आवाज जरा भर्राई हुई थी उन्होने हसते हुए जवाब दिया—

“आप कहा रहते हैं ? ”

“स्टोर स्ट्रीटमें । ”

“तब तो हम पडोसी हैं । मुझे अंग्रेजी सीखना है । आप सिखा देंगे ? ”

मैंने जवाब दिया— “यदि मैं किसी प्रकार भी आपकी सहायता कर सकू तो मुझे बड़ी खुशी होगी । मैं अपनी शक्ति-भर कोशिश करूंगा । यदि आप चाहे, तो मैं आपके यहा भी आ सकता हू । ”

“जी नहीं, मैं खुद ही आपके पास आऊंगा। मेरे पास पाठमाता भी है। उसे लेता आऊंगा।”

समय निश्चित हुआ। आगे चलकर हम दोनोंमें बड़ा स्नेह हो गया। नारायण हेमचंद्र व्याकरण जरा भी नहीं जानते थे। ‘घोडा’ क्रिया और ‘दीडना’ सजा बन जाती। ऐसे मजेदार उदाहरण तो मुझे कई याद हैं। परंतु नारायण हेमचंद्र ऐसे थे, जो मुझे भी हूजम कर जाय। वह मेरे अल्प व्याकरण-ज्ञानसे अपनेको भुला देनेवाले जीव न थे। व्याकरण न जाननेपर वह किसी प्रकार लज्जित न होते थे।

“मैं आपकी तरह किसी पाठशालामें नहीं पढा हू। मुझे अपने विचार प्रकट करनेमें कहीं व्याकरणकी सहायताकी जरूरत नहीं दिखाई दी। अच्छा, आप बगला जानते हैं? मैं तो बगला भी जानता हू। मैं बगलमें भी घूमा हू। महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोरकी पुस्तकोका अनुवाद तो गुजराती जनताको मैंने ही दिया है। अभी कई भाषाओंके नुदर क्योंकि अनुवाद करने हैं। अनुवाद करनेमें भी मैं शब्दार्थपर नहीं चिपटा रहता। मात्रमात्र दे देनेसे मुझे सतोष हो जाता है। मेरे वाद दूसरे लोग चाहे भले ही सुंदर बस्तु दिया करें। मैं तो बिना व्याकरण पढ़े मराठी भी जानता हू, हिंदी भी जानता हू और अंग अंग्रेजी भी जानने लग गया हू। मुझे तो सिर्फ शब्द-भंडारकी जरूरत है। आप यह न समझ लें कि अकेली अंग्रेजी जान लेनेपरसे मुझे सतोष हो जायगा। मुझे तो फ्रांस जाकर फ्रेंच भी सीख लेनी है। मैं जानता हू कि फ्रेंच-साहित्य बहुत विशाल है। यदि हो सका तो जर्मन जाकर जर्मन भाषा भी सीख लूंगा।”

इस तरह नारायण हेमचंद्रकी वाग्धारा ब्रे-रोक बहती रही। देश-देशांतरोंमें जाने व भिन्न-भिन्न भाषा सीखनेका उन्हें असीम शौक था।

“तब तो आप अमेरिका भी जरूर ही जावेंगे?”

“भला इसमें भी कोई मदेह हो सकता है? इस नवीन दुनियाको देखे बिना कहीं वापस लौट सकता हू?”

“पर आपके पाम इतना धन कहा है?”

“मुझे धनकी क्या जरूरत पडी है? मुझे आपकी तरह तडक-भडक तो रखना है ही नहीं। मेरा खाना किनना और पहनना क्या? मेरी पुस्तकोंसे

कुछ भिन जाना है और थोड़ा-बहुत मित्र लोग दे दिया करते हैं, वह काफी है। मैं तो सर्वत्र तीसरे दर्जे में ही नफर करता हूँ। अमेरिका तो डेकमे जाऊंगा।”

नारायण हेमचन्द्रकी सावगी वस उनकी अपनी थी, हृदय भी उनका वंसा ही निर्मल था। अभिमान छूतक नहीं गया था। लेखकके नाते अपनी क्षमनापर उन्हें आवश्यकतासे भी अधिक विष्वाम था।

हम रोज मिलते। हमारे बीच विचार तथा आचार-साम्य भी काफी था। दोनों अन्नाहारी थे। दोपहरको कई बार साथ ही भोजन करते। यह मेरा वह समय था, जब मैं प्रति सप्ताह सत्रह विलिंगमे ही अपना गुजर करता और खाना खुद पकाया करता था। कभी मैं उनके मकानपर जाता तो कभी वह मेरे मकानपर आते। मैं अग्रेजी ढंगका खाना पकाता था, उन्हें देसी ढंगके विना मतौप नहीं होता था। उन्हें दाल जरूरी थी। मैं गाजर इत्यादिका रसा बनाता। इनपर उन्हें मुझपर बड़ी दया आती। कहींमे वह मूंग दूब लाये थे। एक दिन मेरे लिए मूंग पकाकर लाये, जो मैंने बड़ी सचिपूर्वक खाये। फिर तो हमारा इस तरहका देने-लेनेका व्यवहार बहुत बढ गया। मैं अपनी चीजोंका नमूना उन्हें चखाता और वह मुझे चखाते।

इस समय कार्डिनल मैनिंगका नाम सबकी जवान पर था। डॉकके मजदूरोने हडताल करदी थी। जॉनबर्न्स और कार्डिनल मैनिंगके प्रयत्नसे हडताल जल्दी बढ हो गई। कार्डिनल मैनिंगकी सावगीके विषयमे जो डिसरैलीने लिखा था, वह मैंने नारायण हेमचन्द्रको सुनाया।

“तब तो मुझे उस साधु पुरुषसे जरूर मिलना चाहिए।”

“वह तो बहुत बडे आदमी है, आपसे क्योकर मिलेंगे ?”

“इसका रास्ता मैं बता देता हूँ। आप उन्हें मेरे नामसे एक पत्र लिखिए कि मैं एक लेखक हूँ। आपके परोपकारी कार्योंपर आपको धन्यवाद देनेके लिए प्रत्यक्ष मिलना चाहता हूँ। उसमे यह भी लिख दीजिएगा कि मैं अग्रेजी नहीं जानता, इसलिए—आपका नाम लिखिए—बतीर दुभाषियाके मेरे साथ रहेंगे।”

मैंने इस मजमूनका पत्र लिख दिया। दो-तीन दिनमे कार्डिनल मैनिंगका फाई आया। उन्होंने मिलनेका समय दे दिया था।

हम दोनो गये। मैंने तो, जैसा कि रिवाज था, मुलाकाती कपडे पहन

लिये । नारायण हेमचन्द्र तो ज्यों-के-त्यों, सनातन । वहीं कोट और वही पतञ्जल । मैंने जरा मजाक किया, पर उन्होंने उसे साफ हनीमे उड़ा दिया और बोले—

“तुम सब सुधारप्रिय लोग डरपोक हो । महापुत्रप किस्तीकी पोशाककी तरफ नहीं देखते । वे तो उनके हृदयको देखते हैं ।’

कार्डिनलके महलमें हमने प्रवेश किया । मकान महल ही था । हम बैठे ही थे कि एक दुबलेमे ऊंचे कदवाले वृद्ध पुरुषने प्रवेश किया । हम दोनोंसे हाथ मिलाया । उन्होंने नागयण हेमचन्द्रका स्वागत किया ।

“मैं आपका अधिक समय लेना नहीं चाहना । मैंने आपकी कीर्ति सुन रखी थी । आपने हउन्नालमे जो भूभ काम किया है उसके लिए आपका उपकार मानना था । सभारके साधु पुरुषोंके दर्शन करनेका मेरा अपना रिवाज है । इसलिए आपको आज यह कष्ट दिया है ।’

इन वाक्योंका तरजुमा करके उन्हें मुनानेके लिए हेमचन्द्रने मुझसे कहा ।

“आपके आगमनमे मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ । मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाका निवास अनुकूल होगा, और यहाके लोगोंने आप अधिक परिचय करेंगे । परमात्मा आपका भला करे ।” यो कहकर कार्डिनल उठ खड़े हुए ।

एक दिन नागयण हेमचन्द्र मेरे यहा बोनी और कुरता पहनकर आये । भली मकान-भाषाविनने दरवाजा खोला और देखा तो डर गई । दौडकर मेरे पास आई (पाठक यह तो जानते ही हैं कि मैं बार-बार मकान बदलता ही रहता था) और बोनी— “एक पागल-ना आदमी आपने मिलना चाहता है ।” मैं दरवाजेपर गया और नारायण हेमचन्द्रको देखकर दम रह गया । उनके चेहरेपर वही नित्यका हास्य चमक रहा था ।

“पर आपको लडकोंने नहीं सताया ?”

“हां, मेरे पीछे पडे जरूर थे, लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, तो चापम लौट गये ।”

नारायण हेमचन्द्र कुछ महीने इल्लैन्ड रहकर पेरिस चले गये । यहा फ्रेंच का अध्ययन किया और फ्रेंच पुस्तकोंका अनुवाद करना शुरू कर दिया । मैं उनकी कृष्ण जान गया था कि उनके अनुवादोंको जाच लू । मैंने देखा कि वह तर्जुमा नहीं, भावार्थ था ।

अनमें उन्टोंने अमेरिका जानेका अपना निदचय भी निवाहा । बडी मुश्रुकलसे डेरु या तीसरे दर्जेका टिकट प्राप्त कर गके थे । अमेरिकामें जब वह धोती और कुरता पहनकर निकले तो असभ्य पोशाक पहननेके जुर्ममें वह गिरफ्तार कर निये गये थे । पर जहातक मुजे याद है, घादमें वह छूट गये ।

२३

महाप्रदर्शनी

१८९० ई० में पेरिसमें एक महाप्रदर्शनी हुई थी । उसकी तैयारियोकी बातें में अतबारोमें खूब पढता था । इधर पेरिस देलनेकी तीव्र इच्छा तो थी ही । मोचा कि इस प्रदर्शनी को देखने के लिए चला जाऊगा तो दुहेरा लाभ हो जायगा । प्रदर्शनीमें एफिन टावर देखनेका आकर्षण बहुत भारी था । यह टावर विलकुल लोहेका बना हुआ है । एक हजार फीट ऊंचा है । इसके पहले लोगोका खयाल था कि इतनी ऊंची इमारत खडी ही नहीं रह सकती । और भी अनेक बातें प्रदर्शनी में देखने लायक थी ।

मैंने कही पढा था कि पेरिसमें असाहार के लिए एक स्थान है । मैंने उसमें एक कमरा ले लिया । पेरिसतकका सफर गरीबीसे किया और वहा पहुचा । सात दिन रहा । बहुत-कुछ तो पैदल ही चल कर देखा । पासमें पेरिस और उम प्रदर्शनीकी गाइड तथा नकशा भी रखता था । उनकी सहायतासे रास्ते ढूढकर मुख्य-मुख्य चीजें देख ली ।

प्रदर्शनीकी विगलता और विविधताके सिवा अत्र मुझे उसकी किसी चीजका स्मरण नहीं है । एफिल टावरपर तो दो-तीन बार चढा था, इसलिए उसकी याद ठीक-ठीक है । पहली मजिलपर खाने-पीनेकी सुविधा भी थी । इसलिए यह कहनेको कि इतनी ऊंचाईपर हमने खाना खाया, मैंने वहा भोजन किया और उसके लिए साढे सात शिलिंगको दियासलाई लगाई ।

पेरिसके प्राचीन मदिरोकी याद अतक कायम है । उनकी भव्यता और भीतरकी शाति कभी नहीं भुलाई जा सकती । नाट्रेडमकी कारीगरी और भीतरकी चित्रकारी मेरे स्मृति-पटपर अंकित है । यह प्रतीत हुआ कि जिन्होंने

लाजो रुपये ऐसे स्वर्गीय मदिरोके बनानेमें लक्ष किये उनके हृदयके अतस्तलमें कुछ-कुछ ईश्वर-भ्रम जरूर रहा होगा ।

पेरिसका फेंगन, बहाना स्वेच्छाचार श्री भोग-विलासका वर्णन खूब पढा था और उसकी प्रतीति वहाकी गली-गलीमें होनी जाती थी । परंतु ये मदिर उन भोग-ज्ञानप्रियोसे प्रलग छटक जाने थे । उनके अदर जाते ही वाहरकी अगाति भूल जाती थी । लोगोका बर्ताव ही बदल जाता था । वे अदबके साथ बरतने लग जाते थे । वहा गौर-भूल नहीं हो सकना । कुमारिका मरिदनकी मूर्तिके मामने कोई-न-कोई अरुण प्रार्थना करता हुआ दिखाई देता । यह सब देखकर चित्तपर यही असर पडा कि यह सब बहन नहीं हृदयका भाव है, और यह भाव दिन-ब-दिन बराबर पुष्ट होता गया । कुमारिकाकी मूर्तिके नामने घुटने टेककर प्रार्थना करनेगले वे उपानक नगनरनरके पत्थरको नहीं पूज रहे थे; बल्कि उनके अदर निवास करनेवाली अपनी मनोगत शक्तिको पूजने थे । मुझे आज भी कुछ-कुछ याद है कि उन समय मेरे चित्तपर इन पूजाका ऐसा असर पडा कि वे पूजन-द्वारा ईश्वरकी महिमाको बटाते नहीं, बल्कि बटाते ही हैं ।

एफिन टॉवरके विषयमें एक-दो बातें लिख देना जरूरी है । मुझे पता नहीं कि एफिन टॉवर आज किन अतलवको पूरा कर रहा है । प्रदर्शनीमें जानेपर उसके वर्गन तो जरूर ही पटनेमें आते थे । उनमें उसकी स्तुति थी और निंदा भी थी । मुझे याद है कि निंदा लजेवालोमें टॉन्स्टॉय मुग्ध थे । उन्होने लिखा था कि एफिन टॉवर मनुष्यकी मूर्खताका चिह्न है, उसके जानका परिणाम नहीं । उन्होने अपने लेखमें बताया था कि ननारके अनेक प्रचलित नशोंमें तंबाकूका व्यसन सबसे बुराव है । जो कुर्म करनेकी हिम्मत शराबके पीनेने नहीं होती, वह बीड़ी पीकर आदमीको हो जाती है । शराब आदमीको पागल बना देती है, परंतु बीड़ी से तो उसकी बुद्धि पर कोहरा छा जाता है और वह हवाई किले बाधने लग जाता है । टॉन्स्टॉयने अपना यह मत प्रदर्शन किया था कि एफिन टॉवर ऐसे ही व्यसन का परिणाम है ।

एफिन टॉवरमें सौंदर्यका तो नाम भी नहीं है । यह भी नहीं कहा जा सकता कि उससे प्रदर्शनीनी शोभा बुरा भी बट गई हो । एक नई भारी-भरकम चीज थी । और इसीलिए उसे देखने हजारों आदमी गये थे । यह टॉवर प्रदर्शनी-

का एक खिलौना था। और वह इस बातको बड़ी अच्छी तरह सिद्ध कर रहा था कि जबतक हम मोहाधीन हैं तबतक हम भी बालक ही हैं। वस, इसे भले ही हम उसकी उपयोगिता कह लें।

२४

बैरिस्टर तो हुए—लेकिन आगे ?

परतु जिस कामके लिए, अर्थात् बैरिस्टर बननेके लिए मैं विलायत गया था, उसका क्या हुआ ? मैंने उसका वर्णन आगेके लिए छोड़कर रखा था। पर अब उसके सबधमें कुछ लिखनेका समय आ पहुँचा है।

बैरिस्टर बननेके लिए दो बातें आवश्यक थी—एक तो 'टर्म' भरना, अर्थात् सत्रोंमें आवश्यक हाजिरी होना, और दूसरे कानूनकी परीक्षामे शरीक होना। सालमें चार सत्र होते थे। वैसे बारह सत्रोंमे हाजिर रहना जरूरी था। सत्रमे हाजिर रहनेके मानी हैं 'भोजोंमें उपस्थित रहना।' हरेक सत्रमे लगभग २४ भोज होते हैं, जिनमेंसे छ में हाजिर रहना जरूरी था। भोजमें जानेसे यह मतलब नहीं कि वहा कुछ खाना ही चाहिए, सिर्फ निश्चित समयपर वहा हाजिर हो जाना और जबतक वह चलता रहे वहा उपस्थित रहना काफी था। आमतौरपर तो सभी विद्यार्थी उसमें खाते-पीते हैं। भोजनमे अच्छे-अच्छे पकवान होते और पेयमें ऊँचे दरजेकी शराब। दाम अलवत्ता देने पडते थे। पर यह ढाई या तीन शिल्लिंगके करीब, अर्थात् दो या तीन रुपयेसे ज्यादा नहीं होता था। यह रकम वहा बहुत ही कम समझी जाती थी, क्योंकि बाहरके किसी भी भोजनालयमे भोजन करनेवालेको तो सिर्फ शराबके लिए ही इतने दाम देने पडते थे। भोजनके खर्चकी बनिस्वत शराब पीनेवालेको शराबके ही दाम अधिक लगते हैं। हिन्दुस्तानमें—यदि हम नये ढंगके सुधारक न हों तो—हमें यह बड़ा ही आश्चर्यजनक मालूम होगा। विलायत जानेपर जब यह बात मालूम हुई तो मेरे दिलको बड़ी चोट पहुँची। मैं नहीं समझ सका कि शराबके पीछे इतने रुपये खर्च करनेको लोगोका जी कैसे होता है। पर पीछे मैं उनका रहस्य समझने लगा। शुरुमें तो मैं ऐसे भोजोंमें कुछ भी नहीं खाता था, क्योंकि मेरे कामकी चीज तो वहा

केवल रोटी, उबाने हुए आलू या गोभी ही हो सकती थी। शुरूमें तो वे भी अच्छे न नपते थे इसलिए मैं नहीं खाता था। बादको जब वे मुझे स्वादिष्ट लगने लगे तब तो मुझे दूसरी चीजें प्राप्त करनेका भी सामर्थ्य प्राप्त हो चुका था।

विद्यार्थियोंके लिए एक प्रकारका खाना होता था और वेचरो (विद्या-मन्दिरके अध्यापको) के लिए दूसरे प्रकारका और भारी खाना होता था। मेरे साथ एक पारसी विद्यार्थी थे। वह भी निरामिष भोजी बन गये थे। हम दोनों मिलकर वेचरोके भोजनके पदार्थोंने निरामिष भोजियोंके खाने योग्य पदार्थ प्राप्त करनेके लिए प्रार्थना की। वह मजूर हुई, और हमें वेचरोके टेबलसे फलादि और दूसरे धाक भी मिलने लगे।

शराबको तो मैं छूनाक न था। चार-चार विद्यार्थियोंमें शराबकी दो-दो बोटलें दी जाती थी। इसलिए ऐसी चीकडियोंमें मेरी वही भाग होती थी। क्योंकि मैं शराब नहीं पीता था, इसलिए दो बोटलें शेष तीनोंमें उड़ सकती थीं। फिर इन सबमें एक बड़ी रात (ग्रेड नाइट) भी होती थी। उस दिन 'पोर्ट' और 'वेरी' के अलावा 'शेम्पेन' भी मिलती थी। शेम्पेनका मजा कुछ और ही नमझा जाता है। इसलिए इन बड़ी रातको मेरी कीमत अधिक आती जाती थी, और उम रातको हाजिर रहनेके लिए मुझे निमन्त्रण भी दिया जाता।

इन खाने-पीनेके बैरिस्टरीकी पटाईमें क्या अधिकता हो सकती है, यह मैं न अब समझ सका था और न आज ही समझ सका हूँ। हा, ऐसा एक समय अवश्य था जि जब ऐसे भोजोंमें बहुत ही थोड़े विद्यार्थी होते थे। तब उनमें और वेचरोमें वार्तालाप होता और व्याख्यान भी दिये जाते थे। इसमें उन्हें व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो सकता था, भर्ती-बुरी पर एक प्रकारकी मन्थना वे सीख सकते थे और व्याख्यान देनेकी अभिरुचि विकसित कर सकते थे। किन्तु मेरे समयमें तो यह सब असम्भव हो गया था। वेचर तो दूर अछूत होकर बैठने थे। इस पुराने रिवाजका बादमें कुछ भी प्रयत्न नहीं रह गया था, फिर भी प्राचीनता-श्रेणी—धीमे—इसलडमें वह अभीनक चना सा रहा है।

राज्यनकी पटार्ड आमान थी। बैरिस्टर विनोदमें 'टिनर बैरिस्टर' के नामने पुकारे जाते थे। मनी जानने के नि परीक्षाका मूल्य नहींके शराब रह है। मेरे समयमें दो परीक्षाएँ होती थी। रोमन-सॉकी और इंग्लैंडके नानूकी।

यह परीक्षा दो बार करके दी जाती थी। परीक्षाके लिए पुस्तके नियत थी, परंतु उन्हें शायद ही कोई पढता होगा। रोमन लॉके लिए तो छोटे-छोटे 'नोट्स' लिखे हुए मिलते थे। उन्हें पढ़ने के दिनमें पढकर पास होनेवालोको भी मंने देखा है। इंग्लैंडके कानूनोके विषयमें भी यही बात होती थी। उनके 'नोट्स' दो-तीन महीनेमें पढकर पास होनेवाले विद्यार्थियोको भी मंने देखा है। परीक्षाके प्रश्न आसान और परीक्षक भी उदार। रोमन लॉमें ९५ से ९९ प्रति सैकडा विद्यार्थी पास होते थे, और अंतिम परीक्षामें ७५ अथवा उससे भी कुछ अधिक। इसलिए फेल होनेका भय बहुत ही कम रहता था। और परीक्षा भी वर्षमें एक नहीं बल्कि चार बार होती थी। ऐसी सुविधाजनक परीक्षा किसीको भी बोझ नहीं मालूम हो सकती थी।

परंतु मैंने अपने लिए उसे एक बोझ बना लिया था। मैंने सोचा कि मुझे तो मूल पुस्तके सब पढ लेनी चाहिए। उन्हें न पढना अपनेआपको धोखा देना प्रतीत हुआ। इसलिए काफी खर्च करके मूल पुस्तके खरीद ली। रोमन लॉको लंडनमें पढ जानेका निश्चय किया। विलायतकी प्रवेश-परीक्षामें मैंने लंडन पढी थी। उससे यहां अच्छा फायदा हुआ। यह मिहनत व्यर्थ न गई। दक्षिण अफ्रीकामें रोमन-डच लॉ प्रमाणभूत माना जाता है। उसे समझनेमें मुझे जस्टीनियनका अध्ययन बड़ा ही उपयोगी साबित हुआ।

इंग्लैंडके कानूनोका अध्ययन मैं काफी मिहनत करनेपर नौ महीनेमें पूरा कर सका था। क्योंकि ब्रूमकी 'कॉमन लॉ' नामक बड़ी परंतु सरस पुस्तक पढनेमें ही बहुत समय लगा था। स्नेलकी 'इंक्विटीमें' दिल तो लगा, परंतु ममक्षनेमें बम निकल गया। व्हाइट और ट्यूडरके गुरुय मुकदमोंमें जो-जो पढनेके थे उन्हें पढनेमें आनंद भी आया और ज्ञान भी मिला। विलियम्स और एडवर्ड्सकी स्थावर-संपत्ति सबधी और गुडीकी जगम सबधी पुस्तक मैं बड़ी दिलचस्पीके साथ पढ़ सका था। विलियम्सकी पुस्तक तो मुझे उपन्यासके जैसी मालूम हुई। उसे पढते हुए छोडनेको जी नहीं चाहता। कानूनी पुस्तकोमें हिंदुस्तान आनेके बाद, मैं मेहनका 'हिंदू लॉ' उतनी ही दिलचस्पीके साथ पढ सका था, परंतु हिंदुस्तानके कानूनोकी बात करनेके लिए यह स्थान नहीं है।

परीक्षाये पास की। १० जून १८९१ ई०को मैं बैरिस्टर हुआ। ग्यारहवीं

नारीखको इंग्लैंड-हाईकोर्टमें डाई शिर्लिंग देकर अपना नाम रजिस्टर कराया । वारह जूनको हिंदुस्तान लौट आनेके लिए रवाना हुआ ।

परतु मेरी निराशा और भीतिका कुछ ठिकाना न था । कानून मैंने पढ तो लिया, परतु मेरा दिल यही कहता था कि अभीतक मुझे कानूनका इतना ज्ञान नहीं हुआ कि वकालत कर सकू ।

इस ब्यथाका वर्णन करनेके लिए एक दूसरे अध्यायकी आवश्यकता होगी ।

२५

मेरी दुविधा

बॅरिस्टर कहलाना तो आसान मालूम हुआ परतु बॅरिस्टरी करना बड़ा मुश्किल जान पड़ा । कानूनकी किताबें तो पढ़ डालीं, पर वकालत करना न सीखा । कानूनकी पुस्तकोंमें कितने ही धर्म-सिद्धांत मुझे मिले, जो मुझे पसंद हुए । परतु यह समझमें न आया कि वकालतके पेशेमें उनमें कौसे फायदा उठाया जा सकेगा । 'अपनी चीजना इस्तमाल इस तरह करो कि जिनमें दूसरोकी चीजको नुकसान न पहुँचे, यह धर्म-वचन मुझे कानूनमें मिला । परतु यह समझमें न आया कि वकालत करते हुए भवकिकलके मुकदमोंमें उसका व्यवहार किस तरह किया जाता होगा । जिन मुकदमोंमें इस सिद्धांतका उपयोग किया गया था, मैंने उनको पढा । परतु उनमें इस सिद्धांतको व्यवहारमें लानेको तरकीब हाथ न आई ।

दूसरे, जिन कानूनको मैंने पढा उनमें भारतवर्षके कानूनोक्त नाम तक न था । न यह जाना कि हिंदू-आर्य तथा इस्लामी कानून क्या चीज हैं । अर्जी-शाबानक विवना न जानना था । मैं बड़ी दुविधामें पड़ा । फीरोजशाह मेहताका नाम मैंने सुना था । लर् अदालतोंमें मिह-अमान गर्जना करते हैं । यह कला वह इंग्लैंडमें किस प्रकार सीने जाये ? उनके जैसी निपुणता इस जन्ममें तो नहीं आने की, यह तो दूसरी बात है, किंतु मुझे तो यह भी जबरदस्त शक था कि एक बकीनकी हैसियतमें मैं पेट-आलनेतकमें भी समर्थ हो सकूंगा या नहीं !

यह उथल-पुथल तो तभी से चल रही थी, जब मैं कानूनका अध्ययन कर रहा था। मैंने अपनी यह कठिनाई अपने एक-दो मित्रोंके सामने रखी। एकने कहा, दादाभाईकी सलाह लो। यह पहले ही लिख चुका हू कि मेरे पास दादाभाईके नाम एक परिचय-पत्र था। उस पत्रका उपयोग मैंने देरसे किया। ऐसे महान् पुरुषसे मिलने जानेका मुझे क्या अधिकार है? कहीं यदि उनका भाषण होता तो मैं सुनने चला जाता और एक कोनेमें बैठकर आख-कानको तृप्त करके वापस लौट आता। उन्होंने विद्यार्थियोंके सपर्कमें आनेके लिए एक मडलकी भी स्थापना की थी। उसमें मैं जाया करता। दादाभाईकी विद्यार्थियोंके प्रति चिंता और दादाभाईके प्रति विद्यार्थियोंका आदर-भाव देखकर मुझे बड़ा आनंद होता। आखिर हिम्मत बाधकर एक दिन वह पत्र दादाभाईको दिया। उनसे मिला। उन्होंने कहा— 'तुम जब कभी मिलना चाहो और सलाह मशविरा लेना चाहो, जरूर मिलना।' लेकिन मैंने उन्हें कभी तरुलीफ न दी। बगैर जरूरी कामके उनका समय लेना मुझे पाप मालूम हुआ। इसलिए, उस मित्रकी मलाहके अनुसार, दादाभाईके सामने अपनी कठिनाइयोंको रखनेकी मेरी हिम्मत न हुई।

उसी अथवा और किसी मित्रने मुझे मि० डेडेरिक पिकेटसे मिलनेकी सलाह दी। मि० पिकेट कजरवेटिव दलके थे, लेकिन भारतीयोंके प्रति उनका प्रेम निर्मल और नि स्वार्थ था। बहुत-से विद्यार्थी उनसे सलाह लेते। इसलिए मैंने एक पत्र लिखकर मिलनेको समय भागा। उन्होंने मुझे समय दिया। मैं मिला। यह मुलाकात मैं आजतक न भूल सका। एक मित्रकी तरह वह मुझसे मिले। मेरी निराशाको तो उन्होंने हसकर ही उठा दिया— "तुम क्यों ऐसा मानते हो कि हर आदमीके लिए फीरोजशाह होना जरूरी है? फीरोजशाह और बदरुद्दीन तो विरले ही होते हैं। यह तो तुम निश्चय जानो कि एक मामूली मनुष्य प्रामाणिकता तथा उद्योगशीलतासे वकालतका पेशा अच्छी तरह चला सकता है। सब-के-सब मुकदमे कठिन और उलझे हुए नहीं होते। अच्छा, तुम्हारा सामान्य ज्ञान कैसा-क्या है?"

मैंने उसका जब परिचय दिया तब मुझे वह कुछ निराश-से मालूम हुए। किंतु वह निराशा क्षणिक थी। तुरत ही फिर उनके चेहरेपर एक हसीकी रेखा

दौड गई और बोले—

“तुम्हारी कठिनाईको अब मैं समझ पाया। तुम्हारा सामान्य ज्ञान बहुत ही कम है। तुम्हें इतिहासका ज्ञान नहीं है। इसके बिना बकीलका काम नहीं चलता। तुमने तो भारतका इतिहास भी नहीं पढ़ा। बकीलको मनुष्य-स्वभावका परिचय होना चाहिए। उसे तो चेहरा देखकर आदमीको पहचानना आना चाहिए। दूसरे, हर भारतवासीको भारतवर्षके इतिहासका भी ज्ञान होना जरूरी है। यो बकालत के साथ इनका कोई नबब नहीं है, किंतु उसका ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। मैं देखता हू कि तुमने 'के' तथा 'मैलेसन'की १८५९ के गदरपर लिखी पुस्तक भी नहीं पढ़ी है। उसे तो फौरन् ही पढ़ लेना। मैं दो पुस्तकोंके नाम और बतलाता हू। उन्हें मनुष्यको पहचाननेके लिए जरूर पढ़ डालना।” यह कहकर उन्होंने लैबेटर तथा शेमलपेनिककी 'मुक्त सामुद्रिक विद्या' (फ्रिडियॉन्नामी) विषयक दो पुस्तकोंके नाम लिख दिये।

इन बुजुर्ग मित्रका मैंने खूब अह्मदान माना। उनके सामने तो एक क्षणके लिए मेरा डर भाग गया, किंतु बाहर निकलते ही फिर चिंता शुरू हुई। 'चेहरा देखकर आदमीको पहचान लेना' इस वाक्यको गुणगुनाता और उन दो पुस्तकोंका विचार करता-करता धर पहुंचा। दूसरे ही रोज लैबेटरकी पुस्तक खरीद ली। शेमलपेनिककी किताब उस दुकानपर न मिली। लैबेटरकी पुस्तक पढ़ी तो नहीं, किंतु वह तो स्लेलकी 'डविटो'की अपेक्षा भी कठिन मालूम हुई। दिनचर्या भी बहुत कम थी। शेमलपेनिकके चेहरेका अध्ययन किया लेकिन लदनकी सड़कों पर घूमने-फिरते शेमलपेनिकको पहचानकी शक्ति चिन्तन न आई।

लैबेटरकी पुस्तकसे मुझे ज्ञान नहीं मिला। मि० पिकेटकी नवाहकी अपेक्षा उनके स्नेहमे बहुत लाभ हुआ। उनकी हनमुत्र तथा उदार मुक्तमुदाने मेरे दिनमें जगह करली। उनके हन बचन पर कि बकालत करनेके लिए फीरोजसाह मेहताके समान निपुणता, स्मरणशक्ति आदिकी आवश्यकता नहीं होती, प्रामाणिकता व श्रमशीलतासे काम चल जायगा, मेरा विश्वास बैठ गया। इन दो चीजोंकी पूजा तो मेरे पास काफी थी। अतः दिनकी गहराईमें कुछ आशा बंधी।

'के तथा 'मैलेसन'की पुस्तकोंमें बिनायतमे न पढ़ पाया। किंतु

मैंने समय मिलते ही पहले उसीको पढ डालनेका निश्चय कर लिया था । दक्षिण अफ्रीकामे जाकर मेरा यह मनोरथ पूरा हुआ ।

यो निराशामें आशाका थोडा-सा मिश्रण लेकर मैं कापते पैरसे ' आसाम ' स्टीमरसे दम्ब्रई बन्दरपर उतरा । बन्दरपर ममुद्र क्षुब्ध था । लौचमे बैठकर किनारेपर पहुचना था ।

भाग पहला समाप्त

दूसरा भाग

१

रायचन्द्रभाई

पिछले अध्यायमें मैं लिख चुका हू कि बबई-बदरपर मम्द्र क्षुब्ध था। जून-जुलाईमें हिंद-महात्तानगरमें यह कोई नई बात नहीं होती। अदनसे ही समुद्रका यह हाल था। सब लोग बीमार पड़ गये थे—अकेला मैं नौजमें रहा था। तूफान देखनेके लिए डेकपर रहता और भीग भी जाता। सुबह नोजनके समय यात्रियोंमें हम एक ही दो नजर आते। हमने अोटणी पतली लपती की रफावीको गोदमें रखकर खाना पडना था वनां हालत ऐसी थी कि लपती गोदमें ही टुलक पडती।

यह बाहरी तूफान मेरे लिए तो अदरके तूफानका चिह्न-आश्रय था। परंतु बाहरी तूफान के रहने हुए भी मैं जिन प्रकार अपनेको छान रख सकता था, वही बात आंतरिक तूफानके सबधमें भी कही जा सकती है। जातिवालोका सवाल तो सामने था ही। बकालतकी चिंताका हाल पहले ही लिख चुका हू। फिर मैं ठहरा सुधारक। अतः मनमें कितने ही सुधार करनेके मनसूबे बाध रखते थे। उनकी भी चिंता थी। एक और अकल्पित चिंता खड़ी हो गई।

माताजीके दर्शन करनेके लिए मैं अघरी हो रहा था। जब हम डॉम्पर पहुंचतो मेरेबड़े भाईवहा मौजूद थे। उन्होंने डाक्टर मेहता तथा उनके बड़े भाईसे जान-पहुचान कर ली थी। डाक्टर चाहते थे कि मैं उन्हींके घर ठहरे, सो वह मुझे वही लिवा ले गये। इस तरह विलायतमें जो सबध बसा था वह देशमें भी कायम रहा। यही नहीं, बल्कि अधिक दृष्ट होकर दोनो परिवारोंमें फौना।

माताजीके स्वर्गवासके बारेमें मैं विलकुल बेखबर था घर पहुंचनेपर मुझे यह समाचार नुनाया और स्नान कराया गया। यह खबर मुझे विलायतमें भी दी जा सकती थी, पर इस विचारमें कि मुझे आघात कम पहुंचे मेरे बड़े भाईने बबई पहुंचने तक मुझे खबर न पहुंचानेका ही निश्चय किया। अपने इस

दुखपर मैं परदा डालना चाहता हूँ। पिताजीकी मृत्युसे अधिक आघात मुझे इम समाचार को पाकर पहुँचा। मेरे कितने ही मनसूत्रे मिट्टीमें मिल गये। पर मुझे याद है कि इस समाचार को सुनकर मैं रोने-बीखने नहीं लगा था। आशु-तकको प्रायः रोक पाया था। और इस तरह व्यवहार शुरु रखता, मानो माताजीकी मृत्यु हुई ही न हो।

डाक्टर मेहताने अपने घरके जिन लोगोंसे परिचय कराया, उनमेंसे एकका जिक्र यहाँ किये बिना नहीं रह सकता। उनके भाई रेवाशकर जगजीवन के साथ तो जीवन-भरके लिए स्नेह-गाठ बंध गई। परंतु जिनकी बात मैं कहना चाहता हूँ वह तो है कवि रायचंद्र अग्रवा राजचंद्र। वह डाक्टर साहब के बड़े भाईके दामाद थे और रेवाशकर जगजीवनकी दूकानके भागीदार तथा कार्यकर्ता थे। उनकी अवस्था उस समय २५ वर्षसे अधिक न थी। फिर भी पहली ही मुलाकातमें मैंने यह देख लिया कि वह चरित्रवान् और शानी थे। वह शतावधानी माने जाते थे। डाक्टर मेहताने कहा कि इनके शतावधानका नमूना देखना। मैंने अपने भाषा-ज्ञानका भंडार खाली कर दिया और कविजीने मेरे कहे तमाम शब्दोंको उसी नियमसे कह सुनाया, जिस नियमसे मैंने कहा था। इस सामर्थ्यपर मुझे ईर्ष्या तो हुई, किंतु उसपर मैं मुग्ध न हो पाया। जिस चीजपर मैं मुग्ध हुआ उसका परिचय तो मुझे पीछे जाकर हुआ। वह था उनका विशाल शास्त्रज्ञान, उनका निर्मल चरित्र और आत्म-दर्शन करनेकी उनकी भारी उत्कृष्टता। मैंने आगे चलकर तो यह भी जाना कि केवल आत्म-दर्शन करनेके लिए वह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे।

हस्तता रमता प्रगट हरि देखू रे
 मार जीव्यु सफल तव लेखू रे,
 मुक्तानव नो नाथ विहारी रे
 ओघा जीवनदोरी अगारी रे।^१

^१ भावार्थ यह कि मैं अपना जीवन तभी सफल समझूंगा, जब मैं हस्त-लेखने ईश्वरको अपने सामने देखूंगा। निश्चय-पूर्वक वही मुक्तानंद की जीवन-दोरी है। —अनु०

प्रज्ञानदका यह वचन उनकी जवानपर तो रहता ही था, पर उनके हृदयमें भी अक्षिप्त हो रहा था ।

खुद हृजारोका व्यापार करते, हीरेमोतीकी परख करते, व्यापारकी गुत्थिया मुण्डलाने, पर वे वार्ते उनका विषय न थी । उनका विचार—उनका पुरजार्थ नो—आन्ध्र-साक्षात्कार—हरिदर्शन था । दूकानपर और कोई चीज हो या न हो, एक-न-एक धर्म-पुस्तक और डायरी जलूर रहू करती । व्यापारकी गत जहा खनन हुई कि धर्म-पुस्तक खूजती भयवा रोजनामचेपर कलम चनने मानी । उनके ज्ञाका मग्रह गुजरातीमें प्काशिन हुआ है, उनका अविवाध एम् रोजनामचेके ही प्राधारपर लिखा गया है । जो अनुप्य नाखोके नौदेकी वान करके सुरल आत्मज्ञानकी गूढ वाने लिखने बैठ जाता है वह व्यापारीकी श्रेणीका नहीं, वन्कि शुद्ध ज्ञानीकी कोटिका है । उनके मन्त्रमें यह अनुभव मुझे एक वार नहीं अनेक वार हुआ है । मैं उन्हें कभी गाफिन नहीं पाया । मेरे साथ उनका कुछ म्चार्य न था । मैं उनके बहुत निवृत्त ममागममें आया हू । मैं उन वक्त एक ठनुआ बरिन्ट था । पर जब मैं उनकी दुकानपर पहुंच जाना तो वह धर्म-वातिकि मिवा डूनरी कोई वान न करलें । इन ममन्तक में अपने जीवनकी दिशा न देव पाया था, यह भी नहीं कह सकने कि धर्म-अर्थाप्राने मेरा मन नगना था । फिर भी मैं कह सकता हू कि रायचदभाईकी धर्म-वार्ता में चाबसे मुनता था । उसके बाद मैं वितने ही धर्माचार्योके सपर्कमें आया हू, प्रत्यक धर्मके आचार्योसे मिलनेका मेरे प्रयत्न भी किया है, पर जो छाप मेरे दिलपर रायचदभाईकी पड़ी, वह किसी की न पड सती । उनकी क्लितनो ही वाने मेरे डेठ अतस्तलनक पहुंच जाती । उनकी बुद्धिको मैं आदरही दुष्टिसे देखता था । उनकी प्रामाणिकतापर भी मेरा उतना ही आदर-भाव था । और हमनें मैं जानना था कि वह आन-बूझकर उल्टे रास्ते नहीं ले जायने एव नुझे वही बात कहेंगे, जिसे वह अपने जीमें ठीक समझते होंगे । इन कारण मैं अपनी माध्यात्मिक कठिनाइयोंमें उनकी सहायता लेता ।

रायचदभाईके प्रति इतना आदर-भाव रखते हुए भी मैं उन्हें धर्मगुरुका स्थान अपने हृदयमें न दे सका । धर्म-गुरुही तो खीर मेरी अन्नपत्र चल रही है ।

हिंदू-धर्ममें गुरुपदको जो महत्त्व दिया गया है उसे मैं मानता हूँ । 'गुरु शिव होन न जान' यह वचन बहूनाममें सच है । असर-ज्ञान देनेवाला शिष्य

यदि अथकचरा हो तो एक बार काम चलभंस्कता है, परंतु आत्म-दर्शन करानेवाले अचूरे शिक्षकने हरगिज काम नहीं चलाया जा सकता । गुरुपद तो पूर्ण ज्ञानीको ही दिया जा सकता है । सफलता गुरुकी खोजमें ही है, क्योंकि गुरु शिष्यकी योग्यताके अनुसार ही मिला करते हैं । इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक साधनको योग्यता-प्राप्तिके लिए प्रयत्न करनेका पूरा-पूरा अधिकार है । परंतु इस प्रयत्नका फल ईश्वराधीन है ।

इसीलिए रायचदभाईको मैं यद्यपि अपने हृदयका स्वामी न बना सका, तथापि हम आगे चलकर देखेंगे कि उनका सहारा मुझे समय-समयपर कैसा मिलता रहा है । यहा तो इतना ही कहना बम होगा कि मेरे जीवनपर गहरा अमर डालने-वाले तीन आधुनिक मनुष्य हैं— रायचदभाईने अपने सजीव ससर्गमे, टॉल्स्टॉयने 'स्वर्ग तुम्हारे हृदयमे है' नामक पुस्तक द्वारा तथा रस्किनने 'अनट्टु दिस टास्ट'—सर्वोदय—नामक पुस्तकसे मुझे चकित कर दिया है । इन प्रसंगोका वर्णन अपने-अपने स्थानपर किया जायगा ।

२

संसार-प्रवेश

बड़े भाईने तो मुझपर बहुतेरी आशाये बाध रखी थी । उन्हे धनका, कीर्तिका, और ऊंचे पदका लोभ बहुत था । उनका हृदय वादशाहके जैसा था । उदारता उदात्तमनस्क उन्हे ले जाती । इससे तथा उनके भोलेपनके कारण मित्र बनाते उन्हे देर न लगती । उन मित्रोके द्वारा उन्होने मेरे लिए मुकदमे लानेकी तजवीज कर रखी थी । उन्होने यह भी मान लिया था कि मैं खूब रुपया कमाने लगूंगा और इस भरोसेपर उन्होने घरका खर्च भी खूब बढ़ा लिया था । मेरे लिए बकालतका क्षेत्र तैयार करनेमे भी उन्होने कसर न उठा रखी थी ।

इधर जातिका झगडा अभी खडा ही था । उसमें दो दल हो गये थे । एक दलने मुझे तुरत जातिमें ले लिया । दूसरा न लेनेके पक्षमे अटल रहा । जातिमें ले लेनेवाले दलको सतुष्ट करने के लिए, राजकोट पहुचनेके पहले, भाई-साहब मुझे नासिक ले गये । वहा गंगा-स्नान कराया और राजकोटमें पहुचते ही

जातिभोज टिया गया ।

यह बात मुझे रचिबर न हुई । बड़े भाईका मेरे प्रति अगाध प्रेम था । मेरा खयाल है कि मेरी भक्ति भी वैसा ही थी । इसलिए उनकी इच्छाको आज्ञा मानकर मैं यद्यकी तरह बिना ममझे, उनके अनुकूल होता चला गया । जातिकी समस्या तो इनना करनेमें मुलझ गई ।

गिम दलने में पयक् रहा उममें प्रवेश करनेके लिए मैंने कभी कोशिश न की, और न मैं कभी जातिके मूचिनापण मनमें ऋद्ध ही हुआ । उसमें ऐसे लोग भी थे जो मुझे निरन्तरकी दृष्टिमें देखने थे । उनमें मैं नमता-सुवता रहता । जातिके बहिष्कार-विषयक नियमना पूरा पालन करना । अपने सात-सुर अथवा बहनके यहा पानीतक न पीना । वे छिपे-छिपे पियानेको तैयार होते थे । पर जिस बातको चार आदमियोंके सामने नहीं कर सकने, उसे छिपकर करनेको मेरा जी न चाहता ।

मेरे इस व्यवहारका परिणाम यह हुआ कि मुझे याद नहीं आता कि जातिवालोंने कभी कभी तरह मुझे बताया हो । यही नहीं, बल्कि मैं आज भी जातिके एक विभागमें नियमने अन्याय बहिष्कृत माना जाता हू, फिर भी मैंने अपने प्रति उनकी नफमें मन और उदारताका ही अनुभव किया है । उन्होने मुझे मेरे काममें मदद भी की है, और मुझमें इस बातकी जग भी आना न रक्ती कि मैं जातिके पिहाज में कोई काम बरू । मेरी यह धारणा है कि इस सबूर फलका फारण है केवल मेरा अग्रनिहार । यदि मैंने जातिमें जानेकी कोशिश की होती, अथवा दलदली करनेकी चेष्टा की होती, जातिवालोंको छेडा और उकसाया होता, वे मेरे खिलाफ ठट मटे होते और मैं विलादने आने ही, उदासीन और अल्पिन रहनेके बदले कुचरने फनेने पडने केवल मियानाका पोषक बन जाता ।

पत्नीके मात्र मेरा मात्र कभी जैसा मैं चाहता था वैसा न हुआ । विलायत जानेपर भी अपने दूधे-दुष्टे म्दनावका मैं न छोड मना था । हर बातमें मेरी शोध देखनेकी वृत्ति और बरू जारी रहा । इसमें मैं अपने अनोरथोंको पूरा न कर सका । मोचा वा कि पन्नां विदना-मटना मिजाजा, परन्तु मेरी विषयान्कितने मुझे यह काम विनहुत न करने दिया और अपनी इन कथीका गम्मा

मैंने पत्नी पर निकाला। एक बार तो यहातक नीबत आ पहुची कि मैंने उसे नैहर भेज दिया और बहुत कष्ट देनेके बाद ही फिर साथ रहने देना स्वीकार किया। आगे चलकर मैं देख सका कि यह महज मेरी नादानी ही थी।

बालकोकी शिक्षा-प्रणालीमें भी मुझे बहुत-कुछ सुधार करने थे। बड़े भाईके लडके-बच्चे तो थे ही। मैं भी एक बच्चा छोड़ गया था, जो कि अब चार सालका होने आया था। सोचा यह था कि इन बच्चोको कसरत कराऊंगा, हटा-कट्टा बनाऊंगा और अपने साथ रखूंगा। भाई इसमें सहमत थे। इसमें मैं कुछ-न-कुछ सफलता प्राप्त कर सका। लडकोका समागम मुझे बहुत प्रिय मालूम हुआ। और उनके साथ हसी-मजाक करनेकी आदत आजतक वाकी रह गई है। तभीसे मेरी यह धारणा हुई है कि मैं लडकोके गिढकका काम अच्छा कर सकता हूँ।

भोजन-पानमें भी सुधार करनेकी आवश्यकता स्पष्ट थी। घरमें चाय-काफीको तो स्थान मिल ही चुका था। बड़े भाईने सोचा कि भाईके विलायतसे घर आनेके पहले घरमें विलायतकी कुछ-न-कुछ हवा तो आ ही जानी चाहिए। इस कारण चीनीके बरतन, चाय आदि जो भी चीजें पहले महज दबा-दारूके लिए श्रयवा नई रोशनीके महमानोके लिए घरमें रहती थी अब सबके लिए काम आने लगीं। ऐसे वायु-मडलमें मैं अपने 'सुधारो'को लेकर आया। अब ओटमीलकी पतली लपसी शुरू हुई। चाय-काफीकी जगह कोको आया। पर यह परिवर्तन नाममात्रका हुआ, वास्तवमें तो चाय-काफीमें कोको और आकर शामिल हो गया। बूट और मोजोने अपना अड्डा पहलेसे जमाही रखता था। मैंने अब कोट-पतलूनमें घरको पवित्र कर दिया।

इस तरह खर्च बढ़ा। नधीनतायें बढ़ीं। घरपर सफेद हाथी बधा। पर इतना खर्च आये कहासे? यदि राजकोटमें आते ही बकालत शुरू करता तो हसी होनेका डर था, क्योंकि मुझे तो अभी इतना भी ज्ञान न था कि राजकोटमें पास हुए वकीलोके सामने खडा रह सकता—और तिसपर फीस उनसे दस गुनी लेनेका दावा। कौन भवविकल ऐसा बेवकूफ था, जो मुझे अपना वकील बनाता? श्रयवा यदि कोई ऐसा मूर्ख भवविकल मिल भी जाता, तो क्या यह उचित था कि मैं अपने अज्ञानमें गुस्ताखी और बोखेवाजीकी जोड़ मिलाकर अपनेपर मसारका कर्ज बढ़ाता?

मित्रांकी यह सलाह हुई कि पहले मैं कुछ समय बर्बाद जाकर हार्डकोर्ट में अनुभव प्राप्त करूँ और भारतके कानून-कायदोका अध्ययन करूँ। साथ ही मुकदमे मिल जाय तो वकालत भी करता रूँ। मैं बर्बाद रवाना हुआ।

घर-घार रचा। रसोइया रक्खा। वह तकदीरसे मिला मुझ-जैसा ही। ब्राह्मण था। मैंने उसे नौकरकी तरह नहीं रक्खा था। वह नहता तो था, पर धोता न था। धोती मैली जनेऊ मैला, शास्त्राध्ययनकी तो बात ही दूर। मगर और अधिक अच्छा रसोइया लाता कहा से ?

“क्यों रविशकर, रसोई बनाना तो जानते हो, पर सध्या वगैरा भी कुछ याद है ?”

“सध्या ? साहब, सध्या-नर्पण तो है हल और कुवाली है सटकरम। मैं तो ऐसा ही धामन हूँ। आप जैसे हैं, तो निवाह लेते हैं, नहीं तो खेती बनी-बनाई है ही।”

मैं सब समझ गया। मुझे रविशकरका शिक्षक बनना होगा। समय तो बहुत था। आधी रसोई रविशकर पकाता और आधी मैं। विलायतके अन्न-भोजनके प्रयोग यहाँ शुरू किये। एक स्टोव खरीदा। मैं खुद तो पक्ति-भेद मानता ही न था। इधर रविशकरको भी पक्ति-भेद का आग्रह न था। सो हयारी खासी जोड़ी मिल गई। सिर्फ इतनी गतें—अथवा मुतीवत कहिए—थी कि रविशकरने मैले-कुचैलेपनने नाता तोड़ने और रसोई साफ रखनेकी कसम खा रक्खी थी।

पर मैं चार-पाच मासने अधिक बर्बाद न रह सकता था। क्योंकि खर्च बढ़ता ही जाता था और आमदनी कुछ न होती थी।

इस तरह जो मैंने मनारमें प्रवेश किया तो अपनी वैरिस्टरी मुझे खलने लगी। आडवर बहुत, आमदनी कम। जिम्मेदारीका खयाल मुझे भीतर-ही-भीतर कुतरने-नोचने लगा।

३

पहला मुकदमा

बदईमें एक और कानूनका अध्ययन गुरु हुआ, दूसरी ओर भोजनके प्रयोग । उसमें मेरे साथ वीरचंद गाधी सम्मिलित हुए । तीसरी ओर भाईमाह्व मेरे लिए मुकदमे खोजने लगे ।

कानून पढ़नेका काम ढिलाईमें चला । 'सिविल प्रोसिजर कोड' किमी तरह आगे नहीं चल सका । हा, कानून-अहादत ठीक चला । वीरचंद गाधी मालिसिस्टरीकी तैयारी करते थे, इसलिए वकीलोंकी वानें बहुत करते—'फोगोज-आहकी योग्यता और निपुणताका कारण है उनका कानून-विषयक अगाध ज्ञान, कानून-अहादन तो उन्हें बर-जवान है । दफा बत्तीसका एक-एक मुकदमा वह जानते हैं । बदरहीन तैयवजीकी बहस करने और दलीलें देनेकी शक्ति ऐसी अद्भुत है कि जज लोग भी चकित हो जाते हैं ।'

ज्यो-ज्यो मैं ऐसे अनिरथी-महागथियोंकी वाने सुनता त्यो-त्यो मेरे छक्के छूटते ।

"बैरिस्टर लोभोका पाच-सात सालतक अदालतमें भासे-भारे फिर्ना कांई गैर-मामूली बात नहीं है । इसीसे मैंने सालिसिटर होना ठीक समझा है । तीन सालके बाद यदि तुम अपने खर्च-भरके लिए पैदा कर सको तो बहुत समझना ।"

खर्च हर महीने चढ़ रहा था । बाहर बैरिस्टरकी नक्ती लगी रहती और अदर बैरिस्टरकी की तैयारी होती रहती । मेरा दिल इन दोनों बातोंमें किसी तरह मेल न बँठा सकता था । इस कारण मेरा अध्ययन बड़ी परेशानीमें चलता । मैं पहले कह चुका हू कि कानून-अहादतमें कुछ मेरा दिल लगा । मेनका 'हिंदू-लॉ' बड़ी दिलचस्पी के साथ पढा । परंतु पैरबी करनेकी हिम्मत अभी न आई । किंतु अपना यह दुःख मैं किससे कहता ? समुरालमें आई नई बहूकी तरह मेरी हालत हो गई ।

इतनेमें ही तकदीरसे ममीवाईका मुकदमा मुझे मिला । मामला स्माल वाज कोर्टमें था । प्रबन् उपस्थित हुआ कि 'दलानको कमीशन देना पड़ेगा ।'

मैंने साफ इन्कार कर दिया ।

“परन्तु फौजदारी अदालतके नामी वकील श्री जो कमीशन देते हैं, वीरि तीन-चार हजार नहीना कमा लेते हैं ।”

“मुझे उनकी बराबरी नहीं करना । मुझे तो ३००) मासिक मिल जाय तो बस । पिनाजीको कहां इसमें ज्यादा मिलते थे ?”

“पर वह जमाना निकल गया । बंबईका खर्च कितना है ? इरा व्यवहारकी बातोंको भी देखना चाहिए ।”

पर मैं टस-से-मस न हुआ । कमीशन बिलकुल न देने दिया । मनीबईका मुकदमा तो मिला ही । मुकदमा था आसान । मुझे ३०) मिह्नताना मिला था । एक दिनसे ज्यादाका काम न था ।

म्याल काज कोर्टमें पहले-महल मैं पैरवी करने गया । मैं मुद्दालेकी तरफने था, इसलिए मुझे जिन्ह करनी थी । मैं लड़ा हुआ; पर पैर कापने लगे, सिर नमने लगा । मुझे मालूम हुआ कि सारी अदालत घूम रही है । सबल क्या पूछ, यह सूझ नहीं पड़ता था । जब त्हा होगा । वकीलोंको तो मजा आया ही होगा । पर जब समय मेरी आखें यह सब ब्हा देख सवती थी ?

मैं बैठ गया । दलालने ब्हा कि मैं इस मानलेकी पैरवी न कर सकूंगा । तुम पटेलको बकालतनामा दे दो और अपनी यह फीस वापस ले लो । उसी दिन ११) देकर पटेल साहबसे तय कर दिया । उनके लिए तो यह बार्न हाथका जेत था ।

मैं ब्हासे सटका । पडा नहीं, भवकित्त हारा या जीना । मैं बड़ा लज्जित हुआ । निश्चय किया कि जवनक पूरी-पूरी हिम्मत न प्राजाय, नवनक कोई मुकदमा न लूंगा । और दक्षिण धनीका जानेतक अदालतमें न गया । इस निश्चयमें कोई बल न था । हारलेके लिए कौन अपना मुकदमा मुझे देता ? इतने मेरे इस निश्चयके दिना भी कोई नुतं पैरवी करने आनेका कष्ट न देता ।

पर १९११में धनी एक और मुकदमा मिलना जारी था । इसमें मुझे अर्धी मिलनी थी । एत मुसलमानकी जमीन पो-बदरमें जल हो गई थी । मेरे पिताका नाम वह जानता था । और इनलिए वह उनके बैरिस्टर पुत्रके पास आया था । मुझे उसका नामला बमजोर मालूम हुआ, परन्तु मैंने अर्धी मिल देना मजूर कर लिया । छपाईका खर्च भवकित्तने ठहराकर मैंने अर्धी तैयार

की। मित्रोको दिखाई। उन्होंने उसे पास किया, तब मुझे कुछ विश्वास हुआ कि हा अब अर्जिया लिख लेने लायक हो जाऊगा, और इतना तो हो भी गया था।

पर मेरा काम बढ़ता गया। यो युगतमें अर्जिया लिखते रहनेसे अर्जिया लिखनेका मौका तो मिलता, पर उसमे घर-गिरस्तीके खर्चका मवाल कैसे हल हो सकता था ?

मैंने सोचा कि मैं शिक्षणका काम तो अवश्य कर सकना हू। अग्रेजी मेरी अच्छी थी। इसलिए, यदि किसी स्कूलमे मैट्रिक क्लासको अग्रेजी पढाने अवसर मिले तो अच्छा हो। कुछ तो आमदनी हुआ करेगी।

मैंने अखबारोंमें पता— 'चाहिए, अग्रेजी शिक्षक। रोज एक घंटेके लिए। वेतन ७५)। 'यह एक प्रख्यात हाईस्कूलका विज्ञापन था। मैंने दरखास्त दी। स्वरू मिलनेका हुक्म मिला। मैं बड़ी उमंगसे गया। पर जब आचार्यको मालूम हुआ कि मैं बी० ए० नहीं हू तब उन्होंने मुझे टुकड़े साथ वागस लौटा दिया।

“पर मैंने नदनमें मैट्रिक पास किया है। मेरी दूसरी भाया लैटिन थी।”

“सो तो ठीक, पर हमें ग्रेजुएटकी ही जरूरत है।”

मैं लाचार रहा। मेरे हाथ-पाव ठंडे हो गये। बड़े भाई भी चिंतामे पड़े। हम दोनोंने सोचा कि बर्बईमें अधिक समय गवाना फिजूल है। मुझे राजकोटमे ही सिलसिला जमाना चाहिए। भाई खुद एक वकील थे। अर्जिया लिखनेका कुछ-न-कुछ तो काम दिना ही सकेंगे। फिर राजकोटमे घर भी था। वहा रहनेसे बर्बईका सारा खर्च कम हो सकता था। मैंने इम सलाहको पसंद किया। पाच-छ महीने रहकर बर्बईसे डेरा-डहा उठाया।

बर्बई रहते हुए मैं रोज हाईकोर्ट जाता। पर यह नहीं कह सकता कि वहा कुछ सीख पाया। इतना ज्ञान न था कि सीख सकता। कितनी ही बार तो मुकदमेमें कुछ समझ ही नहीं पडता, न दिल ही लगता। बैठे-बैठे श्लोके भी खाय करता। और भी श्लोके खानेवाले यहा थे—इससे मेरी शर्मका ढोझ हलका हो जाता। भाग्य चलकर मैं यह समझने लगा कि हाईकोर्टमें बैठे-बैठे नीचके श्लोके खाना एक फैशन ही समझ लेना चाहिए। फिर तो शर्मका कारण ही न रह गया।

यदि इस युगमे बर्बईमें मुझ जैसे कोई बेकार बैरिस्टर हो तो उनके लिए

एक छोटा-सा अपना अनुभव यहा निब देता हू ।

मेरा भकान गिरगाव मे था । फिर भी कभी-कभी ही गाडी किराये करता । ट्राममे भी मुश्किलमे बैठता । गिरगावमे नियम-पूर्वक बहुत करके पैदल ही जाता । उममे खामे ४५ मिनट लगते । नौटना भी बिला नागा पैदल ही । दिनमे घूप सहनेकी आदत डाल ली थी । उममे मने खर्चमे किफायत भी बहुत की और मे एक दिन भी वहा बीमार न पडा, हालाकि मेरे साथी बीमार होते रहते थे । जब मे कमाने लगा था, तब भी मे पैदल ही आफिस जाता । उसका लाभ मे आजतक पा रहा हू ।

४

पहला आघात

बवईसि निराश होकर राजकोट गया । अलहदा दफतर खोला । कुछ सिलसिला चला । अजिया लिखनेका काम मिलने लगा और प्रतिमास लगभग ३००)की आमदनी होने लगी । इन अजियोंके मिलनेका कारण मेरी योग्यता नहीं बल्कि जरिया था । बडे भाई साहबके साथी वकीलकी वकालत अच्छी चलती थी । जो बहुत जरूरी अजिया आती अथवा जिन्हे वे महत्वपूर्ण समझते थे तो वैरिस्टर के पास जानी, मुझे तो सिर्फ उनके गरीब भविकलोकी अजिया मिलनी ।

बवईवाली कमीशन न देनेकी मेरी टेक यहा न निभ सकी । वहा और यहाकी स्थितिका भेद मुझे समझाया गया—बवईमें तो दलालको कमीशन देनेकी बात थी । यहा वकीलको देनेकी बात है । मुझसे कहा गया कि बवईकी तरह यहा भी तमाम वैरिस्टर, बिना अपवादके, कुछ-न-कुछ कमीशन अवश्य दिया करते हैं । भाई साहबकी दलीलका उत्तर मेरे पाम न था । 'तुम देखते हो कि मे एक दूसरे वकीलका साक्षी हू । मेरे पास आनेवाले मुकदमोंमेमे तुम्हारे लायक मुकदमे तुम्हे देनेकी और मेरी प्रवृत्ति स्वभावत रहती है और यदि तुम अपनी फीसका कुछ अंश मेरे साक्षीको न दो तो मेरी स्थिति कितनी थियम हो सकती है ? हम तो एक साथ रहते है, इसलिए मुझे तो तुम्हारी फीसका लाभ मिल ही जाता

है, पर मेरे साथीदारको नहीं मिलता। किंतु यदि वही मुकदमा वह किमी दूसरेको दे दे तो उसका हिस्सा अवश्य मिलेगा।' मैं इस दलीलके चक्करमें आ गया और मेरे मनमें कहा—'यदि मुझे बैरिस्टरी करना है, तो फिर ऐसे मुकदमोंमें कमीशन न देनेका आग्रह मुझे न रखना चाहिए।' मैं झुक गया। अपने मनको फुसलाया अथवा स्पष्ट शब्दोंमें कहे तो बोला दिया। पर इसके सिवा दूसरे किसी मामलेमें कमीशन दिया हो, यह मुझे याद नहीं पड़ता।

इस तरह यद्यपि मेरा आर्थिक सिलसिला तो लग गया, परंतु इसी अराममें मुझे अपने जीवनमें एक पहली ठेस लगी। अबतक मैंने सिर्फ कानोंसे सुन रक्खा था कि ब्रिटिश अधिकारी कैसे होते हैं। पर अब अपनी आंखों देखनेका अवसर मिला।

पौरखदरके भूतपूर्व राणा साहबको गद्दी मिलनेके पहले मेरे भाई उनके मंत्री और सलाहकार थे। उस समय उनपर यह तोहमत लगाई थी कि वह राणा साहबको उलटी सलाह देते हैं। तात्कालिक पोलिटिकल एजेंटसे उनकी शिकायत की गई थी और उनका खयाल भाई साहबके प्रति खराब हो रहा था। इन साहबसे मैं विलायतमें मिला था। वहां उनसे मेरी ठीक-ठीक मित्रता हो गई थी। भाई साहबने मोचा कि इस परिचयसे लाभ उठाकर मैं पोलिटिकल एजेंटसे दो बाने करूँ और उनके दिलपर जो-कुछ बुरा असर पैदा हो उसे दूर करनेकी चेष्टा करूँ। मुझे यह बात बिलकुल पसंद न हुई। मैंने कहा—“विलायतकी ऐसी-वैसी मुलाकातका फायदा यहां न उठाना चाहिए। यदि भाई साहबने सचमुच ही कोई बुरा काम किया हो, तो फिर सिफारिशसे लाभ ही क्या? यदि न किया हो तो फिर बाकायदा अपना वक्तव्य पेश करना चाहिए अथवा अपनी निर्दोषतापर विश्वास रखकर निर्भय हो रहना चाहिए।” पर भाई साहबको यह वान न पटी। “तुम काठियावाड़में परिचित नहीं हो। जिंदगीकी खबर तुम्हें अब पड़ेगी, यहां जरिया और मेल-मुलाकानसे सब काम होता है। तुम्हारे जैसा भाई हो और तुम्हारे मुलाकाती हाकिमको थोड़ी-सी सिफारिश करनेका जब वक्त आवे तब तुम इस तरह पिंड छुड़ा लो, यह उचित नहीं।”

भाईकी मुरब्बत मैं न तोड़ सका। अपनी इच्छाके खिलाफ मैं गया। मुझे उस हाकिमके पास जानेका कोई अधिकार न था। मैं जानता था कि जानेमें

मेरा आत्माभिमान जाता है। मैंने मिलनेका समय मांगा। वह मिला और मैं गया। मैंने पुरानी पहचान निकाली, परतु मैंने तुरत देखा कि विलायत और काठियावाडमें भेद था। हुकूमनकी कुर्सीपर बटे हुए साहब और विलायतमें छुड़ीपर गये हुए साहबमें भेद था। पोलिटिकल एजेंटको मुलाकात तो याद आई, पर साथ ही अधिक वेस्त भी हुए। उनकी वेस्खाईमें मैंने देखा, उनकी आखोंमें मैंने पटा— 'उस परिचयसे लाभ उठाने तो तुम यहा नही आये हो?' यह जानते-ममसते हुए भी मैंने अपना सुर छोडा। साहब अवीर हुए—“तुम्हारे आई कुचक्री है। मैं तुमसे ज्यादा बात नही सुनना चाहता। मुझे समय नही है। तुम्हारे आईको कुछ कहना हो तो बाकायदा अर्जी पेश करे।” यह उत्तर बस था, परतु गरज बावली होती है। मैं अपनी बात कहता ही जा रहा था। साहब चढे। बोले—“अब तुमको चला जाना चाहिए।”

मैंने कहा—“पर, मेरी दान तो पूरी सुन लीजिए।” साहब लाल-पीले हुए—“चपरासी, इसको दरवाजेके बाहर करदो।”

'हुनूर' कहकर चपरासी दौड आया। मेरा चर्खा अभीतक चल ही रहा था। चपरासीने मेरा हाथ पकडा और दरवाजेके बाहर कर दिया।

साहब चले गये, चपरासी भी चला गया। मैं भी चला—झुझलाया, खिसियाया। मैंने साहबको चिट्ठी लिखी—“आपने मेरा अपमान किया है, चपरासीसे मुझपर हमला कराया है। मुझसे माफी मागो, नही तो बाकायदा मामहानिका दावा करूंगा।” चिट्ठी भेज दी। थोडी ही देरमें साहबका सवार जवाब ले आया।

“तुमने मेरे माथ असभ्यताका बर्ताव किया। तुमसे कह दिया था कि जाओ, फिर भी तुम न गये। तब मैंने जरूर चपरासीको कहा कि इन्हे दरवाजेके बाहर कर दो। और चपरासीके ऐसा कहनेपर भी तुम बाहर नही गये। तब उमने हाथ पकडकर तुम्हे दफ्तरमें बाहर कर दिया। इसके लिए तुमको जो-कुछ करना हो, शीरुमे करो।” जवाबका भाव यह था।

इस जवानको जेबमें रख, अपना-मा मूह ले, मैं घर आया। आईसिं धारा हाल पहा। उन्हें दुःख हुआ। पर वह मेरी सात्वना क्या कर सकते थे? वकील मित्रांमि सलाह नी—न्यायिक मुद्द मैं शवा दायर करना कहा जानता था?

उस समय सर फीरोजशाह मेहता अपने किसी मुकदमेमें राजकोट आये थे। मुझ-जैसा नया वैरिस्टर भला उनसे कैसे मिल सकता था ? जिस वकीलकी माफत वह आये थे उनके द्वारा कागज-पत्र भेजकर सलाह ली। उत्तर मिला कि गाधीसे कहना—'ऐसी बातें तो तमाम वकील-वैरिस्टरोंके अनुभवमें आईं होंगी। तुम अभी नये आये हो। तुमपर अभी विलायतकी हवा का असर है, तुम ब्रिटिश अधिकारीको पहचानते नहीं। यदि तुम चाहते हो कि सुझसे बैठकर दो पैसे कमा लें तो उस चिट्ठीको फाड़ डालो और अपमानकी यह धूट पी डालो। मामला चलानेमें तुम्हें एक कौड़ी न मिलेगी और मुफ्तमें धरवादी हाथ आवेगी। जिदगीका अनुभव तो तुम्हें अभी मिलना बाकी है।'

मुझे यह नसीहत जहरकी तरह कड़वी लगी। परन्तु इस कड़वी धूटको पीये बिना चारा न था। मैं इस अपमान को भूल तो न सका, पर मैंने उसका सदुपयोग किया—'अबसे मैं अपनेको ऐसी हालतमें न डालूंगा। इस तरह किसीकी सिफारिश आगे न करूंगा।' इस नियमका भंग मैंने फिर कभी न किया। इस आघातने मेरे जीवनकी दिशा बदल दी।

५

दक्षिण अफ्रीकाकी तैयारी

पोलिटिकल एजेंटके पास मेरा जाना अवश्य अनुचित था, परन्तु उसकी अवीरता, उसका रोष, उसकी उद्धतताके सामने मेरा बोध बहुत छोटा हो गया। मेरे बोधकी सजा धक्का दिलाना न थी। मैं उसके पास पाच मिनट भी न बैठ सका। पर मेरा तो बात-चीत करना ही उसे नागवार हो गया। वह मुझे सौजन्यके साथ जानके लिए कह सकता था, परन्तु हुकूमतके नशेकी सीमा न थी। बादको मुझे मालूम हुआ कि धीरज जैसी किसी चीजको यह शस्त्र जानता न था। मिलने जानेवालेका अपमान करना उनके लिए मामूली बात थी। जहा उसकी रुचिके खिलाफ कोई बात हुई कि फौरन उसका मिजाज बिगड़ जाता।

मेरा ज्यादातर काम उसीकी अदालतमें था। इधर खुशामद मुझसे हो नहीं सकती थी। और उसे नाजायज तरीकेसे खुश करना मैं चाहता न था।

नालिया करनेकी तमझी देकर नालिया १ तगना और उमे कुछ भी जवाब न देना मुझे अच्छा न लगा ।

इस बीच काठियावाडकी तमझी पटपटका भी मुझे कुछ अनुभव हुआ । काठियावाड अनेक छोटे-छोटे राज्जोरा प्रदेश है । वहा राजावाजी लोगोकी बहुतायत होना स्वभाविक था । राज्जोमें परस्पर गहरं पस्वन, पद-प्रतिष्ठा पानेके लिए पइयन, राजा कच्चे तानके और पगधीन, माह्वोके चपरा-मियोकी खुशामद, सरिस्तेदारको डेट माह्व गमन्निए—स्योकि सरिस्तेदार माह्वकी खात, साहवके कान, और उनका दुभापिया नव कुछ । सरिस्तेदार जो वता दे वही कायदा । सरिस्तेदार की आमदनी माह्वकी आमदनीमे ज्यादा भानी जाती थी । नभव है कि इसमे कुछ अन्याय हो । पर यह बात निविवाद है कि सरिस्तेदारके थोटे वेतनके मुकामकेमे उनका खन ज्यादा रहना था ।

यह वायुमडल मुझे जहर्के समान प्रतीत हुआ । दिन-रात मेरे मनमे यह विचार रहने लगा कि यहा अपनी स्वनजनाकी रक्षा तिम तह कर सकूगा ?

होते-होते मैं उदासीन रहने लगा । भाईने मेरा यह भाव देखा । यह विचार आया कि कही कोई नौकरी मिल जाय तो इन पइयनोमे पिंड छूट सकता है । परन्तु बिना पइयनोके न्यायाधीन भयवा दीवानका पद कहामे मिल सकना था ? और वकालत करनेके रास्तेमे साहवके साथ वाला झगडा खडा हुआ था ।

पोरबदरमें राणा साहबको अस्तित्वात् न थे, उनके लिए कुछ अधिकार प्राप्त करनेकी तजवीज चल रही थी । मेरे लोगोमे ज्यादा लगान लिया जाता था । उनके सबघमे भी मुझे वहाके एडमिनिस्ट्रेटर—मुख्य राज्याधिकारी—से मिलना था । मेने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटरके देनी होते हुए भी उनका रीब-दाव साहवके भी ज्यादा था । वह धे तो योग्य परन्तु उनकी धोयताका लाभ प्रजाजनको बहुत न मिलना था । अन्तमे राणा साहबको तो थोडे अधिकार मिले । परन्तु मेरे लोगोके हाथ कुछ न आया । मेरा त्वधान है कि उनकी तो बात भी पूरी न सुनी गई ।

इमलिए यहा भी अपेक्षाकुन निगम हुआ । मूधे लगा कि इन्साफ नही हुआ । इन्साफ पानेके लिए मेरे पाम कोई माधन न था । बहुत हुआ तो बडे साहवके यहा अपील करदी । वह हुक्म लगा देना—‘ हम इस मामलेमे दखल

नहीं दे सकते ।' ऐसा फैसला यदि किसी कानून-कायदेमे बलपर किया जाता हो तब तो आशा की जा सकती है । पर यहाँ तो साहबकी इच्छा ही कानून था ।

आखिर मेरा जी ऊब उठा । इमी अक्सरपर भाई साहबके पास पोग-वदरकी एक मेमन दूकानका सदेशा आया— 'दक्षिण अफ्रीकामें हमारा ब्यापार है । बड़ा कारोबार है । एक भारी मुकदमा चल रहा है । दावा चालीस हजार पाँडका है । बहुत दिनोंसे मामला चल रहा है । हमारी तरफमे अच्छे-मे-अच्छे वकील वैरिस्टर हैं । यदि आप अपने भाईको हमारे यहाँ भेज दे तो हमें भी मदद मिलेगी और उसकी भी कुछ मदद हो जायगी । वह हमारा मामला वकीलोको अच्छी तरह समझा सकेगे । इसके सिवा नये देगकी यात्रा होगी और नये नये लोगोसे जान-महचान होगी सो अलग ।'

भाई साहबने मुझसे जिक्र किया । मैं सारी बात अच्छो तरह न समझ सका । मैं यह न जान सका कि सिर्फ वकीलोको समझानेका काम है या मुझे अदालतमें भी जाना पड़ेगा । पर मेरा जी ललचाया जरूर ।

दादा अब्दुल्लाके हिस्सेदार स्वर्गीय सेठ अब्दुलकरीम जवेरीकी मुलाकात भाईने कराई । सेठने कहा— "तुमको बहुत मिहनत नहीं करनी पड़ेगी । बड़े-बड़े गोरोंसे हमारी दोस्ती है । उनमे तुम्हारा परिचय होगा । हमारी दूकानके काममे भी मदद कर सकोगे । हमारे यहाँ अग्रेजी चिटठी-पत्री बहुत होती हैं । उसमे भी तुम्हारी मदद मिल सकेगी । तुम्हारे रहनेका प्रबन्ध हमारे ही बगलेमें रहेगा । इस तरह तुमपर कुछ भी खर्च न पड़ेगा ।"

मैंने पूछा— "कितने दिनतक मुझे वहाँ काम करना पड़ेगा ? मुझे वेतन क्या मिलेगा ?"

"एक सालमे ज्यादा तुम्हारा काम न रहेगा । आने-जानेका फर्स्ट-क्लासका किराया और भोजन-खर्चके अलावा १०५ पाँड दे दूँगे ।"

यह वकालत नहीं, नौकरी थी । परतु मुझे तो जैसे-तैसे हिंदुस्तान छोड़ देना था । सोचा कि नई दुनिया देखेंगे और नया अनुभव मिलेगा सो अलग । १०५ पाँड भाई साहबको भेज दूँगा तो घर-खर्चमें कुछ मदद हो जायगी । यह सोचकर मैंने तो वेतनके सबधमें बिना कुछ खीच-तान किये मेठ अल्टून करीबकी बात मान ली और दक्षिण अफ्रीका जानेके लिए तैयार हो गया ।

नेटाल पहुंचा

विलायत जाते समय जो वियोग दुःख हुआ था, वह दक्षिण अफ्रीका जाते हुए न हुआ, क्योंकि माताजी तो चल बसी थी और मुझे दुनियाका मौर सफरका अनुभव भी बहुत-कुछ हो गया था। राजकोट और बंबई तो आया-जाया करता ही था। इस कारण अबकी बार सिर्फ पत्नीका ही वियोग दुःख था। विलायतमें आनेके बाद दूसरे एक बालकका जन्म हो गया था। हम दम्पतीके प्रेममें अभी विषय-भोगका भ्रम तो था ही। फिर भी उसमें निर्मलता आने लगी थी। मेरे विलायतसे लौटनेके बाद हम बहुत थोड़ा समय एक साथ रहे थे और मैं ऐसा-वैसा ही क्यों न हो, उसका शिक्षक बन चुका था। इधर पत्नीकी बहुतेरी बातोंमें बहुत-कुछ सुधार करा चुका था और उन्हें कायम रखनेके लिए भी साथ रहनेकी आवश्यकता हम दोनोंकी मालूम होती थी। परतु अफ्रीका मुझे आकर्षित कर रहा था। उसने इस वियोगको सहन करनेकी शक्ति दे दी थी। 'एक सालके बाद तो हम मिलेंगे ही' कहकर और दिलासा देकर मैंने राजकोट छोड़ा, और बंबई पहुंचा।

दादा अब्दुल्लाके बंबईके एजेंटकी मार्फत मुझे टिकट लेना था। परतु जहाजपर केविन खाली न थी। यदि मैं यह चूक जाऊ तो फिर मुझे एक मासतक बंबईमें हवा खानी पड़े। एजेंटने कहा— "हमने तो खूब दौड़-धूप कर ली। हमें टिकट नहीं मिला। हा, डेकमें जाय तो बात दूसरी है। भोजनका इतना म सैलूनमें हो सकता है।" ये दिन मेरे फर्स्ट क्लासकी यात्राके थे। वैरिस्टर भला कहीं डेकमें सफर कर सकता है? मैंने डेकमें जानेसे इन्कार कर दिया। मुझे एजेंटकी बात पर शक भी हुआ। यह बात मेरे माननेमें न आई कि पहले इजेंका टिकट मिल ही नहीं सकता। अतएव एजेंटसे पूछकर खुद मैं टिकट लाने चला। जहाजपर पहुंचकर बड़े अफसरसे मिला। पूछनेपर उसने सरल भावसे उत्तर दिया— "हमारे यहां मुन्ट्रलसे इतनी भीड़ होती है। परतु मोजाबिकके गवर्नर जवरल इसी जहाजसे जा रहे हैं। इसमें भारी जगह भर गई है।"

"नब क्या आप किसी प्रकार मेरे लिए जगह नहीं कर सकते ?" अफसरने मेरी ओर देखा, हुमा और बोला— "एक उपाय है। मेरी केबिनमें एक बैठक खाली रहती है। उसमें हम यात्रियोंको नहीं बैठने देते। पर आपके लिए मैं जगह कर देने को तैयार हूँ।" मैं खुश हुआ। अफसरको धन्यवाद दिया व संठसे कहकर टिकट मगाया। १८९३के अप्रैल मासमें मैं बड़ी उमगके साथ अपनी तकदीर आजमानेके लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना हुआ।

पहला बंदर लामू मिला। कप्तानको घातरज खेलनेका शौक था। पर वह अभी नौसिबव्या था। कोई तेरह दिनमें बहा पहुँचे। रास्तेमें कप्तानके साथ दामा स्नेह हो गया था। उसे अपनेमें कम जानकार खिलाडीकी जरूरत थी और उसने मुझे खेलनेके लिए बुलाया। मैंने घातरजका खेल कभी देखा न था। हा, मुन खूब रनत्ता था। खेलनेवाले कहा करते कि इसमें बुद्धिका खासा उपयोग होता है। कप्तानने कहा— "मैं तुम्हें सिखाऊंगा।" मैं उसे मनचाहा शिष्य मिला, क्योंकि मुझमें घीरज काफी था। मैं हारता ही रहता। और ज्यों-ज्यों मैं हारता कप्तान बड़े उत्साह और उमगसे सिखाता। मुझे यह खेल पसंद आया। परतु जहाजसे नीचे वह कभी साथ न उतरा। राजा-रानीकी चाले जाननेसे अधिक मैं न मीय सका।

लामू बंदर आया। जहाज बहा तीन-चार घंटे ठहरनेवाला था। मैं बंदर देखनेको नीचे उतरा। कप्तान भी गया था। पर अपने मुझे कह दिया था— 'यहाका बंदर दगावाज है। तुम जल्दी वापस आ जाना।'

गाव छोटा-सा था। बहा डाकघरमें गया तो हिंदुस्तानी आदमी देखे। मुझे खुशी हुई। उनके साथ बातें की। हवशियोंसे मिला। उनकी रहन-सहन में दिलचस्पी पैदा हुई। उसमें कुछ समय चला गया। डेकके और यात्री भी बहा आ गये थे। उनसे परिचय हो गया था। वे भोजन पकाकर आराम से खाना पाने नीचे उतरे थे। मैं उनकी नावमें बैठा। समुद्रमें ज्वार भी खासा था। हमारी नावमें वोझ भी काफी था। तनाव इतने जोरका था कि नावकी रस्ती जहाजकी सीटी के साथ किमी तरह न बघती थी। नाव जहाजके पास जाकर फिर हट जाती। जहाज रवाना होनेकी पहली सीटी हुई। मैं खबरामा। कप्तान ऊपरसे देख रहा था। उसने जहाज ५ मिनट रोकनेके लिए कहा। जहाजके

पाम एक मछवा था। उसे १०) देकर एक मित्रने किराये किया। मछवे ने मुझे नावमेंसे उठा लिया। जहाजकी सीढी ऊपर चढ़ चुकी थी। रस्तीके बल में ऊपर खींचा गया और जहाज चलने लगा। बेचारे दूररे यात्री रह गये। कप्तानकी उस चेतावनीका मननब श्रुत में समझा।

लामूने मोदामा और वहामे जजीवार पढ़चे। जजीवारमें बहुत ठहरना था—८ या १० दिन। वहामे नये जहाजमें बैठना था।

कप्तानके प्रेमकी नीमा न थी। इस प्रेमने मेरे लिए विपरीत रूप धारण किया। उनने मुझे अपने साथ सँर करनेके लिए बुलाया। उसका एक अग्रज मित्र भी नाव था। हम तीनों कप्तानके मछवेमें उतरे। इस सँरका मर्म में विलकुल न जानता था। कप्तानको क्या खबर थी कि ऐसी बातोंमें नै विलकुल अनजान होऊंगा। हम तो हवधी आँगनके मुहल्लामे जा पहुँचे। एक दलाल हमें वहा ले गया। तीनों एक-एक कमरेमें दाखिल हुए। पर मैं तो धर्मका मारा कमरेमें घुना बैठा ही रहा। उस बेचारी बाईके मनमें क्या-क्या विचार आये होंगे यह तो वही जानती होंगी। थोड़ी देरमें कप्तानने आवाज लगाई। मैं तो जैमा अदर घुना था, वैनाही बापन बाहर आ गया। यह देखकर कप्तान मेरा मोलापन ममझ गया। शुरूमें तो मुझे बड़ी धर्म मालूम हुई, परतु इस काम को तो मैं किनी तरह पसंद नहीं कर सकता था, इसमें धर्म चली गई और मैंने ईश्वरका उपकार माना कि इस वहनको देखकर मेरे मनमें किनी प्रकारका विकारनक उत्पन्न न हुआ। मुझे अपनी इस कमजोरीपर बड़ी स्तानि हुई कि मैं कमरेमें प्रवेश करनेसे इन्कार करनेका साहम क्यों न कर सका।

मेरे जीवनमें यह इस प्रकार की तीसरी परीक्षा थी। कितने ही नवयुवक दुरुआतमें निर्दोष होने हुए भी झूठी धर्ममें बुराईमें लिप्त हो जाते होंगे। मेरा बचाव मेरे पुण्यायके वर्धालन नहीं हुआ था। यदि मैंने कमरेमें जानेमें माफ इन्कार कर दिया होता तो पुण्याय ममझा जा सकता था। तो मेरे इस बचावके लिए तो एकनात्र ईश्वरका ही उपकार मानना चाहिए। इस घटनामें ईश्वरपर मेरी आस्था दृढ हुई और झूठी धर्म छोड़नेका साहम भी कुछ आया।

जजीवारमें एक सप्ताह रहना था। इसलिए एक मवान किराये का लेकर मैं महरमें रहा। खूब धूम-फिरकर महरको देखा। जजीवारकी हरिपाली-

की कल्पना सिर्फ मलावारमे ही हो सकती है। वहाके विजाल वृक्ष, गडे-गडे फल इत्यादि देखकर मैं तो चकित रह गया।

जजीवारसे भोजाविक और वहासे लगभग मईके अंतमें नेटाल पहुचा।

७

कुछ अनुभव

नेटालका बदर यो तो डरबन कहलाता है, पर नेटालको भी बदर कहते हैं। मुझे बदरपर लिबाने अब्दुल्ला सेठ आये थे। जहाज धक्केपर आया। नेटालके जो लोग जहाजपर अपने मित्रोको लेने आये थे, उनके रग-ढगको देखकर मैं समझ गया कि यहा हिंदुस्तानियोका विशेष आदर नहीं। अब्दुल्ला सेठकी जान-महचानके लोग उनके साथ जैसा बरताय करते थे उसमें एक प्रकारकी झुठता दिखाई देती थी, और वह मुझे चुभ रही थी। अब्दुल्ला सेठ इस फजीहतके आदी हो गये थे। मुझपर जिनकी नजर पडती जाती वे मुझे कुत्तहलसे देखते थे, क्योंकि मेरा लिबास ऐसा था कि मैं दूसरे भारतवासियोसे कुछ निराला मालूम होता था। उस समय फ्राक कोट आदि पहने था और सिरपर बगाली ढगकी पगडी दिये था।

मुझे घर लिबा ले गये। वहा अब्दुल्ला सेठके कमरेके पासका कमरा मुझे दिया गया। अभी वह मुझे नहीं समझ पाये थे, मैं भी उन्हे नहीं समझ पाया था। उनके भाईकी दी हुई चिट्ठी उन्होने पढी और बेचारे पसोपेगमे पड गये। उन्होने तो समझ लिया कि भाईने तो यह सफेद हाथी घर बघवा दिया। मेरा साहवी ठाट-बाट उन्हे बडा खर्चीला मालूम हुआ, क्योंकि मेरे लिए उस समय उनके यहा कोई खास काम तो था नहीं। मामला उनका चल रहा था ट्रांसवालमें। यो तुरत ही वहा भेजकर वह क्या करते? फिर यह भी एक सबाल था कि मेरी काबलियत और ईमानदारीका विश्वास भी किस हदतक किया जाय? और प्रिटोरियामें खुद मेरे साथ वह रह नहीं सकते थे। मुद्दाले प्रिटोरियामें रहने थे। कहीं उनका बुरा असर मुझपर होने लगे तो? और यदि वह मामलेका काम मुझे न दे तो और काम तो उनके कर्मचारी मुझमे भी अच्छा कर सकते थे। फिर कर्मचारीमे यदि भूल हो जाय, तो कुछ कह-सुन भी सकते थे, मुझे तो कहनेने

भी रहे । काम या तो कारकुनीका या या मुकदमेका— तीसरा था नहीं । ऐसी हालतमें यदि मुकदमेका काम मुझे नहीं सौंपते हैं तो घर बैठे मेरा खर्च उठाना पड़ता था ।

अबुल्ला सेठ पढ़े-लिखे धहुत कम थे । अक्षर-ज्ञान कम था, पर अनुभव-ज्ञान बहुत बढ़ा-बढ़ा था । उनकी बुद्धि तेज थी, और वह खुद भी इस बातको जानते थे । रफतसे अंग्रेजी इतनी जान ली थी कि बोलचालका काम चला लेते । परन्तु इतनी अंग्रेजी के बलपर वह अपना सारा काम निकाल लेते थे । बैंकमें मैनेजरोंसे बातें कर लेते, यूरोपियन व्यापारियोंमें सौदा कर लेते, बकीलोकों अपना मामला समझा देते । हिंदुस्तानियोंमें उनका काफी मान था । उनकी पेढी उस समय हिंदुस्तानियोंमें सबसे बड़ी नहीं थी, बड़ी पेटियोंमें अवश्य थी । उनका स्वभाव वही भी था ।

वह इस्लामका बड़ा अभिमान रखते थे । नत्वज्ञानकी बातेंकि शौकीन थे । अरबी नहीं जानते थे । फिर भी कुरान-अरीफ तथा आमतौरपर इस्लामी-धर्म-साहित्यकी वाकफियत उन्हें अच्छी थी । दृष्टांत तो जवानपर हाजिर रहते थे । उनके सहवाससे मुझे इस्लामका अच्छा व्यावहारिक ज्ञान हुआ । जब हम एक-दूसरेको जान-पहचान गये, तब वह मेरे साथ बहुत धर्म-चर्चा किया करते ।

दूसरे या तीसरे दिन मुझे दरबन अदालत दिखाने ले गये । यहाँ कितने ही लोगोंमें परिचय कराया । अदालतमें अपने वकीलके पास मुझे बिठाया । मजिस्ट्रेट मेरे मुहूर्ती घोर देखता रहा । उसने कहा— “अपनी पगडी उतार लो ।” मैंने इन्कार किया और अदालतसे बाहर चला आया ।

मेरे नमीबमे तो यहाँ भी लड़ाई लिकी थी ।

पगडी उतरवानेका रहस्य मुझे अबुल्ला सेठने समझाया । मुसलमानी लिबाम पहननेवाला अपनी मुसलमानी पगडी यहाँ पहन सकता है । दूसरे भारत-वासियोंको अदालतमें जाते हुए अपनी पगडी उतार लेनी चाहिए ।

इस सूक्ष्म-भेदको नमस्नानेके लिए यहाँ कुछ बातें विस्तारके साथ लिखनी होगी ।

मैंने इन दो-तीन दिनोंमें ही यहाँ देख लिया था कि हिंदुस्तानियोंने यहाँ अपने-अपने गिरोह बना लिये थे । एक गिरोह था मुसलमान व्यापारियोंका—

वे अपनेको 'अरब' कहते थे। दूसरा गिरोह था हिंदू या पारसी कारकुन-मेशा लोगोंका। हिंदू-कारकुन अघरमें नटकता था। कोई अपनेको 'अरब'में शामिल कर लेता। पारसी अपनेको परशियन कहते। तीनों एक-दूसरेमें सामाजिक सबब तो रखते थे। एक चौथा और बड़ा समूह था तामिल, तेलगू और उत्तरी भारतके गिरमिटिया अथवा गिरमिटयुक्त भारतीयोंका। गिरमिट 'एग्रिमेट' का विगडा हुआ रूप है। इसका अर्थ है इकरारनामा, जिसके द्वारा गरीब हिंदुस्तानी पाच सालकी मजुरी करनेकी शर्तपर नेटाल जाते थे। गिरमिटसे गिरमिटिया बना है। इस समुदायके साथ औरोका व्यवहार काम-सबधी ही रहता था। इन गिरमिटियोंको अग्रेज कुली कहते। कुलीकी जगह 'सामी' भी कहने। सामी एक प्रत्यय है, जो बहुतेरे तामिल नामोंके अंतमें लगता है। 'सामी'का अर्थ है स्वामी। स्वामीका अर्थ हुआ पति। अतएव 'सामी' शब्दपर जब कोई भारतीय विगड़ पडता, और यदि उसकी हिम्मत पडी, तो उस अग्रेजसे कहता— 'तुम मुझे सामी तो कहते हो, पर जानते हो सामी के माने क्या होते हैं ? सामी 'पति' को कहते हैं, क्या मैं तुम्हारा पति हूँ ?' यह सुनकर कोई अग्रेज अरमिदा हो जाता, कोई खीझ उठता और ज्यादा गालिया देने लगता और मौका पडे ता मार भी बैठता, क्योंकि उनके नजदीक तो 'सामी' शब्द घुषा-मूचक होता था— उसका अर्थ 'पति' करना मानो उसका अपमान करना था।

इस कारण मुझे वे कुली-बैरिस्टर कहते। व्यापारी कुली-व्यापारी कहलाते। कुलीका मूल अर्थ 'मजूर' तो एक और रह गया। व्यापारी 'कुली' शब्दसे चिढ़कर कहता— 'मैं कुली नहीं, मैं तो अरब हूँ, अथवा 'मैं व्यापारी हूँ।' कोई-कोई विनयशील अग्रेज यह सुनकर माफी माग लेते।

ऐसी स्थितिमें पगडी पहननेका सवाल विकट हो गया। पगडी उतार देनेका अर्थ था मान-भंग सहन करना। सो मैंने तो यह तरकीब सोची कि हिंदुस्तानी पगडीको उतारकर अग्रेजी टोप पहना कर, जिससे उसे उतारनेमें मान-भंगका भी सवाल न रह जाय और मैं इस क्षणसे भी बच जाऊँ।

पर अन्दुल्ला सेठको यह तरकीब पसंद न हुई। उन्होंने कहा— "यदि आप इस समय ऐसा परिवर्तन करेंगे तो उमका उलटा अर्थ होगा। जो लोग देशी पगडी पहने रहना चाहते होंगे उनकी स्थिति विपम हो जायगी। फिर

आपके सिरपर अपने ही देवकी पगड़ी जोभा देती है। प्राप यदि अंग्रेजी टोपी लगावेंगे तो लोग 'वेटर' समझेंगे।”

इन वचनोंमें दुनियावी समझदारी थी, देशाभिमान था, और कुछ सकुचितता भी थी। समझदागी तो स्पष्ट ही है। देशाभिमानके बिना पगड़ी पहननेका आग्रह नहीं हो सकता था। सकुचितनाके बिना 'वेटर' की उपमा न सूझती। गिरमिटिया भारतीयोंमें हिंदू, मुसलमान और ईसाई तीन विभाग थे। जो गिरमिटिया ईसाई हो गये, उनकी सतति ईसाई थी। १८९३ ई०में भी उनकी सप्या बढी थी। वे सब अंग्रेजी लिबासमें रहते। उनका अच्छा हिस्सा होटलमें नौकरी करके जीविका उपार्जन करता। उमी समुदायको लक्ष्य करके अंग्रेजी टोपीपर अब्दुल्ला सेठने यह टीका की थी। उसके अदर वह भाव था कि होटलमें 'वेटर' बनकर रहना हलका काम है। आज भी यह विश्वास वृत्तोंके मनमें फायम है।

कुल मिलाकर अब्दुल्ला सेठकी बात मुझं अच्छी मालूम हुई। मैंने पगड़ी-बाली घटनापर पगड़ीका तथा अपने पक्षका समर्थन अखबारोंमें किया। अखबारोंमें उनपर न्यूज चर्चा चली। 'गनवेलकम विजिटर'—अनचाहा अतिथि—के नामसे मेरा नाम अखबारोंमें आया, और तीन ही चार दिनोंके अदर अगायास ही दक्षिण प्रकीर्णमें मेरी म्याति हो गई। किनीने मेरा पक्ष-समर्थन किया, किनीने मेरी गुन्नाखीकी भरपेट निंदा की।

मेरी पगड़ी तो लगभग अतक कायम रही। वह कब उतरी, यह बात हमें अतिम भागमें मालूम होगी।

८

प्रिटोरिया जाते हुए

डरबनमें रहनेवाले ईसाई भागनीयोंके मरणमें भी मैं तुरत आ गया वहाँकी प्रदालनके दुभापिया थी पाल रोमन ऊँथोलिक व। उनसे परिचय बिय प्री प्रोटेस्टेंट मिशनके मिशक: स्वर्गीय श्री मुभान गाइके में भी मुलाकात की। उन्हेंके पुत्र जेम्स गाइके मिशक नाम यहाँके दक्षिण अफ्रीकाके भागनीय प्रतिनिधि-

मडलमे आये थे । इन्ही दिनों स्वर्गीय पारसी रुस्तमजीसे जान-पहचान हुई । और इसी समय स्वर्गीय आदमजी मियाखानसे परिचय हुआ । ये सब लोग आपसमें बिना काम एक-दूसरेसे न मिलते थे । अब इसके बाद वे मिलने-जुलने लगे ।

इस तरह मैं परिचय बढा रहा था कि इसी बीच दूकानके वकीलका पत्र मिला कि मुकदमेकी तैयारी होनी चाहिए तथा या तो अब्दुल्ला सेठको खुद प्रिटोरिया जाना चाहिए अथवा दूसरे किसीको वहा भेजना चाहिए ।

यह पत्र अब्दुल्ला सेठने मुझे दिखाया और पूछा— “आप प्रिटोरिया जायगे ? ” मैंने कहा— “मुझे मामला समझा दीजिए तो कह सकू । अभी तो मैं नहीं जानता कि वहा क्या करना होगा । ” उन्होने अपने गुमास्तोके जिम्मे मामला समझानेका काम किया ।

मैंने देखा कि मुझे तो अ-आ-इ-ईमें शुरुआत करनी होगी । जजीवारमें उतरकर वहाकी अदालत देखनेके लिए गया था । एक पारसी वकील किमी गवाहका बयान ले रहा था और जमानामेके सवाल पूछ रहा था । मुझे जमानामेकी कुछ खबर न पडती थी, क्योंकि वहीखाता न तो स्कूलमें सीखा था और न विलायतमें ।

मैंने देखा कि इस मुकदमेका तो दारोमदार वहीखातोपर है । जिने वहीखातेका ज्ञान हो वही मामलेको समझ-समझा सकता है । गुमास्ता जमानामेकी बातें करता था और मैं चक्करमें पडता चला जाता था । मैं नहीं जानता था कि पी चोट क्या चीज होती है । कोषमें यह शब्द नहीं मिलता । मैंने गुमास्तोके सामने अपना अज्ञान प्रकट किया और उनसे जाना कि पी नोटका भयं है प्राभिसरी नोट । अब मैंने वहीखातेकी पुस्तक सरीदकर पढी । तब जाकर कुछ आत्म-विश्वास हुआ और मामला समझमें आया । मैंने देखा कि अब्दुल्ला सेठ नामा लिखना नहीं जानते, पर अनुभव-ज्ञान उनका इतना बढा-बढा था कि नामेकी उलझने चटपट सुलझाते जाते । अतको मैंने उनसे कहा— “मैं प्रिटोरिया जानेके लिए तैयार हू । ”

“आप ठहरेगे कहा ? ” सेठने पूछा ।

“जहा आप कहेंगे । ” मैंने उत्तर दिया ।

“तो मैं अपने वकीलको लिखूंगा। वह आपके ठहरनेका इतजाम कर देंगे। त्रिटोरियामें मेरे मेमन नित्र हैं। उन्हें भी मैं लिखूंगा तो, पर आपका उनके यहां ठहरना उचित न होगा। वहां अपने प्रतिपक्षीकी पहुंच बहुत है। आपको मैं जो नानगी चिट्ठिया लिखंगा वह यदि उनमेंमें कोई पट ले तो अपना सारा मामला बिगड़ सकता है। उनके साथ जितना कम संभव हो उतना ही अच्छा।”

मैंने कहा— “आपके वकील जहां ठहरावेंगे वही रहूंगा। भयबा मैं कोई दूसरा मकान ले लूंगा। आप बेफिक्र रहिए, आपकी एक भी खानगी बात बाहर न जायगी। पर मैं मिलता-जुलता चलने रहूंगा। मैं तो दूसरे पक्षवालोंसे भी मित्रता करना चाहता हूँ। यदि हो सकेगा तो मैं मामलेको आपसमें भी निपटाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप्रि तरब मेठ हूँ तो आपके ही रिस्तेदार न।”

प्रतिवादी स्वर्ण सेठ तैयब हाजी खाननुहम्मद अब्दुल्ला मेठके नजदीकी रिस्तेदार थे।

मैंने देखा मेरी इस वतने अब्दुल्ला मेठ कुछ चींके, पर अब मुझे डरवान पहुंचे छ-नात दिन हो गये थे और हम एक-दूसरेको जानने सम्झने भी लगे थे। अब मैं ‘सफेद हाथी’ प्राय नहीं रह गया था। वह थोड़े—

“हा.. या आ, यदि सम्झौता हो जाय तो उससे बटकर उम्दा बात क्या हो सकती? पर हम तो आपसमें रिस्तेदार हैं, इसलिए एक-दूसरेको अच्छी तरह जानते हैं। तैयब सेठ आमानीमें मान लेनेवाले घस्त्र नहीं हैं। हम यदि भोले-भाले बनकर रहें तो वह हमारे पेटकी बात निकालकर पीछेसे फसा मारेंगे। ऐसी हालतमें आप जो कुछ करें बहुत सोच-नमस्कर होगियारीसे करें।”

“आप बिलकुल चिंता न करें। मुकदमेकी बात तो तैयब सेठ क्या, किनीसे भी क्यों करने लया? पर यदि दोनो आपसमें समझ लें तो वकीलोंके घर न भरने पड़ेंगे।”

साठवें या आठवें दिन मैं डरवानसे रवाना हुआ। मेरे लिए पहले दरजेका टिकट लिया गया। सोनेकी जगहके लिए वहां ५ सिलिंगका एक अलहवा टिकट लेना पड़ता था। अब्दुल्ला मेठने आग्रहके साथ कहा कि सोनेका टिकट ले लो,

पर मैंने कुछ तो हठमें, कुछ मदमें, और कुछ ५ निर्निग वचानेकी नीयतमें इन्वार कर दिया ।

अबुल्ला मेठने मुझे चेताया— “ देखना यह मूलक और है, हिदुम्नान नही । खुदाकी मेहरवानी है, आप पैमे का स्यान न करना, अपने आगमना सब इतजाम कर लेना । ”

मैंने उन्हे वन्यवाद दिया और कहा कि आप मेरी चिता न कीजिए । नेटालकी राजधानी मेरित्सवर्गमें ट्रेन कोई ९ घंजे पहुंची । यहा सोनेवालोको विछौने दिये जाते थे । एक रेलवेके नौकरने आकर पूछा— “ आप विछौना चाहते है । ”

मैंने कहा— “ मेरे पास एक विछौना है । ”

वह चला गया । इस बीच एक यात्री आया । उसने मेरी ओर देखा । मुझे ‘ काला आदमी ’ देखकर चकराया । बाहर गया और एक-दो कर्मचारियोको लेकर आया । किसीने मुझसे कुछ न कहा । अंतको एक अफसर आया । उमने कहा— “ चलो, तुमको हमरे डिब्बेमें जाना होगा । ”

मैंने कहा— “ पर मेरे पास पहले दरजेका टिकट है । ”

उसने उत्तर दिया— “ परवा नही, मैं तुमसे कहता हू कि तुम्हे आखिरी डिब्बेमे बैठना होगा । ”

“ मैं कहता हू कि मैं डरवनमे इसी डिब्बेमें ठिठाया गया हू और इसीमें जाना चाहता हू । ”

अफसर बोला— “ यह नही हो सकता । तुम्हे उतरना होगा, नहीं तो सिपाही आकर उतार देगा । ”

मैंने कहा— “ तो अच्छा, सिपाही आकर भले ही मुझे उतारे मैं अपने-आप न उतरगा । ”

सिपाही आया । उनने हाथ पकडा और घना भार धर मुझे नीचे गिरा दिया । मेरा सामान नीचे उतार लिया । मैंने हमरे डिब्बेमें जाने से जन्गार किया । गाडी चल दी । मैं वेटिंग-रूममे जा बैठा । इंद्रिये अपने साथ न्यना । हमरे सामानको मैंने हाथ न लगाया । रेलवेचालोने सामान वही रखा दिया ।

मीमम जाड़ेका था । दक्षिण अफरीतामें ऊंची जगहोंपर बडे जंगल

जाडा पडता है। मेरिल्लवर्ग ऊचाईपर था—इससे खूब जाडा लगा। मेरा ओवरकोट मेरे सामानमे रह गया था। सामान भागनेकी हिम्मत न पड़ी कि कहीं फिर वेडज्जती न हो। जाडेमें सिकुडता और ठिठुरता रहा। कमरेमें रोघनी न थी। आधी रातके समय एक मुसाफिर आया। ऐसा जान पड़ा मानो वह कुछ बात करना चाहता हो, पर मेरे मनकी हाजत ऐसी न थी कि बातें करता।

मैंने सोचा, मेरा कर्तव्य क्या है। या तो मुझे अपने हकोंके लिए लड़ना चाहिए, या चापस लीट जाना चाहिए। अथवा जो वेडज्जती हो रही है, उसे वर्दाशत करके प्रिटोरिया पहुँचू और मुकदमेका काम खतम करके देस चला जाऊँ। मुकदमेको अचूरा छोडकर भाग जाना तो कायरता होगी। मुझपर जो-कुछ बीत रही है वह तो ऊपरी चोट है—वह तो भीतरके महारोगका एक बाह्य लक्षण है। यह महारोग है रग-द्वेष। यदि इन गहरी बीमारीको उखाड़ फेंकनेका सामर्थ्य हो तो उनका उपयोग करना चाहिए। उसके लिए जो-कुछ कष्ट और दुःख महन करना पड़े, महना चाहिए। इन अन्यायोका विरोध उसी हदतक करना चाहिए, जिस हदतक उनका मवध रग-द्वेष दूर करनेसे हो।

ऐसा मकल्प करके मैंने जिम तरह हो दूसरी गाडीसे भाग जानेका निश्चय किया।

मुबह मैंने जनरल मैनेजरको तार-द्वारा एक लबी भिकायत लिख भेजी। दादा अब्दुल्लाको भी समाचार भेजे। अब्दुल्ला सेठ तुरत जनरल मैनेजरसे मिले। जनरल मैनेजरने अपने आदर्भयोका पत्र तो लिया, पर कहा कि मैंने स्टेशन मान्टरको लिख दिया है कि गाडीको बिना खरखगा अपने मुकामपर पहुँचा दो। अब्दुल्ला नेठने मेरिल्लवर्गके हिंदू व्यापारियोको भी मुझसे मिलने तथा मेरा प्रवच करनेके लिए तार दिये तथा दूसरे स्टेशनोपर भी ऐसे तार दे दिये। इससे व्यापारी लोग स्टेशनपर मुझने मिलने आये। उन्होंने अपनेपर होनेवाले अन्यायोका जिक्र मुझने किया और कहा कि आपपर जो-कुछ बीता है वह कोई नई बात नहीं। पहले-दूसरे दरजेमें जो हिंदुस्तानी नफर करते हैं उन्हें क्या कर्मचारी और क्या मुसाफिर दोनों मताने हैं। मारा दिन इन्ही बातोंके सुननेमें गया। रात हुई, गाडी आई। मेरे लिए जगह तैयार थी। डरवनमें सोनेके लिए जिम टिकटको लेनेसे इन्कार किया था, वही मेरिल्लवर्ग में लिया। ट्रेन मुझे चार्ल्सटाउन ले चली।

और कपट

चार्ल्सटाउन ट्रेन सुबह पहुंचती है। चार्ल्सटाउनसे जोहान्सबर्ग तक पहुंचनेके लिए उस समय ट्रेन न थी। घोड़ागाड़ी थी और बीचमें एक रात स्टैंडरटन-में रहना पड़ता था। मेरे पास घोड़ागाड़ीका टिकट था। मेरे एक दिन पिछड़ जानेसे यह टिकट रद्द न होता था। फिर अब्दुल्ला सेठने चार्ल्सटाउनके घोड़ागाड़ी-वालेको तार भी दे दिया था। पर उमे तो वहाना बनाना था। इसलिए मुझे एक अनजान आदमी समझकर उसने कहा—‘तुम्हारा टिकट रद्द हो गया है।’ मैंने उचित उत्तर दिया। यह कहनेका कि टिकट रद्द हो गया है, कारण तो और ही था। मुसाफिर सब घोड़ागाड़ीके अदर बैठते हैं। पर मैं समझा जाता था ‘कुली’, और अनजान मालूम होना था, इसलिए घोड़ागाड़ीवालेकी यह नीयत थी कि मुझे गोरे मुसाफिरोके साथ न बैठाना पड़े तो अच्छा। घोड़ागाड़ीमें बाहरकी तरफ, अर्थात् हाकनेवालेके पास, दाये-बायें दो बैठके थी। उनमें से एक बैठक पर घोड़ागाड़ी कंपनीका एक अफसर गोरा बैठना। वह अदर बैठा और मुझे हाकनेवालेके पास बैठाया। मैं ममझ गया कि यह बिलकुल अन्याय है, अपमान है। परतु मैंने इसे धी जाना उचित ममझा। मैं जबरदस्ती तो अदर बैठ नहीं सकता था। यदि झगडा छेड़ लू तो घोड़ागाड़ी चल दे और फिर मुझे एक दिन देर हो, और दूसरे दिनका हाल परमात्मा ही जाने। इसलिए मैंने समझदारी से काम लिया और बाहर ही बैठ गया। मनमें तो बडा खीश रहा था।

कोई तीन बजे घोड़ागाड़ी पारडीकोप पहुंची। उस वक्त गोरे अफसरको मेरी जगह बैठनेकी इच्छा हुई। उसे सिगरेट पीना था। शायद खुली हवा भी खानी हो। सो उसने एक मैला-सा बोरा हाकनेवालेके पासमें लिया और पैर रखनेके तख्तेपर बिछाकर मुझसे कहा—“सामी, तू यहा बैठ, मैं हाकनेवालेके पास बैठूंगा।” इस अपमानको सहन करना मेरे सामर्थ्यके बाहर था, इसलिए मैंने डरते-डरते उसमें कहा—“तुमने मुझे जो यहा बैठाया, सो इम अपमानको तो मैंने सहन कर लिया। मेरी जगह तो धी अदर, पर तुमने अदर बैठकर मुझे

यहां बैठाया, अब तुम्हारा दिल बाहर बैठनेको हुआ, तुम्हें निगरेट पीना है, इसलिए तुम मुझे अपने पैरोंके पास बिठाना चाहते हो। मैं चाहे अदर चला जाऊं, पर तुम्हारे पैरोंके पास बैठनेको तैयार नहीं।'

यह मैं जिन्हीं तरह कह ही रहा था कि मुझपर घप्पड़ोंकी बर्षा होने लगी और मेरे हाथ पकड़कर वह नीचे खींचने लगा। मैंने बैठकके पास लगे पीतलके नीलबोको ओरसे पकड़े रक्खा, और निश्चय कर लिया कि कलाई टूट जानेपर नी नीलबे न छोड़ूंगा। मुझपर जो-कुछ बोन रही थी, वह अदरबाले यात्री देख रहे थे। वह मुझे गालिया दे रहा था, खींच रहा था और मार भी रहा था; फिर भी मैं चुप था। वह तो था बलवान और मैं बलहीन। कुछ मुसाफिरोको दया आई और किन्हींने कहा—'अजी, बेचारेको बहा बैठने क्यों नहीं देते? जिन्हूत उने क्यों पीतते हो? वह ठीक तो रहता है। बहा नहीं तो उले हमारे पास अदर बैठने दो।' वह बोन उठा—'हरगिज नहीं।' पर जरा सिटपिटा जरूर गया। पीटना छोड़ दिया मेरा हाथ भी छोड़ दिया। हा, दो चार गालिया अलवत्ता और दे डालीं। फिर एक हाटेंटाट नौकरको, जो दूसरी तरफ बैठा था, अपने पांवके पास बैठाया और आप खुद बाहर बैठा। मुसाफिर अदर बैठे। नीटी बर्षा और घोडागाड़ी चली। मेरी छानी बक्-बक् कर रही थी। मुझे भय था कि मैं जीते-जी मुकाम पर पहुंच सकूंगा या नहीं। गौरा मेरी ओर ख्योरी चटाकर देखता रहता। अगुलीका इशारा करके बकता रहा—'याद रख, स्टैंडरटन तो पहुंचने दे, फिर तुम नजा चलाजंगा।' मैं चुप कावकर बैठा रहा और ईश्वरने सहायताके लिए प्रार्थना करना रहा।

रात हुई। स्टैंडरटन पहुंचे। जितने ही हिंदुस्तानियोंके चेहरे देखे। कुछ तत्पत्नी हुई। नीचे उतरते ही हिंदुस्तानियोंने कहा—'हम आपको ईना सेठकी दुकानपर ले जानेके लिए खडे हैं। दादा अब्दुल्लाका तार मारा था।' मुझे बडा हर्ष हुआ। उनके नाथ नेठ ईना हाजी नुमारकी दुकानपर गया। नेठ तथा उनके भुमाएने मेरे आस-पाम जमा हो गये। मुझपर जो-जो बीती-मंने रहू नुवाई। नुनकर उन्हें बडा दु ख हुआ। अपने कड़ेवे अनुभव मुना-मुनाकर मुझे आश्चर्यमन देने लगे। मैं चाहता था कि घोडागाड़ी-रूपनीके एजेंटको अपनी दांती मुना दूं। मैंने उन्हें चिढ़ाई निखीं। उन गोरेने जो धमकी दी थी, सो भी

लिख दी और मैंने यह भी आश्वासन चाहा कि कल मुझे दूसरे यात्रियोंके साथ अदर विठायी जाय। एजेंटने मुझे सदेखा भेजा—'स्टैंडरटनसे बड़ी घोडागाड़ी जाती है, और हाकनेवाले आदिकी बदली होती है। जिस घरसकी शिकायत भापने की है, वह कल उसपर न रहेगा। आपको दूसरे यात्रियोंके साथ ही जगह मिलेगी।' इस बातसे मुझे कुछ राहत मिली। उस गोरेपर दावा-फर्याद करनेकी तो मेरी इच्छा ही न थी, इसलिए वह पिटाईका प्रकरण यही खतम हो गया। सुबह ईसा सेठके आदमी मुझे घोडागाड़ीपर ले गये। अच्छी जगह मिली। दिना क्रिसी दिक्कतके रातको जोहान्सबर्ग पहुंचा।

स्टैंडरटन छोटा-सा गाव था। जोहान्सबर्ग भारी शहर। वहा भी अब्दुल्ला सेठने तार तो दे दिया था। मुझे मुहम्मद कासिम कमरुद्दीनकी दुकानका पता-ठिकाना लिख दिया था। उनका आदमी घोडागाड़ीके ठहरनेकी जगह नो आया था, पर न मैंने उसे देखा, न वही मुझे पहचान सका। मैंने होटलमें जानेका इरादा किया। दो-चार होटलके नाम-पते पूछ लिये थे। गाड़ीको ग्रैंड नेशनल होटलमे ले चलनेके लिए कहा। वहा पहुंचते ही मैंनेजरके पास गया। जगह मागी। मैंनेजरने मुझे नीचेमे ऊपरतक देखा। फिर छिप्टाचार और सौजन्यके साथ कहा—“मुझे अफ़स है, तमाम कमरे भरे हुए हैं।” और मुझे विदा किया। तब मैंने गाड़ीवालेसे कहा—“मुहम्मद कासिम कमरुद्दीनकी दुकानपर ले चलो।” बहा तो अब्दुलगनी सेठ मेरी राह ही देख रहे थे। उन्होंने मेरा स्वागत किया। मैंने होटलमें वीती कह सुनाई। वह एकवारगी हस पड़े। “भला होटलमें वह हमे ठहरने देंगे।”

मैंने पूछा—“क्यो?”

“यह तो आप तब जानेगे, जब कुछ दिन यहा रह लेंगे। इस देशमें तो हम ही रह सकते हैं। क्योकि हमें रुपया पैदा करना है, इसलिए बहुतेरे अपमान सहन करते हैं, और पडे हुए हैं।” यह कहकर उन्होंने ट्रासवालमें होनेवाले कष्टो और अन्यायोका इतिहास कह सुनाया।

इन अब्दुलगनी सेठका परिचय हमें आगे चलकर अधिक करना पड़ेगा। उन्होंने कहा—“यह मुल्क आपके जैसे लोगोंके लिए नहीं है। देखिए न, आपको कल प्रिटोरिया जाना है। उसमें तो आपको तीसरे ही दरजेवे जगह मिलेगी।

ट्रासवालमें नेटालसे ज्यादा कष्ट है। यहाँ तो हमारे लोगोको दूसरे और पहले दरजेके टिकट बिलकुल देते ही नहीं।”

मैंने कहा—“आप लोगोने इसके लिए पूरी कोशिश न की होगी।”

अब्दुलगनी सेठ बोले—“हमने लिखा-पढी तो शुरू की है, पर हमारे बहुतेरे लोग तो पहले-दूसरे दरजेमें बैठनेकी इच्छा भी क्यों करने लगे ?”

मैंने रेलवेके कायदे-कानून मगाकर देखे। उनमें कुछ गुजाइश दिखाई दी। ट्रासवालके पुराने कानून-कायदे वारीकीके साथ नहीं बनाये जाते थे। फिर रेलवेके कानूनोका तो पूछना ही क्या ?

मैंने सेठसे कहा—“मैं तो फर्स्ट क्लासमें ही जाऊँगा। और यदि इस तरह न जा सका तो फिर प्रिटोरिया यहाँसे सैंतीस ही मील तो है। घोडागाड़ी करके चला जाऊँगा।”

अब्दुलगनी सेठने इस बात की ओर मेरा ध्यान खींचा कि उसमें कितना तो खर्च लगेगा और कितना समय जायगा। पर अतको उन्होंने मेरी बात मान ली और स्टेशन-मास्टरको चिट्ठी लिखी। पत्रमें उन्होंने लिखा कि मैं बैरिस्टर हूँ, हमेंगा पहले दरजेमें सफर करता हूँ। तुरत प्रिटोरिया पहुँचनेकी ओर उनका ध्यान दिलाया और उन्हें लिखा कि पत्रके उत्तरकी राह देखनेके लिए समय न रह जायगा, अतएव मैं खुद ही स्टेशनपर इसका जवाब लेने आऊँगा और पहले दरजेका टिकट भिन्ननेकी आशा रखूँगा। ऐसी चिट्ठी लिखानेमें मेरी एक ममनहत्त थी। मैंने सोचा कि लिखित उत्तर स्टेशन-मास्टर 'ना' ही दे देगा। फिर उसने 'कुली' बैरिस्टरके रहन-सहनकी पूरी कल्पना न हो सकेगी। इसलिए यदि मैं सोलहो आना अग्रेजी वेध-नूपामे उसके सामने जाकर खड़ा हो जाऊँगा और उनमें बात करूँगा तो वह समझ जायगा और मुझे टिकट दे देगा। इसलिए मैं फ़ारु कोट, नेक्टाई इत्यादि उठकर स्टेशन पहुँचा। स्टेशन मास्टर के सामने निम्नी निकालकर रफनी और पहले दरजेका टिकट मागा।

उसने कहा—“आपने ही वह चिट्ठी लिखी है ?”

मैंने कहा—“जी हाँ। मैं बड़ा मुझ दौऊँगा, यदि आप मुझे टिकट दे देंगे। मुझ आज ही प्रिटोरिया पहुँच जाना चाहिए।”

स्टेशन मास्टर टमा। उगे ग्या आर्ट। बोना—“मैं द्रामवानर नहीं

हूँ, हार्लंडर हूँ। आपके मनोभावको समझ सकता हूँ। आपके साथ मेरी सहानुभूति है। मैं आपको टिकट दे देना चाहता हूँ। पर एक शर्त है—यदि रास्तेमें आपकी गाड़ें उतार दे और तीसरे दरजेमें बिठा दे तो आप मुझे धिक न करे, अर्थात् रेलवे-कंपनीपर दावा न करे। मैं चाहता हूँ कि आपकी यात्रा निर्विघ्न समाप्त हो। मैं देख रहा हूँ कि आप एक भले आदमी हैं।” यह कहकर उसने टिकट दे दिया। मैंने उसे धन्यवाद दिया और अपनी तरफसे निश्चित किया। अब्दुलगनी सेठ पहुचाने आये थे। इस कौतुकको देखकर उन्हें हर्ष हुआ, आश्चर्य भी हुआ, पर मुझे चेताया—“प्रिटोरिया राजी-सुशी पहुच गये तो समझना गंगा-पार हुए। मुझे डर है कि गाड़ें आपको पहले दरजेमें आरामसे न बैठने देगा, और उसने बैठने दिया तो मुसाफिर न बैठने देंगे।”

मैं पहले दरजेके डिब्बेमें जा बैठा। ट्रेन चली। जर्मिस्टन पहुचनेपर गाड़ें टिकट देखनेके लिए निकला। मुझे देखते ही झल्ला उठा। अगुलीसे इशारा करके कहा—“तीसरे दरजेमें जा बैठ।” मैंने अपना पहले दरजेका टिकट दिखाया। उसने कहा—“इसकी परवा नही, चला जा तीसरे दरजेमें।”

इस डिब्बेमें मिर्फ एक अग्रज यात्री था। उसने उस गाड़ेंको डाटा—“तुम इनको क्यों सताते हो? देखते नही, इनके पास पहले दरजेका टिकट है? मुझे इनके बैठनेमें जरा भी कष्ट नही।” यह कहकर उसने मेरी ओर देखा और कहा—“आप तो आरामसे बैठे रहिए।”

गाड़ें गुनगुनाया—‘तुझे कुलीके पास बैठना हो तो बैठ, मेरा क्या विगडता है।’ और चलता बना।

रातको कोई ८ बजे ट्रेन प्रिटोरिया पहुची।

प्रिटोरियामें पहला दिन

मैंने आगा रक्खी थी कि प्रिटोरिया स्टेशनपर दादा अब्दुल्लाके वकीलकी तरफमें कोई-न-कोई आदमी मुझे मिलेगा। मैं यह तो जानता था कि कोई हिंदुस्तानी तो मुझे लिबाने आवेगा नही, क्योंकि किमी भी भारतीयके यहां न ठहरनेका

आनपचन नन दिया था। वकीलने किमी भी आदमीको स्टेशनपर नहीं भेजा। पीछे मुझे मालूम हुआ कि जिन दिन मैं पहुँचा, रविवार था। और वह बिना असुविधा उठाये उस दिन किसीको न भेज सकते थे। मैं असमजसमे पड़ा। कहा जाऊ ? मुझे भय था कि होटलमें कहीं जगह मिलनेकी नहीं। १८९३का प्रिटोरिया स्टेशन १९१६के प्रिटोरिया स्टेशनसे भिन्न था। मद-मद बत्तिया जल रही थी। मुसाफिर भी बहुत न थे। मैंने सोचा कि जब सब यात्री चले जायेंगे तब अपना टिकट टिकट-कलेक्टरको दूँगा और उससे किसी मामूली होटल अथवा मकानका पना पूछ लूँगा, अन्यथा स्टेशनपर ही पडकर रात काट दूँगा। इतनी पूछताछ करनेको जी न होता था, क्योंकि अपमानित होनेका भय था। आखिर स्टेशन खाली हुआ। मैंने टिकट कलेक्टरको टिकट देकर पूछ-ताछ प्रारम्भ की। उसने विनय-पूर्वक उत्तर दिये। पर मैंने देखा कि उससे अधिक सहायता न मिल सकती थी। उसके नजदीक एक अमेरिकन हवशी खड़ा था। वह मुझसे बातें करने लगा—‘मालूम होता है, आप विलकुल अनजान हैं और यहाँ आपका कोई साथी नहीं है। आइए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक छोट-से होटलमें ले चलता हूँ। उनका मालिक अमेरिकन है और उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं समझता हूँ वह आपको जगह दे देगा।’ मुझे कुछ शक तो हुआ, पर मैंने उसे धन्यवाद दिया और उसके साथ जाना स्वीकार किया। वह मुझे जान्स्टनके फेमिली होटलमें ले गया। पहले उसने मि० जान्स्टनको एक ओर ले जाकर कुछ बातचीत की। मि० जान्स्टनने मुझे एक रातके लिए जगह देना मजूर किया—वह भी इस गर्तपर कि मेरा खाना मेरे कमरेमें पहुँचा दिया जायगा।

“मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं तो काले-गोरका भेदभाव नहीं रखता, पर मेरे ग्राहक सब गोरें लोग ही हैं। यदि मैं आपको भोजनालयमें ही भोजन कराऊँ तो मेरे ग्राहकोको आपत्ति होगी और शायद मेरी गाहकी टूट जाय।” मि० जान्स्टनने कहा।

मैंने उत्तर दिया—“मैं तो यह भी आपका उपकार समझता हूँ, जो आपने एक रातके लिए भी रहनेका स्थान दिया। इस देशकी हालतसे मैं कुछ-कुछ वाकिफ हो गया हूँ। आपकी कठिनाई मैं समझ मरूँगा हूँ। आप मुझे खुशीने मेरे कमरेमें खाना भिजवा दीजिएगा। कृपया तो मैं दूँगरा प्रवचन करने की आशा

करता हूँ ।”

कमरा मिला । अदर गया । एकांत मिलते ही भोजनकी राह देखता हुआ विचारोमें लीन हो गया । इस होटलमें अधिक मुसाफिर नहीं रहते थे । थोड़ी ही देर में वेटरको भोजन लाते हुए देखनेके बजाय मि० जान्स्टनको देखा । उन्होंने कहा—“मैंने आपसे यह कहा तो कि खाना यही मिजवा दूंगा, पर बादको मुझे शर्म मालूम हुई । इसलिए मैंने अपने ग्राहकोसे आपके सबधमें बातचीत की और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भोजनालयमें आकर आपके भोजन करनेमें हमें कोई ऐतराज नहीं है । इसलिए आप चाहे तो भोजनशालामें आकर भोजन करें और जबतक चाहे यहाँ रहे ।”

मैंने दुबारा उनका उपकार माना, भोजनशालामें खाने गया और आरामसे भोजन किया ।

दूसरे दिन सुबह वकीलके यहाँ गया । उनका नाम था ए० डबल्यु० बेकर । उनसे मिला । अल्बुल्ला सेठने उनका थोड़ा-बहुत परिचय दे रक्खा था, इसलिए उनकी पहली मुलाकातसे मुझे कुछ आश्चर्य न हुआ । वह मुझसे बड़ी अच्छी तरह मिले और मुझसे अपना हाल-चाल पूछा, जो मैंने उन्हें बता दिया । उन्होंने कहा—“बैरिस्टरकी हैसियतसे तो आपका यहाँ कुछ भी उपयोग न हो सकेगा । हमने अच्छे-से-अच्छे बैरिस्टर इस मामलेमें कर लिये हैं । मुकदमा मुहत्तक चलेगा और उसमें कई गुत्थियाँ हैं । इसलिए आपसे तो मैं इतना काम ले सकूँगा कि आवश्यक वाकफियत वगैरा मुझे मिल जाय । हाँ, हमारे मर्चण्टिलसे पत्रव्यवहार करना अब आसान हो जायगा । और जो बातें मुझे जाननी होगी वे आपके मार्फत उनसे मँगाई जा सकेगी, यह लाभ जरूर है । आपके लिए मकान तो मैंने अबतक नहीं खोजा है । सोचा था कि आपसे मिल लेनेके बाद ही खोजना ठीक होगा । यहाँ रग-भेद जबरदस्त है । इसलिए घर मिलना आसान भी नहीं है; परंतु एक बाईको मैं जानता हूँ । वह गरीब है । मदियारेकी औरत है । मैं समझता हूँ, वह आपको अपने रखा रहने देगी । उसे भी कुछ मिल जायगा । चलो वही चले ।”

यह कहकर यह मुझे वहाँ ले गये । मि० बेकरने पड़ले बाईके माथ अकेलेमें बातचीत की । उसने मुझे अपने यहाँ ठिकाना स्वीकार किया । ३५ शिल्लिंग

प्रति सप्ताह देना ठहरा ।

मि० वेकर वकील और साथ ही कट्टर पादरी भी थे । अभी वह मौजूद है । अब तो सिर्फ पादरीका ही काम करते हैं । वकालत छोड़ दी है । स्वा-पीकर मुन्वी है । अबतक मूँझसे चिट्ठी-पत्री करते रहते हैं । चिट्ठी-पत्रीका विषय एक ही होना है । ईसाई-धर्मकी उत्तमताकी चर्चा वह भिन्न-भिन्न रूपमें अपने पत्रोंमें किया करते हैं, और यह प्रतिपादन करते हैं कि ईसायतीहको ईश्वरका एकमात्र पुत्र तारनहार माने बिना परम शांति कभी नहीं मिल सकती ।

हमारी पहली ही मुलाक़ानमें मि० वेकरने धर्म-सवधी मेरी मनोदशा जान ली । मैंने उनसे कहा— “जन्मत मैं हिंदू हूँ; पर मुझे उस धर्मका विशेष पान नहीं । दूसरे धर्मोंका ज्ञान भी कम है । मैं कक्षा हूँ, मुझे क्या मानना चाहिए, यह सब नहीं जानता । अपने धर्मका गहरा अध्ययन करना चाहता हूँ । दूसरे धर्मोंका भी जयाघानि अध्ययन करनेका विचार है ।”

यह सब सुनकर मि० वेकर प्रसन्न हुए और मुझमें कहा— “मैं खुद दक्षिण अफ़्रीका जनरल मिशन का एक डाइरेक्टर हूँ । मैंने अपने खर्चसे एक गिरजा बनाया है । उनमें मैं समय-समयपर धर्म-सुवधी व्याख्यान दिया करता हूँ । मैं रंग-भेद नहीं मानता । मेरे साथ और लोग भी काम करनेवाले हैं । हमेशा एक बच्चे हम कुछ नमयके लिए मिलते हैं और आत्माकी शांति तथा प्रकाश (ज्ञानके उदय)के लिए प्रार्थना करने हैं । उसमें आप आया करेंगे तो मुझे खुशी होगी । वहाँ अपने साथियोंका भी परिचय आपसे कराऊंगा । वे सब आपसे मिलकर प्रसन्न होंगे, और मुझे विश्वास है कि आपको भी उनका समागम प्रिय होगा । आपको कुछ धर्म-पुस्तकें भी मैं पढ़नेके लिए दूंगा । परंतु सच्ची पुस्तक तो बाइबिल ही है । मैं बात तौरपर सिफारिश करता हूँ कि आप इसे पढ़ें ।”

मैंने मि० वेकरको धन्यवाद दिया और कहा कि जहातक ही सकेगा आपके मडलमें एक बच्चे प्रार्थनाके लिए आया करूंगा ।

“तो जिन एक बच्चे आप यही आइएगा, हम साथ ही प्रार्थना-मदिर चलेंगे ।”

और हम अपने-अपने म्यानोंको बिदा हुए । अधिक विचार करनेकी फुरसत मुझे न थी । मिस्टर जान्स्टनके पाम गया । विल चुकाया । नये घर गया और

वही भोजन किया। मकान-मालकिन भलीमानुस थी। उसने मेरे लिए अन्न-भोजन तैयार किया था। इस जुटुवके साथ हिलमिल जानेमें मुझे समय न लगा। खा-पीकर मैं दादा अब्दुल्लाके उन मित्रसे मिलने गया, जिनके नाम उन्होंने पत्र दिया था। उनसे परिचय किया। उनसे हिंदुस्तानियोंके कष्टोका और हाल मालूम हुआ। उन्होंने मुझे अपने यहाँ रहनेका आग्रह किया। मैंने उनको धन्यवाद दिया और अपने लिए जो प्रवच हो गया था उसका हाल सुनाया। उन्होंने जोर देकर मुझसे कहा कि जिस किसी बातकी जरूरत हो, मुझे खबर कीजिएगा।

शाम हुई। खाना खाया और अपने कमरेमें जाकर विचारके भवरमें जा गिरा। मैंने देखा कि अभी हाल तो मेरे लिए कोई काम नहीं है। अब्दुल्ला सेठकी खबर की। मि० बेकर जो मित्रता बढ़ा रहे हैं इसका क्या अर्थ है? इनके धर्म-वधुओंके द्वारा मुझे कितना ज्ञान प्राप्त होगा? ईसाई-धर्मका अध्ययन मैं किस हदतक करूँ? हिंदू-धर्मका साहित्य कहासे प्राप्त करूँ? उमें जाने बिना ईसाई-धर्मका स्वरूप मैं कैसे समझ सकूँगा? मैं एक ही निर्णय कर पाया। जो चीज मेरे सामने आ जाय उसका अध्ययन मैं निष्पक्ष रहकर करूँ और बेकरके समुदायको जिस समय ईश्वर जो बुद्धि दे वह उत्तर दे दिया करूँ। जबतक मैं अपने धर्मका ज्ञान पूरा-पूरा न कर सकूँ तबतक मुझे दूसरे धर्मको अंगीकार करनेका विचार न करना चाहिए। यह विचार करते-करते मुझे नीद आ गई।

११

ईसाइयोसे परिचय

दूसरे दिन एक बजे मैं मि० बेकरके प्रार्थना-समाजमें गया। बहा कुमारी हैरिस, कुमारी गेव, मि० कोट्स आदिसे परिचय हुआ। सबने घुटने टेककर प्रार्थना की। मैंने भी उनका अनुकरण किया। प्रार्थनामें जिसका जो मन चाहता, ईश्वरसे मागता। दिन शान्तिके साथ बीते, ईश्वर हमारे हृदयके द्वार खोलो, इत्यादि प्रार्थना होती। उस दिन मेरे लिए भी प्रार्थना की गई। 'हमारे साथ जो यह नया भाई आया है, उसे तू राह दिखाना। तूने जो शक्ति हमें प्रदान की है वह इसे भी देना। जिस ईसामसीहने हमें मुक्त किया है, वह इसे भी मुक्त करे।

यह सब हम ईशामामीहके नामपर भागते है ।' इम प्रार्थनामें 'व्रजन-कीर्तन न होते । किसी विशेष बातकी याचना ईश्वरसे करके अपने-अपने घर चले जाते । यह समय सबके दोपहरके भोजनका होता था, इसलिए सब इस तरह प्रार्थना करके भोजन करने चले जाते । प्रार्थनामें पाच मिनटमें अधिक समय न लगता ।

कुमारी हैरिस और कुमारी गेवकी अवस्था प्रौढ थी । मि० कोट्स क्वेकर थे । ये दोनो महिलायें साथ रहती । उन्होने मुझे हर रविवारको ४ बजे चाय पीनेके लिए अपने यहा आमंत्रित किया । मि० कोट्स जब मिलते तब हर रविवारको उन्हें मैं अपना साप्ताहिक धार्मिक-रोजनामचा सुनाता । मैंने कौन-कौन-सी पुस्तकें पढी, उनका क्या असर मेरे दिलपर हुआ, इसकी चर्चा होती । ये कुमारिकायें अपने भीठे अनुभव सुनाती और अपनेको मिली परम-शांतिकी बातें करती ।

मि० कोट्स एक शुद्ध भाववाले कट्टर युवक क्वेकर थे । उनसे मेरा घनिष्ठ मवध हो गया । हम बहुत बार साथ घूमने भी जाते । वह मुझे दूसरे भाइयोंके यहा ले जाते ।

कोट्सने मुझे किताबोंसे नाद दिया । ज्यो-ज्यो वह मुझे पहचानते जाते त्यो-त्यो जो पुस्तके उन्हें ठीक मालूम होती, मुझे पढनेके लिए देते । मैंने भी केवल श्रद्धाके वशीभूत होकर उन्हें पढना मजूर किया । इन पुस्तकोपर हम चर्चा भी करते ।

ऐसी पुस्तकें मैंने '१८९३में बहुत पढी । अब सबके नाम मुझे याद नहीं रहे हैं । कुछ ये थी—मिटी टेंपलवाले डा० पारकरकी टीका, पियर्सनकी 'मेनी इनफॉलिवल प्रूफ्स', वटलर कृत 'एनेमाजी' इत्यादि । कितनी ही बातें समझमें न आती, कितनी ही पसन्द आती, कितनी ही न आती । यह सब मैं कोट्ससे कहता । 'मेनी इनफॉलिवल प्रूफ्स' के आनी है 'बहुतसे दृढ प्रमाण', अर्थात् बाइबलमें रचयिताने जिस धर्मका अनुभव किया उसके प्रमाण । इस पुस्तकका असर मुझपर विलकुल न हुआ । पारकरकी टीका नीतिवर्द्धक मानी जा सकती है, परतु वह उन लोगोंकी सहायता नहीं कर सकती जिन्हे ईसाई-धर्मकी प्रचलित धारणाओंपर मदेह है । वटलरकी 'एनेमाजी' बहुत क्लिष्ट और गभीर मालूम हुई । उमे पाच-सात बार पढना चाहिए । वह नास्तिक को आस्तिक बनानेके लिए लिखी गई मालूम हुई । उमें ईश्वरके अस्तित्वको सिद्ध करनेके लिए जो युक्तिया

दी गई हैं, उनसे मुझे लाभ न हुआ, क्योंकि यह मेरी नामितकताका युग न था, और जो युक्तिया ईसामसीहके अद्वितीय अवतारके सवधमें ग्रथवा उसके मनुष्य और ईश्वरके बीच सधि-कर्त्ता होनेके विषयमें दी गई थी, उनकी भी छाप मेरे दिलपर न पड़ी ।

पर कोट्स पीछे हटनेवाले आदमी न थे । उनके स्नेहकी सीमा न थी । उन्होंने मेरे गलेमें वेषणव-कठी देखी । उन्हें यह वहम मालूम हुआ, और देखकर दुःख हुआ । “यह अव-विश्वास तुम जैसे को शोभा नहीं देता । लाभो तोड़ दू ।”

“यह कठी तोड़ी नहीं जा सकती । माताजीकी प्रसादी है ।”

“पर तुम्हारा इसपर विश्वास है ?”

“मैं इसका गूढार्थ नहीं जानता । यह भी नहीं भासित होता कि यदि इसे न पहनू तो कोई अनिष्ट हो जायगा । परंतु जो माला मुझे माताजीने प्रेमपूर्वक पहनाई है, जिसे पहनानेमें उसने मेरा श्रेय माना, उसे मैं बिना प्रयोजन नहीं निकाल सकता । समय पाकर जीर्ण होकर जब यह अपने आप टूट जायगी तब दूसरी भगाकर पहननेका लोभ मुझे न रहेगा, पर इमे नहीं तोड़ सकता ।”

कोट्स मेरी इस दलीलकी कद्र न कर सके, क्योंकि उन्हें तो मेरे धर्मके प्रति ही अनास्था थी । वह तो मुझे अज्ञान-रूपसे उबारनेकी आशा रखते थे । वह मुझे इतना बताना चाहते थे कि अन्य धर्मोंमें थोडा-बहुत सत्याश भले ही हो, परंतु पूर्ण सत्य-रूप ईसाई-धर्मको स्वीकार किये बिना मोक्ष नहीं मिल सकता, और ईसामसीहकी मध्यस्थताके बिना पाप-प्रसालन नहीं हो सकता, तथा सारे पुण्य कर्म निरर्थक हैं । कोट्सने जिस प्रकार पुस्तकामे परिचय कराया उसी प्रकार उन ईसाइयोसे भी कराया, जिन्हें वह कष्टर समझते थे । इनमे एक प्लीमथ ब्रदर्सका भी परिवार था ।

‘प्लीमथ ब्रदरन्’ नामक एक ईसाई-संप्रदाय है । कोट्सके कराये बहुतेरे परिचय मुझे अच्छे मालूम हुए । एसा जान पडा कि वे लोग ईश्वर-भीरवें; परंतु इस परिवारवालोंने मेरे सामने यह दलील पेश की—“हमारे धर्मकी खूबी ही तुम नहीं समझ सकते । तुम्हारी दातोसे हम देखते हैं कि तुम हमेगा बात-बातमें अपनी भूलोंका विचार करते हो, हमेगा उन्हें मुघारना पडना है, न सुघरें तो उनके लिए प्रायश्चित्त करना पडता है । इस क्रियाकाडमे तुम्हें मुक्ति

कब मिल सकती है ? तुमको शांति तो मिल ही नहीं सकती । हम पापी हैं, यह तो आप कबूल ही करते हैं । अब देखो हमारे धर्म-मन्तव्यकी परिपूर्णाता । वह कहता है मनुष्यका प्रयत्न व्यर्थ है । फिर भी उसे मुक्तिकी तो जरूरत है ही । ऐसी दशामें पापका दोष उसके सिरसे उतरेगा किस तरह ? इसकी तरकीब यह कि हम उससे ईसामसीह पर ढो देते हैं, क्योंकि वह तो ईश्वरका एकमात्र निष्पाप पुत्र है । उसका वरदान है कि जो मुझे मानता है वह सब पापोंसे छूट जाता है । ईश्वरकी यह अग्राह्य उदारता है । ईसामसीहकी इस मुक्ति-यौबनाको हमने स्वीकार किया है, इसलिए हमारे पाप हमें नहीं लगते । पाप तो मनुष्यसे होते ही हैं । इस जगत्में बिना पापके कोई कैसे रह सकता है ? इसलिए ईसामसीह ने सारे ससारके पापोंका प्रायश्चित्त एकबारगी कर लिया । उसके इस वरदानपर जिसकी श्रद्धा हो वही शांति प्राप्त कर सकता है । कहा तुम्हागी शांति और नही हमारी शांति । ”

यह दलील मुझे बिलकुल न जची । मैंने नम्रता-पूर्वक उत्तर दिया—
“ यदि सर्वमान्य ईसाई-धर्म यही हो, जैसाकि आपने बयान किया है, तो इसमें मेरा काम नहीं चल सकता । मैं पापके परिणामसे मुक्ति नहीं चाहता, मैं तो पाप-प्रवृत्तिसे, पाप-कर्मसे मुक्ति चाहता हूँ । जबतक वह न मिलेगी, मेरी अर्गानी मुझे प्रिय लगेगी । ”

प्लीमथ बदरने उत्तर दिया— “ मैं तुमको निश्चयसे कहता हूँ कि तुम्हाग यह प्रयत्न व्यर्थ है । मेरी बातपर फिरसे विचार करना । ”

और उन महाशयने जैसा कहा था वंसा ही कर भी दिखाया—जल बुझाने बुझ नाम कर दिखाया ।

परन्तु समाप्त ईसाइयोंकी मान्यता ऐसी नहीं होती, यह बात तो मे इन्से गन्धर्व होनेके पहले भी जान चुका था । कोट्स खुद पाप-भीरु थे । उनका धर्म निर्मम था, वह इहम-भुदियों समाधानपर विद्वान् रहते थे । वे इन्हें भी धर्मके विपत्तकी था । जो-जो धर्मके मेरे हाथ आई उनमें कितनी ही भक्ति-पूर्ण थी, अन्तिम प्लीमथ अर्गानी परिवर्तने कोट्सकी जो चिन्ता हुई थी उसे मैंने दूर कर दिया और वे विद्वान् विद्वान् प्लीमथ बदरनेकी अनुचित धारणा के कारणपर मैं अपने ईसाईयमके विचार करनेकी गमन बन्द करूँगा । मेरी कठिनाइयों

तथा उसके रूढ अर्थके सर्वधर्म थी ।

१२

भारतीयोंसे परिचय

ईसाइयोंके परिचयोंके सबधमें और अधिक लिखनेके पहले उन्ही दिनों हुए अन्य अनुभवोंका वर्णन करना आवश्यक है ।

नेटालमें जो स्थान दादा अब्दुल्लाका था, वही प्रिटोरियामें बैठ तैयब हाजी खानमुहम्मदका था । उनके बिना बहा एक भी सार्वजनिक काम नहीं हो सकता था । उनमें मैंने पहले ही सप्ताहमें परिचय कर लिया । प्रिटोरियाके प्रत्येक भारतीयके सपर्कमें आनेका अपना विचार मैंने उनपर प्रकट किया । भारतीयोंकी स्थितिका निरीक्षण करनेकी अपनी इच्छा उनपर प्रदर्शित करके इम कार्यमें उनकी सहायता भागी । उन्होंने खुशीसे सहायता देना स्वीकार किया ।

पहला काम जो मैंने किया, वह था समस्त भारतीयोंकी एक सभा करना, जिसमें उनके सामने बहाकी स्थितिका चित्र रक्खा जाय । सेठ हाजी मुहम्मद हाजी जिसके यहा, जिनके नाम मुझे परिचय-पत्र मिला था, सभा की गई । उनमें प्रधानत मेमन व्यापारी शरीक हुए थे । कुछ हिंदू भी थे । प्रिटोरियामें हिंदुओंकी आवादी बहुत कम थी ।

जीवनमें मेरा यह पहला भाषण था । मैंने तैयारी ठीक की थी । मुझे 'सत्य' पर बोलना था । व्यापारियोंके मूहसे मैं सुनता आया था कि व्यापारमें सच्चाईमें काम नहीं चल सकता । उस समय मैं यह बात नहीं मानता था । आज भी नहीं मानता हूँ । व्यापार और सत्य दोनों एकसाथ नहीं चल सकते, ऐसा कहनेवाले व्यापारी मित्र आज भी मौजूद हैं । वे व्यापारको व्यवहार कहते हैं, सत्यको धर्म कहते हैं और युक्ति पेश करते हैं कि व्यवहार एक चीज है और धर्म दूसरी । व्यवहारमें शुद्ध सत्यसे काम नहीं चल सकता । वे मानते हैं कि उसमें तो यथासक्ति ही सत्य बोला और बरता जा सकता है । मैंने अपने भाषणमें इस बातका प्रबल विरोध किया और व्यापारियोंको उनके दुहरे कर्तव्यका स्मरण दिलाया । मैंने कहा—“ विदेशमें आनेके कारण आपकी जवाबदेही देहासे अधिक

बड़ गई है, क्योंकि मुठ्ठी भर हिंदुस्तानियोंके रहन-सहनसे लोग करोड़ों भारत-वासियोंका अंदाजा लगाते हैं।”

मैंने देखा लिया था कि अंग्रेजोंके रहन-सहनके मुकाबलेमें हिंदुस्तानी गंदे रहने हैं और उनको मैंने यह त्रुटि दिखाई।

हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई अथवा गुजराती, मदरासी, पंजानी, सिंधी, कच्छी, सूरती इत्यादि नेदोंको भुला देने पर जोर दिया। और अंतको यह सूचित किया कि एक मडलकी न्यायना करके भारतीयोंके कष्टों और दुःखोंका इलाज अधिकारियोंसे मिलकर, प्रायश्चा-भ्रत आदिके द्वारा, करना चाहिए। और अपनी तरफसे यह कहा कि इसके लिए मुझे जितना समय मिल सकेगा बिना वेतन देता रहूंगा।

मैंने देखा कि समापर इसका अच्छा असर हुआ।

चर्चा हुई। कितनोने ही कहा कि हम हकीकतें ला-आकर देंगे। मुझे हिम्मत आई। मैंने देखा कि समामें अंग्रेजी जाननेवाले कम थे। मुझे लगा कि ऐसे प्रदेशमें यदि अंग्रेजीका ज्ञान अधिक हो तो अच्छा, इसलिए मैंने कहा कि जिन्हें फुर्त हो उन्हें अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए। बड़ी उन्नतमें भी चाहे तो पढ सकते हैं, यह कहकर उन लोगोंकी मिसालें दी जिन्होंने प्रौढावस्थामें पढ़ा था। कहा कि यदि कुछ लोग या एक वर्ग जितने लोग पढ़ना चाहें तो मैं पढ़ानेको तैयार हूँ। वर्ग तो निकला परंतु तीन शब्द अपनी सुविधासे व उनके घर जाकर पढाऊ तो पढ़नेके लिए तैयार हुए। इनमें दो मुसलमान थे, एक नाई था और एक था कारकुन। एक हिंदू छोटा-सा दुकानदार था। मैं सबकी सुविधाके अनुकूल हुआ। अपनी पढ़ानेकी योग्यता और क्षमताके सबबमें तो मुझे अविश्वास था ही नहीं। मेरे शिष्य भले ही थक गये हों, पर मैं न थका। कभी उनके घर जाता तो उन्हें फुरतन नहीं रहती। मैंने धीरज न छोड़ा। किसीको अंग्रेजीका पठित तो होना ही न था, परंतु दो विद्यार्थियोंने कोई आठ मासमें अच्छी प्रगति कर ली। दोनोंने धर्मात्मिक तथा चिन्तनीय सिखनेका ज्ञान प्राप्त कर लिया। नाईको तो इतना ही पढ़ना था कि वह अपने ग्राहकोंमें बातचीत कर सके। दो आदमी इन पढ़ाईकी बदौलत ठीक बर्तानेका भी सामर्थ्य प्राप्त कर सके।

समाने परिणामसे मुझे संतोष हुआ। ऐसी सभा हर मास अथवा हर

सप्ताह करनेका निश्चय हुआ ।

न्यूनाधिक नियमित रूपमें यह सभा होती तथा विचार-विनिमय होता । इसके फलस्वरूप प्रिटोरियामें शायद ही कोई ऐसा भारतवासी होगा, जिसे मैं पहचानना न होऊँ या जिसकी स्थितिसे वाकिफ न होऊँ । भारतीयोंकी स्थितिकी ऐसी जानकारी प्राप्त कर लेनेका परिणाम यह हुआ कि मुझे प्रिटोरिया-स्थित ब्रिटिश एजेंटसे परिचय करनेकी इच्छा हुई । मैं मि० जेकोब्स डिबेटसे मिला । उनके मनोभाव हिंदुस्तानियोंकी और थे । पर उनकी पहुँच कम थी । फिर भी उन्होंने भ्रमक सहायता करनेका आश्वासन दिया और कहा—“जब जरूरत हो तो मिल लिया करो ।” रेलवे-अधिकारियोंमें लिखा-पढी की और उन्हें दिखाया कि उन्हींके कायदोंके अनुसार हिंदुस्तानियोंकी धानामें रोक-टोक नहीं हो सकती । उसके उत्तरमें यह पत्र मिला कि साफ-सुथरे और अच्छे कपड़े पहननेवाले भारतवासियोंको ऊपर दरजेके टिकट दिये जायेंगे । इसमें पूरी सुविधा तो न हुई, क्योंकि अच्छे कपड़ोंका निर्णय तो आखिर स्टेशनमास्टर ही करता न ?

ब्रिटिश एजेंटने मुझे हिंदुस्तानियोंसे सबध रखनेवाली चिट्ठियाँ दिखाईं । तबव सेठने भी ऐसे पत्र दिये । उनसे मैंने जाना कि आरेज फ्री स्टेटसे हिंदुस्तानियोंके पैर किस प्रकार निर्दयतामें उखाड़े गये । संक्षेपमें कहूँ तो प्रिटोरियामें मैं भारतवासियोंकी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थितिका गहरा अध्ययन कर सका । मुझे इस समय यह विलकुल पता न था कि यह अध्ययन आगे चलकर बड़ा काम आवेगा, क्योंकि मैं तो एक साल बाद अथवा मामला जल्दी तय हो जाय तो उसके पहले देन चला जानेवाला था ।

पर ईश्वरने कुछ और ही मोचा था ।

१३

कुलीपनका अनुभव

ट्रांसवाल तथा आरेज फ्री स्टेटके भारतीयोंकी दशाका पूरा चित्र देनेका यह स्थान नहीं । उनके लिए पाठकोंको 'दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहका इतिहास' पढ़ना चाहिए, परन्तु उसकी रूप-रेखा यहाँ दे देना आवश्यक है ।

भारत की स्टेम १८८२ ईस्वीमें अथवा उसके पहले एक कानून बनाकर भारतीयोंके तमाम अधिकार छीन लिये गये थे। निर्फं होटलमें 'वेटर' बनकर रहनेकी आज्ञा दी भारतीयोंको रह गई थी। जो भारतीय व्यापारी वहा थे उन्हें नाम-मात्रके लिए मुआवजा देकर वहासे हटा दिया गया। उन्होंने प्रार्थना-ग्रन्थ इत्यादि तो भेजे-भिजाये, पर नकारखाने में तूतीकी आवाज कौन सुनता।

दूसरा कानून १८८५में सख्त कानून बना। १८८६में उनमें कुछ सुधार हुआ, जिनके फलस्वरूप यह नियम बना कि तमाम हिंदुस्तानी प्रवेश-फीसके तौरपर ३ पाँच दे। जमीनकी मालिकी भी उन्हें उन्हीं जगहोंमें मिल सकती है, जो उनके लिए खास तौरपर बतलाई जाय। पर वास्तवमें तो किसीको मालिकी मिली न थी, और मताधिकार भी किसीको कुछ न था। ये ती कानून ऐसे थे, जिनका सबब एशियावासियोंमें था, पन्तु जो कानून ध्यामवर्षोंके लोगोंके लिए थे वे भी एशियावासियोंपर लागू होते थे। उसके अनुसार भारतवर्षी फुटपाथपर अधिकान्पूर्वक न चल सकते थे, रातको नौ बजेके बाद बिना परवानेके बाहर न निकल सकते थे। इस अतिम कानूनका अमल भारतवासियोंपर कहीं कम होता, कहीं ज्यादा। जो अरब कहलाते थे, उसपर बतौर मेहरबानीके यह कानून लागू न भी किया जाता, पर यह बात थी पुलिसकी भरीजपर अवलंबित।

अब मुझे यह देखना था कि इन दोनों कानूनोंका अमल खुद मेरे साथ किस तरह होता है। मि० कोर्टके साथ मैं बहुत बार घूमनेके लिए जाता। घर पहुँचते कभी बस भी बज जाते। ऐसी अवस्थामें यह आशांका रहा करती कि कहीं मुझे पुलिस पकड़ न ले। पर मेरी अपेक्षा यह भय कोर्टकी अधिक था, क्योंकि अपने हथियारोंको तो परवाने वही देते थे। पर मुझे कैसे दे सकते थे? मालिकको परवाना देनेका अधिकार सिर्फ नौकरके ही लिए था। यदि मैं लेना चाहूँ और कोर्ट देनेको तैयार हो तो भी वह नहीं दे सकते थे, क्योंकि ऐसा करना दगा समझा जाता।

इस कारण मुझे कोर्ट अथवा उनके कोई मित्र वहाके सरकारी बकील डा० ब्राउजेके पास ले गये। हम दोनों एक ही 'इन' के वैरिस्टर निकले। यह बात कि मुझे नौ बजेके बाद रातको परवाना लेनेकी जरूरत है, उन्हें बड़ी नागवार मात्तुम हुई। उन्होंने मेरे साथ नमवेदना प्रदर्शित की। मुझे परवाना

देनेके बदले अपनी तरफसे एक पत्र दे दिया। उसका आशय यह था कि मैं कहीं भी किसी समय चला जाऊँ तो पुंलस मुझे रोक-टोक न करे। हमेशा मैं इस पत्रको अपने साथ रखता। उसका उपयोग तो किसी दिन भी न करना पडा, पर इसे एक दैव-योग ही समझना चाहिए।

डा० क्राउजने मुझे अपने घर चलनेका निमंत्रण दिया। हम दोनोंमे खासी मित्रता-सी हो गई। कभी-कभी मैं उनके घर जाने लगा। उनके द्वारा उनके अधिक प्रख्यात भाईसे मेरा परिचय हुआ। वह जोहान्सबर्गमे पब्लिक प्रासीक्यूटर थे। उनपर बोअर-युद्धके समय अग्रज अधिकारीका खून करनेकी साजिशका अभियोग लगाया गया था और उन्हें सात साल कैदकी सजा भी मिली थी। बेंचरोने उनकी सनद भी छीन ली थी। लडाई खतम होनेके बाद, डा० क्राउज जेलसे छूटे, और फिर सम्मान-सहित ट्रासवालकी अदालतमें बकालत करने लगे। इन परिचयोसे मुझे बादको सार्वजनिक कार्योंमे खासा लाभ मिला और मेरा कितना ही सार्वजनिक काम बहुत सुगम हो गया।

फुटपाथपर चलनेका प्रश्न जरा मेरे लिए गभीर परिणामवाला साबित हुआ। मैं हमेशा प्रेसीडेंट-स्ट्रीटमें होकर एक खुले मैदानमे घूमने जाता। इस मुहल्लेमें प्रेसीडेंट क्रूगरका घर था। इस घरमे आडवरका नाम-निशान न था। उसके आस-पास कपाउड तक न था। दूसरे पडोसी घरोंमे और इसमे कुछ फर्क न मालूम देता था। कितने ही लखपतियोंके घर, प्रिटोरियामे, इम घरसे भारी आलीशान और चहारदीवारीवाले थे। प्रेसीडेंटकी सादगी प्रख्यात थी। यह घर किसी राज्याधिकारीका है, इसका अंदाज सिर्फ उस सतरीको देखकर हो सकता था, जो उसके सामने टहलता रहता। मैं इस सतरीके नजदीकसे ही रोज निकला करता, परंतु सतरी मुझे रोक-टोक नहीं करता था। उनकी बदली होती रहती। एक बार एक सतरीने, बिना चिंताये, बिना यह कहे कि फुटपाथसे उतर जाओ, मुझे धक्का मार दिया, लात जमा दी और फुटपाथमे उतार दिया। मैं तो भीचक्का रह गया। ज्योही मैं सतरीसे लात जमानेका कारण पूछता हूँ कि कोट्सने, जो घोड़ेपर सवार होकर उस समय उसी रास्तेसे जा रहे थे, आकर कहा—

“गाधी, मैंने यह सब देख लिया है। तुम यदि मुकदमा चलाना चाहो तो मैं गवाही दूँगा। मुझे बहुत अफसोस होता है कि तुमपर इस प्रकारका हमला

हुआ । मैंने कहा—“ इसमें अफमोस की बात ही क्या है, सतरी बेचारा क्या पहचानना ? उसके नजदीक तो काले-काले सब बराबर । हवगियोंको फुटपाथमें इसी तरह उतारना होगा । इसलिये मुझे भी धक्का मार दिया । मैंने तो अपना यह नियम ही बना लिया है कि मेरे जात खानपर जो भी कुछ बीते, उनके लिए कभी अदालत न जाऊ, इसलिए मुझे इसे अदालतमें नहीं ले जाना है । ”

“ यह तो तुमने अपने स्वभावके अनुसार ही कहा है, पर श्रीर भी विचार कर देखना । ऐसे आदमी को कुछ सबक तो जरूर सिखाना चाहिए । ” यह कहकर उन्होंने उम मसरीको दो-चार बातें कहीं । मैं सारी बातें न समझ सका । मनरी डब था श्रीर डब भाषामें उमके साथ बात-चीत हुई थी । सतरीने मुझसे माफी मागी, मैं तो अपने मनमें उमके माफी पहले ही दे चुका था ।

पर उमके बादमें मैं उस रास्ते जाना छोड़ दिया । दूसरे सतरी इस घटनाको क्या जानते ? मैं अपने-आप जात खाने क्यों जाऊ ? इसलिए मैंने दूसरे रास्ते होकर घूमने जाना पसंद किया । इस घटनेमें बहूँके हिंदुस्तानी निवासियोंके प्रति मेरे मनोभाव श्रीर भी तीव्र कर दिये । उनमें मैंने दो वास्तोकी चर्चा की । एक तो यह कि इन कानूनोंके लिए ब्रिटिश एजेंटसे बात कर ली जाय, श्रीर दूसरी बात यह कि मैंने पर बतौर नमूनेके एक मुकदमा चलाया जाय ।

इस प्रकार मैंने भारतवासियोंके कष्टोंको पष्टकर, सुनकर तथा अनुभव करके अध्ययन किया । मैंने देखा कि आत्म-सम्मानकी रक्षा चाहनेवाले भारत-वासीके लिए, दक्षिण अफ्रिका अनुकूल नहीं । यह दशा कंभे बदली जा सकती है । इन्हींके विचारमें मेरा मन दिन-दिन व्यग्र रहने लगा पर अभी तो मेरा मुख्य धर्म था दादा अच्युतनाके मुरदमेको नम्रालना ।

१४

मुकदमेकी तैयारी

ब्रिटोरियामें मुझे जो एफ वॉप मित्रा, वह मेरे जीवनमें अमूल्य था । पारदर्शनिक काम करनेकी अपनी शक्तिसे मुझे यहा हुआ, मार्बजनिक बेवानो मीमनेका अरमर मिया । धार्मिक भावना नीव होने लगी । श्रीर सम्ची

बकानत भी, कहना चाहिए, मैंने यही सीखी। नया बैरिस्टर पुराने बैरिस्टरके दफ्तरमें रहकर जो सीखता है वह मैं यहा सीख सका। यहा मुझे इस बातपर विश्वास हुआ कि एक वकीलकी हैसियतसे मैं बिलकुल अयोग्य न रहूंगा। वकील होनेकी कुजी भी मेरे हाथ यही आकर लगी।

दादा अब्दुल्लाका मामला छोटा न था। दादा ४०,००० पाँड अर्थात् ६ लाख रुपयेका था। यह व्यापारके सिलसिलेमें था और उसमें जमानामेकी बहुतेरी गुप्तिया थी। उसके कुछ अंशका आधार था प्रामिसरी नोटोपर और कुछका था नोट देनेके वचनका पालन करनेपर। सफाईमें यह कहा जाता था कि प्रामिसरी नोट जालसाजी करके लिये गये थे और पूरा मुआवजा नहीं मिला था। इसमें हकीकतकी तथा कानूनी गुजाइशें बहुतेरी थी। वही-खातेकी उलझनें बहुत थी।

दोनों ओरसे अच्छे-से-अच्छे सालिसिटर और बैरिस्टर खड़े हुए थे। इस कारण मुझे इन दोनोंके कामका अनुभव प्राप्त करनेका बढिया अवसर हाथ आया। मुद्देका मामला सालिसिटरके लिए तैयार करनेका तथा हकीकतको ढूढनेका सारा बोझ मुझीपर था। इससे मुझे यह देखनेका अवसर मिलता था कि मेरे तैयार किये काममेंसे सालिसिटर अपने काममें कितनी बातें लेते हैं और सालिसिटरोंके तैयार किये मामलेमेंसे बैरिस्टर कितनी बातोंको काममें लेते हैं। मैं समझ गया कि इस मामलेको तैयार करनेमें मुझे ग्रहण-शक्ति और व्यवस्था-शक्तिका ठीक अदाजा हो जायगा।

मैंने मुकदमा तैयार करनेमें पूरी-पूरी दिलचस्पी ली। मैं उसमें लवलीन हो गया। आगे-पीछेके तमाम कागज-पत्रोंको पढ डाला। मजकिलके विश्वास और होशियारीकी सीमा न थी। इससे मेरा काम बडा सरल हो गया। मैंने वही-खातोंका सूक्ष्म अध्ययन कर लिया। गुजराती कागजपत्र बहुतेरे थे। उनके अनुवाद भी मैं करता था। इससे उल्था करनेकी क्षमता भी बढी।

मैंने खूब उद्योगमे काम लिया। यद्यपि जैसा कि मैं ऊपर लिख चुका हूँ धार्मिक चर्चा आदिमें तथा सार्वजनिक कामोंमें मेरा दिल खूब लगता था, उनके लिए समय भी देता था, तथापि इस समय मे बातें गौण थी। मुकदमेकी तैयारी को ही मैं प्रधानता देता था। उसके लिए कानून बर्गरा देखनेका अथवा दूसरा

कुछ पठना होना तो उमे में पहले कर लेता । इसके फलस्वरूप मामलेकी असेबी बातोका मुझे इतना ज्ञान हो गया कि खुद मुहूर्द-मुहालेको भी सायद न हो, क्योंकि मेरे पान तो दोनोंके कागजात थे ।

मुझे स्वर्गीय मि० पिकटके शब्द याद आये । उनका समर्थन वादको दक्षिण अफ्रिकाके सुप्रसिद्ध वैरिस्टर स्वर्गीय मि० लैनडने एक अब्मरपर किया था । 'हकीकत तीन-चौथाई कानून है'—यह मि० पिकटका वान्य था । एक मामलेमें मैं जानता था कि न्याय सर्वथा मेरे भविकलके पक्षमें था, परतु कानून उसके खिलाफ जाता हुआ दिखाई पडा । मैं निराश होकर मि० लैनडने ने सहायता लेनेके लिए दौडा । उन्हे भी हकीकतके आधारपर मामला मजबूत मानूम हुआ । वह बोले उठे, "गाधी, मैंने एक बात सीखी है । यदि हकीकतका ज्ञान हमें पूरा-पूरा हो, कानून अपने-आप हमारे अनुकूल हो जायगा । सो हम उन मामलेकी हकीकतको देखें ।" यह कहकर उन्होंने सुझाया कि 'एक बार और हकीकतका खूब मनन कर लो और मुझमें मिलो ।' उसी हकीकतकी फिर छानबीन करते हुए उनका मनन करते हुए, मुझे वह दूसरी तरह दिखाई दी और उससे मवब रचनेवाला दक्षिण अफ्रिकामे हुआ एक पुराना मामला भी हाथ लग गया । मारे खुशीके मैं मि० लैनडके यहा पहुंचा । वह खुश हो उठे और बोले— "बस, अब हम इस मामलेको जीत लेंगे । ब्रेचपर कौन-मे जज होंगे, यह जरा ध्यानमें रखना होगा ।"

जब दादा अब्दुल्लाके मामलेकी तैयारी कर रहा था तब हकीकतकी महिमा में इन दरजेतक न ममक्ष सका था । हकीकतके मानी हैं मत्य बात, सत्य बातपर आरुट रहनेमें कानून अपने-आप हमारी महाबताके लिए अनुकूल हो जाना है ।

मैंने अत-को देख लिया था कि मेरे भविकलका पक्ष बहुत मजबूत है । कानूनको उनकी मददके लिए धाना ही पडेगा ।

पर माय ही मैंने यह भी देखा कि मामला लडते-लडते दोनों रिस्तेदार, एक ही गहरके रहनेवाले, बरवाद हों जायगे । मामलेका अत क्या होगा, यह किसी-को खबर न हो मरनी थी । अदालतमें तो मामला जहानक जी चाहे लडा किया जा मरना है । मवा रचनेमें दोमेंमें रिमीको नाम न था । उन कारण दोनों

पक्षवालोकी इच्छा जल्द थी कि मामला जल्दी तय हो जाय तो अच्छा ।

मैंने तैयब सेठने अनुरोध किया और आपसमें निपटारा कर लेनेकी सलाह दी । मैंने कहा कि आप अपने वकीलसे मिलिए । दोनोंके विश्वासपात्र पचको यदि ये नियुक्त करदे तो मामला जल्दी तय हो सकता है । वकीलको खर्चका बोझा इतना चढ़ रहा था कि उसमें बड़े-बड़े व्यापारी भी खप जाय । दोनो इतनी चिंतासे मुकदमा लड़ रहे थे कि कोई भी बेफिक्रीसे हमारा कोई काम न कर पाते थे, और दोनोमें मनमुटाव जो बढ़ता जाता था सो अलग ही । यह देखकर मेरे मनमें बकालतपर घृणा उत्पन्न हुई । वकीलका तो यह काम ही ठहरा कि एक-दूसरेको जितानेकी कानूनी गुजाइशें ही खोज-खोजकर निकालते रहे । जीतने-वालेको मारा खर्च कमी नहीं मिलता, यह बात मैंने इस मामलेमें पहलेपहल जानी । वकील भवकिलने एक फीस लेता है, और भवकिलको प्रतिवादीसे दूसरी रकम मिलती है । दोनो रकमें जुदा-जुदा होती हैं । मुझे यह सब बड़ा नागवार गुजरा । मेरी अतराल्ताने कहा कि इस समय मेरा धर्म है दोनोमें मित्रता करा देना, दोनो रिश्तेदारोंमें मिलाप करा देना । मैंने समझातेके लिए जी तोड़कर मिहनत की । तैयब सेठने बात मान ली । अतको पच मुकर्रर हुए और मुकदमा चला । उसमें दादा अब्दुल्लाकी जीत हुई ।

पर मुझे इतनेने सतोप न हुआ । यदि पचके फंसलेका अमल एकबारगी हो तो तैयब हाजी खान मुहम्मद इतना रुपया एकाएक न दे सकते थे । दक्षिण अफ्रिका-स्थित पोरबदरके मेमन व्यापारियोंमें एक आपसका अलिखित कायदा था कि खुद चाहे मर जाय, पर दिवाला न निकालें । तैयब सेठ ३७,००० पौड और खर्च एकमुस्त नहीं दे सकते थे । फिर वह एक पाई कम न देना चाहते थे । दिवाला भी नहीं निकालना था । ऐसी दशामें एक ही रास्ता था—दादा अब्दुल्ला उन्हें अदायगीके लिए काफी मियाद दें । दादा अब्दुल्लाने उदारतासे काम लिया और लबी मियाद दे दी । पच मुकर्रर करनेमें जितना श्रम मुझे हुआ उससे कहीं अधिक लबी किस्ते करानेमें हुआ । अतको दोनो पक्ष खुश रहे । दोनोकी प्रतिष्ठा बढी । मेरे सतोषकी तो सीमा न रही । मैंने सच्ची बकालत करना सीखा, मनुष्यके गुण—उज्ज्वल पक्षको खोजना सीखा, मनुष्यके हृदयमें प्रवेश करना सीखा । मैंने देखा कि वकीलका कर्तव्य है, फरीकनमें पडी खाईको पाट देना ।

हमें मुकाम करना पडी थी, क्योंकि मि० बेकरका सब रविवारको सफर न करती था और बीचमें रविवार पड गया था। बीचमें तथा स्टेशनपर मुझे होटलवालेने होटलमें ठहरनेसे तथा चख-चख होनेके बाद ठहरनेपर भी भोजनालयमें भोजन करने देनेसे इन्कार कर दिया, पर मि० बेकर आसानीसे हार माननेवाले न थे। वह होटलमें ठहरनेवालोके हकपर भडे रहे, परतु मैंने उनकी कठिनाइयोका अनुभव किया। वेलिंग्टनमें भी मैं उनके पास ही ठहरा था। वहा उन्हें छोटी-छोटी-सी बातोंमें असुविधा होती थी। वह उन्हें ढाकनेका श्म प्रयत्न करते थे, फिर भी वे मेरे ध्यानमें आ जाया करती थी।

सम्मेलन मे भावुक ईसाइयोका अञ्छा सम्मिलन हुआ। उनकी श्रद्धा देखकर मुझे आनन्द हुआ। मि० मरसे परिचय हुआ। मैंने देखा कि मेरे लिए बहुतैरे लोग प्रार्थना कर रहे थे। उनके कितने ही भजन मुझे बहुत ही मीठे मालूम हुए।

सम्मेलन तीन दिनतक हुआ। सम्मेलनमे सम्मिलित होनेवालोकी धार्मिकताको तो मैं समझ सका, उसकी कद्र भी कर सका, परतु अपनी भान्यता—अपने धर्म—मे परिवर्तन करनेका कारण न दिखाई दिया। मुझे यह न मालूम हुआ कि मैं अपनेको ईसाई कहलानेपर ही स्वर्गको जा सकता हू या मोक्ष पा सकता हू। जब मैंने यह बात अपने भले ईसाई मित्रोंसे कही तब उन्हें दुःख तो हुआ, पर मैं लाचार था।

मेरी कठिनाइया गहरी थी। यह बात कि ईसामसीह ही एकमात्र ईश्वरका पुत्र है, जो उसको मानता है उसीका उद्धार होता है, मुझे न पटी। ईश्वरके यदि कोई पुत्र हो सकता है तो फिर हय सब उसके पुत्र है। ईसामसीह यदि ईश्वरसम हैं, ईश्वर ही हैं, तो मनुष्य-मात्र ईश्वरसम हैं, ईश्वर हो सकते हैं। ईसाकी मृत्युसे और उसके लहसे ससार के पाप धुल जाते हैं, इस बातको अक्षरशः माननेके लिए बुद्धि किसी तरह तैयार न होती थी। रूपकके रूपमें यह सत्य भले ही हो। फिर ईसाई मतके अनुसार तो मनुष्यको ही आत्मा होती है, दूसरे जीवोंको नहीं, और देहके नाशके साथ ही उसका भी सर्वनाश हो जाता है, पर मेरा मन इसके विपरीत था।

ईसाको त्यागी, महात्मा, दैवी शिक्षक मान सकता था, परतु एक अद्वितीय पुरुष नहीं। ईसाकी मृत्युसे मसारको एक भारी उदाहरण मिला, परतु उसकी

मृत्युमें कोई गुहा चमत्कार-अभाव था, इस बातको मेरा हृदय न मान सकता था । ईसाइयोंके पवित्र जीवनमेंने मुझे कोई ऐसी वान न मिली जो दूसरे धर्मवालोंके जीवनमें न मिलनी थी । उनकी तरह हमारे धर्मवानोंके जीवनमें भी परिवर्तन होगा हुआ मैंने देखा था । सिद्धांतकी दृष्टिने ईसाई-निदाताओंमें भुक्षे भ्रूलौकिकता न दिखाई दी । न्यायकी दृष्टिने हिंदू-धर्मवानोंका त्याग मुझे बटकर मान्य हुआ । अतः ईसाई-धर्मको मैं संपूर्ण अथवा सर्वोपरि धर्म न मान सका ।

अपना यह हृदय-मथन मैंने, समय पाकर, ईसाई मित्रोंके सामने रक्खा । उनका जवाब वे मनोपजनक न दे सके ।

परन्तु एक और जहां मैं ईसाई-धर्मको ग्रहण न कर सका वहां हमारी ओर हिंदू-धर्मकी संपूर्णता अथवा सर्वोपरिताका भी निश्चय मैं इस समय तक न कर सका । हिंदू-धर्मकी श्रुतियां मेरी आत्माके मानने घूमा करतीं । अस्पृश्यता यदि हिंदू-धर्मका अंग हो तो वह मुझे सडा हुआ अथवा बडा हुआ मालूम हुआ । अनेक सप्रदायों और जात-पातका अस्तित्व मेरी नमस्त्रमें न आया । वेद ही ईश्वर प्रणीत हैं, इसका क्या अर्थ ? वेद यदि ईश्वर-अणीत हैं, तो फिर कुरान और बाइबिल क्यों नहीं ?

जिस प्रकार ईसाई मित्र मुझपर असर डालनेका उद्योग कर रहे थे, उसी प्रकार मुसलमान मित्र भी कोशिश कर रहे थे । अब्दुल्ला मेठ मुझे इस्लामका अध्ययन करनेके लिए लज्जा रहे थे । उसकी खूबियोंकी चर्चा तो वह हमेशा करते रहते ।

मैंने अपनी दिक्कतें रामचदभाईको लिखीं । हिंदुस्तानमें दूसरे धर्मशास्त्रियोंसे भी पत्र-व्यवहार किया । उनके उत्तर भी आये, परन्तु रामचदभाईके पत्रने मुझे कुछ शांति दी । उन्होंने लिखा कि धीरज रखो, और हिंदू-धर्मका गहरा अध्ययन करो । उनके एक वाक्यका भावार्थ यह था— 'हिंदू-धर्ममें जो सूक्ष्म और गूढ विचार हैं, जो आत्माका निरीक्षण हैं, दया हैं, वह दूसरे धर्ममें नहीं है— निष्पक्ष होकर विचार करते हुए मैं इस परिणामपर पहुंचा हूँ ।'

मैंने मेल-कूट कुरान खरीदी और पटना शुरु किया । दूसरी इस्लामी पुस्तकें भी मगाईं । बिनायतके ईसाई मित्रोंमें लिखा-पत्री की । उनमेंसे एकने एडवर्ड मेटलेंडने जान-पहचान कराई । उनके साथ चिट्ठी-पत्री हुई । उन्होंने

एना किंगसफर्डके साथ मिलकर 'परफेक्ट वे' (उत्तम मार्ग) नामक पुस्तक लिखी थी। वह मुझे पढ़नेके लिए भेजी। प्रचलित ईसाई-धर्मका उसमें खडन था। 'बाइबिलका नवीन ग्रंथ' नामक पुस्तक भी उन्होंने मुझे भेजी। ये पुस्तके मझे पसंद आईं। उनसे हिंदू-मतको पुष्टि मिली। टॉलस्टायकी 'वैकुण्ठ तुम्हारे हृदयमें है' नामक पुस्तकने मुझे मुग्ध कर लिया। उसकी बडी गहरी छाप मुझपर पडी। इस पुस्तककी स्वतंत्र विचार-शैली, उसकी प्रौढ नीति, उसके सत्यके सामने मि० कोट्सकी दी हुई तमाम पुस्तके क्षुष्क मालूम हुईं।

इस प्रकार मेरा यह अध्ययन मुझे ऐसी दिशामें ले गया जिसे ईसाई मित्र नही चाहते थे। एडवर्ड मेटलैबके साथ मेरा पत्र-व्यवहार काफी समयतक रहा। कवि (रायचंद)के साथ तो अत तक रहा। उन्होंने कितनी ही पुस्तकें भेजीं। उन्हें भी पढ गया। उनमें 'पचीकरण', 'मणिरत्नमाला', 'योगवासिष्ठ' का मुमुक्षु-अकरण, हरिभद्र सूरिका 'षड्दर्शन-समुच्चय' इत्यादि थे।

इस प्रकार यद्यपि मैं ऐसे रास्ते चल पडा, जिसका खयाल ईसाई मित्रोंने न किया था, फिर भी उनके समागमने जो धर्म-जिज्ञासा मुझमें जागृत कर दी थी उसके लिए तो मैं उनका चिर-कालीन ऋणी हू। उनसे मेरा यह सबध मुझे हमेशा याद रहेगा। ऐसे मीठे और पवित्र सबध आगे और भी बढ़ते गये, घटे नहीं हैं।

१६

'को जाने कलकी ?'

खबर नाहि इस जुगमें पलकी
मसख मन! 'को जाने कलकी?'

मुकदमा खतम हो जानेके बाद मेरे प्रिटोरियामें रहनेका कोई प्रयोजन न रहा था। सो मैं डरवन गया। वहा जाकर घर (भारतवर्ष) लौटनेकी तैयारी की, पर अब्दुल्ला सेठ भला मुझे आदर-सत्कार किये बिना क्यों जाने देने लगे? उन्होंने सिडनहैममें मेरे लिए खान-भानका एक जलमा क्रिया। सारा दिन उसमें लगनेवाला था।

मेरे पास कितने ही अखवार रखे हुए थे। उन्हें मैं देख नडा था। एक

अखबारके कोनेमें एक छोटी-सी खबर छपी थी—'इंडियन फ्रैंचाइज'। इसका अर्थ हुआ—'हिंदुस्तानी मताधिकार।' खबरका भावार्थ यह था कि नेटालकी धारा-सभाके सभ्योको चुननेका जो अधिकार हिंदुस्तानियोंको था वह छीन लिया जाय। इसके विषयमें एक कानून धारासभामें पेश था और उसपर चर्चा हो रही थी। मैं उस कानूनके बारेमें कुछ न जानता था। जलसेमें किसीको इस मसविसेकी खबर न थी, जोकि भारतीयोंके अधिकारोंको छीननेके लिए तैयार हुआ था।

मैंने अब्दुल्ला सेठसे इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा—“इन बातोंको हम लोग क्या समझें? हमारे तो व्यापारपर अगर कोई आफत आवे तो खबर पड सकती है। देखिए, आरेंज फ्री स्टेटमें हमारे व्यापारकी सारी जड उखड़ गई। उसके लिए हमने कोशिश भी की, पर हम तो ठहरे अपग। अखबार पढते हैं—पर अपने भाव-भावकी बातें ही समझ लेते हैं। कानून-कायदेकी बातोंका हमें क्या पता चले? हमारे आल-कान जो-कुछ है, गोरे वकील हैं।”

“पर यही पैदा हुए और अंग्रेजी पढ़े-लिखे इतने नौजवान हिंदुस्तानी जो यहा हैं?” मैंने कहा।

“अजी भाई माहब ! ” अब्दुल्ला मेठने सिरपर हाथ मारते हुए कहा—“उनमें क्या उम्मीद की जाय? वे बेचारे इन बातोंमें क्या समझें? वे तो हमारे पासतक फटकते नहीं, और सच पूछिए तो हम भी उन्हें नहीं पहचानते। वे हैं ईसाई, इसलिए पादरियोंके पजेमें हैं और पादरी लोग गोदे, वे सरकारके ताबेदार हैं।”

मुनकर मेरी आलें खूली। मोचा कि इस बल को अपनाना चाहिए। ईसाई-धर्मके क्या यही मानी है? क्या ईसाई हो जानेसे उनका नाता देशसे टूट गया, और वे विदेशी हो गये?

पर मुझे तो देश वापस लौटना था, अनएव इन विचारोंको मूर्त रूप न दिया। अब्दुल्ला मेठने कहा—

“पर यदि यह ब्रिल ज्यों-वा-स्थो पाम हो गया तो आप लोगोंके लिए बहुत भारी पड़ेगा। यह तो भारतवासियोंके अस्मित्वको मिटा डालनेका पहला कदम है। इसमें हमारा स्वाभिमान नष्ट होगा।”

“जो-कुछ हो। हम 'फ्रैंचाइज' (इस तरह अंग्रेजीके कितने ही शब्द

देशी भाषामें रूढ हो गये थे । 'मताधिकार' कहनेसे कोई नहीं समझता) का थोडा इतिहास सुन लीजिए । इस मामलेमें हमारी समझ काम नहीं देती, पर हमारे वडे वकील मि० ऐस्कवको तो आप जानते ही हैं, वह जबरदस्त लडवैये हैं । उनकी तया वहाके फुरजाके डजीनियरकी खूब चख-चख चला करती है । मि० ऐस्कवके धारा-समामे जानेमे यह लडाई वाक हो रही थी । इसलिए उन्होंने हमे हमारी स्थितिका ज्ञान कराया । उनके कहनेसे हमने अपने नाम मताधिकार-मन्त्रमें दर्ज करा लिये और अपने तमाम मत मि० ऐस्कवको दिये । अब आप समझ जायगे कि हम इस मताधिकारकी कीमत आपके इतनी क्यों नहीं आकते हैं, पर आपकी बात अब हमारी समझमे आ रही है—अच्छा तो अब आप क्या सलाह देते हैं ? ”

यह बात दूसरे मेहमान लोग गौरसे सुन रहे थे । इनमेंसे एकने कहा—
“ मैं आपसे सच्ची बात कहूँ ? यदि आप इस जहाज से न जाय और एकाध महीना यहा रह जाय, तो आप जिस तरह वतायें हम लडनेको तैयार हैं । ”

एक दूसरेने कहा—“ यह बात ठीक है । अबुल्ला सेठ, आप गाबीजीको रोक लीजिए । ”

अबुल्ला सेठ थे उस्ताद आदमी । वह बोले—“ अब इन्हे रोकनेका अस्तियार मुझे नहीं । अथवा जितना मुझे है उतना ही आपको भी है, पर आपकी बात है ठीक । हम सब मिलकर इन्हे रोक लें, पर यह तो बैरिस्टर है । इनकी फीसका क्या होगा ? ”

फीसकी बातसे मुझे दुख हुआ । मैं बीचमें ही बोला—

“ अबुल्ला सेठ, इसमें फीसका क्या सवाल ? सार्वजनिक सेवामे फीस किस बातकी ? यदि मैं रहा तो एक सेवककी हैसियतमे रह सकता हूँ । इन सब भाइयोसे मेरा पूरा परिचय नहीं है, पर यदि आप यह समझते हो कि ये सब लोग मेहनत करेगे तो मैं एक महीना ठहर जानेके लिए तैयार हूँ, पर एक बात है । मुझे तो आपको कुछ देना-वेना नहीं पडेगा, पर ऐसे काम बिना रुपये-पैसेके नहीं चल सकते । हमे तार वगैर देने पडेंगे—कुछ छापना भी पडेगा । इधर-उधर जाना-आना पडेगा, उसका किराया आदि भी लगेगा । मौका पडनेपर यहाके वकीलकी भी सलाह लेनी पडेगी । मैं यहाके सब कानून-कायदोको अच्छी तरह

नहीं जानता। कानूनकी पुस्तकें देखनी होगी, फिर ऐसे काम अकेले हाथों नहीं हो सकते। कई लोगोंके सहयोगकी जरूरत होगी।”

बहुत-सी आवाज एक-साथ मुनाई दी—“खुदाकी मेहर है। रुपये-पैसेकी फिर मत कीजिए। आदमी भी मिल जायगे। आप सिर्फ ठहरना मजूर करें तो बस है।”

फिर क्या था वह जलना कार्यकारिणी-समितिके रूपमें परिणत हो गया। मैंने मुझाया कि खा-भीकर जल्दी फारिग होकर हम लोग घर पहुँचें। मैंने मनमें सडाईकी रूप-रेखा बांधी। यह जान लिया कि मताधिकार कितने लोगोंको है। मैंने एक मास चहर जानेका निश्चय किया।

इस प्रकार ईश्वरने दक्षिण अफ्रीकामें मेरे स्थायी रूपसे रहनेकी नींव डाली और आत्म-मम्मनके भयामका बीजारोपण हुआ।

१७

बस गया

१८९२ ईस्वीम मेंठ हाजी मुहम्मद हाजी दादा नेटालकी भारतीय जातिके अग्रगण्य नेता माने जाते थे। सापत्तिक स्थितिमें सेठ अब्दुल्ला हाजी आदि मुख्य थे, परंतु वह तथा दूसरे लोग भी सार्वजनिक कामोंमें सेठ हाजी मुहम्मदकी ही प्रथम म्यान देते थे। इसलिये उनकी अध्यक्षतामें, अब्दुल्ला सेठके भकानमें, एक मभा की गई। उसमें क़ैचाइज विलका विरोध करनेका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। स्वयमेवकोकी मुर्चा भी बनी। इस सभामें नेटालमें जन्मे हिंदुस्तानी, अर्यान् ईसाई नवयुवक भी बुलाये गये थे। मि० पॉल डरवनकी अदालतके दुभाषिया थे। मि० नुमान गाडके मिशन स्कूलके हेडमास्टर थे। वे भी सभामें उपस्थित हुए थे, और उनके प्रभावने ईसाई नवयुवक अच्छी सत्यामें आये थे। इन सब लोगोंने स्वयमेवकोमें अपना नाम लिखाया। मभामें व्यापारी भी बहुतेरे थे। उनमें जानने योग्य नाम वे हैं—नेटालमें मुहम्मद जातिम कमरुद्दीन, सेठ आदमजी मिया खान, ए० बोलदावेल्नू पिल्ले, मी० लछीगम, रंगस्वामी पड़ियाची, आमद जीवा इत्यादि। पाग्नी मन्नमजी तो थे ही। काग्वुन नोगोमें पाग्नी

भाणिकजी, जोगी, नरसीराम इत्यादि । दादा अब्दुल्लाकी तथा दूसरी बड़ी दूकानोंके कर्मचारी थे । पहले-पहल सार्वजनिक काममें पड़ते हुए इन लोगोंको जरा भ्रष्टपटा मालूम हुआ । इस तरह सार्वजनिक काममें निमग्नित तथा सम्मिलित होनेका उन्हें यह पहला अनुभव था । सिर आई विपत्तिके मुकाबलेके लिए नीच-ऊँच, छोटे-बड़े, मालिक-नौकर, हिंदू-मुसलमान, पारसी, ईसाई, गुजराती, मदरासी, सिन्धी इत्यादि भेद-भाव जाते रहे । उस समय सब भारतकी सतान और मेयव थे ।

फ्रैंचाइज बिलका दूसरा वाचन ही चुका था अथवा होनेवाला था । उस समय धारा-सभामें जो भाषण हुए, उनमें यह बात कही गई कि कानून इतना सख्त था, फिर भी हिंदुस्तानियोंकी ओरसे उनका कुछ विरोध न हुआ । यह भारतीय प्रजाकी लापरवाही और ग़ताधिकार-सबधी उनकी अपात्रताका प्रमाण था ।

मैंने सभाको सारी हकीकत समझा दी । पहला काम तो यह हुआ कि धारा-सभाके अध्यक्षको तार दिया कि वह बिलपर आगे विचार करना स्थगित कर दें । ऐसा ही तार मुख्य प्रधान सर जान रॉबिंसनको भी भेजा, तथा एक और तार दादा अब्दुल्लाके मित्रके नाते मि० ऐस्कवको गया । तारका जवाब मिला कि बिलकी चर्चा दो दिनतक स्थगित रहेगी । इससे सब लोगोंको खुशी हुई ।

अब दरखास्तका मसविदा तैयार हुआ । उसकी तीन प्रतिया भेजी जानेवाली थीं । अखबारोंके लिए भी एक प्रति तैयार करनी थी । उसपर जितनी अधिक सहिया ली जा सकें, लेनी थीं । यह सब काम एक रातमें पूरा करना था । वे शिक्षित स्वयसेवक तथा दूसरे लोग लगभग सारी रात जगे । उनमें एक मि० आर्थर थे, जो बहुत बूढ़े थे और जिनका खत अच्छा था । उन्होंने मुंदर हरफोमें दरखास्तकी नकल की । औरोंने उसकी और नकलें कीं । एक बोलता जाता और पांच लिखते जाते । इस तरह पांच नकलें एक साथ हो गईं । व्यापारी स्वयसेवक अपनी-अपनी गाड़िया लेकर या अपने लचरोंसे गाड़िया किराया करके सहिया देने दौड़ पड़े ।

दरखास्त गई । अखबारोंमें छपी । उसपर अनुकूल टिप्पणिया निकली । धारा-सभापर भी उसका असर हुआ । उसकी चर्चा भी खूब हुई । दरखास्तमें जो दलीलें पेश की गई थी, उनपर आपत्तियाँ उठाई गईं—परंतु खूद उठानेवालो-

को ही वे लचर मालूम हुई। इतना करनेपर भी विल तो आखिर पास हो ही गया।

सब जानते थे कि यही होकर रहेगा, पर इतने आबोलनसे हिंदुस्तानियोगमें नवीन जीवन आ गया। सब लोग इस बातको समझ गये कि हम सबका समाज एक है। अकेले व्यापारी अधिकारोंके लिए ही नहीं, बल्कि अपने-कामी अधिकारोंके लिए भी लड़ना सबका धर्म है।

इस समय लार्ड रिपन उपनिवेद्य-मंत्री थे। प्रस्ताव हुआ कि उन्हें एक भारी दरखास्त लिखकर पेश की जाय। इसपर जितनी अधिक सहिया मिलें ली जाय। यह काम एक दिनमें नहीं हो सकता था। स्वयंसेवक तैनात हुए और सबने थोड़ा-थोड़ा कामका बोझ उठा लिया।

दरखास्त तैयार करने में मैंने बड़ा परिश्रम किया। जितना साहित्य मेरे हाथ लगा, सब पत्र डाला। हिंदुस्तानमें हमें एक तरहका मताधिकार है, इस सिद्धांतकी बातको तथा हिंदुस्तानियोंकी आवादी बहुत थोड़ी है, इस व्यावहारिक दलीलको मैंने अपना मध्यविद्दु बनाया।

दरखास्तपर दस हजार आदमियोंके दस्तखत हुए। एक सप्ताहमें दरखास्त भेजनेके लिए आवश्यक सहिया प्राप्त हो गईं। इतने थोड़े समयमें नेटालमें दस हजार दस्तखत प्राप्त करनेको पाठक ऐंसा-वैसा काम न समझें। सारे नेटालमें दस्तखत प्राप्त करते थे। लोग इस कामसे अपरिचित थे। इधर यह निश्चय किया गया था कि सबतक किसीकी सही न ली जाय, जबतक कि वे दस्तखत का आशय न समझ लें। इसलिए खास तौरपर स्वयंसेवकोंको भेजनेसे ही सहिया मिल सकती थी। गांव दूर-दूर थे। ऐसी अवस्थामें ऐसे काम उसी हालतमें जल्दी हो सकते हैं, जब बहुतेरे काम करनेवाले निश्चय-पूर्वक काममें जुट पड़ें। ऐसा ही हुआ भी। सबने उत्साह-पूर्वक काम किया। इनमेंसे मेठ दाऊद मुहम्मद, पारती हस्तमजी, आदमजी मिया खान और आमद जीवाकी सूरतिया आज भी मेरी आंखोंमें सामने आ जाती हैं। वे बहुतोंके दस्तखत लाये थे। दाऊद सेठ दिन-भर अपनी गाड़ी लिये-लिये घूमते। किसीने जेब-खर्चतक न मागा।

दादा अब्दुल्लाका मकान तो धर्मशाला अथवा सार्वजनिक कार्यालय जैसा हो गया था। शिक्षित भाई तो मेरे पास बडे ही रहते। उनका तथा दूसरे

कर्मचारियोंका खाना-पीना दावा अब्दुल्लाके ही यहा होता । इस तरह सब लोगों-ने काफी खर्च बरदाश्त किया ।

दरखास्त गई, उसकी एक हजार प्रतिया छपवाई गई थी । उस दरखास्त-ने हिंदुस्तानके देश-सेवकोंको नेटालका पहली बार परिचय कराया । जितने अखबारो तथा देशके नेताओंका नाम-ठाम मैं जानता था, सबको दरखास्तकी नकल भेजी गई थी ।

‘टाइम्स आफ इंडिया’ने उसपर अग्रलेख लिखा और भारतीयोंकी मागका खासा समर्थन किया । विलायतमे भी प्रार्थना-पत्रकी नकलें तमाम दलके नेताओंको भेजी गई थी । वहा ‘लदन टाइम्स’ने उनकी पुष्टि की । इस कारण बिलके मजूर न होनेकी आशा होने लगी ।

अब ऐसी हालत हो गई कि मैं नेटाल न छोड सकता था । लोगोंने मुझे चारो ओरसे आ घेरा और बडा आग्रह करने लगे कि अब मैं नेटालमे ही स्थायी रूपसे रह जाऊ । मैंने अपनी कठिनाइया उनपर प्रकट की । अपने मनमें मैंने यह निश्चय कर लिया था कि मैं यहा सर्व-साधारणके खर्चपर न रहूंगा ।

अपना अलग इतजाम करनेकी आवश्यकता मुझे दिखाई दी । घर भी अच्छा और अच्छे मुहल्लेमें होना चाहिए—इस समय मेरा यही मत था । मेरा खयाल था कि दूसरे बैरिस्टोकी तरह ठाठ-ढाठसे रहनेमे अपने समाजका मान-गौरव बढेगा । मैंने देखा कि इस तरह तो मैं ३०० पाँड सालके बिना काम न चला सकूंगा । तब मैंने निश्चय किया कि यदि यहाके लोग इतनी आमदनीके लायक बकालतका इतजाम करा देनेका जिम्मा ले तो रह जाऊंगा । और मैंने लोगोंकी इसकी इत्तिला दे दी ।

“पर इतनी रकम तो यदि आप सार्वजनिक कामोंके लिए लें तो कोई बात नहीं, और इतनी रकम जुटाना हमारे लिए कोई कठिन बात भी नहीं है । बकालत-मे जो कुछ मिल जाय वह आपका ।” साथियोने कहा ।

“इस तरह मैं आर्थिक सहायता लेना नहीं चाहता । अपने सार्वजनिक कामका मैं इतना मूल्य नहीं समझता । इसमें मुझे बकालतका आडवर थोडे ही रचना है—मुझे तो लोगोंसे काम लेना है । इसका मुझावजा मैं ब्रव्यके रूपमे कैसे ले सकता हूँ ? फिर आप लोगोंसे भी तो मुझे सार्वजनिक कामोंके लिए

घन लेना है। यदि मैं अपने लिए रुपया लेने लगू तो आपमें बड़ी-बड़ी रकमें लेते हुए मुझे नकांच होगा, और अपनी गाड़ी रुक जायगी। रोगोंमें तो मैं हर साल ३०० पाँडने अधिक ही खर्च करा दूंगा।' मैंने उत्तर दिया।

“पर हम तो आपको अब अच्छी तरह जान गये हैं। आप अपने लिए थोड़े ही चाहते हैं। आपके रहनेका खर्चा तो हमी लोगोको न देना चाहिए?”

“यह तो आपका स्नेह और तात्कालिक उत्साह आपसे कहलवा रहा है। यह कैसे मान लें कि यही उत्साह सदा कायम रह सकेगा? मुझे तो आपको कनी कडवी बात भी कहनी पड़ेगी। उस समय भी मैं आपके स्नेहका पात्र रह सकूंगा या नहीं, सो ईश्वर जाने, पर असली बात यह है कि सार्वजनिक-कामके लिए रुपया-पैना मैं न लू। आप लोग सिर्फ अपने मामले मुकदमे मुझे देते रहनेका बचन दें तो मेरे लिए काफी है। यह भी जायद आपको भारी मालूम होगा, क्योंकि मैं कोई गोरा बैरिस्टर तो हूँ नहीं, और यह भी पता नहीं कि अदालत मुझ-जैसेको दाद देगी या नहीं। यह भी नहीं कह सकता कि पैरवी मंजी कर सकूंगा। इसलिए मुझे पहलेमे मेहनताना देने में भी आपको जोरिम उठानी पड़ेगी। और इननेपर भी यदि आप मुझे मेहनताना दें तो यह तो मेरी नैवाभोकी बदीनत ही न होगा?”

इस खर्चाका नतीजा यह निकला कि कोई २० व्यापारियों मिलकर मेरे एक चर्पकी आयका प्रबंध कर दिया। इनके अलावा दादा अब्दुल्ता विदाईके नगय मुझे जो रकम भेंट करनेवाले थे उनके बदले उन्होंने मुझे आवश्यक पर्नीचर-ला दिया और मैं नेटानमें रह गया।

१८

वर्ण-द्वेष

अदालतकी चिह्न है तराजू। उसे पकड़ रखनेवाली एक निष्पक्ष, भ्रवी, परंतु समझदार बुद्धिया है। उसे विवाताने अघा बनाया है कि जिससे यह मुह देखकर तिलक न लगावे, बल्कि योग्यताको देखकर लगावे। इसके विपरीत, नेटालकी अदालतसे तो मुह देखकर तिनक लगवानेके लिए वहांकी

वकील-समाने कमर कसी थी, किन्तु अदालतने इस अवसरपर अपने चिह्नकी लाज रख ली ।

मुझे वकालतकी मनद लेनी थी । मेरे पास बवई हाईकोर्टका तो प्रमाण-पत्र था, पर विलायतका प्रमाण-पत्र बवई-अदालतके दस्तरमें था, वकालतकी मजूरीकी दरखास्तके साथ नेकचलनीके दो प्रमाणपत्रोंकी आवश्यकता समझी जाती थी । मैंने सोचा कि यदि ये प्रमाणपत्र गोरे लोगोके हों तो ठीक होगा । इसलिए अब्दुल्ला सेठकी मार्फत मेरे सपकमें आये दो प्रसिद्ध गोरे व्यापारियोंके प्रमाण-पत्र लिये । दरखास्त किसी वकीलकी मार्फत दी जानी चाहिए । मामूनी कायदा यह था कि ऐसी दरखास्त एटर्नी-जनरल बिना फीसके पेश करता है । मि० एस्कव एटर्नी-जनरल थे । हम जानते ही हैं कि अब्दुल्ला सेठके वह वकील थे । अनएव मैं उनसे मिला और उन्होंने खुशीसे मेरी दरखास्त पेश करना मजूर कर लिया ।

इतनेमें अचानक वकील-मभाकी तरफसे मुझे नोटिस मिला । नोटिसमें मेरे वकालत करनेके खिलाफ विरोधकी आवाज उठाई गई थी । इसमें एक कारण यह बताया गया था कि मैंने वकालतकी दरखास्तके साथ असल प्रमाण-पत्र नहीं पेश किया था, परतु विरोधकी असली बात यह थी कि जिस समय अदालतमें वकीलको दाखिल करनेके सबधमें नियम वने, उस समय किसीने भी यह खयाल न किया होगा कि वकालतके लिए कोई काला या पीला आदमी आकर दरखास्त देगा । नेटाल गोरोंके साहसका फल है और इसलिए यहाँ गोरोंकी प्रधानता रहनी चाहिए । उनको भय हुआ कि यदि काले वकील भी अदालतमें आने लगेंगे तो धीरे-धीरे गोरोंकी प्रधानता चली जायगी और उनकी रक्षाकी दीवारें टूट जायगी ।

इस विरोधके समर्थनके लिए वकील-समाने एक प्रख्यात वकीलको अपनी तरफसे खड़ा किया था । इस वकीलका भी सबध दादा अब्दुल्लासे था । उनकी मार्फत उन्होंने मुझे बुलाया । उन्होंने शुद्ध-भावनासे मुझसे बातचीत की । मेरा इतिहास पूछा । मैंने सब कह सुनाया । तब वह बोले—

“मुझे आपके खिलाफ कुछ नहीं कहना । मुझे यह भय था कि आप कोई यहीके पैदा हुए धूर्त आदमी होंगे । फिर आपके पास असली प्रमाण-पत्र नहीं हैं, इससे मेरे शकको और पुष्टि मिल गई । और ऐसे लोग भी होते हैं, जो दूसरोंके

प्रमाण-पत्रों को हस्तमाल कर लेते हैं। और आपने जो गोरोंके प्रमाण-पत्र पेश किये हैं उनका अक्षर मेरे दिलपर न हुआ। यहांके गोरे लोग भला आपकी क्या पहचाने? आपके साथ उनका परिचय ही कितना?"

"पर यहा तो मेरे लिए सभी नये हैं। अब्दुल्ला सेठने भी मेरी पहचान यही हुई।" मैं बीचमें बोला।

"हा, पर आप कहते हैं कि वह आपके गावके हैं। और आपके पिता वहाके दीवान थे, अतएव आपके परिवारके लोगोको तो वह पहचानते ही हैं। यदि उनका हलफिया बयान पेश कर दें तो मुझे कुछ भी उच्च न होगा। मैं वकील-सभाको लिख भेजूंगा कि गांधीका विरोध मुझने न होगा।"

मुझे गुस्सा आया, पर मैंने रोका। मुझे लगा—'यदि मैंने अब्दुल्ला सेठका ही प्रमाण-पत्र पेश किया होता तो उसकी कोई परवा न करता और गोरोंकी जान-पहचान भागी जाती। फिर मेरे जन्मके साथ बकालन-संबंधी मेरी योग्यताका क्या मवब हो सकती है? यदि मैं ड्रुट या गरीब मा-त्रापका पुत्र होऊ तो यह बात मेरी लियकतकी जाचमें मेरे खिलाफ किमलिए कही जाय?' पर मैंने इन सब विचारोंको रोककर उत्तर दिया—

"हालाकि मैं यह नहीं मानता कि इन सब बातोंके पूछने का अधिकार वकील-सभाको है, फिर भी जैसा आप चाहते हैं, दादा अब्दुल्लाका हलफिया बयान मैं पेश करा देनेको तैयार हू।"

अब्दुल्ला नेठका हलफिया बयान लिखा और वह वकीलको दिया। उन्होंने तो सतोप प्रकट कर दिया, पर वकील-सभाको सतोप न हुआ। उसने अपना विरोध अदालतमें भी उठाया। अदालतने मि० एस्कबका जवाब सुने बिना ही सभाका विरोध नामजूर कर दिया। प्रवान न्यायाधीशने कहा—

"इस दलीलमें कुछ जान नहीं कि प्रार्थीने असली प्रमाण-पत्र नहीं पेश किया। यदि उनमें झूठी गीगरी नाई होगी तो उनपर अदालतमें झूठी कसम गाने-सामुहिकता न नकेता और उनका नाम वकीलोंकी सूचीसे हटा दिया जायगा। अदालतकी घागपोमें जाने-गोनेका भेदभाव नहीं है। हमें मि० गांधीको बजायन करनेमें रोकनेका कोई अधिकार नहीं। उनकी दग्न्वात्म संतुष्ट की जाती है। मि० गारी, स्याद साकर धरम से मकने है।"

मैं उठा। रजिस्ट्रारके पास जाकर शपथ ली। शपथ लेते ही प्रधान न्यायाधीशने कहा—“अब आपको अपनी पगड़ी उतार देनी चाहिए। वकीलकी हैसियतसे, वकीलकी पोशाकके संबंधमें अदालतका जो नियम है, उसका पालन आपको करना होगा।”

मैंने अपनी मर्यादा समझ ली। डरबनके मजिस्ट्रेटकी अदालतमें पगड़ी पहन रहनेकी बातपर जो मैं अड़ा रहा था, सो वहां न रह सका। पगड़ी उतारी, यह बात नहीं कि पगड़ी उतारनेके विरोधमें दलील न थी, पर मुझे तो अब बड़ी लबाढ़या लड़नी थी। पगटी पहने रहनेकी हठमें मेरी युद्ध-कलाकी समाप्ति न होती थी। उलटा इससे उसमें बट्टा लग जाता।

अब्दुल्ला सेठ तथा दूसरे मित्रोको मेरी यह नरमी (या कमजोरी?) अच्छी न लगी। वह चाहते थे कि वकीलकी हैसियतसे भी मैं पगड़ी पहन रखनेकी टोक कायम रखता। मैंने उन्हें समझानेकी भरसक कोशिश की। ‘जैसा देश वैसा भेस’ वाली कहावतका रहस्य समझाया। ‘हिंदुस्तानमें यदि वहाके गोरे अविकारी प्रयत्नवा जज पगड़ी उतारनेपर मजबूर करें तो उसका विरोध किया जा सकता है। नेटाल-जैसे देशमें, और फिर अदालतके एक सदस्यकी हैसियतसे, मुझे अदालतके रिवाजका, विरोध शोभा नहीं देता।’

यह तथा दूसरी दलीलें देकर मित्रोको मैंने कुछ शांत तो किया, पर मैं नहीं समझता कि एक ही बातको भिन्न परिस्थितिमें भिन्न रीतिमें देखनेके औचित्यको मैं, इस समय, उनके हृदयपर इस तरह अंकित कर सका कि जिससे उन्हें सतोष हो, परंतु मेरे जीवनमें आग्रह और अनाग्रह दोनो सदा साथ-साथ चलते आते हैं। पीछे चलकर मैंने कई बार यह अनुभव किया है कि सत्याग्रहमें यह बात अनिवार्य है। अपनी इस समझौतावृत्तिके कारण मुझे कई बार अपनी जान जोखिममें डालनी पडी है और मित्रोके असतोषको गिरोधार्य करना पडा है; पर सत्य तो वज्रकी तरह कठोर और कमलकी तरह कोमल है।

१६

नेटाल इंडियन कांग्रेस

वकील-सभाके विरोधने दक्षिण अफरीकामे मेरे लिए एक विज्ञापनका काम कर दिया। कितने ही अखबारोंने मेरे खिलाफ उठाये गये विरोधकी निंदा की और वकीलोपर ईर्ष्याका इलजाम लगाया। इस प्रसिद्धिसे मेरा काम कुछ असरमें अपने-आप सरल हो गया।

वकालत करना मेरे नजदीक गौण बात थी और हमेशा गौण ही रही। नेटालमें अपना रहना सार्थक करनेके लिए मुझे सार्वजनिक काममें ही तन्मय हो जाना जरूरी था। भारतीय मताधिकार-प्रतिरोधक कानूनके विरोधमें आवाज उठाकर—महज दरखास्त भेजकर चुप न बैठा जा सकता था। उसका आंदोलन होते रहनेसे ही उपनिवेशोंके मन्त्रीपर असर हो सकता था। इसके लिए एक सस्था स्थापित करनेकी आवश्यकता दिखाई दी। अतः मैंने अब्दुल्ला सेठके साथ मशविरा किया। दूसरे साथियोंसे भी मिला और हम लोगोंने एक सार्वजनिक सस्था खड़ी करनेका निश्चय किया।

उसका नाम रखने में कुछ धर्म-संकट आया। यह सस्था किसी पक्षका पक्षपात नहीं करना चाहती थी। महासभा (कांग्रेसका) नाम कजरवेटिव (प्राचीन) पक्षमें अस्वीकार था, यह मुझे मालूम था, परंतु महासभा तो भारतका प्राण थी। उसकी शक्तको बढ़ाना जरूरी था। उसके नामको छिपाने में अथवा धारण करते हुए सकोच रखने में कायरताकी गंध आती थी। इसलिए मैंने अपनी दलीले पेश करके सस्थाका नाम 'कांग्रेस' ही रखने का प्रस्ताव किया। और २२ मई, १८९४को 'नेटाल इंडियन कांग्रेस' का जन्म हुआ।

बादा अब्दुल्लाका बैठकलाना लोगोंमें भर गया था। उन्होंने उत्साहके साथ इस सस्थाका स्वागत किया। विधान बहुत सादा रखवा था, पर चंदा भारी रखवा गया था। जो हर मास कम-से-कम पाच शिलिंग देता वही सभ्य हो सकता था। धनिक लोग राजी-खुशीसे जितना अधिक दे सकें, चंदा दे, यह तय हुआ। अब्दुल्ला सेठमे हर मास दो पाँड लियाये। दूसरे दो मज्जनोंने भी इतना ही चंदा लिखाया। मुट भी बोचा कि मैं उनमें मकौन कैसे करूँ ? इगनिए मैंने भी प्रनि-

माम एग पीट निरागा । यह मेरे निगू बीमा कग्ने-अमा था, पर मैने मोचा कि जहा मेरा उनात गर्ब-गर्ब चलेगा वहा प्रतिमास एक पीड वरां भारी पड़ेगा ? और इन्वरने मेरी नास चलाई । एतु पीडवानोंकी भग्या चामी हो गई । इस धिर्निरागलि उमने भी यदित हुए । उमके अनावा बिना नभ्य हुए भेंटके तीरपर जो चोग दे दं नां अन्न ।

अनुभवने बगाया नि उगाहीं किये बिना कोई चदा नहीं दे सकता । डरबनमे बाहरवानो के यहा चार-चार जाना अन्नभव था । उसने मुझे हगारी 'आरन-भूगता'का परिचय मिया । उरगनगे भी बहुत चाकर खाने पढते, तब रही जाकर चदा मिलता । मैं मगी था, रपया वगूग करनेका जिम्मा मुझपर था । मुनें अपने मुजीको मारा दिन चदाबमूलीमे गगाये रहोकी नीगत या गई । बहूचेचारा गो डरना उठा । मैने मोचा कि गालिग नती, वापिक चदा होना चाहिए और नहू भी नवरी पेगनी दे देना चाहिए । उन, मना की गई गौर सबने इस वानको पसद मिया । नय हुआ कि कम-मे-कम तीन पीड वापिक चदा लिया जाय । उनने बमूनीका काम आशान हो गया ।

आरनमे ही मैने यह मीस लिया था कि सार्वजनिक काम कभी कर्ज लेकर नहीं चलाना चाहिए । और यातामें भले ही लोगोंका विष्वास कर लें, पर पैमेकी वानमें नहीं किया जा सकता । मैने देख लिया था कि बादा कर चुकनेपर भी देनेके धर्मका पालन कही भी नियमित रूपमे नहीं होता । नेटालके हिंदुस्तानी उमके अपवाद न थे । इन कारण 'नेटाल इन्डियन कांग्रेस' ने कभी कर्ज करके कोई काम नहीं बिया ।

मभ्य बनानेमें माथियोने असीम उत्साह प्रकट किया था । उसमें उनकी बडी दिनचरसी हो गई थी । उनके कार्यमे अन्नमोल अनुभव मिलता था । बहुतेरे लोग गुधी-बुधी नाम लिखवाते और चदा दे डेते । हा, दूर-दूरके गाबोमें बरा मुदिकन पेज आती । लोग सार्वजनिक कामकी महिमा नहीं समझते थे । कितनी ही जगह तो लोग अपने यहा आनेका न्याता भेजते, अगसर व्यापारीके यहा ठहराते; परंतु इस भ्रमणमें हमें एक जगह शुरूआतमें ही दिक्कत पेज हुई । यहामे छ पीड मिलने चाहिए थे, पर बहू तीन पीडसे आगे न बढ़ते थे । यदि उनगे इतनी ही रकम देने मो औरगेने इसमे अधिक न मिलनी । उहगार्ये हम उन्हीके यहा गये

ये । सबको भूख लग रही थी, पर जबतक चदा न मिले तबतक भोजन कैसे करते ? खूब मिन्नत-खुनामद की गई, पर वह टस-से-मन न हुए । गांवके दूसरे व्यापारियोंने भी उन्हें ममझाया । मारी रात डमी खींचा-दानांमें गई । गुत्सा तो कई सायियोंको आया, पर किमीने अपना मौज्ज्य न छोटा । ठेठ सुबह जाकर वह पमीजे और छ पांड दिये । तब जाकर हम लोगोको खाना नमीव हुआ । यह घटना टोगाटकी है । इसका असर उत्तर किनारेपर ठेठ स्टेंगरतक तथा म्दर ठेठ चाल्न्टाउनतक पजा और चदा-बसुलीका हमारा काम बढा सरल हो गया ।

परतु प्रयोजन केवल इतना ही न था कि चदा एकत्र किया जाय । आवश्यकतासे अधिक रुपया जमा न करनेका तत्व भी मैंने मान लिया पा ।

मभा प्रति सप्ताह अथवा प्रति मास आवश्यकताके अनुसार होती । उनमें पिछती सभाकी कार्रवाई पडी जाती और अनेक वातोपर चर्चा होती । चर्चा करनेकी तथा थोडेमें अतलवकी बात कहनेकी आदन लोगोको न थी । लोग खडे होकर घोलनेमें सजुचाते । मैंने सभाके नियम उन्हें समझाये और लोगोने उन्हें माना । इसने होनेवाना लाभ उन्होंने देखा और जिन्हे सभाधोमें बोलनेना रफत न था वे सार्वजनिक कामोके लिए बोलने और विचारने लगे ।

सार्वजनिक कामोमें छोटी-छोटी बातोमें बहुत-सा खर्च हो जाया करता है, यह मैं जानता था । शुरूमें नौ रसीद-बुकतक न छपानेका निश्चय रक्खा था । मेरे दफ्तरमें साईक्लोस्टाइल था, उनपर रसीदें छपा ली । रिपोर्ट भी इसी तरह छपती । जब रुपया-यमा काफी आ गया, सभ्योकी सख्या बढ गई, तमी रसीदें इत्यादि छपाई गई । ऐसी किफायतसारी हर सभ्यामें आवश्यक है । फिर भी मैं जानता हूं कि सब जगह ऐसा नहीं होता है । इसलिए इस छोटी-सी जगती हुई सभ्याके परवरिशके समयका इतना बर्णन करना मैंने ठीक समझा । लोग रसीद छेनेकी परवा न करते, फिर भी उन्हें आग्रह-पूर्वक रसीद दी जाती । इस कारण हिसाब शुरूसे ही पाई-पाईका माफ रहा, और मैं मानता हूं कि आज भी नैटाल-कांग्रेसके दफ्तरमें १८९४के बही-खाते व्योरेवार मिल जायगे । किसी भी मभ्याका म्बिन्तार हिनाब उसकी नाक है । उसके बिना वह सभ्या अतको जाकर गबी और प्रनिष्ठा-हीन हो जाती है । मुढ हिवाबके बिना कुछ मत्यकी

रखवान्नी असंभव है ।

कांग्रेसका दूसरा अंग था—वहा जन्मे और शिक्षा पाये भारतीयोकी सेवा करना । उनके लिए 'कालोनियल वॉर्न एड इन्डियन एजुकेशनल एसोसिएशन' की स्थापना की । उसमें मुख्यत ये नवयुवक ही सम्य थे । उनके लिए चदा बहुत थोडा रक्खा था । इस सभाकी वदौलत उनकी आवश्यकताये मालूम होती, उनकी विचार-शक्ति बढती, व्यापारियोके साथ उनका संबध बघता, और खुद उन्हे भी सेवाका स्थान मिलता । यह सस्था एक वाद-विवाद-समिति जैसी थी । उसकी नियमपूर्वक बैठकें होती, भिन्न-भिन्न विषयोपर भाषण होते, निबध पढे जाते । उसके सिलसिलेमें एक छोटा-सा पुस्तकालय भी स्थापित हुआ ।

कांग्रेसका तीसरा अंग था बाहरी आन्दोलन । इसके द्वारा दक्षिण अफरीकाके अग्नेजोमे तथा वाहर इंग्लैडमें और हिंदुस्तानमें वास्तविक स्थिति प्रकट की जाती थी । इस उद्देश्यसे मैने दो पुस्तिकायें लिखी । पहली पुस्तिका थी— 'दक्षिण अफरीका-स्थित प्रत्येक अग्नेजसे अपील' । उसमे नेटालवाले भारतीयोकी मामान्य स्थितिका दिग्दर्शन सप्रमाण कराया गया था । दूसरी थी— 'भारतीय मताधिकार—एक अपील ।' इसमें भारतीय मताधिकारका इतिहास अको और प्रमाणो सहित दिया गया था । इन दोनो पुस्तिकाओको बडे परिश्रम और अध्ययनके बाद मैने लिखा था । उसका परिणाम भी वैसा ही निकला । पुस्तिकाओका काफी प्रचार किया गया । इस हल-चलके फलस्वरूप दक्षिण अफरीकामें भारतीयोके मित्र उत्पन्न हुए । इंग्लैडमें तथा हिंदुस्तानमें सब दलोकी ओरसे मदद मिली और आगे कार्य करनेकी नीति और मार्ग निश्चित हुआ ।

२०

बालासुंदरम्

जैसी जिमकी भावना होती है वैसा ही उसको फल मिला करता है । अपनैपर यह नियम घटा हुआ मैने अनेक बार देखा है । लोगोकी, अथात् गरीबोकी, सेवा करनेकी मेरी प्रव्रल इच्छाने गरीबोके साथ मेरा सबध हुयेगा अनायास बाध दिया है ।

'नेटाल इन्डियन काग्रेग में यद्यपि उनिवर्सिटीमें जन्मे भारतीयोंने प्रवेश किया था, अगरहुन लोग जगैव हुए थे, फिर भी उनमें अभी मज्जु गिरमिटिया लोग सम्मिलित न हुए थे। काग्रेग अभी उनकी न हुई थी। वे वदा देकर, उनके मदस्य होकर, उसे अपना न मके थे। काग्रेगके प्रति उनका प्रेम पैदा नहीं हो सकना था, जब काग्रेग उनकी सेवा करे। ऐसा अबसर अपने-आप आ गया, और मैं भी ऐसे समय, जबकि खुद मैं अथवा काग्रेग उसके लिए मुद्रितलने तैयार थी, क्योंकि अभी मुझे वकालत शुरू किये दो-चार महीने भी मुद्रितलने हुए होंगे। काग्रेग भी बाल्यावस्थामें ही थी। इन्हीं दिनों एक दिन एक मदरामी हाथमें फेंटा रखकर रोता हुआ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। रूपडे उसके फटे-मुगने थे। उनका गरीर काप रहा था। मामने के दो दान टूटे हुए थे और मुहने खून बह रहा था। उसके मालिकने उसे वेदवेसि पीटा था। मैंने अपने मुपीने जो-तामिल जानता था, उनकी हानन पुछ्यार्। बाल्यामुन्दरम् एक प्रतिष्ठित गोरेके यहा मजूरी करन था। मानिक किमी वातरर उमपन दिगड पडा और आग-बहूना होकर उसे कुरी तरह उनने पीट डाका, जिनने बाल्यामुन्दरम्के दो दान टूट गये।

मैंने उसे डाक्टरके यहा भेजा। उस समय गोरे डाक्टर ही वहा थे। मुझे चोट-मन्नवी प्रमाण-पत्रकी जरूरत थी। उसे लेकर मैं बाल्यामुन्दरम्को अदालतमें ले गया। बाल्यामुन्दरम्ने अपना हलफिया बयान लिखवाया। पडकर मजिस्ट्रेटको मानिकपर बडा गुस्ता आया। उसने मालिकको तलव करनेका हुक्म दिया।

मेरी इच्छा यह न थी कि मालिकको सजा हो जाय। मुझे तो सिर्फ बाल्यामुन्दरम्को उसने गहासे छुडवाना था। मैंने गिरमिट-संबंधी कानूनको अच्छी तरह देठ लिया। मामूनी नौकर यदि नौकरी छोड़ दे तो मालिक उसपर बीवानी दावा कर सकता है, फौजदारीमें नहीं ले जा सकता। गिरमिट और मामूनी नौकरोंमें यो बडा फर्क था, पर उसमें मुख्य बात यह थी कि गिरमिटिया यदि मालिकको छोड़ दे तो वह फौजदारी जुर्म समझा जाता था और इसलिए उसे कैद नोगनी पडती। इसी कारण सर विलियम विलसन हंटरने इस हालतको 'गुनामी'-जैसा बताया है। गुनामकी तरह गिरमिटिया मालिककी संपत्ति ममझा जाता। बाल्यामुन्दरम्को मालिकके जगुलने छुडानेके दो ही उपाय थे— या तो गिरमिटियोंका अफसर, जो कानूनके अनुसार उनका रक्षक ममझा जाता

था, गिरमिट रद कर दे, या दूसरेके नामपर चढा दे अथवा मालिक खुद उसे छोड़ने के लिए तैयार होजाय । मैं मालिकसे मिला और उससे कहा— “ मैं आपको सजा कराना नहीं चाहता । आप जानते हैं कि उसे सख्त चोट पडुची है । यदि आप उसकी गिरमिट दूसरेके नाम चढानेको तैयार होते हो तो मुझे सतोष हो जायगा । ” मालिक भी यही चाहता था । फिर मैं उस रक्षक अफसरसे मिला । उसने भी रजामदी तो जाहिर की, पर इस शर्तपर कि मैं बालामुंदरम्के लिए नया मालिक ढूढ दू ।

अब मुझे नया अग्रेज मालिक खोजना था । भारतीय लोग गिरमिटियोको नहीं रख सकते थे । अभी थोडे ही अग्रेजोसे मेरी जान-पहचान हो पाई थी । फिर भी एकसे जाकर मिला । उसने मझपर मेहरवानी करके बालासुंदरम्को रखना-मजूर कर लिया । मैंने कृतज्ञता प्रदर्शित की । मजिस्ट्रेटने मालिकको अपराधी करार दिया और यह बात नोट कर ली कि मुजरिमने बालासुंदरम्की गिरमिट दूसरेके नाम पर चढा देना स्वीकार किया है ।

बालासुंदरम्के मामलेकी बात गिरमिटियोमें चारो ओर फैल गई और मैं उनके बच्चे नामसे प्रसिद्ध हो गया । मुझे यह सवध प्रिय हुआ । फलत मेरे दफ्तरमे गिरमिटियोकी बाढ आने लगी और मुझे उनके सुख-दुख जाननेकी बडी सुविधा मिल गई ।

बालासुंदरम्के मामलेकी ध्वनि ठेठ मदरासतक जा पहुची । उस इलाकेके जिन-जिन जगहोसे लोग नेटालकी गिरमिटमें गये उन्हें गिरमिटियोने इस बातबाग परिचय कराया । मामला कोई इतना महत्त्वपूर्ण न था, फिर भी लोगोको यह बात नई मालूम हुई कि उनके लिए कोई सार्वजनिक कार्यकर्ता तैयार हो गया । इस बातसे उन्हें तसल्ली और उत्साह मिला ।

मैंने लिखा है कि बालासुंदरम् अपना फेंटा उतारकर उसे अपने हाथमे रखकर मेरे सामने आया था । इस दृश्यमे बडा ही करुण-रस भरा हुआ है । यह हमें नीचा दिखानेवाली बात है । मेरी पगडी उतारनेकी घटना पाठकोको मालूम ही है । कोई भी गिरमिटिया तथा दूसरा नवागत हिंदुस्तानी किसी गोरेके यहां जाता तो उसके सम्मानके लिए पगडी उतार लेता—फिर टोपी हो, या पगड़ी, अथवा फेटा हो । दोनो हाथोमे सलाम करना काफी न था । बाला-

मुदरमूने सोचा कि मेरे सामने भी इसी तरह जाया जाता होगा। बालामुदरमूका यह दृश्य मेरे लिए पहला अनुभव था। मैं दारमिदा हुआ। मैंने बालामुदरमूने कहा, "पहले फेंटा सिरपर वाव लो। वडे सकोचसे उनने फेंटा बाघा, पर मैंने देखा कि इससे उसे बड़ी खुशी हुई। मैं अबतक यह गुत्थी न सुलझा सका कि दूसरोको नीचे झुकाकर लोग उसमें अपना सम्मान किस तरह मान सकते होंगे।

२१

तीन पौंडका कर

बालामुदरमूवाली घटनाने गिरमिटियाके साथ मेरा संबध जोड दिया, परतु उनकी स्थितिका गहरा अध्ययन तो मुझे उनपर कर वंठानेकी जो हल-चल चली उसके फलस्वरूप करना पडा।

१८९४में नेटाल-सरकारने गिरमिटिया हिंदुस्तानियोपर प्रतिवर्ष २५ पौंड अथात् ३७५)का कर विठानेका बिल तैयार किया। इम मसविदे को पढकर मैं तो भीचक रह गया। मैंने उसे स्थानिक कांग्रेसमें पेश किया और कांग्रेसने उसके लिए आवश्यक हलचल करनेका प्रस्ताव स्वीकार किया।

इस करका व्योरा थोडा सुन लीजिए—

१८६० ईस्वीके लगभग, जबकि नेटालके गोरोंने देखा कि यहा ईसकी खेती अच्छी हो सकती है, उन्होने मजुरोकी खोज करना शुरू की। यदि मजूर न मिलें तो न गन्नेकी फसल हो सकती थी, न गुड-शक्कर बन सकता था। नेटालके हवशी इस कामको नहीं कर सकते थे। इसलिये नेटालवानी गोरोंने भारत-सरकारसे लिखा-पढी करके हिंदुस्तानी मजुरोको नेटाल ले जानेकी इजाजत हासिल कर ली। उन्हें लालच दिया गया था कि तुम्हें पांच साल तो बघकर हमारे यहा काम करना पडेगा, फिर आजाद हो, शौकसे नेटालमें रहो। उन्हें जमीनका हक मिल्कियत भी पूरा दिया गया था। उस समय गोरोंकी यह इच्छा थी कि हिंदुस्तानी मजदूर पांच सालकी गिरमिट पूरी करनेके बाद खुशीसे जमीन जोतें और अपनी मेहनतका लाभ नेटालको पहुंचावे।

भारतीय कृषियोने नेटालको यह लाभ आशासे भविक दिया। तरह-

तरहकी साग-तरकारियाँ बोईं। हिंदुस्तानकी कितनी ही भीठी तरकारियाँ बोईं। जो साग-तरकारी वहाँ पहलेसे मिलती थी उन्हें सस्ता कर दिया। हिंदुस्तानसे आम लाकर लगाया, पर इसके साथ ही वे व्यापार भी करने लगे। घर बनानेके लिए जमीनें खरीदी और मजूरसे अच्छे जमींदार और मालिक बनने लगे। मजूरकी दशासे मालिककी दशाको पहुँचनेवाले लोगोंके पीछे स्वतंत्र व्यापारी वहाँ आये। स्वर्गीय सेठ अबुबकर आदम सबसे पहले व्यापारी थे, जो वहाँ गये। उन्होंने अपना कारदार खूब जमाया।

इससे गोरे व्यापारी चौंके। जब उन्होंने भारतीय कुलियोंको बुलाया और उनका स्वागत किया तब उन्हें उनकी व्यापार-क्षमताका अभाव न हुआ था। उनके किसान बनकर आजादीके साथ रहनेमें तो उस समयतक उन्हें आपत्ति न थी, परंतु व्यापारमें उनकी प्रतिस्पर्धा उन्हें नागवार हो गई।

यह है हिंदुस्तानियोंके खिलाफ आजाज उठानेका मूल कारण।

अब इसमें और बात भी शामिल हो गई। हमारी भिन्न और विशिष्ट रहन-सहन, हमारी सादगी, हमें थोड़े मुनाफेसे होनेवाला सतोष, आरोग्यके नियमोंके विषयमें हमारी लापरवाही, घर-आगनको साफ रखने का आलस्य, उसे साफ-सुथरा रखनेमें कजूमी, हमारे जुदे-जुदे धर्म—ये सब बातें इस विरोधको बढ़ानेवाली थीं।

यह विरोध एक तो उस मताधिकारको छीन लेनेके रूपमें और दूसरा गिरमिटियोंपर कर वैठानेके रूपमें सामने आया। कानूनके अलावा भी तरह-तरहकी खूचरपट्टी चल रही थी सो अलग।

पहली तजवीज यह पेश हुई थी कि पाच साल पूरे होनेपर गिरमिटिया जबरदस्ती वापस लौटा दिया जाय। वह इस तरह कि उसकी गिरमिट हिंदुस्तान में जाकर पूरी हो, पर इस तजवीज को भारत-सरकार मन्जूर न कर सकती थी। तब ऐसी तजवीज हुई कि—

१—मजहूरकी इकरार पूरा होनेपर गिरमिटिया वापस हिंदुस्तान चला जाय। अथवा—

२—दो-दो वर्षकी गिरमिट नये सिरेसे कराता रहे और ऐसी हर गिरमिटके समय उसके बेतनमें कुछ वृद्धि होती रहे।

३—यदि वापस न जाय और फिरसे मजदूरीका इकरार भी न करे तो उसे हर साल २५ पाँड कर देना चाहिए ।

इस तजवीजको मजूर करानेके लिए सर हेनरी वीन्स तथा मि० मेसनका मिष्ट-मंडल हिंदुस्तान भेजा गया । उस समय लार्ड एल्गिन वायसराय थे । उन्होंने पच्चीस पाँडका कर नामजूर कर दिया, पर यह मान लिया कि सिर्फ तीन पाँड कर लिया जाय । मझे उस समय भी लगा और आज भी लगता है कि वायसरायने यह जबरदस्त भूल की थी । उन्होंने इस बातमें हिंदुस्तानके हितका बिलकुल खयाल न किया । उनका यह धर्म कतई न था कि वह नेटालके गोरोंको इतनी सुविधा कर दें । यह भी तय हुआ कि तीन-चार वर्ष बाद ऐसे हिंदुस्तानीकी स्त्रीसे, उनके हर १६ वर्ष तथा उससे अधिक उम्रके प्रत्येक पुत्रसे और १३ वर्षकी तथा उसमें अधिक उम्रवाली लड़कीसे भी कर लिया जाय । इस तरह पति-मल्ली और दो बच्चोंके परिवारसे, जिसमें पतिको मुश्किलसे बहुत-से बहुत १४ शिलिंग मानिक मिलते हों, १२ पाँड अर्थात् १८०) कर लेना महान् अत्याचार है । दुनिया-में कहीं भी ऐसा कर ऐसी स्थितिवाले लोगोंसे नहीं लिया जाता था ।

इस करके विरोधमें घोर लड़ाई छिड़ी । यदि नेटाल-इंडियन कांग्रेस की ओरसे बिलकुल अमान्य न उठी होती तो वायसराय शायद २५ पाँड भी मजूर कर लेते । २५ पाँडके ३ पाँड होना भी, बिलकुल समभव है, कांग्रेसके यादोलन का ही परिणाम हो । पर मेरे हम अदाजमें भूल होना समभव है । समभव है, भारत-सरकारने अपन-आप ही २५ पाँडको अन्वीकार कर दिया हो और बिना कांग्रेसके विरोधके ३ पाँडका कर स्वीकार कर लिया हो । फिर भी वह हिंदुस्तानके हितका तो भग था ही । हिंदुस्तानके हित-रदाककी हैसियतसे ऐसा अमानुष कर वायसरायको हरगिज न बँठाना चाहिए था ।

पच्चीससे तीन पाँड (३७५ रु०से ४५ रु०) होनेके लिए कांग्रेस भला श्रेय भी क्या ले ? कांग्रेसको तो यही बात खली कि वह गिरमिटियाँके हितकी पूरी-पूरी रक्षा न कर सकी, और कांग्रेसने अपना यह निश्चय कि तीन पाँडका कर तो अवश्य रह ही जाना चाहिए, कभी टीला न बिया था । इस निश्चयको पूरा हुए आज २० वर्ष हो गए । उसमें अकेले नेटालके ही नहीं, बरन् सारे दक्षिण अफ्रिकाके भारतवासियोंको जूझना पडा था । उसमें गोवलेको भी निमित्त बनना

पडा था । उसमे गिरमिटियोको पूरा-पूरा योग देना पड़ा । कितनोको ही गोली-का शिकार होना पडा । दस हजारसे ऊपर हिंदुस्तानियोको-जेल भोगनी पडी ।

पर अंतमे सत्य विजयी हुआ । हिंदुस्तानियोकी तपश्चर्याके रूपमे सत्य प्रत्यक्ष प्रकट हुआ । उसके लिए अटल श्रद्धा, धीरज और सतत आदोर्न-की आवश्यकता थी । यदि लोग हारकर बैठ जाते, कांग्रेस लड़ाईको भूल जाती, और करको अनिचार्य समझकर घुटने टेक देती, तो आजतक यह कर गिरमिटियोसे लिया जाता होता और इसके अपयशका टीका मारे दक्षिण अफ्रीकाके भारत-वासियोको तथा सारे भारतवर्षको लगता ।

२२

धर्म-निरीक्षण

इस प्रकार जो मैं लोक-सेवामें तल्लीन हो गया था, उसका कारण था आत्म-दर्शनकी अभिलाषा । यह समझकर कि सेवाके द्वारा ही ईश्वरकी पहचान हो सकती है, मैंने सेवा-धर्म स्वीकार किया था । मैं भारतकी सेवा करता था, क्योंकि वह मुझे सहज प्राप्त थी, उसमे मेरी रुचि थी । उसकी खोज मुझे न करनी पडी थी । मैं तो सफर करने, काठियावाडके षड्यंत्रसे छूटने और आजीविका प्राप्त करनेके लिए दक्षिण अफ्रीका गया था, पर पड गया ईश्वरकी खोजमें—आत्म-दर्शनके प्रयत्नमे । ईसाई-भाइयोने मेरी जिज्ञासा बहुत तीव्र कर दी थी । वह किसी प्रकार शात न हो सकती थी और मैं शात होना चाहता भी तो ईसाई भाई-बहन ऐसा न होने देते, क्योंकि हरयनमें मि० स्पेंसर वाल्टनने, जोकि दक्षिण अफ्रीकाके मिशनके मुखिया थे, मुझे खोज निकाला । मैं भी उनका एक कुटुंबीजन-सा हो गया । इस संबंधका मूल है प्रिटोरियामें उनसे हुआ समागम । मि० वाल्टनका तर्ज कुछ और ही था । मुझे नहीं याद पडता कि उन्होंने कभी मेरे धनकी बात मुझसे कही हो, बल्कि उन्होंने तो अपना सारा जीवन खोले-खोले मेरे सामने रख दिया, अपना तमाम काम और हलचलके निरीक्षणका अवसर मुझे दे दिया । उनकी धर्म-पत्नी भी बड़ी नम्र, परंतु तेजस्वी थी ।

मुझे इस दपतीकी कार्य-पद्धति पसंद आती थी, परंतु हमारे अदर जो

मौलिक भेद थे, उन्हें हम दोनों जानते थे। चर्चाद्वारा उन भेदोंको मिटा देना असम्भव था। जहाँ-जहाँ उदारता, सहिष्णुता और सत्य है, वहाँ भेद-भी सामं-दायक होते हैं। मुझे इस दंपतीकी नम्रता, उद्यम-शीलता और कार्य-परायणता बड़ी प्रिय थी। इससे हम बार-बार मिला करते।

इस संवधने मुझे जागरूक कर रखा। धार्मिक पठनके लिए जो फुरसत प्रिटोरियामें मुझे मिल गई थी वह तो अब असम्भव थी, परंतु जो-कुछ भी समय मिल जाता उसका उपयोग मैं स्वाध्यायमें करता, मेरा पत्र-व्यवहार बराबर जारी था। रायचंदभाई मेरा पथ-प्रदर्शन कर रहे थे। किसी मित्रने मुझे इस सत्रवर्षमें नर्मदाशंकर^१की 'धर्मविचार' नामक पुस्तक भेजी। उसकी प्रस्तावनासे मुझे सहायता मिली। नर्मदाशंकरके विद्यापीठी जीवनकी बातें सुनी थी। प्रस्तावनामें उनके जीवनमें हुए परिवर्तनोंका वर्णन मैंने पढ़ा और उसने मुझे भावपित किया, जिससे कि उस पुस्तकके प्रति मेरा आदर-भाव बढ़ा। मैंने उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा। मैक्समूलरकी पुस्तक 'हिंदुस्तानसे हमें क्या शिक्षा मिलती है?' मैंने बड़ी दिल-चस्पीसे पढ़ी। थियोसोफिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित उपनिषदोंका अनुवाद पढ़ा। उससे हिंदू-धर्मके प्रति मेरा आदर बढ़ा। उसकी खूबी मैं समझने लगा, परंतु इससे दूसरे धर्मोंके प्रति मेरे मनमें अभाव न उत्पन्न हुआ। वॉशिंगटन हरविग-कृत मुहम्मदका चरित और कार्लाइल-रचित 'मुहम्मद-स्तुति' पढ़ी। फलतः पैगंबर साहबके प्रति भी मेरा आदर बढ़ा। 'जरथुस्तके वचन' नामक पुस्तक भी पढ़ी।

इस प्रकार मैंने भिन्न-भिन्न संप्रदायोंका कम-ज्यादा ज्ञान प्राप्त किया। इसमें आत्म-निरीक्षण बढ़ा। जो-कुछ पढ़ा या पसंद हुआ उसपर चलनेकी आदत बढ़ी। इससे हिंदू-धर्ममें वर्णित प्राणायाम-विषयक कितनी ही क्रियायें, पुस्तकें पढ़कर मैं जैसी समझ सका था, शुरू की, पर कुछ मिलमिला जमा नहीं। मैं आगे न बढ़ सका। सोचा कि जब भारत लौटूंगा तब किसी शिक्षकसे सीख लूंगा, पर वह अबतक पूरा न हो पाया।

टाल्ट्रायकी पुस्तकोंका स्वाध्याय बढ़ाया। उनकी 'योस्पेल इन

^१ गुजरातके एक प्रसिद्ध ऋषि ।

बीफ', 'व्हाट-टु डू' इत्यादि पुस्तकोंने मेरे दिलपर गहरी छाप डाली। विश्व-प्रेम मनुष्यको कहातक ले जाता है, यह मैं उससे अधिकाधिक समझने लगा।

इन्ही दिनों एक दूसरे ईसाई-मुटुवके साथ मेरा सबध बघा। उन लोगोकी इच्छासे मैं वेस्लियन गिरजामें हर रविवारको जाता। प्राय हर रविवारको मेरा शामका खाना भी उन्हीके यहा होता। वेस्लियन गिरजाका मूझपर अच्छा असर नहुआ। वहा जो प्रवचन हुआ करते थे वे मुझे नीरस मालूम हुए। उपस्थित जनोमें मुझे भक्ति-भाव न दिखाई दिया। ग्यारह वजे एकत्र होनेवाली यह मडली मुझे भक्तोकी नहीं, बल्कि कुछ तो मनोविनोदके लिए और कुछ प्रथाके प्रभावसे एकत्र होनेवाले ससारी जीवोकी टोली मालूम हुई। कभी तो इस सभा में बरबस मुझे नौदके झोके आने लगते, जिससे मैं लज्जित होता, पर जब मैं अपने आस-पासवालोको भी झोके खाते देखता, तो मेरी लज्जा हलकी पड जाती। अपनी यह स्थिति मुझे अच्छी न मालूम हुई। अतको मैंने गिरजा जाना ही छोड दिया।

जिस परिवारके यहा मैं हर रविवारको जाता था, वहासे भी मुझे इस तरहमे छुट्टी मिली। गृह-स्वामिनी भोली, भली, परंतु सकुचित विचारवाली मालूम हुई। उसके साथ हर वक्त कुछ-न-कुछ धार्मिक चर्चा हुआ ही करती। उन दिनों मैं घरपर 'लाइट आफ एशिया' पढ रहा था। एक दिन हम ईसा और बुद्धकी तुलनाके फेरमे पड गये—

“बुद्धकी दयाको देखिए। मनुष्य-जातिसे आगे बढ़कर वह दूसरे प्राणियोतक जा पहुची। उसके कचेपर किलोल करनेवाले मेमनेका दृश्य आसोके सामने आते ही आपका दृश्य प्रेमसे नहीं उमड पडता? प्राणिमात्रके प्रति यह प्रेम मुझे ईसाके जीवनमे कही दिखाई नहीं देता।”

मेरे इस कथनसे उस बहनको दुख हुआ। मैं उनकी भावनाको समझ गया व अपनी वात आगे न चलाई। बादको हम भोजन करने गये। उसका कोई पाच सालका हसमुख बच्चा हमारे साथ था। बालक मेरे साथ होनेपर मुझे फिर किस वातकी जरूरत? उसके साथ मैंने दोस्ती तो पहले ही कर ली थी। मैंने उसकी धालीमे पडे मासके टुकडेका मजाक किया और अपनी रकानीमे शोभित

‘स्पण्डल’से इसका अनुवाद ‘क्या करें?’ नामसे प्रकाशित हुआ है।

नासपातीकी स्तुति गृह की। भोलाभाला बालक रीमा और नामपानीकी स्तुति मारीक हो गया।

परन्तु माता ? वह तो बेचारी दुःखमें पड़ गई।

मैं चेतता। चुप हो रहा और बातका विषय बदल दिया।

दुमरे सप्ताहमें मावधान रहकर उनके यहाँ गया तो, पर मेरा पाव मुझे भारी मालूम हो रहा था। अपने-आप उसके यहाँ जाना बंद कर देना मुझे न मन्ना, न उचित मालूम हुआ, पर उस भली बहनने ही मेरी कठिनाई हल कर दी। वह बोली— “मि० गाधी, आप बुरा न मानें, आपकी मोहबतका असर मेरे लडकेपर बुरा होने लगा है। अब वह रोज माम खानेमें आनाकानी करने लगा है और उन दिनकी आपकी बातचीतकी याद दिलाकर फल भागता है। मुझे यह ख़ास न हो सकेगा। मेरा बच्चा यदि घाम खाना छोड़ दे तो चाहे बीमार न हो, पर कमजोर जरूर हो जायगा। मैं यह कैसे देख सकती हूँ ? आपकी चर्चा हम प्रोफेसिंगोंम तो फायदेमंद हो सकती है, पर बच्चोंपर तो उसका असर बुरा ही पड़ता है।”

“मिमेज— मुझे खेद है। याद, —माना—मनाभावका मैं समझ सकता हूँ। मेरे भी बाल-बच्चे हैं। इन आपनिका अत आसानीसे हो सकता है। मेरी बातचीतकी अनेकाने मेरे खान-मानका और उसकी देनेसे अलग बालकोपर बहुत ज्यादा होता है। इसलिए भीया मन्ना यह है कि अबमें रविवारको मैं आपसे क्या न आया करूँ। इनारी मित्रतामें उनमें किसी प्रकार फर्क न आवेगा।”

“मैं आपका प्रयत्न मानती हूँ। वादों नृम होकर उनका दिया।

रखनी चाहिए। इस कारण अच्छे मुहल्लेमें बढिशा घर लिया था। घरको मजाया भी अच्छी तरह था। खान-पान तो सादा था, परन्तु अप्रेज मित्रोको भोजनके लिए बुलाया करता था और हिंदुस्तानी साथियोको भी निमन्त्रण दिया करता था, इसलिए आप ही खर्च और भी बढ गया था।

नीकर की तगी सभी जगह रहा करती। किसीको नाँकर बनाकर रखना आजतक मैंने जाना ही नहीं।

मेरे साथ एक साथी था। एक रसोइया भी रक्खा था। वह कुटुंबी ही बन गया था। दफ्तरके कारकुनोमें भी जो रक्खे जा सकते थे, उन्हें घरमें ही रक्खा था।

मेरा विश्वास ई कि यह प्रयोग ठीक मफल हुआ, परन्तु मुझे ममारके कट्टु अनुभव भी काफी मिले।

वह साथी बहुत हांगियार और मेरी समझके अनुसार वफादार था, पर मैं उसे पहचान न सका। दफ्तरके एक कारकुनकी मैंने घरमें रक्खा था। उस साथीको उसकी ईर्ष्या हुई। उसने ऐसा जाल रचा कि जिससे मैं कारकुनपर शक करने लगू। यह कारकुन बडी आजाद तबीयतके थे। उन्होंने घर और दफ्तर दोनो छोड दिये। इससे मुझे दुःख हुआ। उनके साथ कही अन्याय न हुआ हो, यह खयाल भीतर-ही-भीतर मुझे नीच रहा था।

इसी बीच मेरे रसोइयेको किसी कारणसे दूसरी जगह जाना पडा। मैंने उसे अपने मित्रकी मेवा-सुश्रूषाके लिए रक्खा था, इसलिए उसकी जगह दूसरा रसोइया लाया गया। बादको मैंने देखा कि वह बम्स उडती चिडिया भापनेवाला था; पर वह मुझे इस तरह उपयोगी हो गया, मानो मुझे उसकी जरूरत रही हो।

इस रसोइयेको रक्खे मुत्किलमें दो-तीन ही दिन हुए होंगे कि इतनेमें उसने मेरे घरकी एक भयकर बुराईको नाड लिया, जो मेरे ध्यानमें न आई थी, और उसने मुझे सचेत करनेका निश्चय किया। मैं विश्वासमणील और अपेक्षाकृत भना आदमी हूँ, यह धारणा लोगोको हो रही थी, इस कारण रसोइयेको मेरे ही घरमें फैली गंदगी भयानक मानूम हुई।

मैं दोपहरके भोजनके लिए दफ्तरमें एक बजे घर जाना था। कोई चारह बजे होंगे कि वह रसोइया हाफना हुआ दीडा आया और मुझमें कहा—

“आपको अगर कुछ देखना हो तो अभी मेरे साथ घर चलिए ।”

मैने कहा—“इसका क्या मतलब ? कहां भी आखिर क्या बातें हैं ?
ऐसे वक्त मेरे घर आनेकी क्या जरूरत, और देखना भी क्या है ?”

“न आओगे तो पछनाओगे । आपको इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता ।”
रसोइया बोला ।

उसकी दृढ़ताने मुझपर असर किया । अपने मुन्गीको साथ लेकर घर
गया । रसोइया आगे चला ।

घर पहुंचते ही वह मुझे दुमजिलेपर ले गया । जिस कमरेमें वह साथी
रहना था, उसकी ओर इशारा करके कहा—“इस कमरेको खोलकर देखो ।”

अब मैं ममझा, मैने दरवाजा खटखटाया । जवाब क्या मिलता ?
मैने बड़े जोरमे दरवाजा ठोका । दीवार काप उठी । दरवाजा खुला । अंदर
एक वदचलन औरत थी । मैने उनसे कहा—“वहन, तुम तो यहांसे इसी दम
चल दो । अब भूलकर यहां कदम मत रखना ।”

साथीसे कहा—“आजमे आपका-मेरा मवध टूटा । मैं अबतक खूब
घोड़मे रहा और वेवकूफ बना । मेरे विश्वासका बदला यही मिलना चाहिए था ?”

साथी बिगडा । मुझे धमकी देने लगा—“तुम्हारी सब बातें प्रकट
कर दूंगा ।”

“मेरे पान कोई गुप्त बात है ही नहीं । मैने जो-कुछ किया हो उसे
खुशीमे प्रकट कर देना, पर तुम्हाग मवव आजमे खत्म है ।”

माथी अधिक गर्म हुआ । मैने नीचे खड़े भुशीने कहा—“तुम जाओ,
पुलिन सुपरिण्टेंडेने मेग मलाम कहो और कहो कि मेरे एक माथीने मेरे साथ
द्रुग किया है । जमे मैं अपने घरमे रखना नहीं चाहता । फिर भी वह निकलनेमे
इन्कार करता है । मेहरवानी करके मदद भेजिए ।”

अपराधीके बराबर दीन नहीं । मेरे इतना कहते ही वह ठडा पडा ।
माफी मांगी । आजिजीने रहा—“सुपरिण्टेंडेके गहा आदमी न भेजिए ।”
और तुरन्त घर छोड देना स्वीकार किया ।

इन घटनाने ठीक ममयपर मुझे सावधान किया । वह माथी मेरे लिए
सोह-रूप और अनिष्ट था, यह बात अब जाकर मैं स्पष्ट रूपसे समझ सका ।

इस साथीको रखकर मैंने अच्छा काम करनेके लिए बुरे साधनको अपनाया था । कड़वे-करेलेकी बेलमें मैंने सुगन्धित बेलके फूलकी आशा रखी थी । साथीका चाल-चलम अच्छा न था, फिर-भी मैंने मान लिया था कि वह मेरे साथ वेवफा न होगा । उसे सुधारनेका प्रयत्न करते हुए मुझे खुद छींटे लगते-लगते बचे । अपने हितैषियोंकी सलाहका मैंने अनादर किया । मोहने मुझे भ्रष्टा बना दिया था ।

यदि इस दुर्घटनासे मेरी आँख न खुली होती, मुझे सत्यकी खबर न पडी होती, तो संभव है कि मैं कभी वह स्वार्पण न कर सकता, जो आज कर पाया हूँ । मेरी सेवा हमेशा अग्रणी रहती, क्योंकि यह साथी मेरी प्रगतिको रोके बिना नहीं रहता । मुझे उसके लिए बहुतेरा समय देना पड़ता । मुझे भ्रष्टेमें रखनेकी, कुसार्गमें ले जानेकी शक्ति उसमें थी । पर 'जाको राखे साइया मारि सके नहिँ कोय ।' मेरी निष्ठा शूद्र थी । इसलिए भूले करते हुए भी मैं बच गया और मेरे पहले अनुभवने ही मुझ भावधान किया ।

कौन जाने, ईश्वरने ही उस रसोइयेको प्रेरणा की हो । वह रसोई बनाना न जानता था, परन्तु उसके आये बिना मुझे कोई सज्ज न कर पाता । वह नाई पहली ही बार मेरे घरमें न आई थी, परन्तु इम रसोइयेकी तरह दूसरेकी हिम्मत नहीं पडती, क्योंकि सब जानते थे कि मैं उस साथीपर बेहद विश्वास रखता था ।

इतनी सेवा करके रसोइया उसी दिन और उसी क्षण चला गया । उत्तन कहा—“मैं आपके यहाँ नहीं रह सकता । आप ठहरे भोले आदमी, यहाँ मुझ-जैसाका काम नहीं ।” मैंने भी उससे रहनेका आग्रह नहीं किया ।

उस कारकुनपर शक पैदा करानेवाला यह साथी ही था, यह बात मुझे अब जाकर मालूम हुई । मैंने उस कारकुनके साथ न्याय करनेका बहुत उद्योग किया, पर मैं उसे पूरी तरह सतोष न दे सका । मुझे इस बातका सदा दुःख रहा । फूटा बरतन कितना ही झाला जाय, वह झाला हुआ ही माना जायगा, नया जैसा साबित न होने पायेगा ।

२४

देशकी और

भव दक्षिण अफ्रीकामें रहते हुए मुझे तीन साल हो गये थे । लोगोंसे मेरी जान-पहचान हो गई थी । वे मुझे जानने-बूझने लगे थे । १८९६ ई०में मैंने छ महीनेके लिए देश जानेंकी इजाजत चाही । मैंने देखा कि दक्षिण अफ्रीकामें मुझे बहुत समयतक रहना होगा । मेरी बकालत ठीक-ठीक चल निकली थी । सार्वजनिक कामोंके लिए लोग मेरी बड़ा आवश्यकता समझते थे । मैं भी समझता था । इसलिए मैंने दक्षिण अफ्रीकामें सकुटुब रहनेका निश्चय किया और इसके लिए देश जाना ठीक समझा । फिर यह भी देखा कि देश जानेंमें कुछ यहाँका काम भी हो जायगा । देशमें लोगोंके नामने यहाँके प्रसन्नकी चर्चा करनेसे उनकी अधिक दिलचस्वी पदा हो सकेगी । तीन पाँचका कर एक बहना हुआ थाव था । जबतक वह उठ न जाता, जीको चैन नहीं हो सकती थी ।

पर यदि मैं देश जाऊ तो फिर कांग्रेसका और शिक्षा-मंडलके कामका कौन जिम्मा ले ? दो सायियोपर नजर गईं । आदमजी मिया खान और पारसी रुस्तमजी । व्यापारी-वर्गमें से बहुतेरे काम करनेवाले ऊपर उठ आये थे, पर उनमें प्रथम पक्षमें आने योग्य यही दो मज्जान ऐसे थे जो मन्त्रीका काम नियमित रूपमें कर सकते थे, और जो दक्षिण अफ्रीकामें जन्मे भारतवासियोंका मन हरण कर सकते थे । मन्त्रीके लिए मामूली अंग्रेजी जानना तो आवश्यक था ही । मैंने इनमेंसे स्वर्गीय आदमजी मिया खानको मन्त्री-पद देनेकी सिफारिश की और वह स्वीकृत हुई । अनुभवसे यह पमदगी बहुत ही अच्छी साबित हुई । अपनी उद्योगशीलता, उदारता, मिठान और विवेकके द्वारा सेठ आदमजी मिया खानने अपना काम मनोऽज्जनक रीतिमें किया और नवनों विश्वास हो गया कि मन्त्रीका काम करनेके लिए वकील-रिजिस्टरकी अथवा पदवीचारी बड़े अजीबदाकी जरूरत न थी ।

१८९६के मध्यमें मैं पांगोला जहाँसे देशको रवाना हुआ । यह कलकत्ता जानेवाला जहाज था ।

जहाजमें यात्री बहुत थोड़े थे । दो अंग्रेज अफसर थे । उनका मेरा

अच्छा मेल बैठ गया। एकके साथ तो रोज १ घंटा गतरज खेला करता था। जहाजके डाक्टरन मुझे एक 'तामिल-गिस्क' दिया था और मैंने उसका अभ्यास शुरू कर दिया था।

नेटालमें मैंने देखा कि मुसलमानोंके निकट परिचयमें आनेके लिए मुझे उर्दू सीखनी चाहिए, तथा मदरासियोंसे सबब बाधनेके लिए तामिल जान लेना चाहिए। उर्दूके लिए मैंने अग्रेज मित्रके कहनेसे डेके यात्रियोंमेंसे एक अच्छा मुशी खोज निकाला था, और हम लोगोंकी पढाई अच्छी चलने लगी थी। अग्रेज अफसरकी स्मरण-शक्ति मुझसे तेज थी। उर्दू अक्षरोंको पहचाननेमें मुझे दिक्कत पडती थी, पर वह तो एक वार शब्द देख लेनेके बाद उसे भूलता ही न था। मैंने अपनी मेहनतकी मात्रा बढ़ाई भी, पर उसका मुकाबला न कर सका।

तामिलकी पढाई भी ठीक चली। उसमें किसीकी मदद न मिल सकती थी। पुस्तक लिखी भी इस तरह गई थी कि बहुत मददकी जरूरत न थी।

मुझे आशा थी कि देश जानेके बाद यह पढाई जारी रह सकेगी, पर ऐसा न हो पाया। १८९३के बाद मुझे पुस्तके पढनेका अवसर प्रधानत जेलमें ही मिला है। इन दोनों भाषाओंका ज्ञानमैंने बढ़ाया तो, पर वह सब जेलमें ही हुआ—तामिलका दक्षिण अफ्रीकाकी जेलमें और उर्दूका यरवडामें, पर तामिल बोलनेका अभ्यास कभी न हुआ। पढना तो ठीक-ठीक आ गया था, किंतु पढनेका अवसर न आनेसे उसका अभ्यास छूटसा जाता है, इस बातका मुझे बराबर दुःख बना रहता है। दक्षिण अफ्रीकाके मदरासी भाइयोंसे मैंने खब प्रेम-रस पिया है। उनका स्मरण मुझे प्रतिक्षण रहता है। जब-जब मैं किसी तामिल-तेलगूको देखता हूँ, तो उनकी श्रद्धा, उनकी उद्योगशीलता, बहुतेका निस्वार्थ त्याग, याद आये बिना नहीं रहता, और ये सब लगभग निरक्षर थे। जैसे पुरुष, वैसी ही स्त्रियाँ। दक्षिण अफ्रीकाकी लडाईं ही निरक्षरोंकी थी और निरक्षर ही उसके लडनेवाले थे। वह गरीबोंकी लडाईं थी और गरीब ही उसमें जूते।

इन भोले और भले भारतवासियोंका चित्त चुरानेके लिए भाषाकी भिन्नता कभी बाधक न हुई। वे टूटी-फूटी हिंदुस्तानी और अग्रेजी जानते थे और उससे हम अपना काम चला लेते थे, पर मैं तो इस प्रेमका बदला चुकानेके लिए तामिल सीखना चाहता था। अतः तामिल तो कुछ-कुछ सीख ली। तेलगू जाननेका

प्रयत्न हिंदुस्तानमें किया, परन्तु वर्णमान्नासे आगे न बढ़ सका ।

इस तरह तामिल-तेलंगू न पढ़ पाया और अब शायद ही पढ़ पाई । इसलिए मैं यह आशा रख रहा हूँ कि ये द्राविड भाषा-भाषी हिंदुस्तानी सीख लेंगे । दक्षिण अफ्रीकाके द्राविड— ' मद्रामी ' तो अब्बय थोड़ी-बहुत हिंदी बोलते हैं, मुश्किल है अंग्रेजी पढ़े-लिखोकी । ऐसा मालूम होता है, मानो अंग्रेजीका ज्ञान हमें अपनी भाषायें सीखनेमें बाधक हो रहा है ।

पर यह तो विषयांतर हो गया । हमें अपनी यात्रा पूरी करनी चाहिए । अभी पोगोलाके कप्तानका परिचय करना बाकी है । अस्तु । हम दोनों मित्र हो गये थे । यह कप्तान प्लीमथ ब्रदरके संप्रदायका था । इसलिए जहाज-विद्याकी अपेक्षा आध्यात्मिक विद्याकी ही बातें हम दोनोंमें अधिक हुईं । उसने नीति और धर्म-श्रद्धामें फर्क बताया । उसकी दृष्टिमें बाइबिलकी शिक्षा लड़कोंका खेल था । उसकी खूबी उसकी सरलता है । बालक, स्त्री-पुरुष, सब ईसाको और उसके वलिदानको मान ले कि बस, उनके पाप धुल जावेंगे । इस प्लीमथ ब्रदर ने मेरे प्रिटोरियाके ' ब्रदर की पहचान ताजा कर दी । जिस धर्ममें नीति की चौकीदारी करनी पडनी हो वह उसे नीगम मालूम हुआ । इस मित्रता और आध्यात्मिक चर्चाकी तहमे था मेरा ' अन्नाहार ' । मैं मास क्यों नहीं खाता ? गो-मांसमें क्या बुराई है ? वनस्पतिकी तरह क्या पशु-पक्षियोंको भी ईश्वरने मनुष्यके आनंद तथा आहारके लिए नहीं बनाया है ? ऐसी प्रश्नमाला आध्यात्मिक वार्तालाप उत्पन्न किये बिना नहीं रह सकती थी ।

पर हम दोनों एक-दूसरेको न समझा सके । मैं अपने इस विचारपर दृढ़ हुआ कि धर्म और नीति एक ही बस्तुके वाचक हैं । इस कप्तानको भी अपनी धारणाकी सत्यतापर संदेह न था ।

चौबीस दिनके अंतमें यह आनंददायक यात्रा पूरी हुई, और मैं ड्रगलीका सौंदर्य निहारता हुआ कलकत्ता उतरा । उसी दिन मैंने बर्षई जानेके लिए टिकट कटाया ।

२५

हिंदुस्तानमें

कलकत्तासे बंबई जाते हुए रास्तेमें प्रयाग पड़ता था। वहाँ ४५ मिनट गाड़ी खड़ी रहती थी। मैंने सोचा कि इतने समयमें जरा शहर देख आऊ। मुझे दवाफरोशके यहाँसे दवा भी लेनी थी। दवाफरोश ऊँघता हुआ बाहर आया। दवा देनेमें बड़ी देर लगा दी। ज्योंही मैं स्टेशन पर पहुँचा, गाड़ी चलती हुई दिखाई दी। भले स्टेशन मास्टरने गाड़ी एक मिनट रोकੀ भी, पर फिर मुझे वापस न आता देखकर मेरा सामान उतरवा लिया।

मैं केलनरके होटलमें उतरा और यहाँसे अपना काम शुरू करनेका निश्चय किया। यहाँके 'पायोनियर' पत्रकी ख्याति मैंने सुनी थी। भारतकी आकाश-ओका वह विरोधी था, यह मैं जानता था। मुझे याद पड़ता है कि उस समय मि० चेजनी (छोटे) उसके सपादक थे। मैं तो सब पक्षके लोगोसे मिलकर सहायता प्राप्त करना चाहता था। इसलिए मि० चेजनीको मैंने मिलनेके लिए पत्र लिखा। अपनी ट्रेन छूट जानेका हाल लिखकर सूचित किया कि कल ही मुझे प्रयागसे चला जाना है। उत्तरमें उन्होंने तुरत मिलनेके लिए बुलाया। मैं खुश हुआ। उन्होंने गौरसे मेरी बातें सुनी। 'आप जो कुछ लिखेंगे, मैं उसपर तुरत टिप्पणी करूँगा,' यह आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा— "पर मैं आपसे यह नहीं कह सकता कि आपकी सब बातोंको मैं स्वीकार कर सकूँगा। औपनिवेशिक दृष्टिबिंदु भी तो हमें समझना और देखना चाहिए न?"

मैंने उत्तर दिया— "आप इस प्रश्नका अध्ययन करें और अपने पत्रमें इसकी चर्चा करते रहें, यही मेरे लिए काफी है। शुद्ध न्यायके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता।"

शेष समय प्रयागके भव्य त्रिवेणी-मगमके दर्शन और अपने कामके विचारमें गया।

इस आकस्मिक मुलाकातने नेटालमें मुझपर हुए हमलेका बीजारोपण किया।

ब्रवईने बिना कहीं लके सीधा राजकोट गया और एक पुस्तिका लिखनेकी नैयारी की, उसे लिखने तथा छपानेमें कोई एक महीना लग गया। उसका मुखपृष्ठ हरे रंगका था, इस कारण वह बादको 'हरी पुस्तिका' के नाममें प्रसिद्ध हो गई थी। उसमें मैंने दक्षिण-अफ्रीकाके हिंदुस्तानियोंकी स्थितिका चित्र खींचा था, और सोच-समझकर उसमें न्यूनोक्तिमें काम लिया था। नेटालकी जिन पुस्तिकाओंका जिक्र मैं ऊपर कर चुका हूँ, इसमें उनमें नरम भाषा इस्तमाल की गई थी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि छोटा दुःख भी दूरसे देखते हुए बड़ा मालूम होता है।

'हरी पुस्तिका'की दस हजार प्रतियाँ छपवाई और सारे हिंदुस्तानके भ्रमवारोको तथा भिन्न-भिन्न दलोंके मगहूर लोगोंको भेजी। 'पायोनियर' में उसपर सबसे पहले लेख प्रकाशित हुआ। उसका साराश बिलायत गया और उस साराशका साग फिर स्टारकी गार्फन नेटाल गया। यह तार सिर्फ तीन लाइनका था। वह नेटालके हिंदुस्तानियोंके दुःखोंके मेरे किये वर्णनका छोटा-सा सस्करण था। वह मेरे शब्दोंमें न था। उसका जो असर बड़ा हुआ वह हम आगे चलकर देखेंगे। धीरे-धीरे तमाम प्रतिष्ठित समाचार-पत्रोंमें इस प्रश्नपर टिप्पणियाँ हुईं।

इन पुस्तिकाओंको डाकमें डालनेके लिए तैयार कराना उलझनका और काम देकर कराना तो खर्चका भी काम था। मैंने एक आसान तरकीब खोज निकाली। मुहल्लेके तमाम लडकोंको इकट्ठा किया और मुबहके समय दो-तीन घंटे उनसे भागे। लडकोंने इतनी सेवा खुशीसे मजूर की। अपनी तरफसे मैंने उन्हें डाकके रद्दी टिकट तथा आशीष देना स्वीकार किया। लडकोंने खेल-खेलमें मेरा काम पूरा कर दिया। छोटे-छोटे बालकोंको स्वयंसेवक बनानेका मेरा यह पहला प्रयोग था। इस दलके दो बालक आज मेरे साथी हैं।

इन्हीं दिनों पहले-पहल प्लेगका दौरा हुआ। चारों ओर भगदड़ मच गई थी। राजकोटमें भी उसके फैल जानेका डर था। मैंने सोचा कि आरोग्य-विभागमें अच्छा काम कर सकूंगा। मैंने राज्यको लिखा कि मैं अपनी सेवार्थें अर्पित करनेको तैयार हूँ। राज्यने एक समिति बनाई और उसमें मुझे भी रक्खा। पाखानोंकी मफाईपर मैंने जोर दिया और समितिने मुहल्ले-मुहल्ले जाकर पाखानों-

की जाच करनेका निश्चय किया। गरीब लोग अपने पाखानोंकी जाच करनेमें विलकुल आनाकानी न करते थे। यही नहीं, बल्कि जो सुधार बताये गये वे भी उन्होंने किये। पर जब हम राजकाजी लोगोंके धरोकी जाच करने गये तब कितनी ही जगह तो हमें पाखाना देखने तरुकी इजाजत न मिली—सुधारकी तो बात ही क्या? आम तौरपर हमें यह अनुभव हुआ कि धनिकोंके पाखाने अधिक गंदे थे। खूब भवेरा, बदबू और अजहद गंदगी थी। बैठनेकी जगह कौड़े कुलबुलाते थे। मानो रोज जीते जी नरकमें जाना था। हमने जो सुधार सुझाये थे, वे विलकुल मामूली थे, मंला जमीनपर नहीं बल्कि कूटोंमें गिरा करे। पानी भी जमीनमें जञ्च होनेके बदले कूटोंमें गिरा करे। बैठक और भगीके आनेकी जगहके बीचमें दीवार रहती है वह तोड़ डाली जाय, जिससे भगी सारा हिस्सा अच्छी तरह साफ कर सके, और पाखाना भी कुछ बड़ा हो जाय तो उसमें हवा-प्रकाश जा सके। बड़े लोगोंने इन सुधारोंके रास्तेमें बड़े झगड़े खड़े किये और आखिर होने ही नहीं दिये।

ममतिको डेडोके मुहल्लो में भी जाना था, पर सिर्फ एक ही सदस्य मेरे साथ वहा जानेके लिए तैयार हुआ। एक तो बहा जाना और फिर उनके पाखाने देखना, परन्तु मुझे तो डेडवाडा देखकर सानदाश्चर्य हुआ। अपनी जिंदगीमें मैं पहली ही बार डेडवाडा गया था। डेड भाई-बहन हमें देखकर आश्चर्य-चकित हुए। हमने कहा—“हम तुम्हारे पाखाने देखना चाहते हैं।”

उन्होंने कहा—“हमारे यहा पाखाने कहा? हमारे पाखाने तो जगजमें होने हैं। पाखाने तो होते हैं आप बड़े लोगोंके यहा।”

मैंने पूछा—“अच्छा तो अपने घर हमें देखने दोगे?”

“हा, साहब, जरूर! हमें क्या उज्र हो सकता है? जहा जी चाहे आइए। हमारे तो ये ऐसे ही घर हैं।”

मैं अदर गया। घर तथा आगनकी सफाई देखकर खुश हो गया। घर माफ-सुथरा लिपा-पुता था। आगन नुहारा हुआ था, और जो थोड़े-बहुत वरतन थे वे साफ मजे हुए चमकदार थे।

एक पाखानेका वर्णन किये बिना नहीं रह सकता। मोरी तो हर घरमें रहती ही है, पानी भी उसमें बहता है और पेगाव भी किया जाता है। अतएव

कोई कमरा मुश्किलमें बिना बंदबूवाला होगा। पर एक घरमें तो सोनेके कमरेमें मोरी और पाखाना दोनों देखे और यह सारा मैला नलमेंसे नीचे उतरता था। इस कमरेमें खड़ा होना मुश्किल था। अब पाठक ही इस बातका अंदाजा कर लें कि उसमें घरवाले सो कैसे सकते होंगे ?

समिति हवेली—वैष्णव मंदिर—देखने भी गई थी। हवेलीके मुखियाजी-ने गांधी-कुट्टवका अच्छा सवष था। मुखियाजीने हवेली देखने देना तथा जितना हो सके सुधार करना स्वीकार किया। उन्होंने खुद उस हिस्सेको कभी न देखा था, हवेलीकी पतले और जूठन आदि पीछेकी छतसे फेंक दिये जाते। वह हिस्सा कौभ्रो और चीलोका घर बन गया था। पाखाने तो गंदे थे ही। मुखियाजीने कितना सुधार किया, यह मैं न देख पाया। हवेलीकी गदगी देखकर दुःख तो बहुत हुआ। जिस हवेलीको हम पवित्र स्थान समझते हैं, वहा तो आरोग्यके नियमोका काफी पालन होनेकी आशा रखते हैं। स्मृतिकारोंने जो वाह्यान्तर गीचपर बहुत जोर दिया है, यह वान मेरे ध्यानसे बाहर उस समय भी न थी।

२६

राजनिष्ठा और शुश्रूषा

दुद्ध राजनिष्ठाका अनुभव मैंने जितना अपने अदर किया हूँ उतना शायद ही डूमरोमें किया हो। मैं देखता कि इस राजनिष्ठाका मूल है मेरा सत्यके प्रति स्वाभाविक प्रेम। राजनिष्ठाका अथवा किन्ही दूसरी चीजका डोग मुझसे आजतक न हो सका। नेटालमें जिन किसी मन्त्रों में जाता, 'गॉड सेव दि किंग' बराबर गाया जाता। मैंने सोचा, मुझे भी गाना चाहिए। यह बात नहीं कि उस समय मुझे ब्रिटिश राज्य-नीतिमें बुगइया न दिखाई देती थी। फिर भी आमतौरपर मुझे यह नीति अच्छी मालूम होती थी। उस समय यह मानता था कि ब्रिटिश-राज्य तथा राज्य-नर्ताओंकी नीति कुल मिलाकर प्रजा-भोषक हैं।

पर दक्षिण अफ्रिकामें उलटी नीति दिखाई देती, रंग-द्वेष नजर आता। मैं समझता कि यह क्षणिक और स्थानिक है। इस कारण राजनिष्ठामें मैं अंग्रेजोंकी प्रतिस्पर्धा करनेकी चेष्टा करता। वहाँ अमके साथ अंग्रेजोंके गट्ट-गीत 'गॉड

सेव दि किंग 'का स्वर मैंने साधा । सभाओंमें जब वह गाया जाता, तब अपना सुर उसमें मिलाता । और बिना ग्राहबर क्रिये वफादारी दिखानेके जितने अवसर आते सबमें शरीक होता ।

अपनी जिदगीमें कभी मैंने इस राजनिष्ठाकी दूकान नहीं लगाई । अपना निजी मतलब साध लेनेकी कभी इच्छातक न हुई । वफादारीको एक तरहका कर्ज समझकर मैंने उसे भ्रवा किया है ।

जब भारत आया, तब महारानी विक्टोरियाकी डायमड जुबिलीकी तैयारिया हो रही थी । राजकोटमें भी एक समिति बनाई गई । उसमें मैं निमंत्रित किया गया । मैंने निमंत्रण स्वीकार किया, पर मुझे उसमें ढकोसलेकी दू आई । मैंने देखा कि उसमें बहुतेरी बातें महज दिखावेके लिए की जाती हैं । यह देखकर मुझे दु ख हुआ । मैं सोचने लगा कि ऐसी दशामे समितिमें रहना चाहिए, या नहीं ? अतको यह निश्चय किया कि अपने कर्तव्यका पालन करके सतोष मान लेना ही ठीक है ।

एक तजवीज यह थी कि पेढ लगाये जाय । इसमें मुझे पाखड दिखाई दिया । मालूम हुआ कि यह सब महज साहव लोगोको खुश करनेके लिए किया जाता है । मैंने लोगोको यह समझानेकी कोशिश की कि पेढ लगाना लाजिमी नहीं किया गया है, सिर्फ सिफारिश भर की गई है । यदि लगाना ही हो तो फिर सच्चे दिन्से लगाना चाहिए, नहीं तो मुतलक नहीं । मुझे कुछ-कुछ ऐसा याद पडता है कि जब मैं ऐसी बात कहता तो लोग उसे हसीमें उडा देते थे । जो हो, अपने हिस्सेका पेढ मैंने अच्छी तरह बोया और उसकी परवरिश भी की, यह अच्छी तरह याद है ।

'गॉड सेव दि किंग' मैं अपने परिवार के बच्चोको भी सिखाता था । मुझे याद है कि ट्रेनिंग कालेजके विद्यार्थियोको मैंने यह सिखाया था, परतुझे यह ठीक-ठीक याद नहीं पडता कि यह इसी मौकेपर सिखाया था, अथवा सप्तम एडवर्डके राज्यारोहणके प्रसंगपर । आगे चलकर मुझे यह गीत गाना अखर । ज्यो-ज्यो मेरे मनमें अहिंसाके विचार प्रबल होते गये, त्यो-त्यो मैं अपनी दाणी और विचारकी अधिक चौकीदारी करने लगा । इस गीतमे ये दो पक्तिया भी हैं—

'उसके शत्रुओका नाश कर,
रुनकी चालो विफल कर ।'

यह भाव मुझे सटका । अपने मित्र डा० बूथके सामने मैंने अपनी कठिनाई पेश की । उन्होंने भी स्वीकार किया कि हा, अहिंसावादी मनुष्यको यह गान दोषा नहीं देता । जिन्हें हम शत्रु कहते हैं, वे दगाबाजी ही करते हैं, यह कैसे मान लें ? यह कैसे कह सकते हैं कि जिन्हें हमने शत्रु मान लिया है वे सब बुरे ही हैं । ईश्वरसे तो हम न्यायकी ही याचना कर सकते हैं । डा० बूथको यह दलील जंची । उन्होंने अपने समाजमें गानेके लिए एक नये ही गीतकी रचना की । डा० बूथका विशेष परिचय आगे दूंगा ।

जिस प्रकार अफ़ादारीका स्वाभाविक गुण मुझमें था, उसी तरह क्षुभ्रुषाका भी था । बीमारोकी मेवा-क्षुभ्रुषाका शोक, फिर बीमार चाहे अपने हो या पराये, मुझे था । राजकोटमें दक्षिण अफ़रीका-सवषी काम करते हुए मैं एक बार बन्दई गया । इरादा यह था कि बड़े-बड़े शहरोंमें सभायें करके लोकमत विशेष रूपसे तैयार किया जाय । इसी सिलसिलेमें मैं बन्दई गया था । पहले न्यायमूर्ति रानडेसे मिला । उन्होंने मेरी बात ध्यानने सुनी और सर फ़िरोजशाहसे मिलनेकी सलाह दी । फिर मैं जस्टिस बदरहीन तैयबजीसे मिला । उन्होंने भी मेरी बात सुनकर यही सलाह दी । 'जस्टिस रानडेसे और मुझसे आपको बहुत कम सहायता मिल सकेगी । हमारी स्थिति आप जानते हैं । हम मार्चजनिक कामोमें योग नहीं दे सकते, परंतु हमारे मनोभाव और सहानुभूति आपके साथ हुई है । हां, सर फ़िरोजशाह आपकी सच्ची सहायता करेंगे ।'

सर फ़िरोजशाहमे तो मैं मिलने ही वाला था । परंतु इन दो बुलुगोंकी यह राय जानकर कि उनकी सलाहसे चलो, मुझे इस बातका ज्ञान हुआ कि सर फ़िरोजशाहका कितना अधिकार लोगोपर है ।

मैं सर फ़िरोजशाहसे मिला । मैं उनसे चकाचौंध होनेके लिए तैयार ही था । उनके नामके साथ लगे बड़े-बड़े विशेषण मैंने सुन रखते थे । 'बदईके जेर', 'बदईके बेताजके वादशाह' से मिलना था । परंतु बादशाहने मुझे भयभीत नहीं किया । जिन प्रकार पिता अपने जबान पुत्रसे प्रेमके साथ मिलता है, उसी प्रकार वह मुझसे मिले । उनके चेंबरमें उनसे मिलना था । अनुयायियोंने तो मदा धिरे हुए रहते ही न । चाच्छा थे, कामा थे । उनमें मेरा परिचय कराया । वाच्छाका नाम मैंने मुना था, वह फ़िरोजशाहके दाहिने हाथ माने जाने थे । अक-

गास्त्रीके नामसे वीरचन्द गाधीने मुझे उनका परिचय कराया था । उन्होने कहा—
“ गाधी, हम फिर भी मिलेंगे । ”

कुल दो ही मिनटमें यह सब हो गया । सर फिरोजशाहने मेरी बात सुन ली । न्यायमूर्ति रानडे और तैयबजीसे मिलनेकी भी बात मने कही । उन्होने कहा—“ गाधी, तुम्हारे कामके लिए मुझे एक सभा करनी होगी । तुम्हारे काममें जरूर मदद देनी चाहिए । ” मुझीकी और देखकर सभाका दिन निश्चय करनेके लिए कहा । दिन तय हुआ और मुझे छुट्टी मिली । कहा—“ सभा के एक दिन पहले मुझसे मिल लेना । ” निश्चित होकर मनमें फूलता हुआ मैं अपने घर गया ।

मेरे बहनोई बचईमें रहते थे, उनसे मिलने गया । वह बीमार थे । गरीब हालत थी । बहन अकेली उनकी सेवा-शुभ्रूषा नहीं कर सकती थी । बीमारी सख्त थी । मने कहा—“ मेरे साथ राजकोट चलिए । ” वह राजी हुए । बहन-बहनोईको लेकर मैं राजकोट गया । बीमारी अदाजसे बाहर भीषण हो गई थी । मने उन्हें अपने कमरेमें रक्खा । दिन भर मैं उनके पास ही रहता । रातको भी जागना पड़ता । उनकी सेवा करते हुए दक्षिण अफ्रीकाका काम मैं कर रहा था । अतमें बहनोईका स्वर्गवास हो गया, पर मुझे इस बातमें कुछ सतोष रहा कि अत समय उनकी सेवा करनेका अवसर मुझे मिल गया ।

शुभ्रूषाके इस शौकने आगे चलकर व्यापक रूप धारण किया । वह यहातक कि उसमें मैं अपना काम-बधा छोड़ बैठता । अपनी धर्मपत्नीको भी उसमें लगाता और सारे घरको भी शामिल कर लेता था । इस वृत्तिको मने ‘ शौक ’ कहा है, क्योंकि मने देखा कि यह गुण तभी निभता है, जब आनन्ददायक हो जाता है । खीचा-तानी करके दिखावे या मुलाहिजेके लिए जब ऐसे काम होते हैं, तब वह मनुष्यको कुचल डालते हैं और उनको करते हुए भी मनुष्य मुरझा जाता है । जिस सेवासे चित्तको आनन्द नहीं मालूम होता, वह न सेवकको फलती है, न सेव्यको सुहाती है । जिस सेवासे चित्त आनन्दित होता है उसके सामने ऐशोआराम या धनोपार्जन इत्यादि बातें तुच्छ मालूम होती हैं ।

२७

बंबईमें सभा

बहनोईके देहातके दूसरे ही दिन मुझे सभाके लिए बंबई जाना था मुझे इतना समय न मिला था कि अपने भाषणकी तैयारी कर रखता । जागरण करते-करते थक रहा था । आवाज भी भारी हो रही थी । यह विचार करता हुआ कि ईश्वर किसी तरह निवाह लेगा, मैं बंबई गया । भाषण लिखकर लेजाने का तो मुझे स्वप्न में भी खयाल न हुआ था ।

सभाकी तिथिके एक दिन पहले ग्रामको पाच बजे आमानुसार में सर फिरोजशाहके दफ्तरमें हाजिर हुआ ।

“ गांधी, तुम्हारा भाषण तैयार है न ? ” उन्होंने पूछा ।

“ नहीं तो, मैंने जवानी ही भाषण करनेका इरादा कर रक्खा है । ” मैंने डरते-डरते उत्तर दिया ।

“ बंबईमें ऐसा न चलेगा । यहाका रिपोर्टिंग खराब है, और यदि हम चाहते हो कि इस सभामें लाभ हो तो तुम्हारा भाषण लिखित ही होना चाहिए और रातों-रात छपा लेना चाहिए । रातहीको भाषण लिख मकीने न ? ”

मैं पनोपेजामे पडा, परंतु मैंने लिखनेकी कोशिश करना स्वीकार किया ।

“ तो मुशी तुमसे भाषण लेने कब आवे ? ” बंबईके मिह बोले ।

“ ग्यान्ह बजे । ” मैंने उत्तर दिया ।

मर फिरोजशाहने मुशीको हुकम दिया कि उतने बजे जाकर मुझमें भाषण ले आवे और रातों-रात उसे छपा लें । इसके बाद मुझे विदा किया ।

दूसरे दिन सभामें गया । मैंने देखा कि लिखित भाषण पटनेकी सलाह कितनी बुद्धिमत्तापूर्ण थी । फ्रामजी काबसजी इस्टीट्यूटके हालमें सभा थी । मैंने मुत रक्खा था कि सर फिरोजशाहके भाषणमें सभा-भवनमें बडे रहनेको जगह न मिलनी थी । इसमें विद्यार्थी लोग खूब दिनचम्पी लेते थे ।

ऐसी सभाका मुझे यह पहला अनुभव था । मुझे विश्वास हो गया कि मेरी आवाज लोगोनक नहीं पहच सकती । कल्पने-कल्पने मैंने अपना भाषण शुरू

किया। सर फिरोजशाह मुझे उत्साहित करते जाते— 'हा, जरा और ऊंची आवाजमे।' ज्यो-ज्यो वह ऐसा कहते त्यो-त्यो मेरी आवाज गिरती जाती थी।

मेरे पुराने मित्र केमवराव देशपांडे मेरी मददके लिए दौड़े। मैंने उनके हाथमे भाषण मौपकर छुट्टी पाई। उनकी आवाज थी तो बुलद, पर प्रेक्षक क्यो सुनने लगे? 'वाच्छा', 'वाच्छा' की पुकारमे हाल गूज उठा। अब वाच्छा उठे। उन्होंने देशपांडेके हाथसे कागज लिया और मेरा काम बन गया। सभामें तुरत सभाटा छा गया और लोगोने 'अथसे इतितक' भाषण सुना। मामूलके मुताबिक प्रमगानुसार 'शर्म', 'अर्म' की अथवा करतल-ध्वनि हुई। सभाके डम फलसे मैं खुश हुआ।

सर फिरोजशाहको भाषण पसंद आया। मुझे गगा नहानेके वरावर मतोष हुआ।

इस सभाके फल-स्वरूप देशपांडे तथा एक पारसी सज्जन ललचाये। पारसी सज्जन आज एक पदाधिकारी हैं, इसलिए उनका नाम प्रकट करते हुए हिचकता हू। जज खुरशेदजीने उनके निश्चयको डावाडोल कर दिया। उसकी तहमे एक पारसी बहन थी। विवाह करे या दक्षिण अफ्रीका जाय? यह समस्या उनके सामने थी। अतको विवाह कर लेना ही उन्होंने अधिक उचित समझा, परंतु इन पारसी मित्रकी तरफसे पारसी सुस्तमजीने इसका प्रायश्चित्त किया। और उस पारसी बहनकी ओरसे दूसरी पारसी बहने, सेविका बनकर, खादीके लिए वैराग्य लेकर, प्रायश्चित्त कर रही हैं। इस कारण इस इपतीको मैंने माफ कर दिया है। देशपांडेको विवाहका प्रनोभन तो न था, पर वह भी न आ सके। इसका प्रायश्चित्त अब वह खुद ही कर रहे हैं। लौटती बार रास्तेमें जजीवार पडता था। वहा एक तैयबजीसे मुलाकात हुई। उन्होंने भी आनेकी आशा दिलाई थी, पर वे भला दक्षिण अफ्रीका क्यो आने लगे? उनके न आनेके गुनाहका बदला अब्बास तैयबजी चुका रहे हैं, परंतु बैरिस्टर मित्रोको दक्षिण अफ्रीका आनेके लिए लुभानेके मेरे प्रयत्न डम तरह विफल हुए।

यहा मुझे पेस्तनजी पादशाह याद आते हैं। विलायतसे ही उनका मेरा मन्वर सबध हो गया था। पेस्तनजीसे मेरा परिचय लदनके अन्नाहारी

भोजनालयमें हुआ था उनके भाई बरजोरजी एक 'सनकी' आदमी थे। मैंने उनकी ख्याति सुनी थी, पर मिला न था, मित्र लोग कहते, वह 'बन्ध (सनकी) हैं। थोड़ेपर दया खाकर ट्राममें नहीं बैठते। शतावधानीकी तरह स्मरण-शक्ति होते हुए भी डिप्रीके फेरमें नहीं पड़ते। इतने आजाद मिजाज कि किसीके दम-शासेमें नहीं आते और पारसी होते हुए भी अन्नाहारी ! पेस्तनजीकी डिप्री इतनी घटी हुई नहीं समझी जाती थी, पर फिर भी उनका बुद्धि-वैभव प्रसिद्ध था। विलायतमें भी उनकी ऐसी ही ख्याति थी, परतु उनके-भेरे सबका मूल तो था उनका अन्नाहार। उनके बुद्धि-वैभवका मुकाबला करना मेरे सामर्थ्यके बाहर था।

बचईमें मैंने पेस्तनजीको खोज निकाला। वह प्रोथोनोटररी थे। जब मैं मिला तब वह बृहद् गुजराती शब्द-कोषके काममें लगे हुए थे। दक्षिण अफ्रीकाके कामें मदद लेनेके सबबमें मैंने एक भी मित्रको टटोले बिना नहीं छोड़ा था। पेस्तनजी पादशाहने तो मुझे ही उलटे दक्षिण अफ्रीका न जानेकी सलाह दी। मैं तो भला आपको क्या मदद दे सकता हूँ, पर मुझे तो आपका ही वापस लौटना पमद नहीं। यही, अपने देशमें ही, क्या कम काम है? देखिए, अभी अपनी मातृ-भाषाकी सेवाका ही कितना क्षेत्र सामने पड़ा हुआ है? मुझे विज्ञान-सर्वधी शब्दोंके पर्याय खोजना है। यह हुआ एक काम। देखकी गरीबीका विचार कीजिए। हा, दक्षिण अफ्रीकामें हमारे लोगको कष्ट है, पर उसमें आप जैसे लोग रूप जाय, यह मुझे बरदाश्न नहीं हो सकता। यदि हम यही राज-सत्ता अपने हाथमें ले सक तो वहा उनकी मदद अपने-आप हो जायगी। आपको आयद में न समझा सकूंगा, परतु दूसरे सेवकोंको आपके साथ ले जानेमें मैं आपको हरगिज सहायता न दूंगा। ये बातें मुझे अच्छी तो न लगीं, परतु पेस्तनजी पादशाहके प्रति मेरा आदर बढ़ गया। उनका देश-श्रेम व भाषा-श्रेम देखकर मैं मुग्ध हो गया। उस प्रसंगके बर्दासत मेरी उनकी श्रेम-गाठ अजबूत हो गई। उनके दृष्टि-विदुको मैं ठीक-ठीक ममल गया, परंतु दक्षिण अफ्रीकाके कामको छोड़नेके बदले, उनकी दृष्टिमें भी, मुझे तो उसीपर दृष्ट होना चाहिए—यह मेरा विचार हुआ। देश-श्रेमी एक भी अगको, जहाँतक हो, न छोड़ेगा। और मेरे सामने तो गीताका श्लोक तैयार ही था—

श्रेयान्स्वधर्मो विगुण परधमत्स्विनुष्णितात् ।
स्वधर्मे निघन श्रेय परधर्मो भयावहः ॥^१

बड़े-बड़े पर-धर्मसे घटिया स्वधर्म अच्छा है । स्वधर्म में मौत भी उत्तम है, किंतु पर-धर्म तो भयकर्ता है ।

२८

पूना और मद्रासमें

सर फिरोजशाहने मेरा रास्ता सरल कर दिया । बंबईसे मैं पूना गया । मैं जानता था कि पूनामें दो पक्ष थे, पर मुझे सबकी सहायताकी जरूरत थी । पहले मैं लोकमान्यसे मिला । उन्होंने कहा—

“र दलोकी सहायता प्राप्त करनेका आपका विचार बिलकुल ठीक है । आपके प्रश्नके सबधमें मत-भेद हो नहीं सकता, परंतु आपके कामके लिए किसी तटस्थ सभापति की आवश्यकता है । आप प्रोफेसर भांडारकरसे मिलिए । यो तो वह भाजकल किसी हलचलमें पडते नहीं है, पर शायद इस कामके लिए ‘हा’ करले । उनसे मिलकर नतीजेकी खबर मुझे कीजिएगा । मैं आपको पूरी-पूरी सहायता देना चाहता हूँ । आप प्रोफेसर गोखलेसे भी अवश्य मिलिएगा । मुझसे जब कभी मिलनेकी इच्छा हो जरूर आइएगा ।”

लोकमान्यके यह मुझे पहले दर्शन थे । उनकी लोक-प्रियताका कारण मैं तुरंत समझ गया ।

यहासे मैं गोखलेके पास गया । वरुण फर्ग्यूसन कालेजमें थे । वडे प्रेममें मुझसे मिले और मुझे अपना बना लिया । उनका भी यह प्रथम ही परिचय था, पर ऐसा मालूम हुआ मानो हम पहले मिल चुके हो । सर फिरोजशाह तो मुझे हिमालय-जैसे मालूम हुए, लोकमान्य समुद्र की तरह मालूम हुए । गोखले गंगा की तरह मालूम हुए, उसमें मैं नहा सकता था । हिमालयपर चढ़ना मुश्किल है, समुद्रमें डूबनेका भय रहता है, पर गंगाकी गोदीमें खेल सकते हैं, उसमें टोगीपर

^१ गीता अध्याय ३, श्लोक ३५

चढकर तैर सकते हैं । गोखलेने खोद-खोदकर बाने पूछी—जैमी कि मदरसेमें भरती होते समय विद्यार्थी से पूछी जाती है । किम-किमसे मिलू और किस प्रकार मिलू, यह बताया और मेरा भाषण देवनेके लिए मांगा । मुझे अपने कालेजकी व्यवस्था दिखाई । कहा—“जब मिलना हो, खुशीमे मिलना और डाक्टर भाडारकरका उत्तर मुझे जनाना ।” फिर मुझे विदा किया । राजनीतिक क्षेत्रमें गोखलेने जीते-जी जैना आमन मेरे हृदयमे जमाया और जो उनके देहातके बाद अब भी जमा हुआ है वना फिर कोई न जमा सका ।

रामकृष्ण भाडारकर मुझसे उसी तरह पेश आये, जिम तरह पिता पुत्रमे पेश आता है । मैं दोपहरके समय उनके यहा गया था । ऐसे समय भी मैं अपना काम कर रहा था, यह बात इस पण्डितमी शास्त्रज्ञको प्रिय हुई और तटस्थ अग्रज बनानेके मेरे आग्रहपर ('वैट्स डट', 'वैट्स डट') 'यही ठीक है', 'यही ठीक है' उद्गार महज ही उनके मुहमे निकल पड़े ।

धानवीनके अतमे उन्होंने कहा—“तुम किसीसे भी पूछोगे तो वह कह देगा कि आजकल मैं किमी भी राजनीतिक काममे नहीं पडता हूँ, परंतु तुमको मैं विमूढ नहीं कर सकता । तुम्हारा मामला इतना मजबूत है, और तुम्हारा उद्यम इतना म्नुत्य है कि मैं तुम्हारी मभामें आनेमे इन्कार नहीं कर सकता । श्रीयुत तिलक और श्रीयुत गोखलेमे तुम मिल ही लिये हो, यह अच्छा हुआ । उनसे कहना कि दोनो पक्ष जिस सभामें मुझे बुलावेंगे, मैं आ जाऊना और अध्यक्ष स्थान ग्रहण कर लूंगा । समयके वारेमें मुझसे पूछनेकी आवश्यकता नहीं । जो समय दोनो पक्षोको अनुकूल होगा उनकी पावदी मैं कर लूंगा ।” यह कहकर मुझे चन्धवाद और आशीर्वाद देकर उन्होंने विदा किया ।

बिना कुछ गुल-गपाड़ेके, बिना कुछ आडवरके, एक सादे मकानमे पूनाके टन विद्वान् और त्यागी मज्जने मभा की और मुझे पूग-पूरा प्रोत्साहन देकर विदा किया ।

यहाने मदराम गया । मदराम तो पागल हो उठा । ब्रानामुदरम्बे किम्पेना बटा गहरा अग्नर मभाण पडा । मेरा भाषण कुछ जवा था, पर था मत्र छपा हुआ । एउ-एक धब्द मभाने मन लगाकर मुना । मभावे अतम उस हरी पुस्तिकापर लोंग टूट पड़े । मदराममें कुछ घटा-बढाकर उसका डूमरा

संस्करण दस हजारका छपवाया। उनका बहुतांश निकल गया, पर मैंने देखा कि दस हजारकी जरूरत न थी, लोगोंके उत्साहको मैंने अधिक आक लिया था। मेरे भाषणका असर तो अंग्रेजी बोलनेवालोपर ही हुआ था और अकेले मदरासमें अंग्रेजीवा लोकोके लिए दस हजार प्रतियोकी आवश्यकता न थी।

यहा मुझे वही-से-वही सहायता स्वर्गीय जी० परमेश्वरन् पिल्लेसे मिली। वह 'मदरास स्टैंडर्ड' के संपादक थे। उन्होंने इस प्रश्नका अच्छा अध्ययन कर लिया था। वह बार-बार अपने दफ्तरमें बुलाते और सलाह देते। 'हिंदू' के जी० सुब्रह्मण्यम्से भी मिला था। उन्होंने तथा डा० सुब्रह्मण्यम्ने भी पूरी-पूरी हमदर्दी दिखाई, परंतु जी० परमेश्वरन् पिल्लेने तो अपना अखवार इस कामके लिए मानो मेरे हवाले ही कर दिया और मैंने भी दिल खोलकर उसका उपयोग किया। सभा पाच्याप्पाहालमें हुई थी और डा० सुब्रह्मण्यम् अध्यक्ष हुए थे, ऐसा मुझे स्मरण है।

मदरासमें मैंने बहुतोका प्रेम और उत्साह इतना देखा कि यद्यपि वहां सबके साथ मुख्यत अंग्रेजीमें ही बोलना पडता था फिर भी, मुझे घरके जैसा ही मालूम हुआ। सच है, प्रेम किन बधनोको नहीं तोड़ सकता।

२६

'जल्दी लौटो'

मदरासमें मैं कलकत्ता गया। कलकत्तेमें मेरी कठिनाइयोकी सीमा न रही। वहा 'ग्रैंड ईस्टर्न' होटलमें उतरा। न किसीसे जान न पहचान। होटलमें 'टेली टेलीग्राफ' के प्रतिनिधि मि० एलर थार्पसे पहचान हुई। वह रहते थे बगाल क्लब में। वहा उन्होंने मुझे बुलाया। उस समय उन्हें पता न था कि होटलके दीवानखानेमें कोई हिंदुस्तानी नहीं जा सकता। बादको उन्हें इस 'क्याबटका हाल मालूम हुआ। इसलिए वह मुझे अपने कमरेमें ले गये। भारत-वामियोके प्रति स्थानीय अंग्रेजोके डम हैय-भावको देखकर उन्हें खेद हुआ। दीवान-खानेमें न ले जा सकनेके लिए उन्होंने मुझसे माफी मागी।

'बगालके देव' मुरेन्द्रनाथ बनर्जीमि तो मिलना ही था। उनसे जब

में निरतन गया नव दूसरे मिलने वाले उन्हें धेरे हुए थे। उन्होंने कहा, "मुझे अदमा है कि आपकी बात में यहाँके लोग दिलचस्पी न लेंगे। आप देखने ही हैं कि यहाँ हम लोगोंको कम मुसीबतें नहीं हैं। फिर भी आपको तो भद्रकर कुछ-न-कुछ करना ही है। इन काममें आपको महाराजाओंकी मददगी जरूरत होगी। 'ब्रिटिश इंडिया एनोनिमिशन'के प्रतिनिधियोंमें भिजिएगा। राजा मर प्यागी-मोहन मुर्खी और महाराजा टागोरने भी भिजिएगा। दोनों उदार-हृदय हैं और सार्वजनिक कामोंमें अच्छा भाग लेते हैं।" मैं इन मजजनोंमें मिला, पर वहाँ मेरी हाल न गली। दोनोंने कहा— 'कलकत्तामें मना करना आम्रान ब्राह्म नहीं, पर यदि मना ही हो तो उनका बहुत-कुछ वागेमदार मुर्खनाथ बनजापर है।'

मेरी कठिनाय्या बरती जानी थी। 'अमृतनागर पत्रिका के दफ्तरमें गया। वहाँ भी जो सज्जन मिले उन्होंने मान लिया कि मैं कोई रमताराम वहाँ आ पहुँचा होऊँगा। 'बगवानी' वालोंने तो हृद कर दी। मुझे एक घंटे तक तो लिटाये ही रखवा। औरोंके साथ तो मपादक महोदय वार्ने करने जाने; पर मेरी और आश उठाकर भी न देखते। एक घटा राह देखनेके बाद मैंने अपनी बात उनसे छेड़ी। तब उन्होंने कहा— "आप देखते नहीं, हमें किनना काम रहता है? आपके जैसे कितने ही यहाँ आते रहते हैं। आप चले जाय, यहाँ अच्छा है। हम आपकी बात सुनना नहीं चाहते।" मुझे जरा देरके लिए रज तो हुआ, पर मैं नपादकका दृष्टि-विदु समझ गया। 'बगवानी'की ख्याति भी मुनी थी। मैं देखता था कि उनके पान आने-जानेवालोंका ताता लगा ही रहता था। ये सब उनके परिचित थे। उनके अखबारके लिए विययोकी कमी न थी। दक्षिण अश्रीकाका नाम तो उन दिनोंमें नया ही नया था। गित नये आदमी आकर अपनी कष्ट-कथा उन्हें सुनाते। अपना-अपना दुःख हरेकके लिए सबसे बड़ा सवाल था, परन्तु नपादकके पान ऐसे दुखियोंका झुठ लगा रहता। बेचारा नबको तसल्ली कैसे दे सकता है। फिर दुखी आदमीके लिए तो नपादककी यत्न एक भारी बान होसी है। यह दूसरी बान है कि नपादक जानता रहता है कि उसकी मत्ता दन्तरके दरवाजेके बाहर पर नहीं रख सकती।

पर मैंने हिम्मत न हारी। दूसरे नपादकोंमें मिला। अपने मामूलके माफिक अजेजोने भी मिला। 'स्टेडमैन' और 'इग्लिगमैन' दोनों दक्षिण

अफ्रीकाके प्रश्नका महत्व समझते थे । उन्होंने मेरी लबी-लबी बातचीत छापी, 'इंग्लिशमैन के मि० साडर्सने मुझे अपनाया । उनका दफ्तर मेरे लिए खुला था, उनका अखवार मेरे लिए खुला था । अपने अग्रलेखमें कमीवेशी करनेकी भी छूट उन्होंने मुझे दे दी । यह भी कहूँ तो अत्युक्ति नहीं कि उनका मेरा खासा स्नेह हो गया । उन्होंने भरसक मदद देनेका वचन दिया, मुझसे कहा कि दक्षिण अफ्रीका जानेके बाद भी मुझे पत्र लिखिएगा और वचन दिया कि मुझसे जो-कुछ हो सकेगा करूँगा । मैंने देखा कि उन्होंने अपना यह वचन अक्षरण पाला, और जबतक कि उनकी तबीयत खराब न हो गई, उन्होंने मेरे साथ चिट्ठी-पत्री जारी रखी । मेरी जिदगीमें ऐसे अकल्पित मीठे सवध अनेक हुए हैं । मि० साडर्सकी मेरे अदर जो सबसे अच्छी बात लगी वह थी अत्युक्तिका अभाव और सत्यपरायणता । उन्होंने मुझसे जिरह करनेमें कोरकसर न रखी थी । उसमें उन्होंने अनुभव किया कि दक्षिण अफ्रीकाके गोरोंके पक्षको निष्पक्ष होकर पेश करने में तथा उनकी तुलना करनेमें मैंने कोई कमी नहीं रखी थी ।

मेरा अनुभव कहता है कि प्रतिपक्षीके साथ न्याय करके हम अपने लिए जल्दी न्याय प्राप्त करते हैं ।

इस प्रकार मुझे अकल्पित सहायता मिल जानेमें कलकत्तामें भी सभा करनेकी आशा बधी, पर इसी अराममें डरबनमें तार मिला—'पार्लमेण्टकी बैठक जनवरीमें होगी, जल्दी लौटो ।'

इस कारण अखवारोंमें इस आशयकी एक चिट्ठी लिखकर कि मुझे दक्षिण अफ्रीका चला जाना जरूरी है, मैंने कलकत्ता छोड़ा और दादा अब्दुल्लाके एजेंटको तार दिया कि पहले जहाजसे जानेका इतजाम करो । दादा अब्दुल्लाने खुद 'कुरलैट' जहाज खरीद लिया था । उसमें उन्होंने मुझे तथा मेरे बाल-बच्चोंको मुफ्त ले जानेका आग्रह किया । मैंने धन्यवाद सहित स्वीकार किया और दिसंबरके आरम्भमें 'कुरलैट' में अपनी धर्म-पत्नी, दो बच्चे और स्वर्गीय बहनोईके इकलौते पुत्रको लेकर दूसरी वार दक्षिण अफ्रीका रवाना हुआ । इस जहाजके साथ ही 'नादरी' नामक एक और जहाज डरबन रवाना हुआ । उसके एजेंट दादा अब्दुल्ला थे । दोनों जहाजोंमें मिलकर कोई आठ सौ यात्री थे । उनमें आधेसे अधिक यात्री ट्रान्सवाल जानेवाले थे ।

तीसरा भाग

9

तूफानके चिन्ह

परिवारके साथ यह मेरी प्रथम जल-यात्रा थी। मैंने कई बार लिखा है कि हिंदू-संसारमें विवाह वचनमें हो जानेमें तथा मध्यमवर्गके लोगोमें पतिके बहुतायतमें साक्षर और पत्नीके निरक्षर होनेके कारण 'पति-पत्नी'के जीवनमें बड़ा अंतर रहता है और पतिको पत्नीका शिक्षक बनना पड़ता है। मुझे अपनी धर्म-पत्नीके नया बालकोंके लिवासपर, खान-पानपर, तथा बोल-चालपर ध्यान रखनेकी आवश्यकता थी। मुझे उन्हें रहन-महन और रीति-नीति सिखानी थी। उस समयकी कितनी ही बातें याद करके मुझे अब हर्षा आ जाती है। हिंदू-पत्नी पति-परायणताको अपने धर्मकी पराकाष्ठा नमसकती है। हिंदू-पति अपनेको पत्नीका ईश्वर मानता है। इस कारण पत्नीको जैसा वह नचावे नाचना पड़ता है।

मैं जिस समयकी बात लिख रहा हूँ उस समय मैं मानता था कि नई रोशनीका समझा जानेके लिए हमारा बाह्याचार जहातक हो यूरोपियनोंमें मिलता-जुलता होना चाहिए। ऐसा करनेमें ही रीत पड़ता है और रीत पड़े बिना देश-भेदा नहीं हो सकती।

इस कारण पत्नी तथा बालकोंका पढ़नावा मैंने ही पसंद किया। बालको इत्यादिको लोग कहें कि काठियावाड़के बनिसे हैं, तो यह कैसे मुझा सकता था? पागर्गी अधिक-से-अधिक सुधरे हुए माने जाने हैं। इस कारण जहाँ यूरोपियन पोशाकका अनुसरण करना ठीक न मालूम हुआ वहाँ पागर्गीका किया। पत्नीके लिए पारसी डबर्न साडियाँ थीं। बच्चोंके लिए पारसी कोट-पतलून लिये। सबके लिए बूट-मोजे तो अवश्य चाहिए। पत्नीको तथा बच्चोंको दोनों चीजें कई महीनोतरफ पसंद न हुईं। बूट धाटसे, मोजे बदलू करते, पैर तग रहते। इन

अडंचनोका उत्तर मेरे पास तैयार था। और उत्तरके श्रीचित्तकी अपेक्षा हुकमका बल तो अधिक था ही। इसलिए लाचार होकर पत्नी तथा बच्चोने पोगाक-परिवर्तनको स्वीकार किया। उतनी ही बेवसी और उसमे भी अधिक अनमने होकर भोजनके समय छुरी-काटेका इस्तेमाल करने लगे। जब मेरा मोह उतरा तब फिर उन्हें बूट-मोजे, छुरी-काटे इत्यादि छोडने पडे। यह परिवर्तन जिस प्रकार दुःखदायी था उस प्रकार एक बार आदत पढ जानेके बाद फिर उसको छोडना भी दुःखकर था, पर अब मैं देखना हू कि हम सब सुधारोकी केंचुलको छोडकर हल्के हो गये हैं।

इसी जहाजमे दूसरे सगे-सबधी तथा परिचित लोग भी थे। उनके तथा डेकेके दूसरे यात्रियोके परिचयमे मैं खूब आता। एक तो मक्किलन और फिर मित्रका जहाज, घरके जैसा मालूम होता और मैं हर जगह जहा जी चाहता जा सकता था।

जहाज दूसरे बदरोपर ठहरे बिना ही नेटाल पहुचनेवाला था। इसलिए सिर्फ १८ दिनकी यात्रा थी। मानो हमारे पहुचते ही भारी तूफानकी चेतावनी देनेके लिए, हमारे पहुचनेके तीन-चार दिन पहले समुद्रमे भारी तूफान उठा। इस दक्षिण प्रदेशमे दिसबर मास गरमी और बरसातका समय होता है। इस कारण दक्षिण समुद्रमे इन दिनों छोटे-बडे तूफान अक्सर उठा करते हैं। तूफान इतने जोरका था और इतने दिनोतक रहा कि मुसाफिर घबरा गये।

यह दृश्य भव्य था। दुःखमे सब एक हो गये। भेद-भाव भूल गये। ईश्वरको सच्चे हृदयसे स्मरण करने लगे। हिंदू-मुसलमान सब साथ मिलकर ईश्वरको याद करने लगे। कितनोने मानताये मानी। कप्तान भी यात्रियोमे आकर आश्वासन देने लगा कि यद्यपि तूफान जोरका है, फिर भी इसमे बडे-बडे तूफानोका अनुभव मुझे है। जहाज यदि मजबूत हो तो एकाएक डूबना नहीं। इस तरह उसने मुसाफिरोको बहुत समझाया, पर उन्हें किसी तरह तसल्ली न होती थी। जहाजमेसे ऐसी-ऐसी आवाजे निकलती, मानो जहाज अभी वहीं-न-कहींमे टूट पडता है—अभी कहीं छेद होता है। डोलता इतना था कि, मानो अभी उलट जायगा। टेकपर तो खडा रहना ही मुश्किल था। 'ईश्वर जो करे सो सही' इसके सिवा दूसरी बात किसीके मुहसे न निकलती।

मुझे जहातक याद है, ऐसी चिंतामें चौबीस घंटे बीते होंगे। अतकी बादल बिखरे, सूर्यनारायणने दर्शन दिये। कप्तानने कहा—‘अब तूफान जाता रहा।’

लोगोंके चेहरोसे चिंता दूर हुई, और उसके साथ ही ईश्वर भी न जाने कहा चला गया। मौतका डर दूर हुआ और उसके साथ ही फिर गान-तान, खान-पान शुरू हो गया, फिर वही मायाका आवरण चट गया। अब भी नमाज पढ़ी जाती, नजन होते, परन्तु तूफानके अवसरपर उनमें जो गंभीरता दिखाई देती थी, वह न रही।

परन्तु इस तूफानकी बदौलत मैं यात्रियोंमें हिल-मिल गया था। यह कह सकते हैं कि मुझे तूफानका भय न था। अथवा कम-से-कम था। प्राय इन्हीं तरहके तूफान मैं पहले देख चुका था। जहाजने मेरा जी नहीं भिचवाता, चक्कर नहीं आने, इसलिए मुसाफिरोमे मैं निर्भय होकर घूम-फिर सकता था। उन्हें आश्चर्य दे सकता था और कप्तानके आदेश उन तक पहुंचाता था। यह स्नेह-गाठ मुझे बहुत उपयोगी साबित हुई।

हमने १८ या १९ दिसबरको डरवनके बंदरपर लगर डाला और ‘नादरी’ भी उसी दिन पहुंचा। पर सच्चे तूफानका अनुभव तो अभी होना बाकी ही था।

२

तूफान

गठारह दिवसके आम-पान दोनों जहाजोंने लगर डाला। दक्षिण अफ्रीका के बंदरोंमें यात्रियोंकी पूर्ण-पूर्ण टाक्टरी जाच होनी है। यदि रास्तेमें किसीकी कोई छूतका रोग हो गया हो तो जहाज सूतक में—स्वारटीनमें—रक्खा जाता है। हमने जब बवंई छोड़ा तब वहा प्लेग पैल रहा था। इसलिए हमें सूतक-बाधा होनेका कुछ तो भय था ही। बंदरमें लगर डालनेके बाद सबसे पहले जहाज पीला झरा फहगना है। डाक्टरकी जाच के बाद जब डाक्टर छुट्टी देना है तब पीला सड़ा उतारता है, फिर मुसाफिरोके नाते-रिस्तेदारोंको जहाज पर आने की छुट्टी निलती है।

इसके मुताबिक हमारे जहाजपर भी पीला झडा लहरा रहा था । डाक्टर आये । जाच करके पाच दिनके सूतकका हुकम दिया, क्योंकि उनकी यह धारणा थी कि प्लेगके जतु तेईस दिनतक कायम रहते हैं । इसलिए उन्होंने यह तय किया कि बढई छोडनेके बाद तेईस दिनतक जहाजको सूतकमें रखना चाहिए।

परतु इस सूतकके हुकमका हेतु केवल आरोग्य न था । डरबनके गोरे हमें वापस लौटा देनेकी हलचल मचा रहे थे । इस हुकममे यह बात भी कारणीभूत थी ।

दादा अब्दुल्लाकी ओरसे हमे गहरकी इस हलचलकी खबरें मिला करती थी । गोरे एकके बाद एक विराट् सभाये कर रहे थे । दादा अब्दुल्लाको घमकिया भेज रहे थे । उन्हें लालच भी देते थे । यदि दादा अब्दुल्ला दोनो जहाजको वापस लौटा दे तो उन्हें सारा हरजाना देनेको तैयार थे । पर दादा अब्दुल्ला किसीकी घमकियोसे डरनेवाले न थे । इस समय वहा सेठ अब्दुल करीम हाजी आदम हुकानपर थे । उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि चाहे कितना ही नुकसान हो, मैं जहाजको बदरपरलाकर मुसाफिरोको उत्तरवाकर छंडूगा । मुझे वह हमेशा सविस्तार पत्र लिखा करते । तकदीरसे इस बार स्वर्गीय मनसुखलाल हीरालाल नाजर मुझे मिलने डरबन आ पहुचे थे । वह बडे चलुर और जवामद आदमी थे । उन्होंने लोगोको नेक सलाह दी । उनके वकील मि० लाटन थे । वह भी वैसे ही बहादुर आदमी थे । उन्होंने गोरोके कामकी खूब निवा की और लोगोको जो सलाह दी वह केवल वकीलकी हैसियतसे, फीस लेनेके लिए नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्रके तौरपर दी थी ।

इम तरह डरबनमें इह-युद्ध छिडा । एक ओर बेचारे मुट्ठी-भर भारतवासी और उनके इने-गिने अग्रेज मित्र, तथा दूसरी ओर घन-बल, बाहु-बल, अक्षर-बल और सख्या-बलमें भरे-पूरे अग्रेज । फिर इस बलशाली प्रतिपक्षीके साथ सत्ता-बल भी मिल गया, क्योंकि नेटाल-सरकारने प्रकट-रूपसे उसकी सहायता की । मि० हैरी एस्कम्ब जो प्रधान-मन्डलमें थे और उसके कर्ता-धर्ता थे, उन्होंने इम मन्डलकी सभामें खुले तौरपर भाग लिया था ।

इसलिए हमारा सूतक केवल आरोग्यके नियमोका ही अहसानमद न था । बात यह थी कि एजेंटको अथवा यात्रियोको किसी-न-किसी बहाने तग करके हमे

बापन लौटानेकी तजबीज थी। एजेटको तो घमकी दी ही गई थी। अब हमें भी घमकिया दी जाने लगी—‘यदि नुम नोग बापन न लौटोगे तो समुद्रमें डुबो दिये जाओगे। यदि लौट जाओगे तो शायद लौटनेका किराया भी मिल जायगा। मैं मुनाफिरोमें नूब घूमा-फिंग और उन्हें वीरज-दिलासा देना रहा। ‘नादरी’ के यात्रियोंको भी वीरजके नदेश भेजे। मुनाफिर शात रहे और उन्हें हिम्मत दिजाई।

मुनाफिरोके मनोविनोदके लिए जहाजमें तरह-तरहके खेलोकी व्यवस्था थी। किन्तमनके दिन आये। कप्तानने उन दिनों पहले दरबके मुनाफिरोको भोज दिया। यात्रियोंमें मुख्यत तो मैं और मेरे बाल-बच्चे ही थे। भोजनके बाद भाषण हुआ करते हैं। मैंने पश्चिमी मुघारोपर व्याख्यान दिया। मैं जानता था कि यह अबनर गभीर भाषणके अनुकूल नहीं है पर मैं दूसरी तरहका भाषण कर ही नहीं सकता था। विनोद और आमोद-प्रमोदकी बातोंमें मैं शरीक तो होता था, पर मेरा दिल तो डरवनमें छिड़े नगामको और लग रहा था।

क्योंकि इन हमलेका नव्याविदु मैं ही था, मुझपर दो इनजाम थे—

- (१) हिंदुस्तानमें मैंने नेटालके गोरोंकी अनुचित निंदा की है, और
- (२) मैं नेटालको हिंदुस्तानियोंमें बर देना चाहता हूँ और इसलिए ‘कुरलैंड’ और ‘नादरी’ में ज्ञाननौरपर नेटालमें ब्रह्मानेके लिए हिंदुस्तानियोंको नग लाया हूँ।

मुझे अपनी जिम्मेदारीका नयाल था। मेरे कारण दादा अब्दुल्लाने बड़ी जोखिम निरपर ले ली थी। मुनाफिरोकी भी जान जोखिममें थी, मैंने अपने बाल-बच्चोंको साथ लाकर उन्हें भी दुःखमें डाल दिया था। फिर भी मैं था सब तरह निर्दोष। मैंने किनीको नेटाल जानेके लिए ललचाया न था। ‘नादरी’ के यात्रियोंको तो मैं जानतातक न था। ‘कुरलैंड’ में अपने दो-तीन रिश्तेदारोंके अलावा और जो सैंकडो मुनाफिर थे, उनके तो नाम ठामतक न जानता था। मैंने हिंदुस्तानमें नेटालके अत्रेजोंके सबधमें ऐसा एक भी अक्षर न कहा था, जो नेटालमें न कह चुका था, और जो मैंने कहा था उसके लिए मेरे पास सबूतोंके सबूत थे।

इस कारण उस नन्कृतिके प्रति, जिसकी उपज नेटालके गेरे थे, जिसके

वे प्रतिनिधि और हामी थे, मेरे मनमें बड़ा खेद उत्पन्न हुआ। उमीका विचार करता रहा था। और इसी कारण उसीके मवधमें अपने विचार मैंने इस छोटी-सी सभामें पेश किये और श्रोताओंने उन्हें सहन भी किया। जिस भाव से मैंने उन्हें पेश किया था उसी भावमें कप्तान इत्यादिने उन्हें ग्रहण किया था। मैं यह नहीं जानता कि उसके कारण उन्होंने अपने जीवनमें कोई परिवर्तन किया था, या नहीं, पर इस भाषणके बाद कप्तान तथा दूसरे अधिकारियोंके साथ पश्चिमी सस्कृतिके सत्रधमें मेरी बहुतेरी बातें हुईं। पश्चिमी सस्कृतिको मैंने प्रधानतः हिंसक बताया, पूर्वकी सस्कृतिको अहिंसक। प्रश्नकर्त्ताओंने मेरे सिद्धांत मुझीपर घटायें। शायद, बहुत करके, कप्तानने पूछा—“गोरे लोग जैसी घमकिया दे रहे हैं उमीके अनुसार यदि वे आपको हानि पहुंचावें तो आप फिर अपने अहिंसा-सिद्धांतका पालन किस तरहसे करेंगे ?”

मैंने उत्तर दिया—“मुझे आशा है कि उन्हें माफ कर देनेकी तथा उनपर मुकदमा न चलानेकी हिम्मत और बुद्धि ईश्वर मुझे दे देगा। आज भी मुझे उनपर रोष नहीं है। उनके अज्ञान तथा उनकी सकुचित दृष्टिपर मुझे अफसोस होता है, पर मैं यह मानता हू कि वे शुद्ध-भावसे यह मान रहे हैं कि हम जो-कुछ कर रहे हैं वह ठीक है, और इसलिए मुझे उनपर रोष करनेका कारण नहीं।”

पूछनेवाला हसा। शायद उसे मेरी बातपर भरोसा न हुआ।

इस तरह हमारे दिन गुजरे और बढ़ते गये। मूनक बंद करनेकी मियाद अततक मुकर्रर न हुई। इस विभागके कर्मचारीसे पूछता तो कहता—“यह बात मेरे इस्तियारके बाहर है। सरकार मुझे जब हुक्म देगी तब मैं उतरने दे सकता हू।”

अतको मुसाफिरोके और मेरे पास आखिरी चेतावनिया आई। दोनोंको घमकिया दी गई थी कि अपनी जानको खतरेमें समझो। जवाबमें हम दोनोंने लिखा कि नेटालके बदरमें उतरनेका हमें हक हासिल है, और चाहे जैसा खतरा क्यों न हो, हम अपने हुकपर कायम रहना चाहते हैं।

अतको तेईसवें दिन अर्थात् १३ जनवरीको जहाजको इजाजत मिली और मुसाफिरोको उतरने देनेकी आज्ञा जारी हो गई।

३

कसौटी

जहाज किनारे लगा । मुसाफिर उतरे, परतु मेरे लिए मि० एस्कवने कप्तानसे कहला दिया था कि गाधीको तथा उनके बाल-बच्चोको शामको उतारिएगा । गोरे उनके खिलाफ बहुत उभरे हुए हैं, और उनकी जान खतरेमें है । डॉकके सुपरिस्टेडेंट टैटम उन्हें गामको लिवा ले जायगे ।

कप्तानने मुझे इस सदेशका समाचार सुनाया । मैंने उनके अनुसार करना स्वीकार किया, परतु इस सदेशको मिले अभी आधा घटा भी न हुआ होगा कि मि० लाटन आये और कप्तानने मिलकर कहा—“यदि मि० गांधी मेरे साथ आना चाहें तो मैं उन्हें अपनी जिम्मेदारीपर ले जाना चाहता हू । जहाजके एजेंटके बकीलकी हैसियतसे मैं आपसे कहता हू कि मि० गांधीके मवघमे जो सदेश आपको मिला है उससे आप अपनेको बरी समझे ।” इस तरह कप्तानसे बातचीत करके वह मेरे पाम आये और कुछ इस प्रकार कहा—“यदि आपको जिदगीका डर न हो तो मैं चाहता हू कि श्रीमती गांधी और बच्चे गाडीमे रस्तमजी सेठके यहा चले जाय और मैं और आप आम-रास्ते होकर पैदल चलें । रातको अघेरा पड जानेपर चुपके-चुपके गहरमें जाना मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगता । मैं समझता हूँ कि आपका बालतक बाका नहीं हो सकता है । अब तो चारो ओर शांति है । गोरे सब इधर-उधर बिखर गये हैं । और जो भी हो, मेरा तो यही मत है कि आपका इस तरह छिपकर जाना उचित नहीं ।”

मैं इससे सहमत हुआ । घर्म-पत्नी और बच्चे रस्तमजी सेठके यहा गाडीमें गये और सही-सलामत जा पहुँचे । मैं कप्तानसे विदा मागकर मि० लाटनके साथ जहाजसे उतरा । रस्तमजी सेठका घर लगभग दो मील था ।

जैसे ही हम जहाजसे उतरे, कुछ छोकरोने मुझे पहचान लिया और वे ‘गांधी-गांधी’ चिल्लाने लगे । तत्कालही दो-चार आदमी इकट्ठे हो गये और मेरा नाम लेकर जोरसे चिल्लाने लगे । मि० लाटनने देखा कि भीड बढ जायगी, उन्होने रिक्शा मगाई । मुझे रिक्शामें बैठना कभी भी अच्छा न मालूम होता था ।

मुझे उसका अनुभव यह पहली ही बार होनेवाला था। पर छोकरे क्यों बैठने देने लगे? उन्होंने रिश्ता वालेको धमकाकर भगा दिया।

हम आगे चले। भीड़ भी बढ़ती जाती थी। काफी मजमा हो गया। सबसे पहले तो भीड़ने मुझे मि० लाटनसे अलग कर दिया। फिर मुझपर ककड़ और सड़े अड़े बरसने लगे। किसीने मेरी पगड़ी भी गिरा दी और मुझे लाने लगनी शुरू हुईं।

मुझे गवा आ गया। नजदीकके घरके सीखचेको पकड़कर मैंने सास लिया। खड़ा रहना तो असभव ही था। अब थप्पड़ भी पड़ने लगे।

इतनेमें ही पुलिस सुपरिन्टेंडेंटकी पत्नी जो मुझ जानती थी, उधर होकर निकली। मुझे देखते ही वह मेरे पास आ खड़ी हुई, और धूपके न रहते हुए भी अपना छाता मुझपर तान दिया। इससे भीड़ कुछ दबी। अब अगर वे चोट करते भी तो श्रीमती अलेकजेंडरको बचाकर ही कर सकते थे।

इसी बीच कोई हिंदुस्तानी, मुझपर हमला होता हुआ देख, पुलिस थानेपर दौड़ गया। सुपरिन्टेंडेंट अलेकजेंडरने पुलिसकी एक टुकड़ी मुझे बचानेके लिए भेजी। वह समयपर आ पहुंची। मेरा रास्ता पुलिसचौकीमें ही टोंकर गुजरता था। सुपरिन्टेंडेंटने मुझे थानेमें ठहर जानेको कहा। मैंने इन्कार कर दिया कहा—“जब लोग अपनी भूल समझ लेंगे तब शांत हो जायगे। मुझे उनकी न्याय-शुद्धिपर विश्वास है।”

पुलिसकी रक्षामें मैं सही-सलामत पारसी रुस्तमजी के घर पहुंचा। पीठपर मुझे अदरुनी चोट पहुंची थी। जबकि सिर्फ एक ही जगह हुआ था। जहाजके डाक्टर दादी बरजोर वही मौजूद थे। उन्होंने मेरी अच्छी तरह सेवा-शुभ्रूषा की।

इस तरह जहा अदर शांति थी, वहा बाहरसे गोरोने घरको घेर लिया। शाम हो गई थी। अंधेरा हो गया था। हजारो लोग बाहर शोर मचा रहे थे और पुकार रहे थे—“गाथीको हमारे हवाले कर दो।” मामला सगिन देखाकर सुपरिन्टेंडेंट अलेकजेंडर वहा पहुंच गये थे और भीड़को डरा-धमसादार नहीं, बल्कि हसी-मजाक करते हुए काबूमें रख रहे थे।

फिर भी वह चिंतामुक्त न थे। उन्होंने मुझे इस आशयका संदेश भेजा—
“यदि आप अपने मित्रके जान-मालको, मकानको तथा अपने बाल-बच्चोंको

बचाना चाहते हो तो मैं जिस तरह बनाऊ, आपको छिपकर इन घरने निकल जाना चाहिए।' एक ही दिन मुझे एक-दूसरेने विपरीत दो काम करनेका समय आया। जबकि जान जानेका भय केवल कल्पित भ्रातृम होता था तब मि० साटनने मुझे खूने गान बाहर बननेकी सलाह दी और मैंने उसे माना; पर जब खतरा आसके मानने था तब दूसरे मित्रने इसने उलटी सलाह दी और उमे भी मैंने मान लिया। अब कौम बना सकना है कि मैं अपनी जानकी जॉर्जिमने डरा, अथवा मित्रके जान-नालको या अपने बाल-बच्चोको हानि पहुंचनेके डरसे, या तीनोंके ? कौन निश्चयपूर्वक कह सकता है कि मेरा जहाजने हिम्मत दिखाकर उतरना और फिर लखरेके प्रत्यक्ष होने हुए छिपकर भाग जाना उचित था ? परन्तु जो बातें हो चुकी हैं उनकी इन तरह चर्चा ही फिजूल है। उसमें कामकी बातें निर्भर नहीं हैं कि जो कुछ हुआ, उसे नमस्कार लें। उनमें जो नमीहत मिल सकती हो, उसे लें। जिन मीकेपर कौन मनुष्य क्या करेगा, यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते। उनी तरह हन यह भी देख सकते हैं कि मनुष्यके बाह्याचारने उसके गुणकी जो परीक्षा होती है वह अधूरी होती है और अनुमान-नात्र होती है।

जो कुछ हो, भागनेकी तैयारीमें मैं अपनी चोटके नुक़्त गया। मैंने हिंदुस्तानी सिपाहीकी बर्दी पहनी। कहीं सिरपर चोट न लगे, इन अदेनेके सिरपर एक पीतलकी तस्मरी रख ली और उसपर मदरास्तिथीका संवा नामा लपेटा। साथमें दो जानून थे, जिनमें एकने हिंदुस्तानी व्यापारीका रूप बनाया था, अपना मूह हिंदुस्तानीकी तरह रग लिया था। दूसरेने क्या स्वाग बनाया था यह न भूल गया हू। हन नजदीक काँ गलीने होकर पड़ौसकी एक दुकानमें पहुंचे, और गोदानमें रखे बोरोके डेरके अघरेमें बचने हुए दुकानके दरवाजेसे निकल भीड़में होकर बाहर चले गये। गलीके मुहपर गाटी खड़ी थी, उसमें बैठकर हम उनी थानेपर पहुंचे जहा ठहरनेके लिए नुपरिस्टैंडेने प्हले कहा था। मैंने नुपरिस्टैंडेना तथा क्विन्सा पुलिनके अफनरका सहसान माना।

इन तरह एक ओर जब मैं दूसरी जाहू ले जाया जा रहा था तब दूसरी ओर नुपरिस्टैंडेन भीड़को गीत्र सुना रहा था, उनका हिंदी-भाव यह है—

"बनो, इस गलीकी हम इस जगनीके पेड़पर फानी लटका दें।"

जब नुपरिस्टैंडेनो खबर मिन गई कि मैं नहीं-मलामत मुझपर

गया तब उन्होंने भीड़से कहा—“लो, तुम्हारा गिकार तोइस दुकानसे होकर सही-सलामत बाहर सटक गया।” यह सुनकर भीड़मे से कुछ लोग विगड़े, कुछ हमे और बहुतेरोने तो उनकी बात ही न मानी।

“तो तुममेंसे कोई जाकर अदर देख ले। अगर गाधी यहा मिल जाय तो उसे मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, न मिले तो तुमको अपने-अपने घर चले जाना चाहिए। मुझे इतना तो विश्वास है कि तुम पारसी रस्तमजीके मकानको न जलाओगे और गाधीके बाल-बच्चोको नुकसान न पहुँचाओगे।” सुपरिन्टेंडेटने कहा।

भीड़ने प्रतिनिधि चुने। प्रतिनिधियोने भीड़को निराशा-जनक समाचार सुनाये। सब सुपरिन्टेंडेंट अलेक्जेंडरकी समय-सूचकता और चतुराई की स्तुति करते हुए, और कुछ लोग मन-ही-मन कुदते हुए, घर चले गये।

स्वर्गीय मि० चेम्बरलेनने तार दिया कि गाधीपर हमला करनेवालो-पर मुकदमा चलाया जाय और ऐसा किया जाय कि गाधीको इन्साफ मिले। मि० ऐस्कबने मुझे बुलाया। मुझे जो चोटें पहुँची थी, उसके लिए दुःख प्रदर्शित किया और कहा—“आप यह तो अवश्य मानेंगे कि आपको जरा-भी कष्ट पहुँचनेसे मुझे खुशी नहीं हो सकती। मि० लाटनकी सलाह मानकर आपने जो उत्तर जानेका साहस किया, उसका आपको हक था, पर यदि मेरे सदेशके अनुसार आपने किया होता तो यह दुःख घटना न हुई होती। अब यदि आप आक्रमण-कारियोको पहचान सकें तो मैं उन्हें गिरफ्तार करके मुकदमा चलानेके लिए नैयार हूँ। मि० चेम्बरलेन भी ऐसा ही चाहते हैं।”

मैंने उत्तर दिया—“मैं कसीपर मुकदमा चलाना नहीं चाहता। हमलाइयोमेंसे एक-दोको मैं पहचान भी लूँ तो उन्हें सजा करानेसे मुझे क्या लाभ? फिर मैं तो उन्हें दोषी भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि उन बेचारोको तो यह कहा गया कि हिंदुस्तानमें मैंने नेटालके गोरोंकी भरपेट और बढ़ा-बढ़ाकर निंदा की है। इस बातपर यदि वे विश्वास कर लें और विगड़ पड़ें तो इसमे आश्चर्यकी कौन बात है? कुसूर तो ऊपरके लोगोका, और मुझे कहने दें तो आपका, माना जा सकता है। आप लोगोको ठीक सलाह दे सकते थे, पर आपने रॉयटरके तारपर विश्वास किया और कल्पना कर ली कि मैंने अत्युक्तिसे काम लिया होगा। मैं

किमीपर मुकदमा चलाना नहीं चाहना । जब अमली और मन्ची वान लोगोपर प्रकट हो जायगी और भोग जान जायगे तब अपने-आप पछतायगे ।”

“तो आप लोग मुझे यह वान निम्नवर दे देंगे ? मुझे मि० चेम्बरलेनको इस आशयका तार देना पड़ेगा । मैं नहीं चाहता कि आप जल्दीमें कोई बात लिख दें । मि० नाटनसे तथा अपने हमारे मित्रोंमें मलाह वंके जो उचित मालूम हो, वही करे । हा, यह वान मैं जानना हूँ कि यदि आप हमलाटगोपर आपला न चलावेंगे तो नव वानोंको ठडा करनेमें मुझे बहुत मदद मिलेगी और आपकी प्रणिष्ठा तो बहुत ही बट जायगी ।”

मैंने उत्तर दिया—“इस सबबमें मेरे विचार निश्चित हो चुके हैं । यह तय है कि मैं किमीपर मुकदमा चलाना नहीं चाहना, इसलिए मैं यहीं-ज-यहीं आपको लिखे देता हूँ ।”

यह कहकर मैंने वह आवश्यक पत्र लिख दिया ।

४

शांति

हमलेके दो-एक दिन बाद जब मैं मि० ऐस्कवने मिला तब मैं पुलिसयाने में ही था । मेरे साथ मेरी रक्षाके लिए एक-दो निपाही रहने थे । पर वास्तवमें देखा जाय तो जब मैं मि० ऐस्कवके पान ले जाया गया था तब इन तरह रक्षा करनेकी जरूरत ही नहीं रह गई थी ।

जिम दिन मैं अह्मजमें उत्तरा उनी दिन, अर्थान् पीना झडा उत्तरते ही, तुरन् 'नेटाल एडवरटाइजर' का प्रतिनिधि मुझमें आकर मिला था । उनमें किननी ही बातें पूछी थीं और उसके प्रश्नोंके उत्तरमें मैंने एक-एक वानका पूरा-पूरा जबाब दिया था । नर फिरोजशाहकी नेक मलाहमें अनुभाग उस समय मैंने भारतवर्षमें एक भी भाषण अलिखित नहीं दिया था । अपने इन तमाम लेखों और भाषणोंना नष्ट मेरे पास था ही । वे नव मैंने उमें दे दिये, और यह साबित कर दिया कि भारतमें मैंने ऐसी एक भी बात नहीं कही थी, जो उनमें तेज

शब्दोंमें दक्षिण अक्षीकामे न कही हो । मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि 'कुरलैंड' तथा 'नादरी' के मुसाफिरोको लानेमें मेरा हाथ विलकुल नहीं है । उनमेंसे बहुतरे तो नेटालके ही पुराने वाणिदे थे और शेष नेटाल जानेवाले नहीं, बल्कि ट्रांसवाल जानेवाले थे । उस समय नेटालमें रोजगार मदा था । ट्रांसवालमें काम-बधा खूब चलता था, और आमदनी भी अच्छी होती थी । इसलिए अधिकांश हिंदुस्तानी वही जाना पसंद करते थे ।

इस स्पष्टीकरणका तथा आक्रमणकारियोंपर मुकदमा न चलनेका प्रभाव इतना जबरदस्त हुआ कि गोरोको क्षमिदा होना पडा । अखबारोंने मुझे निर्दोष बताया और हल्लड करनेवालोको बुरा-भला कहा । इस तरह अतको जाकर इस घटनासे लाभ ही हुआ । और जो मेरा लाभ था वह हमारे कार्यका ही लाभ था । इसने हिंदुस्तानी लोगोकी प्रतिष्ठा बढी और मेरा रास्ता अधिक सुगम हो गया ।

तीन या चार दिनमें मैं घर गया और थोड़े ही दिनोंमें अपना काम-काज देखने-भालन लगा । इस घटनाके कारण मेरी बकालत भी चमक उठी ।

परन्तु इस तरह एक ओर हिंदुस्तानियोंकी प्रतिष्ठा बढी तो इसके साथ ही दूसरी ओर उनके प्रति द्वेष भी बढा । लोगोको यह निश्चय हो गया कि इनमें दृढ़ताके साथ लडनेकी सामर्थ्य है और इस कारण उनका भय भी बढ गया । नेटालकी धारा-सभामें दो विल पेश हुए, जिनसे हिंदुस्तानियोंके कष्ट और बढ गये । एकसे हिंदुस्तानी व्यापारियोंके बंधेको हानि पहुंचती थी और दूसरेसे हिंदुस्तानियोंके जाने-आनेमें भारी रुकावट होती थी । मुद्देमें मताधिकारकी लडाईके समय यह फैसला हो गया था कि हिंदुस्तानियोंके खिलाफ उनके हिंदुस्तानी होनेकी ईसियतमें, कोई कानून नहीं बनाया जा सकता । इसका अर्थ यह हुआ कि कानूनमें जाति-भेद और रंग-भेदको स्थान न मिलना चाहिए । इस कारण पूर्वोक्त दोनो बिलोकी भाषा तो ऐसी रखी गई, जिसमें वे सब लोगोपर घटते हुए दिखाई दे, पर उनका अमली हेतु था हिंदुस्तानियोंके हकको कम कर देना ।

उन बिलोने मेरा काम बहुत बढा दिया था और हिंदुस्तानियोंमें जाग्रति भी बहुत फैला दी थी । इन बिलोकी बारीकिया इस तरह लोगोको समझा दी गई थी कि कोई भी भारतवासी उनसे अनजान न रहने पावे और उनके अनुवाद

भी प्रकाशित किये गये । अगडा अतको विलायततक पहुँचा, परतु विल नार्मजूर न हुए ।

अब मेरा बहुतेरा समय मार्बजनिक कामोमे ही जाने लगा । मैं निब चुका हूँ कि मनमुखलाल नाजर नेटालमे थे । वह मेरे साथ हुए । जबसे वह सार्वजनिक कामोमें अविक्त योग देने लगे तवने मेरा बोस कुछ हलका हुआ ।

मेरी गैरहाजिरीमें आदमजी मियाखानने मन्त्री-भदका काम सुचारुरूपसे किया । उनके समयमे सभामदोकी मत्था भी बढ़ी और लगभग एक हजार पाँड म्यानीय कारेनके कोपमे बडे । हम मुसाफिरोपर हुए उस हमलेकी बढौगत तथा पूर्वोक्त विलोकि विरोधके फलस्वरूप जो जाप्रति हुई उनके द्वारा मैने उस बडतीमें और भी बडती करनेका विषय उद्योग किया और अब हमारे कोपमें लगभग पाच हजार पाँड जमा हो गये । मुझे यह खोन लग रहा था कि यदि कारेसका कोप स्थायी हो जाय और जमीन ले ली जाय तो उनके किरायेमे कारेस आर्थिक दृष्टिसे निर्दिचत हो जाय । मार्बजनिक सस्याभोका यही मुझे पहला अनुभव था । मैने अपना विचार अपने साथियोके नामने रक्खा । उन्होंने उसका स्वागत किया । मकान खरीदे गये और वे किरायेपर उठाये गये । जायदादका अच्छा ट्रस्ट बनाया गया । यह जायदाद आज भी मौजूद है, परतु वह आपसके कलहका मूल हो गई है और उसका किराया आज अदालतमे जमा हो रहा है ।

यह दु खद बात तो मेरे दक्षिण अफ्रीका छोड देनेके बाद हुई है परतु मार्बजनिक सस्याभोके लिए म्याथी कोप रखनेके मदवमें मेरे विचार दक्षिण अफ्रीकामें ही बदल गये । कितनी ही सार्वजनिक सस्याभोका जन्म देने तथा उनका सचानन करनेकी जिम्मेदारी यह चुकनेके कारण मेरा यह दृढ निर्णय हुआ है कि किनी भी सार्वजनिक सस्याको स्थायी कोपपर निर्वाह करनेका प्रयत्न न करन चाहिए, क्योंकि इसमे नैतिक अवोगतिका बीज समाया रहता है ।

सार्वजनिक सस्याका अर्थ है लोगोकी मजूरी और लोगोके वनसे चलने वाली सस्या । जब लोगोकी मदद मिलना बढ हो जाय तब उसे जीवित रहनेके अविकार नहीं । म्याथी नपत्तिपर चलनेवाली मत्था लोकमतसे स्वतन्त्र होती है। देखा जाती है और कितनी ही बार तो लोकमतसे विपरीत भी आचरण करती है । हमका अनुभव भारतवर्षमें हमें कदमकदमपर होता है । किनी ही आमिक

मानी जानेवाली सस्थाओंके हिसाब-किताबका कोई ठिकाना नहीं है। उनके प्रबंधक ही उनके मालिक बन बैठे हैं और ऐसे बन गये हैं, मानो वे किसीके प्रति जबाबदेह ही नहीं थे। कुदरत जिस प्रकार नित्य पैदा करती और नित्य खाती है उसी प्रकार सार्वजनिक सस्थाओंका जीवन होना चाहिए। जिस सस्थाकी सहायता करनेके लिए लोग तैयार न हो उसे सार्वजनिक सस्थाकी हैसियतसे कायम रहनेका अधिकार नहीं। वार्षिक चढा सस्थाकी लोकप्रियता और उसके संचालकोंकी ईमानदारीकी कसौटी है; और मेरा यह मत है कि प्रत्येक सस्थाको चाहिए कि वह अपनेको इस कसौटीपर कसे।

इससे किसी तरहकी गलतफहमी न होनी चाहिए। यह टीका उन सस्थाओंपर लागू नहीं होती जिन्हें मकान आदिकी जरूरत होती है। सस्थाका चालू खर्च लोगोंकी सहायतासे चलना चाहिए।

दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहके समय मेरे ये विचार बृद्ध हुए। छ साल-तक यह भारी लड़ाई बिना स्थायी बंदेके चली, हालांकि उसके लिए लाखों रुपयेकी आवश्यकता थी। ऐसे समय मुझे याद है जबकि यह नहीं कह सकते थे कि कलके लिए खर्च कहासे आवेगा? परंतु ये बातें आगे आने ही वाली हैं, इसलिए यहाँ इनका जिक्र न करूंगा।

५

बाल-शिक्षण

जनवरी १८९७में मैं जब डरबन उतरा तब मेरे साथ तीन बालक थे। एक मेरा १० सालका भानजा, दूसरे मेरे दो लड़के—एक नौ सालका और दूसरा पांच सालका। अब सवाल यह पेश हुआ कि इनकी पढाई-लिखाईका क्या प्रबंध करें।

गोरोकी पाठशालामें मैं अपने बच्चोंको भेज सकता था, पर वह उनकी मेहरबानीसे और बतौर छूटके। दूसरे हिंदुस्तानियोंके लड़के उनमें नहीं पढ़ सकते थे। हिंदुस्तानी बच्चोंको पढानेके लिए ईसाई-मिशनके मदरसे थे। उनमें अपने बच्चोंको पढानेके लिए मैं तैयार न था। वहाँ की शिक्षा-दीक्षा मुझे पसंद

न थी। और गुजरातीके द्वारा भला बहा पटाई कैसे हो सकती थी? या तो अंग्रेजी द्वारा हो सकती थी, या बहुत प्रयास करनेपर टूटी-फूटी तमिल या हिंदी के द्वारा। इन तथा दूसरी ऋद्धियोंको दर-गुजर करना मेरे लिए मुश्किल था।

मैं खुद बच्चोंको पढानेकी थोड़ी-बहुत कोशिश करता, परंतु पढाई नियमित रूपसे न चलती। इधर गुजराती शिक्षक भी मैं अपने अनुकूल न खोज सका।

मैं सोचने पडा। मैंने एक ऐसे अंग्रेजी शिक्षकके लिए विज्ञापन दिया, जो मेरे विचारोंके अनुसार बालकोको शिक्षा दे सके। सोचा कि इन तरह जो शिक्षक मिल जायगा, उसने कुछ तो नियमित पढाई होगी और कुछ मैं खुद जिस तरह वन पडेगा काम चलाऊंगा। मात पाँड वेतनपर एक अंग्रेज महिलाको रखवा और किसी तरह काम आगे चलाया।

मैं बालकोंमें गुजरातीमें ही बातचीत करता। इसमें उन्हें कुछ गुजरातीका ज्ञान हो जाना था। उन्हें दैम भेज देनेके लिए मैं तैयार न था। उस समय भी मेरा यह विचार था कि छोटे बच्चोंको मा-त्रापसे दूर न रखना चाहिए। सुव्यवस्थित घरमें बालक जो शिक्षा अपने-आप पा लेते हैं वह छात्रालयोंमें नहीं पा सकते हैं। अतएव अवकाशमें वे मेरे ही पास रहे। हा, भानजे और बड़े लडकेको मैंने कुछ महीनोंके लिए देसके जुदा-जुदा छात्रालयोंमें भेज दिया था पर भीष्म ही थापस बुला लिया। बादको मेरा बडा लडका, वयस्क हो जानेपर अपनी इच्छाने अहमदाबादके हाईस्कूलमें पढनेके लिए दक्षिण अफ्रीकासे चला आया। भानजेके बारेमें तो मेरा खयाल है कि जो शिक्षण मैं दे रहा था उससे उसे सतोष था। वह कुछ दिन बीमार रहकर भर-जवानीमें इस लोकको छोड़ गया। गोप तीन लडके कभी किसी पाठशालामें पढने न गये। सिर्फ सत्याग्रहके सिलसिलेमें स्थापित पाठशालामें उन्होंने नियमित रूपसे कुछ पढा था।

मेरे ये प्रयोग अपूर्ण थे। जितना मैं चाहता था उतना समय बालकोंको न दे सकता था। इस तथा अन्य अनिवार्य अडचनोंके कारण मैं जैना चाहता था वैसे अक्षर-ज्ञान उन्हें न दे सका। मेरे तमाम लडकोंको थोड़ी मात्रामें यह शिकायत मूससे रही है, क्योंकि जब-जब वे 'बी० ए०' 'एम० ए०' अथवा 'मैट्रिक्युलेट'के भी गण्णाममें आने हैं तब-तब वे अपने अक्षर स्कूलमें न पढनेकी

कमीको अनुभव करते हैं ।

इतना होते हुए भी मेरा अपना यह मत है कि जो अनुभव-ज्ञान उन्हें मिला है, माता-पिताका जो सहवास वे प्राप्त कर सके हैं, स्वतन्त्रताका जो पदार्थ-पाठ सीख पाये हैं—यह सब वे न प्राप्त कर सकते, यदि मैंने उनकी रुचिके अनुसार उन्हें स्कूलमें भेजा होता । उनके सबधमें जितना निर्दिष्ट मैं आज हू, उतना न हुआ होता और जो सादगी और सेवा-भाव आज उनके अंदर दिखाई देता है उसे वे न सीख पाते यदि मुझसे अलग रहकर विलायतमें अथवा अफ्रीकामें कृत्रिम शिक्षा उन्होंने पाई होती । बल्कि उनकी कृत्रिम रहन-सहन शायद मेरे देश-कार्यमें भी बाधक हो जाती ।

इस कारण, यद्यपि मैं जितना चाहता था उतना अक्षर-ज्ञान उन्हें न दे सका, तथापि जब मैं अपने पिछले वर्षोंका विचार करता हू तो मुझे यह नहीं लगता कि मैंने उनके प्रति अपने धर्मका यथा-शक्ति पालन नहीं किया और न मुझे इस बातपर पश्चात्ताप ही होता है, बल्कि इसके विपरीत जब मैं अपने बड़े लड़केके दुःखद परिणाम देखता हू तो मुझे बार-बार यह मालूम होता है कि वह मेरे अवकचरे पूर्वकालकी प्रतिध्वनि है । वह मेरा एक तरहसे मूर्च्छा-काल, वैभवकाल था और उस समय उसकी उम्र इतनी थी कि उसे उसका स्मरण रह सकता था । अब वह कैसे मानेगा कि वह मेरा मूर्च्छा-काल था ? वह यह क्यों न मानेगा कि वह तो मेरा ज्ञान-काल था और वादके ये परिवर्तन अनुचित और मोह-जन्य हैं ? वह क्यों न माने कि उस समय मैं जगतके राजमार्गपर चल रहा था और इसलिए सुरक्षित था और उसके बाद किये परिवर्तन मेरे मूकम अभिमान और अज्ञानके चिह्न हैं ? यदि मेरे पुत्र वैरिस्टर इत्यादि पदवी पाये होते तो क्या बुरा था ? मुझे उनके पक्ष काटनेका क्या अधिकार था ? मैंने उन्हें क्यों न ऐसी स्थितिमें रक्खा, जिससे वे अपनी रुचिके अनुसार जीवन-मार्ग पसंद करते ? ऐसी दलीले मेरे कितने ही मित्रोंने मेरे सामने पेश की हैं ।

पर मुझे इनमें जोर नहीं मालूम देता । अनेक विद्यार्थियोंमें मेरा साबका पडा है । दूसरे बालकोपर दूसरे प्रयोग भी मैंने किये हैं अथवा करनेमें महायक हुआ है । उनके परिणाम भी मैंने देखे हैं । वे बालक और मेरे लड़के आज एक उम्रके हैं, पर मैं नहीं मानता कि वे मेरे लड़कोंसे मनुष्यत्वमें बड़े-चड़े हैं अथवा

मेरे लड़के उनमें बहुत-कुछ सींग नगे हैं ।

फिर भी मेरे प्रयोगका अंतिम परिणाम तो अविश्व ही बना सरता है। इन विषय की चर्चा यहां करनेका नास्त्य यह है कि मनुष्य-जाति की उत्पत्ति का अध्ययन करनेवाला मनुष्य इन बातों का कुछ-कुछ सदाज कर नके कि गृह-शिक्षा और स्कूल-शिक्षाके भेदना और अपने जीवनमें जिये माना-पताने परिवर्तनोंका बच्चोंपर क्या असर होता है ।

इसके अन्वया इम प्रकरणका यह भी नास्त्य है कि मत्स्यका पुत्राई देव नके कि सत्यकी आरावना उमे विम हृदय ले जा मदती है और स्वतंत्रता देवीका उपासक यह देव नके कि वह जिनका अलिदान मागती है । हा, बानकोंके अपने साथ रखते हुए भी उन्हें अक्षर-ज्ञान दिला बनना था, यदि मने आत्मसम्मान छोड दिया होना, यदि मने इन विचारको नि जो शिक्षा हमारे हिंदुस्थानी बालकोंको नहीं मिल बनती वह मुझे अपने बच्चोंको दिवानेकी इच्छा न करनी चाहिए, अपने हृदयमें स्थान न दिया होना । पर उम अवस्थामें वे स्वतंत्रता और आत्म-सम्मानका वह पदार्थ-पाठ न सीन पाते, जो आज भीग्य मके है। और जहा स्वतंत्रता और अक्षर-ज्ञान इनमेंमें किसी एकको पनद करनेका सवाल हो, वहा कौन कह सकता है कि स्वतंत्रता अक्षर-ज्ञानमें हजार-गुना अच्छी नहीं है ?

१९२०में मने जिन नवयुवकोंको स्वतंत्रता-शासक स्कूलों और कालेजोंको छोड देनेका निमंत्रण दिया और जिनमें मने कहा कि स्वतंत्रताके लिए निरक्षर रहकर सबकोपर गिट्टी फोडना बेहतर है, वनिन्वत इसके कि गुलामीमें रहकर अक्षर-ज्ञान प्राप्त करे, वे शायद अब मेरे इस बचनका मूल स्रोत देख नकेगे ।

६

सेवा-भाव

मेरा काम यद्यपि ठीक चल रहा था, फिर भी मुझे उत्तरे सतोष न था । मनमें ऐसा मयल चलता ही रहता था कि जीवनमें अधिक भादगी आनी चाहिए और कुछ-न-कुछ शारीरिक सेवा-कार्य होना चाहिए ।

नवोपाने एक दिन एक अपन कोडी घर आ पहुंचा । उने कुछ सानेको

दंकर हटा देनेको जी न चाहा। उमे एक कमरेमे रखला, उमके अलमोकां घोया और उमकी शुश्रूषा की।

किन्तु यह कितने दिनोतक चल मगता था ? सदाके लिए उमे घरमे रखने योग्य न गुविधा मेरे पान थी, न इतनी हिम्मत ही, अत मेने उसे गिरमिटियों-के मरकाची अस्पतालमे भेज दिया।

पर इसमे मुझे तृप्ति न हुई। मनमे यह हुआ करता कि यदि ऐसा कोई शुश्रूषाका काम मदा मिलता रहे तो क्या अच्छा हों ? डा० ब्रूय मेट एडम्स मिशनके अधिकाारी थे। जो कोई आता उमे वह हमेशा मुग्न दवा देते थे। वडे भले आदमी थे, उनका हृदय स्नेहपूर्ण था। उनकी देख-रेखमे पारसी स्मन्यजीके दानसे एक छोटा-सा अस्पताल खोला गया था। इसमे नर्मके तौरपर काम करनेकी मुझे प्रबल इच्छा हुई। एकमे लेकर दो घटेतक उममे दवा देनेका काम रहता था। दवा बनानेवाले किमी वंतनिक या स्वयमेवककी बहा जन्मत थी। मेने इतना ममय अपने काममेमे निकालकर इस कामको करनेका निश्चय किया। बसालत-मबधी मेरा काम तो इतना ही था—दफ्तरमे बैठेबैठे सलाह देना, दस्तावेजोके मसविदे बनाना और झगडे मुग्नक्षाना। मजिस्ट्रेटके इजलासमे थाउ-बहुत मुकदमे रहते। उसमेमे अधिकाय तो अधिवादास्पद होते थे। जब ऐसे मुकदमे होते तब मि० स्नान उनकी परखी कर देते। वह मेरे वाद प्राये थे और मेरे साथ ही रहते थे। इम तरह मे इम छोटे-मे अस्पतालमे काम करने लगा।

राज मुवह वहा जाना पटना था। आने-जाने और वहा काम करने मे कोई दो घटे लग जाते थे। इम काममे मेरे मनको कुछ गाति मिली। रोगीसे हाल-चाल पूछकर डाक्टरको समझाना और डाक्टर जो दवा बनावे वह तैयार करके दे देना—यह मेरा काम था। इस कार्यसे मे दुखी हिंदुस्तानियोंके प्रगाट मबधमे आने लगा। उनमे अधिक भाग तमिल और तेलगू अथवा हिंदुस्तानी गिरमिटियोंका था।

यह अनुभव मुझे भविष्यमे बडा उपयोगी सावित हुआ। बोअर-युद्धके ममय थायलोकी शुश्रूषामे तथा दूसरे रोगियोंकी सेवा-दृष्ट्यमे मुझे उममे बडी गहायता मिली। अस्तु।

उधर बालकोकी परवरिशका प्रश्न तो मेरे सामने था ही। दक्षिण

अफ्रीकामें मुझे दो लडके और हुए। उनका लालन-पालन करनेकी समस्याको हल करनेमें मुझे इस कामसे अच्छी सहायता मिली। मेरा स्वतंत्र स्वभाव मुझे बहुत तपाया करता था और अब भी तपाता है। हम दपतीने निश्चय किया कि प्रसव-कार्य राष्ट्रीय पद्धतिके अनुसार ही होना चाहिए। इसलिए बच्चापि डाक्टर और नर्सका तो प्रवच था ही, फिर भी मेरे मनमें यह विचार आया कि यदि डाक्टर साहब समय पर न आ पावें और दाई कहीं चली जाय तो मेरा क्या हाल होगा ? दाई तो हिंदुस्तानी ही बुलानेवाले थे। शिक्षिता दाई हिंदुस्तानमें ही मुश्किलसे मिलती है तो फिर दक्षिण अफ्रीकाकी तो बात ही क्या ? इसलिए मैंने बाल-पालनका अध्ययन किया। डा० त्रिभुवनदास लिखित 'माने शिक्षामण' नामक पुस्तक पढ़ी। उसमें कुछ घटा-जुटाकर अंतिम दोनो बालकोका लालन-पालन प्राप्त मैंने खुद किया। हर बार दाईकी सहायता तो ली, पर दो माससे अधिक नहीं। सो भी प्रधानत धर्मपत्नीकी सेवाके लिए। बच्चोको नहलाने-धुलानेका काम शुरूआतमें मैं ही करता था।

पर अंतिम बालकके जन्मके समय मेरी पूरी-पूरी आजमाइश हो गई। प्रभव-वेदना एकाएक शुरू हुई। डाक्टर मौजूद नहीं था। मैं दाईको बुलानेवाला था, पर वह यदि नजदीक होती भी तो प्रसव न करा पाती। अतएव प्रसवकालीन मारा काम खुद मुझे करना पडा। सौभाग्यसे मैंने यह विषय 'माने शिक्षामण'में अच्छी तरह पढ लिया था, इससे घबराया नहीं।

मैंने देखा कि माता-पिता यदि चाहते हों कि उनके बच्चोकी परवरिश अच्छी तरह हो तो दोनोको बाल-पालन आदिका मामूली ज्ञान अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए। इसके मवधमें जितनी चिंता मैंने रखी है उसका लाभ मुझे कदम-कदमपर दिखाई दिया है। मेरे लडकोकी तदुरुस्ती जो आज आम-तौरपर अच्छी है, वह अच्छी नहीं रही होती, यदि मैंने बालकोके लालन-पालनका आवश्यक ज्ञान प्राप्त न किया होता और उसका पालन न किया होता। हम लोगमें यह एक बहम प्रचलित है कि पहले पाच मानतक बच्चेको शिक्षा देनेकी जरूरत नहीं है। परन्तु मन्वी बान यह है कि बालक प्रथम पाच वर्षोंमें जितना सीखता है उनना बादमें हर्गिज नहीं। मैं अनुभवमें यह कह सकता हू कि बालककी शिक्षाकी नुरूआत तो मानाने उतरमें ही शुरू हो जाती है। गर्भावधानके समयकी माता-

पिताकी शारीरिक एवं मानसिक स्थितिका प्रभाव वच्चेपर अवश्य पडता है । माताकी गर्भ-कालीन प्रकृति, माताके आहार-विहारके अच्छे-बुरे फलको विरासतमे पाकर वच्चा जन्म पाता है । जन्मके बाद वह माता-पिताका अनुकरण करने लगता है । वह खुद तो असहाय होता है, इसलिए उसके विकासका दारोमदार माता-पितापर ही रहता है ।

जो समझदार दपती इतना विचार करेगे वे तो कभी दपती-सगको विषय-वासनाकी पूर्तिका साधन न बनावेगे । वे तो तभी सग करेंगे, जब उन्हें सततिकी इच्छा होगी । रति-सुखका स्वतंत्र अस्तित्व है, यह मानना मुझे तो घोर अज्ञान ही दिखाई देता है । जनन-क्रियापर ससार के अस्तित्वका अवलंबन है । ससार ईश्वरकी लीला-भूमि है, उसकी महिमाका प्रतिबिंब है । जो शरूस यह मानता है कि उसकी मुख्यवस्थित बुद्धिके लिए ही रति-क्रिया निर्माण हुई है, वह विषय-वासनाको भगीरथ प्रयत्नके द्वारा भी रोकेगा । और रति-भोगके फल-स्वरूप जो मतति उत्पन्न होगी उसकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रक्षा करनेके लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त करके अपनी प्रजाको उभमे लाभान्वित करेगा ।

७

ब्रह्मचर्य—१

अब ब्रह्मचर्यके सबषमे विचार करनेका समय आया है । एक पत्नी-व्रतने तो विवाहके समय से ही मेरे हृदयमे स्थान कर लिया था । पत्नीके प्रति मेरी वफादारी मेरे सत्यव्रत का एक अंग था, परंतु स्वपत्नी के साथ भी ब्रह्मचर्यका पालन करनेकी आवश्यकता मुझे दक्षिण अश्रीकामे ही स्पष्टरूपसे दिखाई दी । किस प्रमगसे अथवा किस पुस्तकके प्रभावसे यह विचार मेरे मनमे पैदा हुआ, यह इस समय ठीक याद नहीं पडता, पर इतना स्मरण होता है कि इसमें रायचद-भाईका प्रभाव प्रधानरूपसे काम कर रहा था ।

उनके साथ हुआ एक सवाद मुझे याद है । एक बार मैं मि० ग्लैडस्टनके प्रति मिसेज ग्लैडस्टनके प्रेमकी स्तुति कर रहा था । मैंने पढा था कि हाउस

आँव कामसकी बैठकमें भी मिसेज ग्लैडस्टन अपने पतिको चाय बनाकर पिलाती थी। यह बात उम नियम-निष्ठ दपतीके जीवनका एक नियम ही बन गया था। मैंने यह प्रसंग कविजीको पढ़ मुनाया और चमके सिलसिलेमें बपती-प्रेमकी स्तुति की। रायचदभाई बोले—“इसमें आपको कौनसी बात महत्त्वकी मान्य होती है—मिसेज ग्लैडस्टनका पत्नीपन या सेवा-भाव ? यदि वह ग्लैडस्टनकी बहन होती तो ? अथवा उनकी बफादार नौकर होती और फिर भी उमी प्रेमसे चाय पिलाती तो ? ऐसी बहनो, ऐसी नौकरानियोंके उदाहरण क्या आज हमें न मिलेंगे ? और नारी-जातिके बदले ऐसा प्रेम यदि नर-जातिमें देखा होता तो क्या आपको सानदाश्चर्य न होता ? इस बातपर विचार कीजिएगा।”

रायचदभाई स्वयं विवाहित थे। उम समय तो उनकी यह बात मुझे कठोर मान्य हुई—गंगा स्मरण होना है, परंतु इन वचनोने मुझे लोह-बुद्धकी तरह जकड़ लिया। पुरुष नौकरकी ऐसी स्वामि-भक्तिकी कीमत पत्नीकी स्वामी-निष्ठाकी कीमतने हजार-गुना बढ़कर है। पति-पत्नी में एकनाका अतएव प्रेमका होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं, पर स्वामी और सेवकमें ऐसा प्रेम पैदा करना पटना है। अतएव दिन-दिन कविजीके वचनका बल मेरी नजरोंमें बटने लगा।

अब मनमें यह विचार उठने लगा कि मुझे अपनी पत्नीके साथ कैसा संबंध रखना चाहिए ? पत्नीको विषय-भोगका वाहन बनाना पत्नीके प्रति बफादारी बंधे हो सकती है ? जबतक मैं विषय-वासनाके अधीन रहूंगा तबतक मेरी बफादारीकी कीमत मामूली मानी जायगी। मुझे यहा यह बात कह देनी चाहिए कि हमारे पारम्परिक सबधमें कभी पत्नीकी तरफसे पहल नहीं हुई। इस दृष्टिमें मैं जिस दिन से चाहूँ ब्रह्मचर्यका पालन मेरे लिए मनन्य था, मैं मेरी अजाबिन या भ्रासक्ति ही मुझे रोक रही थी।

भाग्यक होनेने बाद भी दो धार तो मैं असफल ही रहा। प्रयत्न करता, पर गिन्ता, क्योंकि उममें मुख्य हेतु उच्च न था। सिर्फ सतानोत्पत्तिको रोकना ही प्रयत्न लक्ष्य था। मनति-विग्रहके बाह्य उपकरणोंके विषयमें बिलायतमें मैंने मोदा-ब्रह्म साहित्य पढ़ लिया था। डा० एलिमनके इन उपायोंका उल्लेख भ्रमाहार-मर्चनी प्रकरणमें कर चुका हूँ। उमका कुछ क्षणिक अमर मूल्यपत्र हुआ भी था,

परतु मि० हिंसके द्वारा किये गये उनके विरोधका तथा अत साधन—सयम—के समर्थनका अमर मेरे दिलपर बहुत हुआ और अनुभवसे वह चिरस्थायी हो गया। इस कारण प्रज्ञोत्पत्तिकी अनावश्यकता जचते ही सयम-पालनके लिए उद्योग आरम्भ हुआ।

सयम-पालनमें कठिनाइयां बेहद थीं। अलग-अलग चारपाइयां रक्खी। इधर मैं रातको थककर सोनेकी कोशिश करने लगा। इन सारे प्रयत्नोका विशेष परिणाम उसी समय तो न दिखाई दिया, पर जब मैं भूतकालकी ओर आख उठाकर देखता हूँ तो जान पड़ता है कि इन सारे प्रयत्नोने मुझे अंतिम बल प्रदान किया है।

अंतिम निश्चय तो ठेठ १९०६ ई० में ही कर सका। उस समय सत्याग्रह-का श्रीगणेश नहीं हुआ था। उसका स्वप्नतकमें मुझे खयाल न था। वोअर-पुद्धके बाद नेटालमें 'जुलू' बलवा हुआ। उस समय में जोहान्सवर्गमें बवालत करना था, पर मनने कहा कि इस समय बलवेमें मुझे अपनी सेवा नेटाल-सरकारको अर्पित करनी चाहिए। तदनुसार मैंने अर्पित की भी और वह स्वीकृत भी हुई। उसका वर्णन अब आगे आवेगा, परतु इस सेवाके मिलसिलेमें मेरे मनमें तीव्र विचार उत्पन्न हुए। अपने स्वभावके अनुसार अपने साधियोमें मैंने उसकी चर्चा की। मुझे जचा कि मतानोत्पत्ति और मतान-पालन लोक-सेवाके विरोधक है। इस 'बलवे'के काममें क्षरीक होनेके लिए मुझे अपना जोहान्सवर्गवाला घर तितर-बितर करना पडा। टीमटामके साथ सजाये घरको और जुटाई हुई विविध सामगीको अभी एक महीना भी न हुआ होगा कि मैंने उने छोड दिया। पत्नी और बच्चोको फीनिक्समें रक्खा और मैं घायलोकी दृश्रुपा करनेवालोकी टुकडी बनाकर चल निकला। उन कठिनाइयोका सामना करते हुए मैंने देखा कि यदि मुझे लोक-सेवामें ही लीन हो जाना है तो फिर पुनैपणा एव धनैपणाको भी नमस्कार कर लेना चाहिए और वानप्रस्थ्य-धर्मका पालन करना चाहिए।

'बनये'में मुझे डेढ महीनेमें ज्यादा न ठहरना पडा, परतु ये छ मप्ताह मेरे जीवनका बहुत बेमकीमती समय था। त्रतरा महत्त्व मैंने इन समय मन्त्रमें साधित समझा। मैंने देखा कि यत बधन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का द्वार है। पाजतरु मेरे प्रयत्नोमें आनन्दयक नफल्ना नहीं गिनती थी, नयोकि मुजमें निश्चयका पभाव था। मुझे अपनी शक्तिपर विश्वास न था। मुझे ईश्वरकी उपापर

अविश्वास था। और इसलिए मेरा मन अनेक तरगोंमें और अनेक विकारोंमें अधीन रहता था। मैंने देखा कि व्रतवचनसे दूर रहकर मनुष्य मोहमें पड़ता है। व्रतसे अपनेको वाधना मानो व्यभिचारने छूटकर एक पत्नीसे सबध रखना है। “मेरा तो विश्वास प्रयत्नमें है, व्रतके द्वारा मैं वधना नहीं चाहता” यह वचन निर्दलता सूचक है और उसमें छिपे-छिपे भोगकी इच्छा रहती है। जो चीज त्याग्य है उसे सर्वथा छोड़ देनेमें कौन-सी हानि हो सकती है? जो साप मुझे डसनेवाला है उसको मैं निश्चय-पूर्वक हटा ही देता हूँ, हटानेका केवल उद्योग नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूँ कि महज प्रयत्नका परिणाम होनेवाला है मृत्यु। ‘प्रयत्न’ माफकी विकरालताके स्पष्ट ज्ञानका अभाव है। उभी प्रकार जिस चीजके त्यागक हम प्रयत्न-मात्र करते हैं उसके त्यागकी आवश्यकता हमें स्पष्ट रूपसे दिखा नहीं दी है, यही सिद्ध होता है। ‘मेरे विचार यदि वादको बदल जाय तो?’ ऐसी जगामे बहुत बार हम व्रत लेते हुए डरते हैं। इस विचारमें स्पष्ट दर्शनक अभाव है। इमीनिए निष्कुलानदने कहा है—

त्याग न दके रे वैराग बिना

जहाँ किसी चीजमें पूर्ण वैराग्य हो गया है वहाँ उसके लिए व्रत लेने अपने आप अनिवार्य हो जाता है।

८

ब्रह्मचर्य—२

शुद्ध चर्चा और शुद्ध विचार करनेके बाद १९०६में मैंने ब्रह्मचर्य-न-धारण किया। व्रत लेने तक मैंने धर्म-पत्नीमें इस विषयमें सलाह न ली थी व्रतके समय अलवृत्ता ली। उसने उसका कुछ विरोध न किया।

यह व्रत लेना मुझे बड़ा कठिन मालूम हुआ। मेरी शक्ति कम थी मुझे चिन्ता रहती कि विकारोंको क्योंकर दबा सकूँगा? और स्वपत्नीके स-विकारोंमें अगिप्त रहना एक अजीब बात मालूम होती थी। फिर भी मैं देख रहा था कि बड़ी मेरा स्पष्ट कर्तव्य है। मेरी नीयन माफ थी। इसलिए यह

सोचकर कि ईश्वर शक्ति और सहायता देगा, मैं क्रोध पडा ।

आज २० सालके बाद उस व्रतको स्मरण करते हुए मुझे सानदाश्चर्य होता है । समय-पालन करनेका भाव तो मेरे मनमें १९०१से ही प्रबल था और उसका पालन मैं कर भी रहा था, परंतु जो स्वतंत्रता और आनंद मैं अब पाने लगा वह मुझे नहीं याद पडता कि १९०६के पहले मिला हो, क्योंकि उस समय मैं वासनाबद्ध था—कभी भी उसके अवीन हो जानेका भय रहता था, किंतु प्रबल वासना मुझपर सवारी करनेमें असमर्थ हो गई ।

फिर अब मैं ब्रह्मचर्यकी महिमा और अधिकाधिक समझने लगा । यह व्रत मैंने फीनिक्समें लिया था । घायलोकी शूश्रूषासे छुट्टी पाकर मैं फीनिक्स गया था । वहासे मुझे तुरंत जोहान्सबर्ग जाना था । वहा जानेके एक ही महीनेके अंदर सत्याग्रह-सभामकी नींव पडी । मानो यह ब्रह्मचर्यव्रत उसके लिए मुझे तैयार करने ही न आया हो । सत्याग्रहका खयाल मैंने पहलेसे ही बना रक्खा हो, सो बात नहीं । उसकी उत्पत्ति तो अनायास—अनिच्छासे—हुई । पर मैंने देखा कि उसके पहले मैंने जो-जो काम किये थे—जैसे फीनिक्स जाना, जोहान्सबर्गका भारी घर-खर्च कम कर डालना और अतको ब्रह्मचर्यका व्रत लेना—वे मानो इसकी पेश-बन्दी थे ।

ब्रह्मचर्यका सोलह आने पालनका अर्थ है ब्रह्म-दर्शन । यह ज्ञान मुझे शास्त्रो द्वारा न हुआ था । यह तो मेरे सामने धीरे-धीरे अनुभव-सिद्ध होता गया । उससे सबब रखनेवाले शास्त्र-वचन मैंने बादको पढे ब्रह्मचर्यमें शरीर-रक्षण, बुद्धि-रक्षण और आत्माका रक्षण, सब कुछ है—यह बात मैं व्रतके बाद बिनो-दिन अधिकाधिक अनुभव करने लगा, क्योंकि अब ब्रह्मचर्यको एक घोर तपश्चर्या रहने देनेके बदले रसमय बनाना था, उसीके बलपर काम चलाना था । इसलिए अब उसकी खूबियोंके नित नये दर्शन मुझे होने लगे ।

पर मैं जो इस तरह उससे रसकी घूटें पी रहा था, उससे कोई यह न समझे कि मैं उसकी कठिनताको अनुभव न कर रहा था । आज यद्यपि मेरे छप्पन साल पूरे हो गये हैं, फिर भी उसकी कठिनताका अनुभव तो होता ही है । यह अधिकाधिक समझता जाता हू कि यह असिधारा-व्रत है । अब भी निरंतर जागरूकताकी आवश्यकता देखता हू ।

ब्रह्मचर्यका पालन करनेके लिए पहले स्वादेन्द्रियको वशमें करना चाहिए । मैंने खुद अनुभव करके देखा है कि यदि स्वादको जीत लें तो फिर ब्रह्मचर्य अत्यन्त सुगम हो जाता है । इस कारण इसके बाद मेरे भोजन प्रयोग केवल अन्नाहारकी दृष्टिसे नहीं, पर ब्रह्मचर्यकी दृष्टिसे होने लगे । प्रयोग द्वारा मैंने अनुभव किया कि भोजन कम, सादा, बिना भिर्च-भसालेका और स्वाभाविक रूपमें करना चाहिए । मैंने खुद छ साल तक प्रयोग करके देखा है कि ब्रह्मचारीका आहार वन-पके फल है । जिन दिनों मैं हरे या सूखे वन-पके फलोपर ही रहता था, उन दिनों जिस निर्विकारताका अनुभव होता था, वह खुराकमें परिवर्तन करनेके बाद न हुआ । फलाहारके दिनोंमें ब्रह्मचर्य सरल था, दुग्धाहारके कारण अब कष्टसाध्य हो गया है । फलाहार छोड़कर दुग्धाहार क्यों ग्रहण करना पडा, इसका जिक्र समय आनेपर होगा ही । यहा तो इतना ही कहना काफी है कि ब्रह्मचारीके लिए दूधका आहार विघ्नकारक है, इसमें मुझे लेशमात्र सदेह नहीं । इससे कोई यह अर्थ न निकाल ले कि हर ब्रह्मचारीके लिए दूध छोडना जरूरी है । आहारका असर ब्रह्मचर्यपर क्या और कितना पडता है, इस सबधमें अभी अनेक प्रयोगोकी आवश्यकता है । दूधके सवृण शरीरके रंग-रेशो मजबूत बनानेवाला और उतनी ही आसानीसे हजम हो जानेवाला फलाहार अबतक मेरे हाथ नहीं लगा है । न कोई बैद्य, हकीम या डाक्टर ऐसे फल या अन्न बतला सके है । इस कारण दूधको विकारोत्पादक मानते हुए भी अभी मैं उसे छोडनेकी सिफारिश किसीसे नहीं कर सकता ।

बाहरी उपचारोंमें जिस प्रकार आहारके प्रकारकी और परिमाणकी मर्यादा आवश्यक है उसी प्रकार उपवासकी बात भी समझनी चाहिए । इन्द्रिया ऐसी बलवान् है कि उन्हें चारो ओरसे, ऊपर-नीचे दशो दिशाओसे, जब घेरा डाला जाता है तभी वे कब्जेमें रहती है । सब लोग इस बातको जानते है कि आहार बिना वे अपना काम नहीं कर सकती । इसलिए इस बातमें मुझे जरा भी शक नहीं है कि इन्द्रिय-दमनके हेतु इच्छापूर्वक किये उपवासोसे इन्द्रिय-दमनमें बडी सहायता मिली है । कितने ही लोग उपवास करते हुए भी सफल नहीं होते । इसका कारण यह है कि वे यह मान लेते है कि केवल उपवाससे ही सब काम हो जायगा और बाहरी उपवास-भाव करते है, पर मनमें छप्पन भोगोका ध्यान करते रहते है । उपवासके दिनोंमें इन विचारोका स्वाद चक्का करते है कि उपवास पूरा होनेपर

क्या-क्या सायगे, और फिर विचार्यत करते हैं कि न तो स्वादेन्द्रियका मयम हो पाया और न जननेन्द्रियका। उपवासमें चाम्पविक लाभ वहीं होता है, जहां मन भी देह-दमनमें माय वेता है। इसका यह अर्थ हुआ कि मनमें विषय-भोगके प्रति वैराग्य हो जाना चाहिए। विषय-भोगकी जड़ तो मनमें है। उपवासादि साधनोंसे मिलनेवाली सहायताएँ बहुत होते हुए भी अपेक्षाकृत थोड़ी ही होती हैं। यह कहा जा सकता है कि उपवास करते हुए भी मनुष्य विषयासक्त रहता है, परन्तु उपवासके बिना विषयान्क्तिता समूल विनाश सम्भवनीय नहीं। इसलिये उपवास ब्रह्मचर्य-पालनका एक अनिवार्य अंग है।

ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले बहूनेरे विफल हो जाते हैं, क्योंकि वे प्राहार-विहार तथा दृष्टि इत्यादि में अ-ब्रह्मचारीकी तरह रहना चाहते हुए भी ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहते हैं। यह कौशिल्य गर्मिके मौसममें सरदीके मौसमका अनुभव करने जैसी समझनी चाहिए। सयमी और स्वच्छदीके, भोगी और त्यागीके जीवनमें भेद अवश्य होना चाहिए। साम्य तो सिर्फ ऊपर ही ऊपर रहता है। किंतु भेद स्पष्ट रूपमें दिखाई देना चाहिए। आँखसे दोनो काम भेदे हैं, परन्तु ब्रह्मचारी देव-दर्शन करता है, भोगी नाटक-सिनेमामें लीन रहता है। कानका उपयोग दोनो करते हैं, परन्तु एक ईश्वर-भजन सुनता है और दूसरा विलासमय गीतोंको सुननेमें आनंद मानता है। जागरण दोनो करते हैं, परन्तु एक तो जाग्रत अवस्थामें अपने हृदय-मंदिरमें विराजित रामकी आराधना करता है, दूसरा नाच-रगकी धुनमें मोनेकी याद भूग जाता है। भोजन दोनो करते हैं, परन्तु एक गरीर-रूपी तीर्थ-क्षेत्रकी रक्षा-मात्रके लिए शरीरको किराया देता है और दूसरा स्वादके लिए देहमें अनेक चीजोंको ठूसकर उस दुर्गंधित बनाता है। इस प्रकार दोनोके आचार-विचारमें भेद रहा ही करता है और वह अंतर दिन-दिन बढ़ता है, घटता नहीं।

ब्रह्मचर्यका अर्थ है मन, वचन और कायासे समस्त इन्द्रियोंका सयम। इस सयमके लिए पूर्वोक्त त्यागोंकी आवश्यकता है, यह बात मुझे दिन-दिन दिखाई देने लगी और आज भी दिखाई देती है। त्यागके क्षेत्रकी कोई सीमा ही नहीं है जैसी कि ब्रह्मचर्यकी महिमाके नहीं है। ऐसा ब्रह्मचर्य अल्पप्रयत्नमें साध्य नहीं होता। करोड़ोंके लिए तो यह हमेशा एक आदर्शके रूपमें ही रहेगा, क्योंकि

प्रयत्नशील ब्रह्मचारी तो नित्य अपनी ऋटियोंना दर्शन करेगा, अपने हृदयके कोने-कोनेमें छिपे विकारोंको पहचान लेगा और उन्हें निबाल बाहर करनेका सतत उद्योग करेगा। जवनक अपने विचारोंपर इतना कब्जा न हो जाय कि अपनी इच्छाके बिना एक भी विचार मनमें न आने पावे तबतक वह मपूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं। जिनने भी विचार हैं, वे सब एक तरह विकार हैं। उनको बगमें करनेकी मानी है मनको बगमें करना। और मनको बगमें करना बायुको बगमें करनेमें भी कठिन है। इनना हांने हुए भी यदि आत्मा है तो फिर यह भी माध्य है ही। रास्तेमें हमें बड़ी कठिनाइया आती हैं, इमने यह न मान लेना चाहिए कि वह अनाध्य है। वह तो परम-अर्थ है। और परम-अर्थके लिए परम प्रयत्नकी आवश्यक्ता हो तो इमने कौन आश्चर्य की बात है ?

परतु देस आनेपर मैंने देखा कि ऐना ब्रह्मचर्य महज प्रयत्नसाध्य नहीं है। कह सकते हैं कि जवनक मैं इम मूर्च्छामें था कि फलाहारने विकार ममल नष्ट हो जायगे, और इमलिए अभिमानने मानता था कि अब मझे कुछ करना बाकी नहीं रहा है।

परतु इम विचारके प्रकरण तक पहुचनेमें अभी बिलब है। इम बीच इनना कह देना आवश्यक है कि ईश्वर-माछालार करनेके लिए मैंने जिन ब्रह्मचर्य-की व्याख्या की है उसका पालन जो करना चाहते हैं वे यदि अपने प्रयत्नके साथ ही ईश्वरपर श्रद्धा रखनेवाले होंगे तो उन्हें निराश होनेका कोई कारण नहीं है।

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य वैहिन ।

रसवर्जं रसोऽप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्तते ॥^१

निगहारीके विषय तो शात हो जाते हैं, परतु रसोंका शमन नहीं होना। ईश्वर-दर्शनसे रस भी शात हो जाते हैं।

इमलिए आत्मार्थीका अंतिम साधन तो राम-नाम और राम-कृपा ही है। इस बातका अनुभव मैंने हिंदुस्तान आनेपर ही किया।

^१ गीता, अध्याय २, श्लोक ५६।

६

सावगी

भोग भोगनेका आरम्भ तो मैंने किया, पर यह टिक न सका। टीम-टामकी साधन-सामग्री मैंने जुटाई तो, परतु उसके मोहमे मैं नहीं फसा था। इसलिए एक ओर घर-गृहस्थी बनाते ही मैंने दूसरी ओर खर्च कम करनेकी शुरुआत की। बुलाईका खर्च भी ज्यादा मालूम हुआ। फिर घोड़ी नियमित रूपसे कपड़े न लाता, इस कारण दो-तीन दर्जन कमीज और इतने ही कालरसे भी काम न चलता। कालर रोज बदला जाता था, कमीज रोज नहीं तो तीसरे दिन जरूर बदलनी पडती। इस तरह दोहरा खर्च लगता। यह मुझे ब्यर्थ मालूम हुआ। इसलिये घर पर ही धोनेकी चीजें मगाईं। बुलाई-बिलाकी पुस्तक पढकर धोना सीख लिया और पत्नीको भी सिखा दिया। इससे कामका कुछ बोझ तो बढा, पर एक नई चीज थी, इसलिये मनोविनोद भी होता।

पहले-पहल जो कालर मैंने धोया उसे मैं कभी न भूल सकूंगा। इसमें कलप ज्यादा था, और इस्तिरी पूरी गरम न थी। फिर कालरके जल जानेके भयसे इस्तिरी ठीक-ठीक दवाई नहीं गई थी। इस कारण कालर कढा तो हो गया, पर उसमेंसे कलप क्षिरता रहता था।

ऐसा ही कालर लगाकर मैं अदाशतमे गया और बहा वैरिस्टरोके मजाकका साधन बन गया, परतु ऐसी हसी-दिल्लीकी सहल करनेकी क्षमता मुझमें उस समय भी कम न थी।

“कालर हाथमे धोनेका यह पहला प्रयोग है, इसलिये उसमेंसे कलप क्षिर रहा है, पर मेरा इसमें कुछ हर्ज नहीं होता। फिर आप सब लोगोके इतने विनोदका कारण हुआ यह विशेष बात है।” मैंने स्पष्टीकरण किया।

“पर घोड़ी क्या नहीं मिलते ?” एक मित्रने पूछा।

“यह घोड़ीका खर्च मुझे नागवार हो रहा है। कालरकी कीमतके बराबर बुलाईका खर्च—और फिर भी घोड़ीकी गुलामी बरदाश्त करनी पडती है, सो जुदी। इसके बनिस्वत तों मैं घरपर हाथसे धो लेना ही ज्यादा पसद करता

है ।”

किन्तु यह स्वाध्यायनशील गरीबों में मिश्रितों न समझा गया ।

मुझे बहना चाहिए कि घनरा में घनने रामने जयरा काटे घोरने। कुनलना प्राण बरनी थी मो मुने रत्ना बाणिग रि घोरनेरी पुनानि परनी बुलाई निनी नह घटिया नहीं हनी थी । गनरना गनरना घोर घन घोरने घोरने तानरने निनी नह तम न नी ।

गोवन्दे पान म्य० महादेव गाविन रागरेषा प्रदादभ्यस्य एव दुष्टा वा । गोखले उने बडे जनने रने श्री प्रता-भोगपर ही उने जन्मान बनने । जोहान्मजगमें उनके स्वागतके उपरधममें जो भोज दूषा घा, यह घनरने बडे मन्त्रना था । दक्षिण घोरनेमें यह उना नरने प्रजा भाग था । इनति ए घनरनपर यह दुष्टा जनना बाणे ने । उनमें निजमटे पड गई नी श्री घनरने कनेकी जन्मन थी । गोरीके यह भोगत सुरा उन्निगी रने मन्मन था । मने कहा—“जग मेरी विद्यारो भी घनना नीनिग ।”

“गुम्हारी बकानतार में निजान न नरना है, पर न दुष्टेनर मुनारें गुनाई-रनाकी आजमान न होने दूता । तुम नहीं इने दाग दो नो ? जन्मे ही इसका किना मूल्य है ? यह रनर उन्नेने प्रति उत्तमने इन प्रनारी बया मुझे कह मुनाई ।

मने आजिजीके नाय दा न पडने देनेकी जिम्मेदारी थी । पनन मने इन्निरी रनेरी प्रजाजन मिन गई श्री बादने घनी कुसलतारा प्रमाय पन भी मुने मिला । अब यदि दुनिया मुने प्रमाण-मन न देती इनने बरा ?

जिम नरने में घोड़ीनी गुनामीने छूटा उनी तरह नाईकी गुनामीं भी उन्नेका अयार था गया । हमने दाटी बनना नो विनायत ज्ञानेवाले नन मीख लेने है, पर मुने ज्ञान नहीं कि बान काटना भी कोई मीख लेने हो । प्रिटे रियामें एक बार में अत्रेज नाईकी दूकानपर गया । उसने मेरे बान काटने माफ इन्कार कर दिया और ऐसा करने हुए निरन्तर प्रदर्शित किया नो अय मुझे बडा ही दु व हुआ । मैं नीवा बाजारमें पहुचा । बान काटनेकी कैकी परीष और आइनेके सामने उठे रहकर अने बान काट डाले । बान ज्यो-त्यो कटे तं पर पीछेके बान काटनेमें बडी दिक्कत पेश आई । फिर भी जैसे चाहिए न क

पाये। यह देखकर अदालतमें खूब कहकहा मचा।

“तुम्हारे सिरपर छद्दर तो नहीं फिर गई?”

मैंने कहा—“नहीं, मेरे काले सिरको गोरा नाई कैसे छू सकता है? इस कारण जैसे-तैसे हाथ-कटे वाल ही मुझे अधिक प्रिय है।”

इस उत्तरसे मित्रोको आश्चर्य हुआ। सच पूछिए तो उस नाईका कसूर न था। यदि वह श्यामवर्ण लोगोके बाल काटने लगता तो उसकी रोजी चली जाती। हम भी तो कहा अछूतोके बाल उच्च वर्णके नाइयोसे कटवाने देते हैं? इसका बदला मुझे दक्षिण अफ्रीकामे एक बार नहीं, बहुत बार मिला है। और मेरा यह खयाल बना है कि यह हमारे ही दोषका फल है। इसलिए इस बातपर मुझे कभी रोप नहीं हुआ।

स्वावलम्बन और सादगीके मेरे इस शौरके आगे जाकर जो तीव्र स्वल्प ग्रहण किया, उनका वर्णन तो यथा-प्रसंग होगा, परन्तु उसका मूल पुराना था। उमके फलने-फूलनेके लिए सिर्फ मिचार्डकी आवश्यकता थी और वह अक्षर अनायास ही मिन गया था।

१०

बौध्द-युद्ध

१८९७से १९ ई० तकके जीवनके दूसरे कई अनुभवोको छोड़कर अब बौध्द-युद्धपर आना हू। जब यह युद्ध छिडा तब मेरे मनोभाव विलग्न बौध्दोंके पक्षमें थे, पर मैं यह मानता था कि ऐसी बातोंमें व्यक्तिगत विचारोंके अनुसार काम करनेका अधिकार अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। इन अवधमें जो मचन मेरे हृदयमें हुआ, उसका सूक्ष्म निरीक्षण मैंने ‘दक्षिण अफ्रीकाके मत्स्यारह्वा दक्षिण अफ्रीका में किया है, इसलिए महा निरसनेकी आवश्यकता नहीं। जिनको जानने की इच्छा हो वे उन पुस्तको पढ़ लें।’ महा तो जाना ही पढ़ना काफी है कि विभिन्न गणोके प्रति मेरी वफादारी मुझे उन युद्धमें योग देनेके लिए जरूरतनी

‘यह पुस्तक ‘सरता साहित्य मण्डल’से प्रकाशित हुई है।

लिए लगा हुआ था, फिर भी आवश्यकताके समय प्रत्यक्ष युद्ध-क्षेत्रकी हृदके अंदर भी काम करनेका अवसर हमें मिला। ऐसी जोखिममें न पडनेका इकरार सरकारने अपनी इच्छासे हमारे साथ किया था, परंतु स्पियाकोपकी हारके बाद स्थिति बदली। इस कारण जनरल बुलरने सदेश भेजा कि यद्यपि आप जोखिमकी जगह काम करनेके लिए बधे हुए नहीं हैं, फिर भी यदि आप खतराका सामना करके धायल सिपाहियोंको अथवा अफसरोंको रणक्षेत्रसे उठाकर डोलियोंमें ले जानेके लिए तैयार हो जायंगे तो सरकार आपका उपकार मानेगी। इधर हम तो जोखिम उठानेके लिए तैयार ही थे। अतएव स्पियाकोपके युद्धके बाद हम गोली-बारूदकी हृदके अंदर भी काम करने लगे।

इन दिनोंमें सबको कई बार बीस-पच्चीस मीलकी भजिल तय करनी पडती थी। एक बार तो धायलोको डोलीमें रखकर इतनी दूर चलना भी पडा था। जिन धायल योद्धाओं को हम उठाकर ले गये उनमें जनरल बुडगेट इत्यादि भी थे।

छ सप्ताहके अंतमें हमारी टुकड़ीको रखसत दी गई। स्पियाकोप और बालकाजकी हारके बाद लेडी स्मिथ आदि-आदि स्थानोंको जोअरोंके घेरेसे तेजीके साथ मुक्त करनेका विचार ब्रिटिश सेनापतिने त्याग दिया और इंग्लैंड तथा हिंदुस्तानसे और सेना आनेकी राह देखने तथा धीरे-धीरे काम करनेका निश्चय किया था।

हमारी उस छोटी-सी सेवाकी उस समय बहुत स्तुति हुई। उससे हिंदुस्तानियोंकी प्रतिष्ठा बढी। 'आखिर हिंदुस्तानी हैं तो साम्राज्यके वारिस ही' ऐसे गीत गाये गये। जनरल बुलरने अपने खरीतेमें हमारी टुकड़ीके कार्यकी प्रशंसा की। भूखियोंको लडाईके तथमें भी मिले।

इसके फलस्वरूप हिंदुस्तानी अधिक सगठित हुए। मैं गिरमिटिया हिंदुस्तानियोंके अधिक सम्पर्कमें आ सका। उनमें अधिक जाग्रति हुई और गह भावना अधिक दृढ हुई कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई, मदगामी, पाग्नी, गुजराती,

कि शत्रु भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अधिक तफसीलके लिए देखिए—'द० अ० के सत्याग्रहका इतिहास', पृष्ठ १, अध्याय ६।

सिन्धी, सब हिंदुस्तानी हैं। सबने माना कि अब हिंदुस्तानियोंके दुख अवस्थ दूर हो जायगे। गोरोकें बर्तावमें भी उनके बाद साफ-साफ फर्क नजर आने लगा।

लडाईमें गोरोंमें जो सबब बधा, वह भीठा था। हजारों 'टामियोंके महवासमें हम लोग आये। वे हमारे साथ मित्र-भावसे व्यवहार करते और इस खयानसे कि हम उनकी सेवाके लिए हैं, हमारे उपकार मानते।

मनुष्य-स्वभाव दुखके समय कैसा पसीज जाता है, इसकी एक मधुर-मृत्ति यहाँ दिये बिना नहीं रह सकता। हम लोग चीवली छावनी की ओर जा रहे थे। यह वहीं क्षेत्र था, जहाँ लार्ड रावर्ट्सके पुत्र लेफ्टनेंट रावर्ट्सको भर्तातक गोली लगी थी। लेफ्टनेंट रावर्ट्सके शवको ले जानेका औरव हमारी टुकड़ीको प्राप्त हुआ था। लौटते वक्त धूप कड़ी थी। हम कूच कर रहे थे। सब प्यासे थे। पानी पीनेके लिए रास्तेमें एक छोटा-सा झरना पड़ा। सबाल उठा, पहले कौन पानी पीये। मैंने सोचा था कि 'टामियोंके पी लेनेके बाद हम पिगेंगे। 'टामियोंने हमें देखकर तुरत कहा—'पहले आप लोग पी लें।' हमने कहा—'नहीं, पहले आप पीये।' इस तरह बहुत देरतक हमारे और उनके बीच मधुर आग्रहकी खीचातानी होती रही।

११

नगर-सुधार : अकाल-फाड़

समाजके एक भी अंगका खराब बने रहना मुझे हमेशा अखरता रहता है। सोगोनी बुराइयोंको ढककर उनका बचाव करना अथवा उन्हें दूर किये बिना अधिकार प्राप्त करना मुझे हमेशा अरुचिकर हुआ है। दक्षिण-अफ्रीका-स्थित हिंदुस्तानियोंपर एक आक्षेप हुआ करता था। वह यह कि हिंदुस्तानी अपने घर-बार साफ-सुखरे नहीं रखते और बहुत मैले रहते हैं। बार-बार यह वान कही जाती थी। उसमें कुछ मचाई भी थी। मेरे बहा होनेके आरम्भ-काल ही में मैंने उसे दूर करनेवा विचार किया था। इस इलजागको भिटानेके लिए शुरूआतमें समाजके सदस्यप्रतिष्ठ लोगोंके घरोंमें मचाई तो गुर्र हो गई थी, परंतु

घर-घर जाकर प्रचार करनेका काम तो तभी बुरु हो पाया, जब डरवनमें प्लेगके प्रवेश और प्रकोपका भय उत्पन्न हुआ। इसमें म्यूनिसिपैलिटीके अधिकारियोंका भाग था और उनकी सम्मति भी थी। हमारी मददसे उनका काम आसान हो गया और हिंदुस्तानियोंको कम कष्ट और असुविधा हुई, क्योंकि प्लेग इत्यादिका प्रकोप जब कभी होता है तब आम तौरपर अधिकारी लोग अधीर हो जाते हैं और उसका उपाय करनेमें सीमाके आगे बढ़ जाते हैं, एव जो लोग उनकी नजरोंमें अश्रिय होते हैं, उनपर इतना दबाव डाला जाता है कि वह असह्य हो जाता है। चूकि लोगोंने खुद ही काफी इलाज करनेका आयोजन कर लिया था, इसलिए वे इस सख्ती और ज्यादतीसे बच गये।

इस अवधमें मुझे कितने ही कड़ए अनुभव भी हुए। मैंने देखा कि स्थानीय सरकारसे अपने हकका मतालवा करनेमें अपने लोगोंसे मैं जितनी सहायता ले सकता था, उतनी आसानीसे मैं उनसे स्वयं अपने कर्तव्योंका पालन करनेमें न ले सका। कितनी ही जगह अपमान होता, कितनी जगह विनयपूर्वक लापरवाही बताई जाती। गदगी दूर करनेका कष्ट उठाना एक आफत मालूम होती थी और इसके लिए पैसा खर्च करना तो और भी मुश्किल पडता था। इससे मैंने यह पाठ और अधिक अच्छी तरह सीखा कि यदि लोगोंसे कुछ भी काम कराना हो तो हमें धीरज रखना चाहिए। सुधारकी गरज तो होती है खुद सुधारकको, जिस समाजमें वह सुधार चाहता है, उससे तो उसे विरोधकी, तिरस्कारकी और जानकी भी जोखिमकी ही आशा रखनी चाहिए। सुधारक जिस बातको सुधार समझता है, समाज उसे 'कुधार' क्यों न माने ? और यदि सुधार न भी माने तो उसकी तरफसे उदासीन क्यों न रहे ?

इस आंदोलनका परिणाम यह हुआ कि भारतीय समाजमें घरगार स्वच्छ रखनेकी आवश्यकता थोड़ी-बहुत मात्रामें मान ली गई। राज्याधिकारियोंके नजदीक मेरी साख बढ़ी। वे समझे कि मैं महज शिकायतें करनेवाला अथवा हक मागनेवाला ही नहीं हूँ, बल्कि इन बातोंमें मैं जिनना दूढ हूँ उतना ही उत्साही आतुरिक सुधारोंके लिए भी हूँ।

परंतु समाजकी मनोवृत्तिका विकास अभी एक और दिशासे होना बाकी था। यहांके भारतीयोंको अभी प्रमगोपात्त भारतवर्षके प्रति अपने धर्मको समझना

श्रींग उनका पालन करना बाकी था । भारतवर्ष तो कगाल है । सांग धन बचानेके लिए विदेश जाने हैं । मैंने सोचा, उनकी कमाईका कुछ-न-कुछ अद्य भारतवर्षके आपनिर्भर समय मिलना चाहिए । भारतमें १८९७ई०में तो अकाल पडा ही था । १८९०म एत श्रींग भारी अकाल हुआ । दोनों अकालके समय दक्षिण अफ्रीकाने गाभी मदद गई थी । पहले अकालके समय जिननी रकम एकत्र हो सकी थी उससे बहुत जगता करम दूसरे अकालके समय गई थी । इसमें हमने अग्रेजोंसे भी बदा मागा था और उनकी तरफसे अच्छी सहायता मिली थी । गिरमिटिया हिन्दु-स्थानियोंने भी अपनी तरफसे बदा दिया था ।

उन गह उन दोनों अकालके समय जो प्रया पडी वह अभीतक कायम है और हम देखते हैं कि भारतवर्षमें नाबंजनिक मकटके समय दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दुस्थानी अच्छी कामे भेजा करते हैं ।

उन गह दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयोंकी सेवा करते हुए मैं खुद बहुतेरी कामे करते गद एत अनायास नीच रहा था । मन्त्र एक विगाल वृक्ष है । उसकी गो-गदो सेवा ही जानी है त्यो-न्यो उसमें अनेक फल प्राते हुए दिखाई देते हैं । उता अत ही नहीं होता । ज्यो-ज्यो हम गहरे पैठते हैं त्यो-न्यो उसमेंने रत्न निगमते हैं, मेराके अयमग राय प्राते ही रहते हैं ।

१२

देश-गमन

एक गर्तपर छुट्टी स्वीकार की। वह यह कि एक सालके अंदर लोगोको मेरी जरूरत मालूम हो तो मैं फिर दक्षिण अफ्रीका आजाऊंगा। मुझे यह गर्त कठिन मालूम हुई, परंतु मैं तो प्रेम-पाषाणमें बसा हुआ था।

काचे रे तातणे मने हरजीए बाधी

जेम ताणे तेम तेमनी रे

मने लागी कटारी प्रेमनी ।^१

मीराबाईकी यह उपमा न्यूनाधिक अक्षमें भुक्षपर घटित होती थी। पच भी परमेश्वर ही है। मित्रोकी बातको टाल नहीं सकता था। मैंने वचन दिया। इजाजत मिली।

इस समय मेरा निकट-सबध प्राय नेटालके ही साथ था। नेटालके हिंदुस्तानियोने मुझे प्रेमाभूतमे नहला डाला। स्थान-स्थानपर अभिनदनपत्र दिये गये और हर जगहसे कीमती चीजे नजर की गईं।

१८९६में जब मैं देस आया था, तब भी भैंटे मिली थी, पर इस बारकी भैंटे और सभाधोके दृश्योमे मैं घबराया। भैंटमें सोने-चादीकी चीजे तो थी ही, पर हीरेकी चीजे भी थी।

इन सब चीजोको स्वीकार करनेका मुझे क्या अधिकार हो सकता है? यदि मैं इन्हे मजूर कर लू तो फिर अपने मनको यह कहकर कैसे मना सकता हू कि मैं पैसा लेकर लोगोकी सेवा नहीं करता था? मेरे मवकिलोकी कुछ रकमोको छोडकर बाकी सब चीजे मेरी लोक-सेवाके ही उपलक्ष्यमें दी गई थी। पर मेरे मनमें तो मवकिल और दूसरे साथियोमे कुछ भेद न था। मुख्य-मुन्य मवकिल सब सार्वजनिक काममे भी सहायता देते थे।

फिर उन भैंटोमें एक पचास गिनीका हार कस्तूरबाईके लिए था। मगर उसे जो चीज मिली वह भी थी तो मेरी ही सेवाके उपलक्ष्यमे, अतएव उसे पृथक् नहीं मान सकते थे।

जिस शामको इनमे से मुख्य-मुन्य भैंटे मिली, वह रात मैंने एक पागलकी

^१ प्रभुजीने मुझे कबचे सूतके प्रेम-पाषाणसे बाध लिया है। ज्यो-ज्यो वह उसे तावते हैं त्यो-त्यो मैं उनकी होती जाती हू।

नरह जागकर बाटी । जग्गेमें यहासे बहा दहलता रहा । परतु गुल्मी कित्ती तरह मुलजनी न थी । नैकडो रपयोकी नैटें न लेना भारी पड़ रहा था, पर छे लेना उनमे भी भारी मानूम होना था ।

मैं चाहे इन नैटोको पचा भी नकता, पर मेरे बालक और पत्नी ? उन्हे नालीम तो सेबाकी मिल रही थी । सेबाका दाम नहीं लिया जा सकता था, यह हमेशा समझाया जाता था । घरमें कीमती जेवर आदि मैं नहीं रखता था । सादगी बटनी जाती थी । ऐसी अवस्थामें मोनेकी घडिया कौन रखेगा ? सोनेकी कठी और हीरेकी अगूठिया कौन पहनेगा ? गहनोका मोह छोड़नेके लिए मैं उन नमय भी औरतें कहता रहता था । अब इन गहनो और जवाहरातको लेकर न क्या करेगा ?

मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि वे चीजें मैं हरगिज नहीं रख सकता । पारसी हस्तमञ्जी इत्यादि को इन गहनोके ड्रस्टी बनाकर उनके नाम एक चिट्ठी तैयार की और चुबह स्त्री-पुत्रादिसे सलाह करके अपना बोझ हलका करनेका निश्चय किया ।

मैं जानना था कि धर्मपत्नीको ममझाना मुश्किल पड़ेगा । मुझे विश्वास था कि बालकोको नमदानेमें जरूर भी दिक्कत पेश न आवेगी, अनएव उन्हें वकील बनानेका विचार किया ।

बच्चे तो सुरत नमझ गये । वे बोले, "हमें इन गहनोने कुछ मनलव नहीं, ये नभ चीजें हमें लौटा देने चाहिए और यदि जग्गन होगी तो क्या हम खुद नहीं बना नरेंगे ?

मैं जमन्न हुआ । "तो तुम बा को मनजाओगे न ?" मैंने पूछा ।

'जहर-जहर । वह कहा इन गहनोको पहनने चली है ? वह रखना चाहेंगी भी तो हमारे ही लिए न ? पर जब हमें ही इनकी जरूरत नहीं है तब फिर वह क्यों जिद करने लगी ?"

परतु नाम अदाजसे ज्यादा मुश्किल साबित हुआ ।

"तुम्हें चाहे जरूरत न हो और लडकोको भी न हो । बच्चोका क्या ? जन्म नमजदरे नमज जाते हैं । मुझे न पहनने दो पर मेरी बहुओंको तो जरूरत होगी ? प्रांग रॉन बर नकना है कि कल क्या होगा ? जो चीजें लौटाने इतने

प्रेमसे दी है उन्हें वापस लौटाना ठीक नहीं।" इस प्रकार वाग्धारा शुरू हुई और उसके साथ अश्रुधारा आ मिली। लडके दृढ़ रहे और मैं भला क्या डिगने लगा ?

मैंने धीरेसे कहा—“पहले लडकोकी शादी तो हो लेने दो। हम वचनपनमें तो इनके विवाह करना चाहते ही नहीं हैं। बड़े होनेपर जो इनका जी चाहे सो करें। फिर हमें क्या गहनो-कपडोकी शौकीन बहूए खोजनी है ? फिर भी अगर कुछ बनवाना ही होगा तो मैं कहा चला गया हू ?”

“हा, जानती हू तुमको। बही न हो, जिन्होंने मेरे भी गहने उतरवा लिये हैं। जब मुझे ही नहीं पहनने देते हो तो मेरी बहूओको जरूर ला दोगे ! लडकोको तो अभीसे वैरागी बना रहे हो। इन गहनोको मैं वापस नहीं देने दूगी। और फिर मेरे हारपर तुम्हारा क्या हक ?”

“पर यह हार तुम्हारी सेवाकी खातिर मिला है या मेरी ?” मैंने पूछा।

“जैसा भी हो। तुम्हारी सेवामें क्या मेरी सेवा नहीं है ? मुझे जो रात-दिन मजुरी कराते हो, क्या वह सेवा नहीं है ? मुझे रला-रलाकर जो ऐरे-गैरोको घरमें रखा और मुझसे सेवा-टहल कराई, वह कुछ भी नहीं ?”

ये सब वाण तीखे थे। कितने ही तो मुझे चुभ रहे थे। पर गहने वापस लौटानेका मैं निश्चय ही कर चुका था। अतको बहुतेरी बातोंमें मैं जैसे-तैसे सम्मति प्राप्त कर सका। १८९६ और १९०१में मिली मेंटें लौटाईं। उनका ट्रस्ट बनाया गया और लोक-सेवाके लिए उसका उपयोग मेरी अथवा ट्रस्टियोंकी इच्छाके अनुसार होनेकी शर्तपर वह रकम बैंकमें रक्खी गई। इन चीजोंको बेचनेके निमित्तसे मैं बहुत बार रुपया एकत्र कर सका हू। आपत्ति-नोपके रूपमें वह रकम आज मौजूद है और उसमें वृद्धि होती जाती है।

इस बातके लिए मुझे कभी पश्चात्ताप नहीं हुआ। आगे चलकर कस्तूर वाईको भी उसका और शौचित्य जचने लगा। इस तरह हम अपने जीवनमें बहुतेरे लालचोंसे बच गये हैं।

मेरा यह निश्चित मत हो गया है कि लोक-सेवकको जो मेंटें मिलती है, वे उसकी निजी चीज कदापि नहीं हो सकती।

१३

देसमें

इस तरह मैं देसके लिए विदा हुआ। रास्तेमें मॉरीगम पड़ता था। वहा जहाज बहुत देरतक ठहरा। मैं उतरा और वहाकी स्थिनिका ठीक अनुभव प्राप्त कर लिया। एक रात वहाके गवर्नर मर चार्ल्स क्रुसके यहा भी बिताई थी।

हिंदुस्तान पहुचनेपर कुछ समय इधर-उधर घूमनेमें व्यतीत किया। यह १९०१की बात है। इस साल राष्ट्रीय महामभा—कांग्रेसका अविश्वगत बनकत्तामें था। दीनशा एदलजी बाच्छा मभापति थे। मैं कांग्रेसमें जाना तो चाहता ही था। कांग्रेसका मुझे यह पहना अनुभव था।

ववईसे जिस गाडीमें मर फिरोजगाह चले, उसीमें मैं भी रवाना हुआ। उनसे मुझे दक्षिण अफ्रीकाके विषयमें बातें करनी थी। उनके डिब्बेमें एक स्टेशनतक जानेकी मुझे आज्ञा मिली। वह खान सैलूनमें थे। उनके गाडी बंभव और लर्च-बर्चमें मैं वाकिफ था। निश्चित स्टेशनपर मैं उनके डिब्बेमें गया। उस समय उनके डिब्बेमें मर दीनशा और श्री (अब 'मर') चिमनलाल सेतमवाड बैठे थे। उनके माय राजनीतिकी बातें हो रही थी। मुझे देख कर मर फिरोजगाह बोले—“गाधी, तुम्हारा काम पूरा पडनेका नहीं। प्रस्ताव तो हम जैना तुम कहोगे पास कर देंगे, पर पहले यही देखो न, कि हमारे ही देसमें कौन से हक मिल गये हैं? मैं मानता हू कि जबतक अपने देसमें हमें सत्ता नहीं मिली है तबतक उपनिवेशोंमें हमारी हालत अच्छी नहीं हो सकती।”

मैं तो सुनकर स्तम्भित हो गया। सर चिमनलालने भी उन्हीकी हांमें-हाँ मिलाई। परतु सर दीनशाने मेरी और दया-भरी दृष्टिसे देखा।

मैंने उन्हें समझानेका प्रयत्न किया। परतु ववईके बिना ताजके वादगाहको भना मुझ-जैना आरम्भी क्या समझा सकता था? मैंने इनी बातपर मनोप माना कि चलो, कांग्रेसमें प्रस्ताव तो पेज हो जायगा।

“प्रस्ताव बनाकर मुझे दिवाना भला गाधी।” मर दीनशा मुझे उत्साहित करनेके लिए बोले।

मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। दूसरे स्टेजानपर गाड़ी लड़ी होने ही मैं वहाँमें त्रिमरुा और अपने डिब्बेमें आकर बैठ गया।

कलकत्ता पहुँचा। नगरवासी अर्घ्यक्ष इत्यादि नेताओंको धूम-धामसे स्थानपर ले गये। मैंने एक स्वयमेवकमें पूछा— “ठहरनेका प्रपञ्च कहा है ?”

वह मुझे रिपन कालेज ले गया। वहाँ बहुतेरे प्रतिनिधि ठहरे हुए थे। मौमान्यसे जिस विभागमें मैं ठहरा था, वही लोकमान्य भी ठहराये गये थे। मुझे ऐसा स्मरण है कि वह एक दिन वाद आये थे। जहाँ लोकमान्य होते वहाँ एक छोटा-सा दरवार लगा ही रहता था। यदि मैं चितैरा होऊ तो जिस चारपाईपर वह बैठते थे उसका चित्र खींचकर दिखा दू—उस स्थानका और उनकी बैठकका इतना स्पष्ट स्मरण मुझे है। उनसे मिलने आनेवाले असरय लोगमें एकका ही नाम मुझे याद है— ‘अमृतवाजार पत्रिका’के स्व० मोतीबाबू। इन दोनोंका कहकहा लगाना और राजकर्ताओंके अन्याय-मवशी उनकी बातें कभी भुलाई नहीं जा सकनी।

पर जरा यहाँके प्रवचकी ओर दृष्टिपात करें।

स्वयमेवक एक-दूसरेमें लड पढने थे। जो काम जिसे सीपा जाता वह उसे नहीं करता था, वह सुरत दूसरेको बुलाता और दूसरा तीमरेको। बेचाग प्रतिनिधि न डधरका रहता न उधरका।

मैंने कुछ स्वयसेवकसे मेल-मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीकाकी कुछ बातें उनसे की। इमसे वे कुछ शरमाये। मैंने उन्हें सेवाका मर्म समझानेकी कोशिश की। वे कुछ-कुछ समझे। परतु सेवाका प्रेम कुकुरमुत्तेकी तरह जहाँ-तहाँ उग नहीं निकलता। उसके लिए एक तो इच्छा होनी चाहिए और फिर अभ्यास। इन भोले और मले स्वयसेवकों में इच्छा तो बहुत थी, पर तालीम और अभ्यास कहासे हो सकता था ? काग्रेस सालमें तीन दिन होती और फिर मो रहती। हर साल तीन दिनकी तालीमसे कितनी बातें सीखी जा सकती है ?

जो स्वयसेवकोंका हाल था, वही प्रतिनिधियोंका। उन्हें भी तीन ही दिन तालीम मिलती थी। वे अपने हाथों कुछ भी नहीं करते थे, हर बातमें हुकममें काम लेते थे। ‘स्वयमेवक, यह लाओ’ और ‘वह लाओ’ यही हुकम छूटा करते।

छुआछूतका विचार भी बहुतामें था। द्राविडी रसोईघर विलकुल जुदा था। इन प्रतिनिधियोंको तो दृष्टि-दोषभी बरदास्त न होता था। उनके लिए कंपाउडमें एक जुदी पाकशाला बनाई गई थी। उसमें धुआ इतना था कि आदमीका दम घुट जाय। खान-पान सब उनीमें होता। रसोईघर क्या था, मानो एक सट्टक था, सब तरफमें बंद।

मुझे यह वर्ण-धर्म अस्तरा। महासभामें आनेवाले प्रतिनिधियोंको जब इतनी छूत लगती है तो जो लोग इन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं उन्हें कितनी छूत लगती होगी, इसकी श्रैणिक लगानेपर मेरे मुहमें महमा निकल पडा—“ओफ।”

गदगीकी सीमा नहीं। चारो ओर पानी ही पानी हो रहा था। पाखाने कम थे। उनकी बदबूकी बादमें आज भी रोगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने एक स्वयसेवक का ध्यान उसकी ओर खीचा। उसने बेचबक होकर कहा—“यह तो भगीका काम है।” मैंने झाड़ू मगाई। वह मेरा मुह ताकता रहा। आखिर मैं ही झाड़ू खोज लाया। पाखाना साफ किया। पर यह तो हुन्ना अपनी सुविधाके लिए। लोग इतने ज्यादा थे और पाखाने इतने कम थे कि कई बार उनके साफ होनेकी जरूरत थी। पर यह मेरे काबूके बाहर था। इसलिए मुझे मिर्फ अपनी सुविधा करके सतोप मानना पडा। मैंने देखा कि औरोको यह गदगी खलती न थी।

पर यही तक वस नहीं है। रातके समय तो कोई कमरेके बरामदेमें ही पाखाने बैठ जाता था। सुबह मैंने स्वयसेवकको वह मैला दिखाया। पर कोई साफ करनेके लिए तैयार न था। यह गौरव आखिर मुझे ही प्राप्त हुआ।

आजकल इन बातोंमें यद्यपि थोडा-बहुत सुचारु हुआ है, तथापि भविचारि प्रतिनिधि अब भी कांग्रेसके कैंपको जहा-सहा मल-स्थान करके विगाड देते हैं और सब स्वयसेवक उसे साफ करनेको तैयार नहीं होते।

मैंने देखा कि यदि ऐसी गदगीमें कांग्रेसकी बैठक अधिक दिनोत्तक जारी रहे तो अवश्य बीमारिया फैल निकलें।

१४

कारकुन और 'बेरा'²

कांग्रेसके अधिवेशनको एक-दो दिनकी देर थी। मैंने निश्चय किया था कि कांग्रेसके दफ्तरमें यदि मेरी सेवा स्वीकार हो तो कुछ सेवा करके अनुभव प्राप्त करूँ।

जिस दिन हम आये उसी दिन नहा-धोकर कांग्रेसके दफ्तरमें गया। श्री भूपेन्द्रनाथ वसु और श्री घोषाल मंत्री थे। भूपेन बाबूके पास पहुंचकर कोई काम मागा। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा—

“मेरे पास तो कोई काम नहीं है—पर शायद मि० घोषाल तुमको कुछ बतावेंगे। उनसे मिलो।”

मैं घोषाल बाबूके पास गया। उन्होंने मुझे नीचेसे ऊपरतक देखा। कुछ मुस्कराये और बोले—

“मेरे पास कारकुनका काम है—करीगे ?”

मैंने उत्तर दिया—“जरूर करूंगा। अपने वस-भर सब कुछ करनेके लिए मैं आपके पास आया हूँ।”

“नवयुवक, सच्चा सेवा-भाव इसीको कहते हैं।”

कुछ स्वयंसेवक उनके पास खड़े थे। उनकी ओर मुखातिव होकर कहा—
“देखते हो, इस नवयुवकने क्या कहा ?”

फिर मेरी ओर देखकर कहा—“तो लो, यह चिट्ठियोंका ढेर, और यह मेरे सामने पडी है कुरसी, उसे ले लो। देखते हो न, सैकड़ों आदमी मूझसे मिलने आया करते हैं। अब मैं उनमें मिलूँ या ये लोग फालतू चिट्ठियाँ लिखा करते हैं इन्हें उत्तर दूँ ? मेरे पास ऐसे कारकुन नहीं कि जिससे मैं यह काम करा सकूँ। इन चिट्ठियोंमें बहुतेरी तो फिजूल होगी। पर तुम सबको पढ़

²'अंग्रेजी 'वेअरर' शब्दका अपभ्रंश, खिदमतगार। कलकत्तामें घरके नौकरको 'बेरा' कहनेका रिवाज पड़ गया है।

जाना । जिनकी पहुँच लिखना जल्दी हो उनकी पहुँच लिख देना और जिनके उत्तरके लिए मुझमें पूछना हो पूछ लेना ।”

उनके इस विषयामने मुझे वही चुन्नी हुई ।

श्री घोपाल मुझे पहचानने न थे । नाम-छाम तो मेरा उन्होंने वादको जाना । चिट्ठियोंके जवाब आदिका काम आसान था । नारे डेरको मैंने तुरत निपटा दिया । घोपाल वावू बुझ हुए । उन्हें बान करनेकी आदत बहुत थी । मैं देखता था कि वह बातोंमें बहुत समय लगाया करते थे । मेरा इतिहास जाननेके बाद तो कारकुनका काम देनेमें उन्हें जरा गर्म मालूम हुई । पर मैंने उन्हें निश्चित कर दिया ।

“कहा मैं और कहा आप । आप कांग्रेसके पुराने नेवक, मेरे नजदीक तो आप बुजुर्ग हैं । मैं ठहरा अनुभवहीन नवयुवक, यह काम सौंपकर मुझपर तो आपने अहसान ही किया है, क्योंकि मुझे आगे चलकर कांग्रेसमें काम करना है । उसके काम-काजको समझनेका अलम्य अवसर आपने मुझे दिया है ।”

“सच पूछो तो यही सच्ची मनोवृत्ति है । परतु आजकलके नवयुवक ऐसा नहीं मानते । पर मैं तो कांग्रेसको उसके जन्ममें जानता हूँ । उसकी स्थापना करनेमें मि० ह्यूमके साथ मेरा भी हाथ था ।” घोपाल वावू बोले ।

हम दोनोंमें खासा सबब हो गया । दोपहरके खानेके समय वह मुझे साथ रखते । घोपाल वावूके बटन भी 'बैंग' लगाता । यह देखकर 'बैंग' का काम खुद मैंने लिया । मुझे वह अच्छा लगना । बड़े-बूटोकी और मेरा बडा आदर रहता था । जब वह मेरे मनोभावमें परिचिन हो गये तब अपनी निजी मेवाका सारा काम मुझे करने देते थे । बटन लगवाते हुए मुह पिचकाकर मुझसे कहते—“देखो न, कांग्रेसके नेवकको बटन लगानेतककी फुरसत नहीं मिलती । क्योंकि उस समय भी वह काममें लगे रहते हैं ।” उन भोलेपनपर मुझे मनमें हसी तो आई, परतु ऐसी मेवाके लिए मनमें अरुचि बिलकुल न हुई । उसमें जो नाम मुझे हुआ उसकी कीमत नहीं आनी जा सकती ।

थोड़े दिनोंमें मैं कांग्रेसके तन्त्रमें परिचित हो गया । बहुतने भ्रगुआग्रोन् भेंट हुई । गोखले, मुरेरनाथ आदि थोडा आते-जाते रहते । उनका रग-टग मैंने देखा । कांग्रेसमें समय जिन तरह बरबाद होना था, वह मेरी नजरमें

आया। अंग्रेजी भाषाका दौर-दौरा भी देखा। इससे उस समय भी दुःख हुआ था। मैंने देखा कि एक आदमीके करनेके काममें एकसे अधिक आदमी लग जाते और कुछ जरूरी कामोंको तो कोई भी नहीं करता था।

मेरा मन इन तमाम बातोंकी आलोचना किया करता था। परंतु चित्त उदार था—इसलिए, यह मान लेता कि शायद इससे अधिक सुधार होना असंभव होगा। फलतः किसीके प्रति मनमें दुर्भाव उत्पन्न न हुआ।

१५

कांग्रेसमें

कांग्रेसकी बैठक शुरू हुई। मडपका भव्य दृश्य, स्वयंसेवकोंकी कतार, मंचपर बड़े-बूढ़ोंके समुदायको देखकर मैं दंग रह गया। इस सभामें भला मेरा क्या पता चलेगा, इस विचारसे मैं बेचैन हुआ।

सभापतिका भाषण एक स्लासी पुस्तक थी। उसका पूरा पढ़ा जाना मुश्किल था। कोई-कोई अंग ही पढ़े गये।

फिर विषय-निर्वाचिनी समितिके सदस्य चुने गये। गोखले मुझे उसमें ले गये थे।

सर फिरोजशाहने मेरा प्रस्ताव लेना स्वीकार तो कर ही लिया था। मैं यह सोचता हुआ समितिमें बैठा था कि उस प्रस्तावको समितिमें कौन पेश करेगा, कब करेगा, आदि। हर प्रस्तावपर लंबे-संबे भाषण होते थे और सब-के-सब अंग्रेजीमें। प्रत्येक प्रस्तावके समर्थक कोई-न-कोई प्रसिद्ध पुरुष थे। इस नक्कारखानेमें मुझ तूतीकी आवाज कौन मुनेगा? ज्यो-ज्यो रात जाती थी, त्यों-त्यों मेरा दिल धडनता था। मुझे याद आता है कि अंतमें गृह जानेवाले प्रस्ताव आजकलके वायुयानकी गतिमें चलते थे। सब घर भागनेकी तैयारीमें थे। रातके ११ बजे गये। मेरी बोलनेकी हिम्मत न होती थी। पर मैं गोखलेमें भिन्न लिया था और उन्होंने मेरा प्रस्ताव देख लिया था।

उनकी कुरसीके पास जाकर मैंने धीरेमें कहा—

“मेरी वान न भूलिआ।”

उन्होंने कहा—“तुम्हारा प्रस्ताव मेरे ध्यानमें है। यहाकी जल्दी तो तुम देख ही रहे हो। पर मैं उने मूलमें न पडने दूगा।”

“अब सब खतम हुआ न ?” मर फिरोज-नाह बोले।

“अभी तो दक्षिण अफ्रीकाका प्रस्ताव बाकी है न ? मि० गाधी बैठे कबके राह देख रहे हैं।” गोखले बोल उठे।

“आपने उन प्रस्तावको खेज लिया है ?” मर फिरोज-नाहने पूछा।

“हा, जरूर।”

“आपको ठीक जचा है ?”

“हा, सब ठीक है।”

“तो गाधी, पटो तो।”

मंने कापते हुए पट मुनागा।

गोखलेने उमका ममर्थन किया।

“सर्वनम्मनिते पास”—सब बोल उठे।

“गाधी, तुम पाच मिनट बोलना।” वाच्छा बोले।

इस दृश्यसे मुझे खुशी न हुई। किन्तीने प्रस्तावको समझ लेनेका वृष्ट न उठाया। सब भाग-दौड़में थे। गोखलेके देख लेनेने औरोने देखने-सुननेकी जरूरत न समझी।

मुवह हुई।

मुझे तो अपने भाषणकी पडी थी। पाच मिनटमें क्या कहूंगा ? मैंने अपनी तरफसे तैयारी तो ठीक-ठीक की थी, परतु आवश्यक नञ्च न मूझते थे। इधर यह निञ्चय कर लिया था कि कुछ भी हो लिखित भाषण न पडूगा। पर ऐसा प्रतीत हुआ, मानो दक्षिण अफ्रीकामें बोलनेकी जो नि मञ्चोचता आ गई थी वह यहा खो गई।

मेरे प्रस्तावना समय आया और मर दीनजाने मेग नाम पुनाग। मैं खडा हुआ, मिर चक्कर खाने लगा। ज्यों-खो करके प्रस्ताव पटा। किन्ती कदिने अपनी एक कविता समस्त प्रतिनिधियोंमें बाटी थी। उसमें विदेश जाने और समुद्र-यात्रा करनेकी स्तुति की गई थी। मैंने उसे पढ मुनाया और दक्षिण अफ्रीका-

के दु खोकी कुछ बात सुनाई। इतनेमें सर दीनशाने घटी बजाई। मुझे निश्चय था कि अभी पाच मिनट नहीं हुए हैं। पर मैं यह नहीं जानता था कि यह घटी तो मुझे चेतावनी देनेके लिए दो मिनट पहले ही बजा दी गई थी। मैंने बहुताको आध-आध पौन-पौन घट्टे तक बोलते सुना था, पर घटी न बजती थी। इससे दु ख हुआ। घटी बजते ही मैं बैठ गया। परतु मेरी मल्प बुद्धिने उस समय मान लिया कि उस कविताके द्वारा सर फिरोजशाहको उत्तर मिल गया था।

प्रस्तावके पास होनेके सबधमें तो पूछना ही क्या? उस समय प्रेक्षक और प्रतिनिधिका भेद क्वचित् ही था। प्रस्तावका विरोध भी कोई न करता था। सब हाथ ऊचा कर देते थे। तमाम प्रस्ताव एक-मतसे पास होते थे। मेरे प्रस्तावका भी यही हाल हुआ। इस कारण मुझे इस प्रस्तावका महत्व न जचा, फिर भी कांग्रेसमें उस प्रस्तावका होना ही मेरे आनन्दके लिए बस था। कांग्रेसकी मुहर जिसपर लग गई उसपर सारे भारतवर्षकी मुहर है—यह ज्ञान किसके लिए काफी नहीं है?

१६

लार्ड कर्जनका दरबार

कांग्रेस तो समाप्त हुई, परतु मुझे दक्षिण अफ्रीकाके कामके लिए कलकत्तेमें रहकर 'चौवर ऑव कामर्स' इत्यादि सस्थाम्रोसे मिलना था, इसलिए मैं एक महीना कलकत्ते ठहर गया। इस बार होटलमें ठहरने के बदले, परिचय प्राप्त करके 'इंडिया क्लब' में रहनेका प्रवध किया। इसमें मुझे लोभ यह था कि यही गण्यमान्य हिंदुस्तानी ठहरा करते हैं, अतएव उनके सपर्कमें आकर दक्षिण अफ्रीकाके काममें उनकी दिलचस्पी पैदा कर सकूंगा। इस क्लबमें गोखले हमेसा नहीं तो कभी-कभी विलियर्ड खेलने आते थे। उन्हें इस बातकी खबर मिलने ही कि मैं कलकत्तेमें रहनेवाला हू, उन्होंने मुझे अपने साथ रहनेका नियमन दिया। मैंने उसे सादर स्वीकार किया। परतु अपने-आप बहा जाना मुझे ठीक न मालूम हुआ। एक-दो दिन राह देखी थी कि गोखले खुद आकर अपने साथ मुझे ले गये।

मेरी सकोचवृत्ति देखकर उन्होंने कहा—

“गाथी, तुम्हें तो इन्हीं देगमें रहना है। इसलिए ऐसी धर्ममें काम न चलेगा। जितने नौगोलिक मपकमें आ नको तुम्हें आना चाहिए। मुझे तुमसे काश्रेतका काम लेना है।”

गोखलेके यहाँ जानमें पहिलेका इटिया बनवना एक अनुभव बहा दे देना है।

इन्हीं दिनों लाई कर्जनका इन्वार्थ था। उनमें जानेवाले जो राजा महाराजा इन कनवमें थे मैं उन्हें हमेशा कनवमें उम्दा बगामी धोती-कुरता पहने राजा चादर डाले देखना था। आज उन्होंने पननून, नौगा, खानमाणा जैनी पगडी और चमकीले बूट पहने। यह देखकर मुझे दुःख हुआ और इस बेगानरका कारण उनमें पूछा।

“हमारा दुःख हम ही जानने हैं। हमारी बन-मपत्ति और उपाधियोंको ज्ञायम रखनेके लिए हमें जो-जो अपमान सहन करने पड़ने हैं, उन्हें आप कैसे जान सकते हैं ?” उत्तर मिला।

“परन्तु यह खानमाणा जैनी पाही और बूट क्यों ?”

“हममें और खानमाणा में आपने फर्क क्या नमजा ? वे हमारे खानमाणा हैं तो हम लाई कर्जनके खानमाणा हैं ? यदि मैं दरबारमें गैरहाजिर रहूँ तो मुझे उमका फन भोगा पड़े। अपने मामूली निधानमें जाऊ तो वह अपराध समझा जाय। और कहा जाकर भी क्या मैं लाई कर्जनमें बात-चीत कर सकूंगा ? बिनकुल नहीं।

मुझे इन मुद्द-हृदय भाईपर दया आई।

इन्हीं तरहका एक और दरबार याद आता है। जब काशी-हिंदू विश्व-विद्यालयका गिलारोपण लाई हाटिन्डके हाथों हुआ तब उनके लिए एक दरबार किया गया था। उनमें राजा-महाराजा तो थे ही भारतभूषण नालवीयजीने मुझे भी उनमें वाग्निधन रहनेके लिए खान तौंगपर आग्रह किया था। मैं वहाँ गया। राजा-महाराजप्रांति बन्धानूपणोंकी, जो केवल दिश्योंकी ही शोभा दे नती दे, देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ। रंगमी पाजामे, रंगमी अंगरखे और गलेमें हीरे-मोतियोंकी मालाएँ, बाहपर चाजूबद और पगडियोंपर हीरे-मोतियोंकी

लडिया और तुरे । इन सबके साथ कमरमे सोनेकी मूठकी तलवार लटकती रहती । किसीने कहा—ये इनके राज्याधिकारके नहीं, बल्कि गुलामीके चिह्न हैं । मैं समझता था कि ऐसे नामदीके आभूषण वे स्वेच्छासे पहनते होंगे । परन्तु मुझे मालूम हुआ कि ऐसे समारोहमे अपने तमाम कीमती वस्त्राभूषण पहनकर आना उनके लिए लाजिमी था । मुझे पता लगा कि कितने ही राजाओंको तो ऐसे वस्त्राभूषणोंसे नफरत थी और ऐसे दरबारके अवसरके अलावा वे कभी उन्हें नहीं पहनते थे । मैं नहीं कह सकता कि यह बात कहातक सच है । दूसरे अवसरोंपर वे चाहे पहनते हों या न पहनते हों, बाइसरायके दरबारमे हों या और कहीं, स्त्रियोचित आभूषण पहनकर उन्हें जाना पड़ता है, यही काफी दुःखदायक है । धन, सत्ता और मान मनुष्यत्वमे क्या-क्या पाप और अनर्थ नहीं कराने ?

१७

गोखलेके साथ एक मास—१

पहले ही दिन गोखलेने मुझे मेहमान न समझने दिया, मुझे अपन छोटे भाईकी तरह रक्खा । मेरी तमाम जरूरतें मालूम कर ली और उनका प्रबंध कर दिया । खुशकिस्मतीसे मेरी जरूरतें बहुत कम थीं । सब काम छुद कर लेनेकी आदत डाल ली थी, इसलिए औरोंसे मुझे बहुत ही कम काम कराना पड़ता था । स्वावलंबनकी मेरी इस आदतकी, उस समयके मेरे कपड़े-सत्तेकी सुघडताकी, मेरी उद्योगशीलता और नियमितताकी बड़ी गहरी छाप उन पर पड़ी और उसकी इतनी स्तुति करने लगे कि मैं परेगान हो जाता ।

मुझे यह न मालूम हुआ कि उनकी कोई बात मुझसे गुप्त थी । जो कोई बड़े आदमी उनसे मिलने आते उनका परिचय वह मुझमे कराते थे । इन परिचयोंमें जो आज सबसे प्रधानरूपसे मेरी नज़रोंके सामने खड़े हो जाते हैं वह हैं डा० प्रफुल्लचंद्र राय । वह गोखलेके मकानके पाग ही रहते थे और प्रायः हमेशा आया करते थे ।

“यह है प्रोफेसर राय, जो ८००) मासिक पाते हैं, पर अपने खर्चके लिए सिर्फ ४०) लेकर बाकी सब लोक-सेवामें लगा देते हैं । इन्होंने गाड़ी नहीं की है, न करना ही चाहते हैं ।” इन शब्दोंमे गोखलेने मुझे उनका परिचय कराया ।

आजके जो समय श्री ७७ अर्थात् श्री ७७ वारमें मुझे योग ही न दे
दिलाई देता है। उसे छोड़ें उन नमो करने से पाप भी समाप्त करने में सक्षम
है। हा, अब जारी आ गई है। उन चार चारों में भी ही नहीं। स्वदेशी
मिलोने उपडे ज्ञानों। नाचने श्री ७७ वारों का मुझे दृष्टि में न प्रकटा था,
क्योंकि उनमें जाने का ना देन-नाने मारम-नेनी का होनी जात-नया। निम्न
ही जाने वृत्त भी होनी, तर्हि उनमें नमो-नमो-नमो-नमो भी होनी थी।
जिन्हें मैं महान् दादा मानना सीत था, वे छोटे छोटे देने रहे।

गोपदेवी राम चन्द्र की प्रसिद्धि मुझे जितना छात्र दृष्टा इनका ही
बहुत-बहुत योग भी। वह प्रयास भी धन-पत्र न जाने देते थे। मैंने देना
कि उनके नाम मन्त्र देन-नाने ही लिए जाने थे। जने भी तन्मय देन-नाने
ही निमित्त हूँगी थी। जानों परी भी मी-नाना, देन का प्रकटा न दिना दिया।
हिन्दुत्वान की मनेत्री योग पराधीना उन्हें प्रतिष्ठा मुनी थी। धने-नाना
उन्हें अपने ज्ञानों दिव्य-नमो-नमो-नमो-नमो। वे उन्हें ही उतर देते—“आत
इन नमो-नमो-नमो-नमो, मुझे अपना नाम परने दीक्षा मुझे देनी न्याधीना
प्राप्त करनी है। उनके बाद मुझे इनकी जाने नूतनी। अभी तो इन नामने मुझे
एक क्षण फुरन नहीं रहनी।”

रानडेके प्रति उनका पूज्य भाव दात-नानमें उपक पटना था। ‘रानडे
ऐसा कहते थे’, यह तो उनकी ज्ञान-नाना मानों ‘नूत-उवाच’ ही था। मेरे
बहा रहते हुए रानडेकी जयनी (या पुष्पनिधि, मन्त्र ही-याद नहीं है) पडनी थी।
ऐसा जान पडा, मानो गोत्रने नर्वदा उस हो मनाने हो। उन नमय मेरे ज्ञानका
उनके मित्र प्रोफेसर कायवटे तथा दूसरे एक मन्त्रन थे। उन्हें उन्होंने पयती मनाने
के लिए निमित्त विना और उन अवसरपर उन्होंने हमें रानडेके निम्न ही नमो-नमो
कह मुनाये। रानडे, तै-नान और मा-निकरों नुनना ही थी। ऐसा चाद पडना है
कि तै-नान ही नाना की न्युनि की थी। मा-निकरों नुनानके रूपमें प्रथम
की थी। अपने मन्त्रिकलोकों वह किनकी चिन्ता स्वते थे, इनका एक उदाहरण
दिया। एक बार गली चू-गर्द तो भाङ्गित स्पेयन देन करके गये। या
घटना वह सुनाई। रानडेकी सर्वोपेक्ष शक्ति-नाना वर्णन करके बताया कि वा
तत्कालीन अंगियोंमें सर्वोपरि थे। रानडे अकेले न्याय-मूर्ति न थे। वह इति

हासकर थे, अर्थशास्त्री थे। सरकारी जज होते हुए भी कांग्रेसमें प्रेक्षकके रूपमें निर्भय होकर आते थे। फिर उनकी समझदारीपर लोगों का इतना विश्वास था कि सब उनके निर्णयोंको मानते थे। इन बातोंका वर्णन करते हुए गोखलेके हर्षका टिकाना न रहता था।

गोखले षोढा-गाढी रखते थे। मैंने उनसे इसकी शिकायत की। मैं उनकी कठिनाइयां न समझ सका था। “क्या आप सब जगह ट्राममें नहीं जा सकते? क्या इससे नेताओंकी प्रतिष्ठा कम हो जायगी?”

कुछ दुःखित होकर उन्होंने उत्तर दिया—“क्या तुम भी मुझे न पहचान सके? बड़ी धारासभासे जो कुछ मुझे मिलता है उसे मैं अपने काममें नहीं लेता। तुम्हारी ट्रामके सफर पर मुझे ईर्ष्या होती है। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब तुमको मेरे जितने लोग पहचानने लग जावेंगे तब तुम्हें भी ट्राममें बैठना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर हो जायगा। नेता लोग जो कुछ करते हैं, केवल आमोद-प्रमोदके ही लिए करते हैं, यह मानने का कोई कारण नहीं। तुम्हारी सादगी मुझे पसंद है। मैं भरसक सादगीसे रहता हूँ। पर यह बात निश्चित समझना कि कुछ खर्च तो मुझे जैसोंके लिए अनिवार्य हो जाता है।”

इस तरह मेरी एक शिकायत तो ठीक तरहसे रद्द हो गई, पर मुझे एक दूसरी शिकायत भी थी और उसका वह सतोषजनक उत्तर न दे सके।

“पर आप धूमने भी तो पूरे नहीं जाते। ऐसी हालतमें आप बीमार क्यों न रहे? क्या देख-कार्यसे व्यायामके लिए फुरसत नहीं मिल सकती?” मैंने कहा।

“मुझे तुम कब फुरसतमें देखते हो कि जिस समय मैं धूमने जाना?” उत्तर मिला।

गोखलेके प्रति मेरे मनमें इतना आदर-भाव था कि मैं उनकी बातों का जवाब न देता था। इस उत्तरसे मुझे सतोष न हुआ, पर मैं चुप रहा। मैं मानता था और अब भी मानता हूँ कि जिस तरह हम भोजन-पानके लिए समय निकालते हैं उसी तरह व्यायामके लिए भी निकालना चाहिए। मेरी यह नम्र सम्मति है कि जससे देख-सेवा कम नहीं, अधिक होती है।

गोखलेके साथ एक मास—२

गोखलेकी छपछायामें रहकर यहा मंने अपना माग मथन घरमें बंठकर, नहीं बिताया ।

मंने अपने दक्षिण मफ्रीबाबाले ईमाई-मिथोनि रहा था कि भागमें मं अपने देनी ईमाइयोंनि जरूर मिलूंगा और उनकी स्थितियों जानगा । तानीचरण बनर्जीका नाम मंने चुना था । तारेममें वह आगे बढकर राम रंगने के, उनलिए उनके प्रति मेरे मनमें श्रद्धा-भाव हो गया था । तारेकि हिंदुस्थानी ईमाई आम तौरपर काप्रेममें और हिंदुओं तथा मुसलमानोंके अलग रहने के, उनलिए जो अविश्वास उनके प्रति था, वह कानीचरण बनर्जीके प्रति न दिखाई दिया । मंने गोखलेसे कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हू । उन्होंने कहा—“वहा जानर तुम क्या करोगे ? वह हूं तो बहुत भले प्रादमी, परंतु मैं समझता हू कि उनसे मिलकर तुम्हें नतोप न होगा । मैं उनको खूब जानता हू । फिर भी तुम जाना चाहो तो खुनीमें जा नरने हो ।

मंने कालीबाबूसे मिलनेका समय मागा । उन्होंने तुरत समय दिया और मं मिलने गया । घरमें उनकी धर्मपत्नी मृत्युगव्यापर पड़ी हुई थी । वहा सर्वत्र मादगी फेली हुई थी । तारेममें वह कोट-पतलून पहने हुए थे, पर घरमें बगानी बोती व कुरता पहने हुए देखा । यह मादगी मुझे आई । उन समय यद्यपि मैं पारसी कोट-पतलून पहने हुए था, तथापि उनकी पोशाक और मादगी मुझे बहुत ही प्रिय लगी । मंने और बातोंमें उनका समय न लेकर अपनी उनजन उनसे सामने पेश की ।

उन्होंने मुझसे पूछा—“गाय यह दान मानने है या नहीं कि हम अपने पापोंको साग लेकर जन्म पाते हैं ? ”

मंने उत्तर दिया—“हां, जरूर । ”

“तो इस मूल पापके निवारणका उपाय हिंदू-धर्ममें नहीं, ईमाई-धर्ममें

यह कहकर उन्होंने कहा—“पापका बदला है मौत । वाइविल कहती है कि इस मौत से बचनेका मार्ग है ईसाकी शरणमें जाना ।”

मैंने भगवद्गीताका भक्ति-मार्ग उनके सामने उपस्थित किया, परन्तु मेरा यह उद्योग निरर्थक था । मैंने उनकी सज्जनताके लिए उनको घन्यवाद दिया । मुझे संतोष तो न हुआ, फिर भी इस मुलाकातसे लाभ ही हुआ ।

इसी महीनेमें मैंने कलकत्तेकी एक-एक गलीकी खाक छान डाली । प्रायः पैदल ही जाता था । इसी समय मैं न्यायमूर्ति मित्रसे मिला । सरगुरुदास बनर्जीसे भी मिला । इन सज्जनोकी सहायता दक्षिण अफ्रीकाके कामके लिए आवश्यक थी । राजा सर प्यारीमोहन मुकर्जीके दर्शन भी इसी समय हुए ।

कालीचरण बनर्जीने मुझे से काली-मंदिरका जिक्र किया था । उसे देखनेकी प्रवृत्ति इच्छा थी । एक पुस्तकमें मैंने वहाका वर्णन भी पढा । सो एक दिन वहा चला गया । न्यायमूर्ति मित्रका मकान उसी मुहल्लेमें था । इस-लिए मैं जिस दिन उनसे मिला, उसी दिन कालीमंदिर गया । रास्तेमें बलिदानके बकरोकी कतार जाती हुई देखी । मंदिरकी गलीमें पहुचते ही भिखारियोकी भीड़ दिखाई दी । बाबा वैरागी तो थे ही । उस समय भी मेरा यह नियम था था कि हट्टे-कट्टे भिखारीको कुछ न दिया जाय, पर भिखारी तो बहुत ही पीछे पट गये थे ।

एक बाबाजी एक चौतरेपर बैठे थे । उन्होंने मुझे बुलाया, “क्यो बेटा, कहा जाते हो ?” मैंने यथोचित उत्तर दिया । उन्होंने मुझे तथा मेरे साथीको बैठनेके लिए कहा । हम बैठ गये ।

मैंने पूछा—“इन बकरोके बलिदानको आप धर्म समझते है ?”

उन्होंने कहा—“जीव-हत्याको धर्म कौन मानेगा ?”

“तो आप यहा बैठेबैठे लोगोको उपदेश क्यो नही देते ?”

“यह हमारा काम नही । हम तो यहा बैठकर भगवद्भक्ति करते है ।”

“पर आपको भक्तिके लिए यही स्थान मिला, दूसरा नही ?”

“कही भी बैठें, हमारे लिए सब जगह एकसी है । लोगोको क्या, वे तो भेड़-बकरीके झुडकी तरह हैं, जिघर बड़े हाकें, सघर चले जाय । हम साधुओको इससे क्या मतलब ?” बाबाजी बोले ।

मैंने संवाद आगे न बढ़ाया। इसके बाद हम मंदिरमें पहुँचे। सामने लहूकी नदी बह रही थी। दर्शन करनेके लिए खड़े रहने की इच्छा न रही। मेरे मनमें बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ। मैं छटपटाने लगा। इस दृश्यको मैं श्रवतक नहीं भूल सका हूँ।

उसी समय बगाली मित्रोंकी एक पार्टीमें मुझे निमंत्रण था। वहाँ मैंने एक सज्जनने इस घातक पूजा-विधिके संबंधमें बातचीत की। उन्होंने कहा—“वहाँ बलिदानके समय खूब नाँवत बजती है, जिसकी गूजमें बकरोको कुछ मालूम नहीं होता। यह मानने है कि ऐसी गूजमें चाहे जिम तरह मारें, उन्हें तकलीफ नहीं होती।”

मुझे यह बात न जची। मैंने कहा—“यदि वे बकरे बोल सकें तो इनसे भिन्न बात कहेंगे।” मेरे मनने कहा—यह घातक रिवाज बंद होना चाहिए। मुझे बृद्धदेववाली कथा याद आई, परंतु मैंने देखा कि यह काम मेरे सामर्थ्यके बाहर था।

उम समय इस सबबमें मेरी जो धारणा हुई वह अब भी मौजूद है। मेरे नजदीक बकरेके प्राणकी कीमत मनुष्यके प्राणसे कम नहीं है। मनुष्य-बेहको कायम रखनेके लिए बकरेका खून करनेको मैं कभी तैयार न होऊँगा। मैं मानता हूँ कि जो प्राणी जितना ही अधिक असह्य होगा, वह मनुष्यकी घातकनामे बचनेके लिए मनुष्यके आश्रयका उतना ही अधिक अधिकारी है। परंतु इसके लिए काफी योग्यता या अधिकार प्राप्त किये बिना मनुष्य आश्रय देनेमें समर्थ नहीं हो सकता। बकरोको इन क्रूर होममें बचानेके लिए मुझे जो है उससे बहुत अधिक आत्मबुद्धि और त्यागनी आनभ्यक्तता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तो इस बुद्धि और त्यागना रटन करते-करते ही मुझे यह बेह छोडनी पड़ेगी। परमात्मा करे ऐसा कोई तेजस्वी पुण्य अथवा कोई तेजस्वी सती उत्पन्न हो, जो इस महापातकमें मनुष्यको बचावे, निर्दोष जीवोंकी रक्षा करे और मंदिरको शुद्ध करे। मैं निरंतर यह प्रार्थना किया करता हूँ। ज्ञानी, बुद्धिमान् त्याग-वृत्ति और भावना-प्रधान वाग्य वशकर इन बचको सहन कर रहा है ?

१६

गोखलेके साथ एक मास—३

काली-माताके निमित्त यह जो विकराल यज्ञ जो रहा है, उसको देखकर बंगाली-जीवनका अध्ययन करनेकी मेरी इच्छा तीव्र हुई। उसमें ब्रह्म-समाजके विषयमें तो मैंने ठीक तौरपर साहित्य पढा था और सुना भी था। प्रतापचन्द्र मजूमदारके जीवन-वृत्तांतसे मैं थोड़ा-बहुत परिचित था। उनके व्याख्यान सुने थे। उनका लिखा केमवचन्द्र सेनका जीवन-चरित्र लेकर बड़े चावसे पढा और साधारण ब्रह्म-समाज तथा आदि ब्रह्म-समाजका भेद मालूम किया। पंडित विवनाथ शास्त्रीके दर्शन किये। महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुरके दर्शन करने प्रो० कायवटे और मैं गये। पर उस समय वह किसीसे मिलते-जुलते न थे। अतएव हम उनके दर्शन न कर सके। उनके यहा ब्रह्मसमाजका उत्सव था। उसमें हम भी निमंत्रित किये गये थे। वहा ऊँचे दर्जेका बंगाली संगीत सुना। तभीमे बंगाली संगीतमे मेरा अनुराग हो गया।

ब्रह्म-समाजका, जितना हो सकता था, अध्ययन करनेके बाद मला यह कैसे हो सकता था कि स्वामी विवेकानंदके दर्शन न करता? वही उत्सुकताके साथ मैं बेलूर-मठ तक लगभग पैदल गया। किनना पैदल चला था, यह अब याद नहीं पड़ता है। मठका एकांत स्थान मुझे बड़ा सुहावना मालूम हुआ। वहा जानेपर मालूम हुआ कि स्वामीजी बीमार हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो सकती और वह अपने कलकत्तेवाले घरमें हैं। यह समाचार सुनकर मैं निराश हुआ। भगिनी निवेदिताके घरका पता पूछा। चीरगीके एक महलमे उनके दर्शन हुए। उनकी शानकी देखकर मैं भीचक्का रह गया। बातचीतमें भी हमारी पटरी ज्यादा न बँठी। मैंने गोखलेसे इसका जिफ्र किया तो उन्होंने कहा—“वह देवी बड़ी तेज है, तुम्हारी उनकी पटरी बँठनी मुश्किल है।”

एक बार और उनसे मेरी भेट पेस्तनजी पादशाहके यहा हुई थी। जिस समय मैं वहा पहुँचा, वह पेस्तनजीकी वृद्धा माताको उपदेश दे रही थी, इसलिए मैं अनायास उनका दुभाषिया बन गया। यद्यपि भगिनीका और मेरा मेल

न ब्रँठता था, तथापि मैं इतना अवध्य देख नगा कि हिंद्यमैंके प्रति उनका प्रेम अगाध है । उनकी पुन्तके मने वादको पटी ।

अपने दैनिक कार्यक्रमके मने दो विभाग किये थे । आधा दिन दक्षिण अफ्रीकाके कामके सिलसिलेमें काफ़तेके नेताओं से मिलनेमें बिनाता और आधा दिन कलकत्तेकी वार्मिक तथा दूसरी भावजनिक मस्याओंको देखनेमें । एक दिन मैंने डा० मल्लिककी अध्यक्षतामें एक व्याख्यान दिया । उनमें मैंने यह बताया कि बीमार-बुद्धके समय हिंदुस्थानियोंके परिचारक-दलने क्या काम किया था । 'इंग्लिशमैन' के साथ जो मेरा परिचय था, वह इस समय भी सहायक साबित हुआ । मि० साडनवा स्वास्थ्य इन दिनों खराब रहना था, फिर भी १८९६ की तरह इस समय भी उनमें मुझे उतनी ही मदद मिली । मेरा यह भाषण गोखले-को पसंद आया और जब डा० गायने मेरे व्याख्यानकी तारीफ़ उनमें की तो उसे मुनकर वह बड़े प्रसन्न हुए थे ।

इस तरह गोखलेकी छत्रछाया रहनेके कारण बंगालमें मेरा काम बहुत सरल हो गया । बंगालके अग्रगण्य परिवारोंमें मेरा परिचय आमानीमें हो गया और बंगालके माय मेरा निकट मबध हुआ । इस चिरम्मरणीय महीनेके तिनने ही मस्मरण मुझे छोड देने पडेगे । उसी महीनेमें ब्रह्मदेशमें भी गोता लगा आया था । वहाके फुगियोंसे मिला । उनके आलस्यको देखकर बडा दुःख हुआ । सुवर्ण पेगोडेके श्री दर्शन किये । मदिरमें असख्य छोटी-छोटी मोमबलिया जल रही थी, वे कुछ जंची नहीं । मदिरके गर्म-गृहमें चूहोंको बीडते हुए देखकर स्वामी दयानवका अनुभव याद आया । ब्रह्मदेशकी महिलाओंकी स्वतंत्रता और उत्साहके देखकर मुग्ध हो गया और पुरुषोंकी मदता देखकर दुःख हुआ । उसी समय मैंने देख लिया कि जैसे बबई हिंदुस्तान नहीं, उसी तरह रगून ब्रह्मदेश नहीं है, और जिस प्रकार हिंदुस्तानमें हम अग्रेज व्यापारियोंके कमीशन-एजेंट बन गये हैं, उसी तरह ब्रह्मदेशमें अग्रेजोंके साथ मिलकर हमने ब्रह्मदेश वासियोंको कमीशन एजेंट बनाया है ।

ब्रह्मदेशमें लौटकर मैंने गोखलेसे विदा मागी । उनका वियोग मेरे लिए दुःसह था, परंतु मेरा बंगालका, अथवा मच पछिए तो यहा कलकत्तेका, काम समाप्त हो गया था ।

मेरा यह विचार था कि काममे लगनेसे पहले मैं थोड़ा-बहुत सफर तीसरे दर्जेमें करूँ, जिससे तीसरे दर्जेके मुसाफिरोकी हालतको मैं जान लूँ और दुखोको समझ लूँ। गोखलेके सामने मैंने अपना यह विचार रक्खा। पहले-पहल तो उन्होंने इसे हसीमे टाल दिया, पर जब मैंने यह बताया कि इसमें मैंने क्या-क्या बातें सोच रक्खी हैं तब उन्होंने खुशीसे मेरी योजनाको स्वीकार किया। सबसे पहले मैंने काशी जाकर विदुषी ऐनीवेसेंटके दर्शन करना तैयार किया। वह उस समय बीमार थी।

तीसरे दर्जेकी यात्राके लिए मुझे नया साज-सामान जुटाना था। पीतलका एक डिब्बा गोखलेने खुद ही दिया और उसमें मेरे लिए भगदके लड्डू और पूरी रखवा दी। वारह आनेका एक केनवासका बैग खरीदा। छाया (पोरबदरके नजदीकके एक गाव) के ऊतका एक लवा कोट बनवाया था। बैगमे यह कोट, तौलिया, कुरते और धोनी रक्खे। ओढनेके लिए एक कवल साथ लिया। इसके अलावा एक लोटा भी साथ रक्खा था। इतना सामान लेकर मैं रवाना हुआ।

गोखले और डा० राय मुझे स्टेशन पहुचाने आये। मैंने दोनोंसे अनुरोध किया था कि वे न आवें, पर उन्होंने एक न सुनी। “तुम यदि पहले दर्जेमें सफर करते तो मैं नहीं आता, पर अब तो जरूर चलूंगा।”—गोखले बोले।

प्लेटफार्मपर जाते हुए गोखलेको तो किसीने न रोका। उन्होंने सिरपर अपनी रेशमी पगडी बांधी थी और घोती तथा कोट पहना था। डा० राय बगाली लिबासमें थे, इसलिए टिकट वावून अदर आते हुए पहले तो रोका, पर गोखलेने कहा, “मेरे मित्र हैं।” तब डा० राय भी अदर आ सके। इस तरह दोनोंने मुझे विदा दी।

२०

काशीमें

यह सफर कलकत्तेसे राजकोट तकका था। इसमें काशी, आगरा, जयपुर और पालनपुर होते हुए राजकोट जाना था। इन स्थानोको देख लेनेके सिवा अधिक समय नहीं दे सकता था। हरएक जगह मैं एक-एक दिन रहा।

पालनपुरको छोडकर और सब जगह में यात्रियोंकी तरह भ्रमशालामें या पडोंके मकानपर ठहरा था। ब्रह्मचर्य मुझे याद है, इस यात्रामें रेल-किराये सहित इकतीस रुपये लगे थे। तीसरे दर्जेमें प्रवास करते हुए भी मैं अक्सर डाकगाड़ीमें नहीं जाना था, क्योंकि मैं जानना था कि उममें मीड ज्यादा होनी है और तीसरे दर्जेके किरायेके हिसाबमें वहां दैमें भी अधिक देने पडते थे। मेरे लिए यह अडचन भी थी ही।

तीसरे दर्जेके डिब्बोंमें जो गदगी और पाखानोंकी बुरी हालत इस समय है, वही पहले भी थी। शायद इन दिनों कुछ सुधार हो गया हो, पर तीसरे और पहले दर्जेकी सुविधाओंमें जो अंतर है वह इन दर्जेके किरायेके अंतरकी अपेक्षा बहुत अधिक मालूम हुआ। तीसरे दर्जेके यात्री तो मानो भेड-बकरी होते हैं, और उनके बैठनेके डिब्बे भी भेड-बकरियोंके लायक होते हैं। पूरोंपमें तो मैंने अपनी सारी यात्रा तीसरे दर्जेमें ही की थी, केवल अनुभवके लिए एक बार मैं पहले दर्जेमें बैठा था, पर वहां मुझे पहले और तीसरे दर्जेके बीच बड़ाफा-सा अंतर न दिखाई दिया। दक्षिण अफ्रीकामें तो तीसरे दर्जेके डिब्बोंके मुसाफिर प्रायः हवणी लोग होते हैं, पर फिर भी वहांके तीसरे दर्जेके डिब्बोंमें अधिक सुविधा रहती है। कहीं-कहीं तो मुसाफिरोंके लिए तीसरे दर्जेके डिब्बोंमें सोनेका भी प्रबंध है, और बैठकोपर गद्दी भी लगी रहती है। प्रत्येक खानेमें बैठनेवाले यात्रियोंकी मर्यादाकी मर्यादा का पालन किया जाता है, पर यहां तो मुझे कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि यात्रियोंकी मर्यादाकी इम मर्यादाका पालन किया जाता हो।

रेलवे-विभागकी इन असुविधाओंके अलावा यात्रियोंकी खराब आदतें मुझ यात्रियोंके लिए तीसरे दर्जेकी यात्राको दंड-स्वरूप बना देती हैं। चाहे जहां थूक दिया, जहां चाहा कचरा फेंक दिया, जब जीमें धाया और जिस तरह चाहा बीड़ी फूवने लगे, पान और जरदा चबाकर जहां बैठे हो वही पिचकारी लगा दी, जूठन वही फर्मा पर डाल दी, जोरजोरसे बातें करना, पास बैठे मनुष्यकी परबा न करना और गद्दी भापा बगैरा, यह तीसरे दर्जेका आम अनुभव है।

तीसरे दर्जेकी मेरी १९२०ई०की यात्राके अनुभवमें और १९१५से १९१९ तकके दूसरी बारके अन्त अनुभवमें मुझे कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई दिया। इस महा व्याधिवा नो मुझे एक ही उपाय दिवाई देना है, वह यही कि

निश्चित ममात्र तीसरे दर्जेमें हो यात्रा करके इन लोगोंकी आदतें मुधारनेका यत्न करे। उनके बिना रेलवेके अधिकारियोंको शिवायतें कर-करके तग कर डालना, अपने लिए सुविधा प्राप्त करने या सुविधाकी ग्याके लिए किसी प्रकारकी रिदबत न देना और गिनाफगानून शानको प्रदास्त न करना—ये भी उपाय हैं। मेरा अनुभव है कि ऐसा करनेमें बहुत-गुछ मुधार हो सकता है। अपनी बीमारीके कारण १९२० ई०में मुझे तीसरे दर्जेकी यात्रा प्रायः बंद करनी पड़ी है। इसपर मुझे सर्वदा दुःख और लज्जा मालूम होती रहनी है। यह तीसरे दर्जेकी यात्रा मुझे ऐसे समयपर बंद करनी पड़ी, जबकि तीसरे दर्जेके यात्रियोंकी कठिनाइयां दूर करनेका काम रास्तेपर आता जाता था। रेलवे और जहाजमें यात्रा करनेवाले गरीबोंको जो कष्ट और अगुविधाएं होती हैं और जो उनकी निजी कुटुंबोंके कारण और भी अधिक हो जाती हैं, साथ ही सरकारकी ओरसे विदेशी व्यापारियोंके लिए अनुचित सुविधाएं की जाती हैं, इत्यादि बातें हमारे सार्वजनिक जीवनमें एक स्वचल और महत्त्वपूर्ण प्रश्न बन बैठी हैं और इसे हल करनेके लिए यदि एक-दो मुदक्ष और उद्योगी सज्जन अपना मारा समय दे डालें तो वह अधिक नहीं होगा।

अब तीसरे दर्जेकी यात्राकी चर्चा यही छोड़कर काशीके अनुभव सुनिए। गुवह में काशी उतरा। मैं किमी पडेके यहां उतरना चाहता था। कई ब्राह्मणोंने मुझे चारों ओरमें घेर लिया। उनमेंमें जो मुझे साफ-सुथरा दिखाई दिया, उसके घर जाना मैंने पसंद किया। मेरी पसंदगी ठीक मी निकली। ब्राह्मणके आगमनमें गाय बधी थी। घर दुमजिला था। ऊपर मुझे ठहराया। मैं यथाविधि गंगा-स्नान करना चाहता था और तबतक निराहार रहना था। पडाने सारी नयारी कर दी। मैंने पहलेमें कह रक्खा था कि १।)से अधिक दक्षिणा मैं नहीं दे सकूंगा, इसलिए उमी योग्य तयारी करना। पडेने बिना किसी झगडेके मेरी बात मान ली। कहा—“हम तो क्या गरीब और क्या अमीर, सबसे एकही-मी पूजा करवाते हैं। यजमान अपनी इच्छा और श्रद्धाके अनुसार जो दे दे, वही सही।” मुझे ऐसा नहीं मालूम कि पडेने पूजामें कोई कोर-कसर रखी हो। बारह वजेंतक पूजा-स्नानमें निवृत्त होकर मैं काशीविश्वनाथके दर्शन करने गया, पर वहा जो कुछ देखा उसमें मनमें बडा दुःख हुआ।

मन १८९१ ई०में जब मैं बवईमें थकालत करता था, एक दिन प्रार्थना-

समाज-मंदिरमें 'काशी-यात्रा' पर एक व्याख्यान मुना था। इमने कुछ निराशाके लिए तो वहीमें तैयार हो गया था, पर प्रत्यक्ष देखनेपर जो निराशा हुई वह तो धारणासे अधिक थी। एक मकड़ी फिमलनी गलीसे होकर जाना पडता था। छातिका कहीं नाम नहीं। मक्खिया चारो ओर भिनभिना रही थी। यात्रियों और दुकानदारोका हो-हूला श्रमह्य मालूम हुआ।

जहा मनुष्य ध्यान एव भगवच्चिंतनकी आशा रखता हो, वहा उनका नामोनिशान नहीं, ध्यान करना हो तो वह अपने अतरमें ही कर सकते थे। हा, ऐसी भावुक बहनें मने जरूर देखी, जो ऐसी ध्यान-भग्म थी कि उन्हे अपने आम-पासकी कुछ भी खबर न थी, पर इसका श्रेय मंदिरके सचालकोको नहीं मिल सकता। सचालकोका कर्तव्य तो यह है कि काशी-विद्वन्नाथके आम-पास गात, निर्मल, सुगंधित, स्वच्छ वातावरण—क्या बाह्य और क्या आंतरिक—उत्पन्न करें, और उमे वनाथ रक्खें, पर इसकी जगह मने देखा कि वहा गुडे लोगोका, नये-से-नये नर्जकी मिठाई और खिलौनोका बाजार लगा हुआ था।

मंदिरपर पहुचते ही मने देखा कि दरवाजेके सामने सडे हुए फूल पडे थे और उनमेंसे दुर्गंध निकल रही थी। अदर बटिया सगमरमरी फर्श था। उमपर निमी अघ-श्रद्धालुने रुपये जड रक्खे थे और उनमें मैला-कचरा घुसा रहता था।

मं जान-वापीके पास गया। यहा मने ईश्वरकी खोज की। पर मुझे न मिला। इससे मं मन-ही-मन घुट रहा था। ज्ञान-वापीके पास भी गदगी देखी। भेट रखनेकी मेरी जरा भी इच्छा न हुई। इसलिए मने तो सचमुच ही एक पाई वहा चढाई। इसपर पडाजी उखड पडे। उन्होने पाई उठाकर फेक दी और दो-चार गालिया सुनाकर बोले—“तू इस तरह अपमान करेगा तो नरकमें पड़ेगा।”

मं चुप रहा। मने कहा—“महाराज, मेरा तो, जो होना होगा वह होगा, पर आपके मुहसे हलकी बात घोभा नहीं देती। यह पाई लेना हो तो लें, वना इसे भी गवायेंगे।”

“जा, तेरी पाई मुझे नहीं चाहिए”—कहकर उन्होने और भी भला-बुरा कहा। मं पाई लेकर चलता हुआ। मने सोचा कि महाराजने पाई गवाई और मने वचा ली। पर महाराज पाई खोनेवाले न थे। उन्होने मुझे फिर बुलाया

श्रीर कहा— “अच्छा रख दे, मैं तेरे-जैसा नहीं होना चाहता । मैं न लू तो तेरा बुरा होगा ।”

मैंने चुपचाप पाई दे दी श्रीर एक लबी सास लेकर चलता बना । इसके बाद भी दो-एक बार काशी-विश्वनाथ गया, पर वह तो तब, जब ‘महात्मा’ बन चुका था । इसलिए १९०२के अनुभव भला कैसे मिलते ? खुद मेरे ही दर्शन करनेवाले मुझे दर्शन कहासे करने देते ? ‘महात्मा’के दु ख तो मुझ-जैसे ‘महात्मा’ ही जान सकते हैं, किन्तु गदगी श्रीर होहल्ला तो जैसे-के-तैसे ही बहा देखे ।

परमात्माकी दया पर जिसे शका हो, वह ऐसे तीर्थ-क्षेत्रोंको देखे । वह महायोगी अपने नामपर होनेवाले कितने डोग, अघर्म और पाखंड इत्यादिको सहन करते हैं । उन्होंने तो कह रक्खा है —

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् ।

अर्थात्,— “जैसी करनी वैसी भरनी ।” कर्मको कौन मिथ्या कर सकता है ? फिर भगवान्को बीचमे पडनेकी क्या जरूरत है ? वह तो अपने कानून वतलाकर अलग हो गया ।

यह अनुभव लेकर मैं मिसेज बेसेटके दर्शन करने गया । वह अभी बीमारीमे उठी थी । यह मैं जानता था । मैंने अपना नाम पहुचाया । वह तुरत मिलने आई । मुझे तो सिर्फ दर्शन ही करने थे । इसलिए मैंने कहा—

“मुझे आपकी नाजुक तबियतका हाल मालूम है, मैं तो सिर्फ आपके दर्शन करने आया हू । तबियत खराब होते हुए भी आपने मुझे दर्शन दिये, केवल इसीसे मैं सतुष्ट हू, अधिक कष्ट मैं आपको नहीं देना चाहता ।”

यह कहकर मैंने उनसे विदा ली ।

२१

बंबईमें स्थिर हुआ

गोखलेकी बड़ी इच्छा थी कि मैं बंबई रह जाऊ, वही वैरिस्टरी करू और उनके साथ सार्वजनिक जीवनमे भाग लू । उस समय सार्वजनिक जीवनका मतलब था कांग्रेसका काम । उनकी प्रस्थापित सस्थाका खास काम कांग्रेसके

तत्रका सञ्चालन था ।

मेरी भी यही इच्छा थी, पर यहा काम मिल जानेके विषयमें मुझे आत्म-विश्वास न था । पहले अनुभवकी याद भूला न था और खुशामद करना तो मेरे लिए मानो जहर था ।

इसलिए पहले तो मैं राजकोट ही रहा । वहा मेरे पुराने हितैषी और मुझे विनायत भेजनेवाले केवलराम भावजी दबे थे । उन्होंने मुझे तीन मुकदमे दिये । दो अपीलें काठियावाड़के जुडीशियल अमिस्टेटके इजलाम में थी और एव खान मुकदमा जामनगरमें था । यह मामला महस्वका था । इस मामलेकी जिम्मेदारी लेनेमें मैंने आनाकानी की, तब केवलराम बोल उठे—“हारेगें तो हम हारेगें न ? तुममें जिनना हो मके करना, और मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा ।”

इस मामलेमें प्रतिपक्षीकी तरफ म्व० समय ये । मेरी नैयारी भी ठीक थी । वहाके कानूनकी तो मुझे ठीक जानकारी न थी, पर इस मववमें मुझे केवलराम दबने पूरा तैयार कर दिया था । दक्षिण अपीका जानेमें पहले मित्र लोग मुझे कहू करते थे—“एविडेस-एक्ट (कानून गवाह) फिरोजगाहकी जवानपर रक्खा है, और यही उनकी मफलताकी चाबी है ।” यह मैंने ध्यानमें रक्खा, और दक्षिण अफकेका जाने समय मैंने भारतके इस कानूनको टीका-सहित पढ लिया था । इसके अतिरिक्त दक्षिण अफीकाका अनुभव तो था ही ।

मुकदमेमें मेरी जीत हुई । इसमें मुझे कुछ विश्वास हुआ । पहली दो अपीलोंने विषयमें तो मुझे पहलेमें ही भय न था । मनमें सोचा कि भव बर्बद जानेमें भी कोई हर्ज नहीं है ।

इस विषयपर अधिक लिखनेसे पहले जरा अग्रेज अधिकारियोंके अ-विचार और अज्ञानका अनुभव भी कह डालू । जुडीशियल अमिस्टेट करी एक जगह नहीं बैठते थे । उनकी सवारी घूमती रहती थी, और जहा यह साहब जाते, वही वकील और मवक्किलोंको भी जाना ही पडना । और वकीलकी फ़ीम जितनी उसके रहनेकी जगहपर हो, बाहर उनसे अधिक होती थी । इसलिए मवक्किलको सहज ही दुगना खर्च पडता, पर इसका विचार करनेकी जजको क्या जरूरत ?

इस अपीलकी सुनवाई बेरावलमें होनेवानी थी । बेरावलमें उस वक

प्लेग जोरोसे फैल रहा था। जहातक मुझे याद है, रोज पचास मृत्युए होती थी। वहाकी वस्ती साढे पाच हजारके लगभग थी। करीब-करीब सारा गाव खाली हो गया था। मेरे ठहरनेका स्थान वहाकी निर्जन धर्मशालामें था। गावसे वह धर्मशाला कुछ दूरी पर थी, पर भवकिकलोका क्या हाल ? यदि वे गरीब हो तो उनका मालिक बस ईश्वर ही समझिए ।

मुझे वकील मित्रोने तार दिया कि मैं साहबसे प्रार्थना करू कि प्लेगके कारण अदालतका स्थान बदल दे। प्रार्थना करनेपर साहबने पूछा—“क्या तुम्हे प्लेगसे डर लगता है ?”

मैंने कहा—“यह मेरे डरनेका प्रश्न नहीं है। मैं अपनी हिफाजत करना जानता हू, पर भवकिकलका क्या होना ?”

साहब बोले—“प्लेगने तो हिंदुस्तानमे घर कर लिया है, उससे क्या डरना। वेरावलकी हवा कितनी मुदर है। (साहब गावसे दूर दरिया-किनारे महलके समान एक तबूमे रहते थे) लोगोको इस प्रकार बाहर रहना मीखना चाहिए।”

इस फिलासफीके सामने मेरी क्या चलने लगी ? साहबने सरिस्ते-दारसे कहा—“मि० गाधीका कहना ध्यानमे रखना। यदि वकील-भवकिकलोको ज्यादा तकलीफ मालूम दे, तो मुझे बनाना।”

इसमें साहबने तो सचार्डसे अपनी मतिके माफिक उचित ही किया, पर उसे कगाल हिंदुस्तानकी असुविधाओका अदाज कैसे हो ? वह वेचारा हिंदुस्तान की आवश्यकताओ, आदतो, कुटेओ और रिवाजोको क्या समझे ? पद्म रूपयेकी, मूहरकी गिनती करनेवाला पार्डकी गिनती कैसे झट लगा सकना है ? अच्छे-से-अच्छा हेतु होनेपर भी जैसे हाथी चीटीके लिए विचार करनेमें प्रमथ्य होता है उसी प्रकार हाथीके समान जरूरतवाला अंग्रेज भी चीटियोंके समान जरूरतवाले हिंदुस्तानीके लिए विचार करने और नियम-निर्माण करनेमें प्रमथ्य ही होगा।

अब खाय विषयपर आना हू। इस प्रकार सफलता मिलनेपर भी मैं थोडे समय राजकोटमें ही रहनेका विचार कर रहा था। इतनेमें एक दिन केवलराम मेरे पास आये और बोले—“अब तुमको यहा न रहने देगे। तुम्हें तो बंबईमें ही रहना पडेगा।”

“पर वहा मेरी पूछ ही ज्यादा न होगी, क्या आप मेरा वहाका खर्च बनायेगे ?” मैंने कहा ।

‘ हा, हा, मैं तुम्हारा खर्च बनाऊंगा, तुम्हें बड़े-बड़े वैरिस्ट्रोकी तरह किमी बचन यहा लाऊंगा और लिखने-पिचाने-का काम तो तुम्हारे लिए वही भेज दिया करूंगा । वैरिस्ट्रोकी बड़े-छोटे बनानेका काम तो हम वकीलोंका है न ? तुमने जामनगर और वेरावनमें जैसा काम किया है, उनमें तुम्हारी नाप हो गई है और मैं बेफिकर हो गया हू । तुम जो नौकर-सेवा करने के लिए पैदा हुए हो, उनमें यहा काठियावाड़में दफन नहीं होने देंगे । बोलो क्या जा रहे हो ?’

“नेटालमें मेरे कुछ रुपये आने बाकी हैं, उनके आनेपर जाऊंगा ।

दो-एक सप्ताहमें रुपये आ गये और मैं बचर्ड चला गया । वहा मैंने पेन गिल्बर्ट और नयानीके आफिसमें ‘चैवर्स’ किगवेपर निचे और ऐसा सगा मानो वहा स्थिर हो गया ।

२२

धर्म-संकट

आफिसके अलावा मैंने गिरगावमें घर भी लिया, परन्तु इन्वरने मुझे स्थिर नहीं रहने दिया । घर लिये बहुत दिन नहीं हुए थे कि मेरा दूसरा लड़का मल्ल बीमार हो गया । काल-अवरने उसे घेर लिया था । बुखार उतरता नहीं था । घबराहट तो थी ही, पर रतको सन्निपातके लक्षण भी दिखाई देने लगे । उस व्याधिमें पहले, बचपनमें, उसे चेचक भी जोरकी निकल चुकी थी ।

डाक्टरकी सलाह ली । डाक्टरने कहा—“इन्के लिए दवाका उपयोग नहीं हो सकता । अब तो इसे अडे और मुर्गीका धोरवा देनेकी जरूरत है ।’

मणिनालकी उच्च दन सालकी थी, अतः उसने तो क्या पूछना था ! मैं उसका पालन था, अतः मुझे ही निर्णय करना था । डाक्टर एक बच्चे पागनी थे । मैंने कहा—‘ डाक्टर हम तो सब अज्ञाहारी हैं । मेरा विचार तो लड़के कोडन दोनोमेंसे एक भी बच्चा देनेका नहीं है । इसरी ही कोई बच्चा बननायेगे ?’

डाक्टर बोले—“तुम्हारे लड़केकी जान बननेमें है । दूध और पानी

मिलाकर दिया जा सकता है, पर उससे पूरा पोषण नहीं मिल सकता। तुम जानते हो कि मैं तो बहुत-से हिंदू-परिवारोंमें जाया करता हूँ, पर दवाके लिए तो हम जो चाहते हैं वही चीज उन्हें देते हैं और वे उसे लेते भी हैं। मैं समझता हूँ कि तुम भी अपने लडकेके साथ ऐसी सख्ती न करो तो अच्छा होगा।”

“आप जो कहते हैं वह तो ठीक है, और आपको ऐसा कहना ही चाहिए, पर मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। यदि लडका बड़ा होता तो जरूर उसकी इच्छा जाननेका प्रयत्न भी करता और जो वह चाहता वही उसे करने देता, पर यहा तो इसके लिए मुझे ही विचार करना पड़ रहा है। मैं तो समझता हूँ कि मनुष्यके धर्मकी कसौटी ऐसे ही समय होती है। चाहे ठीक हो चाहे गलत, मैंने तो इसको धर्म माना है कि मनुष्यको मासादि न खाना चाहिए। जीवनके साधनोंकी भी सीमा होती है। जीनेके लिए भी अमुक वस्तुओंको हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। मेरे धर्मकी मर्यादा मुझे और मेरे लोगोंकी भी ऐसे समयपर मास इत्यादिका उपयोग करनेसे रोकती है। इसलिए आप जिम खतरेको देखते हैं मुझे उसे उठाना होगा। पर आपसे मैं एक बात चाहता हूँ। आपका इलाज तो मैं नहीं करूँगा, पर मुझे इस बालककी नाडी और हृदयको देखना नहीं आता है। जल-चिकित्साकी मुझे थोड़ी जानकारी है। उन उपचारोंको मैं करना चाहता हूँ, परतु अगर आप समय-समयपर मणिलालकी तबियत देखनेको प्राते रहे और उसके शरीरमें होनेवाले फेरफारोंसे मुझे परिचित करते रहेंगे तो मैं आपका उपकार मानूँगा।”

सञ्जन डाक्टर मेरी कठिनाइयोंको समझ गये और मेरी इच्छानुसार उन्होंने मणिलालको देखनेके लिए आना मंजूर कर लिया।

यद्यपि मणिलाल अपनी राय कायम करने लायक नहीं था तो भी डाक्टरके साथ जो मेरी बातचीत हुई थी वह मैंने उसे सुनाई और अपने विचार प्रकट करनेको कहा।

“आप खुशियोंके साथ जल-चिकित्सा कीजिए। मैं शोरवा नहीं पीऊँगा, और न अडे ही खाऊँगा।” उसके इन वाक्योंसे मैं प्रसन्न हुआ, यद्यपि मैं जानना था कि अगर मैं उसे दोनों चीजें खानेको कहता तो वह खा भी लेता।

मैं कूनेके उपचारोंको जानता था, उनका उपयोग भी किया था। बीमारीमें

उपवासका स्थान बड़ा है, यह मैं जानता था। बनेली पद्धतिके अनुसार मैंने मणिलालको ऋति-ज्ञान बगना शुरू किया। तीन मिनटमें ज्यादा उसे टकमें नहीं रखना। तीन दिन तो निरुक्त नारंगीके रममें पानी मिलाकर देना रहा और उनीपर रक्खा।

बुन्दार दूर नहीं होना था और रातको वह कुछ-कुछ बड़बड़ाता था। द्वापर १०४ डिग्री तक हो जाना था। मैं बचगया। यदि बालकको वो बँधा तो जगन्में लोग मुझे क्या कहेंगे? बड़े भाई क्या कहेंगे? दूसरे टास्टमेंको क्यों न चुना नू? किमी वैद्यको क्यों न चुलाऊ? ना-बापको अपनी अबूरी अकल आजमानेका क्या हक है?

ऐसे विचार उठने। पर ये विचार भी उठने—“जीव ! जो तू अपने लिए करता है, वहीं यदि लडके के लिए भी करे तो इनमें परमेश्वर मनोप जानेंगे। तुझे जल-चिकित्सापर श्रद्धा है दवापर नहीं। डाक्टर जीवन-दान तो देने नहीं। उनके भी तो आन्तरिक प्रयोग ही हैं न। जीवनकी डोरी तो एकमात्र ईश्वरके ही हाथमें है। ईश्वरका नाम ले-प्रौं उपपर श्रद्धा रख और अपने मार्गको न छोड़।”

रममें इस तरह उबल-गुबल मचती नहीं। रात हुई। मैं मणिलाल को अपने पाल लेकर नीचा हुआ था। मैंने निश्चय किया कि उसे भीगी चादरकी पट्टीमें रक्खा जाय। मैं उठा, ऋषडा लिया, ठंडे पानीमें उसे डुबोया और निचोड़कर उसमें परम लैकर सिर तक उसे लपेट दिया और ऊपरमें दो कम्बल छोटा दिने, सिरपर नीगा हुआ तीनिया भी रख दिया। धरीर तबकी तरह तप रहा था व विलकुल सूखा था, पनीना तो आता ही न था।

मैं खूब बच गया था। मणिलालको उसकी माको नीचकर मैं आध घंटेके लिए लुनी हवामें नाचगी और घानि प्राप्त करनेके इरादेने चौपाटीकी तरफ गया। रातके दस बजे होंगे। मनुष्योंकी आमद-रफ्त कम हो गई थी पर मुझे इनका क्यापन न था। विचार-सागरमें गोते लगा रहा था—‘हैं ईश्वर ! इस बर्षमें-वर्षमें तू मेरी लाज रखना।’ मूहमें गम-राम का रक्त तो चल ही रहा था। कुछ देरके बाद मैं वापस नाँटा। मेरा कन्जेजा बड़का रह था। घरमें घुमने ही मणिलालने आवाज दी—‘बापू ! आगये ?’

“हां, भाई !”

“मुझे इससे निकालिए न ! मैं तो मारे आगके मरा जा रहा हूँ ।”

“क्यों, पसीना छूट रहा है क्या ?”

“अजी, मैं तो पसीनेसे तर हो गया । अब तो मुझे निकालिए ।”

मैंने मणिलालका सिर देखा । उसपर मोतीकी तरह पसीनेकी बूँद चमक रही थी । बुखार कम हो रहा था । मैंने ईश्वरको धन्यवाद दिया ।

“मणिलाल, घबडा मत । अब तेरा बुखार चला जायगा, पर कुछ और पसीना आ जाय तो कैसा ?” मैंने उससे कहा ।

उसने कहा—“नहीं बापू ! अब तो मुझे छुड़ाइए । फिर देखा जायगा ।”

मुझे चैर्म आ गया था, इसीलिए बातोंमें कुछ मिनट गुजार दिये । सिरसे पसीनेकी धारा वह चली । मैंने चट्टरको अलग किया और शरीरको पोछकर सूखा कर दिया । फिर बाप-बेटे दोनों साथ सो गये । दोनों खूब सोये ।

सुबह देखा तो मणिलालका बुखार बहुत कम हो गया है । दूध, पानी तथा फलोपर चालीस दिनोतक रखा । मैं निश्चित हो गया था । बुखार हठीना था, पर वह काबूमे आ गया था । आज मेरे लडकोमे मणिलाल ही सबसे अधिक स्वस्थ और मजबूत है ।

इसका निर्णय कौन कर सकता है कि यह रामजीकी कृपा है या जल-चिकित्सा, अल्पाहार अथवा और किसी उपायकी ? भले ही सब अपनी-अपनी श्रद्धाके अनुसार करें, पर उस वक्त मेरी तो ईश्वरने ही लाज रक्खी । यही मैंने माना और आज भी मानता हूँ ।

२३

फिर दक्षिण अफ्रीका

मणिलाल तो अच्छा हो गया, पर मैंने देखा कि गिरगाववाला मकान रहने लायक न था । उसमें मील थी । प्रकाश भी काफी न था । इसलिए रेवाशकरभाईसे सलाह करके हम दोनोंने बबईके किसी खुली जगहवाले मुहल्लेमें मकान लेनेका निश्चय किया । मैं बादरा, साताक्रुज बगैरामे भटका । वादरामे कसाई-खाना था, इसलिए वहा रहनेकी हमारी इच्छा न हुई । घाटकूपर बगैरा

समुद्रसे दूर मालूम हुए। नानाकुञ्जमें एक नुदर बगला मिल गया। वहा रहने लगे व हमने मनना कि आरोग्यकी दृष्टिमें हम सुरक्षित हो गये। चर्चगेट जानेके लिए मैंने वहाने पहले दर्जेका पान ले लिया। मुझे स्मरण है कि कई बार पहले दर्जेमें अकेला मैं ही रहता। इसलिए मुझे कुछ अभिमान भी होता। कई बार वादराने चर्चगेट जानेवाली खान गाडी पकड़नेके लिए सानाकुञ्जमें चलकर जाना। मेरा बच्चा शार्पिक दृष्टिमें भी मेरी बारगाने ज्यादा ठीक चलता हुआ मालूम होने लगा। दक्षिण अफ्रीकाके भवकिल भी मुझे कुछ काम देते थे। मुझे लगा कि इनमें मेरा खर्च महलियनमें निकल नकेगा।

हाईकोर्टका काम तो अभी मुझे नहीं मिलता था, पर उस समय वहापर जो 'मुट (चर्चा) चलती रहनी थी, उसमें मैं जाया करता था, पर उनमें भाग लेनेकी मेरी हिम्मत नहीं होनी थी। मुझे याद है कि उन्में जमीनतराम नानाभाई काफी भाग लेते थे। दूसरे नये बैरिस्ट्रोकी भाति मैं भी हाईकोर्टके मुकदमें नुननेके लिए जाने लगा, पर वहा कुछ जाननेके बदले समुद्रकी फर-फर चलने-वाली हवामें झोंके खानेमें अच्छा आनंद मिलता था। दूसरे भावी भी ऊघते ही थे, इसने मुझे गर्म भी न आनी। मैंने देखा कि वहा ऊघना भी 'फैशन' में गुमार है।

हाईकोर्टके पुस्तकालयका उपयोग शुरू किया और वहा कुछ जान-महवान भी गुट की। मुझे लगा कि थोडे ही समयमें मैं भी हाईकोर्टमें काम करने लगूंगा।

इन प्रकार एक ओर मुझे अपने घरेके विषयमें कुछ निश्चितता होने लगी दूसरी तरफ गोखलेकी नबर तो मुझपर थी ही। मप्ताहमें दो-तीन बार चंवरमें आकर वह मेरी खबर ले जाते और कभी-कभी अपने खास मित्रोको भी ले आते थे। बीच-बीचमें वह अपने काम करनेके ढंगसे भी मुझे बाकिफ करते जाते थे।

पर मेरे भविष्यके विषयमें यह कहना ठीक होगा कि ईश्वरने ऐसा कोई भी नाम नहीं होने दिया, जिसे करनेका मैंने पहले मोच रक्खा हो। जैसे ही मैंने स्थिर होनेका निश्चय किया और स्वस्थताका अनुभव करने लगा, एकाएक दक्षिण अफ्रीकामें तार आ गया— 'चंम्बरलेन यहा आ रहे हैं तुम्हे शीघ्र आना चाहिए।' मेरा वचन मुझे याद ही था। मैंने तार दिया— "खर्च भोजिए,

में आनेको तैयार हू ।” उन्होंने तत्काल रुपये भेजे और मैं आफिस समेटकर वहां रवाना हो गया ।

मैंने सोचा था कि मुझे वहां एक वर्ष तो यो ही लग जायगा । अतः बगला रहने दिया और बाल-बच्चोंको भी वहीं रखना ठीक समझा ।

मैं यह मानता था कि जो युवक देशमें कमाई न करते हों और साहसी हों, उन्हें विदेशोमें जाना चाहिए । इसलिए मैं अपने साथ चार-पाच युवकोंको भी ले गया । उनमें मगनलाल गाधी भी थे ।

गाधी-कुटुंब बड़ा था, आज भी है । मेरी इच्छा थी कि उसमेंसे जो लोग स्वतंत्र होना चाहे, वे स्वतंत्र हो जाय । मेरे पिता कइयोका निर्वाह करते थे, पर वह थे रजवाटोकी नौकरीमें, मैं चाहता था कि वह इस नौकरीसे निकल सकें तो ठीक हो । यह हो नहीं सकता था कि मैं उन्हें दूसरी नौकरी दिलवानेका यत्न करता । शक्ति होनेपर भी इच्छा न थी । मेरी धारणा तो यह थी कि वह स्वयं और दूसरे भी स्वावरावी बनें तो अच्छा । पर यत्नमें तो ज्यों-ज्यों मेरे श्लादर्श आगे बढ़े (यह मैं मानता हू) त्यों-त्यों उन युवकोंके आदर्शको बनाना भी मैंने धारण किया । उनमें मगनलाल गाधीको बनानेमें मुझे बड़ी सफलता मिली—पर इस विषयपर आगे चल कर लिखा जायगा ।

बाल-बच्चोंका विद्योग, जमा हुआ काम तोड़ देना, निश्चिततासे अनिश्चिततामें प्रवेश करना—यह सब क्षणभरके लिए छटका, पर मैं तो अनिश्चित जीवनका आदी हो गया था । इस दुनियामें ईश्वर या सत्य, कुछ भी कहिए, उनके सिवा दूसरी कोई चीज निश्चित नहीं । यहा निश्चितता मानना ही भ्रम है । यह सब जो अपने आसपास हमें दिखाई पड़ता है और बनता रहता है, अनिश्चित और क्षणिक है, उसमें जो एक परमतत्व निश्चित-रूपसे छिपा हुआ है, उसकी जरा-सी 'श्लोक' ही मिल जाय और उसपर श्रद्धा बनी रहे, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है । उनकी खोज ही परम पुरुषार्थ है ।

मैं डरबन एक दिन भी पहले पहुंचा, यह नहीं कहा जा सकता । मेरे लिए तो काम तैयार ही रक्खा था । मि० चेंबरलेनसे मिलनेवाले डेप्यूटेशनकी तारीख तय हो चुकी थी । मुझे उनके सामने पढ़नेके लिए निवेदनपत्र तैयार करना था और डेप्यूटेशनके साथ जाना था ।

चौथा भाग

9

क्रिया-कराया स्वाहा !

मिन्टर चैबरलेन तो दक्षिण अफ्रीकाने माटे तीन करोड़ पौंड लेनेके लिए तथा अग्नेजोला, ग्रीर हो मके तो बोअरोना भी मनहरण करनेके लिए प्राये थे । इसलिए हिट्लराना प्रिनिसिपियोको उनकी ओरमे यह ठंडा जवाब मिला—

“आप तो जानते ही हैं कि उत्तरदायित्व-पूर्ण उपनिवेशोपर साम्राज्य-नरकारकी सत्ता नाममान की है । हा, आपकी गिवायमें अलवत्ता मच भातूम होंगी है, मो मं अपने बन-भर उनको दूर करनेकी चेष्टा करेगा पर आप एक बात न भूलें । जिम तरह हो मके आपको यहाके गोरोंको राजी रखकर ही रहना है ।

इम जवाबको नुनकर प्रिनिसिपियोपर तो मानो पानी पड़ गया । मंने भी प्रागा छोड़ दी । मंने तो इनका तान्पर्यं ममस लिया कि अब फिर मे 'हरि ३३' करना पडेगा । ग्रीर मंने अपने मायियोपर भी यह बान अक्की तरह स्पष्ट कर दी, पर मि० चैबरलेनका जवाब क्या झूठा था ? गोन-मोल कहनेके बदले उन्होने खरी बात कह दी । 'जिनकी नाठी उसकी नैस' का नियम उन्होने कुछ मधुर शब्दोंमें बतला दिया, पर हमारे पास तो लाठी ही कहा थी । नाठी तो दूर लाठीकी चोट सहनेवाले शरीर भी मुश्किलसे हमारे पास थे ।

मि० चैबरलेन कुछ ही सप्ताह बहा रहनेवाले थे । दक्षिण अफ्रीका के कोई छोटा-नाप्रात नहीं, उसे तो एक देग, एक भूखंड ही कहना चाहिए । अफ्रीका के पेटमें तो कितने ही उपखंड पड़े हुए हैं । रूय्याकुमारीने श्रीनगर यदि १९०० मील है तो डरवनमे केपटाउन ११०० मीलमे कम नहीं । इस इतने बड़े खंडमें उन्हें 'पवन-वेग मे घूमना था । वह ट्रासवाल रवाना हुए । मुझे सारी तैयारी करके भारतीयोंका पक्ष उनके मामने उपस्थित करना था । अब यह समस्त

खडी हुई कि मैं प्रिटोरिया किस तरह पहुँचू ? मेरे समयपर पहुँच सकनेकी इजाजत लेनेका काम हमारे लोगोसे हो नहीं सकता था ।

बोअर-युद्ध के बाद ट्रांसवाल करीब-करीब ऊँह हो गया था । वहाँ न खाने-पीनेके लिए अनाज रह गया था, न पहनने-ओढ़नेके लिए कपडे ही । बाजार खाली और दुकानें बंद मिलती थी । उनको फिरसे भरना और खुला करना था और यह काम तो धीरे-धीरे हो सकता था और ज्यो-ज्यो माल आता जाता त्यो-ही-त्यो उन लोगोको, जो घरदार छोडकर भाग गये थे, आने दिया जा सकता था । इस कारण प्रत्येक ट्रांसवालवासीको परवाना लेना पडता था । अब गोरे लोगोको तो परवाना मागते ही तुरत मिल जाता, परतु हिंदु-मत्तानियोको बडी मुसीबतका सामना करना पडता था ।

लडाइके दिनोमे हिंदुस्तान और लकासे बहुतेरे अफसर और सिपाही दक्षिण अफ्रीकामें आ गये थे । उनमेसे जो लोग वही बसना चाहते थे उनके लिए सुविधा कर देना ब्रिटिश अधिकारियोका कर्त्तव्य माना गया था । डभर एक नवीन अधिकारी-मडलकी रचना उन्हें करनी थी । सो ये अनुभवी कर्मचारी सहज ही उनके काम आ गये । इन कर्मचारियोकी तीव्र बुद्धिने एक नये महकमेकी ही सृष्टि कर डाली और इस काममे वे अधिक पटु तो थे ही । हब्बियोके लिए ऐसा एक अलग महकमा पहले ही से था, तो फिर इन लोगोने अकल भिडाई कि एगियावासियोके लिए भी अलग महकमा क्यों न कर लिया जाय ? सब उनकी इस दलीलके कायल हो गये । यह नया महकमा मेरे जानेसे पहले ही खुल चुका था और धीरे-धीरे अपना जाल फैला रहा था । जो अधिकारी भागे हुए लोगोको परवाना देते थे, वे ही सबको दे सकते थे, परतु यह उन्हें पता कैसे चल सकता है कि एगियावासी कौन है ? यदि इस नवीन महकमेकी सिफारिश पर ही उसको परवाना दिया जाय तो उस अधिकारीकी जिम्मेदारी कम हो जाय और उसके कामका बोझ भी कुछ घट जाय, यह दलील पेश की गई । बात दरअसल यह थी कि इस नये महकमेको कुछ कामकी और कुछ दामकी (धनकी) जरूरत थी । यदि काम न हो तो इस महकमेकी आवश्यकता सिद्ध नहीं हो सकती और उसे बंद करना पडता । तो इसलिए उसे यह काम सहज ही मिल गया ।

तरीका यह था कि हिंदुस्तानी पहले इस महकमेमें अर्जी दें । फिर बहुत

दिनोमें जाकर उसका जवाब मिलता। डधर ट्रांसवाल जानेकी इच्छा रखनेवालोकी सत्या बहुत थी। फलत उनके लिए दलालोका एक दल बन गया। इन दलालो और अधिकारियोमें बेचारे गरीब हिंदुस्तानियोके हजारो रूपये लुट गये। मुझे कहा गया कि बिना किसी जरियेके परवाना नही मिलता और जरिया होनेपर भी कितनी ही बार तो सौ-सौ पौड फी आदमी खर्च हो जाता है। ऐसी हालतमें भला मेरी दाल कैसे गलती ?

तब मैं अपने पुराने मित्र, डरवनके पुलिस सुपरिन्टेण्डेण्टके यहा पहुंचा और उनसे कहा—“आप परवाना देनेवाले अधिकारीसे मेरा परिचय करा दीजिए और मुझे परवाना दिला दीजिए। आप यह तो जानते ही हैं कि मैं ट्रांसवालमें रह चुका हूँ।” उन्होंने तुरत सिरपर टोप रखा और मेरे साथ चलकर परवाना दिला दिया। इस समय ट्रेन छूटनेमें मुश्किलसे एक घटा था। मैंने अपना मामान बगैरा बाध-बूधकर पहलेसे ही तैयार रखा था। इस कष्टके लिए मैंने सुपरिन्टेण्डेण्ट एलेग्जेडरको धन्यवाद दिया और प्रिटोरिया जानेके लिए रवाना हो गया।

इस समयतक वहाकी कठिनाइयोका अदाज मुझे ठीक-ठीक हो गया था। प्रिटोरिया पहुंचकर मैंने एक दरदवास्त तैयार की। मुझे यह याद नही पडता कि डरवनमें किसीमे प्रतिनिधियोके नाम पूछे गये थे। यहा तो नया ही महकमा काम कर रहा था। इसलिए प्रतिनिधियोके नाम मेरे आनेके पहले ही पूछ लिये गये थे। इसका आशय यह था कि मुझे इस मामलेसे दूर रक्खा जाय, पर इस बातका पता प्रिटोरियाके हिंदुस्तानियोको लग गया था।

यह दु खदायक किनु मनोरंजक कहानी अगले प्रकरणमें।

२

एशियाई नवाबशाही

इस नये महकमेके कर्मचारी यह न समझ सके कि मैं ट्रासवालमे किस तरह आ पहुँचा। जो हिंदुस्तानी उमके पास आते-जाते रहते थे उनसे उन्होंने पूछ-ताछ भी की, पर वे बेचारे क्या जानते थे ? तब कर्मचारियोने अनुमान लगाया कि हो-न-हो अपनी पुरानी जान-पहचानकी वजहसे मैं बिना परवाना लिये ही आ घुसा हूँ, और यदि ऐसा ही हो तो, उन्होंने सोचा, इसे हम कैद भी कर सकते हैं।

जब कोई भारी लडाई लटी जाती है तब उसके बाद कुछ समयके लिए राज-कर्मचारियोको विशेष अधिकार दिये जाते हैं। यहा दक्षिण अफ्रीकामें भी ऐसा ही हुआ था। शांति-रक्षाके लिए एक कानून बनाया गया था। इसमें एक धारा यह भी थी कि यदि कोई बिना परवानेके ट्रासवालमे आ जाय तो वह गिरफ्तार और कैद किया जा सकता है। इस धाराके अनुसार मुझे गिरफ्तार करनेके लिए सनाह-मगबिरा होने लगा, पर किसीको यह साहस न हुआ कि आकर मुझसे परवाना मागे।

इन कर्मचारियोने डरवज तार भेजकर भी पुछवाया था। वहासे जब उन्हें खबर पडी कि मैं तो परवाना लेकर अदर आया हूँ तब बेचारे निराश हो रहे, परतु इस महकमेके लोग ऐसे न थे जो इस निराशासे थककर बैठ जाते। हालाकि मैं ट्रासवालमे आ चुका था, परतु फिर भी उनके पास ऐसी तरकीबें थी जिनसे मेरा मि० चेंबरलेनसे मिलना जरूर रोक सकते थे।

इस कारण सबसे पहले शिप्टमडलके प्रतिनिधियोके नाम मागे गये। 'यो तो दक्षिण अफ्रीकामें रंग-दूषका अनुभव जहा जाने वही हो रहा था, पर यहा तो हिंदुस्तानकी जैसी गदगी और खटपटकी बबबू आने लगी। दक्षिण अफ्रीकामे आम महकमोका काम लोक-हितके खयालसे चलाया जाता है। इससे राज-कर्मचारियोके व्यवहारमे एक प्रकारकी सरलता और तमन्ना दिख्वाई पडती थी। इसका लाभ, थोडे-बहुत अशमे, काली-पीली चमडीवालोको भी

अपने-आप मिल जाता था। पर अब जबकि यहा एगियाके कर्मचारियोंका दौर-दौरा हुआ तब तो वहाके जैमी 'जो-टुकमी' और खटपट बगैरा बुराइया भी उसमें आ घुसी। दक्षिण अफ्रीकामें एक प्रकारकी प्रजासत्ता थी, पर अब तो एगिया से मोगहो आने नवाब-गद्दी प्रा गई, क्योंकि एगियामें तो प्रजासत्ता थी नहीं, बल्कि उल्टे मन्ना प्रजापर ही चलाई जाती थी। इसके विपरीत दक्षिण अफ्रीकामें गोरे घर बनाकर बस बसे थे, इसलिए वे वहाके प्रजाजन हो गये थे और इनलिए राज-कर्मचारियोंपर उनका अक्रुश रहता था, पर अब इनमें आ भिन्ने थे एगियाके निरबुन राज-कर्मचारी, जिन्होंने वेचारे हिन्दुस्तानी लोगोंकी हालत मरौतमें चुपारीकी तरह कग्दी थी।

मुझे भी इन सत्ताका खासा अनुभव हो गया। पहले तो मैं इस महकमेके बड़े आफिसके पास तलब किया गया। वह साहब लकासे आये थे। 'तलब किया गया मेरे इन शब्दोंमें कहीं अत्युम्भिका आभास न हो, इसलिए अपना आग्रह जरा ज्यादा स्पष्ट कर देता हू। मैं चिट्ठी लिखकर नहीं बुलाया गया था। मुझे वहाके प्रमुख हिन्दुस्तानियोंके वहा तो निरतर जाना ही पड़ना था। स्वर्गीय भेट तैयब हजी वानमोहम्मद भी ऐसे प्रगुआओमेंसे थे। उनने इन नाह्वनं पूछा—“यह गाबी कौन है? यहा किसलिए आया है?”

तैयब सेठने जवाब दिया, “वह हमारे संलाहकार है और हमारे बृलानेपर यहा आये हैं।”

“तो फिर हम नव वहा किन कामके लिए हैं? क्या हमारी जरूरत यहा आपकी रखाके लिए नहीं हुई है? गाबी वहाका हाल क्या जाने?” साहब ने कहा। तैयब नेठने जेने-जैसे करके उस महारका भी जवाब दिया—‘ हा, आप नो है ही, पर गाबीजी तो हमारे ही अपने ठहरेन? वे हमारी भाडा जानते हैं, हमारे भावोंको, हमारे पहलूको नमसते हैं। और आप लोग आखिर हैं तो राज-कर्मचारी ही न?”

उत्तर नाह्वने हुषम फरमया—“गाबीको मेरे पास ले आना।”

तैयब नेठ बगैराके साथ मैं गाह्वने भिगन गया। वह हम लोगोंको तुर्की नो मन्ना भिन ही कौने नवती थी? नवरो उडे-बडे ही जाने करनी पडी।

“कहिए, आप यहा किस गरजमे आये हैं ?” माहवने मेरी ओर आर उठाकर पूछा ।

“मेरे इन भाइयोके बुलानेमे, इन्हे मलाह देनेके लिए आया हू ।” मैंने उत्तर दिया ।

“पर आप जानते नहीं कि आपको यहा आनेका कतई हक नहीं है ? आपको जो परवाना मिला है वह तो भूलसे दे दिया गया है । आप यहाके वागिदा तो हैं नहीं । आपको वापस लौट जाना पड़ेगा । आप मि० चेंबरलेनसे नहीं मिल सकते । यहाके हिंदुस्तानियोकी हिफाजतके ही लिए तो हमारा यह महकमा वास तीरपर खोला गया है । अच्छा तो, आप जाइए ।”

इतना कहकर साहवने मुझे विदा किया । और तो ठीक, पर मुझे जवावतक देनेका अवसर न दिया ।

पर मेरे साथियोको उन्होंने रोक रखा और धमकाया । कहा कि गाधीको द्रासवालसे विदा कर दो ।

वे सब अपना-सा मुह लेकर वापस आये । अब मेरे सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई और मो भी इस तरह अचानक ।

३

जहरकी घूट पीनी पड़ी

इस अपमानमे मेरे दिलको बड़ी चोट पहुची, पर इमने पहले मैं ऐसे अपमान सहन कर चुका था, जो उमका कुछ आदी हो रहा था । अतएव उन अपमान की परवा न करके तटस्थ-भावसे जो कुछ कर्तव्य दिखाई पडे उसे करनेका निश्चय मैंने किया । उमके बाद पूर्वोक्त अफसरकी महीमे एक निट्टी मिनी मिडरवने मि० चेंबरलेन गाधीजीमे मिल चुके हैं, इमलिए अब स्वता नाम प्रतिनिधियोंमे निकाल जलता जम्ती है ।

मेरे साथियोंको यह चिट्ठी पडी ही नागसर लगी । उन्होंने कहा—
“तो ऐसी हालतमे हमे निष्ट-मत्ता के जानेकी भी जरूरत नहीं । नद में लठे यत्ने नोंगोंकी विषम अग्रगता भनी प्रसार पत्रिके अग्रगता—

“यदि आप लोग मि० चंबरलेनसे मिलने न जायगे तो इसका यह अर्थ किया जायगा कि यहापर किसी किसमका जल्म नहीं है, फिर जवानी तो कुछ कहना है नहीं, लिखा हुआ पढना है सो तैयार है, मैंने पढा क्या, और दूसरोंने पढा क्या ? मि० चंबरलेन बह्ना उसपर बह्म थोड़े ही करंगे। मेरा जो कुछ अपमान हुआ है उसे हम पी जाय, वस।’

इतना मैं कह ही रहा था कि तैयब सेठ बोल उठे—“पर आपका अपमान क्या सारी कौमका अपमान नहीं है ? हम यह कैसे भूल सकते हैं कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं ?”

मैंने कहा—“आपका कहना तो ठीक है, पर ऐसे अपमान तो कौमको भी पी जाने पड़ेगे—बताइए, हमारे पास इसका दूसरा इलाज ही क्या है ?”

“जो-कुछ होना होगा, हो जायगा। पर खुद-ब-खुद हम और अपमान क्यों माये जे ? मामला बिगड तो यो भी रहा ही है। और हमें अधिकार भी ऐसे कौन-से मिल गये हैं ?” तैयब सेठने उत्तर दिया।

तैयब सेठका यह जोश मुझे पसंद तो आ रहा था, पर मैं यह भी देख रहा था कि उनसे फायदा नहीं उठाया जा सकता। लोभोकी मर्यादाका अनुभव मुझे था। इसलिए इन साथियोंको मैंने शांत करके उन्हें यह मलाह दी कि मेरे बजाय आप (अब स्वर्गीय) जाजं गाडफू को माथ ले जाइए। वह हिंदुस्तानी वैरिस्टर जे।

इस तरह थी गाडफूकी अव्यक्ततामें यह गिप्ट-मडल मि० चंबरलेनसे मिलने गया। मेरे बारेमें भी मि० चंबरलेनने कुछ चर्चा की थी। ‘एक ही आदमी-की बात दुबारा सुननेकी अपेक्षा नये आदमीकी बात सुनना मैंने ज्यादा मुनासिब समझा—’ आदि कहकर उन्होंने जल्मपर मरहमपट्टी करनेकी कोशिश की।

पर इससे मेरा और कौमका काम पूरा होनेके बजाय उलटा बट गया। अब तो फिर ‘अ-आ, ड-ई’ में शुरुआत करनेकी नीवत आ पड़वी। आपके ही कहनेसे तो हम लोग इन लडाई-झगडेमें पड़े। और आखिर नतीजा यही निकाला। इस तरह ताना देनेवाले भी आ ही बसके। पर मेरे मनपर इनका कुछ असर न होता था। मैंने कहा—“मुझे तो अपनी मलाहपर पक्काताप नहीं होता। मैं तो अज भी यह मानता हूँ कि हम इस काममें पड़े, यह अच्छा ही

हुआ। ऐसा करके हमने अपने कर्तव्यका पालन किया है। चाहे इसका फल हम खुद न देख सकें, पर मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि शुभकार्यका फल सदा शुभ ही होता है और होगा। अब तो हमें गई-गुजरी बातोंको छोड़कर इस बातपर विचार करना चाहिए कि अब हमारा कर्तव्य क्या है? यही अधिक लाभप्रद है।”

दूसरे मित्रोंने भी इस बातका समर्थन किया।

मैंने कहा—“सच पूछिए तो जिस कामके लिए मैं यहा बुलाया गया था वह तो पूरा हो गया समझना चाहिए, पर मेरी अतरात्मा कहती है कि अब लोग यदि मुझे यहासे छुट्टी दे भी दें तो भी जहातक मेरा बस चलेगा, मैं ट्रांसवालसे नहीं हट सकता। मेरा काम अब नेटालसे नहीं, वल्कि यहीसे चलना चाहिए। अब मुझे कम-से-कम एक सालतक यहासे लौट जानेका विचार त्याग देना चाहिए और मुझे यहा वकालत करनेकी सनद प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस नये महकमेके मामलेको तय करा लेनेकी हिम्मत मैं अपने श्रमर पाता हू। यदि इस मामलेका तस्फिया न कराया तो कामके लुट जाने, और ईश्वर न करे, यहासे उसका नामोनिगान मिट जानेका अदेना मुझे है। उसकी हालत तो दिन-दिन गिरती ही जायगी, इसमें मुझे कोई सदेह नहीं। मि० चैवरलेनका मुझसे न मिलना, उस अधिकारीका मेरे साथ तिरस्कारका वर्ताव करना—ये बातें तो सारी कामकी—सारे समाजकी मानहानिके मुकाविलेमें कुछ भी नहीं है। हम यहा कुत्तेकी तरह द्रुम हिलाते रहे, यह कैसे वरदाण्ट किया जा सकता है?”

मैंने इस तरह अपनी बात लोगोंके सामने रखी। प्रिटोरिया और जोहान्सबर्गमें रहनेवाले भारतीय अगुओंके साथ सलाह-मसवरा करके अतमें जोहान्सबर्गमें मैंने अपना दफ्तर खोलनेका निश्चय किया।

ट्रांसवालमें भी मुझे यह तो शक था ही कि वकालतकी सनद मिलेगी भी या नहीं? परत, ईश्वरने खैर की। यहाके वकील-मदलकी शोरसे मेरी दरस्वास्तका विरोध नहीं किया गया और वडी अदालतने मेरी दरस्वास्त मजूर कर ली।

वहा एक भारतवासीके दफ्तरके लिए अच्छी जगह मिलना भी मुष्किल था, परतु मि० रीचके साथ मेरा खासा परिचय ही गया था। उस समय वह व्यापारी-वर्गमें थे। उनकी जान-पहचानके हाउस-एजेंट—मकानोंके दलाल—के मार्फत दफ्तरके लिए अच्छी जगह मिल गई और मैंने वकालत शुरू कर दी।

४

त्याग-भावकी वृद्धि

द्रासवालमें लोगोके हूकोकी रक्षाके लिए किस तरह लडना पडा और एशियाई महकमेके अधिकारियोके साथ किस तरह पेक माना पडा, इसका अधिक वर्णन करनेके पहले मेरे जीवनके दूसरे पहलूपर नजर डाल लेनेकी आवश्यकता है ।

अवतक कुछ-कुछ धन इकट्ठा कर लेनेकी इच्छा मनमें रहा करती थी । मेरे परमार्यके साथ यह स्वार्थका मिश्रण भी रहता था ।

बढ़ईमें जब मैंने अपना दफ्तर खोला था तब एक अमरीकन वीमा-एजेंट मुझसे मिलने आया था । उसका चेहरा खुशनुमा था । उसकी बातें बड़ी मीठी थी । उसने मुझसे मेरे भावी कल्याणकी वाते इस तरह की, मानो वह मेरा कोई बहुत दिनोंका मित्र हो । “अमरीकामे तो आपकी हैसियतके सब लोग अपनी जिदगीका वीमा करवाते हैं । आपको भी उनकी तरह अपने भविष्यके लिए निश्चित हो जाना चाहिए । जिदगीका आखिर क्या भरोसा ? हम अमरीकावासी तो वीमा कराना एक धर्म समझते हैं, तो क्या आपको मैं एक छोटी-सी पालिमी करानेके लिए भी न ललचा सकू ?”

अवतक क्या हिंदुस्तानमें और क्या दक्षिण प्रान्णिकामें तितने ही एजेंट मेरे पाल आये, पर मैंने किसीको दाद न दी थी, क्योंकि मैं समझता था कि वीमा कराना मानो अपनी भीखताक और ईश्वरके प्रति अविश्वासका परिचय देना था, पर इस बार मैं लालचमें आ गया । वह एजेंट ज्यों-ज्यों अपना जादू घुमाता जाता, त्यों-त्यों मेरे सामने अपनी पत्नी और पुत्रोकी तस्वीर खड़ी होने लगी । मनमें यह भाव उठा कि “अरे, तुमने पत्नीके लगभग सब गहने-पत्ते बेच डाले हैं । अब अगर यह गरीब कुछ-का-कुछ हो जाय तो इन पत्नी और बाल-बच्चोंके भरण-पोषणका भार आखिर तो उगी गरीब भाईपर न जा पड़ेगा जो आज तुम्हारे पिताके न्यानकी पूर्ति कर रहा है, और जूबीके साथ कर रहा है ? क्या यह उचित होगा ?” इस तरह मैंने अपने मनको समझा कर १०,०००)का वीमा करा लिया ।

पर जिनपर शस्त्रीतामं मेरे मनकी यह हाता न रह गई थी और मेरे विचार भी बदल गये थे। दक्षिण शस्त्रीतामंकी गई शपथके समय मैंने जो कुछ लिखा और तो साक्षी रखकर ही लिखा था। मुझे जो बातों कुछ खबर न थी कि दक्षिण शस्त्रीतामं मुझे लिखने समय रहना पड़ेगा। मेरी तो यह धारणा हो गई थी कि अब मैं हिन्दुस्थानको वापस न लौट पाऊंगा। उगताए मुझे बाल-बच्चोंको अपने साथ ही रखना चाहिए। उनको प्रथम अपनेमें दूर रखना उचित नहीं। उनके भरण-पोषणका प्रबंध भी दक्षिण शस्त्रीतामं ही होना चाहिए। यह विचार मनमें आते ही वह पानिगी उनसे मेरे दुःखका कारण बन गई। मुझे मनें उन बालार धर्म आने लगी कि मैं उन एजेण्टके चारुमें कैसे जा गया। मैंने उन विचारको अपने मनमें खान ही कैसे दिया कि जो भाई मेरे लिए पिताके बगल हूं उन्हें अपने मनें जोटे भाईकी सिधवाला बोल नागवार होगा? और यह भी कैसे गात दिया कि पढ़ते तुम ही भर जाओगे? आखिर रावका पालन करनेवाला मैं नहूँ खबर ही हूँ, न तो तुम हो, न तुम्हारे भाई हूँ। धीमा करवाके 'तुममें अपने बाल-बच्चोंको भी पगवीन बना दिया। वे क्यों राजबलवी नहीं हो सकते? उन अमरय गरीबोंके बाल-बच्चोंका आखिर क्या होता है? तुम अपनेको उन्हींके-जैसा क्यों नहीं समझ लेते?"

उन प्रकार मनमें विचारोंकी धारा बहने लगी, पर उसके अनुसार व्यवहार महंगा ही नहीं कर डाला। मुझे ऐसा याद पड़ता है कि बीमेकी एक किस्त तो मैंने दक्षिण शस्त्रीतामं भी जमा कराई थी।

परन्तु इन विचार-वाराको बाहरी उत्तेजन मिलता गया। दक्षिण शस्त्रीतामंकी पहली यात्राके समय मैं ईसाइयोंके वातावरणमें कुछ आ चुका था और उसके फल-स्वरूप धर्मके विषयमें जाग्रत रहने लगा। इस बार शियासफीके वातावरणमें आया। मि० रीच शियासफिस्ट थे। उन्होंने जोहान्सवर्गकी सोमाइटीसे मेरा संबंध करा दिया। मेरा शियासफीके मित्रतासे मत-भेद था, इसलिए मैं उसका महत्व तो नहीं बना, पर फिर भी रागभग प्रत्येक शियासफिस्टों मेरा गाढा परिचय हो गया था। उनके साथ गेज धर्म-धर्मा हुआ करती। शियासफीकी पुस्तके पढ़ी जाती और उनके मडलमें कभी-कभी मुझे बोलना भी पड़ता। शियासफीमें आतृ-भाव पैदा करना और बढ़ाना मुख्य बात है। इस विषयपर हम बहुत चर्चा

करने और मैं अहा-उहा उन मान्यताओं को गन्धर्वों का बरतना मैंने देखा तब उनकी आलोचना भी करता। उन आलोचनाओं प्रभाव से मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। जैसे मुझे आत्म-निरीक्षण का ज्ञान लग गई।

५

निरीक्षण का परिणाम

जब १८९३ में ईसाई-मिशनरों ने आत्म-निरीक्षण का नाम देकर विद्यार्थियों की स्थिति का। ईसाई-मिशनरों ने मुझे बताया कि मदन मुनि ने मन-माने और मुझे स्वीकार करने का उद्योग कर रहे थे। मैं तब भयानक, एक मदन-सी तरह उनकी निन्दाओं को सुन और समझ रहा था। उसी वकालत में हिन्दू-धर्म का यथाशक्ति अध्ययन कर सका और दूसरे धर्मों को भी समझने से कोशिश की पर जब १९०३ में स्थिति जरा बदल गई। थियोसॉफिस्ट मिशनरों ने प्रतीति मन्त्रों की आलोचना की उच्छा नो जबर कर रहे थे, परन्तु वह एक हिन्दू के तौर पर मुझे कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से। थियोसॉफिस्टों के पुस्तकों पर हिन्दू-धर्म के छात्र और उनका प्रभाव बहुत-कुछ पड़ा है, इसलिए इन भाषणों पर नान लिया कि मैं उनकी महानता कर सकूँ। मैंने उन्हें मनाया कि मैं मन्त्रों का अध्ययन कराना-नाम ही है। मैंने हिन्दू-धर्म के प्राचीन ग्रन्थों को मन्त्रों में नहीं पढ़ा है और अनुवादों के द्वारा भी मैं पढ़ने का काम हुआ है। कि मैं, चूँकि वे मन्त्रों के और पुनर्जन्म को मानते हैं उन्होंने अपना यह मत मानना दिया कि मैंने धोटी-बहुत मदद तो उन्हें अध्ययन ही मिला नहीं है। और उस तरह मैं—“हव नहीं तथा रेंड प्रदान” उन गया। किन्हीं के साथ विवेकानन्द का ‘राजयोग’ पढ़ने लगा तो किन्हीं के साथ मणिमाल न० द्विद्वैतिका ‘राजयोग’। एक मित्र के साथ ‘पातञ्जल योगदर्शन’ भी पढ़ना पड़ा। बहुतों के साथ गीता का अध्ययन शुरू किया। एक छोटा-सा ‘जिज्ञानुमंडल’ भी बनाया गया और निरन्तर-पूर्वक अध्ययन धारण हुआ। गीताओं के प्रति मैंने प्रेम और श्रद्धा तो पहले हीने से। अब उनका गहराई के साथ रहस्य समझने की आवश्यकता दिखाई दी। मेरे पास एक-दो अन्धकार रहते थे। उनकी महानता के मूल गहराई में जाने का प्रारम्भ किया

और नित्य एक या दो श्लोक कठ करनेका निश्चय किया ।

सुबहका दतान और स्नानका समय में गीताजी कठ करनेमें लगाता । दतानमें १५ और स्नानमें २० मिनट लगते । दतान अंग्रेजी रिवाजके मुताबिक खड़े-खड़े करता । सामने दीवारपर गीताजीके श्लोक लिखकर चिपका देता और उन्हें देख-देखकर रटता रहता । इस तरह रटे हुए श्लोक स्नान करनेतक पक्के हो जाते । बीचमें पिछले श्लोकोको भी दुहरा जाता । इस प्रकार मुझे याद पडता है कि १३ अध्याय तक गीता वर-जवान कर ली थी, पर बादको कामकी शझटे बढ गई । सत्याग्रहका जन्म हो गया और उस बालककी परिवर्णका भार मुझपर आ पडा, जिससे विचार करनेका समय भी उसके लालन-पालनमें बीता, और कह सकते हैं कि अब भी वीत रहा है ।

गीता-पाठका असर मेरे सहायियोंपर तो जो-कुछ पडा हो वह वही बताने में है, किन्तु मेरे लिए तो गीता आचारकी एक प्रौढ मार्गदर्शिका बन गई है । वह मेरा धार्मिक कोष हो गई है । अपरिचित अंग्रेजी शब्दके हिज्जे या अर्थ-को देखनेके लिए जिस तरह मैं अंग्रेजी कोषको खोलता, उसी तरह आचार-सबधी कठिनाइयो और उसकी अटपटी गुत्थियोंको गीताजीके द्वारा मुलझाता । उसके अपरिग्रह, समभाव इत्यादि शब्दोंने मुझे गिरफ्तार कर लिया । यही धुन रहने लगी कि समभाव कैसे प्राप्त करूँ, कैसे उसका पालन करूँ ? जो अधिकारी हमारा अपमान करे, जो रिश्ततखोर है, रास्ते चलते जो विरोध करते हैं, जो कलके साथी हैं, उनमें और उन सज्जनोमें जिन्होंने हमपर भारी उपकार किया है, क्या कुछ भेद नहीं है ? अपरिग्रहका पालन किस तरह मुमकिन है ? क्या यह हमारी देह ही हमारे लिए कम परिग्रह है ? स्त्री-पुरुष आदि यदि परिग्रह नहीं है तो फिर क्या है ? क्या पुस्तकोसे भरी इन अलमारियोंमें आग लगा दूँ ? पर यह तो घर जलाकर तीर्थ करना हुआ । अदरसे तुरत उत्तर मिना—‘हा, घरवारको खाक किये बिना तीर्थ नहीं किया जा सकता ।’ इसमें अंग्रेजी कानूनके अध्ययनने मेरी सहायता की । स्नेल-रचित कानूनके सिद्धांतोकी चर्चा याद आई । ‘ट्रस्टी’ शब्दका अर्थ, गीताजीके अध्ययनकी बदीरात, अच्छी तरह समझमें आया । कानून-शास्त्रके प्रति मनमें आदर बढा । उसके अदर भी मुझे धर्मका तत्व दिखाई पडा । ‘ट्रस्टी’ यो करोडोकी संपत्ति रखते हैं, फिर भी उसकी एक पाईपर उनका

पर हमारा मिलाप ईश्वरको मजूर न था ।

अपने पुत्रोके लिए जो इच्छा उन्होने प्रदर्शित की थी वह भी पूरी न हुई । भाई साहबने देशमें ही अपना शरीर छोड़ा था । लडकोपर उनके पूर्व-जीवनका असर पड चुका था । उनके सस्कारोमें परिवर्तन न हो पाया । मैं उन्हें अपने पास न खींच सका । इसमें उनका दोष नहीं है । स्वभावको कौन बदल सकता है ? बलवान सस्कारोको कौन मिटा सकता है ? हम अबसर यह मानते हैं कि जिस तरह हमारे विचारोमें परिवर्तन हो जाता है, हमारा विकास हो जाता है, उसी तरह हमारे आश्रित लोगो या साथियोमें भी हो जाना चाहिए, पर यह मिथ्या है ।

माता-पिता होनेवालोकी जिम्मेदारी कितनी भयकर है, यह बात इस उदाहरणमें कुछ समझमें आ सकती है ।

६

निरामिषाहारकी वेदीपर

जीवनमें ज्यो-ज्यो त्याग और सादगी बढ़ती गई और धर्म-जागृत्तिकी वृद्धि होती गई, त्यो-त्यो निरामिषाहारका और उसके प्रचारका शौक बढ़ता गया । प्रचार में एक ही तरहसे करना जानता हूँ— आचारके द्वारा और आचारके साथ-ही-साथ जिज्ञासुके साथ वार्तालाप करके ।

जोहान्सवर्गमें एक निरामिषाहारी-गृह था । उसका सचालक एक जर्मन था, जोकि कूनेकी जलाचकित्साका कायल था । मैंने वहा जाना शुरू किया और जितने अग्रज मित्रोको वहा ले जा सकता था, ले जाता था, परंतु मैंने देखा कि यह भोजनालय बहुत दिनों तक नहीं चल सकेगा, क्योंकि रुपये-मैसेकी तगी उसमें रहना ही करती थी । जितना मुझे वाजिव मालूम हुआ, मैंने उसमें मदद दी । कुछ गवाया भी । अतको यह बंद हो गया । धियांसफिस्ट बहुतेरे निरामिषाहारी होते हैं, कोई पूरे और कोई अनूरे । डरा मडलमें एक वहन माहमी थी । उसने बड़े पैमानेपर एक निरामिष भोजनालय खोला । यह वहन कला-रसिक थी, शाहसर्च थी, और हिसाब-किताबका भी बहुत खयाल न रखती थी । उसके

मित्र-मंडलकी सरया अच्छी बही जा सकती थी। पहले तो उनका काम छोटे पैमाने पर शुरु हुआ, परन्तु बादको उसने बढ़ानेका और बड़ी जगह ले जानेका निश्चय किया। इस काममें उसने मेरी सहायता चाही। उस समय उसके हिमाचल-किताबकी हालतका मुझे कुछ पता न था। मैंने मान लिया कि उसके हिमाचल और अटकलमें कोई भूल न होगी। मेरे पास रुपये-पैसेकी मुविधा रहती थी। बहुतेरे मवकिलोके रुपये मेरे पास रहते थे। उनमेंसे एक मज्बनकी राजाजत लेकर लगभग एक हजार पाँड मैंने उसे दे दिया। यह मवकिलन बड़े उदार-हृदय और विश्वासणील थे। वह पहले-महल गिरमिट आये थे। उन्होंने कहा— “भाई, आपका दिल चाहे तो पैसे दे दी। मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो आप हीको जानता हूँ।” उनका नाम था बदरी। उन्होंने सत्याग्रहमें बहुत योग दिया था। जेल भी काटी थी। इतनी सम्मति पाकर ही मैंने उसमें रुपये लगा दिये। दो-तीन महीनेमें ही मैं जान गया कि ये रुपये वापस आनेवाले नहीं हूँ, इतनी बड़ी रकम तो देनेका सागर्य्य मुझमें न था। मैं इस रकमको दूसरे काममें लगा सकता था। वह रकम आखिर जमीमें डूब गई, परन्तु मैं इस बातको कैसे गवारा कर सकता था कि उस विश्वासी बदरीका रुपया चला जाय ? वह तो मुझको ही पहचानता था। अपने पाससे मैंने यह रकम भर दी।

एक मवकिल मित्रमें मैंने रुपयेकी बात की। उन्होंने मुझे मीठा उलाहना देकर सचेत किया—

“भाई, (दक्षिण अफ्रीकामें मैं ‘महात्मा’ नहीं बन गया था और न ‘बापू’ ही बना था, मवकिल मित्र मुझे ‘भाई’से ही संबोधन करते थे।) आपको ऐसे शगडोमें न पडना चाहिए। हम तो ठहरे आपके विश्वासपर चलने वाले। ये रुपये आपको वापस नहीं मिलनेके। बदरीको तो आप बचालोगे, पर आपको रकम बट्टे-झातेमें समझिए। पर ऐसे सुधारके कामोंमें यदि आप मवकिलोका रुपया लगाने लगेगे तो मवकिल बेचारे पिस जायगे और आप भिखारी बनकर घर बैठ रहेगे। इससे आपके सार्वजनिक कामको भी धक्का पहुँचेगा।”

सद्भाग्यसे यह मित्र अभी मौजूद है। दक्षिण अफ्रीकामें तथा दूसरी जगह इनसे अधिक स्वच्छ आदमी मैंने दूसरा नहीं देखा। किसीके प्रति यदि उनके मनमें संदेह उत्पन्न होता और वादको उन्हें मालूम हो जाता कि वह बे-

दुनियाद था तो तुरत जाकर उससे माफी मागते और अपना दिल साफ कर लेते । मुझे इनकी यह चेतावनी बिलकुल ठीक मालूम हुई । बदरीका रुपया तो मैं चुका सका था, परतु यदि उस समय और एक हजार पाँच बरवाद किया होता तो उसको चुकानेकी हैसियत मेरी बिलकुल नहीं थी । और माथे कर्ज ही करना पडता । कर्जके चक्करमे मैं अपनी जिदगीमे कभी नहीं पडा और उससे मुझे हमेशा अरुचि ही रही है । इससे मैंने यह सबक सीखा कि सुवार-कार्योके लिए भी हमें अपनी ताकतके बाहर पाव न बढाना चाहिए । मैंने यह भी देखा कि इस कार्यमे गीताके तटस्थ निष्काम कर्मके मुख्य पाठका अनादर किया था । इस भूलने आगेको मेरे लिए प्रकाश-स्तम्भका काम दिया ।

निरामिषाहारके प्रचारकी वेदीपर इतना बलिदान करना पडेगा, इसका अनुमान मुझे न था । मेरे लिए यह जबरदस्तीका पुण्य था ।

७

मिट्टी और पानीके प्रयोग

ज्यो-ज्यो मेरे जीवनमे सादगी बढती गई त्यो-त्यो वीमारियोंके लिए दवा लेनेकी ओर जो अरुचि मुझे पहले हीसे थी वह भी बढती गई । जब मैं डरवनमे बकालत करता था तब डाक्टर प्राणजीवनदास मेहता मुझसे मिलने आये थे । उस समय मुझे कमजोरी रहा करती थी और कभी-कभी बदन सूज भी जाया करता था । उसका इलाज उन्होंने किया था और उससे मुझे लाभ भी हुआ था । इसके बाद देश आ जानेतक मुझे नहीं याद पडता कि मुझे कहने लायक कोई वीमारी हुई हो ।

परतु जोहान्सवर्गमें मुझे कब्ज रहा करता था और जब-तब सिरमें भी दर्द हुआ करता था । इधर-उधरकी दस्तावर दवाये ले-लाकर तवियतको सम्हालता रहता था । खाने-पीनेमे तो मैं परहेजगार शुरूसे ही रहा हूँ, पर उससे मैं कतई रोग-मुक्त नहीं हुआ । मन बराबर यह कहता रहता था कि कम दवाके जजालसे छूट जाऊ तो बडा काम हो । लगभग इसी समय मैंचेस्टरमें 'नो ब्रेकफास्ट एसोसिएशन'की स्थापनाके समाचार मैंने पढे । उसकी खाम

दलील यह थी कि अंग्रेज लोग बहुत बान् बान् हैं और बहुतों का जानें हैं, गतके बारह-बारह बजे तक खाना करते हैं और फिर डाक्टरों का घर खोजने फिरते हैं। इस वक्रेडेमे यदि कोई अपना पिटा छुडाना चाहें तो उन्हें ब्रेक-फास्ट करना सुबह का नाश्ता छोड़ देना चाहिए। यह बात मुझपर मर्वांगमें तो नहीं पर कुछ अंगमें जरूर घटित होनी थी। मैं तीन बार पेट भरकर जाता और दोपहरको नाच भी पीता। मैं कभी अल्पाहारी न था। नियामिवाहारी होने हुए भी और बिना ननालेना खाना खाने हुए भी मैं जिननी हो सके चीजोंको स्वादिष्ट बनाकर खाता था। छ-सान बजेके पहले शायद ही कभी उठता। इमने मने यह ननीया निकाना कि यदि मैं भी मृशहका खाना छोड़ दू तो जरूर मेरे सिरका ददं जाता रहे। मने ऐसा ही किया भी। कुछ दिन जरा मुश्किल तो बालून पडा, पर नाच ही निरका ददं बिलकुल चना गया। इमने मुझे नि-चय हो गया कि मेरी बुराक जरूर आवभ्यलनाने अधिक थी।

परन्तु कब्जकी शिकायत तो इन परिवर्तनने भी दूर नहीं हुई। कूनेके कटिन्नामका प्रयोग किया। उमने कुछ फर्क पडा, पर जितना चाहिए उगना नहीं। इमी अरनेमे उस जर्मन भोजनालयवाग्नेने या किनी दूसरे मित्रने मेरे हाथमें जस्ट-लिनिठ रिटिंग टू नेचर (कुदग्गरी और लीटो) नामक पुस्तक लाकर दी। उममें मिट्टीके इनाजका वर्णन था। लेखकने इन शानना भी बहुत समर्थन किया है कि हरे और सूजे फन ही मनुष्यका स्वाभाविक भोजन है। केवल फलाहारका प्रयोग तो मने इन सम्य नहीं किया, पर मिट्टीका इलाज तुरत शुरू कर दिया। उसका जादूकी तरह मुझपर अमर हुआ। उनकी विधि इन प्रकार है—सोतेकी साफ लाल या काली मिट्टी लाकर उसे आवरजकता-नुमार ठडे पानीमें भिगो लेना चाहिए। फिर साफ पतले भीमे कपडेमे लपेटकर पेटपर रखकर बांध लेना चाहिए। मे यह पट्टी रातको सोते समय बाधता और सुबह अथवा उमको जब नीद खुल जाती निचाल डालता। इमसे मेरा कब्ज निर्मूल हो गया। उमके बाद मने मिट्टीके ये प्रयोग खुद अपनेपर तथा अपने सामियोंपर किए हैं, किन्तु मुझे ऐसा याद पडता है कि शायद ही कभी उनने लाभ न पडता हो।

पर हा, यहां देशमें शानके बाद ऐसे उपचारोपरते मैं आत्म-विश्वास

खो बैठता हूँ। प्रयोग करनेका, एक जगह स्थिर होकर बैठनेका मुझे अवसर भी नहीं मिल सका है। फिर भी मिट्टी और पानीके उपचारोपर मेरा विश्वास बहुतांश-में उतना ही बना हुआ है, जितना कि आरम्भमें था। आज भी एक सीमाके अंदर रहकर, खुद अपनेपर मिट्टीके प्रयोग करता हूँ और मौका पड़ जानेपर अपने साथियोंको भी उसकी सलाह देता हूँ। मैं अपनी जिंदगीमें दो बार बहुत सख्त बीमार पड़ चुका हूँ। फिर भी मेरी यह दृढ़ धारणा है कि मनुष्यको दवा लेनेकी शायद ही आवश्यकता होती है। पथ्य और पानी, मिट्टी इत्यादिके घरेलू उपचारोंसे ही हजारों नौ-सौ-निन्धानवे बीमारियाँ अच्छी हो सकती हैं।

बार-बार वैद्य, हकीम या डाक्टरके यहाँ दौड़-दौड़कर जानेसे और शरीरमें अनेक चूर्ण और रसायन भरनेसे मनुष्य अपने जीवनको कम कर देता है। इतना ही नहीं, बल्कि अपने मनपरसे अपना अधिकार भी खो बैठता है। इससे वह अपने मनुष्यत्वको भी गवा देता है और शरीरका स्वामी रहनेके बजाय उसका गुलाम बन जाता है।

यह अध्याय मैं रोग-शास्त्रापर पड़ा हुआ लिख रहा हूँ। इससे कोई इन विचारोंकी अवहेलना न करें। अपनी बीमारियोंके कारणोंका मुझे पता है। मैं अपनी ही खराबियोंके कारण बीमार पड़ा हूँ, इस बातका ज्ञान और भान मुझे है और मैं इसी कारण अपना धीरज नहीं छोड़ बैठता हूँ। इस बीमारीको मैंने ईश्वरका अनुग्रह माना है और दवा-दारू करनेके लालचोंसे दूर रहा हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि मैं अपनी इस हठधर्मिकी कारण अपने डाक्टर-मित्रोंका जी उकता देता हूँ, पर वे उदार-भावसे मेरी हठको सहन कर लेते हैं और मुझे छोड़ नहीं देते।

पर मुझे अपनी वर्तमान स्थितिका लवा-चौड़ा वर्णन करनेकी यहाँ आवश्यकता नहीं। इसलिए अब हम फिर १९०४-५में आ जावें।

परंतु इस विषयमें आगे बढ़नेसे पहले पाठकको एक चेतावनी देना जरूरी है। इसको पढ़कर जो लोग जुस्टकी पुस्तक लें, वे उसकी सब बातोंकी वेद-वाक्य न समझ लें। सभी लेखों और पुस्तकोंमें लेखककी दृष्टि प्रायः एकांगी रहती है। मेरे खयालमें हर एक चीज कम-से-कम सात दृष्टिबिंदुओंमें देखी जा सकती है और उन-उन दृष्टिबिंदुओंके अनुसार वह बात सच भी होती है,

परतु यह याद रखना चाहिए कि सभी दृष्टिबिंदु एक ही ममय और एक ही मुनाम-पर मही नहीं होते । फिर किन्नी ही पुष्पकोमें विन्नीके और नामके लालचकी बुराई भी रहनी है । इसलिए जो नञ्जन डम पुष्पको पटना चाहें वे इसे विवेक-पूर्वक पढ़ें और यदि कोई प्रयोग करना चाहें तो किन्नी अनुभवकी सलाहमे करें, या बीरज स्वयं विद्योप अभ्यास करनेके बाद प्रयोगकी दृष्टिमान करें ।

८

एक चेलावनी

अपनी डम कथाके प्राग-अवाहको फिलहाल एक अध्यागतक रोककर पहले डमी विषयपर कुछ और रोगनी डालनेकी आवश्यकता है ।

पिछले अध्यायमें मिट्टीके प्रयोगकी मवधमें मैंने जो कुछ लिखा है उसी तरह भोजनके भी प्रयोग मैंने किये हैं । इसलिए उनके मवधमें भी यहा कुछ लिख डालना उचित है । इन विषयकी और जो-कुछ बातें हैं वे प्रमग-प्रमगपर सामने आती जावेंगी ।

भोजन-मवधी मेरे प्रयोगों और विचारोंका लविस्तार वर्णन यहा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन विषयपर मैंने अपनी 'आरोग्य संबंधी सामान्यजान' नामक पुष्पकमें विस्तार-पूर्वक लिखा है । यह पुस्तक मैंने 'इंडियन ओपीनियन' के लिए लिखी थी । मेरी छोटी-छोटी पुस्तिकाओंमें यह पुस्तक पश्चिममें तथा यहा भी सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई है । इसका कारण मैं आजतक नहीं ममक्ष सका हूँ । यह पुष्पक महब 'इंडियन ओपीनियन'के पाठकोंके लिए ही लिखी गई थी, परतु उसे पढ़कर बहूतरे भाईबहूतने अपने जीवनमें परिवर्तन किया है और मेरे माय चिट्ठी-पत्री भी की हैं, और कर रहे हैं । इसलिए उन्हे मवधमें यहा कुछ निम्ननेकी आवश्यकता पैदा हो गई है ।

जसरा नाग्य यह है कि यद्यपि उममें लिखे अपने विचारोंको बदलने-की आवश्यकता मुनं धमीन नही दिखलाई पडी है, फिर भी अपने आचारमें मैंने बहुत-बहुत परिवर्तन कर लिया है जिसे इन पुष्पकके बहूतरे पढ़ने बाद नहीं जानते थीं । यह आवश्यक है कि वे जन्नी जान लें ।

इस पुस्तकको-मैंने धार्मिक भावनासे प्रेरित होकर लिखा है, जिस तरह कि मैंने और लेख भी लिखे हैं और यही धर्म-भाव मेरे प्रत्येक कार्यमें आज भी वर्तमान है। इसलिए इस बातपर मुझे बड़ा खेद रहता है और बड़ी शर्म मालूम होती है कि आज मैं उसमेंसे कितने ही विचारोपर पूरा भ्रमल नहीं कर सकता हू।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि मनुष्य जबतक बालक रहता है तबतक माताका जितना दूध पी लेता है, उसके अलावा फिर उमे दूमेरे दूधकी आवश्यकता नहीं है। मनुष्यका भोजन हरे और सूखे वन-पके फलके सिवा और दूमरों नहीं है। बादामादि बीज तथा अगूरादि फलोसे उसे शरीर और बुद्धिके पोषणके लिए आवश्यक द्रव्य मिल जाते हैं। जो मनुष्य ऐसे भोजनपर रह सकता है उसके लिए ब्रह्मचर्यादि आत्म-सयम बहुत आसान हो जाता है। 'जैसा आहार तैसी इकार', 'जैसा भोजन तैसा जीवन' इस कहावतमें बहुत तथ्य है। यह मेरे तथा मेरे साथियोंके अनुभवकी बात है। इन विचारोका त्विस्मग् प्रतिपादन मैंने अपनी आरोग्य-सवधी उपर्युक्त पुस्तकमें किया है।

परतु मेरी तकदीरमें यह नहीं लिखा था कि हिदुस्थान में अपने प्रयोगो-को पूर्णतातक पहुँचा दू। खेडा जिलेमें सैन्य भर्नीका काम कर रहा था कि अपनी एक भूतकी बदौलत मृत्यु-तय्यापर जा पडा। बिना दूधके जीवित रहनेके लिए मैंने अब्दुत्तक बहुतेरे निष्फल प्रयत्न किये हैं। जिन-जिन वैद्य-डाक्टरों और रसायनशास्त्रियोंसे मेरी जान-पहचान थी, उन सबमें मैंने मदद मागी। किमीने मूत्रा पानी, किमीने महुएवा तेन, किमीने वाटामका दूध सुझाया। इन तमाम चीजोंका प्रयोग करते हुए मैंने अपने गरीरको निचोड डाला, परतु उनमें मैं रोगशय्यासे न उठ सका।

बंधोने तो मुझे चरक इत्यादिसे ऐसे प्रमाण भी खोजकर बताये कि रोग-निवारणके लिए खाद्यान्नाद्यमें दोष नहीं, और काम पडनेपर मासादि भी खा सकते हैं। ये वैद्य भला मुझे दूध त्यागनेपर मजबूत बने रहनेमें कैसे मदद दे सकते थे? जहा 'वीफ टी' और 'बराडी' भी जायज समझी जाती हो, वहा मुझे दूध-त्यागमें कहां मदद मिल सकती है? गाय-भैसका दूध तो मैं ले ही नहीं सकता था, क्योंकि मैंने ब्रत ले रक्खा था। ब्रतका हेतु तो यही था कि दूध-मात्र छोड़ दू; परतु ब्रत लेते समय मेरे सामने गाय और भैस माता ही थी, इन कारण स्या जीवित

रहनेकी आगाने मनकी ज्यो-र्यो ऋके फुनना लिया । इनमे व्रतके अक्षराबंधको ले बकरीगा दूब लेनेका निश्चय किया, यद्यपि बकरी-माताका दूब लेते नमय भी मेरा मन कह रहा था कि व्रतकी आत्माका यह हनन है ।

पर मुझे तो रीलट-ऐक्टके जिलाफ आदोलन खडा करना था । यह मोह मुझे नहीं छोड रहा था । इसमे जीनेकी भी इच्छा बनी रही और जिसे मैं अपने जीवनका महा प्रयोग मानता हूँ, वह बात रुक गई ।

'खाने-पीनेके साथ आत्माका कुछ नबध नहीं । वह न खाती है न पीती है । जो चीज पेटमे जाती है वह नहीं, बल्कि जो वचन अदरसे निकलते है वे लाभ-हानि करते है,' इत्यादि दलीलोको मैं जानता हूँ । इनमें तथ्याज्ञ है, परंतु दलीलोके शगडेमें पडे विना ही यहा तो मैं अपना निश्चय ही सिंग रखना चाहता हूँ कि जो मनुष्य ईश्वरसे डरकर चराना चाहता है, जो ईश्वरका प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता है, उस साधक या मुमुक्षुके लिए अपनी सुरावका चुनाव, त्याग और ग्रहण—उतना ही आवश्यक है जितना कि विचार और वाचाका चुनाव, त्याग और ग्रहण आवश्यक है ।

पर जिन वानोमें मैं बुद गिर गया हूँ उनमे दूसरोको मैं अपने सहारे चलनेकी सलाह न दूंगा । यही नहीं, बल्कि चलनेसे रोकूंगा । इस कारण 'आरोग्य-मवधी मामान्य ज्ञान के आधारपर प्रयोग करनेवाले भाई-बहनोको मैं सावधान कर देना चाहता हूँ । जब दूबका त्याग सर्वासिमें लाभदायक मालूम हो अथवा अनुभवी वैद्य-डाक्टर उसके टोडनेकी सलाह दे तब तो ठीक, नहीं तो सिर्फ मेरी पुस्तक पडकर कोई सज्जन दूब न छोड दे । हिंदुस्तानका मेरा अनुभव अद्यतक तो मुझे यही बताता है कि जिनकी जठराग्नि मद हो गई हो और जो विछोनेपर ही पडे रहनें लायक हो गये है उनके लिए दूबके बराबर हलका और पोषक पदार्थ दूसरा नहीं । इसलिए पाठकोमे मेरी विनती और सलाह है कि इस पुस्तकमे जो दूबकी मर्यादा सूचित की गई है, उत्तपर वे आरुट न रहें ।

इन प्रकरणांको पडनेवाले कोई वैद्य, डाक्टर, हकीम या दूसरे अनुभवी सज्जन दूबकी एवजमें उतनी ही पोषक और पाचक वनस्पति—कैवल अपने अध्ययनके आधारपर नहीं बल्कि, अनुभवके आधारपर—जानने हो तो मुझे सूचित कर उपकृत करे ।

६

जबरदस्तसे मुकाबला

अब एशियाई कर्मचारियोंकी ओर निगाह डाले। इन कर्मचारियोंका सबसे बड़ा थाना जोहान्सवर्ग में था। मैं देखता था कि इन थानोमें हिन्दुस्तानी, चीनी आदि लोगोंका रक्षण नहीं, बल्कि भक्षण होता था। मेरे पास रोज शिकायत आती—“जिन लोगोंको आनेका अधिकार है वे तो दाखिल नहीं हो सकते और जिन्हें अधिकार नहीं है वे सौ-सौ पौंड देकर आते रहते हैं। इसका इलाज यदि आप न करेंगे तो कौन करेगा ?” मेरा भी मन भीतरसे यही कहता था। वह बुराई यदि दूर न हुई तो मेरा ट्रांसवालमें रहना बेकार समझना चाहिए।

मैं इसके सबूत इकट्ठे करने लगा। जब मेरे पास काफी सबूत जमा हो गए तब मैं पुलिस-कमिश्नरके पास पहुँचा। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसमें दया और न्यायका भाव है। मेरी बातोंको एकदम उड़ा देनेके बजाय उसने मन लगाकर सुनी और कहा कि इनका सबूत पेश कीजिए। मैंने जो गवाह पेश किये उनके बयान उसने खुद लिये। उसे मेरी बात का इतमीनान हो गया, परन्तु जैसा कि मैं जानता था जैसे ही वह भी जानता था कि दक्षिण अफ्रीकामें गोरे पचोके द्वारा गोरे अपराधियोंको दंड दिलाना मुश्किल था, पर उसने कहा—

“लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफसे तो कोशिश करनी चाहिए। इस भयसे कि ये अपराधी ज्यूरीके हाथों छूट जायगे, उन्हें गिरफ्तार न कराना भी ठीक नहीं। मैं तो उन्हें जरूर पकड़वा लूँगा।”

मुझे तो विश्वास था ही। दूसरे अफसरोंके ऊपर भी मुझे शक तो था, लेकिन मेरे पास उनके खिलाफ कोई सबल प्रमाण नहीं था। दोके विषयमें तो मुझे लेशमात्र सदेह न था। इसलिए उन दोनोंके नाम वारंट जारी हुए।

मेरा काम तो ऐसा ही था, जो छिपा नहीं रह सकता था। बहुत-से लोग यह देखते थे कि मैं प्रायः रोज पुलिस-कमिश्नरके पास जाता हूँ। इन दो कर्मचारियोंके छोटे-बड़े कुछ जासूस लगे ही रहते थे। वे मेरे दफ्तरके आसपास मड़राया करते और मेरे आने-जानेके समाचार उन कर्मचारियोंको सुनाते रहते।

यहा मुझे यह भी कह देना चाहिए कि उन कर्मचारियोंकी ज्यादाती यहातक बढ गई कि उन्हे बहुत जासूस नही मिलते थे । हिंदुस्तानियों और चीनियोंकी यदि मुझे मदद न मिलती तो ये कर्मचारी नही पकडे जा सकते थे ।

उन दो कर्मचारियोंमे से एरु भाग निकला । पुलिस-कमिश्नरने उसके नाम बाहरका वारंट निकालकर उसे पकड मगाया और मुकदमा चला । सबूत भी काफी पहुच गया था । इधर ज्यूरीके पास एकके भाग जानेका तो प्रमाण भी था । फिर भी वे दोनो बरी हो गये ।

इससे मैं स्वभावत बहुत निराश हुआ । पुलिस-कमिश्नरको भी दुःख हुआ । वकीलोंके रोजगारके प्रति मेरे मनमे घृणा उत्पन्न हुई । बुद्धिका उपयोग अपराधको छिपानेमे देख मुझे यह बुद्धि ही खलने लगी ।

उन दोनो कर्मचारियोंके अपराधकी शोहरत इतनी फैल गई थी कि उनके छूट जानेपर भी सरकार उन्हे अपने पदपर न रख सकी । वे दोनो अपनी जगहसे निकाले गये । इससे एसियाई यानेकी गदगी कुछ कम हुई और लोगोको भी अब धीरज बघा और हिम्मत भी आई ।

इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ गई । मेरी चकालत भी चमकी । लोगोके जो सैकडो पींड रिश्तनमे जाते थे, वे सबके सब नही तो भी बहुत अधिक बच गए । रिश्ततखोर तो अब भी हाथ मार ही लेते थे, पर यह कहा जा सकता है कि ईमानदार लोगोके लिए अपने ईमानको कायम रखनेकी सुविधा हो गई थी ।

वे कर्मचारी इतने प्रथम थे, लेकिन, मैं कह सकता हूँ, उनके प्रति मेरे मनमें कुछ भी व्यक्तिगत दुर्भाव नही था । मेरे इस स्वभावको वे जानते थे और जब उनकी अमहाय्य अवस्थामे सहायता करनेका मुझे अवसर मिला तो मैं उनकी महायना भी की हूँ । जोहान्सवर्गकी म्युनिसिपैलिटीमें यदि मैं उनका विरोध न करूँ तो उन्हे नौकरी मिल सकती थी । इसके लिए उनका एक मित्र मुझसे मिला और मैंने उन्हे नौकरी दिलानेमे मदद करना मजूर किया । और उनकी नौकरी लग भी गई ।

एकका यह अमर हुआ कि जिा गोरे लोगोके सर्कर्म में आया वे मेरे नियममें नि घाप होने लगे । यद्यपि उनके महकमोके विरुद्ध मुझे कई बार लटना पडता, पठों शब्द कहने पडते, फिर भी वे मेरे साथ मधुर मवध रडते

थे। ऐसा बर्ताव करना मेरा स्वभाव ही बन गया है, इसका ज्ञान मुझे उस समय न था। ऐसा बर्ताव सत्याग्रहकी जड़ है, यह अहिंसाका ही एक अंग-विशेष है, यह तो मैं बादको समझ पाया हूँ।

मनुष्य और उसका काम ये दो जुदा चीजे हैं। अच्छे कामके प्रति मनमें आदर और बुरेके प्रति तिरस्कार अवश्य ही होना चाहिए, पर अच्छे-बुरे काम करनेवालेके प्रति हमें आदर अथवा दयाका भाव होना चाहिए। यह बात समझनेमें तो बड़ी सरल है, लेकिन उसके अनुसार आचरण बहुत ही कम होता है। इसीसे जगत्में हम इतना जहर फैला हुआ देखते हैं।

सत्यकी खोजके मूलमें ऐसी अहिंसा व्याप्त है। यह मैं प्रतिक्षण अनुभव करता हूँ कि जवतक यह अहिंसा हाथ न लगेगी तवतक सत्य हाथ नहीं आ सकता। किसी तत्र या प्रणालीका विरोध तो अच्छा है, लेकिन उसके सचालकका विरोध करना मानो खुद अपना ही विरोध करना है। कारण यह है कि हम सबकी सृष्टि एक ही कूचीके द्वारा हुई है। हम सब एक ही ब्रह्मादेवकी प्रजा हैं। सचालक अर्थात् उस व्यक्तिके अदर तो अनन्य शक्ति भरी हुई है, इसलिए यदि हम उसका अनादर—तिरस्कार करेंगे तो उसकी शक्तियोगा, गुणोका भी अनादर होगा। ऐसा करनेमें तो उस सचालकको एव प्रकारांतरसे सारे जगत्को हानि पहुँचेगी।

१०

एक पुण्यस्मरण और प्रायश्चित्त

मेरे जीवनमें ऐसी अनेक घटनाएँ होती रहीं हैं, जिनके कारण मैं विविध विधियों तथा जातियोंके निकट परिचयमें आ सका हूँ। इन सब अनुभवोंपरमें यह कह सकते हैं कि मैंने घरके या बाहरके, देशी या विदेशी, हिन्दू या मुसलमान तथा ईसाई, पारसी या यहूदियोंमें भेद-भावका ख्याल तक नहीं किया। मैं कह सकता हूँ कि मेरा हृदय इस प्रकारके भेद-भावको जानता ही नहीं। इसको मैं अपना एक गुण नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहादि

यम-नियमोंके सम्प्राप्तिका तथा उनके लिए अब भी प्रयत्न करते रहनेका पूर्ण ज्ञान मुझे है उसी प्रकार इस स-संद-भावतों दृष्टान्तोंके लिए मैंने कोई खान प्रयत्न किया है, ऐसा वाद नहीं पड़ता ।

जिम समय डरबनम म वनालन करता था उस मनच बहुत बार मेरे कारकुन मेरे साथ ही रहते थे । वे हिंदू और ईसाई होते थे, अथवा प्राणिक हिमावसे कहे तो गुजराती और मद्रामी । मुझे वाद नहीं आता कि कभी उनके विषयमें मेरे मनमें भेद-भाव पैदा हुआ हो । मैं उन्हें बिलकुल धरके ही जैसा समझता और उसमें मेरी वर्मपत्नी की ओरने यदि कोई विघ्न उपस्थित होता तो मैं उससे लड़ता था । मेरा एक कारकुन ईसाई था । उनके मा-शप पचम जानिके थे । हमारे धरकी बनावट पश्चिमी डगकी थी । इस कारण कमरमें मोरी नहीं होती थी— और न होनी चाहिए थी, ऐसा मेरा मत है । इस कारण कमरमें मोरियोंकी जगह पेधावके लिए एक अलग वर्तन होता था । उसे उठाकर रखनेका काम हम दोनों— दपतीका था, नौकरोका नहीं । हा, जो कारकुन लोग अपने को हमारा कुटुंबी-ना नानने लगने थे वे तो खुद ही उसे साफ कर भी डालते थे, लेकिन पचम जातिमें जन्मा यह कारकुन नया था । उसका वर्तन हमें ही उठाकर साफ करना चाहिए था । और वर्तन तो कस्तूरवाई उठाकर साफ कर देनी, लेकिन इन भाईका वर्तन उठाना उसे असह्य मालूम हुआ । इनमें हम दोनोंमें झगडा मचा । यदि मैं उठाता हू तो उसे अच्छा नहीं मालूम होता था । और खुद उनके लिए उठाना कठिन था । फिर भी आखोसे मोतीकी बूदें टपक रही हैं, एक हाथ में वर्तन लिये अपनी लाल-लाल आखोसे उलाहना देनी हुई कस्तूरवाई सीडियेमें उतर रही है । वह चित्र मैं आज भी ज्यो-का-स्यो खीच सकता हू ।

परंतु मैं जैसा सहृदय और प्रेमी पति था वैसा ही निष्पुत्र और कठोर भी था । मैं अपनेको उसका गिदक मानता था । इससे, अपने अथप्रेमके अधीन हो, मैं उसे खूब नताता था । इस कारण महज उसके वरतन उठा ले जाने-भरनेमें मुझे मतोप न हुआ । मैंने यह भी चाहा कि वह हसते और हरजते हुए उभरे जाय । इसलिए मैंने उसे डाटा-उपटा भी । मैंने उत्तेजित होकर कहा— “देखा, यह बजेबा मेरे धरमें न चल सकेगा ।”

मेरा यह वोन कस्तूरवाईको नीरकी तरह लगा । उसने धधकते बिलसे

कहा—“तो लो, रक्खो यह अपना घर। मैं चली।”

उस समय मैं ईश्वरको भूल गया था। दयाका लेशमात्र मेरे हृदयमें न रह गया था। मैंने उसका हाथ पकड़ा। सीढीके सामने ही बाहर जानेका दरवाजा था। मैं उस दीन अश्वलाका हाथ पकड़कर दरवाजेतक खीचकर ले गया। दरवाजा आवा खोजा होता कि आखोमें गंगा-जमुना बहाती हुई कस्तूरवाई बोली—

“तुम्हे तो कुछ शरम है नहीं, पर मुझे है। जरा तो लजाओ। मैं बाहर निकलकर आखिर जाऊँ कहा? मा-बाप भी यहाँ नहीं कि उनके पास चली जाऊँ। मैं ठहरी स्त्री-जाति। इसलिए मुझे तुम्हारी धाँस सहनी ही पड़ेगी। अब जरा शरम करो और दरवाजा बंद कर लो—कोई देख लेगा तो दोनोकी फजीहत होगी।”

मैंने अपना चेहरा तो सुर्ख बनाये रक्खा, पर मनमें सरमा जरूर गया। दरवाजा बंद कर दिया। जबकि पत्नी मुझे छोड़ नहीं सकती थी तब मैं भी उसे छोड़कर कहा जा सकता था? इस तरह हमारे आपसमें लड़ाई-झगड़े कई बार हुए हैं, परंतु उनका परिणाम सदा अच्छा ही निकला है। उनमें पत्नीने अपनी अद्भुत सहनशीलता के द्वारा मुझपर विजय प्राप्त की है।

ये घटनाएँ हमारे पूर्व-युगकी हैं, इसलिए उनका वर्णन मैं आज अल्प-भावसे करता हूँ। आज मैं सबकी तरह मोहाव पति नहीं हूँ, न उसका शिक्षक ही हूँ। यदि चाहे तो कस्तूरवाई आज मुझे धमका सकती है। हम आज एक-दूसरेके भुक्त-भोगी मित्र हैं, एक-दूसरेके प्रति निर्विकार रहकर जीवन बिता रहे हैं। कस्तूरवाई आज ऐसी सेविका बन गई है, जो मेरी बीमारियोंमें बिना प्रतिफलकी इच्छा किये सेवा-शुश्रूषा करती है।

यह घटना १८९८की है। उस समय मुझे ब्रह्मचर्य-पालनके विषयमें कुछ ज्ञान न था। वह समय ऐसा था जबकि मुझे इस बात का स्पष्ट ज्ञान न था कि पत्नी तो केवल सहधर्मिणी, सहचारिणी और सुख-दुःखकी साथिन है। मैं यह समझकर बरताव करता था कि पत्नी विषय-भोगकी भाजन है, उसका जन्म पतिकी हर तरहकी आज्ञाओंका पालन करनेके लिए हुआ है।

किंतु १९०० ई०से मेरे इन विचारोंमें गहरा परिवर्तन हुआ। १९०६में उसका परिणाम प्रकट हुआ। परंतु इसका वर्णन आगे प्रसंग आनेपर होगा।

यहाँ तो सिर्फ डटना बताना काफी है कि ज्यो-ज्यो में निर्विकार होता गया त्यो-त्यो मेरा घर-समार घात, निर्मल और सुखी होता गया और अब भी होता जाता है ।

इस पुण्य-स्मरणमें कोई यह न समझ ले कि हम आदर्श बपती हैं, अथवा मेरी धर्म-पत्नीमें किसी किस्मका दोष नहीं है, अथवा हमारे आदर्श अब एक हो गये हैं । कस्तूरबाई अपना स्वतंत्र आदर्श रखती हैं या नहीं, यह तो वह बेचारी खुद भी शायद न जानती होगी । बहुत समझ है कि मेरे आचरणकी बहुतेरी बातें उसे अब भी पसंद न आती हो, परंतु अब हम उनके बारेमें एक-दूसरेसे चर्चा नहीं करते, करनेमें कुछ सार भी नहीं है । उसे न तो उसके मा-त्रापने शिक्षा दी है, न मने ही । जब समय था, शिक्षा दे सका, परंतु उसमें एक गुण बहुत बड़े परिमाणमें है, जो हमारी किनारी ही हिंदू-स्त्रियोंमें थोड़ी-बहुत मात्रामें पाया जाता है । मनमें ही या बे-मनमें, जानमें ही या अनजानमें मेरे पीछे-पीछे चलनेमें उसने अपने जीवनकी सार्थकता मानी है और स्वच्छ जीवन बितानेके मेरे प्रयत्नमें उनमें कभी बाधा नहीं बाली । इस कारण यद्यपि हम दोनोंकी बुद्धि-शक्तिमें बहुत अंतर है, फिर भी मेरा खयाल है कि हमारा जीवन सतोषी, सुखी और ऊर्ध्वगामी है ।

११

अग्नेजोसे गाढ़ परिचय

इस अध्यायनक पढ़नेपर, अब ऐसा समय आ गया है जब मुझे पाठकोशों में नाना धार्मिक प्रयोगोंकी यह कथा किम तरह लिखी जा रही है । नया कथा लिखनेकी शुरुआत की थी नत्र मेरे पास उनका कोई कांचा तैयार न था । न अपने माय पुस्तकें, शायदी अथवा दूसरे कागज-पत्र रगड़कर ही इन अध्यायोंकी नित्य रखा है । नित्य दिन लिखने बैठना हू उस दिन अंतरात्मा जैसी प्रेरणा करती है, वना नित्यता जाना है । यह तो निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि जो क्रिया मेरे अंदर चलती रहती है वह आत्मिकी ही प्रेरणा है, परंतु वर्गमें में जो अपने छोटे-छोटे और बड़े-बड़े बड़े जानेवाले रायें करणा आया हू उनकी जब छान-छान करणा न ना मुझे यह कहना प्रवचन नहीं मान्य होता कि वे अनरात्माकी

प्रेरणाके ही फल है ।

अतरात्माको न तो मैंने देखा है, न जाना है । मसारकी ईश्वरपर जो श्रद्धा है उसे मैंने अपनी बनानी है । यह श्रद्धा ऐसी नहीं है जो किसी प्रकार मिटाई जा सके । इसलिए अब वह मेरे नजदीक श्रद्धा नहीं, वल्कि अनुभव हो गया है । फिर भी अनुभवके रूपमें उसका परिचय कराना एक प्रकारसे सत्यपर प्रहार करना है । इसलिए यही कहना जायद अधिक उचित होगा कि उमके शुद्ध रूपका परिचय देनेवाला शब्द मेरे पास नहीं है । मेरी यह धारणा है कि इमी श्रद्धुष्ट अतरात्माके वगवर्ती होकर मैं यह कथा लिख रहा हू ।

पिछला अध्याय जब मैंने शुरू किया तब उसका नाम रक्ता था— 'अग्नेजोमे परिचय', परतु उस अध्यायको लिखते हुए मैंने देखा कि उस परिचयका वर्णन करनेके पहले मुझे 'पुण्यस्मरण' लिखनेकी आवश्यकता है । तब 'पुण्यस्मरण' लिखा और बादको उसका वह पहला नाम बदलना पडा ।

अब डम प्रकरणको लिखते हुए फिर एक नया धर्म-मकट पैदा हो गया है । अग्नेजोके परिचयोका वर्णन करने समय क्या-क्या लिखू और क्या-क्या न लिखू, यह महत्त्वका प्रश्न उपस्थित हो गया है । यदि आवश्यक बात न लिखी जाय तो सत्यको दाग लग जानेका श्रदेशा है, परतु संभव है कि इस कथाका लिखना भी आवश्यक न हो— ऐसी दशामें आवश्यक और अनावश्यकके शगडेका न्याय महसा कर देना कठिन हो जाता है ।

आत्मकथाए इतिहासके रूपमें कितनी अपूर्ण होती हैं और उनके लिखनेमें कितनी कठिनाइया आती हैं— इसके विषयमें पहले मैंने कही पढा था, पर उसका अर्थ मैं आज अशुभ अशुभ तरीके समझ रहा हू । सत्यके प्रयोगोकी इस आत्म-कथामें मैं वे सभी बातें नहीं लिख रहा हू जिन्हे मैं जानता हू । कौन कह सकता है कि सत्यको दर्शानेके लिए मुझे कितनी बातें लिखनी चाहिए । या यो कहे कि एकतर्फी श्रद्धुरे सबूतकी न्याय-भदिरमें क्या कीमत हो सकती है ? इन पिछले प्रकरणोपर यदि कोई फुरसनवाला आदमी मुझमें जिरह करने लगे तो न जाने कितनी रोगनी उन प्रकरणोपर पड सकती है ? और यदि फिर एक आलोचककी दृष्टिमें कोई उमकी छानबीन करे तो वह कितनी ही 'पोल' खोलकर दुनियाको हसा सकता है और खुद फूलकर कुप्पा बन सकता है ।

इन बातोंपर जब विचार उठने लगते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि इन अध्यायोको लिखनेका विचार स्वयंगत कर दिया जाय तो क्या ठीक न होगा ? परन्तु जबतक यह साफ तौरपर न मालूम हो कि स्वीकृत अथवा आरंभित कार्य अनीतिमय हैं तबतक उसे न छोड़ना चाहिए। इस न्यायके आधारपर जबतक अंतरात्मा मुझे न रोके तबतक इन अध्यायोको लिखते जानेका निश्चय कायम रखता हूँ।

यह कथा टीकाकारोंको सनुष्ट करनेके लिए नहीं लिखी जाती है। सत्यके प्रयोगोंमें इसे भी एक प्रयोग ही समझ लेना चाहिए। फिर इसमें यह दृष्टि तो है ही कि मेरे साधियोंको इसके द्वारा कुछ-न-कुछ आश्वासन मिलेगा। इसका आरंभ ही उनके सतोषके लिए किया है। स्वामी आनंद और जयरामदास मेरे पीछे न पड़ते तो इसकी शुरुआत भी शायद ही हो पाती। इस कारण यदि इस कथाके लिखनेमें कुछ बुराई होती हो तो इसके दोष-भागी वे भी हैं।

अब इन अध्यायके मूल विषयपर आता हूँ। जिस तरह मैंने हिंदुस्तानी कारकुनों तथा दूसरे लोगोंको अपने घरमें बतौर कुटुंबीके रक्खा था, उसी तरह अंग्रेजोंको भी रखने लगा। मेरा यह व्यवहार मेरे साथ रहनेवाले दूसरे लोगोंके लिए अनुकूल न था, परन्तु मैंने उसकी परवा न करके उन्हें रक्खा। यह नहीं कहा जा सकता कि सबको इस तरह रखकर मैंने हमेशा बुद्धिमानीका ही काम किया है। कितने ही लोगोंसे ऐसा सबब बावनेका कटु अनुभव भी हुआ है, परन्तु ऐसे अनुभव तो क्या देशी या क्या विदेशी सबके सबमें हुए हैं। उन कटु अनुभवोंपर मुझे पश्चात्ताप नहीं हुआ है। कटु अनुभवोंके होते रहते भी और यह जानते हुए भी कि दूसरे मित्रोंको असुविधा होती है, उन्हें कष्ट महना पड़ता है, मैंने अपने इस रवैयेको नहीं बदला, और मित्रोंने मेरी इस ज्यादतीको उदारतापूर्वक सहन किया है। नये-नये लोगोंसे बाधे गये ऐसे सबब जब-जब मित्रोंके लिए कष्टदायी साबित हुए हैं तब-तब उन्हींको मैंने बेखटके कोसा है, क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि आस्तिक मनुष्य तो अपने अंतरस्थ ईश्वरको सबसे देखना चाहता है और इसलिए उसके अंदर सबके साथ अनिप्ततासे रहनेकी क्षमता अवश्य यानी चाहिए और उस शक्तिको प्राप्त करनेका उपाय ही यह है कि जब-जब ऐसे अनचाहे अवसर आवें तब-तब उनसे दूर न भागते हुए नये-नये सबबोंमें पड़ें और फिर भी

अपनेको राग-द्वेषसे ऊपर उठाए रखे ।

इस कारण जब बोधर-त्रिटिश-युद्ध शुरू हुआ तब यद्यपि मेरा सारा घर भरा हुआ था, तथापि मैंने जोहान्सवर्गसे आये दो अग्नेजोको अपने यहा रक्खा । दोनो थियाँसफिस्ट थे । उनमेंसे एकका नाम था किचन, जिनके बारेमे हमे और आगे जानना होगा । इन मित्रोके सहवासने श्री-धर्मपत्नीको खूलाकर छोडा था । मेरे निमित्त रोनके अवसर उमकी तकदीरमे बहुतेरे आये हैं । बिना किसी परदे या परहेजके इतने निकट-सबघमे अग्नेजोको घरमें रखनेका यह पहला अवसर था । हा, इग्लैंडमे शलबत्ता मैं उनके घरमे रहा था, पर वहा तो मैंने अपनेको उनकी रहन-सहनके अनुकूल बना लिया था और वहाका रहना लगभग वैसा ही था जैसा कि होटलमे रहना, पर यहाकी हालत वहासे खैलटी थी । ये मित्र मेरे कुटुबी बनकर रहे थे । बहुतायमे उन्होंने भारतीय रहन-सहनको अपना लिया था । मेरे घरका बाहरी साज-सामान यद्यपि अग्नेजी ढगका या फिर भी भीतरी रहन-सहन और खान-पान आदि प्रधानत हिंदुस्तानी था । यद्यपि मुझे याद पडता है कि उनके रखनेसे हमे बहुतेरी कठिनाइया पैदा हुई थी, फिर भी मैं यह कह सकता हू कि वे दोनो सज्जन हमारे घरके दूसरे लोगोके साथ मिल-जुल गये थे । डरबनकी अपेक्षा जोहान्सवर्गके ये सबघ बहुत आगेतक गये थे ।

१२

अग्नेजोसे परिचय (चालू)

जोहान्सवर्गमें मेरे पास एक बार चार हिंदुस्तानी मुशी हो गये थे । उन्हे मुशी कहू या बेटा कहू, यह कहना कठिन है, परतु इतनेसे मेरा काम न चला । टाइपिंगके बिना काम चल ही नहीं सकता था । हममेसे सिर्फ मुझको ही टाइपिंगका थोडा ज्ञान था । सो इन चार युवकोमेंसे दोको टाइपिंग सिखाया, परतु वे अग्नेजी कम जानते थे । इससे उनका टाइपिंग कभी शुद्ध और अच्छा न हो सका । फिर इन्हीमेंसे मुझे हिसाब लेखक तैयार करना था । इबर नेटात्से मैं अपने मन-माफिक किसीको बुला नहीं सकता था, क्योंकि परवानेके बगैर

कोई हिंदुस्तानी बहा या नहीं सकता था और अपनी सुविधाके लिए मैं राज-कर्मचारियोंके दृषा-निष्ठा भागनेकी तैयार न था ।

इसने मैं मोचमें पड़ गया । काम इतना बढ़ गया कि पुरो-भूरी मेहनत करनेपर भी इधर बजालनका और उधर मार्बजनिक् कामका चार सम्हाल नहीं पाया था ।

अंग्रेज कारकुन—फिर वह स्त्री हो या पुस्त्य—मिल जानेसे भी मेरा काम चल नञ्चता था पर शब्द यह थी कि 'काले आदमीके पास भला कोई गेरा मैंने नौकरी करेगा ? परतु मैंने तय किया कि कन्-मे-कम कोमिग तो बर देखनी चाहिए । टाइप-माइटरोंके एजेन्टे मेरा कुछ परिचय था । मैं उनसे मिला और कहा कि यदि कोई टाइपिन्ट भाई या बहन ऐसा हो जिने 'काले' आदमीके यहां काम करनेमें कोई उअ न हो तो मेरे लिए तयार कर दें । दक्षिण-अफ्रीकामें नव-जन्म (गोर्टहेड) अथवा टार्डपाका कान करनेवाली अघिकागमे स्त्रियां ही होती हैं । पूर्वोक्त एजेन्टे मुझे आश्वानन दिया कि मैं एक गोर्टहेड-टाइपिन्ट आपकी खोज दूगा । दिन डिव नामक एक स्काँच कुमारी उसके हाथ लगी । वह हा न ही स्काटनेडमे आई थी । जहा भी कही प्रामाणिक नौकरी मिल जाय वह करनेमें उसे कोई आपनि न थी । उसे काममें लगनेकी भी जल्दी थी । उस एजेन्टे उस कुमारिकाको मेरे पान भेजा । उसे देखते ही मेरी नजर उस पर टहर गई । मैंने उसमें पूछा—

'तुमको एक हिंदुस्तानीके यहां काम करनेमें आपत्ति तो नहीं है ?'

उसने दृटताके साथ उत्तर दिया— 'बिलकुल नहीं ।'

"क्या वेतन लोगी ?"

"माटे मन्ह पीट अविक् तो न होंगे ?"

"तुमने मैं जिम बानकी आशा रखना है वह ठीक-ठीक कर दोगी तो अपनी सभ विगुन ज्पादा नहीं है । तुम कब कामपर आ सकोगी ?"

"आप चाहें तो मनी ।"

उस बहन्को पाकर मैं बड़ा प्रमत्त हुआ और उसी समय उसे अपने सामने बैठकर विद्विष्टना निगवाने लगा । इस सुभागीने अकेले मेरे नारकुनका ही नहीं; बल्कि लो मडकी या बहन्का भी स्थान मेरे नजदीक महज ही प्राप्त

कर लिया। मुझे उसे कभी किसी बातपर डाटना-डपटना नहीं पड़ा। शायद ही कभी उसके काममें गलती निकालनी पडी हो। हजारो पाँडके देन-लेनका काम एकवार उसके हाथमे था और उसका हिसाब-किताब भी वही रखती थी। वह हर तरहसे मेरे विश्वासकी पात्र हो गई थी। यह तो ठीक, पर मैं उसकी गुह्यतम भावनाओंको जानने योग्य उसका विश्वास प्राप्त कर सका था और यह मेरे नजदीक एक बडी बात थी। अपना जीवन-साथी पसद करनेमे उसने मेरी सलाह ली थी। कन्यादान करनेका सौभाग्य भी मुझको प्राप्त हुआ था। मिस डिक जब मिसेज मैकडॉनल्ड हो गई तब उन्हे मुझसे अलग होना आवश्यक था। फिर भी, विवाहके बाद भी, जब-जब जरूरत होती, मुझे उनसे सहायता मिलती थी।

परतु दफ्तरमे एक शोर्टहैंड-राइटरकी जरूरत तो थी ही। वह भी पूरी हो गई। उस बहनका नाम था मिस श्लेशिन। मि० कैलनबेक उसे मेरे पास लाये थे। मि० कैलनबेकका परिचय पाठकोको आगे मिलेगा। यह बहन आज ट्रांसवालमे किसी हाईस्कूलमे शिक्षिकाका काम करती है। जब मेरे पास यह आई थी तब उसकी उम्र १७ वर्षकी होगी। उसकी कितनी ही विचित्रताओंके आगे मैं और मि० कैलनबेक हार खा जाते। वह नौकरी करने नहीं आई थी। उसे तो अनुभव प्राप्त करना था। उसके रंगरेखेमें कही रंग-द्वेषका नाम न था। न उसे किम्बीकी परवा ही थी। वह किसीका अपमान करनेसे भी नहीं हिचकती थी। अपने मनमे जिसके सबधमे जो विचार आने हो वह कह डालनेमे जरा मकोच न रखती थी। अपने इस स्वभावके कारण वह कई बार मुझे कठिनाइयोंमें डान देती थी, परतु उसका हृदय शुद्ध था, इससे कठिनाइया दूर भी हो जाती थी। उसका अंग्रेजी ज्ञान मैंने अपनेसे हमेशा अच्छा माना था, फिर उसकी बफादारीपर भी मेरा पूर्ण विश्वास था। इससे उसके टाइप किये हुए किनने ही पत्रोपर बिना दोहराये दस्तखत कर दिया करता था।

उसके त्याग-भावकी सीमा न थी। बहुत समयतक तो उसने मुझसे सिर्फ ६ पाँड महीना ही लिया और अतमें जाकर १० पाँडसे अधिक लेनेसे ब्राफ इन्कार कर दिया। यदि मैं कहता कि ज्यादा ले लो तो मुझे डाट देती और कहती—
“मैं यहा बेतन लेने नहीं आई हूँ। मुझे तो आपके आदर्ग प्रिय है। इस कारण मैं आपके साथ रह रही हूँ।”

एक बार अत्यन्तकना पत्नेपर मुझे उसने ४० पॉट उधार लिजे दे—
 और बिछले माल मानी नकम उनमें मुझे लौटा दी ।

लगभग लगभग जैना तीव्र या बेनी ही उनकी हिम्मत में बदरदन्द
 थी । मुझे स्फटिककी तरह पवित्र और वीरनाम क्षयिका भी लज्जित करने-
 वाली जिन महिलाओंमें मिलनेका मौभाग्य प्राप्त हुआ है उनमें मैं टम दानिकाकी
 गिनती करता हूँ । आज तो वह प्रीट कुमारिका है । उसकी वर्तमान मनासि-
 स्थितिमें मैं परिचित नहीं हूँ परन्तु इन दानिकाका अनुभव मेरे निरमदा एक पुष्प-
 स्मरण रहेगा और यदि मैं उनके मन्त्रमें अपना अनुभव न प्रकाशित कर तो मैं
 मन्त्रका शोही बनूँगा ।

काम करनेमें वह न दिन देवनी थी न रात । रातमें उद भी कभी ही
 अकेली बनी जाती और यदि मैं किसीको साथ लेजना चाहता तो लान-पीनी
 छोड़ देताती । ह्यारों जवानों भारतीय उन आदरणी इष्टिमें देखते थे और
 उनकी गत मानते थे । जब हूँ मठ लेनेमें थे, जबकि जिन्मेदार आदमी आवद
 ही कोई बाहर रहा था तब उन अकेली ने सारी लडाईका काम सम्हाल लिया था ।
 लाखोंका हिमात्र उनके हाथमें सारा पद-ब्यवहार उनके हाथमें और 'इंडियन
 प्रोपिनियत भी उनकी हाथमें—ऐसी स्थिति था पट्टनी की, पर वह धन्ना
 नहीं जानती थी ।

पिन इन्डियनके वारेने मिलने हुए मैं दक नहीं मचना, पर बहा तो
 निकं गोल्डेका प्रनापत्र देकर इन अच्चापकी ममाण करना हूँ । गोल्डेके
 मेरे तगम भाषियोंमें परिचय कर लिया था और इन परिचयसे उन्हें बहुतोंमें
 बहुत प्रतोप हुआ था । उन्हें सबके चरित्रके वारेने अदाय लगानेका प्रीक था ।
 मेरे तनाम भारतीय और यूरोपीय भाषियोंमें उन्हेंने दिन इलेजिनकी पहला नक
 टिका था । 'उनका त्याग, इतनी पवित्रता, इतनी निर्भयता और इतनी कुशलता
 मेने बहुत कम लोगों में देखी है । मेरी नजरमें तो मिस इलेजिनका नवर नुन्हा
 सब भाषियोंमें पहला है ।'

'इंडियन ओपीनियन'

अभी और यूरोपियनोके गाढ परिचयका वर्णन करना बाकी है, किंतु उसके पहले दो-तीन जरूरी बातोंका उल्लेख कर देना आवश्यक है।

एक परिचय तो यही देता हूँ। अकेली मिस डिकके ही आ जानेसे मेरा काम पूरा नहीं हो सकता था। मि० रीचका जिक्र मैं पहले कर चुका हू। उसके साथ तो मेरा खासा परिचय था ही। वह एक व्यापारी गद्दीके व्यवस्थापक थे। मैंने उन्हें सुझाया कि वह उस कामको छोड़कर मेरे साथ काम करें। उन्हें यह पसंद हुआ और वह मेरे दफ्तरमें काम करने लगे। इससे मेरे कामका बोझ हलका हुआ।

इसी अरसेमें श्री मदनजीतने 'इंडियन ओपीनियन' नामक अखबार निकालनेका इरादा किया। उन्होंने उसमें मेरी सलाह और मदद मागी। छापाखाना तो उनका पहलेसे ही चल रहा था। इसलिए अखबार निकालनेके प्रस्तावसे मैं सहमत हो गया। वस १९०४में 'इंडियन ओपीनियन'का जन्म हो गया। मनसुखलाल नाजर उसके संपादक हुए, पर सच पूछिए तो संपादकका असली बोझ मुझपर ही आ पडा। मेरे नसीबमें तो हमेशा प्राय दूर रहकर ही पत्र-संचालनका काम रहा है।

पर यह बात नहीं कि मनसुखलाल नाजर संपादनका काम नहीं कर सकते थे। वह देसके कितने ही अखबारोंमें लिखा करते थे, परंतु दक्षिण अफ्रीकाके अटपटे प्रश्नोंपर मेरे मौजूद रहते हुए स्वतंत्र-रूपसे लेख लिखनेकी हिम्मत उन्हें न हुई। मेरी विवेकशीलतापर उनका अतिशय विश्वास था। इसलिए जिन-जिन विषयोंपर लिखना आवश्यक होता उनपर लेखादि लिखनेका बोझ वह मुझीपर रख देते।

'इंडियन ओपीनियन' साप्ताहिक था और आज भी है। पहले-पहल वह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी इन चार भाषाओंमें निकलता था, परंतु मैंने देखा कि तमिल और हिंदी-विभाग नाम-मात्रके लिए थे। मैंने यह भी

अनुभव किया कि उनके द्वारा भारतीयोंकी मेवा नहीं हो गयी थी। इन विभागों को कायम रखनेमें मुझे झूठका आश्रय देनेका आभाम हुआ—इस कारण उन्हें बद करके शांति प्राप्त की।

मुझे यह खयाल न था कि इस अखबारमें मुझे रुपया भी लगाना पड़ेगा, परंतु थोड़े ही अरसेके बाद मैंने देखा कि यदि मैं उसमें रुपया नहीं लगाता हू तो वह विलकुल चल ही नहीं सकता था। यद्यपि उसका मपादक मैं न था फिर भी भारतीय और गोरे सब लोग इस बातको जान गये थे कि उसके लेखोंकी जिम्मेदारी मुझीपर है। फिर अगर अखबार नहीं निकला होता तो एक बात थी; पर निकल चुकनेके बाद उसके बद होनेसे सारे भारतीय समाजकी बदनामी होती थी और उमें हानि पहुंचनेका भी पूरा भय था। इसलिए मैं उसमें रुपये लगाता गया और अतको महातक नीबत आ गई कि मेरे पाम जो कुछ बच जाता था सब उसके अर्पण होता था। ऐसा भी समय मुझे याद है जब उसमें प्रति मास ७५ पैंड मुझे भेजना पड़ता था।

परंतु इतना अरसा हो जानेके बाद मुझे प्रतीत होता है कि इस अखबारके द्वारा भारतीय समाजकी अच्छी सेवा हुई है। उसके द्वारा धन उपाार्जन करनेका तो डरावा ठेठसे ही किसीका न था।

जबतक उसका सूत्र मेरे हाथमें था तबतक उसमें जो कुछ परिवर्तन हुए थे मेरे जीवनके परिवर्तनोंके सूचक थे। जिन प्रकार आज 'पग इंडिया' और 'नवजीवन' मेरे जीवनके कितने अंशका निचोड़ है उसी प्रकार 'इंडियन ओपीनियन' भी था। उसमें मैं प्रति सप्ताह अपनी आत्माको उडेलता और उस चीजको समझानेका प्रयत्न करता। जिसे मैं सत्याग्रहके नामसे पहचानता था। जेलके दिनोंको छोड़कर दस वर्षतक अर्थात् १९१४तकके 'इंडियन ओपीनियन'का धार्यद ही कोई अक ऐसा गया जो जिसमें मैंने एक भी शब्द बिना विचारे, बिना ठोले लिखा हो अथवा महज किसीको खुश करनेके लिए लिखा हो या जान-बूझकर अत्युक्ति की हो। यह अखबार मेरे लिए समयकी तालीमका काम देता था, मिशोंके लिए मेरे विचार जाननेका साधन हो गया था और टीकाकारोंको उसमेंसे टीका करने की सामग्री बहुत थोड़ी मिल सकती थी। मैं जानता हू कि उसके लेखोंकी बदौलत टीकाकारोंको अपनी कलमपर अक्रुश रखना पड़ता था। यदि यह अखबार न होता तो सत्याग्रह-संग्राम न चल सकता। पाठक इसे अपना

पत्र समझते थे और इसमें उन्हें सत्याग्रह-संग्रामका तथा दक्षिण अफ्रीका-स्वियब हिंदुस्तानियोंकी दशाका सच्चा चित्र दिखाई पड़ता था ।

इस पत्रके द्वारा मुझे रंग-विरंगे मनुष्य-स्वभावको परखनेका बहुत अवसर मिला । इसके द्वारा मैं सपादक और ग्राहकके बीच निकट और स्वच्छ सवध बाधना चाहता था । इसलिए मेरे पास डेर-की-डेर चिट्ठियाँ ऐसी आती जिनमें लेखक अपने अंतरको मेरे सामने खोलते थे । इस सिलसिलेमें तीखे, कड़ुए, मीठे तरह-तरहके पत्र और लेख मेरे पास आते । उन्हें पठना, उनपर विचार करना, उनके विचारोका सार निकालकर उन्हें जवाब देना, यह मेरे लिए बड़ा शिक्षादायक काम हो गया था । इसके द्वारा मुझे ऐसा अनुभव होता था मानो मैं बहाकी आती और विचारोको अपने कानोंसे सुनता हूँ । इससे मैं सपादककी जिम्मेदारीको खूब समझने लगा और अपने समाजके लोगोपर जो नियंत्रण मेरा हो सका उसके बदीलत भावी संग्राम शक्य, सुशोभित और प्रबल हुआ ।

'इंडियन ओपीनियन'के प्रथम मासके कार्य-कालमें ही मुझे यह अनुभव हो गया था कि समाचार-पत्रोका संचालन सेवा-भावसे ही होना चाहिए । समाचार-पत्र एक भारी शक्ति है, परंतु जिस प्रकार निरकुश जल-प्रवाह कई गावोको डुबो देता और फसलको नष्ट-भ्रष्ट कर देता है उसी प्रकार निरकुश कलमकी धारा भी सत्यानाश कर देती है । यह अकुश यदि बाहरी हो तो वह इस निरकुशतासे भी अधिक जहरीला साबित होता है । अतः लाभदायक तो अदरका ही अकुश हो सकता है ।

यदि इस विचार-सरणिमें कोई दोष न हो तो, भला बताइए, ससारके कितने अखबार कायम रह सकते हैं ? परंतु सवाल यह है कि ऐसे फिजूल अखबारोको बंद भी कौन कर सकता है ? और कौन किसको फिजूल बता सकता है ? सब बात यह है कि कामकी और फिजूल दो १ बातें ससारमें एक साथ चलती रहेगी । मनुष्यके बसमें तो सिर्फ इतना ही है कि वह अपने लिए पसंदगी कर लिया करे ।

‘कुली लोकेशन’ या भंगी-टोला?

हिंदुस्थानमें हम उन लोगोंकी जो सबने बड़ी सभाज-मेवा करते हैं, नगी रेक्टर, ट्रेड आदि कहते हैं और उन्हें अछूत मानकर उनके मकान गांवके बाहर बनवाते हैं। उनके निवास-स्थान को भंगी-टोला कहते हैं और उनका नाम लेने ही हमें धिन् आने लगती है। इसी तरह ईसाइयोंके यूरोपमें एक जमाना था जब यहूदी लोग अछूत माने जाते थे और उनके लिए जो अलग मूहल्ला बनाया जाता था उसे ‘घेटो’ कहते थे। यह नाम अफगल नमसा जाता था। इसी प्रकारने दक्षिण अफ्रीकामें हम हिंदुस्थानी लोग बहाके नगी—अस्पृश्य—बन गये हैं। अब यह देवना है कि एडरुज नाहवने हमारे लिए बहा जो त्याग किया है और धान्त्रीवी नें जो जाहूकी लम्बी घुमाई है उनके फल-स्वरूप हम बहा अछूत न रहकर सभ्य माने जायेंगे या नहीं ?

हिंदुओंकी तरह यह भी अपनेको ईश्वरके लाडले मानने से और दूसरोंकी हेय नमस्ते से। अपने इस अपराधकी मजा उन्हें विचित्र और अकल्पित रीतिमें मिली। लगभग इसी तरह हिंदुओंने भी अपनेको मन्कून अथवा आर्य नमस्कर खुद अपने ही एक अगकी प्राइम, अनाय या अछूत मान रक्खा है। इस पापका फल से विचित्र रीतिमें—चाहे वह अनुचित रीतिमें क्यों न हो—दक्षिण अफ्रीका इत्यादि उपनिवेशोंमें पा रहे हैं और मैं मानता हू कि उनमें उनके पड़ोसी मुसलमान और पारसी भी, जोकि उन्हींके रंग और देगके हैं, उनके साथ दुख भोग रहे हैं।

अब पाठक कुछ समझ सकेंगे कि क्यों यह एक अब्याय जोहान्स्वरुगके ‘कुली लोकेशन’ पर लिखा जा रहा है। दक्षिण अफ्रीकामें हम हिंदुस्थानी लोग ‘कुली’ के नामने ‘प्रमिट्ट’ हैं। जाग्नमें तो ‘कुली’ शब्दका अर्थ है निकं मजदूर; परंतु दक्षिण अफ्रीकामें वह निरन्व्यान्वक है और वह त्रिरन्कार भंगी, चमार, पञ्चम इत्यादि शब्दोंके द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीकामें जो स्थान ‘कुलियों’के रहनेके लिए अलग रक्खा जाता है उसे ‘कुली लोकेशन’ कहते हैं। ऐसा एक लोकेशन जोहान्स्वरुगमें था। इससे अगह तो जो ‘लोकेशन’

रुक्मों गये और सब भी है वहाँ हिन्दुस्तानियोंको लोटे रत-मिलियन नहीं है परन्तु जोरान्मबर्बे उन लोकेत्थनमें जर्मनका २९ गाजल पट्टा कर दिया गया था। उनमें हिन्दुस्तानियोंकी बड़ी गिनगिन बम्बी थी। त्रावरी नो बटनी जाती थी, हिन्दु लोकेत्थन इतना उनका ही बना था। उनके पासने तो ज्यों-यो तरहे नाक रिये जाते थे, परन्तु उनके धना या म्युनिर्गिनिटीकी तरफने और लोटे देव-भाल नहीं होनी थी। ऐसी दशामें मज्ज और रोजनील तो पता ही किने नल मकला था ? उस तरह उस लोकेत्थने पासने-पेनाबकी मफाके नियममें ही परवाह नहीं की जाती थी क्या दूसरी मफाके तो पूछना ही क्या ? फिर जो हिन्दुस्तानी बजा रतने थे वे नगर-मुघार, स्वयं-रता, आरोग्य उत्पारिके नियमोंके जानकार नृगिधित धरं आदरं भागनीय नहीं है कि जिन्हे म्युनिर्गिनिटीकी म्हायला ही प्रयथा उनको रतन-मरुपर देवमान करनेकी जरूरत न थी। हा, यदि बजा गेमे भागनवागी जा बने होते जो जगनमें मगल कर मरने हैं, जो मिट्टीमेंसे मेगा पैदा रत मरने हैं नर तो उनका निहाम जुदा ही होता। ऐसे बहु-भाग्यक लोग दुनियामें नहीं भी उन छोटे-र विदेशोंमें मारे-मारे फिरने देते ही नहीं जाते। आम लोगपर लोग उन और धरंके लिए विदेशोंमें भटकने हैं, परन्तु हिन्दुस्तानमें नो बजा मरिजानमें आद, गरिब, दीन-दुयी मजूर लोग ही गये थे। इन्हे नो रतम-नारमपर रतनमाई और अधणति प्रावध्याता थी। हा, उनके पीछे वहाँ व्यापारी तथा दूसरी धेणिकोंके म्यनद भागनवागी भी गये, परन्तु वे नो उनके म्हाविदेशमें मुट्टी-भर थे।

उस तरह स्वच्छना-रक्षक विभागकी अलम्य गफननमें और भारतीय निरागियोंके अज्ञानमें लोकेत्थनकी स्थिति आरोग्यही दृष्टिने अरुण्य बहुत सराब थी। उनमें मुघारनेकी जग भी उन्नित कोमिश मुधार-विभागने नहीं की। इतना ही नहीं, बल्कि अपनी ही उस गन्ती में उत्पन्न खराबीका बहाना बनाकर उसने उस लोकेत्थनको मिटा देनेका निश्चय लिया और उस जमीनपर कब्जा कर लेनेकी सना बहानी धारा-मभासे प्राप्त कर ली। जय में जोहान्मवर्गमें रहने गया तब बहानी यह स्थिति हो रही थी।

बहानेके निचामी अपनी-अपनी जमीनके मालिक थे। इसलिए उन्हें कुछ हर्जाना देना जरूरी था। हज्जानेकी रकम तय करनेके लिए एक खास

पचायत बँठाई गई थी। म्यूनिसिपैलिटी जितना हरजाना देना चाहती उसनी रकम यदि मकान-मालिक लेना मजबूर न करे तो उसका फँसला यह पचायत करती और मालिकको वह मजबूर करना पड़ता। यदि पचायत म्यूनिसिपैलिटीसे ज्यादा रकम देना तय करे तो मकान मालिकके वकीलका खर्च म्यूनिसिपैलिटीको चुकाना पड़ता था।

ऐसे बहुतेरे दावोंमें मकान-मालिकोंने मुझे अपना वकील बनाया था। पर मैं इसके द्वारा रपया पैदा करना नहीं चाहता था। मैंने उनसे पहले ही कह दिया था—“यदि तुम्हारी जीत होगी तो म्यूनिसिपैलिटीकी ओरसे खर्चकी जो-कुछ रकम मिलेगी उसीपर मैं सतोष कर लूंगा। तुम तो मुझे फी पट्टा दस पाँड दे देना, बस। फिर तुम्हारी जीत हो या हार।” इसमेंसे भी लगभग आधी रकम गरीबोंके लिए अस्पताल बनवाने या ऐसे ही किसी सार्वजनिक काममें लगानेका अपना इरादा मैंने उनपर प्रकट कर दिया था। स्वभावत ही इससे सब लोग बहुत खुश हुए।

लगभग ७० दावोंमें सिर्फ एकमें मेरे मवकिलकी हार हुई। इममें फीसमें मुझे भारी रकम मिल गई। परन्तु इसी समय ‘इंडियन ओपीनियन’की भाग मेरे मिरपर सवार ही थी। इसलिए मुझे याद पड़ता है कि लगभग १६०० पाँडका खर्च उसीमें काम आ गया था।

उन दावोंकी पैरवीमें मैंने अपने खयालके अनुसार काफी परिश्रम किया था। मवकिलकी तो मेरे आस-पास भीड़ ही लगी रहती थी। इनमेंसे लगभग मन्न या तो मिहार इत्यादि उत्तर तरफके या तामिल-तेलगू इत्यादि दक्षिण प्रदेशके लोग थे। वे पहली गिरमिटमें आये थे और अब मुक्त होकर स्वतंत्र पेशा कर रहे थे।

उन लोगोंने अपने दु खोंको मिटानेके लिए, भारतीय व्यापारी-वर्गमें गमन अपना एक मउन बनाया था। उसमें कितने ही बड़े सच्चे दिलके, उदार-मान रतनेवाले श्री- मन्चरिय भारतवासी थे। उनके अध्यक्षका नाम था श्री जेरामसिंह शंकर अच्ययन रहते हुए भी अध्यक्षके जैसे ही दूसरे मज्जन थे श्री बदरी। गन दोनों मरगंरानी ही चुके हैं। दोनोंकी तरफने मुझे अतिगम नहायता मिली थी। श्री बदरीने पन्चियमें से बहुत ज्यादा आया था और उन्होंने मत्थाग्रहमें गाने बदनर मिन्ना मिना था। उन नया ऐसे मार्योंके टाग में उत्तर-दक्षिणके

बहु-सख्यक भारतवासियोंके गाढ सपर्कमें आया और मैं केवल उनका वकील ही नहीं, बल्कि भाई बनकर रहा और उनके तीनों प्रकारके दुःखोंमें उनका साथी हुआ। सेठ अब्दुल्लाने मुझे 'गांधी' नामसे संबोधन करनेसे इन्कार कर दिया। और 'साहब' तो मुझे कहता और मानता ही कौन ? इसलिए उन्होंने एक बड़ा ही प्रिय शब्द ढूँढ निकाला। मुझे वे लोग 'भाई' कहकर पुकारने लगे। यह नाम अतन्त्र दक्षिण अफ्रीकामें चला। पर जब ये गिरमिटमुक्त भारतीय मुझे 'भाई' कहकर बुलाते तब मुझे उसमें एक खास मिठास मालूम होती थी।

१५

महामारी—१

इम लोकेयनका कब्जा म्यूनिसिपैलिटीने ले तो लिया, परन्तु तुरत ही हिंदुस्तानियोंको बहामें हटाया नहीं था। हा, यह तय जरूर होगया था कि उन्हें दूसरी अनुकूल जगह दे दी जायगी। अबतक म्यूनिसिपैलिटी वह जगह निश्चित न कर पाई थी। इस कारण भारतीय लोग उसी 'गद्दे' लोकेयनमें रहते थे। इससे दो बातोंमें फर्क हुआ। एक तो यह कि भारतवासी मालिक न रहकर सुधार-विभागके किरायेदार बने, और दूसरे गद्दी पहलेसे अधिक बढ गई। इससे पहले तो भारतीय लोग मालिक समझे जाते थे, इससे वे अपनी राजीसे नहीं तो डरसे ही पर कुछ-न-कुछ तो सफाई रखते थे, किन्तु अब 'सुधार'का किसे डर था ? मकानोंमें किरायेदारोंकी भी तादाद बढी और उसके साथ ही गद्दी और अव्यवस्था-की भी बढती हुई।

यह हालत हो रही थी, भारतवासी अपने मनमें झल्ला रहे थे कि एका-एक 'काला प्लेग' फैल निकला। यह महामारी मारक थी। यह फेफड़ेका प्लेग था और गाठवाले प्लेगकी अपेक्षा भयंकर समझा जाता था। किन्तु खुशकिस्मतीसे इम प्लेगका कारण यह लोकेयन न था बल्कि एक सोनेकी खान थी। जौहान्सवर्ग-के आमपाम सोनेकी अनेक खानें हैं। उनमें अविकाश हब्बी लोग काम करते हैं। उनकी सफाईकी जिम्मेदारी थी सिर्फ गोरे मालिकोंके मिर। इन खानोंपर कितने ही हिंदुस्तानी भी काम करते थे। उनमेंने तेईस आदमी एकाएक प्लेगके

शिकार हुए और अपनी भयंकर अवस्था लेकर वे लोकेमनमें अपने घर आये ।

इन दिनों भाई मदनजीन 'हटियन ओपीनियन'के ग्राहक बनाने और चदा बमूल करने यहा आये हुए थे । वह लोकेमनमें चक्कर लगा रहे थे । वह काफी हिम्मतवर थे । इन बीमारोंको देखते ही उनका दिल टूक-टूक होने लगा । उन्होने मुझे पेंसिवसे लिखकर एन चिट भेजी, जिसका भावार्थ यह था—

“वहा एकाएक काना प्लेग फैल गया है । आपको तुरत यहा आकर कुछ महायता कर्नी चाहिए नहीं तो बडी खराबी होगी । तुरत आइए ।”

मदनजीनने वेचडक होकर एक छाली मकानका ताना तोड डाला और उसमे इन बीमारोंको लाकर रक्वा । मैं माइकिलपर चटवर 'लोकेमन'में पहुचा । वहामे टाउन-क्लर्कको खबर भेजी और कहलाया कि किम हालतमें मकानका ताला तोड लेना पडा ।

डाक्टर विलियम गाडफ्रे जोहान्सवर्गमें डाक्टरों करते थे । वह खबर मिलते ही दौडे आये और बीमारोंके डाक्टर और परिचारक दोनों बन गय । परतु बीमार थे तेईस और नेबक थे हम तीन । इतनेमे काम चलना कठिन था ।

अनुभवोंके आधारपर मेरा यह विष्वास बन गया है कि यदि नीयत साफ हो तो सक्के समय सेवक और सावन कही-न-कहीसे आ जुटते हैं । मेरे दफतरमें कल्याणदास, माणिकलाल और दूसरे दो हिंदुस्तानी थे । आन्निरी दोके नाम इम समय मुझे याद नहीं हैं । कल्याणदासको उनके वापने मुझे नौप रक्खा था । उनके जैसे परोपकारी और केवल आज्ञा-पालनमे काम रखनेवाले सेवक मैंने वहा बहुत थोडे देखे होंगे । मीभागमे कल्याणदास उम समय ब्रह्मचारी थे । इसलिए उन्हें मैं कैसे भी छतरेका काम नौपते हुए कमी न हिचकना । दूसरे व्यक्ति माणिकलाल मुझे जोहान्सवर्गमें ही मिले थे । मेरा खयाल है कि वह भी कुवारे ही थे । इन चारोंको चाहे कारकुन कहिए, चाहे साथी या पुत्र कहिए, मैंने इसमें होम देनेका निश्चय कर लिया । कल्याणदासमे तो पूछनेकी जरूरत ही नहीं थी और दूसरे लोग पूछने ही नै-गार हो गये । “जहा आप तहा हम' यह उनका सक्षिप्त और मीठा ब्रवान था ।

मि० रीचका परिवार बडा था । वह खुद तो कूद पडनेके लिए तैयार थे, किंतु मैंने ही उन्हें ऐसा करनेसे रोका । उन्हें इन छतरेमें डालनेके लिए मैं

विलकुल तैयार न था, मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। अतएव उन्होंने ऊपरका सब काम सम्हाला।

शुश्रूषाकी यह रात भयानक थी। मैं इससे पहले बहुत-से रोगियोंकी सेवा-शुश्रूषा कर चुका था। परतु प्लेगके रोगीकी सेवा करनेका भवसर मुझे कभी न मिला था। डाक्टरकी हिम्मतने हमें निडर बना दिया था। रोगियोंकी शुश्रूषाका काम बहुत न था। उन्हें दवा देना, दिलासा देना, पानी-वानी दे देना, उनका मैला बगैरा साफ कर देना—इसके सिवा अधिक काम न था।

इन चारो नवयुवकोंके प्राण-मणसे किये गये परिश्रम और ऐसे साहस और निडरताको देखकर मेरे हृदयकी सीमा न रही।

डाक्टर गाडफ्रेकी हिम्मत समझने आ सकती है, मदनजीतकी भी समझने आ जाती है—पर इन युवकोंकी हिम्मतपर आश्चर्य होता है। ज्यो-त्यो करके रात बीती। जहातक मुझे याद पड़ता है, उस रात तो हमने एक भी बीमारको नहीं खोया।

परतु यह प्रसंग जितना ही कष्टनाजनक है उतना ही मनोरञ्जक और मेरी दृष्टिमें धार्मिक भी है। इस कारण इसके लिए अभी दो और अध्यायोंकी आवश्यकता होगी।

१६

महामारी—२

इस प्रकार एकाएक मकानका ताला तोड़कर बीमारोंकी सेवा-शुश्रूषा करनेके लिए टाउन-क्लर्कने हमारा उपकार माना और सच्चे दिलसे कदूल किया—“ऐसी हालतका एकाएक सामना और प्रवच करनेकी सहूलियत हमारे पास नहीं। आपको जिस किसी प्रकारकी सहायताकी आवश्यकता हो, आप अवश्य कहिएगा, टाउन-कौंसिल अपने बस-भर जरूर आपकी सहायता करेगी।” परतु बहाकी म्यूनिसिपैलिटीने उचित प्रवच करनेमें अपनी तरफसे विलव न होने दिया।

दूसरे दिन एक खाली गोदाम हमारे हवाले किया गया और कहा गया कि

उसमें सब बीमार रखले जाय । परतु उसे साफ करनेकी जिम्मेदारी म्युनिसिपैलिटीने न ली । मकान बड़ा मैला और गदा था । हम लोगोंने खुद लगकर उसे साफ किया । उदारचेता भारतीयोकी सहायतासे चारपाई इत्यादि मिल गई और उस समय काम चलानेके लिए एक खासा अस्पताल बन गया । म्युनिसिपैलिटीने एक नर्स—परिचारिका—भेजी और उनके साथ बराडीकी बोटल और बीमारोके लिए अन्य आवश्यक चीजें दी । डाक्टर गाडफ्रे ज्यो-के-स्थो तैनात रहे ।

नर्मको हम आयद ही कही रोगियोको छूने देते थे । उसे खुद तो छूनेसे परहेज न था, वह थी भी भलीमानस । किंतु हमारी कोशिश यही रही कि जहा-तक हो वह खतरेमें न पड़े । तजबीज यह हुई थी कि बीमारोको समय-समयपर बराडी पिलाई जाय । हमसे भी नर्स कहती कि बीमारीसे अपनेको बचानेके लिए आप लॉग थोडी-थोडी बराडी पिया करो । वह खुद तो पीती ही थी । पर मेरा मन गवाही नहीं देता था कि बीमारोको भी बराडी पिलाई जाय । तीन बीमार मरे थे जो बिना बराडीके रहनेको तैयार थे । डा० गाडफ्रेकी इजाजतसे मैंने उनपर मिट्टीके प्रयोग किये । छातीमें जहा-तहा दर्द होता था वहा-बहा मैंने मिट्टीकी पट्टी बधवाई । इनमेंसे दो बच गये और शेष सब चल बसे । बीस रोगी तो इस गोदाममें ही मर गये ।

म्युनिसिपैलिटीकी ओर से दूसरे प्रवच भी जारी थे । जोहान्सबर्गसे मात मील दूर एक लेजरटो अर्थात् सक्रामक रोगियोका अस्पताल था, वहा तबू खड़ा किया गया था और उसमें ये तीन रोगी ले जाये गये थे । प्लेगके दूसरे रोगी हों तो उन्हें भी वही ले जानेका इतजाम करके हम इस कार्यसे मुक्त हो गये । पाँडे ही दिन बाद हमें मालूम हुआ कि उस भली नर्सको भी प्लेग हो गया और उसीमें बैचारीका देहाव हो गया । यह कहना कठिन है कि ये रोगी क्यों बच गये और हम लोग प्लेगके शिकार क्यों न हो सके ? पर इससे मिट्टीके उपचारपर मेरा बिग्वान्त और दबाने तीरपर भी बराडीका उपयोग करनेमें मेरी अश्रद्धा बहून बढ़ गई । मैं जानताहू कि इस श्रद्धा और अश्रद्धाको निरावार कह सकते हैं । पर उन ममभ इन दो बानांकी जो छाप मेरे दिलपर पड़ी और जो अबतक कायम हैं, उने में मिटा नहीं करना और इन मांकेपर उसना जिक्र कर देना आवश्यक

समझता हूँ ।

इस महामारीके फैल निकलते ही मैंने एक कड़ा पत्र अखबारोमे लिखा था । उसमें यह बताया गया था कि लोकेशनके म्यूनिसिपैलिटीके कब्जेमें आनेके बाद जो लापरवाही वहा दिखाई गई उसकी तथा जो प्लेग फैला उसकी जिम्मेदार म्यूनिसिपैलिटी है । इस पत्रके वदौलत मि० हेनरी पोलकसे मेरी मुलाकात हुई और वही स्वर्गीय जोसेफ डोकसे भी मुलाकात होनेका एक कारण बन गया था ।

पिछले अध्यायमे मैं इस बातका जिक्र कर चुका हूँ कि मैं एक निरामिष भोजनालयमे भोजन करने जाता था । वहा मिस्टर आल्वर्ट वेस्टसे मेरी भेंट हुई थी । रोज हम् साथ ही भोजनालयमे जाते और खानेके बाद साथ ही घूमने निकलते । मि० वेस्ट एक छोटेसे छापेखानेमें साक्षीदार थे । उन्होने अखबारोमे प्लेग-सवधी मेरा वह पत्र पढा और जब भोजनके समय भोजनालयमे मुझे नहीं पाया तो बेचैन हो उठे ।

मैंने तथा मेरे साथी सेवकोने प्लेगके दिनोंमें अपनी खुराक कम कर ली थी । बहुत समयसे मैंने यह नियम बना रक्खा था कि जबतक किसी सक्रामक रोगका प्रकोप हो तवतक पेट जितना हल्का रक्खा जा सके उतना ही अच्छा । इसलिए मैंने शामका खाना बंद कर दिया था और दोपहरको भी ऐसे समय जाकर वहा भोजन कर आता जबकि इस तरहके खतरोंसे अपनेको बचानेकी इच्छा करनेवाले कोई भोजनालयमे न आते हो । भोजनालयके मालिकके साथ तो मेरा घनिष्ट परिचय था ही । उससे मैंने यह बात कह रक्खी थी कि मैं इन दिनों प्लेगके रोगियोंकी सेवा-शुश्रूषामें लगा हुआ हूँ, इसलिए औरोको अपनी छूतसे दूर रखना चाहता हूँ ।

इस तरह भोजनालयमे मुझे न देखकर मि० वेस्ट दूसरे या तीसरे ही दिन सुबह मेरे यहा आ घमके । मैं अभी बाहर निकलनेकी तैयारी कर ही रहा था कि उन्होने आकर मेरे कमरेका दरवाजा खटखटाया । दरवाजा खोलते ही वेस्ट बोले—

“आपको भोजनालयमे न देखकर मैं चिन्तित हो उठा कि कहीं आप भी प्लेगके सपाटेमें न आ गये हो । इसलिए इस समय इसी विद्वयाससे आया हूँ कि आपसे अवश्य भेंट हो जायगी । मेरी किसी मददकी जरूरत हो तो जरूर

कहिएगा। मैं रोगियोंकी सेवा-शुभ्रुपाके लिए भी तैयार हूँ। आप जानने हीं कि मुझपर निवा अपना पेट भरनेके श्राँग किन्ही तरहकी जिम्मेदारी नहीं है।

मैंने मि० वेस्टकी उमरे लिए धन्यवाद दिया। मुझे नहीं याद पटना कि मैंने एक मिनट भी विचार किया होगा। मैंने कहा—

“नर्मका काम तो मैं आपने नहीं लेना चाहना। यदि और लॉग बीमार न हों तो हमारा काम एक-दो दिनमें ही पूरा हो जायगा। पर एक काम आने लायक जरूर है।”

“मो क्या है ?”

“आप डरवन जरूर ‘इण्डियन ऑपीलियन’ प्रेसदा काम देख मंगे ? मदनजीत तो अभी वहा रके हुए हैं। वहा किन्ही-न-तियोके जानेकी आवश्यकता तो है ही। यदि आप वहा चले जाय तो वहाके काममें मैं बिलकुल निर्दिचन हो जाऊँ।”

वेस्टने जवाब दिया—“आप जानने हैं कि मेरे खुद एक छापाखाना है। बहुत करके तो मैं वहा जानेके लिए तैयार हो सकूंगा, पर निर्दिचन उत्तर आज शामको दे सकू तो हर्ज तो नहीं है ? आज शामकी धूमने चल सकें तो चाहे कर लेंगे।”

उनके आश्वासनमें मुझे आनंद हुआ। उसी दिन शामको कुछ बातचीत हुई। यह सय पाया कि वेस्टको १० पौंड मासिक वेतन और छापाखानेके मुनाफेका कुछ अन्न दिया जाय। महज वेतनके लिए वेस्ट वहा नहीं जा रहे थे। इसलिए यह मवाल उनके सामने नहीं था। अपनी उगाही मुझे नीपकर दूसरे ही दिन रातकी मससे वेस्ट डरवन रवाना हो गये। तबमें लेकर मेरे दक्षिण अश्रीक छोडनेतक वह मेरे दुख-सुखके साथी रहे। वेस्टका जन्म विलायतके लाडव नामक गावमें एक किसान-कुटुम्बमें हुआ था। पाठशालामें उन्होंने बहुत मामूली शिक्षा प्राप्त की थी। वह अपने ही परिश्रममें अनुभवकी पाठशालामें पढ़कर और तालीम पाकर होशियार हुए थे। मेरी दृष्टिमें वह एक शुद्ध, सयमी, ईस्वर-भीष्ट, साहसी और परोपकारी अश्रेष्ठ थे। उनका व उनके कुटुम्बका परिचय अभी हमें इन अव्यायामों और होगा।

लोकेशनकी होली

रोगियोंकी सेवा-शुश्रूषासे यद्यपि मैं और मेरे साथी फारिग हो गये थे, तथापि इस प्लेग-प्रकरणके बदीलत दूसरे नये काम भी हमारे लिए पैदा हो गये थे।

वहाकी म्यूनिसिपैलिटी लोकेशनके सबबमे भले ही लापरवाही रखती हो, किंतु गोरे-निवासियोंके आरोग्यके विषयमे तो उसे चौबीसो घंटे सतर्क रहना पडता था। उनके आरोग्यकी रक्षाके लिए रुपया फूकनेमे भी उसने कोताही नहीं की थी। और इस समय तो प्लेगको वहा न फैलने देनेके लिए उसने पानीकी तरह पैसा बहाया। भारतीयोके प्रति इस म्यूनिसिपैलिटीके व्यवहारकी मुझे बहुत बिकायत थी, फिर भी गोरोकी रक्षाके लिए वह जितनी चिंता कर रही थी उसके प्रति अपना अदर प्रदर्शित किये बिना मैं न रह सका और उसके इस शुभ प्रयत्नमे मुझे जितनी मदद हो सकी मैंने की। मैं मानता हू कि यदि वह मदद मैंने न की होती तो म्यूनिसिपैलिटीको दिक्कत पडती और शायद उसे बढूकके बलका प्रयोग करना पडता और अपनी इष्ट-सिद्धिके लिए ऐसा करनेमे वह बिलकुल न हिचकती।

परतु ऐसा करनेकी नौबत न आने पाई। उस समय भारतीयोके व्यवहार से म्यूनिसिपैलिटीके अधिकारी सतुष्ट हो गये और उसके वादका काम बहुत सरल हो गया। म्यूनिसिपैलिटीकी मागको हिदुस्तानियोंसे पूरा करानेमे मैंने अपना सारा प्रभाव खर्च कर डाला था। यह काम भारतीयोके लिए था तो बढा दुष्कर, परतु मुझे याद नहीं पडता कि किसी एकने भी मेरे बचनको टाला हो।

लोकेशनके चारो ओर पहरा बैठा दिया गया था। बिना इजाजत न कोई अदर जा पाता था, न वाहर आ सकता था। मुझे तथा मेरे साथियोंको बिना रुकावट वहा आने-जानेके लिए पाम दे दिये गये थे। म्यूनिसिपैलिटीकी तजवीज यह थी कि लोकेशनके सब लोगोको जोहान्सबर्गसे तेरह मील खुले मैदानमे तबुओमे रक्खा जाय और लोकेशनमें आग लगा दी जाय। डेरे-तबुओका ही क्यो न हो, पर वह एक नया गाव बसाना पडा था और वहा खाद्य आदि सामग्रीका प्रवध

करनेमें कुछ समय लगना स्वाभाविक था । तबूतकके लिए यह पहरेका प्रवध किया गया था ।

इससे लोगोमें बड़ी चिंता फैली, परंतु मैं उनके साथ उनका सहायक था—इससे उन्हें बहुत तस्कीन थी । इनमें कितने ही ऐसे गरीब लोग भी थे, जो अपना रुपया-पैसा घरमें गाड़कर रखते थे । अब उसे खोदकर उन्हें कहीं रखना था । वे न बैंकको जानते थे, न बैंक उन्हें । मैं उनका बैंक बना । मेरे घर टपयोका ढेर हो गया । ऐसे समयमें मैं भला मेहनताना क्या ले सकता था ? किसी तरह मुक्किलसे इसका प्रवध कर पाया । हमारे बैंकमें मैंनेजरके साथ मेरा अच्छा परिचय था । मैंने उन्हें कहलाया कि मुझे बैंकमें बहुतेरे रुपये जमा कराने हैं । बैंक ग्राम तौरपर ताबे या चादीके सिक्के लेनेके लिए तैयार नहीं होते । फिर यह भी अदेशा था कि प्लेग-स्थानोंसे आये सिक्कोको छूनेमें क्लर्क लोग आनाकानी करे । किंतु मैंनेजरने मेरे लिए सब तरहकी सुविधा कर दी । यह बात तय पाई कि रुपये-पैसे जतु-नाशक पानीमें धोकर बैंकमें जमा कराये जाय । इस तरह मुझे याद पड़ता है कि लगभग ६०,००० पौंड बैंकमें जमा हुए थे । मैंने जिन भवक्किलोंके पास अधिक रकम थी उन्हें मैंने एक निश्चित अवधिके लिए बैंकमें जमा करानेकी सलाह दी, जिससे उन्हें अधिक व्याज मिल सके । इससे कितने ही रुपये उन भवक्किलों के नामसे बैंकमें जमा हुए । इसका परिणाम यह हुआ कि कितने ही लोगोको बैंकमें रखनेकी आवत पड़ी ।

जोहान्सबर्गके पास 'क्लिप्सफुट फार्म' नामक एक स्थान है । लोकेशन-निवाभियोंको वहाँ एक स्पेजल ट्रेनसे ले गये । यहाँ म्यूनिसिपैलिटीने उनके लिए अपने ग्चमें घर बँटे पानी पढुचाया । इस तबूके गावका नजारा सैनिकोंके पढावकी तरह था । लोग ऐसी स्थितिमें रहनेके आदी नहीं थे, इससे इन्हें मानसिक दुःख तो हुआ । नई जगह अटपटी मालूम हुई, किंतु उन्हें कोई ख़ास कष्ट नहीं उठाना पडा । मैं रोज बाइमिकलपर जाकर वहाँ एक चक्कर लगा आता । तीन सप्ताह-तय इस तरह म्यूनी ह्वामें लोगोकी तदुरुस्तीपर जरूर अच्छा असर हुआ । और मानसिक दुःख तो प्रथम चौबीस घंटे पूरे होनेके पहले ही बूना गया था । फिर तां ये ध्यानदमे रहने लगे । मैं जहा जाता वहाँ कहीं भजन-कीर्तन और कहीं खेल-कूद प्रादि होने हुए देगता ।

जहातक मुझे याद है, लोकेशन जिस दिन खाली कराया गया, या तो उसी दिन या उसके दूसरे दिन उसमें आग लगा दी गई। एक भी चीजको वहासे बचा लानेका लोभ म्यूनिसिपैलिटीने नही किया। इन्ही दिनों और इसी कारण म्यूनिसिपैलिटीने अपने मार्केटकी सारी लकड़ीकी इमारतें भी जला डाली, जिससे उसे कोई १० हजार पाँडकी हानि सहनी पडी। मार्केटमें मरे चूहे पाये गये थे—इसलिए म्यूनिसिपैलिटीको इतने साहसका काम करना पडा। इसमें नुकसान तो बहुत बरदास्त करना पडा, किंतु यह फल जरूर हुआ कि प्लेग आगे न बढ़ पाया और नगरवासी नि शक हो गये।

१८

एक पुस्तकका चमत्कारी प्रभाव

इस प्लेगके बदीलत गरीब भारतवासियोपर मेरा प्रभाव बढा और उसके साथ मेरी बकालत और मेरी जिम्मेदारी भी बहुत बढ गई। फिर यूरोपियन लोगोमें जो मेरा परिचय था वह भी इतना निकट होता गया कि उममें भी मेरी नैतिक जवाबदेही बढने लगी।

जिस तरह वेस्टसे मेरी मुलाकात निराभिय भोजनालयमें हुई, उसी तरह पोलकसे भी हो गई। एक दिन मेरे खानेकी मेजसे दूरकी मेजपर एक नवयुवक भोजन कर रहा था। उसने मुझसे मिलनेकी इच्छासे अपना नाम मुझतक पहुंचाया। मैंने उन्हे अपनी मेजपर खानेके लिए बुलाया और वह आये।

“मैं 'क्रिटिक'का उप-सपादक हू। प्लेग-सववी आपका पत्र पढ़नेके बाद आपसे मिलनेकी मुझे बडी उत्कठा हुई। आज आपसे मिलनेका अवसर मिला है।”

मि० पोलकके शुद्ध भावने मुझे उनकी ओर खींचा। उस रातको हमारा एक-दूसरेसे परिचय हो गया और जीवन-सबबी अपने विचारोंमें हम दोनोंको बहुत साम्य दिखाई दिया। सादा जीवन उन्हे पसंद था। किसी बातके पट जानेके बाद तुरत उसपर अमल करनेकी उनकी शक्ति आश्चर्यजनक मालूम हुई। उन्होंने अपने जीवनमें कितने ही परिवर्तन तो एकदम कर डाले।

'इंडियन ओपीनिज'का खर्च बटना जाना था। वेन्टने जो विवरण बहादा पहली ही बार भेजा उमने मेरे कान नर्से कर दिये। उन्होंने लिखा कि जैसा आपने कहा था वैसा मुनाफा उस काममें नहीं है। मुझे तो उल्टा नुकसान दिक्काई पडना है। हिनाब-किताबकी व्यवस्था ठीक नहीं है। लेना बहुत है, और वह बेमिर-भैरका है। बहनेरा रडोबदन करना होगा। परन्तु यह हान पडकर आप चिंता न करें, मुझने जितना हो नकेगा अच्छा प्रयत्न करूंगा। मुनाफा न होनेके कारण मैं इस कामको छोड न दूंगा।

जबकि मुनाफा नहीं दिक्काई नहीं दिया था तब वेस्ट चाहते तो वहाके कामको छोड सकते थे और मैं उन्हें किसी तरह शोष नहीं दे सकता था। इना ही नहीं, उल्टा उन्हें अधिकार था कि वह मुझे बिना पूछ-ताछ किये उन काममें मुनाफा कमानेका शोष-भागी बहुराने। इना होने हुए भी उन्होंने मुझे कभी इसका उलहना तक न दिया, पर मैं समझता हूँ कि इस बातके मालूम होनेपर वेस्टकी नजरमें मैं एक जन्दीमें विश्वास कर देनेवाला आदमी जचा होऊंगा। मदनजीनकी गयको मानकर बिना पूछ-ताछ किये ही मैंने वेस्टसे मुनाफेका जिज्ञा किया था। पर मेरी यह राय है कि नार्कजिनिक कार्यकर्ताओंको वही बात दूसरेमें बहनी चाहिए, जिनकी खुद उन्होंने जाव कर ली हो। नत्यके पुजारीको तो बहुत सावधानी रखनेकी आवश्यकता है। बिना अपना इल्मीनान किये किसीके दिलपर आवश्यकतामें अधिक असर डालना भी सत्यको दाग लगाना है। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि इस बातको जानते हुए भी जल्दीमें विश्वास रखकर काम लेनेकी अपनी प्रकृतिको मैं पूरा-पूरा मुबार नहीं सका। इसका कारण है शक्तिमें अधिक काम करनेका लोभ। यह दोष है। इन लोभमें कई बार मुझे दुख हुआ है और मेरे साथियोंको तो मुझसे भी अधिक मन कष्टना पडा है।

वेस्टका ऐसा पत्र पाकर मैं नेटालके लिए रवाना हुआ। फोल्क मेरी सब बातोंको जान गये थे। स्टेशनपर मुझे पहचाने आये और रस्किन-रचित 'अट्टु दिव लास्ट' नामक पुस्तक मेरे हाथोंमें रखकर कहा—“यह पुस्तक रास्तेमें पढ़ने लायक है। आपको जरूर पत्र आयेगी।”

पुस्तकको जो मैंने एक बार पढ़ना शुरू किया तो खतम किये बिना न छोड

सका । उसने तो बस मुझे पकड़ ही लिया । जोहान्सवर्गसे नेटाल २४ घंटेका रास्ता है । ट्रेन शामको डरवन पहुँचती थी । पहुँचनेके बाद रात-भर नीद न आई । इस पुस्तकके विचारोके अनुसार जीवन बनानेकी धुन लग रही थी ।

इससे पहले मैंने रस्किनकी एक भी पुस्तक नहीं पढ़ी थी । विद्यार्थी-जीवनमें पाठ्य-पुस्तकोके अलावा मेरा वाचन नहीके बराबर समझना चाहिए और कर्म-भूमिमें प्रवेश करनेके बाद तो समय ही बहुत कम रहता है । इस कारण आजतक भी मेरा पुस्तक-ज्ञान बहुत ही थोड़ा है । मैं मानता हूँ कि इस अनायामके अथवा जवर्दस्तीके समयसे मुझे कुछ भी नुकसान नही पहुँचा है । पर, हा, यह कह सकता हूँ कि जो-कुछ थोड़ी पुस्तके मैंने पढ़ी है उन्हें ठीक तौरपर हजम करनेकी कोशिश अलवत्ता मैंने की है । और मेरे जीवनमें यदि किसी पुस्तकने तत्काल महत्त्वपूर्ण रचनात्मक परिवर्तन कर डाला हो तो वह यही पुस्तक है । बादको मैंने इसका गुजरातीमें अनुवाद किया था और वह 'सर्वोदय'के नामसे प्रकाशित भी हुआ है ।

मेरा यह विश्वास है कि जो चीज मेरे अन्दरतरे बसी हुई थी उमका स्पष्ट प्रतिबिम्ब मैंने रस्किनके इस ग्रन्थ-रत्नमें देखा और इस कारण उसने मुझपर अपना साम्राज्य जमा लिया एव अपने विचारोके अनुसार मुझसे आचरण करवाया । हमारी अल्पस्य सुप्त भावनाओको जाग्रत करनेका सामर्थ्य जिसमें होता है वह कवि है । सब कवियोका प्रभाव सबपर एकसा नही होना, क्योंकि सब लोगोमें सभी अच्छी भावनाएँ एक मात्रामें नही होती ।

'सर्वोदय'के सिद्धांतको मैं इस प्रकार समझा—

१—सबके भलेमें अपना भला है ।

२—बकील और नाई दोनोके कामकी कीमत एकसी होनी चाहिए, क्योंकि आजीविकाका हक दोनोको एकसा है ।

३—सादा, मजदूर और किसानका जीवन ही सच्चा जीवन है ।

पहली रात तो मैं जानता था । दूसरीका मुझे आभास हुआ करता था । पर तीसरी तो मेने विचार-क्षेत्रमें आई तक न थी । पहली रातमें पिछली दोनो बातें समाविष्ट हैं, यह बात 'सर्वोदय'से मुझे सूर्य-प्रकाशकी तरह स्पष्ट दिखाई देने लगी । मुवह होते ही मैं उसके अनुसार अपने जीवनको बनानेकी चिन्तामें लगा ।

फिनिक्सकी स्थापना

सुबह होते ही मैंने सबसे पहले वेस्टसे इस सवधमे बातें की। 'सर्वोदय' का जो प्रभाव मेरे मनपर पटा वह मैंने उन्हें कह सुनाया और सुझाया कि 'इंडियन थोपीनियन'को एक खेतपर ले जाय तो कैसा ? वहा सब एक साथ रहे, एकसा भोजन-सर्च ले, अपने लिए सब खेती कर लिया करें और वचनके समयमें 'इंडियन थोपीनियन'का काम करें। वेस्टको यह बात पसंद हुई। भोजन-सर्चका हिसाब लगाया गया तो कम-से-कम तीन पाँड प्रति मनुष्य आया। उसमें काले-गोरे का भेद-भाव नहीं रक्खा गया था।

परन्तु प्रेसमें काम करनेवाले तो कुल ८-१० आदमी थे। फिर सवाल यह था कि जंगलमें जाकर बमनेमे सबको सुविधा होगी या नहीं ? दूसरा सवाल यह था कि सब एकसा भोजन-सर्च लेनेके लिए तैयार होंगे या नहीं ? आखिर १८८५ में दोनो तौरों पर प्रयोग किया कि जो इस नजबीजमे शरीक न हो सकें वे अपना ध्यान ले लिया करें— किन्तु आदर्श यही रक्खा जाय कि धीरे-धीरे सब कार्यकर्ता गन्तव्यवासी हो जाय।

इसी दृष्टिसे मैंने समस्त कार्य-कर्ताओंसे वानचौत शुरू की। मदनजीतको यह बात बिलगुन पसंद न हुई। उन्हें शक हुआ कि जिस चीजमें उन्होंने अपना जी-जान लगाया उसे मैं कहीं अपनी मूर्खतामे एकाध महीनेमें ही मिट्टीमें न मिला दूँ। उन्हें भय हुआ कि इन तरह 'इंडियन थोपीनियन' बंद हो जायगा, प्रेस भी टूट जायगा और सब कार्यकर्ता भाग चड़े होंगे।

मेरे भतीजे उगनलाल गार्गी उस प्रेममें काम करते थे। उनमें भी मैंने शकते साथ ही वान ही थी। उनपर परिवारका दौलत था, किन्तु वचनमें ही उन्होंने मेरे साथी का नाम लेना और नाम करना पसंद किया था। मुझपर उनका शक अधिक था। उनका उद्देश्य था बिना दलील और उजमके ही 'हा' शब्दों से आरंभ करने का प्रयत्न कर मेरे साथ ही है।

गार्गी के शकों का भी समाधान नहीं। वह भी शामिल हो गये। दूसरे

लोग यद्यपि सस्याबानी न बने, पर फिर भी उन्होंने जहा प्रेस जाय वहा ज्ञाना स्वीकार किया ।

इस तरह कार्यकर्ताओंके साथ बातचीत करनेमें दोसे अधिक दिन गये हो, ऐसा याद नहीं पडता । तुरन् ही मैंने अखबारमें विज्ञापन दिया कि डरवनके नजदीक किसी भी स्टेशनके पास जमीनकी आवश्यकता है । उत्तरमें फिनिक्सकी जमीनका सदेशा आया । वेस्ट और मैं जमीन देखने गये और सात दिनके अदर २० एकड़ जमीन ले ली । उसमें एक छोटा-सा पानीका झरना भी था । कुछ ग्रामके और नारगीके पेड़ थे । पास ही ८० एकड़का एक और टुकड़ा था । उसमें फलोंके पेड़ ज्यादा थे और एक झोपडा भी था । कुछ समय बाद उसे भी खरीद लिया । दोनोंके मिलकर १००० पीड लगे ।

सेठ पारसी हस्तमजी मेरे ऐसे तमाम साहसके कामोंमें मेरे साथी होते थे । उन्हें मेरी यह तजवीज पसद आई । इसलिए उन्होंने अपने एक गोदामके टीन बर्गरा, जो उनके पास पड़े थे, मुफ्तमें हमें दे दिये । कितने ही हिंदुस्तानी ब्रह्मर्षी और राज, जो मेरे साथ लडाईमें थे, इसमें मदद देने लगे और कारखाना बनने लगा । एक महीनेमें मकान तैयार हो गया । वह ७५ फीट लंबा और ५० फीट चौड़ा था । वेस्ट बर्गरा अपने खरीरको खतरेमें डालकर भी बर्हई आदिने साथ रहने लगे ।

फिनिक्समें घास खूब थी और आवादी बिलकुल नहीं थी । इससे साप आदिका उपद्रव रहता था और खतरा भी था । शुरूमें तो हम तबू तानकर ही रहने लगे ।

मुख्य मकान तैयार होते ही हम लोग एक सप्ताहमें बहुतेरा सामान गाडियोपर लादकर फिनिक्स चले गये । डरवन और फिनिक्समें ढेरहू मीलका फासला था । फिनिक्स स्टेशनसे ढाई मील दूर था । इस त्यान-परिवर्तनके कारण सिर्फ एक ही सप्ताह 'इटियन ओपीनियन'को भरवपुरी प्रेसमें छानना पडा था ।

मेरे साथ मेरे जो-जो रिश्तेदार बर्गरा वहा गये और व्यापार आदि में लग गये थे उन्हें अपने मतमें मिलानेका और फिनिक्समें दाखिल करनेका प्रयत्न मैंने शुरू किया । वे सब तो धन जमा करनेकी उमरसे दक्षिण अफ्रीका आये थे ।

उनको राजी कर लेना बड़ा कठिन काम था। परन्तु नितने ही लोगोंको मेरी वाजबंदी। इन सबमें से आज तो मंगलनाथ गांधीका नाम मैं चुनकर पाठकोठे सामने रखता हूँ, क्योंकि हमारे लोग जो राजी हुए थे, वे थोड़े-बहुत समय फिनिक्ममें रहकर फिर धन-संचयके फेरमें पड़ गये। मंगलनाथ गांधी तो अपना काम छोड़कर जो मेरे साथ आये सो अद्वैतक रह रहे हैं और अपने बुद्धि-बलसे, त्यागसे, मन्दिने एव अनन्य भक्ति भावसे मेरे आंतरिक प्रयोगोंमें मेरा साथ देते हैं एव मेरे मूल साधियोंमें आज उनका स्थान नवमें प्रधान है। फिर एक स्वयं-विक्षिप्त कार्य-गरके रूपमें तो उनका स्थान मेरी दृष्टिमें अद्वितीय है।

इस तरह १९०४ ईस्वीमें फिनिक्मकी स्थापना हुई और विघ्नो और कठिनाइयोंके रहते हुए भी फिनिक्म-संस्था एव 'इंडियन ओपीनियन' दोनों आज तक चल रहे हैं। परन्तु इस संस्थाके आरम्भ-कालकी सुवीथों और उन समयकी आशा-निराशाएँ जानने लायक हैं। उनपर हम अगले अध्यायमें विचार करेंगे।

२०

पहली रात

फिनिक्ममें 'इंडियन ओपीनियन'का पहला एक प्रकाशित करना आसान साबित न हुआ। यदि दो बातोंमें मैंने पहले हीने सावधानी न रखी होती तो एक एक सप्ताह बंद रहता या देरने निकलता। इस संस्थामें मेरी यह इच्छा कम ही रही थी कि एजिनसे चलने वाले यत्रादि मगाये जाय। मेरी भावना यह थी कि जब हम खेती भी खुद हाथोंमें ही करनेकी चाह रखते हैं तब फिर छोपेकी कल भी ऐसी ही लाई जाय जो हाथसे चल सके। पर उस समय यह अनुभव हुआ कि यह बात सब न सकेगी। इसलिए ऑयल एजिन मगाया गया था। परन्तु मुझे यह खटका रहा कि कहीं वहापर यह एजिन बंद न हो जाय। सो मैंने बेस्टकी सुझाया कि ऐसे समयके लिए कोई ऐसे काम-चलाऊ साधन भी हम अनौपचारिक जुटा रखें तो अच्छा। इसलिए उन्होंने हाथसे चलानेका भी एक पहिया मगा रक्खा था और ऐसी तजवीज कर रक्खी थी कि मौका पड़नेपर उसमें छोपेकी कल चलाई जा सके। फिर 'इंडियन ओपीनियन'का आकार दैनिकपत्रके बराबर लवा-चौड़ा

था। और यदि बड़ी कल अड जाय तो ऐसी सुविधा बहा नहीं थी कि इतने बड़े आकारका पत्र तुरत छापा जा सके। इससे पत्रके उस अकके वद रहनेका ही अदेगा था। इस दिक्कतको दूर करनेके लिए अखबारका आकार छोटा कर दिया कि कठिनाईके समयपर छोटी कलको भी पावसे चलाकर अखबार, थोड़े ही पत्रेका वयो न हो, प्रकाशित हो सके।

आरम्भ-कालमें 'इंडियन ओपीनियन'की प्रकाशन-तिथिकी अगली रातको सबको थोड़ा-बहुत जागरण करना ही पडता था। पत्रोको भाजनेमें छोटे-बड़े सब लग जाते और रातको बस-आरह बजे यह काम खतम होता। परतु पहली रात तो इस प्रकार की वीती जिसे कमी नहीं भूल सकते। पत्रोका चीखटा तो मशीनपर कस गया, पर एजिन अड गया, उमने चलनेसे इन्कार कर दिया। एजिनको जमाने और चलानेके लिए एक इजिनियर बुलाया गया था। उसने और वेस्टने खूब माथा-मच्ची की, पर एजिन टस-से-मस न हुआ। तब सब चिंतामें अपना-सा मुह लेकर बैठ गये। अतको वेस्ट निराग होकर मेरे पास आये। उनकी आंखे आसुओसे छलछला रही थी। उन्होने कहा, "अब आज तो एजिनके चलनेकी आशा नहीं और इस सप्ताह हम अखबार समयपर न निकाल सकेंगे।"

"अगर यही वान है तब तो अपना कुछ बस नहीं, पर इम तरह आसू बहानेकी कोई आवश्यकता नहीं। और कुछ कोशिश कर सकते हो तो क्य देखे। हा, वह हायसे चलानेका पहिया जो हमारे पास रक्खा है, वह किस दिन काम आयेगा?" यह कहकर मैंने उन्हें आश्वासन दिया।

वेस्टने कहा— "पर उस पहियेको चलानेवाले आदमी हमारे पाम कहा है? हम लोग जितने हैं उनसे यह नहीं चल सकता। उमे चलानेके लिए वारी-वारीमे चार-चार आदमियोकी जरूरत है। और डघर हम लोग थक भी चुके हैं।"

यहई लोगोका काम अभी पूरा नहीं हुआ था, इससे वे लोग अभी छापेखानेमे ही सो रहे थे। उनकी तरफ इशारा करके मैंने कहा— "ये मिन्नी लोग मौजूद हैं। इनकी मदद वयो न लें? और आजकी रातभर हम नव जागकर टापनेकी कोशिश करेंगे। बस इनना ही कर्तव्य हमारा और बाकी रह जाना है।"

‘ मिन्त्रियोंको जाननेकी और उनमें मदद मांगनेकी बेगी हिम्मत नहीं होती । और हमारे जो जो बच्चे हैं उन्हें भी मैंने — ’

‘ यह नाम मेरे जिन्ने रहा । मैंने कहा ।

‘ यह तो मुपमिन् है जिसे सज्जनता मिल जाय । ”

मैंने मिन्त्रियोंको ज्ञाया और उनमें मदद मागी । मुझे उनमें मित्र-व्युत्थान नहीं करनी पड़ी । उन्होंने कहा— ‘ बाह ! ऐसे बच्चे हूँ यदि मैं न झरो तो हूँ आदमी ही क्या ? आज आगम कीजिए मैं लोग पहिया बना दोगे । हमें इनमें कुछ निहत नहीं है । ’ और उधर जिनके लोग तैयार थे ही ।

अब मैं वेन्टके हर्षकी सीमा न रही । वह काम करते-करते जवन गाने लगे । घोड़ा चलनेमें मैंने भी मिन्त्रियोंका साथ दिया और हमारे लोग भी बायी-बायामें बजाने लगे । साथ ही परे भी छतने लगे ।

सुबहके सात बजे होते । मैंने देखा कि अपनी बहुत काम बानी पड़ी है । मैंने वेन्टमें कहा— ‘ अब हूँ इजिप्तिरको क्या न जगा सों ? अब दिनकी रोगनीमें वह और फिर खपाकर उठे तो अच्छा हो । अगले एजिप्तिर चद जाय तो अपना काम सनयनर पूरा हो सकता है ।

वेन्टने डबिनियरको जगाया । वह ठठ बड़ा हुआ और एजिप्तिरके बनरेमें गया । सुबह करते ही एजिप्तिर चल निकला । प्रेस हर्षनाबने गुड़ उठा । सब कहने लगे । यह कैसे हो गया ? गनको इतनी निहतन करनेपर भी नहीं बना और अब हाथ लागे ही इस तरह चल पडा, मानो कुछ बिगडा ही न था ।

वेन्टने ग डबिनियरने बबक दिया— ‘ इसका उत्तर देना कठिन है । ऐसा बात पड़ता है, मानो अब भी हमारी उम्ह आराम चाहते हैं । कभी-कभी तो उनकी हालत ऐसी हो देती जाती है ।

मैंने तो यह मन्ता कि एजिप्तिर न चन्दना हजारी पगोला थी और ऐन मंजिर उल्ला चल जाना हमारी मुद्ध निहतनका शुभ फल था ।

उल्ला परितान यह हुआ कि डबिजिन ओगीनियरक निज्ज नन्दरर स्टेयन पहुँच गया और हन सब निन्त्रियर हुए ।

हमारे इन अग्रहका फल यह हुआ कि डबिजिन ओपीनियरकी निद-निगताकी छान लोके दिनपर पडो और निन्त्रियरमें नेहनका बनावरप

फैला। इस सस्थाके जीवनमें ऐसा भी एक यग आगया था, जब जानबूझकर एंजिन बंद रक्खा गया था और दृढतापूर्वक हाथके पहियेसे ही काम चलाया गया था। मैं कह सकता हूँ कि फिनिक्सके जीवनमें यह ऊँचे-से-ऊँचा नैतिक काल था।

२१

पोलक भी कूद पड़े

फिनिक्स जैसी सस्था स्थापित करनेके बाद मैं खुद थोड़े ही समय उसमें रह सका। इस बातपर मुझे हमेशा बड़ा दुःख रहा है। उसकी स्थापनाके समय मेरी यह कल्पना थी कि मैं भी वही बसूँगा। वही रहकर जो-कुछ सेवा हो सकेगी वह करूँगा और फिनिक्सकी सफलताको ही अपनी सेवा समझूँगा। परंतु इन विचारोंके अनुसार निश्चित व्यवहार न हो सका। अपने अनुभवमें मैंने यह बहुत बार देखा है कि हम सोचते कुछ हैं और हो कुछ और जाता है। परंतु इसके साथ ही मैंने यह भी अनुभव किया है कि जहाँ सत्यकी ही चाह और उपासना है वहाँ परिणाम चाहे हमारी धारणाके अनुसार न निकले, कुछ और ही निकले, परंतु वह अनिष्ट—बुरा—नहीं होता और कभी-कभी तो आशासे भी अधिक अच्छा हो जाता है। फिनिक्समें जो अकल्पित परिणाम पैदा हुए और फिनिक्सको जो अकल्पित रूप प्राप्त हुआ, वह मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि अनिष्ट नहीं। हाँ, यह बात अलबत्ता निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि उन्हें अधिक अच्छा कह सकते हैं या नहीं।

हमारी धारणा यह थी कि हम लोग खुद मिहनत करके अपनी रोजी कमायेंगे, इसलिए छापेखानेके आसपास हर एक निवासीको तीन-तीन एकड़ जमीनका टुकड़ा दिया गया। इसमें एक टुकड़ा मेरे लिए भी नापा गया। हम सब लोगोंकी इच्छा के खिलाफ उनपर टॉनके घर बनाये गये। इच्छा तो हमारी यह थी कि हम मिट्टी और फूसके, किसानों के लायक, अथवा ईंटके मकान बनावे, पर वह न हो सका। उसमें अधिक रुपया लगता था और अधिक समय भी जाता था। फिर सब लोग इस बातके लिए आतुर थे कि कब अपने घर बसा लें और काममें लग जाय।

यद्यपि 'इंडियन ओपीनियन' के मगदादा ना मनमुरवाना नाजर ही माने जाते थे, तथापि वह इस योजनामें सम्मिलित नहीं हुए थे। उनका घर इरवतमें ही था। इरवतमें 'इंडियन ओपीनियन' की एक छोटी-सी शाखा भी थी।

छापेखानेमें कर्पोज बनने वाली अक्षर जमानेके लिए यद्यपि वैतनिक कार्यकर्त्ता थे, फिर भी उसमें दृष्टि यह रखी गई थी कि अक्षर जमानेकी क्रिया सब सम्भाव्यावासी जान लें और करें, क्योंकि यह है तो आमान, पर इसमें सब्य बहुत जाता है, इसलिए जो लोग कर्पोज करना नहीं जानते थे वे सब तैयार हो गये। मैं इस काममें अतनक सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ रहा और मगनमाल गावी सबसे आगे निकल गये। मेरा हमेशा यह मन रहा है कि उन्हें खुद अपनी शक्तिकी जानकारी नहीं रहती थी। उन्होंने हमसे पहले छापेखानेका कोई काम नहीं किया था, फिर भी वह एक कुशल कर्पोजीटर बन गये और अपनी गति भी बहुत बढ़ा ली। इनका ही नहीं, बल्कि थोड़े ही नमयमें छापेखानेकी नया क्रियाओंमें काफी प्रवीणता प्राप्त करके उन्होंने मुझे आश्चर्य-चकित कर दिया।

यह काम अभी ठिकाने लगा ही न था, मकान भी अभी तैयार न हुए हैं कि इतनेमें ही इस नये रचे बुट्टवको छोड़कर मुझे जोहान्त्वर्ग भागना पडा। ऐसी हालत न थी कि मैं वहाका काम बहुत समयतक यो ही पटक रखता।

जोहान्त्वर्ग आकर मैंने पोलकको, इन महत्त्वपूर्ण परिवर्तनकी सूचना दी। अपनी ही हुई पुस्तकका यह परिणाम देखकर उनके आनन्दकी सीमा न रही। उन्होंने बड़ी उमगके साथ पूछा— "तो क्या मैं भी इसमें किसी तरह योग्य नहीं दे सकता ?"

मैंने कहा— "हां, क्यों नहीं, अवश्य दे सकते हैं। आप चाहे तो इस योजनामें भी शरीक हो सकते हैं।"

"मुझे आप आश्विन कर ले तो मुझे तैयार ही समझिए।" पोलकने, जवाब दिया।

उनकी इस दृष्टाने मुझे मुग्ध कर लिया। पोलकने 'त्रिटिक' के मालिककी एक महीनेका नोटिस देकर अपना इस्तीफा पत्र कर दिया और मियाद खतम होनेपर फिनिक्म आ पहुँचे। अपनी मिलनसारीने उन्होंने सबका मन हार लिया और हमारे कट्टवी बनकर वहा बस गये। सावगी तो उनके रगोरेक्षमें भरी

हुई थी, इसलिए उन्हें फिनिक्सका जीवन जरा भी अटपटा या कठिन न मालूम हुआ, वल्कि स्वाभाविक और सुविकर जान पड़ा।

पर खुद मैं ही उन्हें वहा अधिक समयतक नहीं रख सका। मि० रीचने विलायतमे रहकर कानूनके अध्ययनको पूरा करनेका निश्चय किया। दफ्तरके कामका बोझ मुझ अकेलेके बसका न था। इसलिए मैंने पोलकसे दफ्तरमे रहने और बकालत करनेके लिए कहा। इत्तमे मैंने यह सोचा था कि उनके वकील हो जानेके बाद अतको हम दोनो फिनिक्समें आ पहुँचेगे।

हमारी ये सब कल्पनाएँ अतको झूठी साबित हुई, परतु पोलकके स्वभावमे एक प्रकारकी ऐसी सरलता थी कि जिसपर उनका विश्वास बैठ जाता उसके साथ वह हुज्जत न करते और उसकी सम्मतिके अनुकूल चलने का प्रयत्न करते। पोलकने मुझे लिखा— “मुझे तो यही जीवन पसंद है और मैं यही सुखी हूँ। मुझे आशा है कि हम इम सस्थाका खूब विकास कर सकेंगे। परतु यदि आपका यह खयाल हो कि मेरे वहा आनेसे हमारे आदर्श जल्दी सफल होंगे, तो मैं आनेको भी तैयार हूँ।”

मैंने इम पत्रका स्वागत किया और पोलक फिनिक्स छोडकर जोहान्सबर्ग आये और मेरे दफ्तरमें मेरे सहायकका काम करने लगे। इसी समय मेकिनटायर नामक एक स्कॉच युवक हमारे साथ शरीक हुआ। वह थियाँसफिस्ट था और उसे मैं कानूनकी परीक्षाकी तैयारीमें मदद करता था। मैंने उसे पोलकका अनुकरण करनेका निमन्त्रण दिया था।

इस तरह फिनिक्सके आदर्शको धीघ्र प्राप्त कर लेनेके शुभ उद्देश्यसे मैं उसके विरोधक जीवनमे दिन-दिन गहरा पैठना गया और यदि ईश्वरीय सकेत दूसरा न होता तो सादे जीवनके वहाने फँनाये इस मोहजालमें मैं खुद ही फस जाता।

परतु हमारे आदर्शकी रक्षा इस तरह हुई कि जिसकी हममेंसे किसीने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन उस प्रमगका वर्णन करनेके पहले अभी कुछ और अध्याय लिखने पड़ेंगे।

‘जाको राखे साइयां’

इन समय तो मैंने निकट भविष्यमें देश जानेकी अथवा बहा जाकर स्थिर होनेकी आशा छोड़ दी थी । इधर मैं पत्नीको एक सालका दिलासा देकर दक्षिण अफ्रीका आया था, परन्तु साल तो बीत गया और मैं लौट न सका, इसलिये निश्चये किया कि बाल-बच्चोको यही बूलवा लू ।

बाल-बच्चे आ गये । उनमें मेरा तीसरा पुत्र रामदास भी था । रास्तेमें जहाजके कप्तानके साथ वह खूब हिल-मिल गया था और उनके माय त्रिलवाड करते हुए उसका हाथ टूट गया था । कप्तानने उसकी खूब सेवा की थी । डाक्टरने हड्डी जोड़ दी थी और जब वह जोहान्सवर्ग पहुँचा तो उसका हाथ लकड़ीकी पट्टीमें बाँधकर रुमालमें लटकाया हुआ अंधर रखवा गया था । जहाजके डाक्टर की हिदायत थी कि जर्मका इलाज किमी डाक्टरमें ही कराना चाहिए ।

परन्तु यह जमाना मेरे मिट्टीके प्रयोगोंके दौर-दौरेका था । अपने जिन भविक्रान्तोका विश्वास मुझ अनाटी वैद्यपर था उनमें भी मैं मिट्टी और पानीका प्रयोग कराना था । तब रामदासके लिए दूसरा क्या इलाज ही सकता था ? रामदासकी उम्र उस समय आठ वर्षकी थी । मैंने उसमें पूछा— “मैं तुम्हारे ज-भरी मरहम-पट्टी तब करू तो तुम डरोगे तो नहीं ?” रामदानने हँसकर मुझे प्रयोग करनेकी छुट्टी दे दी । इस उम्रमें उसे अच्छे-बुरेकी पहचान नहीं हो सकती थी, फिर भी डाक्टर और ‘नीम-हकीम’का भेद वह अच्छी तरह जानता था । उसके अलावा उसे मेरे प्रयोगोंका हाल मालूम था और मुझपर उनका विश्वास था । इसलिए उसको कुछ डर नहीं मालूम हुआ ।

मैंने उसकी पट्टी खोली । पर उस समय मेरे हाथ काप रहे थे और दिन घटकर रहा था । मैंने ज-मवो घोसा और नाफ मिट्टीकी पट्टी रखकर पूर्ववत् पट्टी बांध दी । उस तरह रोज मैं जन्म नाफ करके मिट्टीकी पट्टी चटा देता । कोई नहीं भरोस थाव मूल्य गया । त्रिन्ती बी दिन उनमें जोई अरात्री पैदा न हुई और दिन-दिन वह सूखना ही गय । जहाजके डाक्टरने भी कहा था कि डाक्टरी

मरहम-पट्टीसे भी इतना समय तो लग ही जायगा ।

इससे धरेलू इलाजपर मेरा विश्वास और उसके प्रयोग करनेका मेरा साहम बढ गया । इसके बाद तो मैंने अपने पयोमोनी सीमा बहुत बढा दी थी । जरम, दुखार, अजीर्ण, पीलिया इत्यादि रोगोपर मिट्टी, पानी और उपवासके प्रयोग कई छोटे-बड़े स्त्री-पुरुषोपर किये और उनमें अधिकशयमे सफलता मिली । इतनेपर भी जो हिम्मत इस विषयमें मुझे दक्षिण अफ्रीकामें थी वह भ्रव नहीं रह्यी और अनुभवसे ऐसा भी देखा गया है कि इन प्रयोगोमे खतरा तो है ही ।

इन प्रयोगोके वर्णनमे मेरा हेतु यह नहीं है कि इनकी सफलता सिद्ध करू । मैं ऐसा दावा नहीं कर सकता कि इनमेंसे एक भी प्रयोग मर्वाणमे सफन हुआ हो, पर कोई डाक्टर भी तो अपने प्रयोगोके लिए ऐसा दावा नहीं कर सकता । मेरे कहनेका भाव निरुपेय ही है कि जो लोग नये अपरिचित प्रयोग करना चाहते हैं उन्हें अपनेसे ही उसकी शुरुआत करनी चाहिए । ऐसा करनेसे सत्य जल्दी प्रकाशित होता है और ऐसे प्रयोग करनेवालेको ईश्वर खतरासे बचा लेता है ।

मिट्टीके प्रयोगोमे जो जोखिम थी यही यूरोपियन लोगोके निकट समागममें भी थी । भेद सिर्फ दोनोंके प्रकारका था । परतु इन खतराका तो मेरे मनमें विचारतक नहीं आया ।

पोलकको मैंने अपने साथ रहनेका निमन्त्रण दिया और हम सगे भाईकी तरह रहने लगे । पोलकका विवाह जिस देवीके साथ हुआ उससे उनकी मैत्री बहुत समयसे थी । उचित समयपर विवाह कर लेनेका निश्चय दोनोंने कर रक्खा था, परतु मुझे याद पडता है कि पोलक कुछ रुपया जुटा लेनेकी फिराकमें थे । रस्किनके ग्रथोका अध्ययन और विचारोका मनन उन्होंने मुझसे बहुत अधिक कर रक्खा था, परतु पश्चिमके वातावरणमें रस्किनके विचारोके अनुरार जीवन वितानेकी कल्पना मुझिलसे ही हो सकती थी । एक रोज मैंने उनसे कहा, "जिसके साथ प्रेम-गाठ बध गई है उसका वियोग केवल घनाभावसे सहना उचित नहीं है । इस तरह अगर विचार किया जाय तब तो कोई गरीब बेचारा विवाह कर ही नहीं सकता । फिर आग तो मेरे माथ रहते हैं । इसलिए घर-खर्चका खयाल ही नहीं है । सो मुझे तो यही उचित मालूम पडता है कि आप शादी कर लें ।"

पोलकसे मुझे कभी कोई बात दुबारा कहनेका मौका नहीं आया । उन्हें

सुरत मेरी दलील पट गई । भाबी श्रीमती पोनरु विनायनमें थी, उनमें माय चिट्ठी-पत्री हुई । वह महमत हुई और धोटे ही महीनाम यह विवाहके लिए जोहान्मवर्ग आ गई ।

विवाहमें सब कुछ भी नहीं करना पड़ा । विवाहके लिए मास दपडेजर नहीं बनाये गये और धर्म-विधिकी भी कोई आवश्यकता नहीं समझी । श्रीमती पोलक जन्मत इसाई और पोलक यहूदी थे । दोनों नीति-धर्मके मानने वाले थे ।

परतु उन विवाहके समय एक मनोरञ्जक घटना होगई थी । दानवालमें जो कर्मचारी गीरोके विवाहकी रजिस्ट्री करता वह फालके विवाहकी नहीं करता था । इस विवाहमें दोनोंका पुरोहित या भाबी में ही था । हम चाहते तो किसी गोरे-मिन्नकी भी तजवीज कर सकते थे, परतु पोलक इन बातको बरदाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए हम तीनों उस कर्मचारीके पास गये । जिन विवाहका मध्यस्थ एक काता आशमी हो उनमें बर-बधू दोनों गोरे ही होंगे, उन दानका विन्याम सहसा उस कर्मचारीको कैसे हो सकता था ? उसने कहा कि मैं जात्र करनेके बाद विवाह रजिस्टर करूंगा । दूम्ने दिन बडे दिनका त्यौहार था । विवाहकी सारी तैयारी किन्ने हुए बर-बधूके विवाहकी रजिस्ट्रीकी तारीखका इस तरह बदला जाना सबको बडा नागवार गुजरा । बडे मजिस्ट्रेटमें मेरा परिचय था । वह इस विभागका अफसर था । मैं इस दपतीको लेकर उनके पास गया । किस्सा सुनकर वह हसे और चिट्ठी लिख दी । तब जाकर वह विवाह रजिस्टर हुआ ।

आजतक तो थोडे-बहुत परिचित गोरे पुरुष ही हम लोगोके साथ रहे थे, पर अब एक अपरिचित अश्रेज महिला हमारे परिवारमें दाखिल हुई । मुझे तो बिलकुल याद नहीं पडता कि खुद मेरा कभी उनके साथ कोई जगडा हुआ हो, परतु जहा अनेक जातिके और प्रकृतिके हिंदुस्तानी आया-जाया करते थे और जहा मेरी पत्नीको अभी ऐसे जीवनका अनुभव थोडा था, वहा उन दोनोंको कभी-कभी उद्वेगके अवसर मिले हो तो आश्चर्य नहीं, परतु मैं कह सकता हू कि एक ही जाति और कुटुंबके लोगोमें कट्ट अनुभव जितने होते हैं, उनसे तो अधिक इस विजातीय कुटुंबमें नहीं हुए, बल्कि ऐसे जिन प्रसंगोका स्मरण मुझे है वे बहुत मामूली कहे जा सकते हैं । बात यह है कि सजातीय-विजातीय यह तो

हमारे मनकी तरफे हूँ, वास्तवमे तो हम सब एक ही परिवारके लोग हूँ ।

अब, वेस्टका विवाह भी यही क्यों न मना लू ? उस समय ब्रह्मचर्य-विषयक मेरे विचार परिपक्व नहीं हुए थे । इसलिए कुवारे मित्रोका विवाह करा देना उन दिनों मेरा एक पेशा हो बैठा था । वेस्ट जब अपनी जन्मभूमिमे माता-पितासे मिलनेके लिए गये तो मैंने उन्हे सलाह दी थी कि जहातक हो सके विवाह करके ही लौटना, क्योंकि फिनिक्स हम सबका घर हो गया था और हम सब किसान बन बैठे थे, इसलिए विवाह या वध-वृद्धि हमारे लिए भयका विषय नहीं था ।

वेस्ट लेस्टरकी एक सुदरी विवाह लाये । इस कुमारिकाके परिवारके लोग लेस्टरके जूतेके एक बड़े कारखानेमे काम करते थे । श्रीमती वेस्ट भी कुछ समयतक उस जूतेके कारखानेमे काम कर चुकी थी । उमे मैंने सुदरी कहा है, क्योंकि मैं उसके गुणोका पुजारी हूँ, और सच्चा सीदर्य तो मनुष्यका गुण ही होता है । वेस्ट अपनी सासकी भी साथ लाये थे । यह भली बुद्धिया अभी जिंदा है । अपनी उद्यमशीलता और हसमुख स्वभावसे वह हम-सबको शर्माया करती थी ।

इधर तो मैंने गोरे मित्रोका विवाह कराया, उधर हिंदुस्तानी मित्रोको अपने बाल-बच्चोको बलवा लेनेके लिए उत्साहित किया । इससे फिनिक्स एक छोटा-सा गाव बन गया था । वहा पाच-सात हिंदुस्तानी-कुटुंब रहने और वृद्धि पाने लगे थे ।

२३

घरमें फेरफार और बाल-शिक्षा

इरवनमे जो घर बनाया था उसमे भी कितने ही फेरफार कर डाले थे । पर यहा खर्च बहुत रक्खा था, फिर भी झुकाव सादगीकी ही तरफ था । परतु जोहान्सवर्गमे 'मर्वोदय'के आदर्श और विचारोने बहुत परिवर्तन कराया ।

एक बैरिस्टरके घरमे जितनी सादगी रखी जा सकती थी उतनी तो रखी ही गई थी, फिर भी कितनी ही सामग्रीके बिना काम चलाना कठिन था । सच्ची सादगी तो मन की बढी । हर काम हायसे करनेका शौक बढा

और उसमें बालकोंको भी शामिल करनेका उद्योग किया गया ।

वाजारसे रोटी (डवल रोटी) खरीदनेके बदले घरमे हायसे बिना खमीरकी रोटी, कूनेकी बत्ताई पढतिले, बनाना शुरू किया । ऐसी रोटीमें मिलक आटा काम नही दे सकता । फिर मिलके आटेके बजाय हाथका आटा इस्तेमाल करनेमे सादगी, तदुरुस्ती और धन, सबकी अधिक रक्षा होती थी । इसलिए ७ पाँड खर्च करके हायसे आटा पीसनेकी एक चक्की खरीदी । इसका पहिया भारी था । इसलिए चलानेमे एकको दिक्कत होती थी और दो आदमी उसे आसानीसे चला सकते थे । चक्की चलानेका काम खासकर पोलक, मैं और बच्चे करते थे । कमी-कमी कस्तूरबाई भी आ जातीं । हालाकि वह प्राय उस समय रसोई करनेमें लगी रहती । श्रीमती पोलकके आनेपर वह भी उसमे जुट जाती । यह कसरत बालकोंके लिए बहुत अच्छी साबित हुई । उनसे मैने यह अथवा कोई दूसरा काम जवरदस्ती कभी नही करवाया, परनु वे एक खेल समझ कर उसका पहिया घुमाते रहते । एक जानेपर पहिया छोड देनेकी उन्हे छुट्टी थी । मैं नही कह सकता, क्या बात है कि क्या बालक और क्या दूसरे लोग, जिनका परिचय हम आगे करेंगे, किमीने कर्मा मुखे निराश नही किया है ।

यह नही कह सकते कि मद और ढीठ लडके मेरे नसीबमे न हो, परतु इनमेंसे बढतेरे अपने जिम्मेका काम वडी उमगसे करते । इस युगके ऐसे थोडे ही बालक मुखे याद पडने हैं, जिन्होने कामसे जी चुराया हो या कहा हो कि 'अब थक गये ।'

घर साफ रखनेके लिए एक नौकर था । वह कुटुबीकी तरह रहता था और बच्चे उसके काममें पूरी-भूरी मदद करते थे । पाखाना उठा ले जानेके लिए म्युनिसिपैलिटीका नौकर आता था, परतु पाखानेका कमरा साफ रखना, बैठक घोना बगैरा काम नौकरसे नही लिया जाता था और न इसकी आशा ही रखी जाती थी । यह काम हम लोग खुद करते थे, क्योंकि उसमें भी बच्चोको तालीम मिलती थी । इसका फल यह हुआ कि मेरे किमी भी लडकेको धुलने ही पाखाना साफ करनेकी धिन न रही और आरोग्यके सामान्य नियम भी वे सहज ही सीन गये । जोहान्सबर्गमे कोई बीमार तो शायद ही पडते, परतु यदि कोई बीमार होता तो उसकी सेवा आदिमें बालक अवश्य शामिल होते और वे इस कामको

बड़ी खुशीसे करते ।

यह तो नहीं कह सकते कि उनके अक्षर-ज्ञान अर्थात् पुस्तकी शिक्षाकी मैंने कोई परबाह नहीं की, परतु हा, मैंने उसका त्याग करनेमें कुछ सकोच नहीं किया । इस कमीके लिए मेरे लडके मेरी शिकायत कर सकते हैं और कई बार उन्होंने अपना असतोष प्रदर्शित भी किया है । मैं मानता हू कि उसमें कुछ अशक्त मेरा दोष है । उन्हें पुस्तकी शिक्षा देनेकी इच्छा मुझे बहुत हुआ करती, कोशिश भी करता, परतु इस काममें हमेशा कुछ-न-कुछ विघ्न आ खड़ा होता । उनके लिए घरपर दूसरी शिक्षाका प्रबन्ध नहीं किया था । इसलिए मैं उन्हें अपने साथ पैदल दफ्तर ले जाता । दफ्तर ढाई मील था । इसलिए सुबह-शाम मिलकर पाच मीलकी कसरत उनको और मुझे हो जाया करती । रास्ते चलते हुए उन्हें कुछ सिखानेकी कोशिश करता, पर वह भी जब दूसरे कोई साय चलनेवाले न होते । दफ्तरमें भविकिलो और मुशियोके सपर्कमें वे आते, मैं बता देता था तो कुछ पढते, हजर-उधर घूमते, बाजारसे कोई सामान-सौदा जाना हो तो लाते । सबसे जेठे हरिलालको छोडकर सब बच्चे इसी तरह परवरिश पाये । हरिलाल देशमें रह गया था । यदि मैं अक्षर-ज्ञानके लिए एक घटा भी नियमित रूपसे दे पाता तो मैं मानता कि उन्हें आदर्श शिक्षण मिला है, किंतु मैं यह नियम न रख सका, इसका दुःख उनको और मुझको रह गया है । सबसे बडे बेटेने तो अपने जीकी जलन मेरे तथा सर्वसाधारणके सामने प्रकट की है । दूसरोने अपने हृदयकी उदारतासे काम लेकर, इस दोषको अनिवार्य समझकर उसको सहन कर लिया है । पर इस कमीके लिए मुझे पछतावा नहीं होता और यदि कुछ है भी तो इतना ही कि मैं एक आदर्श पिता साबित न हुआ । परतु यह मेरा मत है कि मैंने अक्षर-ज्ञानकी आहुति भी लोक-सेवाके लिए दी है । हो सकता है कि उसके मूलमें अज्ञान हो, पर मैं इतना कह सकता हू कि वह सद्भावपूर्ण थी । उनके चरित्र और जीवनके निर्माण करनेके लिए जो-कुछ उचित और आवश्यक था, उसमें मैंने कोई कसर नहीं रहने दी है और मैं मानता हू कि प्रत्येक माता-पिताका यह अनिवार्य कर्त्तव्य है । मेरी इतनी कोशिशके बावजूद मेरे बालकोके जीवनमें जो खामिया दिखाई दी है, मेरा यह दृढ मत है कि वे हम दफ्तीकी खामियोका प्रतिबिम्ब हैं ।

बालकोको जिस तरह मा-बापकी आकृति विरासतमें मिलती है, उसी तरह उनके गुण-दोष भी विरासतमें अवश्य मिलते हैं। हा, आस-मासके वातावरणके कारण तरह-तरहकी घटा-बढ़ी जरूर हो जाती है, परंतु मूल पूजा तो वहीं रहती है, जो उन्हें बाप-दादोंसे मिली होती है। यह भी मैंने देखा है कि कितने ही बालक दोषोंकी इस विरासतसे अपनेको बचा लेते हैं, पर यह तो आत्माका मूल स्वभाव है, उसकी बलिहारी है।

मेरे और पोलकके दरमियान इन लड़कोंके अंग्रेजी-शिक्षणके विषयमें गरमागरम बातचीत होती रही है। मैंने शुरूसे ही यह माना है कि जो हिंदुस्तानी माता-पिता अपने बालकोको बचपनसे ही अंग्रेजी पटना और बोलना सिखा देते हैं वे उनका और देशका द्रोह करते हैं। मेरा यह भी मत है कि इससे बालक अपने देश की धार्मिक और सामाजिक विरासतमें वंचित रह जाते हैं और उस अगतक देशकी और जगत्की सेवा करनेके काम योग्य अपनेको बनाते हैं। इन कारण मैं हमेशा जान-बूझकर बालकोंके साथ गुजरातीमें ही बातचीत करता। पोलकको यह पसंद न आता। वह कहते— 'आप बालकोंके भविष्यको विगाडते हैं।' वह मुझे बड़े आग्रह और प्रेमसे समझाते कि अंग्रेजी-जैसी व्यापक भाषाको यदि बच्चे बचपनसे ही सीख लें तो ससारमें जो आज जीवन-सर्व्व चल रहा है उसकी एक बड़ी मजिल वे महजमें ही तय कर लेंगे। मुझे यह दलील न पटी। अब मुझे याद नहीं पडता कि अतको मेरा जवाब उन्हें जच गया या मेरी हठको देखकर वह स्यामोण हो रहे। यह बातचीत कोई वीस धरस पहुंची है। अब तो मेरे उन समयके ये विचार अनुभवमें और भी दृढ़ हो गये हैं और भूके ही मेरे बालक अक्षर-ज्ञानमें कच्चे रह गये हों, फिर भी उन्हें मानू-आपाका जो सामान्य ज्ञान सहज ही मिल गया है उनमें उनको और देशको लाभ ही हुआ है और आज वे परदेगी-ईने नहीं हो रहे हैं। वे दुभाषिया तो आत्सानीमें हो गये थे, क्योंकि बड़े अंग्रेज मित्र-मंडलके सहवानमें आनेमें और ऐसे देशमें रहनेमें जहा अंग्रेजी विशेषरूप से बोली जाती है, वे अंग्रेजी बोलना और मसूली निव्वना सीख गये थे।

२४

जुलू 'बलवा'

घर बनाकर बैठनेके बाद जमकर एक जगह बैठना मेरे नसीबमे लिखा ही नहीं। जोहान्सवर्गमें जमने लगा था कि एक ऐसी घटना हो गई जिसकी कल्पना भी नहीं थी। समाचार आये कि नेटालमें जुलू लोगोंने 'बलवा' खडा कर दिया है। मुझे जुलू लोगोसे कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने एक भी हिंदुस्तानी-को नुकसान नहीं पहुँचाया था। स्वयं 'बलवा'के बारेमें भी मुझे शक था, परंतु मैं उस समय अंग्रेजी सल्तनतको ससारके लिए कल्याण-कारी मानता था। मैं हृदयसे उसका वफादार था। उसका क्षय मैं नहीं चाहता था। इसलिए बल-प्रयोग विषयक नीति-अनीतिके विचार मुझे अपने इरादेसे रोक नहीं सकते थे। नेटालपर आपत्ति आवे तो उसके पास रक्षाके लिए स्वयंसेवक-सेना थी और आपत्तिके समय उसमें जरूरतके लायक और भरती भी हो सकती थी। मैंने अखबारोमें पढा कि स्वयंसेवक-सेना इस 'बलवा'को शांत करनेके लिए चल पडी थी।

मैं अपनेको नेटालवासी मानता था और नेटालके साथ मेरा निकट संबंध था ही। इसलिए मैंने वहाँके गवर्नरको पत्र लिखा कि यदि जरूरत हो तो मैं घायलोकी सेवा-शुश्रूषा करनेके लिए हिंदुस्तानियोंकी एक टुकडी लेकर जानेको तैयार हूँ। गवर्नरने तुरत ही इसको स्वीकार कर लिया। मैंने अनुकूल उत्तरकी अथवा इतनी जल्दी उत्तर आ जानेकी आशा नहीं की थी। फिर भी यह पत्र लिखनेके पहले मैंने अपना इतजाम कर ही लिया था कि यदि गवर्नर हमारे प्रस्तावको स्वीकार कर ले तो जोहान्सवर्गका घर तोड दे। पोलक एक अलग छोटा घर लेकर रहे और कस्तूरवाई फिनिक्स जाकर रहे। कस्तूरवाई इस योजनासे पूर्ण सहमत हुई। ऐसे कामोमें उसकी तरफसे कभी कोई रुकावट आनेका स्मरण मुझे नहीं होता। गवर्नरका जवाब आते ही मैंने मकान-मालिकको घर खाली करनेका एक महीनेका वाक़ायदा नोटिस दे दिया। कुछ सामान फिनिक्स गया और कुछ पोलकके पास रह गया।

डरबन पहुंचकर मैंने आदमी मागे । बहुत लोगोको जहरत न थी । हथ चौबीस आदमी तैयार हुए । उनमें मेरे अलावा चार गुजराती थे । शेष मदरास प्रांतके गिरमिट-मुक्त हिंदुस्तानी थे और एक पठान था ।

मुझे श्रीपथि-विभागके मुख्य अधिकारीने इन टुकड़ीमें 'सारजंट मेजर'का स्थायी पद दिया और मेरे पसंद किये दूसरे दो सज्जनोंको 'सारजंट'की और एक को 'कारपोरल'की पदविया दी । बर्दी भी सरकारकी तरफने मिली । इसका कारण यह था कि एक तो काम करनेवालोंके आत्म-सम्मानकी रक्षा हो, दूसरे काम सुविधा-पूर्वक हो, और तीसरे ऐसी पदवी देनेका बह्ना रिवाज भी था । इस टुकड़ीने छ मप्ताहतक सतत सेवा की ।

'बलबे'के स्थलपर जाकर मैंने देखा कि वहा 'बलवा' जैसा कुछ नहीं था । कोई सामना करता हुआ दिखाई नहीं पडा । उसे 'बलवा' माननेका कारण यह था कि एक जुलू सरदारने जुलू लोगोपर बैठाये नये करको न देनेकी सलाह उन्हे दी थी और एक सारजंटको, जो वहा कर बसूल करनेके लिए गया था, मार डाला था । जो भी हो, मेरा हृदय तो इन जुलूओंकी तरफ था और अपनी छावनीमें पहुंचनेपर जब हमें खासकरके जुलू धायलोंकी ही शुश्रूषाका काम दिया गया तब तो मुझे बड़ी खुशी हुई । उस डाक्टर अधिकारीने हमारी इस सेवाका स्वागत करते हुए कहा— "गोरे लोग इन धायलोंकी सेवा करनेके लिए तैयार नहीं होते मैं अकेला क्या करता ? इनके धाव साराव हो रहे हैं । आप आ गये, यह अच्छा हुआ । इसे मैं इन निरपराध लोगोपर ईश्वरकी कृपा ही समझता हू ।" यह कहकर मुझे पट्टिया और जलु-नाशक पानी दिया और उन धायलोंके पास ले गये । धायर हमें देखकर बड़े आनन्दित हुए । गोरे सिपाही जगलमेंसे झाक-झाककर हमकें धाव धोनेमें रोकनेकी चेष्टा करते और हमारे न सुननेपर वे जुलू लोगोको जो बुरी बुरी गालिया देते उन्हें झुनकर हमें कानोमें उगलिया देनी पड़ती ।

धीरे-धीरे इन गोरे सिपाहियोंके साथ भी मेरा परिचय हुआ और कि उन्होंने मुझे रोकना बंद कर दिया । इस सेनामें कर्नल स्पाक्स और कर्नल वायलैं थे, जिन्होंने १८९६में मेरा घोर विरोध किया था । वे मुझे इस काममें मम्मिलित देखकर चकित हो गये । मुझे खान तौरपर बुलाकर उन्होंने धन्यवाद दिया और जनरल मैकजीके पास मे जाकर उनमें मेरी मुलाकात करवाई ।

पाठक यह न समझ ले कि ये लोग पेसेवर सैनिक थे। कर्नल वायलीका पेशा था वकालत। कर्नल स्पाक्स कसाईखानेके एक प्रसिद्ध मालिक थे। जनरल मैकेजी नेटालके एक महाहूर किसान थे। ये सब स्वय-सेवक थे और स्वय-सेवक के रूपमें ही उन्होंने सैनिक शिक्षा और अनुभव प्राप्त किया था।

जिन रोगियोंकी गुश्मूषाका काम हमें सौपा गया था, वे लडाईमें घायल लोग न थे। उनमें एक हिस्सा तो था उन कैदियोंका जो शुबहपर पकड़े गये थे। जनरलने उन्हें कोड़े मारनेकी सजा दी थी। इससे उन्हें जख्म पड़ गये थे और उनका इलाज न होनेके कारण पक गये थे। दूसरा हिस्सा था उन लोगोका, जो जुलू-मित्र कहलाते थे। ये मित्रतादर्शक चिह्न पहने हुए थे। फिर भी इन्हे सिपाहियोंने भूलसे जस्मी कर दिया था।

इसके उपरांत खुद मुझे गोरे सिपाहियोंके लिए दवा लानेका और उन्हे दवा देनेका काम सौपा गया था। पाठकोको याद होगा कि डाक्टर बूथके छोटे-से अस्पतालमें मैंने एक सालतक इसकी तालीम हासिल की थी। इसलिए यहा मुझे दिक्कत न पडी। इसकी बदौलत बहुतेरे गोरोसे मेरा परिचय हो गया।

परंतु युद्ध-स्थलपर गई हुई सेना एक ही जगह नहीं पडी रहती। जहा-जहासे खतरेके समाचार आते वही जा दौडती। उनमें बहुतेरे तो घुड़-सवार थे। हमारी फौज अपने पडावसे चली। उसके पीछे-पीछे हमें भी डोलिया कघोपर रखकर चलना था। दो-तीन वार तो एक दिनमें चालीस मीलतक चलनेका प्रसंग आ गया था। यहा भी हमें तो बस वही प्रभुका काम मिला। जो जुलू-मित्र भूलसे घायल हो गये थे उन्हे डोलियोंमें उठाकर पडावपर लेजाना था और वहा उनकी सेवा-शुधूषा करनी थी।

२५

हृदय-मंथन

'जुलू-विद्रोह'में मुझे बहुतेरे अनुभव हुए और विचार करनेकी बहुत सामग्री मिली। बोअर-संग्राममें युद्धकी भयकरता मुझे उत्तनी नहीं मालूम हुई जितनी इस वार। यह लडाई नहीं, मनुष्यका अधिकार था। अकेले मेरा ही नहीं,

बल्कि दूसरे अंग्रेजोंका भी यही खयाल था। मुबह होते ही हमें सैनिकोंकी गोले-बारीकी आवाज पटाखेकी तरह मुनाई पडनी, जो गावोंमें जाकर गोलियां मारतं। इन शब्दोंको सुनना और ऐसी स्थितिमें रहना मुझे बहुत बुरा नालूम हुआ। परंतु मैं इस कड़ई घूटको पीकर रह गया और ईश्वर-नृपासे काम भी जो मुझे मिला वह भी जूनू लोगोंकी सेवाएँ ही। ननै यह तो देव लिया था कि यदि हमने इन कामके लिए कदम न डटाया होता तो हमारे कोई इनके लिए तैयार न होते। इन बातको स्मरण करके मैंने अंतरात्मानो ध्यान किया।

इस विभागमें आवादी बहुत कम थी। पहाड़ों और कंदराओंमें भले, मादे और जगली कहलानेवाले लालू लोगोंके कूबो (क्षोण्डे)के सिवा वहा कुछ नहीं था। इनमें वहाका दृश्य बडा भय्य दिलाई पडना था। मीनोतक जब हम दिना बस्तीके प्रदेशमें लगातार किनी घायलको लेकर अथवा ज्ञानी हाय सजिन तय करते तब मेरा मन तरह-तरहके विचारोंमें डूब जाता।

यहा ब्रह्मचर्य-विषयक मेरे विचार परिपक्व हुए। अपने नाबिकोंके साथ मैंने उनकी चर्चा की। हा, यह बात अभी मुझे स्पष्ट नहीं दिखाई देती थी कि ईश्वर-दर्शनके लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। परंतु यह बात मैं अच्छी तरह जान गया कि सेवाके लिए उराकी बहुत आवश्यकता है। मैं जानता था कि इस प्रकारकी सेवाएँ नुझे दिन-दिन अधिकधिक करनी पडेंगी और यदि मैं भोग-विलासमें, प्रजात्पत्तिमें, और उत्तम-पालनमें लगा रहा तो मैं पूरी तरह सेवा न कर सकूंगा। मैं दो थोडेपर सवारी नहीं कर सकता। यदि पत्नी इन समय गर्भवती होती तो मैं निश्चित होकर आज इन सेवा-कार्यमें नहीं कूद सकता था। यदि ब्रह्मचर्यका पालन न किया जाय तो कुटुंब-वृद्धि ननुष्यके उत्तम प्रयत्नकी विरोधक हो जाय, जो उसे समाजके अभ्युदयके लिए करना चाहिए, पर यदि विवाहित होकर भी ब्रह्मचर्यका पालन हो सके तो कुटुंब-सेवा समाज-सेवाकी विरोधक नहीं हो सकती। मैं इन विचारोंके अन्तर्में पड गया और ब्रह्मचर्यका व्रत ले लेनेके लिए कुछ अर्धार हो उठा। इन विचारोंसे मुझे एक प्रकारका आनंद हुआ और मेरा उत्साह बढ़ा। इस समय कल्पनामें मेरे सामने सेवाका क्षेत्र बहुत विस्तार कर दिया था।

ये विचार अभी मैं अपने मनमें गड़ रहा था और शरीरको कस ही रहा था

कि इतनेमें कोई यह अफवाह लाया कि 'बलवा' शान्त हो गया है और अब हमें छुट्टी मिल जायगी । दूसरे ही दिन हमें घर जानेका हुक्म हुआ और थोड़े ही दिनों बाद हम सब अपने-अपने घर पहुंच गये । इसके कुछ ही दिन बाद गवर्नरने इस सेवाके निमित्त मेरे नाम धन्यवाद का एक खास पत्र भेजा ।

फिनिक्समें पहुंचकर मैंने ब्रह्मचर्य-विषयक अपने विचार बड़ी तत्परतासे छगनलाल, मगनलाल, वेस्ट इत्यादिके सामने रखे । सबको वे पसंद आये । सबने ब्रह्मचर्यकी आवश्यकता समझी । परंतु सबको उसका पालन बड़ा कठिन मालूम हुआ । कितनोने ही प्रयत्न करनेका साहस भी किया और मैं मानता हू कि कुछ तो उसमें अवश्य सफल हुए हैं ।

मैंने तो उसी समय व्रत ले लिया कि आजसे जीवन-पर्यंत ब्रह्मचर्यका पालन करूंगा । इस व्रतका महत्त्व और उसकी कठिनता मैं उस समय पूरी न समझ सका था । कठिनाइयोंका अनुभव तो मैं आज तक भी करता रहता हू । साथ ही उस व्रतका महत्त्व भी दिन-दिन अधिकाधिक समझता जाता हू । ब्रह्मचर्य-हीन जीवन मुझे शुष्क और पशुवत् मालूम होता है । पशु-स्वभावतः निरंकुश है, मनुष्यका मनुष्यत्व इसी बातमें है कि वह स्वेच्छासे अपनेको अकुशले रखे । ब्रह्मचर्यकी जो स्तुति धर्मग्रंथोंमें की गई है उसमें पहले मुझे अत्युक्ति मालूम होती थी । परंतु अब दिन-दिन वह अधिकाधिक स्पष्ट होता जाता है कि वह बहुत ही उचित और अनुभव-सिद्ध है ।

वह ब्रह्मचर्य जिसके ऐसे महान् फल प्रकट होते हैं, कोई हसी-खेल नहीं है, केवल शारीरिक वस्तु नहीं है ।

शारीरिक अकुशले तो ब्रह्मचर्यका श्रीगणेश होता है । परंतु शुद्ध ब्रह्मचर्यमें तो विचार तककी मलिनता न होनी चाहिए । पूर्ण ब्रह्मचारी स्वप्नमें भी बुरे विचार नहीं करता । जबतक बुरे सपने आया करते हैं, स्वप्नमें भी विचार-प्रबल होता रहता है तबतक यह मानना चाहिए कि अभी ब्रह्मचर्य बहुत अपूर्ण है ।

मुझे तो कायिक ब्रह्मचर्यके पालनमें भी महाकष्ट सहना पड़ा । इस समय तो यह कह सकता हू कि मैं इसके विषयमें निर्भय हो गया हू, परंतु अपने विचारोपर अभी पूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर सका हू । मैं नहीं समझता कि

मेरे प्रयत्नमे कहीं कमर हो रही है, परन्तु मैं अब नर नहीं जान मना कि ऐसे-ऐसे विचार, जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, ब्रह्मने श्रीं विस नरह हमपर चडाई कर देते हैं। हा, इन बातमें मुझे कुछ भी मद्देह नहीं है कि विचारोंको भी रोक लेनेकी कुर्जी मनुष्यके पास है। पर अभी तो मैं इम निर्गमपर पडुचा ह कि वह चावी प्रत्येकको अपने लिए खोजनी पडती है। महापुरुष जो अनुभव अपने पीछे छोड़ गये हैं वे हमारे लिए मार्ग-दर्शक हैं उन्हें हम पूर्ण नहीं कह सकते। पूर्णता मेरी समझमें केवल प्रभु-प्रसादी है श्रीं उर्मीलिए भक्त लोग अपनी तपश्चर्यामे पुनौन करके रामनामादि भय हमारे लिए छोड़ गये हैं। मुझे विश्वास होता है कि अपनेको पूर्णरूपमे ईश्वरार्पण किये दिना विचारोंपर पूरी विजय कनी नहीं मिल सकती। समस्त धर्म-पुस्तकोंमे मैंने ऐसे वचन पडे हैं श्रीं अपने ब्रह्मचर्यके नूतनतम पालनके प्रयत्नके नवधर्म में उनकी सत्यताका अनुभव भी कर रहा हू।

परन्तु मेरी इम छटपटाहटका थोडा-बहुन इतिहास अगले अध्यायमें आने ही वाला है, इसलिए इस प्रकरणके अंतमें तो इतना ही कह देता हू कि अपने उत्साहके आवेगमें पहले-पहल तो मुझे इम वनका पालन मरग नालूम हुआ। परन्तु एक बात तो मैंने व्रत लेते ही शुरू कर दी थी। पत्नीके साथ एक शय्या अथवा एकांत-सेवनका त्याग कर दिया था। इस तरह इच्छा या अनिच्छासे जिन ब्रह्मचर्यका पालन मैं १९००से करता आया हू उसका आरंभ व्रतके रूपमें १९०६के मध्यमें हुआ।

२६

सत्याग्रहकी उत्पत्ति

बोहान्तरागमें मेरे लिए ऐसी रचना नैवार हो रही थी कि मेरी यह, एक प्रकारकी आत्म-शुद्धि मानो सत्याग्रहके ही निमित्त हुई हो। ब्रह्मचर्यका व्रत ले लेनेतक मेरे जीवनकी तमाम मुख्य घटनाएँ मुझे छिने-छिने सत्याग्रहके लिए ही तैयार कर रही थी, ऐसा अब दिखाई पडता है।

'सत्याग्रह' शब्दकी उत्पत्ति होनेके पहले सत्याग्रह वस्तुकी उत्पत्ति हुई है। जिस समय उसकी उत्पत्ति हुई उस समय तो मैं जूद भी नहीं जान सका कि यह

चीज दग्धनन नया है ।

गुजरातीमें हम उसे 'पैसिव रेजिस्टेंस' उम अंग्रेजी नाममें पहचानने लगे, पर जब गोंगोली एक मभामें मने देया कि 'पैसिव रेजिस्टेंस'का मकुचित मर्थ किता जाता है, वह निवंगका इयिगान ममजा जाता है, उममें द्वेपके अस्तित्वकी भी मभावना है और उमका अतिम रूप हिमामें परिणत हो मफता है तब मुझे उम शब्दका विरोध करना पडा और भागतीयोके मग्रामका सच्चा रूप लोगोको ममजाना पडा— और उस ममय हिंदुस्तानियोको अपने मग्रामका परिचय करानेके लिए एक नया शब्द गढनेकी जरूरत पडी ।

परन्तु मुझे उमके लिए कोई म्वना शब्द मूल नहीं पडता था । अतएव उमके नामके लिए एक नाम रक्या गया और 'इंडियन ओपीनियन'के पाठकोमें उमके लिए एक होड मुरू कराई । इमके फनस्वरूप मयनलाल गावीने 'सत् + आग्रह = सदाग्रह' शब्द बनाकर भेजा । उन्हे इनाम मिगा, परन्तु सदाग्रह शब्द को अधिक स्पष्ट रूग्नेके लिए मने बीबमें 'य' जोडकर सत्याग्रह शब्द बनाया, और फिर उम नाममें वह मग्राम पुकारा जाने लगा ।

इम युद्धके इतिहासकी दक्षिण अफ्रीकाके मेरे जीवनका और विशेष करके मेरे सत्यके प्रयोगोका इतिहास कह सकने है । इस युद्धका इतिहास मने बहुत-कुछ मरवदा-जेलमें मिय डाला था और ओपाय बाहर निकलनेपर पूरा कर डाला । वह मव 'नवजीवन'में रुमथ प्रकाशित हुआ है और वादको 'दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहका इतिहास' नाममें पुस्तक-रूपमें भी प्रकाशित हुआ है ।^१

जिन मज्जनोंने उम न पडा हो उनसे मैं पढ जानेकी सिफारिश करता हू । उम इतिहासमें जिन बातोंका उल्लेख हो चुका है उनको छोडकर दक्षिण अफ्रीकाके मेरे जीवनके कुछ खानगी प्रसंग जो उसमें रह गये है वही इन अव्यायोमें देनेका विचार करता हू और उनको पूरा हो जानेके वाद ही हिंदुस्तानके प्रयोगोका परिचय पाठकोको करानेकी इच्छा है ।

^१हिंदीमें यह 'सस्ता-साहित्य मण्डल,' नई दिल्लीसे प्रकाशित हुआ है । —मनुवादक

इसलिए इन प्रयोगोंके प्रसंगोंके क्रमको जो सज्जन अविच्छिन्न रखनी चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे अब अपने सामने 'दक्षिण शरीरोंके इतिहासके उन अध्यायोंको रख लें ।

२७

भोजनके और प्रयोग

अब मुझे एक फिक्र तो यह लगी कि मन, कर्म और वचनमें ग्रहचर्याका पालन किस प्रकार हो और दूसरी यह कि सत्याग्रह-संग्रामके लिए अधिक-से-अधिक समय किम तरह वचाया जाय और अधिक श्रुद्धि कैसे हो । इन दो फिक्रोंमें मुझे अपने भोजनमें अधिक नयम और अधिक परिवर्तनकी प्रेरणा की । फिर जो परिवर्तन मैं पहले मुख्यतः आरोग्यकी दृष्टिसे करता था वे अब धार्मिक दृष्टिसे होने लगे ।

इसमें उपवास और अत्याहारने अधिक स्थान लिया । जिनके अंदर विषय-वासना रहती है उनकी जीम बहुत स्वाद-लोलुप रहती है । यही स्थिति मेरी भी थी । जननेंद्रिय और स्वादेन्द्रियपर कब्जा करते हुए मुझे बहुत विडबनाए सहनी पड़ी है और अब भी मैं यह दावा नहीं कर सकता कि इन दोनोंपर मैंने पूरी विजय प्राप्त कर ली है । मैंने अपनेको अत्याहारी माना है । मित्रोंने जिसे मेरा नयम माना है उसे मैंने कभी वैसा नहीं माना । जितना अकृश मैं अपनेपर रख सका हूँ उतना यदि न रख सका होता तो मैं पशुसे भी गया-बीता होकर अबतक कमीका नाशको प्राप्त हो गया होता । मैं अपनी क्षामियोंको ठीक-ठीक जानता हूँ और कह सकता हूँ कि उन्हें दूर करनेके लिए मैंने भारी प्रयत्न किये हैं । और उसीसे मैं इतने सालतक इस शरीरको टिका सका हूँ और उससे कुछ काम ले सका हूँ ।

इस धारणा भान होनेके कारण और इस प्रकारकी सगति अनायास मिल जानेके कारण मैंने एकादशीके दिन फलाहार अथवा उपवास शुरू किये । जन्माष्टमी इत्यादि दूसरी तिथियोंपर भी उपवास करने लगा, परंतु समयकी दृष्टिसे फलाहार और अन्नाहारमें मुझे बहुत मेद दिखाई न दिया । अनाजके नामसे हम जिन वस्तुओंको जानते हैं उनमेंसे जो रस मिलता है वही फलाहारसे

भी मिनता है और आदत पटनके बाद तो मैंने देखा कि उनसे अधिक ही रस मिलता है। इन कारण उन तिथियोंके दिन सूखा उपवास भ्रयया एकामने 'को अधिक महत्त्व देना गया। फिर प्रायश्चित्त आदिका भी कोई निमित्त मिल जाता तो उस दिन भी एकगना कर डालता। इससे मैंने यह अनुभव किया कि शरीरके अधिक स्वच्छ हो जानेसे रसोकी वृद्धि हुई, भूख बढी और मैंने देखा कि उपवासादि जहा एक और नयमके साधन है वही दूसरी और वे भोगके साधन भी बन सकते हैं। यह ज्ञान हो जानेपर उनके ममर्थनमें उगी प्रणारके मेरे तथा दूसरोंके कितने ही अनुभव हुए हैं। मुझे तो यद्यपि अपना शरीर अधिक अच्छा और सुगठित बनाना था तथापि अब तो मुख्य हेतु वा समयको साधना और रसोको जीतना। इसलिए भोजनकी चीजोंमें और उनकी मात्रामें परिवर्तन करने लगा, परन्तु रस तो हाथ धोरर पीछे ही पड़े रहने। एक वस्तुको छोडकर जब उसकी जगह दूसरी वस्तु लेता तो उसमेंसे भी नये और अधिक रस उत्पन्न होने लगते।

इन प्रयोगोंमें मेरे साथ और साथी भी थे। हरमन केलनवेक इनमें मुख्य थे। इनका परिचय 'दक्षिण-अफ्रीकाके सत्याग्रहके इतिहास' में दे चुका हू। इसलिए फिर यहा देनेका इरादा छोड दिया है। उन्होंने मेरे प्रत्येक उपवासमें, एकासनमें एव दूसरे परिवर्तनोंमें, मेरा साथ दिया था। जब हमारे आबोरानका रग खूब जमा था तब तो मैं उन्हींके घरमें रहता था। हम दोनों अपने इन परिवर्तनोंके विषयमें चर्चा करते और नये परिवर्तनोंमें पुराने रसोसे भी अधिक रस पीते। उन समय तो ये सवाद बड़े भीठे भी लगते थे। यह नहीं मालूम होता था कि उनमें कोई बात अनुचित होती थी। पर अनुभवने सिखाया कि ऐसे रसोमें गोते खाना भी अनुचित था। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्यको रसके लिए नहीं, बल्कि शरीरको कायम रखनेके लिए ही भोजन करना चाहिए। प्रत्येक इन्द्रिया जब केवल शरीरके और शरीरके द्वारा आत्माके दर्शनके ही लिए काम करती है तब उनके रस शून्यवत् हो जाते हैं और तभी कह सकते हैं कि वह स्वाभाविक रूपमें अपना काम करती है।

ऐसी स्वाभाविकता प्राप्त करनेके लिए जितने प्रयोग किये जाय उतने

^१ दिनमें एक बार भोजन करना।

ही कम है और ऐसा करते हुए यदि अनेक शरीरोंकी आहुति देना पड़े तो भी हमें उसकी परवा न करनी चाहिए। पर अभी आज-कल उलटी गंगा बह रही है। नाशवान् शरीरको सुशोभित करने और उसकी आयुको बढ़ानेके लिए हम अनेक प्राणियोंका बलिदान करते हैं। पर यह नहीं समझते कि उससे शरीर और आत्मा दोनोंका हनन होता है। एक रोगको मिटाते हुए, इन्द्रियोंके भोगोंको भोगनेका उद्योग करते हुए, हम नये-नये रोग पैदा करने हैं और अतको भोग भोगनेकी शक्ति भी खो बैठते हैं। सबसे बढ़कर आश्चर्यकी बात तो यह है कि इस क्रियाको अपनी आँसोंके सामने होते हुए देखकर भी हम उसे देखना नहीं चाहते।

भोजनके प्रयोगोंका अभी मैं और वर्णन करना चाहता हूँ, इसलिए उसका उद्देश्य और नद्विषयक मेरी विचार-सरणि पाठकोंके सामने रख देना आवश्यक था।

२८

पत्नीकी दृढ़ता

कन्सूर्वाईपर तीन घाते हुई और तीनोंमें वह महज घरेलू इलाजसे बच गई। पहली घटना तो तबकी है जब सत्याग्रह-संग्राम चल रहा था। उसको बार-बार रक्तस्त्राव हुआ करता। एक डाक्टर मिथने नख्तर लगवानेकी सलाह दी थी। बड़ी आनाकानीके बाद वह नख्तरके लिए राजी हुई। शरीर बहुत क्षीण हो गया था। डाक्टरने बिना बेहोश किये ही नख्तर लगाया। उस समय उसे दर्द तो बहुत हो रहा था, पर जिम बीरजसे कन्सूर्वाईने उसे सहन किया है उसे देखकर मैं दातो तले अमुली देने लगा। नख्तर अच्छी तरह लग गया। डाक्टर और उसकी धर्मपत्नीने कन्सूर्वाईकी बहुत अच्छी तरह शुध्वा की।

यह घटना टरवनकी है। दो या तीन दिन बाद डाक्टरने मुझे निश्चिन्त होकर जोहान्मवर्ग जानेकी छुट्टी दे दी। मैं चला भी गया, पर थोड़े ही दिनमें समानान्तर मित्रे कि कन्सूर्वाईका शरीर बिलकुल मियटना नहीं है और वह मित्रोंमें उठ-बैठ भी नहीं मानी। एक बार बेहोश भी हूँ गई थी। डाक्टर जानन में कि मुझे कुछे दिना कन्सूर्वाईको भंगन या मार—दवामें अथवा

भोजनमें—नहीं दिया जा सकता था। सो उन्होंने मुझे जोहान्सवर्ग टेलीफोन किया—

“आपकी पत्नीको मैं मासका शोरवा और ‘वीफ टी’ देनेकी जरूरत समझता हूँ। मुझे इजाजत दीजिए।”

मैंने जवाब दिया, “मैं तो इजाजत नहीं दे सकता। परंतु कस्तूरबाई आजाद है। उसकी हालत पूछने लायक हो तो पूछ देखिए और वह लेना चाहे तो जरूर दीजिए।”

“वीमारसे मैं ऐसी बातें नहीं पूछना चाहता। आप खुद यहाँ आ जाइए। जो चीजें मैं बताता हूँ उनके खानेकी इजाजत यदि आप न दें तो मैं आपकी पत्नीकी जिंदगीके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ।”

यह सुनकर मैं उसी दिन डरवण रवाना हुआ। डाक्टरसे मिलनेपर उन्होंने कहा— “मैंने तो शोरवा पिलाकर आपको टेलीफोन किया था।”

मैंने कहा— “डाक्टर, यह तो विश्वासघात है।”

“इलाज करते वक्त मैं दगा-वगा कुछ नहीं समझता। हम डाक्टर लोग ऐसे समय बीमारको, उसके रिश्तेदारको, धोखा देना पुण्य समझते हैं। हमारा धर्म तो है जिस तरह हो सके रोगीको बचाना।” डाक्टरने वृद्धनापूर्वक उत्तर दिया।

यह सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ। पर मैंने शांति धारण की। डाक्टर मित्र थे, सज्जन थे। उनका और उनकी पत्नीका मुझपर बड़ा अहसान था। पर मैं उनके इस व्यवहारको बर्दाश्त करनेके लिए तैयार न था।

“डाक्टर, अब साफ-साफ बातें कर लीजिए। बताइए, आप क्या करना चाहते हैं? मेरी पत्नीको बिना उसकी इच्छाके मास नहीं देने दूंगा, उसके न लेनेसे यदि वह मरती हो तो इसे सहन करनेके लिए मैं तैयार हूँ।”

डाक्टर बोले—“आपका यह सिद्धांत मेरे घर नहीं चल सकता। मैं तो आपसे कहता हूँ कि आपकी पत्नी जबतक मेरे यहाँ है तबतक मैं मास अथवा जो कुछ देना मुनासिब समझूंगा जरूर दूंगा। अगर आपको यह मजूर नहीं है तो आप अपनी पत्नीको यहाँसे ले जाइए। अपने ही घरमें मैं इस तरह उन्हें नहीं मरने दूंगा।”

“तो क्या आपका यह मतलब है कि मैं पत्नीको अभी ले जाऊ ?”

“मैं कहा कहता हू कि ले जाओ। मैं तो यह कहता हू कि मुझपर कोई शर्त न लादो तो हम दोनोंसे इनकी जितनी सेवा हो सकेगी करोगे और आप आरामसे जाइए। जो यह सीवी-सी बात समझमें न आती हो तो मुझे मजबूरीसे कहना होगा कि आप अपनी पत्नीको मेरे घरसे ले जाइए।”

मेरा खयाल है कि मेरा एक लडका उस समय मेरे साथ था। उससे मैंने पूछा तो उसने कहा— “हां, आपका कहना ठीक है। वा को मास कैसे दे सकते हैं ?”

फिर मैं कस्तूरबाईके पास गया। वह बहुत कमजोर हो गई थी। उससे कुछ भी पूछना मेरे लिए दुःखदायी था। पर अपना धर्म समझकर मैंने ऊपरकी बातचीत उमे थोड़ेमें समझा दी। उसने दृढ़तापूर्वक जवाब दिया— “मैं मासका शोरबा नहीं लूगी। यह मनुष्य-देह बार-बार नहीं मिला करती। आपकी गोदीमें मैं भर जाऊ तो परवाह नहीं, पर अपनी देहको मैं भ्रष्ट नहीं होने दूगी।”

मैंने उसे बहुतेरा समझाया और कहा कि तुम मेरे विचारोंके अनुसार चलनेके लिए बाध्य नहीं हो। मैंने उसे यह भी वता दिया कि कितने ही अपने परिचित हिंदू भी दवाके लिए दराव और माम लेनेमें परहेज नहीं करते। पर वह अपनी वानमे विलकुल न डिगी और मुझने कहा— “मुझे यहासे ले चलो।”

यह देखकर मैं बड़ा नुज हुआ। किनु ले जाते हुए बड़ी चिंता हुई। पर मैंने तो निश्चय कर ही डाला और डाक्टरको भी पत्नीका निश्चय सुना दिया।

वह विगडकर बोले— “आप तो बड़े घातक पति मालूम होते हैं। ऐसी नाजुक हालतमें उस बेचारीसे ऐसी बात करते हुए आपको शर्म नहीं मालूम हुई ? मैं कहता हू कि आपकी पत्नीकी हालत यहासे ले जानेके लायक नहीं है। उनके शरीरकी हालत ऐसी नहीं है कि जरा भी धक्का सहन कर सके। रास्ते हीमें दम निगल जाय तो नाजुब नहीं। फिर भी आप हठ-धर्मीन न मानें तो आप जानें। यदि शोरबा न देने दें तो एक रात भी उन्हें मेरे घरमें रखनेकी जोखिम मैं नहीं लेना।”

रिमझिम-रिमझिम मैं वरम रहा था। स्टेपन दूर था। डरबनसे फिनिससतक रेल रास्ते और फिनिसससे लगभग ढाई मीलतक पैदल जाना था।

घतरां पूरा-पूरा था। पर मैंने यहीं सोच लिया कि ईश्वर सब तरह मदद करेगा। पहले एक आदमीको फिनिक्स भेज दिया। फिनिक्समें हमारे यहाँ एक हैमक था। हैमक कहते हैं जालीदार कपड़े की झोली अथवा पालनेको। उसके सिरोको बाससे बांध देनेपर बीमार उसमें आरामसे झूला करता है। मैंने बेस्टको कहलाया कि वह हैमक, एक बोतल गरम दूध, एक बोतल गरम पानी और छ आदमियोंको लेकर फिनिक्स स्टेशनपर आ जाय।

जब दूसरी ट्रेन चलनेका समय हुआ तब मैंने रिक्शा मगाई और उस भयंकर स्थितिमें पत्नीको लेकर चल दिया।

पत्नीकी हिम्मत दिलानेकी मुझे जरूरत नहीं पड़ी, उलटा मुझीको हिम्मत दिलाते हुए उसने कहा— “मुझे कुछ नुकसान न होगा, आप चिंता न करे।”

इस ठठरीमें वजन तो कुछ रही नहीं गया था। खाना पेटमें जाता ही न था। ट्रेनके डब्बेतक पहुंचनेके लिए स्टेशनके लंबे-चौड़े प्लेटफार्मपर दूरतक चलकर जाना था, क्योंकि रिक्शा वहातक पहुंच नहीं सकती थी। मैं उसे सहारा देकर डब्बेतक ले गया। फिनिक्स स्टेशनपर तो वह झोली आ गई थी, उसमें हम रोगीको आरामसे घरतक ले गये। वहा केवल पानीके उपचारसे धीरे-धीरे उसका शरीर बनने लगा। फिनिक्स पहुंचनेके दो-तीन दिन बाद एक स्वामीजी हमारे यहाँ पवारे। जब हमारी हठ-धर्मीकी कथा उन्होंने सुनी तो हमपर उनको बड़ा तरस आया और वह हम दोनोंको समझाने लगे।

मुझे जहातक याद आता है, मणिलाल और रामदास भी उस समय मौजूद थे। स्वामीजीने मासाहारकी निर्दोषतापर एक व्याख्यान झाड़ा, मनुस्मृति के श्लोक सुनाये। पत्नीके सामने जो इसकी बहस उन्होंने छोड़ी, यह मुझे अच्छा न मालूम हुआ, परंतु शिष्टाचारकी खातिर मैंने उनमें दखल न दिया। मुझे मासाहारके समर्थनमें मनुस्मृतिके प्रमाणोंकी आवश्यकता न थी। उनका पता मुझे था। मैं यह भी जानता था कि ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें प्रक्षिप्त समझते हैं। यदि वे प्रक्षिप्त न हों तो भी अघाहार-संबंधी मेरे विचार स्वतंत्र-रूपसे बन चुके थे, पर रूस्तुरवार्द की तो श्रद्धा ही काम कर रही थी, वह बेचारी शास्त्रोंके प्रमाणोंको क्या जानती? उसके नजदीक तो परम्परागत रूढ़ि ही धर्म था। लड़कोंको अपने पिताके धर्मपर विश्वास था, इससे वे स्वामीजीके साथ विनोद करते जाते

थे। अतः कम्प्यूटर्स ने यह कहकर इम बह्मको बदल कर दिया—

“स्वामीजी, आप कुछ भी कहिए, मैं मानका धोरवा साकर चगी हीना नहीं चाहती। अब बडी दया होगी, अगर आप मेरा सिर न खपावे। मैंने तो अपना निश्चय आपसे कह दिया। अब और बातें रह गई हों तो आप इन लडकोंके वापसे जाकर कीजिएगा।”

२६

घरमें सत्याग्रह

१९०८में मुझे पहली बार जेलका अनुभव हुआ। उस समय मुझे यह बात मालूम हुई कि जेलमें जो कानून ही नियम कैदियोंसे पालन कराये जाते हैं वे एक समयको अथवा ब्रह्मचारीको स्वेच्छा-पूर्वक पालन करना चाहिए।^१ जैसे कि कैदियोंको सूर्यास्नके पहले पांच बजेतक भोजन कर लेना चाहिए। उन्हें फिर वे हल्की हो या हिंदुस्तानी— चाय या काफी न दी जाय, नमक खाना हो तो अलहदा ले, स्वादके लिए कोई चीज न खिलाई जाय। जब मैंने जेलके डाक्टरसे हिंदुस्तानी कैदियोंके लिए ‘करी पाउडर’ मागा और नमक रमोर्ड पकाते वक्त ही डालनेके लिए कहा तब उन्होंने जबाब दिया कि “आप लोग यहा स्वादिष्ट चीजें खानेके लिए नहीं आये हैं। आरोग्यके लिए ‘करी पाउडर’की विलकुल जरूरत नहीं। आरोग्यके लिए नमक चाहे ऊपरसे लिया जाय, चाहे पकाते वक्त डाल दिया जाय, एक ही बात है।”

लेर, वहा तो बडी मुश्किलसे हम लोग भोजनमें आवश्यक परिवर्तन करा पाये थे, परतु समयकी दृष्टिसे जब उनपर विचार करते हैं तो मालूम होता कि ये दोनों प्रतिबन्ध अच्छे ही थे। किनीकी जबरदस्तीमें नियमोंका पालन करनेमें उसका फल नहीं मिलता। परतु स्वेच्छामें ऐसे प्रतिबन्धका पालन

^१ ये अनुभव हिन्दीमें ‘मेरे जेलके अनुभव’ के नामसे प्रताप-प्रेस, कानपुर, से पुस्तकालय प्रकाशित हो चुके हैं। १९१६-१७ में मैंने इनका अनुवाद प्रताप-प्रेसके लिए किया था।—अनुवादक

किया जाय तो वह बहुत उपयोगी हो सकता है । अतएव जेलसे निकलनेके वाद मैंने तुरत इन बातोंका पालन शुरू कर दिया । जहातक हो सके चाय पीना बंद कर दिया और शामके पहले भोजन करनेकी आदत डाली, जो आज स्वाभाविक हो बैठी है ।

परतु ऐसी भी एक घटना घटी, जिसकी वदौलत मैंने नमक भी छोड़ दिया था । वह क्रम लगभग दस वरसतक नियमित रूपसे जारी रहा । अन्नाहार-सबधी कुछ पुस्तकौमे मैंने पढा था कि मनुष्यके लिए नमक खाना आवश्यक नहीं है । जो नमक नहीं खाता है आरोग्यकी दृष्टिसे उसे लाभ ही होता है और मेरी तो यह भी कल्पना दौड गई थी कि ब्रह्मचारीको भी उससे लाभ होगा । जिसका शरीर निर्बल हो उसे दाल न खानी चाहिए, यह मैंने पढा था और अनुभव भी किया था । परतु मैं उसी समय उन्हें छोड़ न सका था, क्योंकि दोनों चीजें मुझे प्रिय थी ।

नस्तर लगानेके वाद यद्यपि कस्तूरदाईका रक्तस्त्राव कुछ समयके लिए बंद हो गया था, तथापि वादको वह फिर जारी हो गया । श्रवकी वह किसी तरह मिटाये न मिटा । पानीके इलाज बेकार साबित हुए । मेरे इन उपचारों-पर पत्नीकी बहुत श्रद्धा न थी, पर साथ ही तिरस्कार भी न था । दूसरा इलाज करनेका भी उसे आग्रह न था, इसलिए जब मेरे दूसरे उपचारोंमें सफलता न मिली तब मैंने उसको समझाया कि दाल और नमक छोड़ दो । मैंने उसे समझानेकी हव कर दी, अपनी बातके समर्थनमे कुछ साहित्य भी पढकर सुनाया, पर वह नहीं मानती थी । अतको उसने झुंझलाकर कहा— “दाल और नमक छोड़नेके लिए तो आपसे भी कोई कहे तो आप भी न छोड़ेंगे ।”

इस जवाबको सुनकर, एक ओर जहा मुझे दुःख हुआ तहा दूसरी ओर हर्ष भी हुआ, क्योंकि इससे मुझे अपने प्रेमका परिचय देनेका अवसर मिला । उस हर्षसे मैंने तुरत कहा, “तुम्हारा खयाल गलत है, मैं यदि बीमार होऊँ और मुझे यदि वैद्य इन चीजोंको छोड़नेके लिए कहे तो जरूर छोड़ दूँ । पर ऐसा क्यों ? लो, तुम्हारे लिए मैं आज हीसे दाल और नमक एक सालतक छोड़ देता हूँ । तुम छोडो या न छोडो, मैंने तो छोड दिया ।”

यह देवकर पत्नीको बडा पश्चात्ताप हुआ । वह कह उठी—“माफ

करो, आपका मिजाज जानते हुए भी यह बात मेरे मुहसे निकल गई। अब मैं तो दाल और नमक न खाऊंगी, पर आप अपना बचन वापस ले लीजिए। यह तो मुझे भारी सजा दे दी।”

मैंने कहा— “तुम दाल और नमक छोड़ दो तो बहुत ही अच्छा होगा। मुझे विश्वास है कि उससे तुम्हें लाभ ही होगा, परन्तु मैं जो प्रतिज्ञा कर चुका हूँ वह नहीं टूट सकती। मुझे भी उसने लाभ ही होगा। हर किमी निमित्तसे मनुष्य यदि संयमका पालन करता है तो इससे उसे लाभ ही होता है। इसलिए तुम इस बातपर जोर न दो, क्योंकि इससे मुझे भी अपनी आजमाइश कर लेनेका मौका मिलेगा और तुमने जो इनको छोड़नेका निश्चय किया है, उसपर दृढ़ रहनेमें भी तुम्हें मदद मिलेगी।” इतना कहनेके बाद तो मुझे मनानेकी आवश्यकता रह नहीं गई थी। “आप तो बड़े ही हैं, किमीका कहा मानना आपने भीखा ही नहीं।” यह कहकर वह आगू बहानी हुई चुप हो रही।

इनको मैं पाठकोंके सामने नत्प्राग्रहके तौरपर पेश करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इसे अपने जीवनकी भीठी स्मृतियोंमें गिनता हूँ।

इसके बाद तो कस्तूरवाईका न्वास्थ्य खूब समूलने लगा। अब यह नमक और दालके त्यागका फल है, या उन त्यागसे हुए भोजनके छोटे-बड़े परिवर्तनोंका फल था, या उसके बाद दूसरे नियमोन्मा पालन करानेकी मेरी जागरूकताका फल था, या इस घटनाके कारण जो मानसिक उल्लास हुआ उसका फल था, वह मैं नहीं कह सकता। परन्तु यह बात जरूर हुई कि कस्तूरवाईका सूखा शरीर फिर पनपने लगा। रक्तचाप बढ़ हो गया और वैद्यराजके नामसे मेरी साँझ कुछ बट गई।

खुद मुझपर भी इन दोनों चीजोंको छोड़ देनेका अच्छा ही असर हुआ। छोड़ देनेके बाद तो नमक या दाल खानेकी इच्छातक न रही। यो एक साल बीतते देर न लगी। इससे उद्विग्नकी शांतिका अधिक अनुभव होने लगा और मनकी वृद्धि की तरफ मन अधिक दौड़ने लगा। एक वर्ष पूरा हो जानेपर भी दाल और नमकका त्याग तो ठेठ देगमें आनेतक जारी रहा। हाँ, बीबमें सिर्फ एक ही बार विलायतमें १९१४में, दाल और नमक खाया था, पर इस घटनाका तथा देशमें आनेके बाद इन चीजोंको शुरू करनेके कारणों का वर्णन पीछे करूँगा।

नमक और दाल छुटानेके प्रयोग मने साथियोपर खूब किये हे और दक्षिण अफ्रीकामें तो उनके परिणाम अच्छे ही आये थे । वैद्यकी दृष्टिसे इन दोनो चीजोंके त्यागके सबबमें दो मत हो सक्ते हे । पर रायमकी दृष्टिसे तो इनके त्यागमें लाभ ही हे, इसमें सदेह नही । भोगी और सयमीका भोजन और मार्ग अवश्य ही जुदा-जुदा होना चाहिए । ब्रह्मचर्य पालन करनेकी इच्छा करनेवाले लोग भोगीका जीवन विताकर ब्रह्मचर्यको कठिन और कितनी ही बार प्राय अशक्य कर डालते हे ।

३०

संयमकी ओर

पिछले अध्यायमें यह बात कह चुका हू कि भोजनमें कितने ही परिवर्तन कस्तूरबाईकी बीमारीकी वदौलत हुए । पर अब तो दिन-दिन उसमें ब्रह्मचर्यकी दृष्टिमें परिवर्तन करता गया ।

पहला परिवर्तन हुआ दूधका त्याग । दूधसे इन्द्रिय-विकार पैदा होते हे, यह बात में पहले-पहल रायचदभाईसे समझा था । अन्नाहार-सवधी अग्रेजी पुस्तकें पढ़नेमें इस विचारमें वृद्धि हुई । परतु जबतक ब्रह्मचर्यका व्रत नही लिया था तबतक दूध छोडनेका इरादा खास तौरपर नही कर सका था । यह बात तो में कभीसे समझ गया था कि शरीर-रक्षाके लिए दूधकी आवश्यकता नही हे, पर उसका सहसा छूट जाना कठिन था । एक ओर में यह बात अधिकाधिक समझता ही जा रहा था कि इन्द्रियदमनके लिए दूध छोड देना चाहिए कि दूसरी ओर कलकत्तामें ऐसा साहित्य मेरे पास पहुचा जिसमें ग्वाले लोगोके द्वारा गाय-भंसोपर होनेवाले अत्याचारों का वर्णन था । इस साहित्यका मुझपर बडा बुरा असर हुआ । और उसके सबबमें मैंने मि० केलनवेकसे भी बातचीत की ।

हालाकि मि० केलनवेकका परिचय में 'सत्याग्रहके इतिहास'में करा चुका हू और पिछले एक अध्यायमें भी उनका उल्लेख कर गया हू, परतु यहां उनके सबब में दो शब्द अधिक कहनेकी आवश्यकता हे । उनकी मेरी मुनाकात अनायास होगई थी । मि० खानके वह मित्र थे । मि० खानने देखा कि उनके अदर गहरा

वैराग्यभाव था। इसलिए येग घबराव है कि उन्होंने उनमें मेरी मुलाकात करगई। जिन दिनों उनमें मेरा परिचय हुआ उन दिनोंकि उनके पीरु और आह-वर्चोंका देखकर मैं चौंक उठा था, परनु पहली ही मुलाकातमें मुझे उन्होंने घर्मके विषयमें प्रश्न किया। उनमें बुद्ध भगवान्की बात सहज ही निबल पडी। तबमे हमारा सपर्क बढ़ता गया। वह इस हदतक कि उनके मनमें यह निश्चय हो गया कि जो काम में फल वह उन्हें भी अवश्य करना चाहिए। वह अकेले थे। गकैलेके लिए मकान-वर्चके अलावा लगभग १२००) रुपये मासिक खर्च करते थे। ठेके यहामे अतको इतनी नादगीपर आ गये कि उनका मासिक खर्च (१२०) रुपये हो गया। मेरे घर-घार बिलेर देन और जेलने आनेके बाद तो हम दोनो एक साथ रहने लगे थे। उस समय हम दोनो अपना जीवन अकेलाइन बहून कड़ाईके साथ बिता रहे थे।

दूधके सबबमें जब मेरा उनसे चार्त्तालाप हुआ तब हम नामिल रहते थे। एक बार मि० केमनवेकने कहा कि "जब हम दूधमें इतने दोष बताते हैं तो फिर उमे छोड क्यों न दें ? वह अनिवार्य तो है ही नहीं।" उनकी इस रायको मुनकर मुझे बडा आनन्द और आश्चर्य हुआ। मैंने तुरत उनकी बातका स्वागत किया और हम दोनोने टालस्टाय-फार्ममें उमी क्षण दूधका त्याग कर दिया। यह बात १९१२ की है।

पर हमें इतने त्यागमें शांति न हुई। दूध छोड देनेके थोडे ही समय बाद केवल फलपर रहनेका प्रयोग करनेका निश्चय किया। फलाहारमें भी धारणा यह रखी गई थी कि सस्ते-से-सस्ते फलमें काम चलाया जाय। हम दोनोकी आकाशा यह थी कि गरीब लोगोके अनुसार जीवन व्यतीत किया जाय। हमने अनुभव किया कि फलाहारमें सुविधा भी बहुत होती है। बहुतायतमें चूल्हा मुलगानेकी जरूरत नहीं होती। इसलिए कच्ची भूगफनी, केले, खजूर, नीबू और जूतून का तेल, यह हमारा मामूली खाना हो गया था।

जो लोग ब्रह्मचर्यका पालन करनेकी इच्छा रखते हैं उनके लिए एक चेतवनी देनेकी आवश्यकता है। यद्यपि मैंने ब्रह्मचर्यके साथ भोजन और उपवासका निकट सवध बनाया है, फिर भी यह निश्चित है कि उत्तना मन्थ आधार है हमारा मन। मलिन मन उष्वामने गुद नहीं होता, भोजनका उनपर असर

नहीं होता। मनकी मलिनता विचारसे, ईश्वर-ध्यानमें, और अतको ईश्वर-प्रसादसे मिटती है, परंतु मनका शरीरके साथ निकट संबध है और विकार-युक्त मन अपने अनुकूल भोजनकी तलागमे रहता है। सविकार मन अनेक प्रकारके स्वाद और भोगोको खोजता रहता है और फिर उस भोजन और भोगोका असर मनपर होता है। इस अशक्त भोजनपर अकुश रखनेकी और निराहारकी आवश्यकता अवश्य उत्पन्न होती है।

विकार-युक्त मन शरीर और इन्द्रियोपर अपना अधिकार करनेके बदले शरीर और इन्द्रियोके अधीन चलता है। इस कारण भी शरीरके लिए शुद्ध और कम विकारोत्पादक भोजनकी मर्यादाकी और प्रसंगोपात्त निराहारकी, उपवासकी, आवश्यकता रहती है। इसलिए जो यह कहते हैं कि एक सयमीके लिए भोजन-सबधी मर्यादाकी या उपवासकी आवश्यकता नहीं, वे उतने ही भ्रममें पड़े हुए हैं, जितना कि भोजन और निराहारको सब-कुछ समझनेवाले पड़े हुए हैं। मेरा तो अनुभव यह सिखलाता है कि जिसका मन सयमकी ओर जा रहा है उसके लिए भोजनकी मर्यादा और निराहार बहुत सहायक होते हैं। उसकी मददके बिना मनकी निर्विकारता असभव मालूम होती है।

३१

उपवास

जिन दिनों दूध और अनाजको छोड़कर फलाहारका प्रयोग शुरू किया उन्ही दिनों सयमके उद्देश्यसे उपवास भी शुरू किया। इसमें भी मि० केलनबेक मेरे साथी हुए। पहले जो उपवास करता था वह केवल आरोग्यकी दृष्टिसे। देह-दमनके लिए उपवास करनेकी आवश्यकता है, यह वात में एक मित्रकी प्रेरणा से समझा। वैष्णव-कुटुंबमें जन्म होनेके कारण मेरी माता कठिन-कठिन व्रत किया करती थी। इससे एकादशी इत्यादि व्रत मैंने देशमें किये थे, परंतु वह तो देखा-देखी अथवा माता-पिताको खुश करनेके हेतुसे। उस समय मैं यह नहीं समझा था, कि ऐसे व्रतोसे कुछ लाभ होता है, परंतु इन मित्रको देखकर तथा अपने ब्रह्मचर्य-व्रतके सहारेके लिए, मैं उनका अनुकरण करने लगा और एकादशीके

दिन उपवास करनेका निश्चय किया। आम तौरपर लोग एकादशीके दिन दूध और फल खाकर मानते हैं कि एकादशी कर ली, परंतु मैं तो यह फलाहारवाला उपवास नित्य ही करता था। इसलिए पानी पीनेकी छट्टी रखकर मैंने निराहार उपवास शुरू किया।

जिन दिनों इन उपवासके प्रयोगका आरंभ हुआ, श्रावण मास पड़ता था। उन साल रमजान और श्रावण मास एक साथ आये थे। गांधी-कुटुंबमें वैष्णव व्रतोंके साथ गैर व्रतोंका भी पालन किया जाता था। हमारे परिवारके लोग जिस प्रकार वैष्णव देवालयोंमें जाते उसी प्रकार सिवालयोंमें भी जाते। श्रावण-मासमें प्रदोष तो हर माल कुटुंबमें कोई-न-कोई रखता ही था। इसलिए मैंने डम वार श्रावण मास के व्रत रखनेका इरादा किया।

इस महत्त्वपूर्ण प्रयोगका आरंभ टॉलेस्टाय-आश्रममें हुआ। वहा सत्याग्रही कैदियोंके कुटुंबोंको एकत्रकर मैं और केलनबेक रहते थे। उनमें बालक और नवयुवक भी थे। उनके लिए एक पाठशाला रखी थी। इन नवयुवकोंमें चार-पाच मुसलमान भी थे। उन्हें मैं इस्लामके नियम पालनेमें मदद करता और उत्तेजन देता। नमाज वगैरकी महूलियत कर देता। आश्रममें पारसी और ईसाई भी थे। नियम यह था कि नवको अपने-अपने धर्मके अनुसार चलनेके लिए प्रोत्साहन दिया जाय। इसलिए मुसलमान नवयुवकोंको मैंने रोजा रखनेमें उत्तेजन दिया और मुझमें तो प्रदोष रखने ही थे। परन्तु हिन्दुओं, पारसियों और ईसाइयों को भी मैंने मुसलमान नवयुवकोंका साथ देनेकी सलाह दी। मैंने उन्हें समझाया कि समय-पालनमें सबका नाय देना मूल्य है। बहुतेरे आश्रम-वाणियोंने मेरी बात पसंद की। हिंदू और पारसी लोग मुसलमान साथियोंका पूरा-पूरा अनुकरण नहीं करते वे करनेकी आवश्यकता भी नहीं थी। मुसलमान इधर सूरज डूबनेकी गृह देवते नबतरु इनके लोग उनमें पहले भोजन कर लेते कि जिनमें वे मुसलमानोंको परगोन नके और उनके लिए चाम चीजें तैयार कर सकें। इसके अलावा मुसलमान नग्नही रहने— अर्थात् व्रतके दिनोंमें नबरे नूयोंदयके पहले भोजन करते थे; पर इनके लोग उममें गरौक नहीं होते थे। इधर मुसलमान तो दिन में भी पानी नहीं पीते थे, पर इनके लोग जब चाहते पी लिया करते।

इन प्रयोगका एक फल यह निकला कि उपवास और एकामनेका महत्त्व

सब लोग समझने लगे । एक-दूसरेके प्रति उदारता और प्रेमका भाव बढ़ा । आश्रममें अन्नाहारका ही नियम था, पर मुझे यह बात इस स्थानपर प्रसन्नताके साथ स्वीकार करनी चाहिए कि इस नियमको दूसरे मित्रोंने भासके प्रति मेरे मनोभावों का ही खयाल करके स्वीकार किया था । रोजेके दिनोमें मुसलमानोंको मास न खाना जरूर कठिन पड़ा होगा, परंतु उन नवयुवकोंमेंसे किसीने मुझे इस बातका अनुभव न होने दिया । वे बड़े आनंद और स्वादके साथ अन्नाहार करते । हिंदू बालक ऐसी स्वादिष्ट चीजें भी उनके लिए तैयार करते, जो आश्रम-जीवनके प्रतिकूल न होती ।

अपने उपवासका वर्णन करते हुए यह विषयांतर मैंने जान-बूझकर किया है, क्योंकि मैं इस मधुर प्रसंगका वर्णन दूसरी जगह नहीं कर सकता था और इस विषयांतरके द्वारा मैंने अपनी एक टेवका वर्णन भी यहां कर डाला है । जब मुझे यह मालूम होता कि जो काम मैं कर रहा हू वह अच्छा है तो मैं अपने साथियोंको भी हमेशा उसमें शामिल करनेका प्रयत्न करता हू । यह उपवास और एकासनके प्रयोग यद्यपि एक नई चीज थी, फिर भी प्रदोष और रमजानके बहाने मैंने उसमें सबको घसीट मारा ।

इस प्रकार आश्रममें सयमका वातावरण अनायास बढ़ा । दूसरे उपवास और एकासनेमें भी आश्रमवासी शामिल होने लगे और मैं मानता हू कि इसका परिणाम भी अच्छा ही निकला । यह वान मैं निश्चय-पूर्वक नहीं कह सकता कि सयमका असर सबके हृदयपर कितना हुआ, सबकी विषयेच्छाको रोकनेमें कितना भाग उपवास आदिका था, पर मेरा तो यही अनुभव है कि मुझपर तो आरोग्य और इन्द्रिय-दमन दोनों दृष्टियोंसे उसका अच्छा असर हुआ है । फिर भी मैं यह जानता हू कि उपवास आदिका असर सब पर अवश्य हो, यह अनिवार्य नियम नहीं है । हा, जो उपवास इन्द्रिय-दमनके उद्देश्यसे किये जाते हैं उनसे विषयेच्छामें रूकावट हो सकती है । कितने ही मित्रोंका तो यह भी अनुभव है कि उपवासके अंतमें विषयेच्छा और स्वादेच्छा तीव्र हो जाती है । इसका अर्थ यह हुआ कि यदि उपवासके दिनोमें विषयेच्छाको रोकनेकी और स्वादको जीतनेकी सतत भावना रहे तभी गुंम फल होता है । बिना इस हेतु के और बिना मनके किये गारौरिक उपवासका फल ऐसा होगा कि जिससे विषयोका वेग रुक जाय, यह

मानना बिलकुल अमर्ण है। गीताके दूसरे अध्याय का यह श्लोक इस प्रसंग-पर बहुत विचार करने योग्य है—

द्विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना ।

रसवर्जं रसोऽप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्तते ॥

उपवामी के विषय (उपवासके दिनोंमें) शमन हो जाते हैं, परन्तु उनका रस नहीं जाता। रस नो ईस्वर-दर्शन से ही—ईस्वर प्रसादसे ही शमन होते हैं।

इससे हम इस नतीजेपर पहुँचे कि उपवाम आदि सयमीके मार्गमें एक साधनके रूपमें आवश्यक है, परन्तु वही नव-कुछ नहीं है। और यदि शारीरिक उपवामके साथ मनका उपवास न हो तो उसकी परिणति दममें हो सकती है और वह हानिकारक साबित हो सकती है।

३२

मास्टर साहब

मत्याग्रहके इतिहासमें जो बात नहीं आ सकी अथवा आशिक रूपमें आई है वही इन अध्यायोंमें लिखी जा रही है। इस बातको पाठक बाद रक्खेगे तो उन अध्यायोंका पूर्वापर नवव वे समझ सकेंगे।

टाँन्टाय-आश्रममें लडको और लडकियोंके लिए कुछ शिक्षण-प्रबव आवश्यक था। मेरे नाब दिह, मुनलमान, पारसी और ईसाई नवयुवक थे, और कुछ हिंदू लडकिया भी थी। इनके लिए खास शिक्षक रखना अनभव था और मुझे अनावश्यक भी मालूम हुआ। असभव तो इसलिए था कि लुयोग्य हिंदुस्तानी शिक्षकोका वहा अभाव था, और मिले भी तो काफी वेतनके बिना इन्वन्तमें २१ मील दूर जाने लगा ? मेरे पान रूपोंकी बहुतायत नहीं थी और दाहर्गमें शिक्षक बुनाना अनावश्यक माना, क्योंकि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली मुझे पाद न थी और बान्त्विक पद्धति क्या है, इसका मेने अनुभव नहीं कर देखा था। इतना जानना था कि आदर्श स्थितिमें अच्छी शिक्षा माता-पिताकी देख-रेखमें ही मिल सकती है। आदर्श स्थितिमें बाह्य नहायता कम-से-कम होनी चाहिए। टाँन्टाय-आश्रम एक कुटुंब था और मैं उसमें पिताके स्थानपर था।

इसलिए मैंने सोचा कि इन नवयुवकोंके जीवन-निर्माणकी जवाब-देही भरसक मुझीको उठानी चाहिए ।

मेरी इस कल्पनामे तो बहुतरे दोष तो थे ही । ये सब नवयुवक जन्म हीसे मेरे पास नहीं रहे थे । सब अलग-अलग वातावरणमे परवरिश पाये हुए थे । फिर सब एक-धर्मके भी नहीं थे । ऐसी स्थितिमें जो बालक-बालिका रह रहे थे उनका पिता अपनेको मानकर भी मैं उनके साथ कैसे न्याय कर सकता था ?

परतु मैंने हृदयकी शिक्षाको अर्थात् चरित्रके विकासको हमेशा प्रथम स्थान दिया है, और वह यह विचार करके कि ऐसी शिक्षाका परिचय चाहे जिस उम्रमे और चाहे जैसे वातावरणमे परवरिश पाये बालक-बालिकाओंको थोड़ा-बहुत कराया जा सकता है, इन लड़के-लड़कियोंके साथ मैं दिन-रात पिताके रूपमे रहता था । सन्वचरित्रताको मैंने उनकी शिक्षाका आधार-स्तम्भ माना था । बुनियाद यदि मजबूत है तो दूसरी बातें बालकोंको समय पाकर खुद अथवा दूसरोंकी सहायतासे मिल जाती हैं । फिर भी मैं यह समझता था कि थोड़ा-बहुत अक्षर-ज्ञान भी जरूर कराना चाहिए । इसलिए पढाई शुरू की और उसमे मैंने मि० केलनबेक तथा प्रागजी देसाईकी सहायता ली ।

मैं शारीरिक शिक्षाकी भी आवश्यकता समझता था, परतु वह शिक्षा तो उन्हें अपने-आप ही मिल रही थी, क्योंकि आश्रममें नौकर तो रखे ही नहीं गये थे । पाखानेसे लेकर खाना पकानेतकके सब काम आश्रमवासी ही करते थे । आश्रममे फलोंके वृक्ष बहुत थे । नई खेती भी करनी थी । आश्रममे मि० केलनबेकको खेती का शौक था । वह खुद सरकारी आवर्ष खेतोमे कुछ समय रहकर खेतीका काम सीखे हुए थे । रोज कुछ समयतक उन सब छोटे-बड़े लोगोंको, जो रसोईके काम मे लगे न होते, बगीचेमें काम करने जाना पडता था । इनमे बालकोंका एक बड़ा भाग था । बड़े गढे खोदना, कलम करना, बोझ उठाकर ले जाना इत्यादि कामोमे उनका शरीर सुगठित होता रहता । उसमें उनको आनन्द भी आता था, जिससे उन्हें दूसरी कमरत या खेल की आवश्यकता नहीं रहती थी । काम करने मे कुछ विद्यार्थी और कभी-कभी सब विद्यार्थी नखरे करने, काहिली भी कर जाने । बहुत बार मैं इन बातोंकी ओर आखे मूढ़ लिया करता । कितनी ही बार उनसे सख्तीसे भी काम लेता । जब सख्ती करता और उन्हें देखता कि वे उकता उठे

तो भी मुझे नहीं याद पड़ता कि नटनीका विरोध कभी उन्होंने किया हो। जब-जब मैं उनपर सख्ती करता तभी तब उन्हें ममसाला और उन्होंने कबूल करवाना कि कामके समय खेलना अच्छी आदत नहीं। वे उस समय तो समझ जाते; पर दूसरे ही क्षण भूल जाते। इस तरह काम चलना रहता, परंतु उनके शरीर बनते जाते थे।

आथममें आयुद ही कोई बीमार होता। कहना होगा कि इसका बड़ा कारण था यहाँकी आबहवा और अच्छा तथा नियमित भोजन। शारीरिक शिक्षाके तिलमिलेमें ही शारीरिक व्यवसायकी शिक्षाका भी समावेश कर लेना हू। इरादा यह था कि सबको कुछ-कुछ उपयोगी सब मिलाना चाहिए। इसलिए मि० केलनवेक ट्रेपिस्ट मठ में चण्णल गाठना नील आये थे। उनमें मैंने नीला और मैंने उन बालकोंको सिखाया, जो इन हुनरको नीलनेके लिए तैयार थे। मि० केलनवेकको बटईगीरीका भी कुछ अनुभव था और आथममें बटईका काम जाननेवाला एक साथी भी था। इसलिए यह काम भी थोड़े-बहुत अंशमें निभाया जाना। रमोई बनाना तो लगभग सब ही लडके नील गये थे।

ये सब काम इन बालकोंके लिए नये थे। उन्होंने तो कभी स्वप्नमें भी यह न सोचा होगा कि ऐना काम नीलना पड़ेगा, दक्षिण अफ्रीकामें हिंदुस्तानी बालकोंको केवल प्राथमिक अक्षर-ज्ञानकी ही शिक्षा दी जाती थी। टॉल्स्टाय-आथममें पहलेमें ही यह रिवाज डाला था कि जिन कामको हम शिक्षित लोग न करें वह बालकोंसे न कराया जाय और हमेशा उनके नाय-साथ कोई-न-कोई शिक्षक काम करता। इनसे वे बड़ी उमरके साथ सील सके।

चारित्र्य और अक्षर-ज्ञानके सबबमें अब इसके बाद।

३३

अक्षर-शिक्षा

पिछले अध्यायमें हमने यह देव लिया कि शारीरिक शिक्षा और उसके साथ कुछ हुनर सिखानेका काम टॉल्स्टाय-आथममें किन तरह शुरू हुआ। यद्यपि इन कामको मैं इस तरह नहीं कर सका कि जिनमें मुझे सनाप होता फिर

भी उसमें थोड़ी-बहुत सफलता मिल गई थी, परंतु अक्षर-ज्ञान देना तो कठिन मालूम हुआ। मेरे पास उसके प्रवचके लिए आवश्यक सामग्री न थी। मेरे पास उतना समय भी नहीं था, जितना मैं देना चाहता था और न इस विषयका ज्ञान ही था। दिन-भर शारीरिक काम करते-करते मैं थक जाता था और जिस समय जरा आराम करनेकी इच्छा होती उसी समय पढ़ाना पड़ता। इससे मैं तरोताजा रहनेके बदले ठोक-पीटकर सचेत भर रह सकता था। सुबहका समय खेती और घरके काममें जाता था, इसलिए दोपहरको भोजनके बाद ही पाठशाला शुरू होती। इसके सिवा दूसरा समय अनुकूल नहीं था। अक्षर-ज्ञानके लिए अधिक-से-अधिक तीन घंटे रखे थे। फिर वर्गोंमें हिंदी, तामिल, गुजराती और उर्दू इनकी भाषाएँ मिलानी पड़ती, क्योंकि यह नियम रक्खा गया था कि शिक्षण प्रत्येक बालकको उसकी भाषाके द्वारा ही दिया जाय, फिर अंग्रेजी भी सबको मिलाई ही जाती थी। इसके अलावा गुजराती, हिंदू बालकोको कुछ संस्कृतका और सब लड़कोको हिंदीका परिचय कराना, इतिहास, भूगोल और गणित सबको सिमाना, यह क्रम रक्खा गया था। तामिल और उर्दू पढ़ाना मेरे जिम्मे थे।

मुझे तामिलका ज्ञान जहाजो और जेलोमें मिला था। उसमें भी पोप-कृत उत्तम 'तामिल-स्वय-शिक्षक'से आगे मैं नहीं बढ़ सका था। उर्दू-लिपिका ज्ञान तो उतना ही था, जितना जहाजमें प्राप्त कर सका था। और खासकर अरबी-फारसी शब्दोंका ज्ञान भी उनना ही था, जितना कि मुसलमान मित्रोंके परिचयसे मैं प्राप्त कर चुका था। संस्कृत उतनी ही जानता था, जितनी कि मैंने हाईस्कूलमें पढ़ी थी और गुजराती भी स्कूली ही थी।

इतनी पूजीसे मुझे अपना काम चलाना था और इसमें जो मेरे सहायक थे वे मुझसे भी कम जानते थे, परंतु देवी भायाओपर मेरा प्रेम, अपनी शिक्षा-शक्तिपर मेरा विश्वास, विद्यार्थियोंका अज्ञान और उससे भी बढ़कर उनकी उदारता, ये मेरे काममें सहायक साबित हुए।

इन तामिल विद्यार्थियोंका जन्म दक्षिण अफ्रीकामें ही हुआ था, इससे वे तामिल बहुत कम जानते थे। लिपिका तो उन्हें विलकुल ही ज्ञान न था, इसलिए मेरा काम था उन्हें लिपि सिखाना और व्याकरणके मूलतत्त्वोंका ज्ञान कराना। यह सहज काम था। विद्यार्थी लोग इस बातको जानते थे कि तामिल बातचीतमें

बे मुझे महज ही हरा सकते हैं और जब कोई तामिलभाषी मुझने मिलने आते तो वे मेरे दुभाषियाका काम देते थे। परन्तु मेरा काम चल निकला, क्योंकि विद्यार्थियों-ने मैंने कभी अपने अज्ञानको छिपानेका प्रयत्न नहीं किया। वे मुझे सब बातोंमें वैसे ही जान गये थे, जैसा कि वास्तवमें था। इससे पुस्तक-ज्ञानकी भारी कमी रहने हुए भी मैंने उनके प्रेम और आदरको कमी न हटने दिया था।

परन्तु मुसलमान बालकोको उर्दू पढाना इसने आसान था, क्योंकि वे लिपि जानते थे। उनके साथ तो मेरा इतना ही काम था कि उन्हें पढनेका शौक बढा दूँ और उनका खन अच्छा करवा दूँ।

मुसलमान में सब बालक निरक्षर थे और किसी पाठशालामें पढे न थे। पढाते-पढाने मैंने देखा कि उन्हें पढानेका काम तो कम ही होना था। उनका आलस्य दृढवाना, उनमें अपने-आप पढवाना, उनके नक्क बाद करनेकी चाँकीदारी करना, यही काम ज्यादा था, पर इतनेमें मैं मतोप पाना था, और यही कारण है जो मैं भिन्न-भिन्न अवस्था और भिन्न-भिन्न विषयवाले विद्यार्थियोंको एक ही कमरेमें बैठाकर पढा सकता था।

पाठ्य-पुस्तकोंकी पुकार चारों ओरमें मुनाई पड़ा करनी है, किन्तु मुझे उनकी भी जरूरत न पडी। जो पुस्तकें थीं भी, मुझे नहीं याद पडता कि उनमें भी बहुत काम लिया गया हो। प्रत्येक बालकको बहुतेरी पुस्तकें देनेकी जरूरत मुझे नहीं दिखाई दी।

मेरा यह उपाय रहा कि शिक्षक ही विद्यार्थियोंकी पाठ्य-पुस्तक है। शिक्षकोंने पुस्तक द्वारा मुझे जो कुछ पढाया उनका बहुत धोडा भ्रम मुझे आज याद है, परन्तु जबकी शिक्षा जिन लोगोंने दी है वह आज भी याद रह गई है। ज्ञानक आचरण शांति जितना पढा सकते हैं उनमें अधिक काममें गुना हुआ, और गो भी थोड़े शिथिलमें ग्रहण कर सकते हैं। मुझे याद नहीं कि बालकोंको मैंने एक भी पुस्तक देनेमें आसक्ति पडाई हो।

मैंने तो मुद जा-पुछ बहुतेरी पुस्तकोंको पढकर रजम किया था वही उन्हें अपनी भाषामें बताता और मैं मानता हूँ कि वह उन्हें आज भी याद है। मैंने देखा कि पुस्तकमें पढाया हुआ याद रखनेमें उन्हें दिक्कत होनी थी परन्तु मेरा उद्देश्य तो यह था कि वे मुझे फिर गुना देने थे। पुस्तक

पढ़ने में उनका जी नहीं लगता था। जिस किसी दिन थकावटके कारण अथवा किसी दूसरी वजहसे मैं मद न होता, अथवा मेरी पढाई नीरस न होती, तो वे मेरी कही और सुनाई बातोंको चावसे सुनते और उसमें रस लेते। बीच-बीचमें जो शकाए उनके मनमें उठती उनसे मुझे उनकी ग्रहण-शक्तिका अदाजा लग जाता।

३४ \

आत्मिक शिक्षा

विद्यार्थियोंके शरीर और मनकी तालीम देनेकी अपेक्षा आत्मापर सस्कार डालनेमें मुझे बहुत परिश्रम करना पडा। उनकी आत्माका विकास करनेके लिए मैंने धार्मिक पुस्तकोंका बहुत कम सहारा लिया था। मैं यह जानता था कि विद्यार्थियोंको अपने-अपने धर्मके मूल तत्वोंको समझ लेना चाहिए, अपने-अपने धर्म-ग्रंथोंका साधारण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैंने उन्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त करनेकी यथाशक्ति सुविधा कर दी थी, परंतु उसे मैं बौद्धिक शिक्षाका अंग मानता हूँ। आत्माकी शिक्षा एक अलग ही बात है और यह बात मैंने टॉल्स्टाय-आश्रममें बालकोंको पढाना शुरू करनेसे पहले ही जान ली थी। आत्माके विकास करनेका अर्थ है 'चरित्र-निर्माण करना', 'ईश्वरका ज्ञान प्राप्त करना', 'आत्म-ज्ञान संपादन करना'। इस ज्ञानको प्राप्त करनेमें बालकोंको बहुत सहायता की आवश्यकता है और मैं मानता था कि उसके बिना दूसरा सब ज्ञान व्यर्थ है और हानिकारक भी हो सकता है।

हमारे समाजमें एक यह वहम घुस गया है कि आत्म-ज्ञान तो मनुष्यको चौथे आश्रम यानी शन्यास आश्रममें मिलना है, परंतु मेरी समझमें जो लोग चौथे आश्रमतक इस अमूल्य वस्तुको रोक सकते हैं उन्हें आत्म-ज्ञान तो नहीं मिलता, जलटे बुढापा, और दूसरे रूपमें इससे भी अधिक दया-जनक वचन प्राप्त करके, वे पृथ्वीपर भार-रूप होकर जीते हैं, ऐसा अनुभव सब जगह पाया जाता है। १९११-१२में शायद इन विचारोंको मैं प्रदर्शित न कर सकता, परंतु मुझे यह बात अच्छी तरहसे मालूम है कि उस समय मेरे विचार इसी तरहके थे।

अब सवाल यह है कि आत्मिक शिक्षा दी किस तरह जाय ? इसके

लिए मैं बालकमें भजन बसाना था नीतिकी पुस्तकें पढ़कर सुनाना था परन्तु उनमें मनको उत्तोप नहीं होता था। ज्यों-ज्यों मैं उनके अधिका संपर्कमें आता गया त्यों-त्यों मैंने देखा कि वह ज्ञान पुस्तको द्वारा नहीं दिया जा सकता। शारीरिक शिक्षा शरीरकी कसरत द्वारा दी जा सकती है और बौद्धिक शिक्षा बुद्धिकी कसरत द्वारा। उसी प्रकार आत्मिक शिक्षा आत्माकी कसरतके द्वारा ही दी जा सकती है और आत्माकी कसरत तो ज्ञानक शिक्षकके आचरणसे ही सीखते हैं। अतएव युवक विद्यार्थी चाहे हाजिर हो या न हो शिक्षकको तो नदा जाबदान ही रहना चाहिए। लकामें बैठा हुआ शिक्षक अपने आचरणके द्वारा अपने शिष्योंकी अन्तर्गतो हिला सकता है। यदि मैं खुद नो झूठ बोणू पर अपने शिष्योंको सच्चा बनानेका प्रयत्न करूँ तो वह फिजूल होगा। इरणेक शिक्षक अपने शिष्योंको बीरता नहीं गिना सकता। व्यभिचारी शिक्षक शिष्योंको सज्जकी शिक्षा कैसे दे सकता है ? इसलिए मैंने देखा कि नुसरे तो अग्नं माव रहनेवाले युवक-युवतियोंके नामक एक पदार्थ-पाठ बन कर रहना चाहिए। इससे मेरे शिष्य ही मेरे शिक्षक बन गये। मैं यह समझा कि नुसरे अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए अच्छा बनना और रहनु, चाहिए और यह कहा जा सकता है कि टॉल्स्टॉय-आश्रमके समयका मेरा बहुतेरा समय इन युवक और युवतियोंका कृपण है।

आश्रममें एक ऐसा युवक था जो बहुत उद्यम करना था झूठ बोलना था किसीकी सुनना नहीं था औरोंमें लड़ना था। एक दिन उनमें बड़ा उपद्रव मचाना मुझे बड़ी चिन्ता हुई, क्योंकि मैं विद्यार्थियोंको कभी मजा नहीं देना था पर उम्र समय मुझे बहुत गुन्ना बह रहा था। मैं उसके पास गया। किसी तरह वह समझाये नहीं समझना था। नुद मेरी आज्ञामें भी बून झोकनेकी कोशिश की। मेरे पास रुन पड़ी हुई थी, उठाकर उसके हाथपर दे मारी, पर मानने हुए मेरा शरीर काप रहा था। मेरा यह खयाल है कि उनमें यह देव लिना होगा। इनसे पहले विद्यार्थियोंको मेरी तरफसे ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ था। वह विद्यार्थी मे पडा, माफी मागी पर उसके रोनेका कारण यह नहीं कि लम्पर मान पड़ी थी। वह मेरा मुखावला करना चाहना तो इनकी तात्पर्य उनमें थी। उनकी उमर १३ मासकी होगी शरीर बहुत-बहुत था पर मेरे लम रुन मानमें मेरे दुःखका अनुभव उमें हो गया था। इस दृश्यके बाद वह मेरे नाममें कभी नहीं हुआ परन्तु मुझे

इस प्रकार रूल मारनेका पश्चात्ताप आजतक होता रहता है ।

मैं समझता हूँ कि उसे पीटकर मैंने उसे अपनी आत्माकी सात्विकता का नहीं, बल्कि अपनी पशुताका दर्शन कराया था ।

मैंने बच्चोको पीट-पीटकर सिखानेका हमेशा विरोध किया है । सारी जिंदगीमें एक ही अवसर मुझे याद पड़ता है जब मैंने अपने एक लडकेको पीटा था । मेरा यह रूल मार देना उचित था या नहीं, इसका निर्णय मैं आजतक नहीं कर सका । इस दडके औचित्यके विषयमें अब भी मुझे सदेह है, क्योंकि उसके मूल में क्रोध मरा हुआ था और मनमें सजा देनेका भाव था । यदि उसमें केवल मेरे दुःखका ही प्रदर्शन होता तो मैं उस दडको उचित समझता, परंतु उसमें मेली-जुली भावनाएँ थी । इस घटनाके बाद तो मैं विद्यार्थियोंको मुधारनेकी और भी अच्छी तरकीब जान गया । यदि इस मौकेपर उस कलासे काम लिया होता तो क्या फल निकलता, यह मैं नहीं कह सकता । वह युवक तो इस बातको उसी समय भूल गया । मैं नहीं कह सकता कि वह बहुत सुधर गया होगा, परंतु इस स्वर्गने मेरे इन विचारोको बहुत गति दे दी कि विद्यार्थीके प्रति शिक्षकका क्या बर्ष है । उसके बाद भी युवकोसे ऐसा ही कसूर हुआ है, परंतु मैंने दडनीतिका प्रयोग कभी नहीं किया । इस तरह आत्मिक ज्ञान देनेका प्रयत्न करते हुए मैं खुद आत्माके गुणको अधिक जान सका ।

३५

अच्छे-बुरेका मेल

टॉल्स्टाय-आश्रममें मि० केलनवेकने मेरे सामने एक प्रश्न खडा कर दिया था । इसके पहले मैंने उसपर कभी विचार नहीं किया था । आश्रममें कितने ही लडके बड़े ऊधमी और वाहियात थे, कई भ्रावारा भी थे । उन्हींके साथ मेरे तीन लडके रहते थे । दूसरे लडके भी थे, जिनका कि लालन-पालन मेरे लडकोकी तरह हुआ था, परंतु मि० केलनवेकका ध्यान तो इन्हीं बातकी तरफ था कि वे भ्रावारा लडके और मेरे लडके एक साथ इस तरह नहीं रह सकते । एक दिन उन्होंने कहा— “आपका यह सिलसिला मुझे दिलकुल ठीक नहीं मालूम

होता । इन लड़कोंके साथ आपके लड़के रहेंगे तो उनका बुरा नतीजा होगा । उन आचारा लड़कोंकी मोहकन इनको लयेंगी तो ये विगड़े बिना चंचे रहेंगे ?”

इनको मुनकर मैं घोड़ी देरके लिए मोचमं पडा या नहीं, यह तो मुझे इस समय याद नहीं, परंतु अपना उत्तर मुझे याद है । मैंने जवाब दिया—
 “अपने लड़को और इन आचारा लड़कोमें मैं भेद-भाव कैसे रख सकता हूँ ? अभी तो दोनोंकी जिम्मेदारी मुझपर है । ये युवक मेरे बूलाये यहा आये हैं । यदि मैं रुपये दे दू तो ये आज ही जोहान्सवर्ग जावर पहलैकी तरह रहने लग जायेंगे । आश्चर्य नहीं, यदि उनके माता-पिता यह समझते हों कि उन लड़कोने यहा आकर मुझपर बहुत मिहरवानी की है । यहा आकर वे अनुविवा उठाते हैं, यह तो आप और मैं दोनों देख रहे हैं । सो इस मन्वषमें मेरा धर्म मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है । मुझे उन्हें यही रखना चाहिए । मेरे लड़के भी उन्हींके साथ रहेंगे । फिर क्या आजसे ही मेरे लड़कोको यह भेद-भाव सिखावे कि वे औरोंमें ऊंचे दर्जेके हैं ? ऐसा विचार उनके दिमागमें डालना मानो उन्हें उलटे रास्ते ले जाना है । इस स्थितिमें रहनेसे उनका जीवन बनेगा, खुद-ब-खुद साराभारकी परीक्षा करने लयेंगे । हम यह क्यों न मानें कि उनमें यदि नवमुच कोई गुण होगा तो उलटा उनीका असर उनके साथियोपर होगा ? जो-कुछ भी हो, पर मैं तो उन्हें यहासे नहीं हटा सकता और ऐसा करनेमें यदि कुछ जोखम है तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए ।” इनपर मि० केलनवेक सिर हिलाकर रह गये ।

यह नहीं कह सकते कि इस प्रयोगका नतीजा बुरा हुआ । मैं नहीं मानता था कि मेरे लड़कोको इसने कुछ नुकसान हुआ । हा, लाभ होता हुआ तो अलबत्ता मैंने देना है । उनमें बडप्पनका यदि कुछ अज रहा होगा तो वह सर्वथा चला गया, वे मक्के साथ मिल-जुलकर रहना सीखे, वे तपकर ठीक हो गये ।

इसने तथा ऐसे दूसरे अनुभवोपरने मेरा यह खयाल बना कि यदि मा-बाप ठीक-ठीक निगरानी रख सके तो उनके भले और बुरे लड़कोके एक साथ रहने और पठनेमें अच्छे लड़कोका किसी प्रकार नुकसान नहीं हो सकता । अपने लड़कोको सबकुछमें बदकर रखनेसे वे शुद्ध ही रहने हैं और बाहर निकलनेसे वे विगड़ जाते हैं, यह कोई नियम नहीं है । हा, यह बात जरूर है कि जहा अनेक प्रकारके

बालक और बालिकाएँ एक साथ रहते और पढते हो, वहा मा-बापकी और शिक्षककी कडी जाच हो जाती है। उन्हे बहुत सावधान और जागरूक रहना पडता है।

३६

प्रायश्चित्तके रूपमें उपवास

इस तरह लडके-लडकियोंको सच्चाई और ईमानदारीके साथ परवरिश करने और पढाने-लिखानेमें कितनी और कैसी कठिनाइया है, इसका अनुभव दिन-दिन बढ़ता गया। शिक्षक और पालककी हैसियतसे मुझे उनके हृदयोंमें प्रवेश करना था। उनके सुख-दुखमें हाथ बटाना था। उनके जीवनकी गुत्थिया सुलझानी थी। उनकी चढती जदानीकी तरंगोंको सीधे रास्ते ले जाना था।

कितने ही कैदियोंके छुट जानेके बाद टॉल्स्टाय-आश्रममें थोड़े ही लोग रह गये। ये खासकरके फिनिक्स-वासी थे। इसलिए मैं आश्रमको फिनिक्स छोड़ा गया। फिनिक्समें मेरी कडी परीक्षा हुई। इन वचे हुए आश्रम-वासियोंको टॉल्स्टाय-आश्रमसे फिनिक्स-पहुँचाकर मैं जोहान्सबर्ग गया। थोड़े ही दिन जोहान्सबर्ग रहा होऊंगा कि मुझे दो व्यक्तियोंके भयकर पतनके समाचार मिले। सत्याग्रह जैसे महान् सधाममे यदि कही भी असफलता जैसा कुछ दिखाई देता तो उससे मेरे दिलको चोट नही पहुँचती थी, परतु इस घटनाने तो मुझपर वज्र-ग्रहार ही कर दिया। मेरे दिलमें घाव हो गया। उसी दिन मैं फिनिक्स रवाना हो गया। मि० केलनवेकने मेरे साथ आनेकी जिद पकडी। वह मेरी दयनीय स्थितिको समझ गये थे, उन्होने साफ इन्कार कर दिया कि मैं आपको अकेला नही जाने दूंगा। इस पतनकी खबर मुझे उन्हीके द्वारा मिली थी।

रास्तेमें ही मैंने सोच लिया, अथवा यो कहू कि मैंने ऐसा मान लिया कि इस अवस्थामें मेरा धर्म क्या है? मेरे मनने कहा कि जो लोग हमारी रक्षामें हैं उनके पतनके लिए पालक या शिक्षक किसी-न-किसी अक्षमे जरूर जिम्मेदार हैं और इस दुर्घटनाके सबबमे तो मुझे अपनी जिम्मेदारी साफ-साफ दिखाई दी। मेरी पत्नीने मुझे पहले ही चेताया था, पर मैं स्वभावतः विश्वासशील हूँ, इससे मैंने उसकी चेतावनी पर ध्यान नही दिया था। फिर मुझे यह भी प्रतीत हुआ कि

ये पतिन लोग मेरी दर्याओं तभी समझ न सकेगे, जब मैं उन पत्रोंके लिए कुछ प्राय-
 विचित्र बहवा । इसीसे उन्हें अपने दोषोंका ज्ञान होगा और उनकी गंभीरताका
 कुछ प्रदाज मिलेगा । उन कारण मैंने मान दिनेके उपाय और नाटे चार मानव
 एकामना करनेका विचार किया । मि० केननकेने मुझे रोकनेकी बहुत कोशिश
 की, पर उनकी न चली । अतः उन्हीं प्रायविचित्रके आश्रित्यको माना और
 अपने लिए भी मेरे साथ वन रवनेपर जोर दिया । उनके निर्मम प्रेमको मैं न
 रोक सका । इस निश्चयके बाद ही तुरत मेरा हृदय हलका हो गया, मुझे शांति
 मिली । दोष करनेवालोंपर जो कुछ गुस्सा आया था वह दूर हुआ और उनपर
 मनमें दया ही आती रही ।

इस तरह द्रेनमें ही अपने हृदयको हलका करके मैं फिनिकम पढ़वा ।
 पूछ-ताछकर जो कुछ और ज्ञान जाननी थी वे जान ली । यद्यपि इस मेरे उपवासमें
 सबको बहुत कष्ट हुआ, पर उमने वातावरण शुद्ध हुआ । पापकी भयकरनाको
 सबने समझा और विद्यार्थी-विद्यार्थिनियोंका और मेरा नववध अधिक मजबूत
 और मजबूत हुआ ।

इस दुर्घटनाके मिलनिलेमें ही कुछ समयके बाद मुझे फिर चौदह उपवास
 करनेकी नीवत आई थी और मैं मानता हूँ कि उसका परिणाम आगामे भी अधिक
 अच्छा निकला । परतु इन उदाहरणोंमें मैं यह नहीं सिद्ध करना चाहता कि
 शिष्योंके प्रत्येक दोषके लिए हमें शिक्षकोंको उपवासनादि करना ही चाहिए ।
 पर मैं यह जरूर मानता हूँ कि माँके-माँकेपर ऐसे प्रायविचित्र-रूप उपवासके लिए
 अवश्य स्थान है । किंतु उसके लिए विवेक और अधिकारकी आवश्यकता है ।
 जहाँ शिक्षक और शिष्य में कुछ प्रेम-बन्धन नहीं, जहाँ शिक्षकोंको अपने शिष्योंके
 दोषोंसे नञ्ची चोट नहीं पहुँचती, जहाँ शिष्योंके मनमें शिक्षकोंके प्रति आदर नहीं
 बल्कि उपवास निरर्थक है और घायब हानिकारक भी हो । परतु ऐसे उपवास
 या एकामनेके विषयमें भले ही कुछ धका हो, किंतु शिष्योंके दोषोंके लिए शिक्षक
 थोड़ा-बहुत जिम्मेदार जरूर हैं, इस विषयमें कुछ भी सदेह नहीं ।

ये बात उपवास और नाडे चार मानके एकामने हूँ कठिन न मालूम
 हुए । उन दिनों मेरा कोई भी काम बढ़ या बढ़ नहीं हुआ था । उस समय मैं
 केवल फनाहार ही करता था । चौदह उपवासका अन्तिम भाग मुझे खूब कठिन

मालूम हुआ था। उस समय मैं रामनामका पूरा चमत्कार नहीं समझा था। इसलिए कुछ सहन करनेकी सामर्थ्य कम थी। उपवासके दिनोमें जिम किसी तरह भी हो पानी खूब पीना चाहिए। इस बाह्य कलाका ज्ञान मुझे न था। इस कारण भी यह उपवास मेरे लिए भारी हुए। फिर पहलेके उपवास सुख-शांतिसे बीते थे, इसलिए चौदह उपवासके समय कुछ लापरवाह भी रहा था। पहले उपवासके समय हमेशा कूनेके कटि-स्नान करता, चौदह उपवासके समय दो-तीन दिन बाद वे बंद कर दिये गये। कुछ ऐसा हो गया था कि पानीका स्वाद ही अच्छा नहीं मालूम होता था, और पानी पीते ही जी मिचलाने लगता था, जिससे पानी बहुत कम पिया जाता था। इससे गला सूख गया, गरीर क्षीण हो गया और अतके दिनोमें बहुत घीमे बोल सकता था। इतना होते हुए भी लिखने-लिखानेका आवश्यक काम मैं आखिरी दिनतक कर सका था और रामायण इत्यादि अततक सुनता था। कुछ प्रश्नो और विषयोपर राय इत्यादि देनेका आवश्यक कार्य भी कर सकता था।

५

३७

गोखलेसे मिलने

यहा दक्षिण अफ्रीकाके कितने ही मस्मरण छोड देने पडते हैं। १९१८ ई०में जब सत्याग्रह-सभामका अंत हुआ तब गोखलेकी इच्छासे मैंने इंग्लैंड होकर देश आनेका विचार किया था। इसलिए जुलाई महीनेमें कम्तूरवाई, केलनडैक और मैं, तीनों विलायतके लिए रवाना हुए। सत्याग्रह-सभामके दिनोमें मैंने रेलमें तीसरे दर्जेमें सफर शुरू कर दिया था। इस कारण जहाजमें भी तीसरे दर्जेके ही टिकट खरीदे, परंतु उस तीसरे दर्जेमें और हमारे तीसरे दर्जेमें बहुत अंतर है। हमारे यहा तो सोने के ठेकेकी जगह भी मुष्किलमें मिलती है और सफाईकी तो बात ही क्या पूछना। किंतु इसके विपरीत यहाके जहाजोमें जगह काफी रहती थी और सफाईका भी अच्छा खयाल रक्खा जाता था। कपनीने हमारे लिए कुछ और भी सुविधाएं कर दी थी। कोई हमको दिक् न करने पाये, इस खयालमें एक पाखानेमें ताला लगाकर जमकी ताली हमें सौंप दी गई थी, और

हम फलाहारी थे, इसलिए हमको नाजे और गूजे फन देनेकी आज्ञा भी जहाजके खजांचीको दे दी गई थी। मामूली तीरपर तीमने दर्जेके यात्रियोंको फन कम ही मिलते हैं और मेवा तो कतई नहीं मिलता। पर जम मुचिवाकी बदौलत हम लोग समुद्रपर बहुत गातिसे १८ दिन बिता सके।

इस यात्राके कितने ही नस्मरण जानने योग्य हैं। मि० केलनवेकको दूरबीनोका बड़ा शौक था। दो-एक कौमती दूरबीने उन्होंने अपने साथ रक्खी थी। इसके विषयमें रोज हमारे आपसमें बहस होती। मैं उन्हें यह जचानेकी कोशिश करता कि यह हमारे आदर्शके और जिम सादगीको हम पढुचना चाहते हैं उनके अनुकूल नहीं है। एक रोज तो हम दोनोंमें इस विषयपर गरमागरम बहस हो गई। हम दोनों अपनी कविनीकी सिद्धकीके पास खड़े थे।

मैंने कहा—“आपके और मेरे बीच ऐसे झगडे होनेसे तो क्या यह बेहतर नहीं है कि इस दूरबीनको समुद्रमें फेंक दें और इनकी चर्चा ही न करें ?”

मि० केलनवेकने तुरन् उत्तर दिया—“जरूर इस झगडेकी जडको फेंक ही दीजिए।”

मैंने कहा—“दिलो, मैं फेंक देता हूँ।”

उन्होंने बे-रोक उत्तर दिया—“मैं सचमुच बहता हूँ, फेंक दीजिए।”

और मैंने दूरबीन फेंक दी। उसका दाम कोई सात पाँड था। परतु उसकी कीमत उसके दामकी अपेक्षा मि० केलनवेकके उसके प्रति मोहमें थी। फिर भी मि० केलनवेकने अपने मनको कभी इस बातका दुख न होने दिया। उनके मेरे बीच तो ऐसी किननी ही बात हुआ करती थी—यह तो उसका एक नमूना पाठकोको दिखाया है।

हम दोनों सत्यको सामने रखकर ही चलनेका प्रयत्न करते थे। इसलिए मेरे उनके इस सबके फलस्वरूप हम रोज कुछ-न-कुछ नई बात सीखते। सत्यका अनुसरण करते हुए हमारे ज्ञोष, स्वार्थ, द्वेष इत्यादि सहज ही क्षमन हो जाते थे और यदि न होते तो सत्यकी प्राप्ति न होती थी। भले ही राग-द्वेषादिसे भरा मनूष्य सरल हो सकता है, वह वाचिक सत्य भले ही पाल ले, पर उसे शुद्ध सत्यकी प्राप्ति नहीं हो सकती। शुद्ध सत्यकी शोध करनेके मानी हैं रागद्वेषादि द्वन्द्वसे सर्वथा मुक्ति प्राप्त कर लेना।

जिन दिनों हमने यह यात्रा आरम्भ की, पूर्वोक्त उपवासोको पूरा किये मुझे बहुत समय नहीं बीता था। अभी मुझमें पूरी ताकत नहीं आई थी। जहाजमें डेकपर खूब धूमकर काफी खानेका और उसे पचानेका यत्न करता। पर ज्यो-ज्यो मैं अधिक धूमने लगा त्यों-त्यों पिंडलियोमें ज्यादा दर्द होने लगा। विलायत पहुंचनेके बाद तो उलटा यह दर्द और बढ़ गया। वहा डाक्टर जीवराज मेहतासे मुलाकात हो गई थी। उपवास और इस दर्दका इतिहास सुनकर उन्होंने कहा कि "यदि आप थोड़े समयतक आराम नहीं करोगे तो आपके पैरोके सदाके लिए सुन्न पड जानेका अदेशा है।" अब जाकर मुझे पता लगा कि बहुत दिनोंके उपवाससे गई ताकत जल्दी लानेका या बहुत खानेका लोभ नहीं रखना चाहिए। उपवास करनेकी अपेक्षा छोटते समय अधिक सावधान रहना पडता है और शायद इसमें अधिक समय भी होता है।

मदिरामें हमें समाचार मिले कि लडाई अब छिडने ही वाली है। इंग्लैंडकी खाडीमें पहुंचते-पहुंचते खबर मिली कि लडाई शुरू हो गई और हम रोक लिये गये। यानीमें जगह-जगह गुप्त मार्ग बनाये गये थे और उनमेंसे होकर हमें साउथ-वेम्प्टन पहुंचते हुए एक-दो दिनकी देरी हो गई। युद्धकी घोषणा ४ अगस्तको हुई, हम लोग ६ अगस्तको विलायत पहुंचे।

३८

लडाईमें भाग

विलायत पहुंचनेपर खबर मिली कि गोखले तो पेरिसमें रह गये है, पेरिसके साथ आवागमनका सबब बंद हो गया है और यह नहीं कहा जा सकता के वह कब आयेगे। गोखले अपने स्वास्थ्य-सुधारके लिए फ्रांस गये थे, किंतु रीचमें युद्ध छिड जानेसे वही अटक रहे। उनसे मिले बिना मुझे देश जाना नहीं था और वह कब आवेंगे, यह कोई कह नहीं सकता था।

अब सवाल यह खडा हुआ कि इस दरमियान करे क्या? इन लडाईके प्रवर्धमें मेरा धर्म क्या है? जेलके मेरे साथी और सत्याग्रही सोरावजी अडाजगिया विलायतमें वैरिस्टरीका अध्ययन कर रहे थे। सोरावजी को एक श्रेष्ठ मत्याग्रही

के तौरपर इंग्लैंडमें बैरिस्टरीकी तालीमके लिए भेजा था कि जिसमें दक्षिण अफ्रीका में आकर मेरा स्थान ले ले। उनका खर्च डाक्टर प्राणजीवनदास मेहता देते थे। उनके और उनके मार्फत डॉक्टर जीवराज मेहता इत्यादिके साथ, जो विलायतमें पढ़ रहे थे, इस विषयपर सलाह-मस्यवरा किया। विलायतमें उन समय जो हिंदुस्तानी लोग रहते थे उनकी एक सभा की गई और उसमें मैंने अपने विचार उपस्थित किये। मेरा यह नज्र हुआ कि विलायतमें रहनेवाले हिंदुस्तानियोंको इन लडाईमें अपना हिस्सा देना चाहिए। अंग्रेज विद्यार्थी लडाईमें सेवा करनेका अपना निश्चय प्रकाशित कर चुके हैं। हम हिंदुस्तानियोंको भी इतसे कम सहयोग न देना चाहिए। मेरी इन बातके विरोधमें इन सभामें बहुतेरी दलीलें पेशकी गईं। कहा गया कि हमारी और अंग्रेजोंकी परिस्थितिमें हाथी-घोड़े जितना अंतर है— एक गुलाम दूसरा सरदार। ऐसी स्थितिमें गुलाम अपने प्रभुकी विपत्तिमें उसे स्वच्छा-पूर्वक कैसे मदद कर सकता है? फिर जो गुलाम अपनी गुलामीसे छूटना चाहता है उसका धर्म क्या यह नहीं कि प्रभुकी विपत्तिमें लान उठाकर अपना छुटवारा कर लेनेकी कोशिश करे? पर यह दलील मुझे उन समय मैंने पट सकती थी? यद्यपि मैं दोनों की स्थितिका महान् अंतर नमन करा था, फिर भी मुझे हमारी स्थिति विनकुल गुलामकी स्थिति नहीं मान्य होती थी। उस समय मैं यह समझे हुए था कि अंग्रेजी शासन-पद्धतिकी अपेक्षा किनने ही अंग्रेज अधिनारिदोषा दोष अधिन था और उन दोषको हम प्रेमसे दूर कर सकते हैं। मेरा यह जवाब था कि यदि अंग्रेजों द्वारा और उनकी महायताने हम अपनी स्थितिना सुधार चाहते हों तो हमें उनकी विपत्तिके समय महायताना पढ़ाकर अपनी स्थिति सुधारनी चाहिए। ब्रिटिश शासन-पद्धतिको मैं दोषमय तो मानता था, परन्तु आंग्रेजी तन्त्र यह उन समय अनह्य नहीं मान्य होती थी। अतएव आज जिस पन्ना दर्शनमान मानन-पद्धतिपरमे मेरा विश्वास उठ गया है और आज मैं अंग्रेजी राज्यकी महायताना नहीं कर सकता, इसी तन्त्र उन समय निज संशोधा विज्ञान उस पद्धतिपरमे ही नहीं, बल्कि अंग्रेजी अधिनारिदोषारने ही उठ पाया था, ये श्द जगनेके लिए मैंने तैयार हो सकते हैं ?

उन्होंने उन समयके प्रजापति नामें जंगने मान पेन करने और शासनमें सुधार करनेकी योजना उठानेके लिए बहुत प्रयत्न पाया। किन्तु मैंने जो अंग्रेजों-

की आपत्तिका समय समझकर भागे पैग करना उचित न समझा और जवनक लडाई चल रही है तवनक हक मागना मुलतबी रखनेके नयममे नभ्यना और दीर्घ-दृष्टि समझी। इसलिये मैं अपनी सनाहपर मजबूत बना रहा और कहा कि जिन्हें स्वय-सेवकोमे नाम लिखाना हो वे लिखा दे। नाम अच्छी सख्यामें धाये। उनमे लगभग नव प्रातो और सब वनोंके लोगोके नाम थे।

फिर लार्ड ब्रूके नाम एक पत्र भेजा गया। उनमें हम लोगोने अपनी यह इच्छा और तैयारी प्रकट की कि हिंदुस्तानियोंके लिए धायल सिपाहियोंकी नेवा-गुथ्रुपा करनेकी तालीमकी यदि आवश्यकता दिखार्ई दे तो उसके लिए हम तैयार हैं। कुछ मनाह-भगवरा करनेके बाद लार्ड ब्रूके हम लोगोका प्रस्ताव स्वीकार किया और डम वानके लिए हनारा अहसान माना कि हमने ऐमे ऐन मांकेपर साम्राज्यकी सहायता करनेकी तैयारी दिवार्ई।

जिन-जिन लोगोने अपने नाम लिखवाये थे उन्होने प्रसिद्ध डाक्टर केटली-की देख-रेखमें धायलोकी गुथ्रुपा करनेकी प्राथमिक तालीम लेना शुरू किया। छ मनाहका छोटाना शिक्षा-क्रम रक्त्ता गया था और इतने समयमें धायलोको प्राथमिक सहायता करनेकी मत्र विधिया मिम्बा दी जानी थी। हम कोई २० स्वयमेवक इस शिक्षा-क्रममे सम्मिलित हुए। छ सप्ताहके बाद परीक्षा ली गई तो उसमे निर्ण एक ही अत्स प्ले हुआ। जो लोग पाम हो गये उनके लिए सरकार-की ओरसे कवायद बगैरा सिखानेका प्रवव हुआ। कवायद मिखानेका भार कर्मन बेकरको संपा गया और वह डम टुकडोंके मुत्रिया बनाये गये।

इस समय विलायतका दृश्य देखने लायक था। युद्धने लोग घबराते नहीं थे, बल्कि सब उसमे यथाशक्ति मदद करनेके लिए जुट पडे। जिनका शरीर हटा-कटा था, वे नव-युवक नैतिक शिक्षा ग्रहण करने लगे। पशु अथवत्त वृद्धे और स्त्री आदि भी जाली हाथ न बैठे रहे। उनके लिए भी वे चाहे तो काम या ही। वे युद्धमे धायन सनिकके लिए कपडा इत्यादि सीने-काटनेका काम करने लगे। वहा स्त्रियोंका 'लाडनियम' नामक एक क्लव है। उसके सम्भोने नैतिक-विभागके लिए आवश्यक रूपडे यथा-शक्ति बनानेका जिम्मा ले लिया। नरोजिनो देवी भी इसकी नभ्य थी। उन्होने इसमें खूब दिलचस्पी ली थी। उनके साथ मेरा यह प्रथम ही परिचय था। उन्होने रूपडे ब्यात ब काटकर मेरे

सामने उनका एक डेर रख दिया और कहा कि जिनने मिला सकौं, उनने मिलाकर मुझे दे देना। मैंने उनकी इच्छाका स्वागत करने हुए धायतीकी धुन्धूपकी उस तालीमके दिनोमें जिनने कपडे तैयार हो नके उनने करने दे दिव्ये।

३६

धर्मकी समस्या

युद्धमें काम करनेके लिए हम कुछ लोगोंने सभा करके जो अपने नाम सरकारको भेजे उनकी खबर दक्षिण अफ्रीका पहुंचने ही क्यूंसे दो तार भेजे नाम आयें। उनमेंमें एक पोलकका था। उन्होंने पूछा था— 'आपका यह काम अहिंसा-सिद्धांतके खिलाफ तो नहीं है ?'

मैं ऐसे तार की आगका कर ही रहा था, क्योंकि 'हिंदू स्वराज्य'में भेजे इस विषयकी चर्चा की थी और दक्षिण अफ्रीकाने तो जिन्को साब उसकी चर्चा निरतग हुआ ही करती थी। हम सब इन बातको जानते थे कि युद्ध अन्याय-भङ्ग है। ऐसी हालतमें और जबकि मैं अपनेपर हमला करनेवालेपर भी मुकदमा चलानेके लिए तैयार नहीं हुआ था तो फिर जहाँ दो गज्जोंमें युद्ध चल रहा हो और जिनके भटे या बुरे होनेका मुझे पता न हो उनमें मैं महादगी कैसे कर सकता हूँ, यह प्रश्न था। हालांकि मिन लोग यह जानते थे कि मैंने बौद्ध-अपानमें योग दिया था तो भी उन्होंने यह मान लिया था कि उनके बाद मेरे विचारोंके परिवर्तन हो गया होगा।

और बात दरअन्तल यह थी कि जिन विचार-मार्गोंके अनुसर मैं बोधर-युद्धने निर्मातित हुआ था उसीका अनुसरण इन समय भी किया गया था। मैं ठीक-ठीक देव न्ना था कि युद्धमें शरीर हाना अहिंसाके सिद्धांतके अनुकूल नहीं है परन्तु बात यह है कि कर्त्तव्यता जान ननुष्यको हमेशा दितनी तरह स्पष्ट नहीं दिग्गर्त देना। मरने पुजारीकी वृत्त दार इस तरह गीने जन पडते है।

अहिंसा एक व्यापक बन्तु है। हम लोग ऐसे पानर प्राणी ह, जो हिंसाकी हीनाम फन हुए है। 'नीचो जीवन्त जीवन्त' यह बात समस्त नहीं है। ननुष्य एक दान भी नरह हिंसा गिये बिना नहीं जी सकता। नाने-नीने, बैठने-उठने समाम

क्रियाओमें इच्छासे या अनिच्छासे कुछ-न-कुछ हिंसा वह करता ही रहता है । यदि इस हिंसासे छूट जानेके वह महान् प्रयास करता हो, उसकी भावनामें केवल अनुकंपा हो, वह सूक्ष्म जंतुका भी नाश न चाहता हो और उसे बचानेका यथाशक्ति प्रयास करता हो तो समझना चाहिए कि वह अहिंसाका पुजारी है । उसकी प्रवृत्तिमें निरंतर समयकी वृद्धि होती रहेगी, उसकी कष्टा निरंतर बढ़ती रहेगी, परंतु इसमें कोई सदेह नहीं कि कोई भी देववारी बाह्य हिंसासे सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता ।

फिर अहिंसाके पेटमें ही अद्वैत भावनाका भी समावेश है । और यदि प्राणिमात्रमें भेद-भाव हो तो एकाके पापका असर दूसरेपर होता है और इस कारण भी मनुष्य हिंसासे सोलहो आना अछूता नहीं रह सकता । जो मनुष्य समाजमें रहता है वह, अनिच्छासे ही क्यों न हो, मनुष्य-समाजकी हिंसाका हिस्सेदार बनता है । ऐसी दगामें जब दो राष्ट्रोंमें युद्ध हो तो अहिंसाके अनुयायी व्यक्तिका यह धर्म है कि वह उस युद्धको रूकवाये । परंतु जो इस धर्मका प्रपालन न कर सके, जिसे विरोध करनेकी सामर्थ्य न हो, जिसे विरोध करनेका अधिकार न प्राप्त हुआ हो, वह युद्ध-कार्यमें शामिल हो सकता है और ऐसा करते हुए भी उसमेंसे अपनेको, अपने देशको और ससारको निकालनेकी हार्दिक कोशिश करता है ।

मैं चाहता था कि अंग्रेजी राज्यके द्वारा अपनी, अर्थात् अपने राष्ट्रकी, स्थितिका सुधार करू । पर मैं तो इंग्लैंडमें बैठा हुआ इंग्लैंडकी नी-सेनासे सुरक्षित था । उस बलका लाभ इस तरह उठाकर मैं उसकी हिंसकतामें सीबे-सीबे भागी हो रहा था । इसलिए यदि मुझे इस राज्यके साथ किसी तरह सबध रखना हो, इस साम्राज्यके झंडेके नीचे रहना हो तो या तो मुझे युद्धका खुल्लमखुल्ला विरोध करके जबतक उस राज्यकी युद्ध-नीति नहीं बदल जाय तबतक सत्याग्रह-शास्त्रके अनुसार उसका बहिष्कार करना चाहिए, अथवा भग करने योग्य कानूनोका सविनय भंग करके जेलका रास्ता लेना चाहिए, या उसके युद्ध-कार्यमें शरीक होकर उसका मुकाबला करनेकी सामर्थ्य और अधिकार प्राप्त करना चाहिए । विरोधकी शक्ति मेरे अदर थी नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि युद्धमें शरीक होनेका एक रास्ता ही मेरे लिए खुला था ।

जो मनुष्य बहूक धारण करता है और जो उसकी सहायता करता है, दोनोंमें अहिंसाकी दृष्टिमें कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता । जो आदमी डाकुओंकी टोलीमें उसकी आवश्यक सेवा करने, उमका भार उठाने, जब वह डाका टालता हो तब उमकी चौकीदारी करने, जब वह घायल हो तो उमकी सेवा करनेका काम करता है, वह उस डकैतीके लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना कि खुद वह डाकू । इस दृष्टिसे जो मनुष्य युद्धमें घायलोंकी सेवा करता है, वह युद्धके दोषोंमें मुक्त नहीं रह सकता ।

पोलकका तार आनेके पहले ही मेरे मनमें यह सब विचार उठ चुके थे । उनका तार आते ही मैंने कुछ मित्रोंसे इसकी चर्चा की । मैंने अपना धर्म समझकर युद्धमें योग दिया था और आज भी मैं विचार करता हूँ तो इस विचार-सरणिमें मुझे दोष नहीं दिखाई पड़ता । ब्रिटिश-साम्राज्यके मबघमें उस समय जो विचार मेरे थे उनके अनुसार ही मैं युद्धमें गरीब हुआ था और इसलिए मुझे उसका कुछ भी परचात्ताप नहीं है ।

मैं जानता हूँ कि अपने इन विचारोंका अचिंत्य मैं अपने समस्त मित्रोंके सामने उस समय भी सिद्ध नहीं कर सका था । यह प्रश्न सूक्ष्म है । इसमें मत-भेदके लिए गुंजाइश है । इसीलिए अहिंसा-धर्मको माननेवाले और सूक्ष्म रीतिसे उमका पालन करनेवालोंके सामने जितनी ही सकती है खोलकर मैंने अपनी राय पेश की है । सत्यका आप्रही व्यक्ति ऋद्धिका अनुसरण करके ही हमेशा कार्य नहीं करता, न वह अपने विचारोंपर हठ-पूर्वक आरुढ़ रहता है । वह हमेशा उसमें दोष होनेकी संभावना मानता है और उस दोषका ज्ञान हो जानेपर हर तरहकी जोखिम उठाकर भी उसको मजूर करता है और उसका प्रायश्चित्त भी करता है ।

४०

सत्याग्रहकी चकमक

इन तरह अपना धर्म समझकर मैं युद्धमें पड़ा तो सही, पर मेरे नसीबमें यह नहीं बढ़ा था कि उममें सीवा भाग लूँ, बल्कि ऐसे नाजुक मौकोंपर सत्याग्रहका

करनेकी नौबत आ गई ।

मैं लिख चुका हू कि जब हमारे नाम मजूर हो गये और लिखे जा चुके तब हमें पूरी कवायद सिखानेके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया । हम सबकी यह समझ थी कि यह अधिकारी महज युद्धकी तालीम देनेके लिए हमारे मुखिया थे, शेष सब बातोंमें टुकडीका मुखिया मैं था । मेरे साथियोंके प्रति मेरी जवाबदेही थी और उनकी मेरे प्रति । अर्थात् हम लोगोका खयाल था कि उस अधिकारीको सारा काम मेरी मारफत लेना चाहिए । परन्तु जिस तरह 'पूतके पाव पालनेमें ही नजर आ जाते हैं' उसी तरह उस अधिकारीकी आख हूमे पहले ही दिन कुछ और ही दिखाई दी । सोरावजी बहुत होशियार आदमी थे । उन्होने मुझे चेताया, "भाई साहब, सम्हल कर रहना । यह आदमी तो मालूम होता है अपनी जहागीरी चलाना चाहता है । हमें उसका हुकम उठानेकी जरूरत नहीं है । हम उसे अपना एक शिक्षक समझते हैं । पर जो यह नौजवान आये हैं वे तो हमपर हुकम चलाने आये हैं ऐसा मैं देखना हू ।" यह नवयुवक आक्सफोर्डके विद्यार्थी थे और हमें सिखानेके लिए आये थे । उन्हें बड़े अफसरने हमारे ऊपर नायब अफसर मुकरंर किया था । मैं भी सोरावजीकी वताई बात देख चुका था । मैंने सोरावजी को तसल्ली दिलाई और कहा— "कुछ फिकर मत करो ।" परन्तु सोरावजी ऐसे आदमी नहीं थे, जो झट मान जाते ।

"आप तो हैं भोले-मठारी । ये लोग मीठी-मीठी बातें बनाकर आपको धोखा देगे और जब आपकी आख खुलेगी तब कहोगे— 'बनो, अब सत्याग्रह करो ।' और फिर आप हमे परेशान करेगे ।" सोरावजीने हसते हुए कहा ।

मैंने जवाब दिया— "मेरा साथ करनेमें सिवा परेशानीके और क्या अनुभव हुआ है ? और सत्याग्रहीका जन्म तो धोखा खानेके लिए ही हुआ है । इसलिए परवा नहीं, अगर ये साहब मुझे धोखा दे दे । मैंने आपसे बीसो वार नहीं कहा है कि अतको वही धोखा खाता है, जो दूसरोको धोखा देता है ? "

यह सुनकर सोरावजीने कहकहा लगाया— "तो अच्छी बात है । जो, धोखा खाया करो । इस तरह किसी दिन सत्याग्रहमें मर मिटोगे और साथ-साथ हमको भी ले दूवोगे ।"

इन शब्दोंको लिखते हुए मुझे स्वर्गीय मिस हावहाउसके असहयोगके

दिनों में निरंतर कुछ अन्न खाते हैं— आत्मको मरने के लिए किसी दिन घूमने पर नजराना पड़े तो आश्चर्य नहीं। इंद्र आपको मरणांत दिवसके और आत्मीय रक्षा करे। योगेश्वरके पास वह आनन्दान्त तो उस समय हुई थी जब उस अधिकांशकी नियुक्ति का आरम्भ-काल था। परन्तु उन आरम्भ और अंतका अंतर योंही दिखता था। इसी बीच नृसिंह पत्नीने ब्रह्मकी बीनारी जोरके साथ पैदा हो गई थी।

चाँद के दिवसके उपवासके बाद अभी मेरा शरीर पतला नहीं था, फिर भी मैं स्वप्नदल पीछे नहीं रहता था। और कई बार धरसे ब्रह्मपदके मैदानतक पैदल जाता था। कोई दो मील दूर वह जगह थी और उन्हींके पत्तलका आत्मने नृसिंह कटिया पकड़नी पडी थी।

इसी स्थितिमें मुझे जन्म जना पड़ता था। हूने तो तो वहाँ रह जाते थे और मैं शम्भो घर वापस आ जाता। यही सत्याग्रहका अन्तर बड़ा हो गया था। उस अन्तरमें अग्नी हुकूमत बनाई। उसने हमें मायाशक्त वह दिया कि हम जानें न ही आपका मुखिया हू। उसने अपनी अन्तरिके दो-चार पदार्थ पाठ (नमूने) भी हमें बताये। योगेश्वर नेरे पास पहुँचे। वह उस जहाँ गौरीको ब्रह्मज्ञान करनेके लिए तैयार न थे। उन्होंने कहा— 'हमें सब हुकूम आग्नी मार्ग ही मिलने चाहिए। अभी तो हम तालीमी छावनोंमें हैं: पर अग्नीसे देखते हैं कि वेहूदे हुकूम बूटने से हैं। उन जवानोंमें और हममें गुरुवरी बातोंमें मेद-भाव रक्त जाया है। यह हमें ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकता। इसकी व्यक्तता तुरत हीनी चाहिए, नहीं तो हमारा सब काम फिड जाया। ये सब विद्याकी तथा हमारे मोक्ष, जो इस ज्ञानमें बरौक हुए हैं एक भी वेहूदा हुकूम ब्रह्मज्ञान न करेंगे। स्वात्मिकताकी रक्षा करनेके लक्ष्यसे जो काम हमने अगोकार किया है, उसमें यदि हमें उपमान ही सहन करना पड़े तो वह नहीं हो सकता।

मैं उस अन्तरके पास गया और मेरे पास जितनी विद्याएँ आई थीं, सब उसे सुना दी। उसने कहा— 'ये सब विद्याएँ नृसिंह निरन्तर दे दो। साथ ही उसमें अपना अधिकार भी जताया। कहा— 'विद्यापद आते नाश हो नहीं हो सकती। उन नष्ट अन्तरके नाममें मेरे पास आती चाहिए।' मैंने उत्तरमें कहा— 'नृसिंह अन्तर नहीं करता है। जैसी रुग्ण तो मैं एक गन्तुनी सिपाही ही हूँ। परन्तु हमारी दुकड़ीके मुखियाकी हैसियतसे आत्मको

मुझे उनका प्रतिनिधि मजूर करना चाहिए।” मैंने अपने पास आई शिकायते भी पेश की— “नायब अफसर हमारी टुकड़ीसे बिना पूछे ही मुकर्रर किये गये हैं और उनके व्यवहारसे हमारे अदर बहुत असतोप फैल गया है। इसलिए उनको बहासे हटा दिया जाय और हमारी टुकड़ीको अपना मुखिया चुननेका अधिकार दिया जाय।”

पर यह बात उनको जची नहीं। उन्होंने मुझसे कहा कि टुकड़ीका अपने अफसरको चुनना ही फौजी कानूनके खिलाफ है और यदि उस अफसरको हटा दिया जाय तो टुकड़ीमें आज्ञा-पालनका नाम-निशान न रह जायगा।

इसपर हमने अपनी टुकड़ीकी सभा की और उसमें सत्याग्रहके गभीर परिणामोकी ओर सबका ध्यान दिलाया। लगभग सबने सत्याग्रहकी सौगंध खाई। हमारी सभाने प्रस्ताव किया कि यदि ये वर्तमान अफसर नहीं हटाये गये और टुकड़ीको अपना मुखिया पसद न करने दिया गया तो हमारी टुकड़ी कवायदमें और कैंपमें जाना बंद कर देगी।

अब मैंने अफसरको एक पत्र लिखकर उसमें उनके रवैयेपर अपना घोर असतोप प्रकट किया और कहा कि मुझे अधिकारकी जरूरत नहीं है। मैं तो केवल सेवा करके इस कामको सागोपाग पूरा करना चाहता हू। मैंने उन्हें यह भी बताया कि बोअर-सग्राममें मैंने कभी अधिकार नहीं पाया था। फिर भी कर्नल गेलवे और हमारी टुकड़ीमें कभी झगड़ेका मौका नहीं आया था और वह मेरे द्वारा ही मेरी टुकड़ीकी इच्छा जानकर सब काम करते थे। इस पत्रके साथ उस प्रस्तावकी नकल भी भेज दी थी।

किंतु उस अफसरपर इसका कुछ भी असर न हुआ। उसका तो उलटा यह खयाल हुआ कि सभा करके हमारी टुकड़ीने जो यह प्रस्ताव पास किया है, वह भी सैनिक नियम और मर्यादाका भारी उल्लंघन था।

उसके बाद भारत-मन्त्रीको मैंने एक पत्रमें ये सब बातें लिख दी और हमारी सभाका प्रस्तावभी उनके पास भेज दिया।

भारत-मन्त्रीने मुझे उत्तरमें सूचित किया कि दक्षिण अफ्रीकाकी हालत दूसरी थी। यहा तो टुकड़ीके बड़े अफसरको नायब अफसर मुकर्रर करनेका हक है। फिर भी भविष्यमें वे अफसर आपकी सिफारिशोपर ध्यान दिया करेंगे।

जब मैं बीमार हुआ था तब मेरी बीमारी भी हमारी चर्चाका एक विषय हो गई थी। मेरे भोजनके प्रयोग तो उस समय भी चल ही रहे थे। उस समय मैं मूंगफली, कच्चे और पक्के केले, नींबू, जैतूनका तेल, टमाटर, अणूर इत्यादि चीजें खाता था। दूध, अनाज, दाल वगैरा चीजें विलकुल न लेता था। मेरी देखभाल जीवराज मेहता करते थे। उन्होंने मुझे दूध और अनाज लेनेपर बड़ा जोर दिया। इसकी गिकायत ठेठ गोखलेतक पहुंची। फलाहार-सबकी मेरी दलीलोके वह बहुत कायल न थे। तदुस्तीकी हिफाजतके लिए डॉक्टर जो-जो बतावे वह लेना चाहिए, यही उनका मत था।

गोखलेके आग्रहको न मानना मेरे लिए बहुत कठिन बात थी। जब उन्होंने बहुत ही जोर दिया तब मैंने उनसे २४ घंटेतक विचार करनेकी इजाजत मागी। केलनवेक और मैं घर आये। रास्तेमें मैंने उनके साथ चर्चा की कि इस समय मेरा क्या धर्म है। मेरे प्रयोगमें वह मेरे साथ थे। उन्हें यह प्रयोग पसंद भी था। परंतु उनका खल इस बातकी तरफ था कि यदि स्वास्थ्यके लिए मैं इस प्रयोगको छोड़ दू तो ठीक होगा। इसलिए अब अपनी अतरात्माकी आवाजका फंसला लेना हीं धाकी रह गया था।

सारी रात मैं विचारमें डूबा रहा। अब यदि मैं अपना सारा प्रयोग छोड़ दू तो मेरे सारे विचार और मतव्य धूलमें मिल जाते थे। फिर उन विचारोंमें मुझे कहीं भी भूल न मालूम होती थी। इसलिए प्रश्न यह था कि किस अगतक गोखलेके प्रेमके अवीन होना मेरा धर्म है, अथवा शरीर-रक्षाके लिए ऐसे प्रयोग किस तरह छोड़ देना चाहिए। अतको मैंने यह निश्चय किया कि धार्मिक दृष्टिसे प्रयोगका जितना अण आवश्यक है उतना रक्खा जाय और शेष बातोंमें डाक्टरकी आज्ञाका पालन किया जाय। मेरे दूध त्यागनेमें धर्म-भावनाकी प्रधानता थी। कलकत्तेमें गाय-भैसका दूध जिन घातक विधियों द्वारा निकाला जाता है उसका दृश्य मेरी आँखोंके सामने था। फिर यह विचार भी मेरे सामने था कि मासकी तरह पशुका दूध भी मनुष्यकी खुराक नहीं हो सकती। इसलिए दूध-त्यागका दृढ़ निश्चय करके मैं सुवह उठा। इम निश्चयसे मेरा दिल बहुत हलका हो गया था, किंतु फिर भी गोखलेका भय तो था ही। लेकिन साथ हीं मुझे यह भी विश्वास था कि वह मेरे निश्चयको उलटनेका उद्योग न करेंगे।

शामको 'नेमानल लिवरल क्लब'में हम उनसे मिलने गये । उन्होंने तुरंत पूछा— "क्यों डाक्टरकी मलाहके अनुसार ही चलनेका निश्चय किया है न ?

मैंने धीरेसे जवाब दिया— "और सब बातें मैं मान लूंगा, परंतु आप एक बातपर जोर न दीजिएगा । दूध और दूधकी बनी चीजें और मांस इतनी चीजें मैं न लूंगा । और इनके न लेनेसे यदि मौत भी आती हो तो मैं नमस्सना हूँ, उसका स्वागत कर लेना मेरा बर्मा है ।"

"आपने यह अतिम निर्णय कर लिया है ?" गोखलेने पूछा ।

"मैं समझता हूँ कि इसके सिवा मैं आपको इनरा उत्तर नहीं दे सकता । मैं जानता हूँ कि इससे आपकी दुःख होगा । परंतु मुझे क्षमा कीजिएगा ।" मैंने जवाब दिया ।

गोखलेने कुछ दृष्टसे, परंतु बड़े ही प्रेमसे कहा— "आपका यह निश्चय मुझे पनद नहीं । मुझे इसमें बर्माकी कोई बात नहीं दिखाई देती । पर भ्रम मैं इन बातपर जोर न दूंगा ।" यह कहते हुए जीवराज मेहताकी ओर मुखातिब होकर उन्होंने कहा— "अब गांधीको ज्यादा दिक न करो । उन्होंने जो मर्यादां वाच ली हैं उनके अदर इन्हे जो-जो चीजें दी जा सकती हैं वही देनी चाहिए ।"

टाण्टरने अपनी अप्रसन्नता प्रकट की, पर वह साधारण थे । मुझे नूतन पानी केनेकी मलाह दी । कहा— "उमने हींगका वषार दे लेना ।" मैंने इने मजूर कर लिया । एक-दो दिन मैंने वह पाणी लिया भी, परंतु इससे उनसे मेरा दह बट गया । मुझे वह मुआफि नही हुआ । इनमें मैं फिर फलाहार पर आ गया । टाण्टरके सलाज तो टाण्टरने जो मुनासिब नमस्सं निये ही । उनसे अनवला कुछ आशय था । परंतु मेरी इन मर्यादाओंपर वह बहुत विगडते । इमी बीच गोपने देम (भारतवर्ष) को रवाना हुए, ज्योंकि वह नदनका अकतूबर-नवंबरका बौद्ध महान नहीं पर सके ।

४२

इलाज क्या किया ?

दमतीरा नद मिट नहीं रहा था । उमने मेरी चिन्ता बढी । पर मैं जानता था कि क्या-क्या नहीं, बल्कि भोजनमें परिवर्तन करनेसे

और कुछ बाह्य उपचारसे बीमारी जरूर अच्छी हो जानी चाहिए ।

१८९० ई०में मैं डाक्टर एलिनसनसे मिला था, जोकि फलाहारी थे और भोजनके परिवर्तन द्वारा ही बीमारियोंका इलाज करते थे । मैंने उन्हें बुलाया । उन्होंने आकर मेरा शरीर देखा । तब मैंने उनसे अपने दूधके विरोधका जिक्र किया । उन्होंने मुझे दिलासा दिया और कहा, "दूधकी कोई जरूरत नहीं । मैं तो आपको कुछ दिन ऐसी ही खुराकपर रखना चाहता हूँ, जिसमें किसी तरह चर्बीका अणु न हो ।" यह कहकर पहले तो मुझे सिर्फ सूखी रोटी, कच्चे शाक और फलपर ही रहनेको कहा । कच्चे शाकोमें मूली, प्याज तथा इसी तरहकी दूसरी चीजें और सब्जी एव फलोमें खासकर नारंगी । इन शाकोको कीसकर या पीसकर खानेकी विधि बताई थी । कोई तीनोंक दिन इसपर रहा होऊंगा । परंतु कच्चे शाक मुझे बहुत मुआफिक नहीं हुए । मेरे शरीरकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह प्रयोग विधि-पूर्वक किया जा सके, और न उस समय मेरा इस बातपर विश्वास ही था । इसके अलावा उन्होंने इतनी बातें और बताईं— चौबीसो घंटे खिडकी खुली रखना, रोज गुनगुने पानीमें नहाना, दर्दकी जगहपर तेल मलना और पाव-भाव घटतेक खुली हवामें घूमना । यह सब मुझे पसंद आया । घरमें खिडकिया फ्रेच-तर्जकी थी । उनको सारा खोल देनेसे अदर वर्षाका पानी आता था । ऊपरका रोशनदान ऐसा नहीं था जो खुल सकता । इसलिए उसके काच तुडवाकर वहासे चौबीसो घंटे हवा आनेका रास्ता कर लिया । फ्रेंच खिडकिया इतनी खुली रखता था कि जिससे पानीकी बौछारे भीतर न आने पावें ।

इतना सब करनेसे स्वास्थ्य कुछ सुधरा जरूर । अभी विलकुल अच्छा तो नहीं हो पाया था । कभी-कभी लेडी सिसिलिया राबर्ट्स मुझे देखने आती । उनसे मेरा अच्छा परिचय हो गया था । उसकी प्रबल इच्छा थी कि मैं दूध पिया करूँ । सो तो मैं करता नहीं था । इसलिए उन्होंने दूधके गुणवाले पदार्थोंकी छानवीन शुरू की । उनके किसी मित्रने 'माल्टेड मिल्क' बताया और अनजानमें ही उन्होंने कह दिया कि इसमें दूधका लेशमात्र नहीं है, बल्कि रासायनिक विधिसे बनाई दूधके गुण रखनेवाली वस्तुओंकी बुकनी है । मैं यह जान चुका था कि लेडी राबर्ट्स मेरी धार्मिक भावनाओंको बड़े आदरकी दृष्टिसे देखती थी । इस कारण मैंने उस बुकनीको पानी में डालकर पिया

तो मुझे उतने दूध जैसा ही खाया जाय। अब मैंने 'पानी पीकर जल पूरने, रूमी खाना ही। पी चुानो मर जायतार लगी निटरी पटा तो भाग्य हूया कि यह तो दूसरी ही बनावट है। उगीना एक ही बार पीकर दो छोड देना पया। लेडी रावर्ट्जको मेने उगीना उतर गी मोर गिया कि आप जरा मे चित्ता न करे। मुने ही कह मेरे घर रोड घाटे श्री जग भूवर घज मरुतोम प्रवट रिया। उनके मिरने दोतरवारी निट परी ही नही थी। मेने जग मनी बहनका तमन्सी दी धोर जग धानगे लिए उनने भाफी भाफी रि जो चीत्र उनने कष्टके माय धारने भिजवाटे, उमे मे ग्रहण न कर ग्या। और मेने उनने यह भी कह दिया कि मेने तो त्रतजानमे घट चुगनी वा है, ना उगीना निग मुजे परवा-त्ताप या प्रायश्चित्त करनेवा रोटे गारण नही है।

लेडी रावर्ट्जके मारके और भी भयुग सम्मरण है जो पर उन्हे मे कहा छोड ही देना चाहता हू। ऐसे मो बहून-मे सम्मरण है जिनका नहान् खानद मुसे बहून विपत्तियो और विगोबमे भी गिर सरा है। अद्वावान् मनुष्य ऐसे मोडे मरमरणामे यह देवता है कि देवर जिन तरह दुम मपी कष्टे औरय देना है, उनी तरह वह मैत्रीके मोडे अनुपान भी उचो साय देना है।

दूसरी बार जब डाक्टर एनिन्सन देवने आये तो उन्होने और भी चीजोके जानेकी छुट्टी दी और मरीरमे चर्बी बटानेके लिए मूगफनी आदि सूखे मेवोकी चीजोका मरुजन अथवा जंतूनका तेल लेनेके लिए कहा। उच्चे धान मुआफिक न हो तो उन्हे पकाकर चावलके माय लेनेकी सगाह दी। यह तपवीज मुने बहुत मुआफिक हुई।

परन्तु बीमारी अभी निर्मूल न हुई थी। सम्हाल रखनेकी जरूरत तो अभी थी ही। अभी विछोनेपर ही पडा रहना पडना था। डाक्टर मेह्ता बीच-बीचमे आकर देख जाया करते थे और जब आने तमी कहा करते—अगर मेरा इलाज कगामो तो देखते-देखते आराम हो जाय।

यह सब हो रहा था कि एक रोज मि० रावर्ट्ज मेरे घर आये और मुजे जोर देकर कहा कि आप देस चले जाओ। उन्होने कहा, "ऐसी हालतमे आप नेटली हार्गज नही जा सकते। कडाकेका जाडा तो अभी आगे आनेवाला है। मे तो आपहके साब कहता हू कि आप देस चले जाय और कहा जाकर चगे हो

जायगे। नवनगर यदि युद्ध जारी रहा तो उनमें मदद करनेके और भी बहुत अवसर मिल जायगे। नही तो जो कुछ घातने यहाँ किया है उसे भी मैं कम नहीं समझता।”

मुझे उनकी यह गन्नाह अच्छी मालूम हुई और मैंने देम जानेकी तैयारी की।

४३

विदा

मि० कैलनवैक देम जानेके निश्चयमे हमारे साथ रवाना हुए थे। विनायनमे हम गात्र ही रहते थे। युद्ध जुग ही जानेके कारण जर्मन लोगोपर कुछ नई देखरेज थी और हम सबको उस वातपर शक था कि कैलनवैक हमारे साथ या नरुंगे या नही। उनके लिए पास प्राप्त करनेका मैंने बहुत प्रयत्न किया। मि० रास्टेनर उन पाल दिवा देनेके लिए रजामद थे। उन्होंने सारा हाल शत्रु द्वारा दाखलगीके लिखा, परंतु नाई हाजिरता नीमा और सूखा जवाब आया— “हमे प्रकामोस है, हम उस समय किमी तरह जाँचिम उठानेके लिए तैयार नही है।” हम नयने इन जवाबके अचिंत्यता समझा। कैलनवैकके बियोगका कुछ तो मुझे हुआ ही, परंतु मैंने देखा कि मेरी अनेका उनको ज्यादा हुआ। यदि वह भाग्यवर्षमे आ सके होते तो आज एक बडिया किसान और बुनकरका मादा जीवन व्यतीत करने होने। अब वह दक्षिण अफ्रीकामें अपना वही अमली जीवन व्यतीत करने है और स्यपति (मकान बनानेवाले) का घघा मजंगे कर रहे है।

हमने तीसरे दरजेका टिकट लेनेकी कोशिश की, परंतु पी एड ओके पहाजमे तीसरे दरजेका टिकट नही मिलता था, इसलिए हमारे दरजेका लेना पडा। दक्षिण अफ्रीकामे हम कितना ही ऐसा फलाहार साथ वाघ लाये थे जो जहाजमे नही मिल सकता। वह हमने साथ रख लिया था और दूसरी चीजें जहाजमे मिलती ही थी।

डान्टर मेहताने मेरे शरीरको मीथ्स प्लारटरके पट्टेसे बाध दिया था और मुझे कहा था कि पट्टा घघा रहने देना। दो दिनके बाद वह मुझे सहन न हो

सका और वडी मुश्किलके बाद मैंने उसे उतारा और नहान-धोने भी लगा। मुख्यतः फल और भेषके सिवाय और कुछ नहीं खाता था। इसमें तबियत दिन-दिन सुधरने लगी और स्वेजकी खाबीमें पहुचनेतक तो अच्छी हो गई। यद्यपि इससे शरीर कमजोर हो गया था फिर भी बीमारीका भय भिट गया था। और मैं रोज बीरे-बीरे कसरत बढाता गया। स्वास्थ्यमें यह शुभ परिवर्तन तो मेरा यह खयाल है कि समशीतोष्ण हवाके बदौलत ही हुआ।

पुराने अनुभव अथवा और किसी कारणसे हो, अप्रेज यात्रियो और हमारे अदर जो अतर में यहा देख पाया वह दक्षिण अफ्रीकासे आते हुए भी नहीं देखा था। वहा भी अतर तो था, परंतु यहा उससे और ही प्रकारका भेद दिखाई दिया। किसी-किसी अप्रेजके साथ बातचीत होती, परंतु वह भी 'साहव-सलामत' से आगे नहीं। हार्दिक भेट नहीं होती थी। किंतु दक्षिण अफ्रीकाके जहाजमें और दक्षिण अफ्रीकामें हार्दिक भेंट हो सकती थी। इस भेदका कारण तो मैं यही समझा कि इधरके जहाजोंमें अप्रेजोंके मनमें यह भाव कि 'हम शासक हैं' और हिंदुस्तानियोंके मनमें यह भाव कि 'हम गैरोंके गुलाम हैं' जानमे या अनजानमें काम कर रहा था।

ऐसे बातवचरणमें जल्दी छूटकर देम पहुचनेके लिए मैं धातुर हो रहा था। अदन पहुचनेपर ऐसा भास हुआ मानो थोड़े-बहुत धर आ गय है। अदन-वालोंके साथ दक्षिण अफ्रीकामें ही हमारा अच्छा राबघ बघ गया था, क्योंकि भाई बंकोबाद कावसजी दीनगा डरवन आ गये थे और उनके तथा उनकी पत्नीके साथ मेरा अच्छा परिचय हो चुका था। थोड़े ही दिनमें हम बवई आ पहुचे। जिम देगमें मैं १९०७में लौटनेकी आघा रक्ता था वहा १० वर्ष बाद पहुचनेसे भेरे मनकी उदा आनर हो रहा था। बवईमें योजलेने मभा बगैराका प्रबंध कर ही जाना था। उनका तबियत नाजुक थी। फिर भी वह बवई आ पहुचे थे। उनकी मुलाक़ात करते उनके जीवनमें मिल जाकर अपने मिररा बौस उतार टालनेकी उमंगमें मैं बवई पहुना था, परंतु चियानाने कुछ और ही रचना रच रखी थी।

'मेरे मन कष्ट और हैं, फर्ताके कष्ट और !'

४४

वकालतकी कुछ स्मृतियाँ

हिंदुस्तानमें भानेके बाद मेरे जीवनका प्रवाह किस ओर किस तरह बहा— इसका वर्णन करनेके पहले कुछ ऐसी बातोंका वर्णन करनेकी जरूरत मालूम होती है, जो मैंने जान-बूझकर छोड़ दी थी। कितने ही वकील मित्रोंने चाहा है कि मैं अपने वकालतके दिनोंके और एक वकीलकी हैसियतसे अपने कुछ अनुभव सुनाऊँ। अनुभव इतने ज्यादा हैं कि यदि सबको लिखने बैठूँ तो उन्हींसे एक पुस्तक भर जायगी। परंतु ऐसे वर्णन इस पुस्तकके विषयकी मर्यादाके बाहर चले जाते हैं। इसलिए यहाँ केवल उन्हीं अनुभवोंका वर्णन करना कदाचिन् अनुचित न न होगा, जिनका सबध सत्यसे है।

जहातक मुझे याद है, मैं यह बत चुका हूँ कि वकालत करते हुए मैंने कभी असत्यका प्रयोग नहीं किया और वकालतका एक घडा हिस्सा केवल लोक-सेवाके लिए ही अर्पित कर दिया था एव उसके लिए मैं जेब-खर्चसे अधिक कुछ नहीं लेता था और कभी-कभी तो वह भी छोड़ देता था। मैं यह मानकर चला था कि इतनी प्रतिज्ञा इस विभागके लिए काफी है। परंतु मित्र लोग चाहते हैं कि इससे भी कुछ आगेकी बातें लिखूँ, क्योंकि उनका खयाल है कि यदि मैं ऐसे प्रसंगोंका थोडा-बहुत भी वर्णन करूँ कि जिनमें मैं सत्यकी रक्षा कर सका तो उससे वकीलोंको कुछ जानने योग्य बातें मिल जायगी।

मैं अपने विद्यार्थी-जीवनसे ही यह बात सुनता आ रहा हूँ कि वकालतमें बिना झूठ बोले काम नहीं चल सकता। परंतु मुझे तो झूठ बोलकर न तो कोई पद प्राप्त करना था, न कुछ धन जुटाना था। इसलिए इन बातोंका मुझपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था।

दक्षिण अफ्रीकामें इसकी कसौटीके मौके बहुत बार आये। मैं जानता था कि हमारे विपक्षके गवाह सिखा-पढाकर लाये गये हैं और मैं यदि थोडा भी अपने मवकिलको या गवाहको झूठ बोलनेमें उत्साहित करूँ तो मेरा मवकिल जीत सकता है, परंतु मैंने हमेशा इस लालचको पास नहीं फटकने दिया। ऐसे

एक ही प्रमगवा स्मरण मुझे होता है कि जब मेरे मवकिलकी जीत हो जानेके बाद मुझे ऐसा शक हुआ कि उसने मुझे धोखा दिया। मेरे अंत करणमें भी हमेशा यही भाव रहा करता कि यदि मेरे मवकिलका पक्ष सच्चा हो तो उसकी जीत हो और झूठा हो तो उसकी हार हो। मुझे यह नहीं याद पड़ता कि मैंने अपनी फीसकी दर मामलेकी हार-जीतपर निश्चित की हो। मवकिलकी हार हो या जीत, मैं तो हमेशा मिहनताना ही मागता और जीत होनेके बाद भी उसीकी आशा रखता। मवकिलको भी पहले ही कह देता कि यदि मामला झूठा हो तो मेरे पास न आना। गवाहोंको बनानेका काम करनेकी आशा मुझसे न रखना। आये जाकर तो मेरी ऐसी साख बढ गई थी कि कोई झूठा मामला मेरे पास लाना ही नहीं था। ऐसे मवकिल भी मेरे पास थे जो अपने सच्चे मामले ही मेरे पास लाते और जिनमें जरा भी गद्दगी होती तो वे दूसरे वकीलके पास ले जाते।

एक ऐसा समय भी आया था कि जिसमें मेरी बड़ी कड़ी परीक्षा हुई। एक मेरे अच्छे-से-अच्छे मवकिलका मामला था। उसमें जमाखर्चकी बहुतेरी उलझनें थी। बहुत समयमें मामला चल रहा था। कितनी ही अदालतोंमें उनके कुछ-कुछ हिस्से गये थे। अंतको अदालत द्वारा नियुक्त हिसाब-परीक्षक पचके जिम्मे उसका हिसाब सौंपा गया था। पचके ठहरावके अनुसार मेरे मवकिलकी पूरी जीत होती थी, परंतु उसके हिसाबमें एक छोटी-सी परंतु भारी भूल रह गई थी। अमानामेकी रकम पचकी भूलमें उलटी लिख दी गई थी। विपक्षीने इस पचके फीसलेकी रद्द करनेकी दरस्वास्त दी थी। मेरे मवकिलकी तरफमें मैं छोटा वकील था। बड़े वकीलने पचकी भूल देख ली थी, परंतु उनकी राय यह थी कि पचकी भूल कबूल करनेके लिए मवकिल वाध्य नहीं था, उनकी यह साफ राय थी कि अपने खिलाफ जानेवाली किसी बातको मजूर करनेके लिए कोई वकील वाध्य नहीं है। पर मैंने कहा, इस मामलेकी भूल तो हमें कबूल करनी ही चाहिए।

बड़े वकीलने कहा— "यदि ऐसा करें तो इस बातका पूरा अदेश है कि अदालत इस सारे फीसलेकी रद्द कर दे और कोई भी समझदार वकील अपने मवकिलको ऐसी जोखिममें नहीं डालेगा। मैं तो ऐसी जोखिम उठानेके लिए कभी तैयार न होऊंगा। यदि मामला उलट जाय तो मवकिलको किना खर्च

उठाना पड़े और अतको कौन कह सकता है कि नतीजा क्या हो ? ”

इस बातचीतके समय हमारे मवक्किल भी मौजूद थे ।

मैंने कहा, “ मैं तो समझता हू कि मवक्किलको और हम लोगोको ऐसी जोखिम जरूर उठानी चाहिए । फिर इस बातका भी क्या भरोसा कि अदालतको भूल मालूम हो जाय और हम उसे मजूर न करे तो भी वह भूल-भरा फ़ैसला कायम ही रहेगा और यदि भूल सुधारते हुए मवक्किलको नुकसान सहना पड़े तो क्या हर्ज है ? ”

“ पर यह तो तभी न होगा जब हम भूल कबूल करे ? ” बड़े वकील बोले ।

“ हम यदि मजूर न करे तो भी अदालत उसे न पकड़ लेगी अथवा विपक्षी भी उमको न देख लेगे इस बातका क्या निश्चय ? ” मैंने उत्तर दिया ।

“ तो इस मुकदमेमें आप वहस करने जायगे ? भूल मजूर करनेकी शर्तपर मैं वहस करनेके लिए तैयार नहीं । ” बड़े वकीलने दुबताके साथ कहा ।

मैंने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, “ यदि आप न जायगे और मवक्किल चाहेगे तो मैं जानेके लिए तैयार हू । यदि भूल कबूल न की जाय तो इस मुकदमेमें मेरे लिए काम करना असंभव है । ”

इतना कहकर मैंने मवक्किलके मुहकी ओर देखा । वह जरा चिंतामें पड़े , क्योंकि इस मुकदमेमें मैं शुरूसे ही था और उनका मुझपर पूरा-पूरा विश्वास था । वह मेरी प्रकृतिसे भी पूरे-पूरे वाकिफ़ थे । इसलिए उन्होंने कहा— “ तो अच्छी बात है, आप ही वहस करने जाइए । शौकसे भूल मान लीजिए । हार ही नमीवमें लिखी होगी तो हार जायगे । आखिर साचको आच क्या ? ”

यह देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ । मैंने दूसरे उत्तरकी आशा ही नहीं रखी थी । बड़े वकीलने मुझे खूब चैताया और मेरी ‘हठधर्मी’के लिए मुझपर तरस खाया और साथ ही धन्यवाद भी दिया ।

अब अदालतमें क्या हुआ सो अगले अध्यायमें ।

४५

चालाकी ?

मेरी इस सलाहके औचित्यके विषयमें मेरे मनमें विलकुल सदेह न था, परंतु इस बातकी मेरे मनमें जरूर हिचकिचाहट थी कि मैं इस मुकदमेमें योग्यतापूर्वक बहम कर सकूंगा या नहीं। ऐसे जोखिमवाले मुकदमेमें बड़ी अदालतमें मेरा बहस करनेके लिए जाना मुझे बहुत भयावह मालूम हुआ। मैं मनमें बहुत डरने और कापने हुए न्यायाधीशके सामने खड़ा रहा। ज्योही इस भूलकी बात निकली त्योंही एक न्यायाधीश कह बैठे—

“क्या यह चालाकी नहीं है ?”

यह सुनकर मेरी त्थीरी बदली। जहां चालाकीकी बूतक नहीं थी वहां उमरु एक भ्राना मुझे असह्य मालूम हुआ। मैंने मनमें सोचा कि जहां पहलेमें ही न्यायाधीशका खयाल खराब है, वहां इस कठिन मामलेमें कैसे जीत होगी ? पर मैंने अपने गुम्मेको दबाया और धात होकर जवाब दिया—

“मुझे आश्चर्य होता है कि आप पूर्ण वाते मुननेमें पहले ही चालाकीका इलजाम लगाते हैं।”

“मैं इलजाम नहीं लगाना, निरुं अपनी धवा प्रकट करता हू।” वह न्यायाधीश बोले।

‘आपकी यह धका ही मुझे नो इलजाम जैसी मालूम होती है। मेरी मत्र बाने पढ़ते मुन लीजिए और फिर यदि कहीं धकाके लिए जगह हो तो आप असह्य धका उठावें’— मैंने उत्तर दिया।

“मुझे अफसोस है कि मैंने आपके बीचमें बाधा डानी। आप अपना स्पष्टीकरण कीजिए।” शात होकर न्यायाधीश बोले।

मेरे पान स्पष्टीकरणके लिए पूरा-पूरा मसाला था। मामलेकी धुस्झानमें ही धारा उठ मरी दूई और मैं प्रजलो अपनी दनीधरा कायल कर सका। उमने मेरा गौमता बट गया। मैंने उमे मत्र धाने ध्यारेधार ममझाई। जजने मेरी धान धीरजो मार मुता धीर धननो बट गमज गये कि यह भूल महज भूत ही थी

और बड़े परिश्रमसे तैयार किये इस हिसाबको रद्द करना उन्हें अच्छा न मालूम हुआ ।

विपक्षके वकीलको तो यह विश्वास ही था कि इस मूलके मान लिये जानेपर तो उन्हें बहुत बहस करनेकी जरूरत न रहेगी । परंतु न्यायाधीश ऐसी भूलके लिए, जो स्पष्ट हो गई है और सुधर सकती है, पक्षके फँसलेको रद्द करनेके लिए विलकुल तैयार न थे । विपक्षके वकीलने बहुत माया-पच्ची की, परंतु जिस जजने गका उठाई थी वही मेरे हिमायती हो बैठे ।

“ सि० गाबीने मूल न कबूल की होती तो आप क्या करते ? ” न्यायाधीशने पूछा ।

“ जिन हिसाब-विगारदोको हमने नियुक्त किया उनसे अधिक होशियार या ईमानदार विशेषज्ञको हम कहासे ला सकते हैं ? ”

“ हमें मानना होगा कि आप अपने मुकदमेकी असलियत अच्छी तरह जानते हैं । वड़े-से-वड़े हिसाबके अनुभवी मूल कर सकते हैं । और इस मूलके अलावा यदि कोई दूसरी मूल बता सके तो फिर कानूनकी कमजोर बातोका सहारा लेकर अदालत दोनों फरीकनको फिरसे खर्चमें डालनेके लिए तैयार नहीं हो सकती । और यदि आप कहे कि अदालत ही फिर नये सिरेसे इस मुकदमेकी सुनवाई करे तो यह नहीं हो सकता । ”

इस तथा इस तरहकी दूसरी दलीलोसे वकीलको शांत करके उस मूलको सुधारकर फिर अपना फँसला भेजनेका हुकम पक्षके नाम लिखकर न्यायाधीशने उस सुधारके हुए फँसले को कायम रक्खा ।

इससे मेरे हर्षका पार न रहा । क्या मेरे भव्यकिकल और क्या वड़े वकील वेनो गुप्त हुए और मेरी यह धारणा और भी दृढ़ हो गई कि वकालतमें भी सत्यका पालन करके सफलता मिल सकती है ।

परंतु पाठक इस बातको न भूले कि जो वकालत पेशेके तौरपर की जाती है उसकी मूलभूत बुराइयोको यह सत्यकी रक्षा छिपा नहीं सकती ।

४६

मनविकल साथी बने

नेटाल और ट्रासवालकी बकालतमें भेद था। नेटालमें एडवोकेट और अटर्नी ये दो विभाग होते हुए भी दोनों तमाम अदालतोंमें एकसाथ बकालत कर सकते थे। परंतु ट्रासवालमें बवईकी तरह भेद था। वहां एडवोकेट मनविकल-मवधी सारा काम अटर्नीके मार्फत ही कर सकता था। जो बैरिस्टर हो गया हो वह एडवोकेट अथवा अटर्नी किसी भी एकके कामकी सनद ले सकता है और फिर वहीं एक काम कर सकता था। नेटालमें मैंने एडवोकेटकी सनद ली थी और ट्रासवालमें अटर्नी की। यदि एडवोकेटकी ली होती तो मैं वहाके हिंदुस्ता-निमोंके नीचे संपर्कमें न आ पाता और दक्षिण अफ्रीकामें ऐसा बातावरण भी नहीं था कि गोरे अटर्नी मुझे मुकदमे ला-लाकर देते।

ट्रासवालमें इस तरह बकालत करते हुए मजिस्ट्रेटकी अदालतमें मैं बहुत-बार जा सकता था। ऐसा करते हुए एक मौका ऐसा आया कि मुकदमेकी सुनवाईके बीचमें मुझे पता चला कि मनविकलने मुझे धोखा दिया है। उसका मुकदमा झूठा था। वह कटघरेमें खड़ा हुआ तो मानो गिरा पड़ता था। इससे मैं मजिस्ट्रेटको यह कहकर बैठ गया कि आप मेरे मनविकलके खिलाफ फंसला दीजिए। विपक्षका वकील यह देखकर दग रह गया। मजिस्ट्रेट खुश हुआ। मैंने मनविकलको बड़ा उसाहना दिया, क्योंकि उसे पता था कि मैं झूठे मुकदमे नहीं लेता था। उसने भी यह बात मजूर की और मैं नमसजता हू कि उसके खिलाफ फंसला होनेसे वह नाराज नहीं हुआ। जो हो, पर इतना जरूर है कि मेरे सत्य व्यवहारका कोई बुरा अमर मेरे पेशेपर नहीं हुआ और अदालतमें मेरा काम बड़ा भरल हां गया। मैंने यह भी देखा कि मेरी इस मन्य-पूजाकी बदौलत वकील-बबुयोंमें भी मेरी प्रतिष्ठा बढ गई थी और परिस्थितिकी विचित्रताके रहते हुए भी मैं उनमेंसे निरानो-की ही प्रीति सपादन कर मना था।

बकालत करने हुए मैंने अपनी एक ऐसी आदत भी डाल ली थी कि मैं अपना अज्ञान न मनविकलने छिपाता, न बकीलोसि। उहा बात मेरी नमसजमे

नहीं आतीं वहा में मवकिलको दूसरे वकीलके पास जानेको कहता अथवा यदि वे मुझे हीं वकील बनाते तो अधिक अनुभवी वकीलकी सलाह लेकर काम करने की प्रेरणा करता । अपने इस शुद्ध भावकी बदौलत में मवकिलका झूट प्रेम और विश्वास सपादन कर सका था । बड़े वकीलकी फीस भी वे खुशी-खुशी देते थे ।

इस विश्वास और प्रेमका पूरा-पूरा लाभ मुझे सार्वजनिक कामो मे मिला ।

पिछले अध्यायोमें मैं यह बता चुका हू कि दक्षिण अफ्रीकामे वकालत करनेमें मेरा हेतु केवल लोक-सेवा था । इससे मेवा-कार्यके लिए भी मुझे लोगोंका विश्वास प्राप्त कर लेनेकी आवश्यकता थी । परतु वहाके उदार-हृदय मारतीय भाइयोने फीस लेकर की हुई वकालतको भी सेवाका हीं गौरव प्रदान किया और जब उन्हें उनके हकोके लिए जेल जाने और वहाके कष्टके सहन करनेकी सलाह मने दी तब उसका अगीकार उनमेंसे बहुतेने ज्ञानपूर्वक करनेकी अपेक्षा मेरे प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेमके कारण हीं अधिक किया था ।

यह लिखते हुए वकालतके समयकी कितनी हीं मीठी बातें कलममे भर रही हैं । सैकड़ो मवकिल मित्र बन गये, सार्वजनिक सेवामें मेरे सच्चे साथी बने और उन्होने मेरे कठिन जीवनको रस-मय बना डाला था ।

४७

मवकिल जेलसे कैसे बचा ?

पारसी खस्तमजीके नामसे इन अध्यायोके पाठक भलीभाति परिचित हैं । पारसी खस्तमजी मेरे मवकिल और सार्वजनिक कार्यमें साथी, एक हीं साथ बने, वल्कि यह कहना चाहिए कि पहले साथी बने और बादको मवकिल । उनका विश्वास जो मने इस हदतक प्राप्त कर लिया था कि वह अपनी घर और खानगी बानोमें भी मेरी सलाह मागते और उसका पालन करते । उन्हें यदि कोई बीमारी भी हो तो वह मेरी सलाहकी जरूरत समझते और उनकी और मेरी रहन-सहनमें बहुत-कुछ भेद रहनेपर भी वह खुद मेरे उपचार करते ।

मेरे इस साथीपर एक बार बड़ी भारी किमत्ति आ गई थी । हासकि

वह अपनी व्यापार-सबर्धी भी बहुत-सी बातें मुझसे किया करते थे, फिर भी एक बात मुझसे छिपा रखती थी। वह चुगी चुरा लिया करते थे। बर्बई-कलकत्तेसे जो माल मगाले उसकी चुगीमे चोरी कर लिया करते थे। तमाम अधिकारियोंसे उनका राह-रसूक अच्छा था। इसलिए किसीको उनपर शक नहीं होता था। जो बीजक वह पेश करते उसीपरसे चुगीकी रकम जोड़ ली जाती। शायद कुछ कर्मचारी ऐसे भी होंगे, जो उनकी चोरीकी धोरसे आखें मूढ लेते हों।

परतु आखा भयतकी यह वाणी कही झूठी हो सकती है ? —

“काचो पारो खावो अन्न, तेवुं छे चोरी मुं घन ।”

(यानी कच्चा पारा खाना और चोरीका घन खाना बराबर है ।)

एक बार पारसी रुस्तमजीकी चोरी पकड़ी गई। तब वह मेरे पाम दीडे आये। उनकी आखोंसे आसू निकल रहे थे। मुझसे कहा— “भाई, मैंने तुमको धोखा दिया है। मेरा पाप आज प्रकट हो गया है। मैं चुगीकी चोरी करता रहा हू। अब तो मुझे जेल भोगनेके सिवा दूसरी गति नहीं है। बस, अब मैं बरवाद हो गया। इस आफतमेंसे तो आप ही मुझे बचा सकते हैं। मैंने वैसे आपसे कोई बात छिपा नहीं रखी है, परतु यह समझकर कि यह व्यापारकी चोरी है, इसका जिक्र आपसे क्या करू, यह बात मैंने आपसे छिपाई थी। अब इसके लिए पछताता हू।”

मैंने उन्हें धीरज और दिलासा देकर कहा— “मेरा तरीका तो आप जानते ही हैं। छुडाना-न-छुडाना तो खुदाके हाथ है। मैं तो आपको उसी हालतमें छुडा सकता हू जब आप अपना गुनाह कबूल कर ले।”

यह सुनकर इम मने पारसीका चेहरा उतर गया ।

“परतु मैंने आपके सामने कबूल कर लिया, इतना ही क्या काफी नहीं है ? ” रुस्तमजी सेठने पूछा ।

“आपने कबूल तो सरकारका किया है, तो मेरे सामने कबूल करनेसे क्या होगा ? ” मैंने धीमेमे उत्तर दिया ।

“अतकां तो मैं वही करूंगा, जो आप बतावेंगे, परतु मेरे पुराने वकीलकी भी तो सलाह ले ले, वह मेरे मित्र भी हैं।” पारसी रुस्तमजी ने कहा ।

अधिक पूछ-ताछ करनेसे मालूम हुआ कि यह चोरी बहुत दिनोंसे होती आ रही थी। जो चोरी पकड़ी गई थी वह तो थोड़ी ही थी। पुराने वकीलके पास हम लोग गये। उन्होंने सारी बात सुनकर कहा कि “यह मामला जूरी के पास जायगा। यहांके जूरी हिंदुस्तानीको क्यों छोड़ने लगे ? पर मैं निराश होना नहीं चाहता।”

इन वकीलके साथ मेरा गाढा परिचय न था। इसलिए पारसी रुस्तमजी-ने ही जवाब दिया— “इसके लिए आपको धन्यवाद है। परतु इस मुकदमेमें मुझे मि० गांधीकी सलाहके अनुसार काम करना है। वह मेरी बातको अधिक जानते हैं। आप जो कुछ सलाह देना मुनासिब समझें हमें देते रहिएगा।”

इस तरह थोड़ेमें समेटकर हम रुस्तमजी सेठकी दूकानपर गये।

मैंने उन्हें समझाया— “मुझे यह मामला अदालतमें जाने लायक नहीं दिखाई देता। मुकदमा चलाना न चलाना चुगी-अफसरके हाथ में है। उसे भी सरकारके प्रधान वकीलकी सलाहसे काम करना होगा। मैं इन दोनोंसे मिलनेके लिए तैयार हू, परतु मुझे तो उनके सामने यह चोरीकी बात कबूल करना पड़ेगी, जोकि वे अभीतक नहीं जानते हैं। मैं तो यह सोचता हू कि जो जुरमाना वे तजवीज कर दें उसे मजूर कर लेना चाहिए। बहुत मुमकिन है कि वे मान जायगे। परतु यदि न मानें तो फिर आपको जेल जानेके लिए तैयार रहना होगा। मेरी राय तो यह है कि लज्जा जेल जानेमें नहीं, बल्कि चोरी करनेमें है। अब लज्जाका काम तो हो चुका, यदि जेल जाना पड़े तो उसे प्रायश्चित्त ही समझना चाहिए। सच्चा प्रायश्चित्त तो यह है कि अब आगेसे ऐसी चोरी न करनेकी प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए।” मैं यह नहीं कह सकता कि रुस्तमजी सेठ इन सब बातोंको ठीक-ठीक समझ गये हो। वह बहादुर आदमी थे। पर इस समय हिम्मत हार गये थे। उनकी इज्जत विगड़ जाने का मौका आ गया था और उन्हें यह भी डर था कि खुद मिहनत करके जो यह इमारत खड़ी की थी वह कहीं सारी-की-सारी न ढह जाय।

उन्होंने कहा— “मैं तो आपसे कह चुका हू कि मेरी गर्दन आपके हाथमें है। जैसा आप मुनासिब समझें वैसा करें।”

मैंने इस मामलेमें अपनी सारी कला और सौजन्य खर्च कर डाला।

चुगीके अफसरने मिला, चोरीकी मारी बात मने नि गक होकर उनसे कहेदी, यह भी कह दिया कि "आप चाहे तो सब कागज-पत्र देख लीजिए। पारसी स्तनमजीको इस घटनापर बड़ा पञ्चात्ताप हो रहा है।"

अफसरने कहा— "मैं इस पुराने पारसीको चाहता हू। उमने की तो यह बेवकूफी है, पर इस मामलेमें मेरा फर्ज क्या है, सो आप जानते हैं। मुझे तो प्रचान बकीलकी आज्ञाके अनुसार करना होगा। इसलिए आप अपनी सपझानेकी सारी कलाका जितना उपयोग कर सकें वहा करें।"

"यदि पारसी स्तनमजीको अदालतमें घसीट ले जानेपर जोर न दिया जाय तो मेरे लिए बस है।"

इस अफसरने अभय-दान प्राप्त करके मने सरकारी बकीलके माय पत्र-व्यवहार गृह किया और उनसे मिला भी। मुझे कहना चाहिए कि मेरी मत्प्रियताको उन्होंने देख लिया और उनके मामलेमें यह मिट्ट कर नका कि मैं कोई बात उनमें छिपाता नहीं था। इस अथवा किमी दूसरे मामलेमें उनमे सावका पडा तो उन्होंने मुझे यह प्रमाण-पत्र दिया था— "मैं देखता हू कि आप जवाबमें 'ना' तो लेना ही नहीं जानते।"

स्तनमजीपर मुकदमा नहीं चलाया गया। हुक्म हुआ कि जिननी चोरी पारसी स्तनमजीने कबूल की है उसके दूने रुपये उनमे ले लिये जाय और उनपर मुकदमा न चलाया जाय।

स्तनमजीने अपनी इस चुगी-चोरीका किम्ना लिखकर काचमें जड़ाकर अपने दफ्तरमें टंग दिया और अपने वारिसो तथा भायी व्यापारियोंको ऐसा न करनेके लिए खबरदार कर दिया। स्तनमजी सेठके व्यापारी मित्रोंने मुझे सावधान किया कि यह सच्चा वैराग्य नहीं स्मगान वैराग्य है।

पर मैं नहीं कह सकता कि इस बातमें किननी सत्यता होगी। जब मने यह बात स्तनमजी सेठमें कही तो उन्होंने जवाब दिया कि आप हो बोकर देकर मैं वहा जाऊंगा।

पांचवां भाग

१

पहला अनुभव

मेरे देश पहुँचनेसे पहले ही फिनिक्ससे देग पहुँचनेवाले लोग वहा पहुँच चुके थे । हिसाब तो हम लोगोने यह लगाया था कि मैं उनसे पहले पहुँच जाऊंगा, परतु मैं महायुद्धके कारण लदनमें रुक गया था, इसलिए मेरे सामने सवाल यह था कि फिनिक्स-वासियोको रक्खू कहा ? मैं चाहता तो यह था कि सब एक साथ ही रह सकें और फिनिक्स-आश्रमका जीवन बिता सकें तो अच्छा । किसी आश्रमके सचालकसे मेरा परिचय भी नहीं था कि जिससे मैं उन्हें वहा जानेके लिए लिख देता । इसलिए मैंने उन्हें लिखा था कि वे एड्रूज साहबसे मिलकर उनकी सलाहके मुताबिक काम करे ।

पहले वे कागडी-गुरुकुलमें रक्खे गये । वहा स्वर्गीय श्रद्धानदजीने उन्हें अपने बच्चोकी तरह रक्खा । उसके बाद वे शांति-निकेतनमें रक्खे गये, जहा कविवरने और उनके समाजने उनपर उतनी ही प्रेम-दृष्टि की । इन दो स्थानोपर जो अनुभव उन्हें मिला वह उनके तथा मेरे लिए बडा उपयोगी साबित हुआ ।

कविवर, श्रद्धानदजी और श्री सुशील खड्को मैं एड्रूजकी 'त्रिमूर्ति' मानता था । दक्षिण अफ्रीकामें वह इन तीनोंकी स्तुति करते हुए थकते नहीं थे । दक्षिण अफ्रीकामें हमारे स्नेह-सम्मेलनकी बहुत-सी स्मृतियोंमें यह सदा धिरी आखोके सामने नाचा करती है कि इन तीन महापुरुषोके नाम तो उनके हृदयमें और ओठोपर रहते ही थे । सुशील खड्के परिचयमें भी एड्रूजने मेरे बच्चोको ला दिया था । खड्के पास कोई आश्रम नहीं था, उनका अपना घर ही था, परतु उस घरका कब्जा उन्होंने मेरे इस परिवारको दे दिया था । उनके बाल-बच्चे इनके साथ एक ही दिनमें इतने हिल-मिल गये थे कि ये फिनिक्सको भूल गये ।

जिस समय मैं बबई बंदरपर उतरा तो वहाँ मुझे खबर हुई कि उन बिना यह परिवार शान्ति-निकेतनमें था। इसलिए गोदलेमें मिलकर मैं वहाँ जानेके लिए अवीर हो रहा था।

बबईमें स्वागत-सत्कारके समय ही मुझे एक छोटा-सा सत्याग्रह करना पड़ा था। मि० पेट्टिके यहाँ मेरे निमित्त स्वागत-सभा की गई थी। वहाँ तो स्वागतका उत्तर गुजरातीमें देनेकी मेरी हिम्मत न हुई। इस महलमें और आसनों की चौंघिया देनेवाले वहाँके ठाट-शाटमें, मैं जो गिरमिटियोंके सहवासमें रहा था, देहातके एक गवारकी तरह मालूम होता था। आज जिस तरहकी वेप-भूषा मेरी है, उनमें तो उस समयका अग्रस्ता, माफ़ा इत्यादि अशुभ सभ्य पहनावा कहा जा सकता है। फिर भी उस अलङ्कृत समाजमें मैं एक बिलकुल अलग आदमी मालूम होता था, परंतु वहाँ तो मैंने ज्यों-ज्यों करके अपना काम चलाया और फिरोजशाह मेहताकी छायामें जैसे-तैसे आश्रय लिया।

ऐसे अवसरपर गुजराती लोग भला मुझे क्यों छोड़ने लगे? स्वर्गीय उत्तमलाल त्रिवेदीने भी एक सभा नियमित की थी। इस सभाके नववर्षमें कुर्वाते मैंने पहले ही जान ली थी। गुजराती होनेके कारण मि० जिन्ना भी उसमें आये थे। वह सभापति थे या प्रधान वक्ता थे, यह बात मैं मूल गया हूँ। उन्होंने अपना छोटा और मीठा भाषण अंग्रेजीमें किया और मुझे ऐसा याद पड़ता है कि और लोगोंके भाषण भी अंग्रेजीमें ही हुए थे; परंतु जब मेरे बोलनेका अवसर आया तब मैंने अपना जवाब गुजरातीमें ही दिया और गुजराती तथा हिंदुस्तानी भाषा-विषयक अपना पक्षपात मैंने वहाँ थोड़े शब्दोंमें प्रकट किया। इस प्रकार गुजरानियोंकी सभामें अंग्रेजी भाषाके प्रयोगके प्रति मैंने अपना नज्ज विरोध प्रदर्शित किया। ऐसा करने हुए मेरे मनमें नकोच तो बड़ा होता था। बहुत मनननन्त देनसे बाहर रहनेके बाद जो गल्स स्वदेगको लौटता है वह, देसकी बातोंसे अपरिचित आदमी, यदि प्रचलित प्रथाके विपरीत आचरण करे, तो यह अविवेक तो न होगा, यह शका मनमें बराबर आया करती थी, परंतु गुजरातीमें जो मैंने उत्तर देनेका माहस किया उसका किमीने उल्टा अर्थ नहीं लगाया और मेरे विरोधको सबने महन कर लिया यह देखकर मुझे आनंद हुआ और इन परने मैंने जह ननीजा निकाल कि मेरे दूसरे, नये-में प्रनीत होनेवाले, विचार भी यदि मैं लोगोंके नामने रखूँ

तो इसमें कोई कठिनाई नहीं आवेगी ।

इस तरह बंबईमें दो-एक दिन रहकर देसका आरम्भिक अनुभव ले गोखलेकी आज्ञासे मैं पूना गया ।

२

गोखलेके साथ पूनामें

मेरे बंबई पहुंचते ही गोखलेने मुझे तुरत खबर दी कि बंबईके गवर्नर आपमें मिलना चाहते हैं और पूना आनेके पहले आप उनसे मिल आवे तो अच्छा होगा । इसलिए मैं उनसे मिलने गया । मामूली बातचीत होनेके बाद उन्होंने मुझसे कहा—

“आपसे मैं एक वचन लेना चाहता हू । मैं यह चाहता हू कि सरकारके सबधमें यदि आपको कहीं कुछ आंदोलन करना हो तो उसके पहले आप मुझसे-मिल लें और बातचीत कर लें ।”

मैंने उत्तर दिया कि यह वचन देना मेरे लिए बहुत सरल है, क्योंकि मत्याग्रहीकी हैसियतसे मेरा यह नियम ही है कि किसीके खिलाफ कुछ करनेके पहले उसका दृष्टि-बिंदु खुद उसीसे समझ लू और अपनेमें जहातक हो सके उसके अनुकूल होनेका यत्न करू । मैंने हमेशा दक्षिण अफ्रीकामें इस नियमका पालन किया है और यहा भी मैं ऐसा ही करनेका विचार करता हू ।

लार्ड विलिंगडनने इसपर मुझे धन्यवाद दिया और कहा—

“आप जब कभी मिलना चाहे, मुझसे तुरत मिल सकेंगे और आप देखेंगे कि सरकार जान-बूझकर कोई बुराई करना नहीं चाहती ।”

मैंने जवाब दिया— “इसी विश्वासपर तो मैं जी रहा हू ।”

अब मैं पूना पहुंचा । वहाके तमाम सम्मरण लिखना मेरी सामर्थ्यके बाहर है । गोखलेने और भारत-सेवक-समितिके सदस्योंने मुझे प्रेमसे पाग दिया । जहातक मुझे याद है उन्होंने तमाम सदस्योंको पूना बुलाया था । सबके साथ दिल खोलकर मेरी बातें हुईं । गोखलेकी तीव्र इच्छा थी कि मैं भी समितिमें आजाऊ । इधर मेरी तो इच्छा थी ही; परन्तु उसके सदस्योंकी यह धारणा हुई

कि नमित्तिके आदर्श और उनकी कार्यप्रणाली मुझे भिन्न थी। इसलिए वे दुविधामें थे कि मुझे नदम्य होना चाहिए या नहीं। गोबलेकी यह माल्वा थी कि अपने आदर्शपर दृष्ट रहनेकी जितनी प्रवृत्ति मेरी थी उतनी ही दूसरोंके आदर्शकी रखा करने और उनके नाय मिल जानेका स्वभाव भी था। उन्होंने कहा— “परतु हमारे मायी आपके दूसरोको निना लेनेके इन गुणको नहीं पहचान पाये हैं। वे अपने आदर्शपर दृष्ट रहनेवाले स्वतन्त्र और निश्चित विचारके लोग हैं। मैं आशा तो यही रखता हूँ कि वे आपको सदस्य बनाना मंजूर कर लेंगे, परतु यदि न भी करें तो आप इनमे यह तो हर्गिज न समझेंगे कि आपके प्रति उनका प्रेम या आदर कम है। अपने इन प्रेमको अलङ्घित रहने देनेके लिए ही वे निनी नगहकी जोखिम उठानेमें डरते हैं, परतु आप नमित्तिके वाक्यावदा नदस्य हो, या न हो, मैं तो आपको नदम्य मानकर ही चलूंगा।’

मैंने अपना मकल्प उनपर प्रकट कर दिया था। नमित्तिका सदस्य बनू या न बनू एक आश्रमकी स्थापना करके फिनिक्सके माधियोंको उनमें रखकर में बैठ जाना चाहता था। गुजराती होनेके कारण गुजरातके द्वारा मंवा करनेकी, पूजा मेरे पाम आर्थिक होनी चाहिए, इन विचारसे गुजरातमें ही कहीं स्थिर होनेकी टच्छा थी। गोबलेको यह विचार पनद आया और उन्होंने कहा—

“जल्द आश्रम स्थापित करो। सदस्योंके नाय जो वातचीन हुई है उमका फल कुछ भी निकलना रहे, परतु आपको आश्रमके लिए धन तो मुझ हीमें लेना है। उमे मैं अपना ही आश्रम समझूंगा।’

यह सुनकर मेरा हृदय फूल उठा। वदा मागनेकी समदमे वचा, यह समझकर बडी खुशी हुई और इन विध्वानमे कि अब मुझे अकेले अपनी जिम्मेदारी-पर कुछ न करना पड़ेगा, बल्कि हरेक उलझनके समय मेरे लिए एक पयदांक यहां हैं, ऐसा मालूम हुआ मानो मेरे सिरका बोझ उतर गया।

गोबलेने स्वर्गीय डाक्टर देवको बुलाकर कह दिया— “गावीका खाना अपनी नमित्तिके डाल लो और उनको अपने आश्रमके लिए तथा नार्बजलिक कामोंके लिए जो कुछ रुपया चाहिए वह देते जाना।’

अब मैं पूना छोडकर शांति-निकेनन जानेकी नैयारी कर रहा था। अन्तिम गनको गोबलेने स्वामि मित्रोंकी एक पार्टी इन विधिये की, जो मुझे सचिकर होती।

उसमे वही चीजे अर्थात् फल और मेवे मगाये थे, जो मैं खाया करता था। पार्टी उनके कमरेसे कुछ ही दूरपर थी। उनकी हालत ऐसी न थी कि वे बहातक भी आ सकते, परतु उनका प्रेम उन्हें कैसे रकने देता ? वह जिद करके आये थे, परतु उन्हें गश् आ गया और वापस लौट जाना पडा। ऐसा गश् उन्हें बार-बार आ जाया करता था, इसलिए उन्होंने कहलवाया कि पार्टीमे किसी प्रकारकी गडबड न होनी चाहिए। पार्टी क्या थी, समितिके आश्रममे अतिथि-घरके पासके मैदानमें जाजम बिछाकर हम लोग बैठ गये थे और भूगफनी, खजूर वगैरा खाते हुए प्रेम-वार्ता करते थे एव एक-दूसरेके हृदयको अधिक जाननेका उद्योग करते थे।

किंतु उनकी यह भूर्छा मेरे जीवनके लिए कोई भामूली अनुभव नहीं था।

३

धमकी ?

बवईसे मुझे अपनी विधवा भौजाई और दूसरे कुटुंबियोमे मिलनेके लिए राजकोट और पोरबंदर जाना था। इसलिए मैं राजकोट गया। दक्षिण अफ्रीकामें सत्याग्रह-आंदोलनके सिलसिलेमें मैंने अपना पहनावा लगभग गिरमिटिया मजूरकी तरह कर लिया था। विलायतमें भी यही लिबास रक्खा था। देसमें आकर मैं काठियावाडका पहनावा पहनना चाहता था, दक्षिण अफ्रीकामें काठियावाडी कपडे मेरे पास थे। इमसे बवईमें मैं काठियावाडी लिबासमें अर्थात् कुरता, अगरखा, धोती और सफेद साफा पहने हुए उतर सका था। ये सब कपडे देसी मिलके बने हुए थे। बवईमें काठियावाडतक तीसरे दरजेमें सफर करनेका निश्चय था। सो वह साफा और अगरखा मुझे एक जजाल मालूम हुए। इसलिए सिर्फ एक कुरता, धोती और आठ-दस आनेकी कश्मीरी टोपी साथ रक्खे थे। ऐसे कपडे पहननेवाला आम तौरपर गरीब आदिमियोमें ही गिना जाता है। इस समय वीरमगाम और वडवाणमें, प्लेगके कारण, तीसरे दरजेके मुसाफिरोकी जाच-पडताल होती थी। मुझे उस समय हनका-सा बुझार था। जाच करनेवाले अफसरने मेरा हाथ देखा तो उसे वह

गरम मालूम हुआ, इसलिए उसने हुकम दिया कि राजकोट जाकर डाक्टरसे मिलो और मेरा नाम लिख लिया ।

बवईसे शायद किसीने तार या चिट्ठी भेज दी होगी, इस कारण बढवाण स्टेशनपर दर्जी मोतीलाल, जो वहाके एक प्रसिद्ध प्रजा-सेवक माने जाते थे, मुझसे मिलने आये । उन्होने मुझसे वीरमगामकी जकातकी जाचका तथा उसके सबबमें होनेवाली तकलीफोंका जिक्र किया । मुझे बुझार चढ रहा था, इसलिए बात करनेकी इच्छा कम ही थी । मैंने उन्हें थोडेमें ही उत्तर दिया—

“आप जेल जानेके लिए तैयार हैं ?”

इस समय मैंने मोतीलालको वैसा ही एक युवक समझा, जो बिना विचार उत्साहमें ‘हा’ कर लेते हैं, परन्तु उन्होने वडी दृढताके साथ उत्तर दिया—

“हा, जरूर जेल जायगे, पर आपको हमारा भ्रगुध्रा बनना पडेगा काठियावाडीकी हैसियतसे आपपर हमारा पहला हक है । अभी तो हम आपको नहीं रोक सकते, परन्तु वापस लौटते समय आपको बढवाण जरूर उतरना पडेगा वहाके युवकोंका काम और उत्साह देखकर आप खुश होंगे । आप जब चा नच अपनी मेनामें हमें भरती कर सकेंगे ।”

उम दिनसे मोतीलालपर मेरी नजर ठहर गई । उनके साथियोंने उनको स्तुति करते हुए कहा— “यह भाई दर्जी हैं । पर अपने हुनरमें बडे तेज हैं गेज एक घटा काम करके, प्रतिमास कोई पंद्रह रुपये अपने खर्चके लायक पैसा कर लेते हैं, शेष सारा समय सार्वजनिक सेवामें लगाते हैं और हम सब पढे-लिखे लोगोंको राह दिखाते हैं और शर्मिदा करते हैं ।”

बादको भाई मोतीलालमें मेरा बहुत सावका पडा था और मैंने देखा कि उनकी डम स्तुतिमें अत्युक्ति न थी । सत्याग्रह-आश्रमकी स्थापनाके वक्त वह इन्होंने कुछ दिन आगरा बहा रह जाते । बच्चोंको सीना सिखाते और आश्रममें सीनेवा काम भी कर जाते । वीरमगामकी कुछ-न-कुछ बात वह रो मुनाते । मुसाफिरीको उसमें जो कष्ट होते थे वह इन्होंने नागवार ही रहे थे उन मोतीलालको बीमारी भर-जवानीमें ही ग्या गई और बढवाण उनके बिना ग्या ।

राजकोट पहुचने हीमें दूसरे दिन सुबह पूर्वोक्त हुकमके अनुसार अस्पता

गया। वहा तो मैं किसीके लिए अजनबी था नहीं। डाक्टर मुझे देखकर गमयिं और उस जाच-कर्मचारीपर गुस्सा होने लगे। मुझे इसमें गुस्सेकी कोई वजह मालूम नहीं होती थी। उसने तो अपना फर्ज भदा किया था। एक तो वह मुझ पहचानता नहीं था और दूसरे पहचाननेपर भी उसका तो फज यही था कि जो हुकम मिला उसकी तामील करे, परतु मैं था मयहूर आदमी। इसलिए राजकोटमें मुझे कहीं जाच करनेके लिए जानेके बदले लोग घर आकर मेरी पूछ-ताछ करन लगे।

तीसरे दरजेके मुसाफिरोकी जाच ऐसे मामलोमें आवश्यक है। जो लोग वडे समझे जाते हैं वे भी अगर तीसरे दर्जेमें सफर करे तो उन्हें उन नियमोका पालन, जो गरीबोपर लगाये जाते हैं, खुद-ब-खुद करना चाहिए और कर्मचारियोको भी उनका पक्षपात न करना चाहिए, परतु मेरा तो अनुभव यह है कि कर्मचारी लोग तीसरे दर्जेके मुसाफिरोको आदमी नहीं, बल्कि जानवर समझते हैं। अवे-तवेके सिवाय उनमें बोलते नहीं हैं। तीसरे दर्जेका मुसाफिर न तो सामने जवाब दे-सकता है, न कोई बात कह सकता है। बेचारोको इस तरह पेश आना पडता है, मानो वह उच्च कर्मचारीका कोई नौकर हो। रेलके नौकर उसे पीट देते हैं, कपड़े-पैसे छीन लेते हैं, उसकी ट्रेन चुका देते हैं। टिकट देते समय उनको बहुत कलाते हैं। ये सब बातें मैंने खुद अनुभव की हैं। इस बुराईका सुधार उसी हालतमें हो सकता है, जबकि पढ़े-लिखे और धनी लोग गरीबकी तरह रहने लगे और तीसरे दर्जेमें सफर करके ऐसी एक भी सुविधाका लाभ न उठावें जो गरीब मुसाफिरको न मिलती हो और वहाकी असुविधा, अविवेक, अन्याय और वीभत्सता-को चुपचाप न सहन करते हुए उसका विरोध करे और उसको मिटा दे।

काठियावाडमें मैं जहा-जहा गया, वहा-वहा वीरमगामकी जकातकी जाचमें होनेवाली तकलीफोकी गिकायतें मैंने सुनी।

इसलिए लार्ड विलिंगडनने जो निमन्त्रण मझे दे रक्खा था उसका मैंने तुरत उपयोग किया। इस सर्वधमें जितने कागज-पत्र मिल सकते थे सब मैंने पढ़े। मैंने देखा कि इन गिकायतोमें बहुत तथ्य था। उसको दूर करनेके लिए मैंने बवई-भरकारमें लिखा-पढी की। उसके सेक्रेटरीसे मिला। लार्ड विलिंगडनसे भी मिला। उन्होंने सहानुभूति दिखाई, परतु कहा कि दिल्लीकी तरफसे ढील

हो रही है। “यदि यह बात हमारे हाथमें होती तो हम कमीके इत जकातको उठा देते। आप भारत-सरकारके पास अपनी बिकायत ले जाइए।” सेक्रेटरी ने कहा।

मैंने भारत-सरकारके माय लिखा-पढी शुरू की, परतु वहासे पढूचके अलावा कुछ भी जबाब नहीं मिला। जब मुझे लार्ड चेम्सफोर्डसे मिलनेका अवसर आया, तब अर्थात् दो-तीन वर्षकी लिखा-पढीके बाद कुछ सुनवाई हुई। लार्ड चेम्सफोर्डसे मैंने इसका जिक्र किया तो उन्होंने इसपर आश्चर्य प्रकट किया। वीरमगामके मामलेका उन्हें कुछ पता न था। उन्होंने मेरी बातें गौरके साथ सुनी और उनी समय टेलीफोन करके वीरमगामके कागज-पत्र मगाये और बचन दिया कि यदि इसके खिलाफ कर्मचारियोंको कुछ कहना न होगा तो जकात रद्द कर दी जायगी। इस मुलाकातके थोड़े ही दिन बाद अखबारोंमें पटा कि जकात रद्द हो गई।

इस जीतको मैंने सत्याग्रहकी वूनियाद माना, क्योंकि वीरमगामके नवधर्म जब जाने हुई तब ववई-सरकारके सेक्रेटरीने मुझसे कहा था कि बगसरामे इत नवधर्म आपका जो मापण हुआ था उसकी नकल भेरे पाठ है। और उसमें मैंने जो सत्याग्रहका उल्लेख किया था उसपर उन्होंने अपनी नाराजगी भी बतलाई। उन्होंने मुझसे पूछा— “आप इमे धमकी नहीं कहते? इस प्रकार बलवान् सरकार कही धमकीकी परवाह कर सकती है?”

मैंने जवाब दिया— “यह धमकी नहीं है। यह तो लोकमतको गिहित करनेका उपाय है। लोगोंको अपने कष्ट दूर करनेके लिए तमाम उचित उपाय बताना मुझ-जैनोंका धर्म है। जो प्रजा स्वतंत्रता चाहती है उनके पास अपनी रक्षावा प्रतिम एनाज अवश्य होना चाहिए। आम तौरपर ऐमे इलाज हिंसात्मक होने हैं, परनु सत्याग्रह शुद्ध अहिंसात्मक अस्त्र है। उसका उपयोग और उसकी मर्यादा बनाना मैं अपना धर्म समझता हू। अश्रेज सरकार बलवान् है, इन बानपर मुझे नदरे नहीं, परनु सत्याग्रह नबोतरि अस्त्र है, उम विषयमें श्री मुझे कोई सदेह नहीं।”

इसपर उन ममज्ञदार सेक्रेटरीने फिर हिलाजा और कहा— “दिखेंगे।”

४

शांति-निकेतन

राजकोटसे मैं शांति-निकेतन गया। वहाँके अध्यापको और विद्यार्थियोंने मुझपर बड़ी प्रेम-वृष्टि की। स्वागतकी विधिसे सादगी, कला और प्रेमका सुंदर मिश्रण था। वहाँ काका साहब कालेलकरसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई।

कालेलकर 'काका साहब' क्यों कहलाते थे, यह मैं उस समय नहीं जानता था, पर बादको मालूम हुआ कि केशवराव देशपांडे, जो विलायतमें मेरे सम-कालीन थे और जिनके साथ विलायतमें मेरा बहुत परिचय हो गया था, बड़ौदा राज्यमें 'गगनाथ विद्यालय'का संचालन कर रहे थे। उनकी बहुतेरी भावनाओंमें एक यह भी थी कि विद्यालयमें कुटुंबभाव होना चाहिए। इस कारण वहाँ तमाम अध्यापकोंके कौटुंबिक नाम रखे गये थे। इसमें कालेलकरको 'काका' नाम दिया था। फडके 'मामा' हुए। हरिहर शर्मा 'अण्णा' बने। इसी तरह और भी नाम रखे गये। आगे चलकर इस कुटुंबमें आनदानद (स्वामी) काकाके साथीके रूपमें और पटवर्धन (अप्पा) मामाके मित्रके रूपमें इस कुटुंबमें शामिल हुए। इस कुटुंबके ये पाचो सज्जन एक-के-बाद एक मेरे साथी हुए। देगपांडे 'साहेब'के नामसे विख्यात हुए। साहेबका विद्यालय बंद होनेके बाद यह कुटुंब तितर-बितर हो गया, परंतु इन लोगोंने अपना आध्यात्मिक सबब नहीं छोड़ा। काका साहब तरह-तरहके अनुभव लेने लगे और इसी क्रममें वह शांति-निकेतनमें रह रहे थे। उसी मंडलके एक और सज्जन चिंतामणि शास्त्री भी वहाँ रहते थे। ये दोनों संस्कृत पढ़ानेमें सहायता देते थे।

शांति-निकेतनमें मेरे मंडलको अलग स्थानमें ठहराया गया था। वहाँ मुगनलाल गावी उस मंडलकी देखभाल कर रहे थे और फिनिक्स आश्रमके तमाम नियमोंका बारीकीसे पालन कराते थे। मैंने देखा कि उन्होंने शांति-निकेतनमें अपने प्रेम, ज्ञान और उद्योग-शीलताके कारण अपनी सुगंध फैला रखी थी। एडरूज तो वहाँ ये ही। पीयर्सन भी थे। जगदानंद बाबू, मतोप बाबू, मिनिज मोहन बाबू, नगीन बाबू, शरद बाबू, और काली बाबूसे उनका अच्छा परिचय हो गया था।

अपने स्वभावके अनुसार मैं विद्यार्थियों और शिक्षकोंमें मिल-जुल गया और शारीरिक श्रम तथा काम करनेके बारेमें वहाँ चर्चा करने लगा। मैंने सूचित किया कि बैतनिक रसोइयाकी जगह यदि शिक्षक और विद्यार्थी ही अपनी रसोई पका ले तो अच्छा हो। रसोई-घरपर आरोग्य और नीतिकी दृष्टिसे शिक्षक गण देख-भाल करें और विद्यार्थी स्वावलंबन और स्वयंपाकका पदार्थ-पाठ ले यह बात मैंने वहाँके शिक्षकोंके सामने उपस्थित की। एक-दो शिक्षकोंने तँ इसपर सिर हिला दिया, परंतु कुछ लोगोंको मेरी बात बहुत पसंद भी आई बालकोंको तो वह बहुत ही जच गई, क्योंकि उनको तो स्वभावसे ही हरेक नई बात आ जाया करती है। वस, फिर क्या था, प्रयोग शुरु हुआ। जब कविवरन यह बात पढ़ची तो उन्होंने कहा, यदि शिक्षक लोगोंको यह बात पसंद आ जा तो मुझे यह जरूर प्रिय है। उन्होंने विद्यार्थियोंसे कहा कि यह स्वराज्यकी कुजी है

पीयर्सनने इस प्रयोगको सफल करनेमें जी-जानसे मिहनत की। उनको यह बात बहुत ही पसंद आई थी। एक और शाक काटनेवालाका जमघट हो गया, दूसरी ओर अनाज साफ करनेवाली मइली बैठ गई। रसोई-घरके आसपास आस्त्रीय शुद्धि करनेमें नगीन बावू आदि डट गये। उनको कुदाली-फावड़े लेकर काम करते हुए देख मेरा हृदय वासो उछलने लगा।

परंतु यह शारीरिक श्रमका काम ऐसा नहीं था कि सवा-सौ लडके और शिक्षक एकाएक बरदास्त कर सकें। इसलिए रोज इसपर बहस होती। कितनी लोग थक भी जाते, किंतु पीयर्सन क्यों थकने लगे? वह हमेशा हसपु रहकर रसोईके किसी-न-किसी काममें लगे ही रहने। बड़े-बड़े बर्तनोंको माज्ज उन्हीका काम था। बर्तन माज्जनेवाली टुकड़ीकी थकावट उतारनेके लिए कितनी विद्यार्थी वहाँ सितार बजाते। हर कामको विद्यार्थी बड़े उत्साहके साथ कर लगे और सारा शांति-निकेतन शहदके छत्तेकी तरह गूजने लगा।

इस तरहके परिवर्तन जो एक बार आरम्भ होते हैं तो फिर वे रूकते नहीं फिनिक्सका रसोई-घर केवल स्वावलंबी ही नहीं था, बल्कि उसमें रसोई बहुत मादा बनती थी। मसाले बगैरा काममें नहीं लाये जाते थे। इसलि भात, दान, शाक और गेहूँकी चीजे भाफमें पका ली जाती थी। बगाली भोजन मुधार मरनेके इरादेंमें इस प्रकारकी एक पाकनाला रक्खी गई थी। इस

एक-दो अध्यापक और कुछ विद्यार्थी शामिल हुए थे। ऐसे प्रयोगोंके फलस्वरूप सार्वजनिक अर्थात् बड़े भोजनालयको स्वावलंबी रखनेका प्रयोग शुरू हो सका था।

परन्तु अतको कुछ कारणोंसे यह प्रयोग बंद हो गया। मेरा यह निश्चित मत है कि थोड़े समयके लिए भी इस जग-विख्यात सस्थाने इस प्रयोगको करके कुछ खोया नहीं है और उससे जो-कुछ अनुभव हुए हैं वे उसके लिए उपयोगी साबित हुए थे।

मेरा इरादा शांति-निकेतनमें कुछ दिन रहनेका था, परन्तु मुझे विधाता जवदंस्ती वहासे घसीट ले गया। मैं मुश्किलसे वहा एक सप्ताह रहा होऊंगा कि पूनासे गोखलेके भ्रवसानका तार मिला। सारा शांति-निकेतन शोकमें डूब गया। मेरे पास सब मातम-पुरसीके लिए आये। वहाके मंदिरमें खास सभा हुई। उस समय वहाका गभीर दृश्य अपूर्व था। मैं उसी दिन पूना रवाना हुआ। साथमें पत्नी और भगनलालको लिया। बाकी सब लोग शांति-निकेतनमें रहे। एडरूज वर्दवानतक मेरे साथ आये थे। उन्होंने मुझसे पूछा, "क्या आपको प्रतीत होता है कि हिंदुस्तानमें सत्याग्रह करनेका समय आवेगा? यदि हा, तो कब? इसका कुछ खयाल होता है?"

मैंने इसका उत्तर दिया— "यह कहना मुश्किल है। अभी तो एक सालतक मैं कुछ करना ही नहीं चाहता। गोबलेने मुझसे वचन लिया है कि मैं एक सालतक भ्रमण करूँ। किसी भी सार्वजनिक प्रश्नपर अपने विचार न बनाऊँ, न प्रकट करूँ। मैं अक्षरशः इस वचनका पालन करना चाहता हूँ। इसके बाद भी मैं तबतक कोई बात न कहूँगा, जबतक किसी प्रश्नपर कुछ कहनेकी आवश्यकता न होगी। इसलिए मैं नहीं समझता कि अगले पांच वर्षतक सत्याग्रह करनेका कोई भ्रवसर आवेगा।"

यहा इतना कहना आवश्यक है कि 'हिंद स्वराज्य'में मैंने जो विचार प्रदर्शित किये हैं गोखले उनपर हसा करते और कहते थे, 'एक वर्ष तुम हिंदुस्तानमें रहकर देखोगे तो तुम्हारे ये विचार अपने-आप ठिकाने लग जायेंगे।'

५

तीसरे दर्जेकी फजीहत

बर्दवान पहुँचकर हम तीसरे दर्जेका टिकट लेना चाहते थे, पर टिकट लेनेमें बड़ी मुसीबत हुई। टिकट लेने पहुँचा तो जवाब मिला— “तीसरे दर्जेके मसाफिरके लिए पहलेसे टिकट नहीं दिया जाता।” तब स्टेशन-मास्टरके पास गया। मुझे भला वहा कौन जाने देता? किसीने दया करके बताया कि स्टेशन-मास्टर वहा है। मैं पहुँचा। उनके पाससे भी वही उत्तर मिला। जब खिड़क खुली तब टिकट लेने गया, परतु टिकट मिलना आसान नहीं था। हट्टे-का मुसाफिर मुझ-जैसोको पीछे धकेलकर आगे धुस जाते। आखिर टिकट तो किन्तु तरह मिल गया।

गाड़ी आई। उसमें भी जो जर्बर्दस्त थे, वे धुस गये। उतरनेवाल और चटनेवालोके सिर टकराने लगे और धक्का-मुक्की होने लगी। इसमें भ्रम में कैसे शरीक हो सकता था? इसलिए हम दोनो एक जगहसे दूसरी जगह जाते सब जगहसे यही जवाब मिलता— “यहा जगह नहीं है।” तब मैं गाई पाम गया। उसने जवाब दिया— “जगह मिले तो बैठ जाओ, नहीं तो दूसरा गाडीमे जाना।” मैंने नरमीमे उत्तर दिया— “पर मुझे जरूरी काम है। गाईको यह सुननेका बक्त नहीं था। अब मैं सब तरहसे हार गया। मगनलाल कहा— “जहा जगह मिल जाय, बैठ जाओ।” और मैं पत्नीको लेकर तीसरे दर्जेके टिकटसे ही इयौडे दर्जेमें धुसा। गाईने मुझे उसमें जाते हुए देख लिया था। आसनसोल स्टेशनपर गाई इयौडे दर्जेका फिराया लेने आया। मैं कहा— “प्रापका फर्ज था कि आप मुझे जगह बताते। वहा जगह न मिलाने मैं यहा बैठ गया। मुझे तीसरे दर्जेमें जगह दिलाइए तो मैं वहा जानेको तैयार हू।

गाई साहब बोले— “मुझसे तुम दलील न करो। मेरे पास जगह नहीं है, फिराया न दोगे तो तुमको गाड़ीसे उतर जाना होगा।”

मुझे तो किसी तरह जन्दी पूना पहुँचना था। गाईसे लड़नेकी मेरी हिम्मत नहीं थी। गचावर होकर मैंने फिराया चुन दिया। उतने ठेठ पूनातक

इयोठे दर्जेका किराया बमूल किया। मुझे यह अन्याय बहुत अक्षरा।

मुझह हम मुगलमराय आये। मगनलालको तीसरे दर्जेमें जगह मिल गई थी। वहा मने टिकट-कलेक्टरको सब हाल सुनाया और इस घटनाका प्रमाण पत्र उमगे मागा। उसने इन्कार कर दिया। मने रेलवेके बडे अफसरको अधिक भाडा वापम मिलनेके लिए दरखास्त दी। उमका हम आणयका उत्तर मिला—
“प्रमाण-पत्रके बिना अधिक भाडेका रुपया लौटाने का रिवाज हमारे यहा नही है, परतु यह आपका मामला है, इसलिए आपको लौटा देते हैं। बंदवानसे मुगलसरायन-तकका अधिक किराया वापम नही दिया जा सकता।”

इमके बाद तीसरे दर्जेके सफरके इतने अनुभव हुए है कि उनकी एक पुस्तक बन सकती है, परतु प्रसंगोपात्त उनका जिक्र करनेके उपरांत इन अध्यायोमें उनका समावेश नही हो सकता। धारीर-प्रकृतिकी प्रतिकूलताके कारण मेरी नीमरे दर्जेकी यात्रा बंद हो गई। यह बान मुझे सदा खटकती रहती है और खटकती रहेगी। तीसरे दर्जेके सफरमें कर्मचारियोंकी 'जो हुकमी'की जिल्लत तो उठानी ही पडती है, परतु तीसरे दर्जेके यात्रियोंकी जहालत, गदगी, स्वार्थ-भाव और अज्ञानका भी कम अनुभव नही होता। खेदकी बात तो यह है कि बहुत बार तो मुसाफिर जानते ही नही कि वे उद्दता करते हैं या गदगी बढाते हैं या स्वार्थ-सिद्धि चाहते हैं। वे जो कुछ करते हैं वह उन्हे स्वाभाविक मालूम होता है। और इधर हम, जो मुवारक कहे जाते हैं, उनकी बिलकुल पर्वाह नही करते।

क्याण जखनपर हम किसी तरह शके-भादे पहुचे। नहानेकी तैयारी की। मगनलाल और मैं स्टेशनके नलमे पानी लेकर नहाये। पत्नीके लिए मैं कुछ तजवीज कर रहा था कि इतनेमें भारत-सेवक-समितिके भाई कालने हमको पहचाना। वह भी पूना जा रहे थे। उन्होंने कहा— “इनको तो नहानेके लिए हमरे दर्जेके कमरेमें ले जाना चाहिए। उनके इस सौजन्यसे लाभ उठाते हुए मुझे सकोच हुआ। मैं जानता था कि पत्नीको दूसरे दर्जेके कमरेसे लाभ उठानेका अधिकार न था, परतु मने इस अनौचित्यकी ओर उस समय आखें मूद ली। सत्यके पुजारीको सत्यका इतना उल्लघन भी शोभा नही देता। पत्नीका आग्रह नही था कि वह उसमें जाकर नहावे, परतु पतिके मोहूर्पी सुवर्णपात्रने सत्यको ढाक लिया था।

६

मेरा प्रयत्न

पूर्ना पहुँचकर उत्तर-क्रिया इत्यादिमे निवृत्त हो हम सब लोग इस बातपर विचार करने लगे कि समितिकी काम कैसे चलाया जाय और मैं उसका सदस्य बनूँ या नहीं। इस समय मुझपर बड़ा बोझ आ पड़ा था। गोखलेके जीतेजी मुझे समितिमे प्रवेश करनेकी आवश्यकता ही नहीं थी। मैं तो सिर्फ गोखलेकी आज्ञा और इच्छाके अधीन रहना चाहता था। यह स्थिति मुझे भी पसंद थी, क्योंकि भारतवर्षके-जैसे तूफानी समुद्रमें कूदते हुए मुझे एक दस कर्णधारकी आवश्यकता थी और गोखले-जैसे कर्णधारके आश्रयमें मैं अपनेको सुरक्षित समझता था।

अब मेरा मन कहने लगा कि मुझे समितिमे प्रविष्ट होनेके लिए जल्द प्रयत्न करना चाहिए। मैंने सोचा कि गोखलेकी आत्मा यही चाहती होगी— मैंने बिना सकोचके दृढताके साथ प्रयत्न शुरू किया। इस समय समितिके सब सदस्य बहा मीजुद थे। मैंने उनकी समझाने और मेरे सबबमें जो भय उन्हें था उसको दूर करनेकी भरसक कोशिश की, पर मैंने देखा कि सदस्योंमें इस विषयपर मतभेद था। कुछ सदस्योंकी राय थी कि मुझे समितिमे ले लेना चाहिए और कुछ दृढतापूर्वक इसका विरोध करते थे, परंतु दोनोंके मनमें मेरे प्रति प्रेम-भाव की कमी न थी, किंतु हा, मेरे प्रति प्रेमकी अपेक्षा समितिके प्रति उनकी बफादारी शायद अधिक थी, मेरे प्रति प्रेमसे तो कम किसी हालतमें न थी।

इससे हमारी यह सारी बहस मीठी थी और केवल सिद्धांतपर ही थी। जो मित्र मेरा विरोध कर रहे थे उनका यह खयाल हुआ कि कई बातोंमें मेरे और उनके विचारोंमें जमीन-आसमांलका अंतर है। इससे भी आगे चलकर उनका यह खयाल हुआ कि जिन ध्येयोंको सामने रखकर गोखलेने समितिकी रचना की थी, मेरे समितिमें आ जानेसे उन्हींके जोखिममें पड़ जानेकी संभावना थी और यह बात उन्हें स्वाभाविक तौरपर ही असह्य मालूम हुई। बहुत-कुछ चर्चा हो जानेके बाद हम अपने-अपने घर गये। सम्माने अंतिम निर्णय सभाकी दूसरी

वैठकतक स्थगित रक्खा ।

घर जाते हुए मैं बड़े विचारके भवरमे पड़ गया । बहुमतके बलपर मेरा समितिमे दाखिल होना क्या उचित है ? क्या गोखलेके प्रति यह मेरी बफादारी होगी ? यदि बहुमत मेरे खिलाफ हो जाय तो क्या इससे समितिकी स्थितिको विषम बनानेका निमित्त न बनूगा ? मुझे यह साफ दिखाई पड़ा कि जबतक समितिके सदस्योमे मुझे सदस्य बनानेके विषयमे मत-भेद हो तबतक मुझे खुद ही उसमे दाखिल हो जानेका आग्रह छोड़ देना चाहिए और इस तरह विरोधी पक्षको नाजुक स्थितिमें पढ़नेसे बचा लेना चाहिए । इसीमें मुझे समिति और गोखलेके प्रति अपनी बफादारी दिखाई दी । अतरात्मामे यह निर्णय होते ही तुरत मैंने श्रीशास्त्रीको पत्र लिखा कि आप मुझे सदस्य बनानेके विषयमे सभा न बलावे । विरोधी पक्षको मेरा यह निश्चय बहुत पसंद आया । वे धर्म-सकटसे बच गये । उनकी मेरे साथ स्नेह-गाठ अधिक मजबूत हो गई और इस तरह समितिमे दाखिल होनेकी मेरी दरस्वास्तको चापस लेकर मैं समितिका सच्चा सदस्य बना ।

अब अनुभवसे मैं देखता हू कि मेरा बाकायदा समितिका सदस्य न होना ठीक ही हुआ और कुछ सदस्योने मेरे सदस्य बननेका जो विरोध किया था, वह वास्तविक था । अनुभवने दिखला दिया है कि उनके और मेरे सिद्धांतोमें भेद था, परंतु मत-भेद जान लेनेके बाद भी हम लोगोकी आत्मामें कभी अंतर न पड़ा, न कभी मन-मुटाव ही हुआ । मत-भेद रहते हुए भी हम बंधु और मित्र बने हुए हैं । समितिका स्थान मेरे लिए यात्रा-स्थल हो गया है । लौकिक दृष्टिसे भले ही मैं उसका सदस्य न बना हू, पर आध्यात्मिक दृष्टिसे तो हू ही । लौकिक सबबकी अपेक्षा आध्यात्मिक सबब अधिक कीमती हैं । आध्यात्मिक सबबसे हीन लौकिक सबब प्राण-हीन शरीरके समान हैं ।

७

कुंभ

मुझे डाक्टर प्राणजीवनदास मेहतासे मिलने रगून जाना था । रास्तेमें कलकत्तामें श्री भूपेंद्रनाथ वसुके निमंत्रणसे मैं उनके यहा ठहरा । यहा तो मैंने

जगलके गिप्टाचारकी हृद देगी । उन दिनों मैं निकं फनाहार ही करता था । मेरे माय मेरा लडका रामदास भी था । भूदंडबाबूके यहा जिनने फन और मेवे कलकत्तेमें मिलते थे सब लाकर जुटाये गये थे । मित्रयोने गनों-गन जगकर वादास पिन्ना बर्गराको भिगोकर उनके छिनके निकाले थे । तरह-तरहके फल भी जिनना ही बनना था मुरचि और चतुगईके माय तैयार किये गये थे । मेरे मायियोंके लिए तरह-तरहके पकवान बनवाये गये थे । उम प्रेम और विवेकके आतिरिक्त भावको तो मैं नमसा परतु यह बात मुझे अनस्य मालूम हुई कि एव-दो मेहनातोंके लिए नारा घर दिन-भर काम में लगा रहे, किंतु इस मग्दने दबनेका मेरे पान कोई उपाय न था ।

रगून जाते हुए जहाजमें मैंने डेकपर यात्रा की थी । श्रीवनुके यहा यदि प्रेमकी मुनीवन थी तो जहाजमें प्रेमके अभावकी । यहा डेकके यानियोंके काटोका बहुत बुरा अनुभव हुआ । नहलंकी जगहपर इननी गदगी थी कि खडा नहीं रहा जाता था । पालाना तो तरह ही समझिए । मलमूत्रको छुकर या लाधकर ही पाखानेमें जा सकते थे । मेरे लिए वे कठिनाइया बहुत भारी थी । मैंने कपालमें इसकी शिकायत की, पर कौन सुनने लगा ? डबर यात्रियोंने खूब गंदगी कर-करके डेकको बिगाड रखवा था । जहा बैठे होते वही थूक देते, वही तवाकूकी पिचकारिया चला देते, वही ला-पीकर छिनके और कचरा डाल देते । बातचीतकी आवाज और शोर-गुलका तो कहना ही क्या ? हर शास्त्र ज्यादा-से-ज्यादा जगह रोकने की कोशिश करता था, कोई किसीकी सुविधाका जरा भी खयाल न करता था । खुद जितनी जगहपर कब्जा करने उमठे ज्यादा जगह नामानसे रोक लेते । ये दो दिन मैंने राम-राम करके बिताये ।

रगून पहुचनेपर मैंने एजेटकी इस दुर्दशाकी कथा लिख भेजी । लौटते वक्त भी मैं आया तो डेक पर ही, परतु उम चिट्ठीके तथा डाक्टर मेहताके इतजामके फन-स्वरूप उतने कष्ट न उठाने पड़े ।

मेरे फलाहारकी ससट यहा भी आवश्यकतासे अधिक की जाती थी । डाक्टर मेहतासे तो मेरा ऐसा सबब है कि उनके घरको मैं अपना घर नमझ सकता हूँ । इससे मैंने खानेकी चीजोंकी सख्या तो कम कर दी थी, परतु अपने लिए उसकी कोई मर्यादा नहीं बनाई थी । इससे तरह-तरहका मेवा बहा आता और मैं उसका

विरोध न करता। उस समय मेरी हालत यह थी कि यदि तरह-तरहकी चीजे होती तो वे छात्र और जीभको रुचती थी। खानेके वक्तका कोई बघन तो था ही नहीं। मैं खुद जल्दी खाना पसंद करता था, इसलिए बहुत देर नहीं होती थी, हालांकि रातके आठ-नों तो सहज बज ही जाते।

इस साल (१९१५) हरद्वारमें कुंभका मेला पड़ता था। उसमें जानेकी मेरी प्रबल इच्छा थी। फिर मुझे महात्मा मुशीरामजीके दर्शन भी करने थे। कुंभके मेलेके अवसरपर गोखलेके सेवक-समाजने एक बड़ा स्वयं-सेवक दल भेजा था। उसकी व्यवस्थाका भार श्री हृदयनाथ कुजरूको सौंपा गया था। स्वर्गीय डाक्टर देव भी उसमें थे। यह बात तय पाई कि उन्हें भवद देनेके लिए मैं भी अपनी टुकड़ीको ले जाऊ। इसलिए मगनलाल गांधी शांति-निकेतनवाली हमारी टुकड़ीको लेकर मुझसे पहले हरद्वार गये थे। मैं भी रगनसे लौटकर उनके साथ शामिल हो गया।

कलकत्तेसे हरद्वार पहुंचते हुए रेलमें बड़ी मुसीबत उठानी पड़ी। डिब्बोंमें कमी-कमी तो रोगनी तक भी न होती। सहारनपुरसे तो यात्रियोंको मवेशीकी तरह मालगाडीके डिब्बोंमें भर दिया था। खुले डिब्बे, ऊपरसे मध्याह्नका सूर्य तप रहा था, नीचे लोहेकी जमीन गरम हो रही थी। इस मुसीबतका क्या पूछना? फिर भी भावुक हिंदू प्याससे गला सूखनेपर भी 'इस्लामी पानी' आता तो नहीं पीते। जब 'हिंदू-पानी' की आवाज आती तभी पानी पीते। यहीं भावुक हिंदू दवामें जब डाक्टर शराव देते हैं, मुसलमान या ईसाई पानी देते हैं, मासका सत्व देते हैं, तब उसे पीनेमें सकोच नहीं करते। उसके सवधमें तो पूछ-ताछ करनेकी आवश्यकता ही नहीं समझते।

मैंने यह बात शांति-निकेतनमें ही देख ली थी कि हिंदुस्तानमें भगीका काम करना हमारा विशेष कार्य हो जायगा। स्वयं-सेवकोंके लिए वहा किसी धर्मशालामें तबू ताने गए थे। पाखानेके लिए डाक्टर देवने गड्ढे खुदवाए थे, परंतु उनकी सफाईका इतजाम तो वह उन्ही थोड़ेसे मेहतरोंसे करा सकते थे, जो ऐसे समय बेतन पर मिल सकते थे। ऐसी दशामें मैंने यह प्रस्ताव किया कि गड्ढोंमें मलको समय-समय पर मिट्टीसे ढाकना तथा और तरहसे सफाई रखना, यह काम फिनिकसके स्वयं-सेवकोंके जिम्मे किया जाय। डाक्टर देवने इसे खुशीसे

स्वीकार किया। इस सेवाको भागकर लेनेवाला तो था मैं, परन्तु उसे पूरा करनेका बोझा उठाने वाले थे मदनलाल गांधी।

मेरा काम ब्रह्मा क्या था ? डेरेमें बैठकर जो अनेक यात्री आते उन्हें 'दर्शन' देना और उनके साथ धर्म-वार्त्ता तथा दूसरी बातें करना। दर्शन देते-देते मैं घबरा उठा, उससे मुझे एक मिनट की भी फुरसत नहीं मिलती थी। मैं नहाने जाता तो ब्रह्मा भी मुझे दर्शनाभिलाषी अकेला नहीं छोड़ते और फलाहारके समय तो एकांत मिल ही कैसे सकता था ? तबूमे कहीं भी एक पलके लिए अकेला न बैठ सकता। दक्षिण अफ्रीकामें जो-कुछ सेवा मुझने हो सकी उसका इतना गहरा असर सारे भारतवर्षमें हुआ होगा, यह बात मैंने हरद्वारमें अनुभव की।

मैं तो मानो चक्कीके दो पाटोमें पिसने लगा। जहाँ लोग पहचानते नहीं, वहाँ तीसरे दर्जेके यात्रीके रूपमें मुसीबत उठाता, जहाँ उठर जाता वहाँ दर्शनाधिकारके प्रेमसे घबरा जाता। दोमेंमें कौनसी स्थिति अधिक दयाजनक है, यह मेरे लिए कहना बहुत बर मुश्किल हुआ है। हा, इतना तो जानता हूँ कि दर्शनाधिकारके प्रदर्शनसे मुझे गुस्सा आया है और मन-ही-मन तो उससे अधिक बार संताप हुआ है। तीसरे दर्जेकी मुसीबतसे सिर्फ मुझे कष्ट ही उठाने पड़े है, गुस्सा मुझे शायद ही आया हो और कष्टसे तो मेरी उन्नति ही हुई है।

इम समय मेरे शरीरमें घूमने-फिरनेकी शक्ति अच्छी थी। इससे मैं इधर-उधर ठीक-ठीक घूम-फिर सका। उस समय मैं इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था कि जिसमें रास्ता चलना भी मुश्किल होता हो। इस भ्रमणमें मैंने लोगोंकी धर्म-भावनाकी अपेक्षा उनकी मूढ़ता, अधीरता, पाखंड और अव्यवस्थितता अधिक देखी। साधुओंके और जमातोंके तो दल दूट पड़े थे। ऐसा मालूम होता था मानो वे महज मालपुए और खीर खानेके लिए ही जनमे हो। यहाँ मैंने पाच पाववाली गाय देखी। उसे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, परन्तु अनुभवों आदिमियोंने तुरत मेरा अज्ञान दूर कर दिया। यह पाच पैरोवाली गाय तो दुष्ट और लोनी लोगोंका धिकार थी— बलिदान थी। जीते बछड़ेका पैर वाटवर गायके बघेका चमड़ा चीरकर उसमें लिपवा दिया जाना था और इस दुहेंरी धानव क्रियाके द्वारा भोल्ले-भाल्ले लोगोंको दिन-दहाड़े ठगनेका उपाय निकाला गया था। मैंने हिंदू ऐसा है, जो इम पाच पाववाली गायके दर्शनके लिए उत्सुक

न हो ? इस पाच पाववाली गायके लिए वह जितना ही दान दे उतना ही कम समझा जाता था ।

अब कुम्भका दिन आया । मेरे लिए वह घड़ी वन्य थी, परंतु मैं तीर्थ-यात्राकी भावनासे हरद्वार नहीं गया था । पवित्रताकी खोजके लिए तीर्थक्षेत्र में जानेका मोह मुझे कभी नहीं रहा । मेरा खयाल यह था कि सबह लाख आदमियों में सभी पाखंडी नहीं हो सकते । यह कहा जाता था कि मेलेमें सबह लाख आदमी इकट्ठे हुए थे । मुझे इस विषयमें कुछ सदेह नहीं था कि इनमें असंख्य लोग पुण्य कमानेके लिए, अपनेको शुद्ध करनेके लिए, आये थे, परंतु इस प्रकारकी श्रद्धासे आत्माकी उन्नति होती होगी, यह कहना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है ।

विछीनेमें पडा-पडा मैं विचार-सागरमें डूब गया— 'चारों ओर फँके इस पाखंडमें वे पवित्र आत्माएँ भी हैं । वे तोग ईश्वरके दरवारमें दंडके पात्र नहीं माने जा सकते । ऐसे समय हरद्वारमें आना ही यदि पाप हो तो फिर मुझे प्रकटरूपमें उसका विरोध करके कुम्भके दिन तो हरद्वार अवश्य छोड़ ही देना चाहिए । यदि यहाँ आना और कुम्भके दिन रहना पाप न हो तो मुझे कोई कठोर व्रत लेकर इस प्रचलित पापका प्रायश्चित्त करना चाहिए—आत्मशुद्धि करनी चाहिए ।' मेरा जीवन व्रतोपर रचा गया है, इसलिए कोई कठोर व्रत लेनेका निश्चय किया । इसी समय कलकत्ता और रंगूनमें मेरे निमित्त यजमानोंको जो अनावश्यक परिश्रम करना पडा उसका भी स्मरण हो आया । इस कारण मैंने भोजनकी वस्तुओंकी संख्या मर्यादित कर लेनेका और शामको अंधेरेके पहले भोजन कर लेनेका व्रत लेना निश्चित किया । मैंने सोचा कि यदि मैं अपने भोजनकी मर्यादा नहीं रखूंगा तो यजमानोंके लिए बहुत असुविधा-जनक होता रहूंगा और सेवा करनेके वजाय उनको अपनी सेवा करनेमें लगाता रहूंगा । इसलिए चौबीस घंटोंमें पाच चीजोंसे अधिक न खानेका और रात्रि-भोजन-त्यागका व्रत ले लिया । दोनोंकी कठिनाईका पूरा-पूरा विचार कर लिया था । इन व्रतोंमें एक भी अपवाद न रखनेका निश्चय किया । बीमारीमें दवाके रूपमें ज्यादा चीजें लेना या न लेना, दवाको भोजनकी वस्तुमें गिनना या न गिनना, इन सब बातोंका विचार कर लिया और निश्चय किया कि खानेकी कोई चीज पाचसे अधिक न लूगा । इन दो व्रतोंको आज तेरह साल हो गये । इन्होंने मेरी खासी परीक्षा ली है, परंतु जहाँ एक

और उन्होंने परीक्षा ली है तथा उन्होंने मेरे लिए टासका भी काम दिया है। मैं मानता हूँ कि इन बातों ने मेरी आयु बढ़ा दी है, इनकी बदौलत, मेरी धारणा है कि, मैं बहुत बार बीमारियोंसे बच गया हूँ।

८

लक्ष्मण-भूला

पहाड़-जैसे दीखनेवाले महात्मा मुंशीरामके दर्शन करने और उनके गुरुकुलको देखने जब मैं गया तब मुझे बहुत शांति मिली। हरद्वार के कोलाहल और गुरुकुलकी शांतिका भेद स्पष्ट दिखाई देता था। महात्माजीने मुझपर भरपूर प्रेमकी दृष्टि की। बह्यचारी लोग मेरे पासमे दृष्टे ही नहीं थे। रामदेवजीमे भी उसी समय मुलाकात हुई और उनकी कार्य-शक्तिको मैं तुरन्त पहचान सका था। यद्यपि हमारी मत-भिन्नता हमें उसी समय दिखाई पड़ गई थी, फिर भी हमारे आपसमें स्नेह-गाठ बंध गई। गुरुकुलमे औद्योगिक शिक्षणका प्रवेष्ट करनेकी आवश्यकतानके सबसे रामदेवजी तथा हमारे शिक्षकोंके साथमें मेरा ठीक-ठीक वार्तालाप भी हुआ। इससे जल्दीही गुरुकुलको छोड़ते हुए मुझे दु ल हुआ।

लक्ष्मण-भूलाकी तारीफ मैंने बहुत सुन रखी थी। ऋषिकेज गये बिना हरद्वार न छोड़नेकी सलाह मुझे बहुत-से लोगोंने दी। मैंने वहाँ पैदल जाना चाहा। एक मजिल ऋषिकेजकी और दूसरी लक्ष्मण-भूलेकी की।

ऋषिकेजमें बहुतने मन्यामी मिलनेके लिये आये थे। उनमेंसे एकको मेरे जीवन-धर्ममें बहुत दिनचर्या पँदा हुई। फिनिक्म-मडली मेरे माय थी ही। हम सबको देखकर उन्होंने बहुतने प्रश्न पूछे। हम लोगोंमे धर्म-वर्चा भी हुई। उन्होंने देव लिया कि मेरे अदभुत तीव्र धर्मभाव है। मैं गंगा-स्नान करके आया था और मेरा शरीर गुला था। उन्होंने मेरे सिरपर न चोटी देखी और न वदनपर जनेऊ। उममे उन्हें बुल हुआ और उन्होंने कहा—

“आप हैं नो आत्मिक, परतु शिवा-भूत्र नहीं रखते, इसमे हम जैसोको दुःख होता है। हिंदू-धर्मकी ये दो बाह्य सजाए हैं और प्रत्येक हिंदूको इन्हे धारण

करना चाहिए ।”

जब मेरी उमर कोई दस वर्षकी रही होगी तब पोरबदरमे ब्राह्मणोके जनेऊसे वधी चावियोकी झकार में सुना करता था और उसकी मुझे ईर्ष्या भी होती थी । मनमे यह भाव उठा करता कि मैं भी उन्ही तरह जनेऊमे चाबिया लटकाकर झकार किया करू तो अच्छा हो । काठियावाडके वैश्य कुटुबोमे उस समय जनेऊका रिवाज नहीं था । हा, नये सिरेसे इस बातका प्रचार अलवत्ता हो रहा था कि द्विज-मात्रको जनेऊ अवश्य पहनना चाहिए । उसके फल-स्वरूप गाधी-कुटुबके कितने ही लोग जनेऊ पहनने लगे थे । जिन ब्राह्मणने हम दो-तीन सगे सबधियोको राम-रक्षाका पाठ सिखाया था, उन्हीने हमे जनेऊ पहनाया । मुझे अपने पास चाबिया रखनेका कोई प्रयोजन नहीं था । तो भी मैंने दो-तीन चाबिया लटका ली । जब वह जनेऊ टूट गया तब उसका मोह उतर गया था या नहीं, यह तो याद नहीं पडता, परतु मैंने नया जनेऊ फिर नहीं पहना ।

बडी उमरमे दूसरे लोगोने फिर हिंदुस्तानमे तथा दक्षिण अफ्रीकामे जनेऊ पहनानेका प्रयत्न किया था, परतु उनकी दलीलोका असर मेरे दिलपर नहीं हुआ । शूद्र यदि जनेऊ नहीं पहन सकता तो फिर दूसरे लोगोको क्यों पहनना चाहिए ? जिस बाह्य चिह्नका रिवाज हमारे कुटुबमे नहीं था उसे धारण करनेका एक भी सबल कारण मुझे नहीं दिखाई दिया । मुझे जनेऊसे अरुचि नहीं थी, परतु उसे पहननेके कारणोका अभाव मालूम होता था । हा, वैष्णव होनेके कारण में कठी जरूर पहनता था । शिखा तो घरके बड़े-बूढे हम भाइयोके सिरपर रखवाते थे, परतु विलायतमे सिर खुला रखना पडता था । गोरे लोग देखकर हसेंगे और हमें जगली समझेंगे, इस शर्मसे शिखा कटा डाली थी । मेरे भतीजे छगनलाल गाधी, जो दक्षिण अफ्रीकामे मेरे साथ रहते थे, वडे भावके साथ शिखा रख रहे थे, परतु इस वहमसे कि उनकी शिखा बहा सार्वजनिक कामोमे बाधा डालेगी, मैंने उनके दिलको दुखाकर भी छुडा दी थी । इस तरह शिखासे मुझे उस समय शर्म लगती थी ।

इन स्वामीजीसे मैंने यह सब कथा सुनाकर कहा—

“जनेऊ तो मैं धारण नहीं करूंगा, क्योंकि असरूप हिंदू जनेऊ नहीं पहनते हैं फिर भी वे हिंदू समझे जाते हैं, तो फिर मैं अपने लिए उसकी जरूरत

नहीं देखता । फिर जनेऊ धारणवे मानी हूँ—दूसरा जन्म लेना अर्थात् हम विचार-पूर्वक गुढ़ हो, ऊर्ध्वगामी हों । आज तो हिंदू-समाज और हिंदु-मान दोनो गिंठ बगामों हैं । इसलिए हमें जनेऊ पहननेका अधिकार ही कहा है ? जब हिंदू-समाज अस्पृश्यताका दोष धो डालेगा, ऊच-नीचका भेद भूल जायगा, दूसरी गहरी बुराइयोंको मिटा देगा, चारो तरफ फीले अघम और पाखंडको दूर कर देगा, तब उमे भले ही जनेऊ पहननेका अधिकार हो । इसलिए जनेऊ धारण करनेकी आपकी बात ठी मुझे पट नहीं रही है । हा, दिखा-नवधी आपकी बातपर मुझे अवश्य विचार करना पड़ेगा । जिन्हा तो मैं रखता था, परंतु धर्म और डरमे उमे कटा डाना । मैं ममजना हू कि वह तो मुझे फिर धारण कर लेनी चाहिए । अपने साधियोंके साथ इस बातका विचार कर लूंगा ।”

स्वामीजीको जनेऊ-विषयक मेरी दलील न जची । जो कारण मैंने जनेऊ न पहननेके पक्षमें पेश किये, वे उन्हें पहननेके पक्षमें दिखाई दिये । अस्तु । जनेऊके संबन्धमें उन नमय अपिकेयमें जो विचार मैंने प्रदर्शित किया था वह आज भी प्रायः नैमा ही कायम है । जबतक संसारमें सिद्ध-सिद्ध धर्मोंका अस्तित्व है तबतक अन्येक धर्मके लिए बाह्य संज्ञाकी आवश्यकता भी नायद हो; परंतु जब वह बाह्य संज्ञा आडंबरका रूप धारण कर लेती है अथवा अपने धर्म को दूसरे धर्ममें पृथक् दिखलानेका नावन ही जाय, तब वह त्याज्य हो जाती है । आजकल मुझे जनेऊ हिंदू-धर्मको ऊचा उठानेका साधन नहीं दिखाई पड़ता । इसलिए मैं उसके सबधमें उदासीन रहता हूँ ।

शिक्षाके त्यागकी बात जुदा है । यह धर्म और भयके कारण हुआ था; इसलिए अपने साधियोंके साथ विचार करके मैंने उमे धारण करनेका निश्चय किया ।

पर अब हमको लक्ष्मण-मूलेकी ओर चलना चाहिए । ऋषिकेश और लक्ष्मण-मूलेके प्राकृतिक दृश्य मुझे बहुत पसंद आये । हमारे पूर्वजोंकी प्राकृतिक कलाको पहचाननेकी क्षमताके प्रति और कलाको नार्मिक स्वरूप देनेकी उनकी दूरदेशीके प्रति मेरे मनमें बडा आदर उत्पन्न हुआ, परंतु दूसरी ओर मनुष्यकी कृत्तिको बहा देखकर चित्तको शांति न हुई । हरद्वारकी तरह ऋषिकेशमें भी लोग रास्तोंको और गंगाके सुंदर किनारोंको नवा कर डालते थे । गंगाके पवित्र पानीको

बिगाडते हुए भी उन्हें कुछ सकोच न होता था । दिशा-जगल जानेवाले ग्राम जगह और रास्तोपर ही बैठ जाते, यह देखकर मेरे चित्तको बड़ी चोट पहुँची ।

लक्ष्मण-झूला जाते हुए रास्तेमें लोहेका एक झूलता हुआ पुल देखा । लोगोसे मालूम हुआ कि पहले यह पुल रस्सीका और बहुत मजबूत था, उसे तोड़कर एक उदार-हृदय मारवाड़ी सज्जनने बहुत रुपये लगाकर यह लोहेका पुल बना दिया और उसकी कुजी सौंप दी सरकारको । रस्सीके पुलका तो मुझे कुछ खयाल नहीं हो सकता, परंतु यह लोहेका पुल तो वहाके प्राकृतिक सौंदर्यको कलुषित करता था और बहुत भद्दा मालूम होता था । फिर यात्रियोंके इस रास्तेकी कुजी सरकारको सौंप दी गई, यह बात तो मेरी उस समयकी वफादारीको भी असह्य मालूम हुई ।

वहासे भी अधिक दुःखद दृश्य स्वर्गाश्रमका था । टीनके तनेले-जैसे कमरोका नाम स्वर्गाश्रम रक्खा गया था । कहा गया था कि ये साधकोके लिए बनाये गये हैं, परंतु उस समय शायद ही कोई साधक वहा रहता हो । वहाकी स्थिति इमारतमें जो लोग रहते थे उन्होने भी मेरे दिलपर अच्छी छाप नहीं डाली ।

जो हो, पर इसमें सदेह नहीं कि हरद्वारके अनुभव मेरे लिए अमूल्य सावित हुए । मैं कहा जाकर बसू और क्या करू, इसका निश्चय करनेमें हरद्वारके अनुभवोंने मुझे बहुत सहायता दी ।

६

आश्रमकी स्थापना

कुभकी यात्राके पहले मैं एक बार और हरद्वार आ चुका था । सत्याग्रह-आश्रमकी स्थापना २५ मई १९१५ को हुई । अद्वानबजीकी यह राय थी कि मैं हरद्वारमें बसू । कलकत्तेके कुछ मित्रोकी सलाह थी कि वैद्यनाथ-धाममें डेरा डालू । और कुछ मित्र इस बातपर जोर दे रहे थे कि राजकोटमें रहू ।

पर जब मैं अहमदाबादसे गुजरा तो धनुतरे मित्रोंने कहा कि आप अहमदाबादको चुनिए । और आश्रमके स्तर्चका भार भी अपने जिम्मे उन्होने ले लिया । भकान खोजनेका भी आश्वासन दिया ।

अहमदाबादपर मेरी नजर ठहर गई थी। मैं मानता था कि गुजराती होनेके कारण मैं गुजराती भाषाके द्वारा देशकी अधिक-से-अधिक सेवा कर सकूंगा। अहमदाबाद पहले हाथ-बुनाईका बड़ा भारी केंद्र था, इससे चरखेका काम यहाँ अच्छी तरह हो सकेगा, और गुजरातका प्रधान नगर होनेके कारण यहाँके घनाल्प लोग धन-द्वारा अधिक सहायता दे सकेंगे, यह भी खयाल था।

अहमदाबादके मित्रोंके साथ जब आश्रमके विषयमें बातचीत हुई तो अस्पृक्षोंके प्रश्नकी भी चर्चा उनसे हुई थी। मैंने साफ तौरपर कहा था कि यदि कोई योग्य अत्यज भाई आश्रममें प्रविष्ट होना चाहेंगे तो मैं उन्हें अवश्य आश्रममें लूंगा।

“आपकी गर्तोंका पालन कर सकने वाले अत्यज ऐसे कहा रास्तेमें पड़े हुए हैं ?” एक वैष्णव मित्रने ऐसा कहकर अपने मनको सतोष दे लिया और अतको अहमदाबादमें बसनेका निश्चय हुआ।

अब हम भ्रमणकी तलाश करने लगे। श्री जीवनलाल वैरिस्टरका मकान, जो कोचरबर्म हैं, किरायेपर लेना तय पाया। वही मुझे अहमदाबादमें बसानेवालोमें अग्रणी थे।

इसके बाद आश्रमका नाम रखनेका प्रश्न खड़ा हुआ। मित्रोंसे मैं मशवरा किया। कितने ही नाम आये। सेवाश्रम, तपोवन इत्यादि नाम सुझाये गये। सेवाश्रम नाम हम लोगोंको पसंद आता था, परन्तु उससे सेवाकी पद्धतिके परिचय नहीं होता था। तपोवन नाम तो भला स्वीकृत कैसे हो सकता था ? क्योंकि बद्यपि तपश्चर्या हम लोगोंको प्रिय थी, फिर भी यह नाम हम लोगोंको अपने लिए भारी मालूम हुआ। हम लोगोंका उद्देश्य तो था सत्यकी पूजा, सत्यकी शोध करना, उमीदा आग्रह रक्षना और दक्षिण अफ्रीकामें जिस पद्धतिके उपयोग हम लोगोंने किया था, उसीका परिचय भारतवासियोंको कराना, एव हमें यह भी देखना था कि उसकी शक्ति और प्रभाव कहाँ तक व्यापक हो सकता है। इस लिए मैंने और भाषियोंने ‘सत्याग्रहाश्रम’ नाम पसंद किया। उममें सेवा और सेवा-पद्धति दोनोंका भाव अपने-आप आ जाता था।

आश्रमके उच्चारणके लिए नियमावलीकी आवश्यकता थी, इसलिए नियमावली बनाकर उसपर जगह-जगहमें रायें भगवाई गईं। बहुतेरी सम्मतियों

मे सर गुरुदास वनर्जीकी राय मुझे याद रह गई है। उन्हें नियमावली पसंद आई, परंतु उन्होंने सुझाया कि इन व्रतोंमें नम्रताके व्रतको भी स्थान मिलना चाहिए। उनके पत्र की ध्वनि यह थी कि हमारे युवकवर्गमें नम्रताकी कमी है। मैं भी जगह-जगह नम्रताके अभावको अनुभव कर रहा था, मगर व्रतमें स्थान देनेसे नम्रताके नम्रता न रह जानेका आभास होता था। नम्रताका पूरा अर्थ तो है शून्यता। शून्यता प्राप्त करनेके लिए दूसरे व्रत होते हैं। शून्यता मोक्षकी स्थिति है। मुमुक्षु या सेवकके प्रत्येक कार्य यदि नम्रता-निरभिमानतासे न हो तो वह मुमुक्षु नहीं, सेवक नहीं, वह स्वार्थी है, अहंकारी है।

आश्रममें इस समय लगभग तेरह तामिल लोग थे। मेरे साथ दक्षिण अफ्रीकासे पांच तामिल वाराक आये। वे तथा यहांके लगभग पच्चीस स्त्री-पुरुष मिलकर आश्रमका आरंभ हुआ था। सब एक भोजनशालामें भोजन करते थे और इस तरह रहनेका प्रयत्न करते थे, मानो सब एक ही कुटुंबके हो।

५

१०

कसौटीपर

आश्रमकी स्थापनाको अभी कुछ ही महीने हुए थे कि इतनेमें हमारी एक एसी कसौटी हो गई, जिसकी हमने आशा नहीं की थी। एक दिन मुझे भाई अमृतलाल ठक्करका पत्र मिला—‘एक गरीब और दयानतदार अत्यंत कुटुंबकी इच्छा आपके आश्रममें आकर रहनेकी है। क्या आप उसे ले सकेंगे?’

चिट्ठी पढ़कर मैं चौंका तो, क्योंकि मैंने यह बिलकुल आशा न की थी कि ठक्कर बापा-जैसोकी सिफारिश लेकर कोई अत्यंत कुटुंब इतनी जल्दी आ जायगा। मैंने सावित्र्योको यह चिट्ठी दिखाई। उन लोगोंने उसका स्वागत किया। मैंने अमृतलालभाईको चिट्ठी लिखी कि यदि वह कुटुंब आश्रमके नियमोंका पालन करने के लिए तैयार हो तो हम उसे लेनेके लिए तैयार हैं।

बस, दूबाभाई, उनकी पत्नी दानीबहन और दुधमुही लक्ष्मी आश्रममें आ गये। दूबाभाई वढईमें शिक्षक थे। वह आश्रमके नियमोंका पालन करनेके लिए तैयार थे। इसलिए वह आश्रममें ले लिये गये।

पर इससे सहायक मित्र-मडलीमें बड़ी खलवली मची । जिस कुएमें बगलेके मालिकका भाग था उसमेंसे पानी भरनेमें दिक्कत आने लगी । चरस हाकनेवालेको भी यदि हमारे पानीके छीटे लग जाते तो उसे छूत लग जाती । उसने हमें गालिया देना शुरू किया । दूधामाईको भी वह सताने लगा । मैंने सबसे कह रक्खा था कि गालिया सह लेना चाहिए और दृढतापूर्वक पानी भरते रहना चाहिए । हमको चूपचाप गालिया सुनते देखकर चरसवाला धर्मिदा हुआ और उसने हमारा पिंड छोड़ दिया, परंतु इससे आर्थिक सहायता मिलनी बंद हो गई । जिन भाइयोंने पहलेसे उन अछूतोंके प्रवेशपर भी, जो आश्रमके नियमों का पालन करते हो, शका खड़ी की थी उन्हें तो यह आशा ही नहीं थी कि आश्रममें कोई अत्यज आ जायगा । इधर आर्थिक सहायता बंद हुई, उधर हम लोगोंके बहिष्कारकी अफवाह मेरे कानपर आने लगी । मैंने अपने साथियोंके साथ यह विचार कर रक्खा था कि यदि हमारा बहिष्कार हो जाय और हमें कहीं से सहायता न मिले तो भी हमें अहमदाबाद न छोड़ना चाहिए । हम अछूतोंके मुहल्लोंमें जाकर बस जायेंगे और जो-कुछ मिल जायगा उसपर अथवा मजदूरी करने गूजर कर लेंगे ।

अतको मगनलालने मुझे नोटिस दिया कि अगले महीने आश्रमखर्चके लिए हमारे पास रुपये न रहेंगे । मैंने धीरजके साथ जवाब दिया— "तो हम लोग अछूतोंके मुहल्लोमें रहने लगेंगे ।"

मुझपर यह सकट पहली ही बार नहीं आया था, परंतु हर बार अखीरमें जाकर उस साबलियाने कहीं-कहींसे मदद भेज दी है ।

मगनलालके इस मोटिसके पीछे ही दिन बाद एक रोज सुबह किमी वालकाने धाकर खबर दी कि बाहर एक मोटर पड़ी है । एक सेठ आपको बुला रहे हैं । मैं मोटरके पास गया । मेठने मुझे कहा— "मैं आश्रमको कुछ मदद देना चाहता हूँ, आप लेंगे ?" मैंने उत्तर दिया— "हां, आप दें तो मैं जरूर ले लूंगा । धीरे इस समय तो मुझे जरूरत भी है ।"

"मैं कब इसी समय यहाँ आऊंगा तो आप आश्रममें ही मिलेंगे न ?" मैंने कहा— "हां ।" गौर रोठ अपने घर गये । दूसरे दिन नियत समयपर मोटरका भोपू बजा । वालकाने मुझे खबर की । वह सेठ अदर नहीं आये ।

मैं ही उनसे मिलनेके लिए गया। मेरे हाथमें १३,०००)के नोट रखकर वह विदा हो गये। इस मददकी मैंने विलकुल आशा न की थी। मदद देनेका यह तरीका भी नया ही देखा। उन्होंने आश्रममें इससे पहले कभी पैर न रक्खा था। मुझे ऐसा याद पड़ता है कि मैं उनसे एक बार पहले भी मिला था। न तो वह आश्रमके अदर आये, न कुछ पूछा-साछा। बाहरसे ही रुपया देकर चलते बने। इस तरहका यह पहला अनुभव मुझे था। इस मददसे अछूतोंके मुहल्लेमें जानेका विचार स्थगित रहा, क्योंकि लगभग एक वर्षके खर्चका रुपया मुझे मिल गया था।

परन्तु बाहरकी तरह आश्रमके अदर भी खलवली मची। यद्यपि दक्षिण अफ्रीकामें अछूत वगैरा मेरे यहाँ आते रहते, और लाते थे, परन्तु यहाँ अछूत कुटुंबका आना और आकर रहना पत्नीको तथा दूसरी स्त्रियोंको पसंद न हुआ। दानीवहनके प्रति उनका तिरस्कार तो नहीं, पर उदासीनता मेरी सूक्ष्म आँखें और तीक्ष्ण कान, जो ऐसे विषयोंमें खासतौरपर सतर्क रहते हैं, देखते और सुनते थे। आर्थिक सहायताके अभावसे न तो मैं भयभीत हुआ, न चिंता-ग्रस्त ही, परन्तु यह अतीतरी शोभ कठिन था। दानीवहन मामूली स्त्री थी। दूधामाईकी पढाई भी मामूली थी, पर वह ज्यादा समझदार थे। उनका धीरज मुझे पसंद आया। कभी-कभी उन्हें गुस्सा आ जाता, परन्तु आमतौर पर उनकी सहनशीलताकी अच्छी ही छाप मुझपर पड़ी है। मैं दूधामाईको समझाता कि छोटे-छोटे अपमानोंको हमें पी जाना चाहिए। वह समझ जाते और दानीवहन को भी सहन करनेकी प्रेरणा करते।

इस कुटुंबको आश्रममें रखकर आश्रममें बहुत सबक सीखे हैं। और आरम्भ-कालमें ही यह बात साफतौरसे स्पष्ट हो जानेसे कि आश्रममें अस्पृश्यताके लिए जगह नहीं है, आश्रमकी मर्यादा बंध गई और इस दिशामें उसका काम बहुत सरल हो गया। इतना होते हुए भी, आश्रमका खर्च बढ़ते जाते हुए भी, ज्यादातर सहायता जन्ही हिंदुओंकी तरफसे मिलती आ रही है जो कट्टर माने जाते हैं यह यह बात स्पष्ट रूपसे शायद इसी बातको सूचित करती है कि अस्पृश्यताकी जड़ अच्छी तरह हिल गई है। इसके दूसरे प्रमाण तो बहुतरे हैं परन्तु जहाँ अछूतके साथ खानपानमें परहेज नहीं रक्खा जाता वहाँ भी वे हिंदु-माई मदद करें, जो अपनेको सनातनी मानते हैं, तो यह प्रमाण न-कुछ नहीं समझा जा सकता।

इसी प्रश्नके सबबमें एक और वान भी आश्रममें स्पष्ट हो गई। इन विषयमें जो-जो माजुक सवाल पैदा हुए उनका भी हल मिला। कितनी ही अन्तर्गत असुविधाओंका स्वागत करना पड़ा। ये तवा और भी सत्यकी शोषके सिलसिलेमें हुए प्रयोगोंका वर्णन आवश्यक तो है, पर मैं उन्हें यहाँ छोड़ देता हूँ। इस बातपर मुझे कुछ तो है, परन्तु अब आगेके अध्यायोंमें यह दोष थोड़ा-बहुत रहता ही रहेगा— कुछ जरूरी बातें मुझे छोड़ देना पड़ेंगी, क्योंकि उनमें योग देने वाले बहूनेरे पर अभी नज़ूद हैं और उनकी इलाजतके बिना उनके नाम और उनसे संबंध रखनेवाली बातोंका वर्णन आज्ञासिद्धि करना अनूचित मालूम होता है। सबकी स्वीकृति समय-समयपर मागना अवकाश उनसे नवव रखनेवाली बातें उनको नेवकर सुख-वाना एक असम्भव बात है, फिर यह इस आत्मकथाकी नयादाके भी बाहर है। इसलिए अब आगेकी क्या यद्यपि मेरा दृष्टिकोण नएके शोषके लिए जानने योग्य है, फिर भी मुझे डर है कि वह अधूरी छानी रहेगी। इतना होने हुए भी ईश्वरकी इच्छा होंगी तो अस्हयोगके श्रुतक पहचानकी मेरी इच्छा ब आशा है।

११

गिरमिट-प्रथा

अब हम नये बने हुए आश्रमको छोड़ कर जो कि अब भीतर ही और बाहरी गुफानामे निजल चुका था, गिरमिट-प्रथा या कुत्ती-जवापर थोड़ा-सा विचार करनेका समय था गया है। गिरमिटिया उस कुत्ती या मजूरको कहते हैं जो पाव या समयमें ऊन बर्पके लिए जरूरी करनेका लेखी इन्कार करके बाहर चला जाता है। नेटालके ऐसे गिरमिटियों परसे तीन पौडका वार्षिक कर १९१४में रठ दिना गया था, परन्तु यह प्रथा अभी बंद नहीं हुई थी। १९१६ में भारत-मुपग मंडल मालवीयजीने इन मवानको धारा-मभामें उठाया था, और मांडं हांडिबने उनके प्रस्तावको स्वीकार करके यह घोषणा की थी यह प्रथा 'समय आने ही उठा देना' बचन मुझे अज्ञातकी ओरसे मिला है। परन्तु मेरा तो यह स्पष्ट म हूँ कि इन मवानको तन्मान बंद कर देनेका निर्णय हो जाना चाहिए। हिन्दु-म्वान अपनी मातृभारती के उस प्रजाको बहन बर्पतिक दरुजर करता रहा;

पर अब मैंने यह देखा कि लोगोम इतनी जाग्रति आगई है कि अब यह बंद की जा सकती है, इसलिए मैं कितने ही नेताओंसे इस विषयमें मिला, कुछ अखबारोंमें इस मवघमें लिखा और मैंने देखा कि लोकमत इस प्रथाका उच्छेद कर देनेके पक्षमें था। मेरे मनमें प्रश्न उठा कि क्या इसमें सत्याग्रह का कुछ उपयोग हो सकता है ? मुझे उसके उपयोगके विषयमें तो कुछ सदेह नहीं था, परंतु यह बात मुझे नहीं दिखाई पड़ती थी कि उपयोग किया कैसे जाय।

इस बीच वाइसरायने 'समय आनेपर' इन शब्दोंका अर्थ भी स्पष्ट कर दिया। उन्होंने प्रकट किया कि दूसरी व्यवस्था करनेमें जितना समय लगेगा, उतने समयमें यह प्रथा निर्मूल कर दी जायगी। इसपरसे फरवरी १९१७ में भारतभूषण मालवीयजीने गिरमिट-प्रथाको कतई उठा देनेका कानून पेश करनेकी इजाजत वढी धारा-समामे मागी, तो वायसरायने उसे नामजूर कर दिया। तब इस मसलेको लेकर मैंने हिंदुस्तानमें भ्रमण शुरू कर दिया।

भ्रमण शुरू करनेके पहले वाइसरायसे मिल लेना मैंने उचित समझा। उन्होंने तुरंत मुझे मिलनेका समय दिया। उस समय मि० मेफी, अब सर जान मेफी, उनके मंत्री थे। मि० मेफीके साथ मेरा ठीक सबघ वध गया था। लार्ड चम्सफोर्डके साथ इस विषयपर सतीषजनक बातचीत हुई। उन्होंने निश्चय-पूर्वक तो कुछ नहीं कहा— परंतु उनसे मदद मिलनेकी आशा जरूर मेरे मनमें बधी।

भ्रमणका आरम्भ मैंने बवईसे किया। बवईमें सभा करनेका जिम्मा मि० जहागीरजी पेटिटने लिया। इपीरियल सिटीजनशिप असोसियेशनके नामपर सभा हुई। उसमें जो प्रस्ताव उपस्थित किये जानेवाले थे, उनका मसविदा बनानेके लिए एक समिति बनाई गई। उसमें डा० रीड, सर लल्लूभाई शामलदास, नटराजन इत्यादि थे। मि० पेटिट तो थे ही। प्रस्तावमें यह प्रार्थना की गई थी कि गिरमिट-प्रथा बंद कर दी जाय, पर सवाल यह था कि कब बंद की जाय ? इसके सबघमें तीन सूचनायें पेश हुईं—(१) 'जितनी जल्दी हो सके', (२) 'इकतीस जुलाई', और (३) 'तुरत'। 'इकतीस जुलाई' वाली सूचना मेरी थी। मुझे तो निश्चित तारीखकी जरूरत थी कि जिससे उस मियादतक यदि कुछ न हो तो इस बातकी सूझ पड़ सके कि आगे क्या किया जाय और क्या किया जा

सकना है। मर लल्लूभाईकी राय थी कि 'तुरत' शब्द रक्ता जाय। उन्होंने कहा कि 'इकतीस जुलाई से नो 'तुरत' शब्दमे अधिक जल्दीका भाव आता है। इसपर मैंने यह नमजानेकी चौगिय की कि लोग तुरत शब्दका तात्पर्य न समझ सकेंगे। लोगोंने यदि कुछ जान लेना हो तो उनके नामने निम्नव्यात्मक शब्द रचना चाहिए। 'तुरत' का अर्थ नव अननो मर्जीके अनुसार कर सकने हैं। सरकार एक कर मकती है, नो दूनरा कर सकने हैं। परंतु 'इकतीस जुलाई' का अर्थ सब एक ही करेगे और उस तारीख तक यदि कोई फँसना न हो तो हम यह विचार कर सकते हैं कि अब हम क्या करबाई करनी चाहिए। यह इनात डा० रीटको तुरत जच गई। अतन्को सर लल्लूभाईको भी 'इकतीस जुलाई' रची और प्रस्तावमें वही तारीख रखी गई। मनामे यह प्रस्ताव रक्ता गया और नव जगह 'इकतीस जुलाई'की मर्यादा घोषित हुई।

बवईसे श्रीमती जायजी पेटिटकी अथक मिहनतने निम्नयोका एक प्रतिनिधिमंडल वायसरायके पास गया। उनमें लेडी ताता, न्वर्गोन दिलशाह बेगम वगैरा थीं। मन वहनोके नाम तो मुझे इस समय याद नहीं हैं, परंतु इस प्रतिनिधि-मंडलका असर बहुत अच्छा हुआ और वायसराय साहबने उसका आश्वासनके उत्तर दिया था। कराची, कलकत्ता वगैरा जगह भी मैं हों आया था। सब जगह अच्छी सभाये हुई और जगह-जगह लोगोमें खूब उत्साह था। जब मैंने इन कामकी उठाया तब ऐनी सभायें होनेकी और इतनी मन्दायें लोगोके आनेकी आशा मैंने नहीं की थी।

इन समय में अकेला ही मफर करता था, इससे अलौकिक अनुभव प्राप्त होता था। खुफिया पुलिस तो पीछे लगी ही रहती थी, पर इनके साथ अगठनेकी मुझे कोई जरूरत नहीं थी। मेरे पास कुछ भी छिपी बात नहीं थी। इसलिए वे न मुझे सतते और न मैं उन्हें भताना था। सौभाग्यने उन समय मुझपर 'महात्मा'का छाप नहीं लगी थी, हालांकि जहा लोग मुझे पहचान लेते वहा इन नामका घोष होने लगता था। एक वफा रेलमें जाते हुए बहूतने स्टेशनोपर खुफिया मेरा टिकट देखने आते और नवर वगैरा लेते। मैं तो वे जो सबाल पूछते जवाब तुरत दे देता। इससे सारी मुसाफिरोने समझा कि मैं कोई सीबा-सादा साधु या फकीर हूँ। जब दो-चार स्टेशनपर खुफिया आये तो वे मुसाफिर

विगडे और उस खुफियाको गाली देकर डाटने लगे— “ इस बेचारे साधुको नाहक क्यों सताते हो ? ” और मेरी तरफ मुखातिब होकर कहा— “ इन बदमाशोको टिकट मत बताओ । ”

मैंने धीमेसे इन यात्रियोसे कहा— “ उनके टिकट देखनेसे मुझे कोई कष्ट नहीं होता, वे अपना फर्ज भदा करते हैं, इससे मुझे किसी तरहका दुःख नहीं है । ”

उन मुसाफिरोको यह बात जची नहीं । वे मुझपर अधिक तरस खाने लगे और आपसमें बातें करने लगे कि देखो, निरपराध लोकोको भी ये कैसे हैरान करते हैं !

इन खुफियोसे तो मुझे कोई तकलीफ न मालूम हुई, परतु लाहौरसे लेकर देहलीतक मुझे रेलवेकी भीड़ और तकलीफका बहुत ही कड़ुआ अनुभव हुआ । कराचीसे लाहौर होकर मुझे कलकत्ता जाना था । लाहौरमें गाडी बदलनी पडती थी । यहा गाडोम मेरी कही दाल नहीं गलती थी । मुसाफिर जबरदस्ती घुस पडते थे । दरवाजा बंद होता तो खिडकीमेंसे अदर घुस जाते थे । ईधर मुझे नियत तिथिको कलकत्ता पहुंचना जरूरी था । यदि यह ट्रेन छूट जाती तो मैं कलकत्ते समयपर नहीं पहुंच सकता था । मैं जगह मिलनेकी आशा छोड रहा था । कोई मुझ अपने डब्बेमें नहीं लेता था । अखीरको मुझे जगह खोजता हुआ देखकर एक मजदूरने कहा— “ मुझे बारह आने दो तो मैं जगह दिला दू । ” मैंने कहा— “ जगह दिला दो तो मैं बारह आने जरूर दूंगा । ” बेचारा मजदूर मुसाफिरके हाथ-पाव जोडने लगा, पर कोई मुझे जगह देनेके लिए तैयार नहीं होते थे । गाडी छूटनेकी तैयारी थी । इतनेमे एक डब्बेके कुछ मुसाफिर बोले— “ यहा जगह नहीं है, लेकिन इसके भीतर घुसा सकते हो तो घुसा दो, खडा रहना होगा । ” मजदूरने मुझसे पूछा— “ क्योंजी ? ” मैंने कहा— “ हा, घुसा दो । ” तब उसने मुझे उठाकर खिडकीमेंसे अदर फेंक दिया । मैं अदर घुसा और मजदूरने बारह आने कमाये ।

मेरी यह रात बडी मुश्किलसे बीती । दूसरे मुसाफिर तो किसी तरह ज्यो-त्यो करके बैठ गये, परतु मैं ऊपरकी बैठककी जजीर पकडकर खडा ही रहा । बीच-बीचमें यात्री लोग मुझे डाटते भी जाते— “ अरे, खडा क्यों है, बैठ क्यों नहीं जाता ? ” मैंने उन्हें बहुतेरा समझाया कि बैठनेकी जगह नहीं है, परतु उन्हें

मेरा खड़ा रहना भी बरदान्त नहीं होता था, हालांकि वे खुद ऊपरकी बैठकमें आरामसे पैर ताने पड़े हुए थे। पर मुझे बार-बार दिक करते थे। ज्यो-ज्यो वे मुझे दिक करते त्यो-त्यो मैं उन्हें धातिसे जवाब देता। इसने वे कुछ शात हुए। फिर मेरा नामठाम पूछने लगे। जब मुझे अपना नाम बताना पड़ा तब वे बड़े धामिदा हुए। मुझेसे माफी मागने लगे और तुरत अपने पास जगह कर दी। 'सबरका फल भीठा होता है'— यह कहावत मुझे याद आई। इस समय मैं बहुत थक गया था। मेरा सिर घूम रहा था। जब बैठनेको जगहकी सचमुच जरूरत थी तब ईश्वरने उसको सुविधा कर दी।

इस तरह घक्के खाता हुआ आखिर समयपर कलकत्ते पहुंच गया। कासिमवाजारके महाराजने अपने यहा ठहरनेका मुझे निमन्त्रण दे रक्खा था। कलकत्तेकी समाके सभापति भी वही थे। कराचीकी तरह कलकत्तेमें भी लोगोंका उत्साह उमड़ रहा था, कुछ अग्रेज लोग भी आये थे।

इकतीस जुलाईके पहले कुली-प्रथा बंद होनेकी घोषणा प्रकाशित हुई। १८९४ में इस प्रथाका विरोध करनेके लिए पहली दरखास्त मंने बनाई थी और यह आज्ञा रक्खी थी कि किसी दिन यह 'अर्ध-गुलामी' जरूर रद्द हो जायगी। १८९४में शुरु हुए इस कार्यमें यद्यपि बहुतेरे लोगोंकी सहायता थी परंतु यह कहे विना नहीं रहा जाता कि इस धारके प्रयत्नके साथ बृद्ध सत्याग्रह भी सम्मिलित था।

इस घटनाका अधिक ब्यौरा और उसमें भाग लेनेवाले पात्रोंका परिचय दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहके इतिहासमें पाठकोंको मिलेगा।

१२

नीलका दाग

चंपारन राजा जनककी भूमि है। चंपारनमें जैसे आमके दान हैं उसी तरह, १९१७में नीलके खेत थे। चंपारनके किसान अपनी ही जमीनके ३/२० हिस्से में नीलकी खेती जमीनके अरुंधी नालिकके लिए करनेपर कानूनन बाध्य थे। इने वहा 'नील कठिना कहते थे। २० कट्टेका वहां एक एकड़ था और उसमेंसे ३ कट्टे नील बोना पड़ता था। इसीलिए उस प्रथाका नाम पड़ गया था

'तीन कटिया' ।

मैं यह कह देना चाहता हूँ कि चपारनमे जानेके पहले मैं उसका नाम-निश्चान नहीं जानता था । यह खयाल भी प्रायः नहींके बराबर ही था कि वहाँ नीलकी खेती होती है । नीलकी गोटिया देखी थी, परतु मुझे यह विलकुल पता न था कि वे चपारनमे बनती थी और उनके लिए हजारों किसानोंको वहाँ दुख उठाना पड़ता था ।

राजकुमार शुक्ल नामके एक किसान चपारनमे रहते थे । उनपर नीलकी खेतीके सिलसिलेमें बड़ी बुरी बीती थी । यह दुःख उन्हें खल रहा था और उसीके फलस्वरूप सबके लिए इस नीलके दागको घों डालनेका उत्साह उनमें पैदा हुआ था ।

जब मैं कांग्रेसमें लखनऊ गया था, तब इस किसानने मेरा पल्ला पकड़ा ।

“वकीलवाबू आपको सब हाल बतायेंगे”—यह कहते हुए चपारन चलनेका निमंत्रण मुझे देते जाते थे ।

यह वकीलवाबू और कोई नहीं, मेरे चपारनके प्रिय साथी, बिहारके सेवा-जीवनके प्राण, वृजकिशोरदाबू ही थे । उन्हें राजकुमार शुक्ल मेरे डेरेमें थे । वह काले अलपकेका अचकल, पतलून वर्गारा पहने हुए थे । मेरे दिलपर उनकी कोई अच्छी छाप नहीं पड़ी । मैंने समझा कि इस भोले किसानको लूटने-वाले कोई वकील होंगे ।

मैंने उनसे चपारनकी थोड़ी-सी कथा सुनली और अपने रिवाजके मुताबिक जवाब दिया— “जबतक मैं खुद जाकर सब हाल न देख लू तबतक मैं कोई राय नहीं दे सकता । आप कांग्रेसमें इस विषयपर बोलें, किंतु मुझे तो अभी छोड़ ही दीजिए ।” राजकुमार शुक्ल तो चाहते थे कि कांग्रेसकी मदद मिले । चपारनके विषयमे कांग्रेसमे वृजकिशोरदाबू बोले और सहानुभूतिको एक प्रस्ताव पास हुआ ।

राजकुमार शुक्लको इससे खुशी हुई, परतु इतने हीसे उन्हें मतोष न हुआ । वह तो खुद चपारनके किसानों के दुःख दिखाना चाहते थे । मैंने कहा— “मैं अपने भ्रमणमे चपारनको भी ले लूंगा, और एक-दो दिन वहाँके लिए दे दूंगा ।” उन्होंने कहा— “एक दिन काफी होगा, अपनी नजरोंसे देखिए तो सही ।”

लखनऊने मैं कानपुर गया था। वहाँ भी देखा तो राजकुमार शुक्ल मौजूद। "यहाँसे नगरन बहुत नजदीक है। एक दिन दे दीजिए।" अनी तो मुझे नाफ़ कीजिए, पर मैं यह वचन देता हूँ कि मैं आज़ात करूँ।" यह कहकर बड़ा जानैके लिए मैं और भी बच गया।

मैं आश्रम पहुँचा तो वहाँ भी राजकुमार शुक्ल मेरे दँड़े-पीछे मौजूद। "अब तौ दिन नुकरें कर दीजिए। मैंने कहा— "गच्छा, इमूक गारीलने कनकते जाना है वहाँ आकर मुझे ले जाना। कहा जाना क्या करता, क्या देखता, मुझे इन्का कुछ पता न था। कलकत्तेमें नूपेनदावूके यहाँ मेरे पहुंचनेके पहले ही राजकुमार शुक्लका पड़ाव पद चुका था। अब तो हम इन्ट्र-अनवड परतु निष्कयी किसानने मुझे जीत लिया।

१९१७के अरसनमें कलकत्तेने हम दोनों खाना हुए। हम दोनों की एक-नी जोड़ी—दोनों जितान-से दीखते थे। राजकुमार शुक्ल और मैं—हम दोनों एक ही गाडीमें बैठे। सुबह पटना उतरे।

पटनेकी यह मेरी पहली यात्रा थी। वहाँ मेरी किअंते इनकी पहचान नहीं थी कि कहीं उतर सकूँ।

मैंने ननमें मोचा था कि राजकुमार शुक्ल है तो अनवड जिनान, परतु यहाँ उल्ला कुछ-कुछ करिया जकर होगा। ट्रेनमें उनका मुझे अकिह हाल मालूम हुआ। पटनेमें आकर उनकी कहीं खून गई। राजकुमार शुक्लका भाव तौ निर्दोष था, परतु जिन वकीलोंको उन्हींने नित्र माला था वे नित्र न थे; बल्कि राजकुमार शुक्ल उनके आश्रितकी तरह थे। इस किमान नवकिखल और उन वकीलोंके बीच उनना ही अंतर था, जितना कि बरसातमें गंगाजीका पाट चौड़ा हो जाना है।

मुझे वह राजकुमारके यहाँ ले गये। राजकुमार पुरी या वहाँ और गये थे। बल्किपर एक-दो नौकर थे। सागेके लिए कुछ तौ मेरे साथ था; परतु मुझे खरकी जस्तत थी जो बेचारे राजकुमार शुक्लने बाजारसे ला दी।

परतु बिहारमें छुम्पा-धूनका बड़ा संस्त रिवाज था। मेरे डोनेके पानीके छींटेसे नौकरको छून लानी थी। नौकर बेचारा क्या जानता कि मैं किन जानिना था? अदरके पावानेका उपयोग करनेके लिए राजकुमारने कहा तौ नौकरने

बाहरके पाखानेकी तरफ उगली बताई । मेरे लिए इसमें असमजसकी या रोषकी कोई बात न थी, क्योंकि ऐसे अनुभवोंसे मैं पक्का हो गया था । नौकर तो बेचारा अपने धर्मका पालन कर रहा था, और राजेंद्रबाबूके प्रति अपना फर्ज अदा करता था । इन मजेदार अनुभवोंसे राजकुमार शुक्लके प्रति जहाँ एक ओर मेरा मान बढ़ा, तहाँ उनके सबधमें मेरा ज्ञान भी बढ़ा । अब पटनासे लगाम मैंने अपने हाथमें ले ली ।

१३

बिहारकी सरलता

मीलाना मजहूरलहक और मैं एक साथ लदनमें रहते थे । उसके बाद हम वंबईमें १९१५की कांग्रेसमें मिले थे । उस साल वह मुसलिमलीगके सभापति थे । उन्होंने पुरानी पहचान निकालकर जब कभी मैं पटना आऊ तो उनके यहाँ ठहरनेका निमंत्रण दिया था । इस निमंत्रणके आधारपर मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी और अपने कामका परिचय भी दिया । वह तुरत अपनी मोटर लेकर आये और मुझे अपने यहाँ चलनेका इस्तरार करने लगे । इसके लिए मैंने उनको धन्यवाद दिया और कहा कि “ मुझे अपने जाने के स्थानपर पहली ट्रेनसे रवाना कर दीजिए । रेलवे गाइडसे मुकामका मुझे कुछ पता नहीं लग सकता । ” उन्होंने राजकुमार शुक्लके साथ बात की और कहा कि पहले मुजफ्फरपुर जाना चाहिए । उसी दिन शामको मुजफ्फरपुरकी गाडी जाती थी । उसमें उन्होंने मुझे रवाना कर दिया । मुजफ्फरपुरमें उस समय आचार्य कृपलानी भी रहते थे । उन्हें मैं पहचानता था । जब मैं हैदराबाद गया था तब उनके महात्यागकी, उनके जीवनकी और उनके द्वयसे चलनेवाले आश्रमकी बात डॉक्टर चौधरामके मुखसे सुनी थी । वह मुजफ्फरपुर कॉलेजमें प्रोफेसर थे, पर उस समय वहाँसे मुक्त हो बैठे थे । मैंने उन्हें तार किया । ट्रेन मुजफ्फरपुर प्राधीरातकी पहुँचती थी । वह अपने गिब्ब-मडलको लेकर स्टेशन आ पहुँचे थे, परतु उनके घर-दार कुछ न था । वह अध्यापक मलकानीके यहाँ रहते थे, मुझे उनके यहाँ ले गये । मलकानी भी वहाँके कॉलेजमें प्रोफेसर थे और उस जमानेमें सरकारी कॉलेजके प्रोफेसर

का मुझे अपने यहाँ ठहराना एक असाधारण बात थी ।

कृपलानीजीने विहारकी और उसमें तिरहुत-विभागकी दीन दया का वर्णन किया और मुझे अपने कामकी कठिनाईका अंदाज बताया । कृपलानीजीने विहारियोंके साथ गढा सबब कर लिया था । उन्होंने मेरे कामकी बात बहाने लगेसे कर रक्की थी । सुबह होते ही कुछ बकील मेरे पास आये । उनमेंसे रामनबमीप्रसादजीका नाम मुझे याद रह गया है । उन्होंने अपने इस आग्रहके कारण मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा था—

“आप जिस कामको करने यहाँ आये हैं वह इस जगहसे नहीं हो सकता । आपको तो हम-जैसे लोगोंके यहाँ चलकर ठहरना चाहिए । गयावावू यहाँके मजहूर बकील हैं । उनकी तरफसे मैं आपको उनके यहाँ ठहरनेका आग्रह करता हूँ । हम सब सरकारसे तो जरूर डरते हैं, परतु हमसे जितनी हो सकेगी आपकी मदद करेंगे । राजकुमार गुलकी बहुतरी बातें सच हैं । हमे अफसोस है कि हमारे अगुआ आज वहाँ नहीं हैं । बाबू वृजकिशोरप्रसादको और राजेंद्रप्रसादको मैंने तान दिया है । दोनों यहाँ जन्दी आ जायगे और आपको पूरी-पूरी वाकफियत और मदद दे सकेंगे । मिहरबानी करके आप गयावावूके यहाँ चलिए ।”

यह भाषण सुनकर मैं ललचाया, पर मुझे इस भयसे सकोच हुआ, मुझे ठहरानेसे कही गयावावूकी स्थिति विषम न हो जाय, परतु गयावावूने इसके विषयमे मुझे निश्चित कर दिया ।

अब मैं गयावावूके यहाँ ठहरा । उन्होंने तथा उनके कुटुंबी-जनोंने मुझपर बड़े प्रेमकी बर्पा की ।

वृजकिशोरबाबू दरभंगासे और राजेंद्रबाबू पुरीने यहाँ आये । यहाँ जो मैंने देखा तो वह लखनऊवाले वृजकिशोरप्रसाद नहीं थे । उनके अद-विहारियोंकी नञ्जता, सादगी, भलमगी और असाधारण श्रद्धा देखकर मेरा हृदय दर्पमे पट्ट उठा । विहारों बकील-मडलका उनके प्रति आदरभाव देखकर मुझे आनंद और आश्चर्य दोनों हुए ।

तबसे इस बकील-मडलके और मेरे जन्म-मरके लिए स्नेह-गाठ बा गई । वृजकिशोरबाबूने मुझे सब जानीये वाकफि कर दिया । वह गरीब किसानों को तरफसे भ्रान्ते करने थे । ऐसे दो मुकदमे उभर ममय चल रहे थे । ऐसे मुकदम

के द्वारा वह कुछ व्यक्तियोंको राह न दिलाते थे, पर कभी-कभी इसमें भी असफल हो जाते थे। इन भोले-भाले किसानोंसे वह फीस लिया करते थे। त्यागी होते हुए भी वृजकिशोरवावू या राजेंद्रवावू फीस लेनेमें सकोच न करते थे। “पेशेके काममें अगर फीस न लें तो हमारा घर-खर्च नहीं चल सकता और हज़ लोगोकी मदद भी नहीं कर सकते।” यह उनकी दलील थी। उनकी तथा बगाल-बिहारके बैरिस्टरोकी फीसके कल्पनातीत अक तुनकर मैं तो चकित रह गया। “को हमने ‘ओपीनियन’के लिए दस हज़ार रुपये दिये।” हज़ारोके सिवाय तो मैंने बात ही नहीं सुनी।

इस मित्र-मडलने इस विषयमें मेरा मीठा उलाहता प्रेमके साथ सुना। उन्होंने उसका उलटा अर्थ नहीं लगाया।

मैंने कहा— “इन मुकदमोकी मिसले देखनेके बाद मेरी तो यह राय होती है कि हम यह मुकदमेवाजी अब छोड़ दे। ऐसे मुकदमोसे बहुत कम लाभ होता है। जहा प्रजा इतनी कुचली जाती है, जहा सब लोग इतने भयभीत रहते हैं, वहा अदालतके द्वारा बहुत कम राहत मिल सकती है। इसका सच्चा इलाज तो है लोगोंके दिलसे डरको निकाल देना। इसलिए अब जबतक यह ‘तीन कठिया’ प्रथा मिट नहीं जाती तबतक हम आरामसे नहीं बैठ सकते। मैं तो अभी दो दिनमें जितना देख सकू, देखनेके लिए आया हू, परतु मैं देखता हू कि इस काममें दो वर्ष भी लग सकते हैं, परतु इतने समयकी भी जरूरत हो तो मैं देनेके लिए तैयार हू। यह तो मुझे सूझ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, परतु आपकी मददकी जरूरत है।”

मैंने देखा कि वृजकिशोरवावू निश्चित विचारके आदमी है। उन्होंने क्षातिके साथ उत्तर दिया— “हमसे जो-कुछ वन सकेगी वह मदद हम जरूर करेंगे, परतु हमें आप बतलाइए कि आप किस तरहकी मदद चाहते हैं।”

हम लोग रातभर बैठकर इस विषयपर विचार करते रहे। मैंने कहा— “मुझे आपकी बकालतकी सहायताकी जरूरत कम होगी। आप-जैसोसे मैं लेकर और दुभापियेके रूपमें सहायता चाहता हू। संभव है, इस काममें जेल जानेकी भी नौबत आ जाय। यदि आप इस जोखिममें पड़ सँ तो मैं इसे पसंद करूँगा, परतु यदि आप न पड़ना चाहें तो भी कोई बात नहीं। बकालत को

अनिश्चित सम्पत्तके लिए उद करके लेखके रूपमें ब्याज करना भी मेरी कुछ कम माग नहीं है। यहाली चोली नम्रनेमे मूझे उठान दिक्कत पड़ती है। कागज-पत्र सब उठूं या बंधीमें लिखे होते हैं, जिन्हें मैं पढ़ नहीं सकता। उनके अनुवादकी मैं आपसे आशा रखता हूँ। रुपये देकर यह काम करना चाहें तो अपनी सामर्थ्य के बाहर है। यह सब मेरा-भावने, बिना पैसके, होना चाहिए।”

दूकविशोरबाबू मेरी बातको मन्स तो गये, परतु उन्होंने मुझसे तथा अपने साथियोंसि जिरह धुरु की। मेरी बातोका फलितार्थ उन्हें बताया। नूझने पूछा— “आपके अदायनें बचतक बकीलोको यह त्याग करना चाहिए, कितना करना चाहिए, थोडे-थोडे लोग थोडी-थोडी अवधिके लिए आते रहें तो ब्याज चलेगा या नहीं ?” इत्यादि। बकीलोंसि उन्होंने पूछा कि आप लोग किना-किना त्याग कर सकेंगे ?

अतमें उन्होंने अपना यह निश्चय प्रकट किया— “हम इतने लोग तो आप जो काम ~~करनेके~~ करनेके लिए तैयार रहेंगे। इनमेंसे जिनको आप जिन समय चाहेंगे आपके पास हाजिर रहेंगे। जेज जानेकी बात फलवता हमारे लिए बर्डे है, पर उमरी भी हिम्मत करनेकी हम कोशिश करेंगे।”

98

अहिंसादर्शिका साक्षात्कार

अतमें तो गिनानोंकी हाजतकी जाच करनी थी। यह देखना था कि नांके गानिकोंकी जो गिदायन गिनानोंकी थी उतमें गिनती सचाई है। इनमे हजारो गिनानोंमे गिननेकी जरूरत थी, परतु इन तन्ह अमातौरपर उनमे गिनने-बू उनके पहले, गिनहं गानिकोंकी बात गुन लेने और अमिन्गरे गिननेकी आबध्पता मूझे दिखाई दी। मैंने दोनोंको चिठ्ठी लिखी।

मादिगके मन्गरे नगीमें मिला तो उन्होंने मुझें नाफ कह दिया, “आप जो चाहेंगे आध्मी हें। आपरो हमारे और गिनानोंके झगडेमें न पड़ना चाहिए। गिर भी यदि आग्य हुउ रहना हो तो तिलकर भेज दीजिएगा।” मैंने मन्गीसे नौजगके मान कहा— “मैं अपनेको बाहरी आदमी नहीं मन्सना और गिनान

यदि चाहते हो तो उनकी स्थितिकी जाच करनेका मुझे पूरा अधिकार है ।” कमिश्नर साहबसे मिला तो उन्होने तो मुझे घमकानेसे ही शुरूआत की और आगे कोई कार्रवाई न करते हुए मुझे तिरहुत छोड़नेकी सलाह दी ।

मैंने साथियोसे ये सब बातें करके कहा कि सबव है, सरकार जाच करनेसे मुझे रोके और जेल-यात्राका समय शायद मेरे अदाबसे पहले ही आजाय । यदि पकड़े जानेका ही मौका आवे तो मुझे मोतीहारी और हो सके तो बेतियामे गिरफ्तार होना चाहिए । इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे वहा पहुच जाना चाहिए ।

चपारन तिरहुत जिलेका एक भाग था और मोतीहारी उसका एक मुख्य शहर । बेतियाके ही आसपास राजकुमार शुक्लका मकान था । और उसके आसपास कोठियोके किसान सबसे ज्यादा गरीब थे । उनकी हालत दिखानेका लोभ राजकुमार शुक्लको था और मुझे अब उन्हीको देखनेकी इच्छा थी, इसलिए साथियोको लेकर मैं उसी दिन मोतीहारी जानेके लिए रवाना हुआ । मोतीहारीमें गोरखवावूने आश्रय दिया और उनका घर खासी घर्मशाला बन गया । हम सब साथियो करके उसमें समा सकते थे । जिस दिन हम पहुचे उसी दिन हमने सुना कि मोतीहारीसे पाचेक मील दूर एक किसान रहता था और उसपर बहुत अत्याचार हुआ था । निश्चय हुआ कि उसे देखनेके लिए धरणीधरप्रसाद बकीलको लेकर सुबह जाऊ । तदनुसार सुबह होते ही हम हाथीपर सवार होकर चल पडे । चपारनमें हाथी लगभग वही काम देता है जो गुजरातमे बैलगाडी देती है । हम आवे रस्ते पहुचे होंगे कि पुलिस-सुपरिटेण्डेंट का सिपाही आ पहुचा । और उसने मुझसे कहा— “सुपरिटेण्डेंट साहबने आपको सलाम भेजा है ।” मैं उसका मतलब समझ गया । धरणीधरवावूसे मैंने कहा, आप आगे चलिए, और मैं उस जासूसके साथ उस गाडीमे बैठूँ, जो वह किराये पर लाया था । उसने मुझे चपारन छोड़ देनेका नोटिस दिया । घर लेजाकर उसपर मेरे दस्तखत मागे । मैंने जवाब दिया कि “मैं चपारन छोड़ना नहीं चाहता । आगे मुफत्सिलातमें जाकर जाच करनी है ।” इस हुक्मका अनादर करनेके अपराधमे दूसरे ही दिन मुझे अदालतमे हाजिर होनेका समन मिला ।

सारी रात जगकर मैंने जगह-जगह आवश्यक चिट्ठिया लिखी और जो-जो आवश्यक बातें थी वे बृजकिशोरवावूको समझा दी ।

समनकी बात एक क्षणमें चारों ओर फैल गई और लोग कहते थे कि ऐसा दृश्य मोतीहारीमें पहले कभी नहीं देखा गया था। गोरखवाबूके घर और अदालतमें खचाखच भीड़ हो गई। खुशकिस्मतीसे मैंने अपना सारा काम रातको ही खतम कर लिया था, इससे उस भीड़का मैं इतनाम कर सका। इस समय अपने साथियोंकी पूरी-पूरी कीमत देखनेका मुझे मौका मिला। वे लोगोको नियमके अदर रखनेमें जुट पड़े। अदालतमें मैं जहा जाता वही लोगोकी भीड़ मेरे पीछे-पीछे आती। फ्लेक्टर, मजिस्ट्रेट, सुपरिटेण्डेंट वगैरा के और मेरे दर-मियान भी एक तरहका अच्छा सबब हो गया। सरकारी नोटिस इत्यादिका अगर मैं बाकायदा विरोध करता तो कर सकता था, परंतु ऐसा करनेके वजाय मैंने उनके तमाम नोटिसोको मजूर कर लिया। फिर राज-कर्मचारियोंके साथ मेरे जाती ताल्लुकातमें जिस मिठासका मैंने अवलवन किया उससे वे समझ गये कि मैं उनका विरोध नहीं करना चाहता। वल्कि उनके हुक्मका सबिनय विरोध करना चाहता हूं। इससे वे एक प्रकारसे निश्चित हुए। मुझे दिक् करनेके वजाय उन्होंने लोगोको नियममें रखनेके काममें मेरी और मेरे साथियोंकी सहाय्यता खूबीसे ली, पर साथ ही वे यह भी समझ गये कि आजसे हमारी सत्ता यहाँसे उठ गई। लोग थोड़ी देरके लिए सजाका भय छोड़कर अपने नये मित्रके प्रेमकी सत्ताके अधीन हो गये।

यहा पाठक याद रखें कि चपारनमें मुझे कोई पहचानता न था। किसान लोग बिलकुल अनपढ़ थे। चपारन गंगाके उस पार, ठेठ हिमालयकी तराईमें नेपालके नजदीकका हिस्सा है। उसे नई दुनिया ही कहना चाहिए। यहा कांग्रेसका नाम-निशान भी नहीं था, न उसके कोई मेंबर ही थे। जिन लोगोंने कांग्रेसका नाम सुन रक्खा था वे उसका नाम लेते हुए और उसमें शरीक होते हुए डरते थे, पर आज वहा कांग्रेसके नामके बिना कांग्रेसने और कांग्रेसके सेवकोंने प्रवेश किया और कांग्रेसकी दुहाई घूम गई।

साथियोंके साथ कुछ सलाह करके मैंने यह निश्चय किया था कि कांग्रेसके नामपर कुछ भी काम यहा न किया जाय। हमको नामसे नहीं कामसे मतलब है। 'कयनीकी—कहनेकी—नहीं, करनीकी' जस्त-जै है। - कांग्रेसका नाम यहा लोगोको खलना है। इस प्रातमें कांग्रेसका अर्थ है वकीलोकी तू-तू, मैं-मैं,

कानूनकी गलियोंमें निकल भागने की कोशिश । कांग्रेसका अर्थ यहा है बम-गोले और कहना कुछ, करना कुछ । ऐसा खयाल कांग्रेसके बारेमें यहा सरकार और सरकारकी सरकार यानी निलहे मालिकोके मनमें था, परंतु हमें यह सावित करना था कि कांग्रेस ऐसी नहीं, दूसरी ही वस्तु है । इसलिए हमने यह निश्चय किया था कि कही भी कांग्रेसका नाम न लिया जाय और लोगोको कांग्रेसके भौतिक देहका भी परिचय न कराया जाय । हमने सोचा कि वे कांग्रेसके अक्षरको— नामको न जानते हुए उसकी आत्माको जानें और उसका अनुसरण करें तो बस है । यही वास्तविक बात है ।

इसलिए कांग्रेसकी तरफसे किसी छिपे या प्रकट दूतोके द्वारा कोई जमीन तैयार नहीं कराई गई थी, कोई पेशबंदी नहीं की गई थी । राजकुमार शुक्लमें हजारों लोगोमें प्रवेश करनेकी सामर्थ्य न थी, वहा लोगोके अदर किसीने भी आज तक कोई राजनैतिक काम नहीं किया था । चपारनके सिवा बाहरकी दुनियाको वे जानते ही न थे । फिर भी उनका और मेरा मिलाप किसी पुराने मित्रके मिलाप-रूप था । अतएव यह कहनेमें मुझे कोई अत्युक्ति नहीं मालूम होती, बल्कि यह अक्षरशः सत्य है कि मैंने वहा ईश्वरका, अहिंसाका और सत्यका, साक्षात्कार किया । जब साक्षात्कार-विषयक अपने इस अधिकारपर विचार करता हू तो मुझे उसमें लोगोके प्रति प्रेमके सिवा दूसरी कोई बात नहीं दिखाई पडती और यह प्रेम अथवा अहिंसाके प्रति मेरी अचल श्रद्धाके सिवा और कुछ नहीं है ।

चपारनका यह दिन मेरे जीवनमें ऐसा था, जिसमें कभी नहीं भूल सकता । यह मेरे तथा किसानोके लिए उत्सवका दिन था । भुझपर सरकारी कानूनके मुताबिक मुकदमा चलाया जानेवाला था, परंतु सच पूछा जाय तो मुकदमा सरकार-पर चल रहा था । कमिश्नरने जो जाल मेरे लिए फैलाया था उसमें उसने सरकारको ही फसा मारा ।

१५

मुकदमा वापस

मुकदमा चला। सरकारी वकील, मजिस्ट्रेट वगैरा चिंतित हो रहे थे। उन्हें सूझ नहीं पड़ता था कि क्या करें। सरकारी वकील तारीख बढ़ानेकी कोशिश कर रहा था। मैं बीचमें पडा और मैंने भ्रज किया कि "तारीख बढ़ानेकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना यह अपराध कबूल करना चाहता हू कि मैंने अपराध छोड़नेकी नोटिसका अनादर किया है।" यह कहकर मैंने जो अपना टोटा-सा वक्तव्य तैयार किया था वह पढ सुनाया। वह इस प्रकार था—

"अबानुत्तकी आज्ञा लेकर मैं सक्षेपमें यह बतलाना चाहता हूं कि जावेता फौजदारीकी दफा १४४की रूखे दिये नोटिस द्वारा मुझे जो आज्ञा दी गई है, उसकी स्पष्ट अवज्ञा मैंने क्यों की। मेरी समझमें यह अवज्ञाका नहीं बल्कि स्थानीय अधिकारियों और मेरे बीच मत-भेद-प्रश्न है। मैं इस प्रदेशमें जन-सेवा तथा देश-सेवा करनेके विचारसे आया हू। यहां आकर उन रयतीकी सहायता करनेके लिए मुझसे बहुत आग्रह किया गया था, जिनके साथ बाहा जाता है कि निलहे साहब अच्छा व्यवहार नहीं करते, इसीलिए मैं यहां आया हू। पर जबतक मैं सब बातें अच्छी तरह जान न लेना, तबतक उन लोगोकी कोई सहायता नहीं कर सकता था। इसलिए यदि हो सके तो अधिकारियों और निलहे साहबोकी सहायतामे मैं सब बातें जाननेके लिए आया हू। मैं किसी दूसरे उद्देश्यमे यहां नहीं आया हू। मुझे यह विन्यास नहीं होता कि मेरे यहां आनेसे किसी प्रकार शान्ति-भंग या प्राण-हानि हो सकती है। मैंने सब बातें कि मुझे ऐसी बातोंका बहुत अनुभव है। अधिकारियोंको जो कठिनाइयां होती हैं, उनको मैं समझता हू; और मैं यह भी मानता हू कि उन्हें जो सूचना मिलनी है, वे केवल उसीके अनुसार काम कर सकते हैं। मैंने माननेबाते ध्यपिका मरहू मेरी प्रवृत्ति यही होनी चाहिए थी, और ऐसी प्रवृत्ति हुई भी कि मैं इस आज्ञा का पालन करूं; परंतु

ऐसा करना मुझे उन लोगोंके प्रति, जिनके कारण मैं यहाँ आया हूँ, अपने कर्तव्यका घात करना मालूम हुआ। मैं समझता हूँ कि मैं उन लोगोंके बीच रहकर ही उनकी भलाई कर सकता हूँ। इस कारण मैं स्वेच्छासे इस स्थानसे नहीं जा सकता था। ऐसे धर्म-संकटकी दक्षामें मैं केवल यही कर सकता था कि अपनेको हटानेकी सारी जिम्मेदारी शासकोपर छोड़ दूँ। मैं भलीभाँति जानता हूँ कि भारतके सार्वजनिक जीवनमें मेरी जैसी प्रतिष्ठा रखनेवाले लोगोंको अपने किसी कार्यके द्वारा आदर्श उपस्थित करनेमें बहुत ही सचेत रहना चाहिए। मेरा बूढ़ विश्वास है कि आज जिस अटपटी स्थिति में हम लोग हैं उसमें मुझ जैसी स्थितिके स्वाभिमानी व्यक्तिके पास दूसरा कोई अच्छा व सम्मानपूर्ण मार्ग नहीं है, सिवा इसके कि उस हुकमका अनावर करे व उसके बबले जो सजा मिले उसे चुपचाप सह ले। मैंने जो बयान दिया है, वह इसलिए नहीं है कि जो दंड मुझे मिलनेवाला है, वह कम किया जाय; बल्कि इस बातको दिखलानेके लिए कि मैंने जो सरकारी आज्ञाकी अवज्ञा की है वह कानूनन स्थापित सरकारका अपमान करनेके इरादेसे नहीं; बल्कि इस कारणसे कि मैंने उससे भी उच्चतर आज्ञा—अपनी अन्तरात्माकी आज्ञा—का पालन करना उचित समझा है।”

अब मुकदमेकी सुनवाई मुल्तवी रखनेका तो कुछ कारण ही नहीं रह गया था, परन्तु मजिस्ट्रेट या सरकारी वकील इस परिणामकी आशा नहीं रखते थे। अतएव सजाके लिए अदालतने फ़ैसला मुल्तवी रखना। मैंने बाइसरायको तार द्वारा सब हालतकी सूचना दे दी थी, पटना भी तार दे दिया था। भारत-भूषण पंडित मालवीयजी वगैरा को भी तार द्वारा समाचार भेज दिया था। अब सजा सुननेके लिए अदालतमें जानेका समय आनेके पहले ही मुझे मजिस्ट्रेटका हुकम मिला कि लाट साहबके हुकमसे मुकदमा उठा लिया गया है और कलेक्टरकी चिट्ठी मिली कि आप जो कुछ जाच करना चाहे, शीकसे करे और उसमें जो कुछ मदद सरकारी कर्मचारियोंकी ओरसे लेना चाहे, ले। ऐसे तत्काल और शुभ परिणामकी आशा हममेंसे किसीने नहीं की थी।

मैं कलेक्टर मि० हेकोंसे मिला। वह भला आदमी मालूम हुआ और

इसाफ करनेके लिए तत्पर नजर आया । उसने कहा कि आप जो-कुछ कागज-पत्र या और कुछ देखना चाहें, देख सकते हैं । जब कभी मिलना चाहें, जरूर मिल सकते हैं ।

दूसरी तरफ मारे भारतवर्षको मत्याग्रहका अथवा कानूनके सविन्य भगका पहला स्थानिक पदार्थ-याठ मिला । अखबारोंमें डम प्रकरणकी खूब चर्चा चली और चपारनको तथा मेरी जाचको अकल्पित विज्ञापन मिल गया ।

मुझे अपनी जाचके लिए जहा एक और सरकारके निष्पक्ष रहनेकी जरूरत थी, तहा दूसरी और अखबारोंमें चर्चा होने की और उनके संवाद-दाताओंकी जरूरत नहीं थी । यही नहीं, बल्कि उनकी कड़ी टीका और जाचकी बड़ी-बड़ी रिपोर्टोंमें हानि होनेका भी भय था । इसलिए मैंने मुख्य-मुख्य अखबारोंके मपादकोंसे अनुरोध किया कि "आप अपने नवाद-दाताओंको भेजनेका खर्च न उठावें । जितनी बातें प्रकाशित करने योग्य होंगी, वह मैं आपको खुद ही भेजता रहूंगा और खबर भी देता रहूंगा ।"

इधर चपारनके निलहे मालिक खूब विगड़े हुए थे, यह मैं जानता था और यह भी मैं समझता था कि अधिकारी लोग भी मनमें खुश न रहते होंगे ।

अखबारोंमें जो झूठी-मन्ची खबरे छपनी उनमें वे और भी चिढ़ते । उनकी चिटका असर मुझपर तो क्या होता, परतु बेचारे गरीब, डरपोक रैब्यनपर उनका गुस्ता उतरे बिना न रहता और ऐसा होनेसे जो वास्तविक स्थिति मैं जानना चाहता था उनमें विघ्न पडता । निलहोंकी तरफसे जहरीला आदोलन गुरू हो गया था । उनकी तरफमें अखबारोंमें मेरे तथा मेरे साथियोंके विषयमें मनमानी झूठी बातें फैलाई जाती थी, परतु मेरी अत्यंत सावधानीके कारण, और छोटी-से-छोटी बातमें भी सत्यपर दृढ़ रहनेकी आदतके कारण, उनके सब तीर बेकार गये ।

वृष्णिशोरवावूकी अनेक तरहसे निंदा करनेमें निलहोंने किसी बातकी कमी न रखी थी, परतु वे ज्यो-ज्यो उनकी निंदा करते गये त्यों-त्यों वृष्णिशोर-वावूकी प्रतिष्ठा बटती गई ।

ऐसी नाजुक हालतमें मैंने सवाददानाओंको वहा आनेके लिए विलकुल उत्साहित नहीं किया । नेताओंको भी नहीं बुलाया । 'मालवीयजीने मुझे कहला

रक्खा था कि जब जरूरत हो तब मुझे बुला लेना, मैं आनेके लिए तैयार हू; पर उन्हें भी कष्ट नहीं दिया और न आबोलनको राजनैतिक रूप ही ग्रहण करने दिया। वहाँके समाचारोका विवरण मैं समय-समयपर मुख्य-मुख्य पत्रोको भेजता रहता था। राजनैतिक कामोमें भी जहाँ राजनीतिकी गुंजाइश न हो (वहाँ राजनैतिक रूप दे-देनेसे "माया मिली न राम" वाली मसल होती और इस तरह विषयोका स्थानांतर न करनेसे दोनो सुघरते हैं, यह मैंने बहुत बार अनुभव करके देखा था। शब्द लोक-सेवामे प्रत्यक्ष नहीं तो पगोस रूपमें राजनीति समाई ही रहती है, यह बात चपारनका आबोलन सिद्ध कर रहा था।

१६

कार्य पद्धति

चपारनकी जाचका विवरण देना मानो चपारनके किसानोका इतिहास देना है। यह सारा इतिहास इन अध्यायोमें नहीं दिया जा सकता। फिर चपारनकी जाच क्या थी, अहिंसा और सत्यका एक बड़ा प्रयोग ही था। और जितनी बातोका सबब इस प्रयोगसे है वे जैसे-जैसे मुझे मूझती जाती हैं, प्रति सप्ताह देता जाता हू।

अब मूल विषयपर आता हू। गोरखबाबूके यहाँ रहकर जाच की जाती तो गोरखबाबूको अपना घर ही खाली करना पडता। मोतीहारीमे लोग इतने निर्भय नहीं थे कि मागते ही अपना मकान किरायेपर दे दें, परंतु चतुर वृजकिशोरबाबूने एक अच्छा चौगानवाला मकान किरायेपर ले लिया और हम लोग वहाँ चले गये। वहाँका कामकाज चलानेके लिए धनकी आवश्यकता थी। सार्वजनिक कामके लिए लोगोमें रुपया मागनेकी प्रथा आजतक न थी। वृजकिशोरबाबूका यह मडल मुख्यत वकील-मडल था। इसलिए जब कभी आवश्यकता होती तो वे या तो अपनी जेबमे रुपया देते या कुछ मित्रोंसे माग लाते। उनका खयाल यह था कि जो लोग खुद रुपये-पैसेमे मुर्ती हैं वे सर्व-माधारणमे

१ अधिक विवरण जाननेके लिए बाबू राजेंद्रप्रसाद-लिखित 'धम्मरानमें महात्मा गांधी' नामक पुस्तक पढ़नी चाहिए। अनु०

घनकी भिक्षा कैसे माग सकते हैं ? श्रीर मेरा यह बृह निश्चय था कि चंपारनकी रैय्यतसे एक कौड़ी न लेना चाहिए । यदि ऐसा करते तो उसका उल्टा अर्थ होता । यह भी निश्चय था कि इस जाचके लिए भारतवर्षमें भी आम लोगोंसे चढ़ान करना चाहिए । ऐसा करनेसे इस जाचको राष्ट्रीय और राजनैतिक स्वरूप प्राप्त हो जाता । बवईसे मित्रोंने १५०००) सहायता भेजनेका तार दिया, पर उनकी सहायता मैंने सवन्मयाद अस्वीकार कर दी । यह सोचा था कि चंपारनके बाहरसे, परंतु बिहारके ही हैसियतदार और सुखी लोगोंसे ही बृजकिशोरबाबूका मडल जितनी सहायता प्राप्त कर सके उतनी ले लू और शेष रकम मैं डाक्टर प्राणजीवनसे मगा लू । डाक्टर मेहताने लिखा कि जितनी आवश्यकता हो मगा लीजिएगा । इससे हम रुपये-पैसेके बारेमें निश्चित हो गए । गरीबीके साथ भरसक कम खर्च करके यह आंदोलन चलाना था । इसलिए बहुत रुपयोकी आवश्यकता न थी । और दरहकीकत जरूरत पडी भी नहीं । मेरा खयाल है कि सब मिलाकर दो-तीन हजारसे ज्यादा खर्च न हुआ होगा । और मुझे याद है कि जितना रुपया इकट्ठा किया था उसमेंसे भी पाचसौ या हजार बच गया था !:

शुरूमें वहा हमारी रहन-सहन बडी विचित्र थी । और मेरे लिए तो वह रोज हसी-मजाकका विषय हो गई थी । इस वकील-मडलमें हरेकके पास एक नौकर रसोइया होता । हरेककी अलग रसोई बनती । रातके बारह बजे तक भी वे लोग खाना खाते । ये महाशय खर्च वगैरा तो सब अपना ही करते थे, फिर भी मेरे लिए यह रहन-सहन एक आफत थी । अपने इन साथियोंके पास मेरी स्नेह-गाठ ऐसी मजबूत हो गई थी कि हमारे दरमियान कभी गलत-फहमी न होने पाती थी । मेरे शब्द-बाणोको वे प्रेमसे श्लेते । अतको यह तय पाया कि नौकरोको छुट्टी दे दी जाय, सब एक-साथ खाना खावें और भोजनके नियमोका पालन करें । उसमें सभी निरामिषाहारी न थे और तरह-तरहकी अलग रसोई बनानेका इतजाम करनेसे खर्च बढता था । इससे यही निश्चय किया गया कि निरामिष भोजन ही पकाया जाय और एक ही जगह सबकी रसोई बनाई जाय । भोजन भी सादा ही रखनेपर जोर दिया जाता था । इससे खर्च बहुत कम पडा, हम लोगोके काम करनेकी सामर्थ्य बढी, और समय भी बच गया ।

हमें अधिक शक्ति बचानेकी आवश्यकता भी थी, क्योंकि किसानोके

झूठ-कै-झूठ अपनी कहानी लिखानेके लिए आने लगे थे । एक-एक कहानी लिखने-वालेके साथ एक भीड़-सी रहती थी । इससे मकानका चौगान भर जाता था । मुझे दर्शनाभिलाषियोसे बचानेके लिए साथी लोग बहुत प्रयत्न करते, परन्तु वे निष्फल हो जाते । एक निश्चित समय पर दर्शन देनेके लिए मुझे बाहर लानेपर ही पिंड छूटता था । कहानी-लेखक हमेशा पाच-सात रहते थे । फिर भी शाम-तक सबके वयान पूरे न हो पाते थे । यो इतने सब लोगोके वयानोकी जरूरत नहीं थी, फिर भी उनके लिख लेनेसे लोगोको सतोष हो जाता था और मुझे उनके मनोभावोका पता लग जाता था ।

कहानी-लेखकोको कुछ नियम पालन करने पड़ते थे । वे ये थे—
“प्रत्येक किसानसे जिरह करनी चाहिए । जिरहमें जो गिर जाय उसका वयान न लिखा जाय । जिसकी बात शुरुसे ही कमजोर पाई जाय वह न लिखी जाय ।”
इन नियमोके पालनसे यद्यपि कुछ समय अधिक जाता था फिर भी उससे सच्चे और साबित होने लायक वयान ही लिखे जाते थे ।

जब ये वयान लिखे जाते तो खुफिया पुलिसके कोई-न-कोई कर्मचारी वहाँ मौजूद रहते । इन कर्मचारियोको हम रोक सकते थे, परन्तु हमने शुरुसे यह निश्चय किया था कि उन्हे न रोका जाय । यही नहीं बल्कि उनके प्रति सौजन्य रक्खा जाय और जो खदरे उन्हे दी जा सकती हो दी जाय । जो वयान लिये जाते उनको वे देखते और सुनते थे । इससे लाभ यह हुआ कि लोगोमें अधिक निर्भयता आ गई । और वयान उनके सामने लिये जानेसे अत्युक्तका भय कम रहता था । इस डरसे कि झूठ बोलेंगे तो पुलिसवाले फमा देंगे, उन्हे मोच-समझकर बोलना पड़ता था ।

मैं निलहे मालिकोको चिढाना नहीं चाहता था, बल्कि अपने मौजन्यमें उन्हे जीतनेका प्रयत्न करता था । इसलिए जिनके बारेमें विशेष शिकायतें होतीं, उन्हे मैं चिट्ठी लिखता और मिलनेकी कोशिश भी करता । उनके मडलने भी मैं मिला था और रैयतकी शिकायतें उनके सामने पेज की थीं और उनका कहना भी सुन लिया था । उनमेंसे कितने तो मेरा तिरस्कार करते थे, कितने ही उदासीन थे और बाज-बाज सौजन्य भी दिखाते थे ।

१७

साथी

वृजकिगोरवावू और राजेन्द्रवावूकी जोड़ी अठितीय थी । उन्होंने प्रेमसे मुझे ऐसा अपग बना दिया था कि उनके बिना मैं एक कदम भी आगे न रख सकता था । उनके गिष्य कहिए, या साथी कहिए, भम्मूवावू, अनुग्रहवावू, धरणीवावू और रामनवमीवावू—ये वकील प्रायः निरन्तर साथ-साथ ही रहते थे । विद्यावावू और जनकवारीवावू भी समय-समयपर रहते थे । यह तो हुआ बिहारी-पघ । इनका मुख्य काम था लोगोके वयान लिखना । इसमें अध्यापक कृपलानी भला बिना शामिल हुए कैसे रह सकते थे ? सिंघी होते हुए भी वह बिहारीमे भी अधिक बिहारी हो गये थे । मैंने ऐसे थोड़े सेवकोको देखा है जो जिस प्रातमे जाते हैं वहीके लोगोमे दूध-शक्करकी तरह घुल-मिल जाते हैं, और किमीको यह नहीं मालूम होने देते कि यह गैर प्रातके हैं । कृपलानी इनमें एक हैं— उनके जिम्मे मुख्य काम था द्वारपाल का, दर्शन करनेवालोंसे मुझे बचा लेनेमे ही उन्होंने उस समय अपने जीवनकी सार्थकता मान ली थी । किमीको हसी-दिल्लगीसे और किसी को अहिंसक धमकी देकर वह मेरे पास आनेसे रोकते थे । रातको अपनी अध्यापकी गुरु करते और तमाम साथियोंको हसा मारते और यदि कोई दरपोक आदमी वहा पहुंच जाता तो उसका हांसला बढ़ाते ।

मौलाना मजहबलहकने मेरे सहायकके रूपमें अपना हक लिखवा रक्खा था और महीनेमें एक-दो बार आकर मुझसे मिल जाया करते । उस समयके उनके ठाट-वाट और शानमे तथा आजकी सादगीमें जमीन-आसमानका अंतर है । वह हम लोगोमें आकर अपने हृदयको तो मिला जाते, परंतु अपने साहसी ठाट-वाटके कारण बाहरके लोगोको वह हमसे भिन्न मालूम होते थे ।

ज्यो-ज्यो मैं अनुभव प्राप्त करता गया त्यो-त्यो मुझे मालूम हुआ कि यदि चपारनमें ठीक-ठीक काम करना हो तो गावोंमें शिक्षाका प्रवेग होना चाहिए । वहा लोगोका अज्ञान दयाजनक था । गावमें लड़के-बच्चे इधर-उधर भटकते फिरते थे, या मा-आप उन्हें दो-तीन पैसे रोजकी मजदूरीपर दिन-भर नीलके

नैतोमें मजदूरी कराते । इस समय मर्दोंको दम-पैसेसे ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती थी । स्त्रियोंको छ पैसा, और वच्चोंको तीन । जिस किसीको चार आना मजदूरी मिल जाती, वह भाग्यवान् ममना जाता था ।

अपने माथियोंके साथ विचार करके पहले तो छ गावोंमें वच्चोंके लिए पाठशाला खोलनेका विचार हुआ । शर्त यह थी कि उन गावोंके अगुआ मकान और मिठाईके रानेका खर्च दे और दूसरे खर्चका इतना हम लोग कर दे । यहाँके गावोंमें रुपये-पैसेकी बहूनायन नहीं थी, परन्तु लोग अनाज बगैरा दे सकते थे, इसलिए वे अनाज देनेकी तैयार हो गये ।

अब यह एक महाप्रश्न था कि शिक्षक कहाँसे लावे ? विहारमें थोड़ा बेन लेनेवाले या कुछ न लेनेवाले अच्छे शिक्षकोंका मिलना कठिन था । मेरा ख्याल यह था कि वच्चोंकी शिक्षाका भार मामूली शिक्षकोंको न देना चाहिए । शिक्षकोंको पुस्तक-ज्ञान चाहे कम हो, परन्तु उममें चरित्र-बल अवश्य होना चाहिए ।

इस कामके लिए मैंने आमतौरपर स्वयंसेवक मागे । उसके जवाबमें गंगाधरराव देगपाडेने वायासाहब सोमण और पुडलीकको भेजा । बवईस अतिथिकावाट गोखले आई । दक्षिणसे आनदीवाई आ गई । मैंने छोटेलाल, सुरेन्द्रनाथ तथा अपने लडके देवदासको बुला लिया । इन्हीं दिनों महादेव देसाई और नरहरि परीख मुझमें मिले । महादेव देसाईकी पत्नी दुर्गाबहन तथा नरहरि परीखकी पत्नी मणिवहन भी आ पहुची । कस्तूरबाईको भी मैंने बुला लिया था । शिक्षकों और शिक्षिकाओंका यह सघ काफी था । श्रीमती अवंतिकाबाई और आनदीवाई तो पढी-लिखी समझी जा सकती थी, परन्तु मणिवहन परीख और दुर्गाबहन देसाई थोड़ी-बहुत गुजराती जानती थी, कस्तूरबाईको तो नहींके बराबर हिंदी का ज्ञान था । अब सवाल यह था कि ये वहाँ बालकोंको हिंदी पढावेगी किस तरह ?

वहनोंको मैंने दलीलें देकर समझाया कि बालकोंको व्याकरण नहीं बल्कि रहन-सहन सिखाना है । पढने-लिखनेकी अपेक्षा, उन्हें सफाईके नियम सिखाने की जरूरत है । हिंदी, गुजराती और मराठीमें कोई भारी भेद नहीं है यह भी उन्हें बताया और समझाया कि शुरूमें तो सिर्फ गिनती और वर्णमाला सिखानी होगी । इसलिए दिक्कत न आयगी । इसका फल यह हुआ कि वहनोंकी पढ़ाईका काम

बहुत अच्छी तरह चल निकला और उनका आत्म-विश्वास बढ़ा। उन्हें अपने काममें रम भी आने लगा। अवतिकावाडीकी पाठशाला आदर्श बन गई। उन्होंने अपनी पाठशालामें जीवन डाल दिया। वह इस कामको जानती भी खूब थी। इन बहनोकी मार्फत देहातके स्त्री-समाजमें भी हमारा प्रवेश हो गया था।

परन्तु मुझे पटाईतक ही न रुक जाना था। गांवोमें गंदगी बेहद थी। रास्तो और गलियोंमें कूड़े और ककरका ढेर, कुओंके पास कीचड़ और बदबू, आगन इतने गंदे कि देखा न जाता था। बड़े-बूटोको सफाई मिलानेकी जरूरत थी। अपारनके लोग बीमारियोंके शिकार दिखाई पड़ते थे। इसलिए जहातक हों सके उनका सुधार करने और इन तरह लोगोंके जीवनके प्रत्येक विभागमें प्रवेश करनेकी इच्छा थी।

इस काममें डाक्टरकी सहायताकी जरूरत थी। इसलिए मैंने गोखलेकी भूमितिसे डाक्टर देवको भेजनेका अनुरोध किया। उनके साथ मेरा स्नेह तो पहले ही हो चुका था। छ महीनेके लिए उनकी सेवाका लाभ मिला। यह तय हुआ कि उनकी देख-रेखमें शिक्षक और शिक्षिका सुधारका काम करें।

इनके सबके साथ यह बात तय पाई थी कि इनमेंसे कोई भी निलहोके शिकायतोंके झगड़े में न पड़े। राजनैतिक बातोंको न छुए। जो शिकायत नाब उनको नीचा मेरे पास भेज दें। कोई भी अपने क्षेत्र और कामको छोड़कर एक वदन इधर-उधर न हों। अपारनके मेरे इन साथियोंका नियम-मालन अद्भुत था। मुझे ऐसा कोई अवसर याद नहीं आता कि जब किनीने भी नियमों व हिदायतोंका उल्लंघन किया हो।

१८

ग्राम-प्रवेश

बहुत जल्द ही पाठशालामें एक पुस्तक और एक स्त्रीकी योजना की थी। उन्हींकी मार्फत दवा शोध सुधारके काम करनेका निश्चय किया था। स्त्रियोंके द्वारा स्त्री-समाजमें प्रवेश करना था। दवादा काम बहुत आसान कर दिया था। भद्रोप लेन, दुर्नन शोध भद्रम— रानी चीमे हर पाठशालामें रानी गई थी।

जीम मंली दिखाई दे और कब्जकी शिकायत हो तो अडीका तेल पिला देना, बुखारकी शिकायत हो तो अडीका तेल पिलानेके बाद कुनैन पिला देना और फोडेफुसी हो तो उन्हे धोकर भरहम लंगा देना, बस इतना ही काम था । खानेकी दवा या पिलानेकी दवा किसीको घर ले जानेके लिए शायद ही दी जाती थी । कोई ऐसी बीमारी हो जो समझमें नहीं आई हो या जिसमें कुछ जोखिम हो, तो डा० देवको दिखा लिया जाता । डा० देव नियमित समयपर जगह-जगह जाते । इस सारी सुविधासे लोग ठीक-ठीक लाभ उठाते थे । ग्रामतीरपर फैली हुई बीमारियोंकी सख्या कम ही होती है और उनके लिए बडे विद्यारदकी जम्बरत नहीं होती । यह बात अगर ध्यानम रखी जाय तो पूर्वोक्त योजना किसीको हास्यजनक न मालूम होगी । वहाके लोगोको तो नहीं मालूम हुई ।

परतु सुधार-काम कठिन था । लोग गदगी दूर करनेके लिए तैयार नहीं होते थे । अपने हाथसे मैला साफ करनेके लिए वे लोग भी तैयार न होते थे, जो रोज खेतपर मजदूरी करते थे, परतु डा० देव झट निराश होनेवाले जीव नहीं थे । उन्होने खुद तथा स्वय-सेवकोने मिलकर एक गावके रास्ते साफ किये, लोगोके आगनसे कूडा-करकट निकाला, कुएके आसपासके गढे भरे, कीचड निकाली और गावके लोगोको प्रेमपूर्वक समझाते रहे कि इस कामके लिए स्वय-सेवक दो । कहीं लोगोने शरम खाकर काम करना शुरू भी किया और कहीं-कहीं तो लोगोने मेरी मोटरके लिए रास्ता भी खुद ही ठीक कर दिया । इन मीठे अनुभवोके साथ ही लोगोकी लापरवाहीके कडुए अनुभव भी मिलते जाते थे । मुझे याद है कि यह सुधारकी बात सुनकर कितनी ही जगह लोगोके मनमें अशुचि भी पैदा हुई थी ।

इस जगह एक अनुभवका वर्णन करना अनुचित न होगा, हालाकि उसका जिक्र मैंने स्त्रियोकी कितनी ही समाझोमें किया है । भीतिहरवा नामक एक छोटा-सा गाव है । उसके पास उससे भी छोटा एक गाव है । वहा कितनी ही वहनोके कपडे बहुत मँले दिखाई दिये । मैंने कस्तूरवाइसे कहा कि इनको कपडे धोने और बदलनेके लिए समझाओ । उसने उनसे बातचीत की तो एक वहन उसे अपने झोपडेमे ले गई और बोली कि " देखो, यहा कोई सडूक या आलमारी नहीं कि जिसमें कोई कपडे रखे हो । मेरे पास सिर्फ यह एक ही घोती है, जिसे मैं पहने हू । अब मैं इसको किस तरह धोऊ ? महात्माजीसे कहो कि हमे कपडे

दिनाचें तो नै रोज नहाने और कपडे बाने और बदलनेके लिए तैयार हूँ ।' एने झोपडे हिन्दुस्तानमें इने-गिने नहीं हँ । अमल्य झोपडे एने मिलेंगे जिनने नाम-नामान, नदक-पिटारा, कपडे-नत्रे नहीं होतें और अनल्य लोग उन्हीं कपडोपर अपनी जिदगी निकालते हैं जो वे पहने होते हैं ।

एक दूनरा अनूनद भी निलने लग्यक है । चपारनमें बान और घालनी कमी नहीं है । लोगोंने भी भीनिहरबाने पाठग्यालाका जो छप्पर बांन और घालना बनाया था, किनीने एक रातको उमे जला डाला । शक गया आस-पानके निखहे लोगोके आदि-बोणग । दुदारा घान और वासना मजान बनाना ठीक न मानूम हुआ । यह पाठग्याला श्री मोनय और कन्तूरवाडके जिम्मे थी । श्री मोनयने ईदका पक्का मजान बनानेका नि-चय किया और वह खुद उनके बनानेमें लग गये । दूनरोपर भी उनका रग चटा और देखने-देखने इटोका मजान बड़ा हो गया और फिर मजानके जलनेका डर न रहा ।

इस तरह पाठग्याला, स्वच्छना, नुवार और दवाते बामोने लोगोंने स्वयमेवकोकि प्रति विद्वान और आदर बटा और उनके मनपर अच्छा असर हुआ ।

परनु मुझे दु लके नाग कहना पड़ना है कि इन कामको कायम करनेकी मेरी मुगद बरन आई । जो स्वयमेवक मिलेये वे ब्लास समय तकके लिए मिलेये । दूसरे नये स्वयमेवक मिलनेमें कठिनाइयां पेथ आई और विहारसे इस कामके लिए योग्य म्यादी मेवक न मिल सके । मुझे भी चंपारनका काम खतम होनेके बाद दूनरा कान् जो तैयार हो नहा था, घनीट ले गया । इतना होने हुए भी छ मानके बामने इनकी जड जमा नी कि एक नहीं तो दूनरे काममें समकृ अमर आजनक गायम है ।

१६

उज्ज्वल पत्र

एक नफ तो रिछले अध्यायमें वर्णन किये अनुमार समाज-सेवाके काम बने रहे थे और दूनरी छोद लोगोके शककी बयापे निबने रहनेका बान दिन-

दिन बढ़ता जा रहा था। जब हज़ारों लोगोकी कहानिया लिखी गईं तो भला इसका असर हुए बिना कैसे रह सकता था? मेरे मुकामपर लोगोकी ज्यो-ज्यो आमदरपत बढ़ती गईं त्यो-त्यो निलहे लोगोका क्रोध भी बढ़ता चला। मेरी जाच बढ़ करानेकी कोशिशें उनकी ओरमे दिन-दिन अघिकाधिक होने लगी। एक दिन मुझे बिहार सरकारका पत्र मिला, जिसका भावार्थ यह था, “आपकी जाचमे काफी दिन लग गये हैं और आपको अब अपना काम खतम करके बिहार छोड़ देना चाहिए।” पत्र यद्यपि सौजन्यसे युक्त था, परंतु उसका अर्थ स्पष्ट था। मैंने लिखा— “जाचमें तो अभी और दिन लगेंगे, और जाचके बाद भी जबतक लोगोका दुःख दूर न होगा मेरा इरादा बिहार छोड़नेका नहीं है।”

मेरी जाच बढ़ करनेका एक ही अच्छा इलाज सरकारके पास था। लोगोकी शिकायतोको सच मानकर उन्हें दूर करना अथवा उनकी शिकायतोपर ध्यान देकर अपनी तरफसे एक जाच-समिति नियुक्त कर देना। गवर्नर सर एडवर्ड गेटने मुझे बुलाया और कहा कि मैं जाच-समिति नियुक्त करनेके लिए तैयार हूँ और उसका सदस्य बननेके लिए उन्होंने मुझे निमन्त्रण दिया। दूसरे सदस्योके नाम देखकर और अपने साथियोसे सलाह करके इस शर्तपर मैंने सदस्य होना स्वीकार किया कि मुझे अपने साथियोके साथ सलाह-मशविरा करनेकी छुट्टी रहनी चाहिए और सरकारको समझ लेना चाहिए कि सदस्य बन जानेसे किसानोका हिमायती रहनेका मेरा अधिकार नहीं जाता रहेगा, एव जाच होनेके बाद यदि मुझे सतोष न हो तो किसानोकी रहनुमाई करने की मेरी स्वतंत्रता जाती न रहे।

सर एडवर्ड गेटने इन शर्तोंको बाजिव समझकर मजूर किया। स्वर्गीय सर फ्रैंक स्लाई उसके अध्यक्ष बनाये गये। जाच-समितिने किसानोकी तमाम शिकायतोको सच्चा बताया और यह सिफारिश की कि निलहे लोग अनुचित रीतिसे पाये रुपयोका कुछ भाग वापस दे और ‘तीन कठिया’ का कायदा रद्द किया जाय।

इस रिपोर्टके सागोपाग तीयार होनेमें और अतको कानून पाम करानेमें सर एडवर्ड गेटका बड़ा हाथ था। वह यदि मजबूत न रहे होते और पूरी-पूरी कुशलतामे काम न लिया होता तो जो रिपोर्ट एक मतमे लिखी गई, वह नहीं

लिखी जा सकती थी और अतको जो कानून बना वह न बन पाता । निलहोकी सत्ता बहुत प्रबल थी । रिपोर्ट हो जानेके बाद भी कितनोने बिलका विरोध किया था, परंतु सर एडवर्ड गेट अततक दृढ़ रहे और समितिकी सिफारिशोका पूरा-पूरा पालन उन्होंने कराया ।

इस तरह सौ वर्षका पुराना यह 'तीन कठिया' कानून रद हुआ और उसके साथ ही निलहोका राज्य भी अस्त हो गया । रैयतने, जो दबी हुई थी, अपने बलको कुछ पहचाना और उसका यह वहम दूर होगया कि नीलका दाग वो बोये नहीं बुलता ।

मेरी इच्छा थी कि चपारनमें जो रचनात्मक कार्य आरम्भ हुआ है उसे जारी रखकर लोगोमें कुछ वर्षों तक काम किया जाय और अगिक पाठशालाए खोलकर अगिक गावोंमें प्रवेश किया जाय । क्षेत्र तो तैयार था; परंतु मेरे मनसूवे ईश्वरने बहुत बार बार नहीं पडने दिये हैं । मैंने मोचा था एक और दैवने मुझे दूसरे ही काममें ले घसीटा ।

२०

मजदूरोसे संबंध

अभी मैं चपारनमें जाच-समितिका काम खतम कर ही रहा था कि इतनेमें खेडासे मोहनलाल पड्या और शंकरलाल परीखका पत्र मिला कि खेडा जिलेमें फमल नष्ट हो गई है और उमका लगान माफ होना जरूरी है । आप आइए और वहा चलकर लोगोको राह दिखाइए । वहा जाकर जबतक मैं खुद जाच न करलू, तबतक कुछ सलाह देनेकी इच्छा मुझे न थी और न ऐसी सामर्थ्य और साहस ही था ।

दूसरी ओर श्रीमती धनमूया बहनकी चिट्ठी उनके 'मजूर-सघ' के सबधमें मिली । मजदूरोका वेतन कम था । बहुत दिनोंसे उनकी माग थी कि वेतन बढ़ाया जाय । इस संबंधमें उनका पथ-प्रदर्शन करनेका उत्साह मुझे था । यह काम यो तो छोटा-सा था, परंतु मैं उसे दूर बैठकर नहीं कर सकता था । इससे मैं तुरत अहमदाबाद पहुंचा । मैंने सोचा तो यह था कि दोनो कामोकी

जाच करके थोड़े ही समयमें चंपारन लौट आऊंगा और वहाँके रचनात्मक कामको मशाल लूगा ।

परन्तु अहमदाबाद पहुँचनेके बाद ऐसे काम निकल आये कि मैं बहुत समय तक चंपारन न जा सका और जो पाठशालाये वहाँ चलती थी वे एकके बाद एक टूट गईं । सायियोने और मैंने जो किनने ही हवाई किले बाध रखे थे, वे कुछ समयके लिए टूट गये ।

चंपारनमें ग्राम-पाठशाला और ग्राम-मुधारके अलावा गोरक्षाका काम भी मैंने अपने हाथमें ले लिया था । अपने भ्रमणमें मैं यह बात देख चुका था कि गोशाला और हिंदी-अचारके कामका ठेका मारवाडी भाइयोंने ले लिया है । बेतियामे एक मारवाडी सज्जनने अपनी धर्मशालामें मुझे आश्रय दिया था । बेतियाके मारवाडी सज्जनने मुझे उनकी गोशालाकी ओर आकृष्ट किया था । गोरक्षाके संबंधमें जो विचार मेरे आँज हैं वही उस समय बन चुके थे । गोरक्षाका अर्थ है गोवशकी वृद्धि, गोजातिका मुधार, बैलसे मर्यादित काम लेना, गोशालाको आदर्श-शाला बनाना, इत्यादि । इस काममें मारवाडी भाइयोंने पूरी मदद देने का वचन दिया था, परन्तु मैं चंपारनमें जमकर नहीं बैठ सका । इसलिए वह काम अधूरा ही रह गया । बेतियामे गोशाला तो आज भी चल रही है, परन्तु वह आदर्श दुग्धालय नहीं बन सकी । चंपारनमें बैलोमें आज भी ज्यादा काम लिया जाता है । हिंदू-नामवारी अब भी बैलोको निर्दयतासे पीटते हैं और इस तरह अपने धर्मको डुबोते हैं । यह अफसोस मुझे हमेशा के लिए रह गया है । मैं जब-जब चंपारन जाता हूँ तब-तब उन अधूरे रहे कामोंको स्मरण करके एक लंबी सास छोड़ता हूँ और उन्हें अधूरा छोड़ देनेके लिए मारवाडी भाइयो और बिहारियोंका मीठा उलाहना सुनता हूँ ।

पाठशालाओंका काम तो एक नहीं दूसरी रीतिसे दूसरी जगह चल रहा है, परन्तु गो-सेवाके कार्यक्रम की तो जड़ ही नहीं जमी थी, इसलिए उसे आवश्यक दिशामें गति नहीं मिल सकी ।

अहमदाबादमें खेडाके कामके लिए सलाह-मसहारा चल रहा था कि इतनेमें मजदूरोका काम मैंने अपने हाथमें ले लिया ।

इसमें मेरी स्थिति बड़ी नाजुक थी । मजदूरोका पक्ष मुझे मजबूत मालूम

हूँ। श्रीमती अनम्या बहनको अपने नगे भाइके साथ लड़नेका प्रयोग आगया था। मजदूरो और मालिकोंके इन दारण युद्धमें श्री अत्रालाल सारानाईने मुख्य भाग लिया था। मिल-मालिकोंके नाथ मेरा नीला जूवा था। उनके साथ लड़ना मेरे लिए विषम काम था। मैंने उनसे आपसमें बातचीत करके अनुरोध किया कि पच बनाकर मजदूरोंकी मागका फैसला कर लीजिए; परन्तु मालिकोंने अपने और मजदूरोंके बीचमें पचकी मध्यस्थताके औचित्यको पसन्द न किया।

तब मजदूरोंको मैंने हड़ताल कर देनेकी मलाह दी। यह मलाह देनेके पहले मैंने मजदूरों और उनके नेताओंमें काफी पहचान और बातचीत कर ली थी। उन्हें मैंने हड़तालकी नीचे लिखी शर्तें समझाई—

(१) किसी हानतमें शांति भंग न करना।

(२) जो कामपर जाना चाहे उनके साथ किसी किन्मकी ज्यादाती या जबरदस्ती न करना।

(३) मजदूरोंके निवास न लाने।

(४) हड़ताल चाहे जबरन करना पड़े, पर वे दूढ़ रहे और जल्द समाप्त-योजना न रहे तो दूसरी मजदूरोंके बरके पेट पालें।

आज्जा लोग इन शर्तोंको ममन गये और उन्हें ये पसन्द भी आईं। अब मजदूरोंने एक आम मना की और उन्में प्रस्ताव किया कि जबरन हमारी माग स्वीकार न की जाय अथवा उमरग दिवार बन्देके लिए पच न मुहरर हो तब तक हम काम पर न जायेंगे।

इस हड़तालमें मेरा परिवार श्री बल्लभनाई पटेल और श्री मन्तराला देवन्ने बहन अच्छी तरह हो गया। श्रीमती अनम्या बहनने तो मेरा परिचय करने ही खुद हो चुका था।

हड़तालदारी मना रोज माव-मतीके दिनारे एक पंडके नीचे होने लगी। वे मजदूरोंकी मजाने आने। मैं रोज उन्हें अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण करता। शांति रखने और स्व-मानकी रक्षा करनेकी आवश्यकता उन्हें समझाना। वे अगला एक दिन का जरा देकर रोज महरमें जलून निकालने और मजाने करने।

एक प्रस्ताव २३ दिन की। उस बीच मैं मजदूर-समूहका माधिकारी

वातचीत करता और उन्हे इसाफ करनेके लिए समझाता । “हमें भी तो अपनी टेक रखनी है । हमारा और मजदूरोका बाप-बेटोका सबब है । उसके बीचमें यदि कोई पडना चाहे तो इसे हम कैसे सहन कर सकते हैं ? बाप-बेटोमे पचकी क्या जरूरत है ? ” यह जवाब मुझे मिलता ।

२१

आश्रमकी झांकी

मजदूर-प्रकरणको आगे ले चलनेके पहले आश्रमकी एक झलक देख लेनेकी आवश्यकता है । चपारनमे रहते हुए भी मैं आश्रमको भूल नहीं सकता था । कभी-कभी वहा आ भी जाता था ।

कोचरव अहमदाबादके पास एक छोटा-सा गाव है । आश्रमका स्थान वही गावमे था । कोचरवमे प्लेग शुरू हुआ । बालकोको मैं बस्तीके भीतर सुरक्षित नहीं रख सकता था । स्वच्छताके नियमोका पालन चाहे लाख कर्ने, मगर आस-पासकी गदगीसे आश्रमको अछूना रखना असभव था । कोचरवके लोगोसे स्वच्छताके नियमो का पालन करवानेकी अथवा ऐमे समयमें उनकी सेवा करनेकी शक्ति हममे न थी । हमारा आदर्श तो आश्रमको गहर या गावमे दूर रखना था, हालांकि इतना दूर नहीं कि वहा जानेमे बहुत मुश्किल पडे । आश्रमको आश्रमके रूपमे सुशोभित होनेके पहले उसे अपनी जमीनपर खुली जगहमे स्थिर तो हो ही जाना था ।

इस महामारीको मंने कोचरव छोडनेका नोटिस माना । श्री पुजाभाई हीराचद आश्रमके साथ बहुत निकट सबब रखते और आश्रमकी छोटी-बडी सेवाये निरभिमान-भावसे करते थे । उन्हे अहमदाबादके काम-काजका बहुत अनुभव था । उन्होने आश्रमके लायक आवश्यक जमीन तुरत ही ढूढ देनेका बीडा उठाया । कोचरवके उत्तर-दक्षिणका भाग मैं उनके साथ घूम गया । फिर मैंने उनसे कहा कि उत्तरकी ओर तीन-चार मील दूरपर अगर जमीनका टुकडा मिले तो खोजिए । अब जहापर आश्रम है, वह जमीन उन्हीकी ढूढी हुई है ।

मेरे लिए वह ज्ञान प्रलोभन था कि वह जमीन जेलके निकट है। मैंने यह माना है कि सत्याग्रहालय दामीके भाग्यमें जेल तो निहा ही है, जेलका पड़ान पन्द पडा। इनना तो मैं जानना था कि हमेशा जेलके लिए बैसा ही न्यान टूटा जाता है, जिसके आम-भामकी जगह माफ-मुअरी हो।

कोई आठ दिनोंमें ही जमीनका नौदा हो गया। जमीनपर मकान एक भी न था। न कोई ज़ाड-मेड ही था। उसके लिए सबसे बड़ी सिम्परिड तो यह थी कि वह एकाड और नदीके किनारे पर है। दुखमें हमने तंबूमें रहनेका निश्चय किया। रसोईके लिए टीनका एक काम-बलाळ छप्पर बना लिया और नौजा कि स्यायी मकान धीरे-धीरे बना लेंगे।

इन समय आश्रममें काफी आदमी थे। छोटे-बड़े कोई चालीस स्त्री-पुरुष थे। इनकी मुविधा थी कि सब एक ही रनोईमें खाते थे। योजनाकी कल्पना मेरी थी, उन्ने अमलमें लानेका भार उठानेवाले तो निगमानुमार स्व-मगननाल ही थे।

स्यायी मकान बननेके पहले अनुविधाना तो कोई पार ही न था। बरसात-का मौसम निरपर था। मारा सामान चार भील दूर गहरसे लाना था। इस उजाड जमीनमें साप बगैंग तो थे ही। ऐसे उजाड स्थानमें बालकोको समालनेकी जोखिम ऐसी-बैसी नहीं थी। माप बगैराको मारते न थे मगर उनके नयसे भुक्त तो हममेंसे कोई न था, आज भी नहीं है।

हिन्दक जीवोको न मारनेके नियमका यथाशक्ति पालन फिनिक्न, टॉलस्टाय-भार्म और सावरमनी—तीनों जगहों में किया है। तीनों जगहोंमें उजाड जगलमें रहना पडा है। तीनों जगहोंमें माप बगैरा का उपद्रव खूब ही था, मगर तो भी अवनक एक भी जन हमें खोनी नहीं पड़ी है। इसमें मेरे-बैसा श्रद्धालु तो ईश्वरका हाथ, टन्की कृपा ही देखता है। ऐसी निरर्थक शका कोई न करे कि ईश्वर पक्षपान नहीं करता मनुष्यके रोजके काममें हाथ डालनेको वह बेकार नहीं बैठा है। अनृन्वकी डूनरी भाषामें इस भावको रखना मैं नहीं जानता। ईश्वरकी कृतिको लौकिक भाषामें रखने हुए भी मैं जानता हू कि उसका 'कार्य' अवर्णनीय है, किन्तु अगर पामर मनुष्य उसका वर्णन करे तो उसके पास तो अपनी नोननी बोली ही होगी। आम तौर पर सापको न मारते हुए भी बहाका

समाज जब पचीस वर्ष तक बचा रहा तो इसे सयोग या आकस्मिक घटना माननेके बदले ईश्वर-रूप मानना बहम हो तो, यह बहम भी अपनाते लायक है ।

जिस समय मजदूरो की हडताल हुई उस समय आश्रमका पाया चुना जा रहा था । आश्रमकी प्रवान प्रवृत्ति वुनाई की थी । कताईकी तो मैं अभी खोज ही नहीं कर सका था । इसलिए निश्चय था कि पहले वुनाई-शर बनाया जाय । इस समय उसकी नींव डाली जा रही थी ।

२२

उपवास

मजदूरोने पहले दो हफ्ते बडी हिम्मत दिखलाई । शांति भी खूब रक्खी रोजकी सभाओमें भी वे बडी मस्यामें आते थे । मैं उन्हें रोज ही प्रतिज्ञाका स्मरण कराता था । वे रोज पुकार-पुकार कर कहते थे, “ हम मर जायगें, पर अपनी टैंक कमी न छोडेंगे । ”

कितु अतमें वे ढीले पडने लगे । और जैसे कि निर्बल आदमी हिंसक होता है, वैसे ही, वे निर्बल पडते ही मिलमें जानेवाले मजदूरोसे द्वेष करने लगे और मुझे डर लगा कि शायद कही उनपर ये बलात्कार न कर बैठें । रोजकी सभामें आदमियोकी हाजिरी कम हुई । जो आते भी उनके चेहरोपर उदागी छाई हुई थी । मुझे खबर मिली कि मजदूर डिगने लगे हैं । मैं तरद्दुदमें पडा । मैं सोचने लगा कि ऐसे समयमें मेरा क्या कर्त्तव्य हो सकता है । दक्षिण अफ्रीकाके मजदूरोकी हडतालका अनुभव मुझे था, मगर यह अनुभव मेरे लिए नया था । जिय प्रतिज्ञा करानेमें मेरी प्रेरणा थी, जिसका साथी मैं रोज ही बनता था, वह प्रतिज्ञा कैसे टूटे ? यह विचार या तो अभिमान कहा जा सकता है, या मजदूरोके और सत्यके प्रति प्रेम समझा जा सकता है ।

सबेरका समय था । मैं सभामें था । मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या करना है, मगर सभामें ही मेरे मुहमें निकल गया— “अगर मजदूर फिरमें तैयार न हों जाय और जबतक कोई फँसला न हो जाय तबतक हडताल न निभा सके, तो तबतक मैं उपवास करूँगा । ” वहा पर जो मजदूर थे, वे हैरतमें आगये ।

अनसूयावहनकी आँखोंसे आसू निकल पड़े। मजदूर बोल उठे— “आप नहीं, हम उपवास करेंगे। आपको उपवास नहीं करने देंगे। हमे माफ कीजिए। हम अपनी टेकपर अड़े रहेंगे।”

मैंने कहा, “तुम्हारे उपवास करनेकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी प्रतिज्ञाका ही पालन करो तो कम है। हमारे पास द्रव्य नहीं है। मजदूरको भिक्षात्र खिनाकर हमे हड़ताल नहीं करनी है। तुम कही कुछ मजदूरी करके अपना पेट भरने लायक कमा लो तो, चाहे हड़ताल कितनी ही लंबी क्यों न हो, तुम निश्चित रह सकते हो। और मेरा उपवास तो कुछ-न-कुछ फैसेलेके पहले छूटनेवाला नहीं है।”

बल्लभभाई मजदूरोंके लिए म्युनिसिपैलिटीमें काम दूढते थे, मगर वहापर कुछ मिलने लायक नहीं था। आश्रमके बुनाई-घरमें बालू भरनी थी। मगनलालने सुझाया कि उसमें बहुतमे मजदूरोंको काम दिया जा सकता है। मजदूर काम करनेको तैयार हुए। अनसूया बहनने पहली टोकरी उठाई और नदीमेंसे बालूकी टोकरीया उठाकर लानेवाले मजदूरोंका ठठ लग गया। यह दृश्य देखने लायक था। मजदूरोंमें नया जोर आया, उन्हें पैसा चुकानेवाले चुनाते-चुनाते एक जाते थे।

इस उपवासमें एक दोष था। मैं यह लिय चुना हू कि मिल-मालिकोंके साथ मेरा मोटा मबब था। इसलिए यह उपवास उन्हें स्पर्श किये बिना रह नहीं सकता था। मैं जानता था कि बनौर सत्याग्रहोंके उनके विरुद्ध मैं उपवास नहीं कर सकता। उनके ऊपर जो कुछ अमर पड़े, यह मजदूरोंकी हउनालका ही पड़ना चाहिए। मेरा प्रायश्चिन उनके दोषके लिए न था, किंतु मजदूरोंके दोषके लिए था। मैं मजदूरोंका प्रतिनिधि था इसलिए इनके दोषमें दोगिन होना था। मानिकमें तो मैं सिर्फ विनय ही कर सकता था। उनके विरुद्ध उपवास करना तो बजात्तार हीना जायगा। तो मैं जानता था कि मेरे उपवासना प्रमर उनपर पड़े बिना नहीं रह सकता। पडा भी नहीं, किन्तु मैं अपनेको राब नहीं सकता था। मैंने ऐसा दोगमर उपासन करने का अपना धर्म प्रत्याग देया।

मानिकोंमें मैं नकनाया, मेरे उपवासमें प्राप्तो अपना भाग जरा भी छोड़नेकी जरूरत नहीं है।” उन्हाल मुन कडुए-माँठे नाव नी मारे। उन्हें

इसका अधिकार था ।

इस हडतालके विरुद्ध अचल रहनेमें सेठ अवालाल अग्रसर थे । उनकी दृढ़ता आश्चर्यजनक थी । उनकी स्पष्ट-हृदयता भी मुझे उतनी ही रची । उनके खिलाफ लड़ना मुझे प्रिय लगा । इनके-जैसे अग्रसर जहा दिरोवी-पक्षमें हो, उपवासके द्वारा उनपर पड़नेवाला बुरा असर मुझे खटका । फिर मेरे ऊपर उनकी पत्नी सरलादेवीका सगी बहनके समान स्नेह था । मेरे उपवाससे होनेवाली उनकी व्यग्रता मुझसे देखी नहीं जाती थी ।

मेरे पहले उपवासमें तो अनसूया बहन और दूसरे कई मित्र तथा कुछ मजदूर शामिल हुए । और अधिक उपवास न करनेकी जरूरत में उन्हें मुश्किलसे समझा सका । इस तरह चारों ओरका वातावरण प्रेममय बन गया । मिल-मालिक तो केवल दयाकी ही खातिर समझौता करनेके रास्ते ढूँढने लगे । अनसूया बहनके यहां उनकी वातचीत होने लगी । श्री आनदशकर ध्रुव भी बीचमें पड़े । अंतमें वह पच चुने गये और हडताल छूटी । मुझे तीन ही दिन उपवास करना पड़ा । मालिकोंने मजदूरोंको मिठाई बाटी । इक्कीसवें दिन समझौता हुआ । समझौतेका सम्मेलन हुआ । उसमें मिल-मालिक और उत्तर विभागके कमिश्नर आये थे । कमिश्नरने मजदूरोंको सलाह दी थी— “तुम्हें हमेशा मि. गांधी की बात माननी चाहिए ।” इन्हीं कमिश्नर साहबके खिलाफ इस घटनाके कुछ दिनों बाद तुरत ही मुझे लड़ना पड़ा था । समय बदला, इसलिए वह भी बदल गए और खेडाके पाटीदारोंको मेरी सलाह न माननेके लिए कहने लगे ।

एक मजेदार मगर उतनी ही करुणाजनक घटनाका भी यहां उल्लेख करना उचित है । मालिकोंकी तैयार कराई मिठाई बहुत थी और सवाल यह हो पड़ा था कि हजारों मजदूरोंमें वह बाटी किस तरह जाय ? यह समझकर कि जिस पेडके आश्रयमें मजदूरोंने प्रतिज्ञा की थी वहीपर वाटना उचित होगा, और दूसरी किसी जगह हजारों मजदूरोंको इकट्ठा करना भी असुविधाकी बात थी, उनके आसपासके खुले मैदानमें मिठाई बाटनेकी बात तय पाई थी । मैंने अपने भोलेपनमें मान लिया कि इक्कीस दिनों तक अनुशासनमें रहे मजदूर बिना किसी प्रयत्नके ही पकितमें खड़े होकर मिठाई ले लेंगे और अवीर होकर मिठाई पर हमला नहीं कर बैठेंगे, किन्तु मैदानमें बाटनेके दो-तीन तरीके आजमाये

और निष्फल हुए। दो-तीन मिनट ठीक-ठीक चले और फिर बची-बघाई पक्ति टूट जाती। मजदूरोंके नेताओंने खूब प्रयत्न किया, मगर वे कुछ इतजाम नहीं कर सके। अन्तमें भीड़, शोरगुल और हमला ऐसा हुआ कि कितनी ही मिठाई कुचलकर बरबाद गई। मैदानमें वाटना बंद करना पड़ा और बची हुई मिठाई मुश्किल से सेठ अवालालके मिर्जापुर वाले मकानमें पहुँचाई जा सकी। यह मिठाई दूसरे दिन बगलेके मैदानमें ही वाटनी पड़ी।

इसमेंका हास्यरस स्पष्ट है। 'एक टोक' वाले पेड़के पास मिठाई वाटी न जा सकनेके कारणोंको ढूँढनेपर हमने देखा कि मिठाई बटनेकी खबर पाकर अहमदाबादके मिखारी बह्ना आ पहुँचे थे और उन्होंने कतार तोड़कर मिठाई छीनने की कोशिश की। यह कल्प रस था। यह देश फाके-कधीसे ऐसा पीड़ित है कि मिखारियोंकी सख्या बढ़ती ही जाती है और वे खाने-पीनेकी चीजें प्राप्त करनेके लिए आम भर्पादाको तोड़ डालते हैं। घनिक लोग ऐसे मिखारियोंके लिए काम ढूँढ देनेके बदले उन्हें भीख दे-देकर पालते हैं।

२३

खेडामें सत्याग्रह

मजदूरोंकी हड़ताल पूरी होनेके बाद मुझे दम मारनेकी भी फुरसत न मिली और खेडा जिलेके सत्याग्रहका काम उठा लेना पड़ा। खेडा जिलेमें अकालके जैमी स्थिति होनेसे वहाँके पाटीदार लगान माफ करवानेके लिए प्रयत्न कर रहे थे। इस मवघमें श्री अमृतलाल ठक्करने जाच करके रिपोर्ट भेजी थी। मैंने कुछ भी पक्की सलाह देनेके पहले कमिश्नरसे भेंट की। श्री मोहनलाल पट्ट्या और श्री शंकरलाल परीख अग्रक परिश्रम कर रहे थे। स्व० गोकुलदास कहानदास परीख और श्री विट्ठलभाई पटेलके द्वारा वे चारासभामें हलचल करा रहे थे। सरकारके पाम विष्ट मडल गये थे।

इस समय में गुजरात-सभाका अध्यक्ष था। समाने कमिश्नर और गवर्नरको अजिया दी, तार दिये, कमिश्नरके अपमान सहन किये, उनकी घमकिया पी गई। उस समय के अफमरोंका रोवदाव अब तो हास्थजनक लगता है। अफ-

सरोका तबका विलकुल हलका व्यवहार अब तो असभव-सा जान पड़ता है । लोगोकी माग ऐसी साफ और मामूली थी कि उसके लिए लडाई लडनेकी भी जरूरत नहीं होनी चाहिए । यह कानून था कि अगर फसल चार आने या उससे भी कम हो तो उस साल लगान माफ होना चाहिए, किंतु सरकारी अफसरोंका अनुमान चार आनेसे अधिकका था । लोगोकी ओरसे इसके सबूत पेश किये गये कि फसल चार आनेसे कम हुई है । मगर सरकार मानने ही क्यों लगी ? लोगोकी ओरसे पच बनानेकी माग हुई । सरकारको वह असह्य लगी । जितनी विनय की जा सकती थी उतनी कर लेनेके बाद, साथियोंके साथ सलाह करके, मैंने लोगोको सत्याग्रह करनेकी सलाह दी ।

साथियोंमें खेडा जिलेके सेवकोंके अलावा खास तौरपर श्री वल्लभभाई पटेल, श्री अकरलाल बैकर, श्री अनसूयाबहन, श्री इदुलाल कन्हैयालाल याज्ञिक, श्री महादेव देसाई बगैरा थे । वल्लभभाई अपनी बडी और दिनो-दिन बढती हुई वकालतका त्याग करके आये थे । यह भी कहा जा सकता है कि उसके बाद वह फिर कभी जमकर वकालत कर ही नहीं सके ।

हमने नडियाद-अनाथाश्रममें डेरा जमाया । अनाथाश्रममें ठहरनेमें कोई विशेषता नहीं थी, किंतु इसके समान कोई दूसरा खाली मकान नडियादमें नहीं था, जहा इतने अधिक आदमी रह सकें । अतमें नीचे लिखी प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर लिये गये—

“हम जानते हैं कि हमारे भावमें फसल चार आनेसे भी कम हुई है । इसलिए हमने अगले सालतक कर वसूल करना मुत्तबी रखनेकी अर्जी सरकार को दी है, मगर फिर भी लगानकी वसूली बढ नहीं हुई है, इसलिए हम नीचे सही करनेवाले प्रतिज्ञा करते हैं कि इस सालका सरकारका पूरा या बकाया लगान अदा न करेगे, किंतु उसे वसूल करनेके लिए सरकार जो-कुछ कानूनी कार्रवाई करे उसे करने देंगे और उससे होनेवाला कष्ट सहेंगे । यदि इससे हमारी जमीनें जब्त होगी तो वह भी होने देंगे, किंतु अपने हाथों लगान चुकाकर, झूठे बनकर, हम स्वाभिमान नहीं खोएंगे । अगर सरकार दूसरी किस्ततक बकाया लगान वसूल करना सभी जगह मुत्तबी कर दे तो हममें जो लोग समर्थ हैं वे पूरा या बकाया लगान चुकानेको तैयार हैं । हममें जो समर्थ हैं उनके लगान न देनेका कारण

यह है कि अगर खुशहाल लोग दे दें तो जो अनमर्च है वे घबराहटमें पड़कर अपनी चाहे जो बस्तु बेचकर या कर्ज करके लगान चुकावेगे और दुःख भोगेंगे। हम मानते हैं कि ऐसी हालतमें गरीबोंका बचाव करना ममयोंका धर्म है।”

इन लडाईके वर्णनके लिए मैं अधिक प्रकरण नहीं दे सकता। इसलिए किनने ही मीठे मंस्मरण छोड़ देने पड़ेंगे। जो इस महत्त्वपूर्ण लडाईका विरोध हाल जानना चाहे, उन्हें श्री गकरलाल परीक्षका लिखा 'खेडाकी लडाईका सविस्तर और प्रामाणिक इतिहास' पट जानेकी मेरी सलाह है।^१

२४

‘प्याज-चोर’

चपारन हिंदुस्तानके एक ऐसे कोनेमें पडा था और वहाकी लडाईको अखबारोंमें इन तरह अलग रक्खा जा सका था कि वहा बाहरसे देखनेवाले न जाने थे। परंतु खेडाकी लडाईकी खबर अखबारोंमें छप चुकी थी। गुजरातियोंकी इम नई चीजमें खूब दिलचस्पी हो रही थी। वे घन लुटानेको तैयार थे। यह बात नुरत ही उनकी नमझमें नहीं आती थी कि सत्याग्रहकी लडाई बनने नहीं चल सकती, उमे घनकी जरूरत कम-से-कम रहती है। मना करनेपर भी बबई-के मेठाने जरूरतमें अन्निक घन बिया था और लडाईके अंतमें उसमेंमें कुछ रकम बची भी थी।

दूनरी और सत्याग्रही मना को भी सादगीका नया पाठ सीखना चाकी था। यह तो नहीं कह सकते कि उन्होंने पूरा पाठ सील लिया था; किंतु हां, अपने रहन-महनमें उन्होंने बहुत कुछ-नुधार जरूर कर लिया था।

पाटीदारोंके लिए भी इस प्रकारकी लडाई नई ही थी। गाव-गावमें घूमकर उनका रहस्य समझाना पडता था। यह समझाकर लोगोंका भय दूर करना मुख्य काम था कि मरकारी अफनर प्रजाके मालिक नहीं किंतु नौकर हैं, उसके पैनेसे तनट्वाह पाने वाले हैं और निर्भय बनते हुए भी उन्हें बिनयके पालन

^१ यह पुस्तक गुजरातीमें है।—अनु०

कलनेका ढंग बतलाना और गले उतारना लगभग अशक्य-सा ही लगता था । अफसरोंका डर छोड़नेके बाद उनके किये अपमानोंका बदला लेनेकी इच्छा किसे न होती ? मगर फिर भी सत्याग्रहीके लिए अविनयी होना तो दूधमे जहर पड़नेके समान है । पीछेसे मँने यह और अधिक समझा कि पाटीदार अभी विनयका पूरा पाठ नहीं पढ सके थे । अनुभवसे देखना हू कि विनय सत्याग्रहका सबसे कठिन अंश है । विनयका अर्थ यहापर केवल मानके साथ वचन बोलना-भर ही नहीं है । विनय है विरोधीके प्रति भी मनमे यादर रखना, सरल भाव, उसके हितकी इच्छा और उसीके अनुसार बर्ताव रखना ।

शुरूके दिनोमें लोगोमे खूब हिम्मत दिखाई पडती थी । शुरू-शुरूमें सरकारी कार्रवाइया भी नर्म होती थी, किंतु जैसे-जैसे लोगोकी दृढता बढती हुई जान पडी, वैसे-वैसे सरकार भी अधिक उग्र उपाय करने लगी । जब्तीवालोने लोगोके ढोर बेच दिये घरमेसे मनचाहा माल उठा ले गये । चौथाई जुरमानेके नोटिस निकले । किसी-किसी गावकी सारी फसल जब्त हो गई । अब लोग धैर्यमे । कुछ लोगोने लगान दे दिया । दूसरे यह चाहने लगे कि अगर सरकारी अफसर ही हमारा कुछ माल जब्त करके लगान अदा कर ले तो हम सस्ते ही छूटें । पर कितने ऐसे भी निकले, जो मरते दम तक टेकपर अडे रहनेवाले थे ।

इतने हीमे शकरलाल परीखकी जमीनपर रहनेवाले उनके आदमीने उनका लगान भर दिया । इससे हाहाकार हो गया । शकरलाल परीखने वह जमीन देशको अर्पण करके अपने आदमीकी भूलका प्रायश्चित्त किया । उनकी प्रतिष्ठा अक्षत रही । दूसरोके लिए यह उदाहरण हुआ ।

एक अनुचित रूपसे जब्त किये गये खेतमें प्याजकी फसल तैयार थी । मँने डरे हुए लोगोको उत्साह देनेके लिए मोहनलाल पड्याके नेतृत्वमे उस खेतकी फसल काट लेनेकी सलाह दी । मेरी दृष्टिमें उसमे कानूनका भंग नहीं होता था । मँने समझाया, अगर होता भी हो तो भी जरासे लगानके लिए सारी खडी फसलकी जब्ती कानून-सम्मत होनेपर भी नीति-विरुद्ध है और सरासर लूट है तथा इस तरह की गई जब्तीका अनादर करना धर्म है । ऐसा करनेमे जेल जाने तथा सजा पानेकी जो जोखिम थी सो लोगोको मँने स्पष्ट रूपसे बतला दी थी । मोहनलाल पड्याको तो यही चाहिए था । उन्हें यह रुचिकर नहीं लग रहा था कि सत्याग्रह-

मे अविरोधी तौरपर किर्नाके जेल जानेके पहले ही खेड़ाकी लड़ाई खत्म हो जाय । उन्होंने इस खेतकी प्याज खोद लानेका बीडा उठाया । सात-आठ आदमियोंने उनका साथ दिया ।

मरकार उन्हें पकड़े बिना भला कैसे रहती ? मोहनलाल पड़्या और उनके साथी पकड़े गये । इसने लोगोंका उत्साह बढ़ा । लोग जहापर जेल इत्यादि-में निर्भय बनते हैं वहा राजदंड लोगोंको दवानेके बदले उलटा बहादुरी देता है । अदालतमें लोगोंके झुंड मुकदमा देखनेको इकट्ठे होने लगे । पंड्याको तथा उनके साथियोंको बहुत बोडे दिनोंकी कैद मिली । मैं मानता हूँ कि अदालतका फैसला गलत था । प्याज उखाड़नेकी कार्रवाई चोरीकी कानूनी व्याख्यामें नहीं आती है, किन्तु अपील करनेकी ओर किसीकी रुचि ही नहीं थी ।

जेल जानेवालोंको पहचानेके लिए एक जलूस गया, और उस दिनमें मोहनलाल पड़्याने जो 'प्याज-चोर' की सम्मानित उपाधि लोगोंने पाई उनका गौरव उन्हें आज तक प्राप्त है ।

अब यह वर्णन करके कि इन लड़ाईका कैसा और किस तरह अन्त आया यह खेड़ा-अकरण पूरा कल्या ।

२५

खेड़ाकी लड़ाईका अन्त

इन लड़ाईका अन्त विचित्र रीतिमें हुआ । यह स्पष्ट था कि लोग बक गये थे । जो लोग भ्रानपर भड़े थे, उन्हें अननक खार होने देनेमें नकोच होना था । मेरा झुकाव इन ओर था कि एक न्यायाधीको जो उचित मालूम हो सके, ऐसा कोई उपाय अगरे इस युद्धको समाप्त करनेका मिल जाय तो वहीं करना चाहिए । तो ऐसा एक अनल्पित उपाय प्राप्त-ही-आप आ भी गया । नड्डियाद ताल्लुकेके मामलतदार (तहसीलदार) ने खबर भेजी कि अगरे घनी पाटीदार लगान बढ़ा कर दें तो गरीबोंका लगान मूल्नवी रहेगा । मैंने इस विषयमें तहरीरी हुक्म मांगा । यह मिल नी गया । मामलतदार तो अपने ही ताल्लुकेकी जिम्मेदारी ले सकना है । मारे जिम्मेकी ओरसे कन्वेक्टर ही कह सकता है । इसलिए मैंने

क्लेक्टरसे पूछा । जवाब मिला कि ऐसा हुक्म तो कबका निकल चुका है । मुझे उसकी खबर न थी, किंतु अगर ऐसा हुक्म निकला हो तो लोगोकी प्रतिज्ञा पूरी हुई समझनी चाहिए । प्रतिज्ञामे यही बात थी । इसलिए इस हुक्मसे हमने सतोप माना ।

फिर भी इस अतसे हममेंसे कोई खुश न हो सका ; क्योंकि सत्याग्रहकी लड़ाईके पीछे जो मिठास होनी चाहिए सो इसमे नहीं थी । क्लेक्टर समझता था मैंने मानो कुछ नया किया ही नहीं है । गरीब लोगोको छूट देनेकी बात थी, मगर ये भी शायद ही बचे । यह कहनेका अधिकार कि गरीब कौन है, प्रजा नहीं आजमा सकी । मुझे इस बातका दुःख था कि प्रजामें यह शक्ति नहीं रह गई थी । इसलिए सत्याग्रहके अतका उत्सव तो मनाया गया, मगर मुझे वह निस्तेज लगा ।

सत्याग्रहका शुद्ध अत वह समझा जा सकता है कि जब आरम्भकी बनिस्वत अतमे प्रजामें अधिक तेज और शक्ति दिखाई दे । किंतु ऐसा मुझे नहीं दिखाई दिया ।

ऐसा होनेपर भी लड़ाईके जो अद्भुत परिणाम आये, उनका लाभ तो आज भी देखा जा सकता है और मिल भी रहा है । खेड़ाकी लड़ाईसे गुजरात के किसान-वर्गकी जागतिका, उसके राजनैतिक शिक्षणका आरम्भ हुआ ।

विद्रुषी बसतीदेवी (एनी बेसेट)की 'होमरूल' की प्रतिभाशाली हलचलने उसको स्पर्श अद्भुत किया था, किंतु किसानके जीवनमे शिक्षित-वर्गका, स्वयं-सेवकोका, सच्चा प्रवेश हुआ तो इसी लड़ाईसे कहा जा सकता है । सेवक पाटीदारोके जीवनमें अंत-प्रोत हो गये थे । स्वयं-सेवकोको अपने क्षेत्रकी भर्थादा इस लड़ाईमें मालूम हुई, उनकी त्याग-शक्ति बढ़ी । वल्लभभाईने अपने-आपको इस लड़ाईमें पहचाना । अगर और कुछ नहीं तो एक यही परिणाम कुछ ऐसा-वैसा नहीं था । यह हम पिछले साल बाढ-सकट निवारणके समय और इस साल बारडोलीमें देख चुके हैं । गुजरातके प्रजा-जीवनमे नया तेज आया, नया उत्साह भर गया । पाटीदारोको अपनी शक्तिका भान हुआ, जो कभी नहीं मिटा । सबने समझा कि प्रजाकी मुक्तिका आधार खुद उसीके ऊपर है, उसीकी त्याग-शक्तिपर है । सत्याग्रहने खेडाके द्वारा गुजरातमे जड़ जमाई । इसलिए हालांकि लड़ाईके अतसे मैं सतुष्ट न हो सका, मगर खेडाकी प्रजाको तो उत्साह ही मिला, क्योंकि

उसने देख लिया कि हमारी गतिके अनुपातमें हमें अधिक मिला है और आगेके लिए राजनैतिक कष्टोंके निवारणका एक मार्ग हमें मिल गया है, उनके उत्साहके लिए इतना ज्ञान काफी था ।

किंतु खेडाकी प्रजा सत्याग्रहका स्वरूप पूरा नहीं समझ सकी थी, इस-लिए उसे कैसे कड़ुए अनुभव हुए मो हम आगे चलकर देखेंगे ।

२६

ऐक्यके प्रयत्न

जिस समय खेडाका आंदोलन जारी था, उसी समय यूरोपका महासमर भी चल रहा था । उसके सिलसिलेमें वाइसरायने दिल्लीमें नेताओंको बुलवाया था । मुझे भी उसमें हाजिर रहनेका आह्वान किया था । मैं यह पहले ही लिख चुका हू कि लार्ड चेम्सफोर्डके साथ मेरा मैत्री-मवच था ।

मैंने आमंत्रण मजूर किया और दिल्ली गया, किंतु इस सभामें शामिल होनेमें मुझे एन मफोच था । इसका मध्य कारण यह था कि उसमें अली भाइयों, लोरुमान्य तथा दूसरे नेताओंको नहीं बुलाया गया था । उस समय अली भाई जेलमें थे । उनमें मैं एक-दो बार ही मिला था, मुना उनके बारेमें बहुत-कुछ था । उनके नेवाभाव और बहादुरीकी स्तुति सभी कोई किया करते थे । फर्काम मास्टरके साथ भी मेरा परिचय नहीं हुआ था । स्व० आचार्य रुद्र और दीनबन्धु एड्जके मुहमें उनकी बहुत प्रशंसा सुनी थी । कलकत्तावाले मुस्लिम-लीगके अधिवेशनमें श्वेब कुरेमी और वैरिस्टर ग्वाजामें मेरी मुलाकात हुई थी । डाक्टर अमारी और डाक्टर अब्दुर्रहमानने भी परिचय हो चुका था । भले मुसलमानोंकी मोहबत मैं दृष्टा रहता था और उनमें जो पवित्र तथा देशभक्त नम्रों जाते थे, उनके सम्पर्कमें आकर उनकी भावनायें जाननेकी मुझे तीव्र इच्छा रहती थी । इसलिए मुझे वे अपने समाजमें जहां कहीं ले जाते, मैं बिना कोई संशय-ज्ञान बरगथे ही चला जाता था । यह तो मैं दक्षिण अफ्रीकामें ही गमन चुका था कि हिन्दुमानने हिन्दू-मुसलमानोंमें अच्छा मित्राचार नहीं है । दानोंके मामुदानोंके मिदानों एन भी मौना मैं यों ही जानने नहीं देता था । जूठी मुजामद

करने या स्वत्व गवाकर किसीको खुश करना मैं जानता ही नहीं था, किंतु मैं वहीसे यह भी समझता आया था कि मेरी अहिंसाकी कसौटी और उसका विशाल प्रयोग इस ऐक्यके सिलसिलेमें ही होनेवाला है। अब भी मेरी यह राय कायम है। प्रतिक्षण मेरी कसौटी ईश्वर कर रहा है। मेरा प्रयोग आज भी जारी है।

इन विचारोंको साथ लेकर मैं बंबईके बंदरपर उतरा था। इसलिए इन भाइयोंका मिलाप मुझे अच्छा लगा। हमारा स्नेह बढ़ता था। हमारा परिचय होनेके बाद तुरत ही सरकारने अलीभाइयोंको जीते-जी ही दफन कर दिया था। मौलाना मुहम्मदअलीको जब-जब इजाजत मिलती, वह मुझे बँतूल-जेलसे या छिंदवाडा जेलसे लंबे-लंबे पत्र लिखा करते थे। मैंने उनसे मिलने जानेकी प्रार्थना सरकारसे की मगर उसकी इजाजत न मिली।

अली भाइयोंके जेल जानेके बाद कलकत्ता मुस्लिम-लीगकी सभामें मुझे मुसलमान भाई ले गये थे। वहाँ मुझसे बोलनेके लिए कहा गया था। मैं बोला। अली भाइयोंको छुड़ानेका धर्म मुसलमानोंको समझाया।

इसके बाद वे मुझे अलीगढ़-कॉलेजमें भी ले गये थे। वहाँ मैंने मुसलमानोंको देशके लिए फकीरी लेनेका न्योता दिया था।

अली भाइयोंको छुड़ानेके लिए मैंने सरकारके साथ पत्र-व्यवहार चलाया। इस सिलसिलेमें इन भाइयोंकी खिलाफत-सबधी हलचलका अध्ययन किया। मुसलमानोंके साथ चर्चा की। मुझे लगा कि अगर मैं मुसलमानोंका सच्चा मित्र बनना चाहू तो मुझे अली भाइयोंको छुड़ानेमें और खिलाफतका प्रश्न न्यायपूर्वक हल करनेमें पूरी मदद करनी चाहिए। खिलाफतका प्रश्न मेरे लिए सहज था। उसके स्वतंत्र गुण-दोष तो मुझे देखने भी नहीं थे। मुझे ऐसा लगा कि उस सबबमें मुसलमानों की भाग नीति-विरुद्ध न हो तो मुझे उसमें मदद देनी चाहिए। धर्मके प्रश्नमें श्रद्धा सर्वोपरि होती है। सबकी श्रद्धा एक ही वस्तुके बारेमें एक ही सी हो तो फिर जगत्में एक ही धर्म हो सकता है। खिलाफत-सबधी भाग मुझे नीति-विरुद्ध नहीं जान पड़ी। इतना ही नहीं, बल्कि यही भाग इंग्लैंडके प्रधानमंत्री लाइड जार्जने स्वीकार की थी, इसलिए मुझे तो उनसे अपने वचनका पालन कराने भरका ही प्रयत्न करना था। वचन ऐसे स्पष्ट शब्दोंमें थे कि मर्यादित गुणदोषकी परीक्षा मुझे महज अपनी अन्तरात्माको प्रमत्त करनेकी

हीं खानिद करनी थी ।

खिलाफ्तके प्रश्नमें मैंने मुसलमानोंका जो साथ दिया, उसके विषयमें मित्रों और टीकाकारोंने मुझे खूब खरी-खोटी मुनाई है । इस सबका विचार करनेपर भी मैंने जो राय कायम की जो मदद दी या दिलाई, उसके लिए मुझे जरा भी पश्चात्ताप नहीं है । न उनमें कुछ चुवार ही करना है । आज भी ऐसा प्रश्न यदि उठ खड़ा हो तो, मुझे लगता है, मेरा आचरण उसी प्रकारका होगा ।

इन तरहके विचारको लिये हुए मैं दिल्ली गया । मुसलमानोंकी इस मिश्रणके बारे में मुझे वाइसरायसे चर्चा करनी ही थी । खिलाफ्तके प्रश्नने अपनी अपना पूर्ण रूप नहीं धारण किया था ।

दिल्लीं पहुचने ही दीनबखु एड्कूजने एक नैतिक प्रश्न ता खड़ा किया । उन अरनेमें इटली और इंग्लैंडके बीच गुप्त-नधि-विषयक चर्चा अग्रेजी अखबारोंने आई । दीनबखुने मुझने उनके मन्त्रमें बात की और कहा, "अगर ऐसी गुप्त नधिया इंग्लैंडने किनी सरकारके साथ की हो तो फिर आप इन सभामें कैसे शामिल हो कर मदद दे सकते हैं ? मैं इन नधिके बारेमें कुछ नहीं जानता था । दीनबखुका शब्द मेरे लिए वम था । इस कारणको पेश करके मैंने लार्ड चेम्सफोर्डको लिखा कि मुझे सभामें आनेमें उद्य है । उन्होंने मुझे चर्चा करनेके लिए बुलाया । उनके साथ और फिर मि० मैफीके साथ मेरी लंबी चर्चा हुई । इनका अंश यह हुआ कि मैंने मनाने जाना स्वीकार कर लिया । मन्त्रमें वाइनरायकी दलील यह थी— "आप कुछ यह तो नहीं मानते कि ब्रिटिश मन्त्रिमंडल जो कुछ करे, वाइसरायको इन्की मदद होनी चाहिए । मैं यह दावा नहीं करता कि ब्रिटिश सरकार जिनी दिन भूल करती ही नहीं । यह दावा मैं ही क्या, कोई नहीं करता, मगर आप यदि यह स्वीकार करे कि उनका अस्तित्व मन्त्रके लिए लाभकारी है, उनके कारण उन देशको कुछ भिनाकर लान ही पहुंचा है, तो या फिर आप यह नहीं स्वीकार करेंगे कि उनकी आपत्तिके समय उन्हें मदद पहुंचाना हरिक नागरिकका धर्म है । गुप्त-नधि के संबंधमें आपने अखबारोंमें जो देखा है, सो मैंने भी पटा है । मैं आपकी विन्यास दिना मकना हूं कि इनमें अधिक कुछ भी नहीं जानता । यह भी तो आप जानते ही हैं कि अखबारोंमें केंसी गप्पें आनी हैं । तो क्या आप अखबारोंमें छपी एग निष्क खाने ऐंसे मनयमें सन्मनको छोड सकते हैं ? लट्टाई

खतम होनेके बाद आपको जितने नीतिके प्रश्न उठाने हो, आप उठा सकते हैं, और जितनी छानबीन करनी हो, कर सकते हैं ।”

यह दलील नई न थी, परतु जिस अवसरपर जिस प्रकार वह रक्खी गई, उससे मुझे नई-सी जान पड़ी और मैंने सभामें जाना मजूर कर लिया । यह निश्चित हुआ कि खिलाफतके बारेमें वाइसरायको पत्र लिखकर भेजू ।

२७

रंगरूटोंकी भरती

सभामें मैं हाजिर हुआ । वाइसरायकी तीव्र इच्छा थी कि मैं सैन्य भरतीके प्रस्तावका समर्थन करू । मैंने हिंदुस्तानीमें बोलनेकी प्रार्थना की । वाइसरायने यह स्वीकार कर ली, मगर साथ ही अग्रेजीमें भी बोलनेका अनुरोध किया । मुझे भाषण तो देना था ही नहीं । मैं इतना ही बोला— “मुझे अपनी जिम्मेदारीका पूरा भान है और उस जिम्मेदारीको समझते हुए मैं इस प्रस्तावका समर्थन करता हू ।” हिंदुस्तानीमें बोलनेके लिए मुझे बहुतोने धन्यवाद दिया । वे कहते थे कि वाइसरायकी सभामें हिंदुस्तानी बोलनेका इस जमानेमें यह पहला ही दृष्टांत था । यह धन्यवाद और पहला ही दृष्टांत होनेकी खबर मुझे अखरी । मैं शरमाया । अपने ही देशमें देश-सबर्षी कामकी सभामें, देशी भाषाका बहिष्कार या उसकी अवगणना होना कितने दुःखकी बात है ? और मुझ जैसा कोई शरस यदि हिंदुस्तानीमें एक या दो वाक्य बोल ही दे तो उसे धन्यवाद किस बात का ? ऐसे प्रसंग हमें अपनी गिरी हुई दशाका भान कराते हैं । सभामें जो वाक्य मैंने कहे थे उनमें मेरे लिए तो बहुत वजन था, क्योंकि यह सभा या यह समर्थन ऐसे न थे, जिन्हें मैं भूल सकू । अपनी एक जिम्मेदारी तो मुझे दिल्लीमें ही खत्म कर लेनी थी । वाइसरायको पत्र लिखनेका काम मुझे आमान नहीं लगा । सभामें जानेकी अपनी आनाकानी, उसके कारण, भविष्यकी आशाएँ वगैराका खुलासा, अपने लिए सरकारके लिए, और प्रजाके लिए, करनेकी आवश्यकता मुझे जान पड़ती थी ।

मैंने वाइसरायको पत्र लिखा । उसमें लोकमान्य तिलक, अली भाई

आदि नेताओंकी गैरहाजिरीके बारेमें अपना खेद प्रकट किया, लोगोंकी राज-
नैतिक भावों और लडाईमें उल्लेख मुसलमानोंकी भावोंका उल्लेख किया ।
यह पत्र छापनेकी इजाजत मैंने बाइनरामने मागी, जो उन्होंने खुशीसे दे दी ।

यह पत्र गिमला भेजना था, क्योंकि मना खत्म होने ही बाइसराम गिमला
चले गये थे । वहा टाकसे पत्र भेजनेमें ढील होती थी । मेरे मनमें पत्र महत्वपूर्ण
था । समय बचानेकी जरूरत थी । चाहे जिसके हाथमें भेजनेकी इच्छा नहीं होगी
थी । मुझे ऐसा लगा कि अगर यह पत्र किसी पवित्र आदमीके हाथमें जाय तो
बड़ा अच्छा है । दीनबन्धु और सुधील रुदने रेवरेंड आयर्लैंड महाशयका नाम
सुझाया । उन्होंने यह मजूर किया कि पत्र पढ़नेपर अगर शुद्ध लगना तो ले जाऊंगा ।
पत्र खानगी तो था ही नहीं । उन्होंने पढ़ा, वह उन्हें पसंद आया और उसे ले
जानेको राजी हो गये । मैंने दूनरे दर्जेका रेल-भाड़ा देनेकी व्यवस्था की, किन्तु
उन्होंने उसे लेनेमें इन्कार कर दिया और रातका सफर होनेपर भी इंटरका ही
टिकट लिया । उनकी इम सादगी, सरलता, स्पष्टतापर मैं मोहित हो गया ।
इस प्रकार पवित्र हाथों भेजे गये पत्रका परिणाम मेरी दृष्टिमें अच्छा ही हुआ ।
उममें मेरा मार्ग साफ हो गया ।

मेरी दूनरी जिम्मेदारी रगल्ट भरती करनेकी थी । मैं यह याचना
खंडामें न करू तो और क्या करता ? अपने नायियोंको अगर पहले न्योता न
दूँ तो और किसे दूँ ? खंडा पहुंचते ही बल्लभभाई बगैराके साथ सलाह की ।
कितनी हींके गले यह घूट तुरत न उतरी । जिन्हें यह बात पसंद भी पड़ी, उन्हें
कार्यकी सफलताके बारेमें नदेह हुआ । फिर जिस बगैरमेंसे यह भरती करनी थी,
उसके मनमें इम सरकारके प्रति कुछ भी प्रेम न था । सरकारके अफसरोंके द्वारा
हुए कडुए अनुभव अभी उनके दिमागमें ताजे हीं थे ।

तो भी कार्यारम्भ करनेके पक्षमें सभी हो गये । कार्यका आरम्भ करते
हीं मेरी आत्मे झुन गई । मेरा आश्वावाद भी कुछ ढीला पड़ा । खंडाकी लडाईमें
सौग खुश हो कर मुफ्तमें गाड़ी देते थे, जहा एक स्वयंसेवककी जरूरत होती
वहा तीन-चार मिल जाते थे । अब पैसा देनेपर भी गाड़ी दुर्लभ हो गई । किन्तु
इम तरह मैं कोई निराश होनेवाला जीव नहीं था । गाड़ीके बदले पैदल ही सफर
करनेका निश्चय किया । रोज बीस मीलकी मजिल तै करनी थी । जब गाड़ी

ही नहीं मिलती थी तो खाना कहासे मिलता ? मागना भी उचित नहीं जान पड़ता था । इसलिए यह निश्चय किया कि प्रत्येक स्वयंसेवक अपने भोजनका सामान अपने झोलेमे लेकर ही बाहर निकले । मौसम गर्मीका था । इसलिए ओढनेका कुछ सामान साथ रखनेकी जरूरत नहीं थी ।

जिस-जिस गावमे हम जाते, वहा सभा करते । लोग आते तो मगर भरतीके लिए नाम मुश्किलसे एक या दो ही मिलते । 'आप अहिंसावादी होकर हमें हथियार लेनेके लिए क्यों कहते हैं ? सरकारने हिंदुस्तानका कौनसा भला किया है जो आप उसे मदद देनेपर जोर देते हैं ?' इस तरहके अनेक सवाल हमारे सामने पेश किये जाते थे ।

ऐसा होनेपर भी हमारे सतत कामका असर लोगपर होने लगा था । नाम भी थो ठीक सख्यामे लिखे जाने लगे और हम मानने लगे कि अगर पहली टुकड़ी निकल पड़े तो दूसरीके लिए रास्ता साफ हो जायगा । कमिश्नरके साथ मैंने यह चर्चा शुरू कर दी थी कि जो रंगस्ट भरती हो जाय उन्हें कहा रखना चाहिए, इत्यादि । दिल्लीके नमूनेपर कमिश्नर लोग जगह-जगह सभाए करने लगे थे । वैसे सभा गुजरातमे भी हुई । उसमे मुझे और मेरे साथियोंको भी आने का आमन्त्रण था । यहा भी मैं गया था । किंतु अगर दिल्लीमे मेरा जाना कम शोभता जान पडा था तो यहा और भी कम लगा । 'जी-हा' 'जी-हा' के वातावरणमे मुझे चैन नहीं पड़ता था । यहा मैं जरा ज्यादा बोला था । मेरे बोलनेमे खुशामद जैसा तो था नहीं, बल्कि दो-एक कड़ुए वचन भी थे ।

रंगस्टोकी भरतीके सबघमें मैंने पत्रिका छापी थी । उसमे भरती होनेके निमन्त्रणमे एक दलील दी थी, जो कमिश्नरको सटकी थी । उमका मार यह था— "ब्रिटिश राज्यके अनेक अपकृत्योमे सारी जनताको शम्भ-रहित करनेके कानूनका इतिहास उसका सबसे काला काम माना जायगा । यदि यह कानून रद्द कराना हो और शस्त्र चलाना सीखना हो तो उसके लिए यह मुवर्ण योग है । राजकी इस आपत्तिके समयमे मध्यमवर्ग यदि स्वेच्छासे मदद करेगा तो उमने पार-स्परिक अविश्वास दूर होगा और जो शस्त्र धारण करना चाहते हैं वे सुशीमे उन्हें रख सकेंगे ।" इसको लक्ष्य करके कमिश्नरको कहना पडा था कि उनके और मेरे बीच मतभेद होने हुए भी सभामे मेरी हाजिरी उन्हें प्रिय थी । मुझे भी अपने

मतका समर्थन जहाँ तक ही मका, मीठे शब्दोंमें करना पडा था ।

पहले जिन पत्रका उल्लेख किया गया है उसका साराण इन प्रकार है—

“सभामें उपस्थित होनेके लिए मैं हिचकिचा रहा था, परतु आपसे मूलाकात करनेके बाद मेरी हिचकिचाहट दूर हो गई है । और उसका एक कारण यह अवश्य है कि आपके प्रति मुझे बहुत आदर है । न जानेके कारणोंमें एक मजबूत कारण यह था कि उसमें लोकमान्य तिलक, श्रीमती वेसेंट और अलीभाइयोको निमंत्रण नहीं दिया गया था । इन्हे मैं जनताके बड़े ही शक्तिशाली नेता मानता हू । मैं तो यह मानता हू कि उनको निमंत्रण न भेजकर सरकारने बड़ी गंभीर भूल की है । मैं अब भी यह सुझाना चाहता हू कि जब प्रांतीय सभाएं की जाय तब उन्हें अवश्य निमंत्रण भेजा जाय । मेरी नाकिस रायमें चाहे कैसा ही मतभेद क्यों न हो, कोई भी सल्तनत ऐसे प्रौढ नेताओंकी अवगणना नहीं कर सकती । इसी कारण मैं सभाकी कमेटीमें शामिल न हो सका और सभामें प्रस्तावका समर्थन करने सतुष्ट हो गया । सरकारने यदि मेरे सुझाव स्वीकृत कर लिये तो मैं तुरंत ही इस काममें लग जानेकी आशा रखता हू ।

“जिस सल्तनतमें हम भविष्यमें संपूर्ण हिस्सेदार बननेकी आशा करते हैं, उसको आपत्तिकालमें पूरी मदद करना हमारा धर्म है । परतु मुझे यह कहना चाहिए कि उसके साथ हमें यह आशा भी रही है कि इस मददके कारण हम अपने ध्येयतक जल्दी पहुंच सकेंगे । इसलिए लोगोको यह माननेका अधिकार है कि जिन सुधारोको देनेकी आशा आपने अपने भाषणमें दिखलाई है उनमें कांग्रेस और मुस्लिम लीगकी मुख्य-मुख्य मांगोका भी समावेश होगा । अगर मुझसे बन पड़ता तो मैं ऐसे समयमें होमरूल वर्गका उच्चार तक न करता और साम्राज्यके ऐसे नाजुक समयपर तमाम शक्तिशाली भारतीयोको उसकी रक्षानें चुपचाप कुरबान हो जानेके लिए कहता । इतना करनेसे ही हम साम्राज्यके बड़े-बड़े और सम्माननीय हिस्सेदार बन जाते और रंग-भेद और देश-भेद दूर हो जाता ।

“परंतु शिक्षित वर्गने इससे कम कारगर रास्ता अस्तित्थार किया है। जन-समाजमें उसकी पहुंच बहुत है। मैं जबसे हिंदुस्तानमें आया हूँ तभीसे जनसमाजके गाढ परिचयमें आता रहा हूँ और मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि उनमें होमरूल प्राप्त करनेका उत्साह पैदा हो गया है। बिना होमरूलके प्रजाको कभी सतोष न होगा। वे यह समझते हैं कि होमरूल प्राप्त करनेके लिए जितना भी त्याग किया जा सके कम ही होगा। इसलिए यद्यपि साम्राज्यके लिए जितने भी स्वयं-सेवक दिये जा सकें देने चाहिएं, किंतु मैं आर्थिक मददके लिए यह नहीं कह सकता हूँ। लोगोको हालतको जानकर मैं यह कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान अबतक जितनी मदद कर चुका है वह भी उसकी शक्तिसे अधिक है। परंतु मैं इतना अवश्य समझता हूँ कि जिन्होंने सभामें प्रस्ताव-का समर्थन किया उन्होंने इस कार्यमें प्राणात् तक मदद करनेका निश्चय किया है। परंतु हमारी स्थिति मुश्किल है। हम कोई डूकानके हिस्सेदार नहीं। हमारी मददकी नाँव भविष्यकी आशापर स्थित है; और वह आशा क्या है, यह यहा विशेषरूपसे कहना चाहिए। मैं कोई सौदा करना नहीं चाहता। फिर भी मुझे इतना तो यहा अवश्य कहना चाहिए कि यदि इसमें हमें निराश होना पडा तो साम्राज्यके बारेमें आज-तक हमारी जो धारणा है वह केवल भ्रम समझी जायगी।

आपने अदरुनी झगड़े भूल जानेकी जो बात कही है उसका अर्थ यदि यह हो कि जुल्म और अधिकारियोंके अपकृत्य सहन करें तो यह असभव है। सगठित जुल्मके सामने अपनी सारी शक्ति लगा देना मैं अपना धर्म समझता हूँ। इसलिए आप अधिकारियोंको हिदायत दें कि वे किसी भी जीवकी अवहेलना न करें और पहले कभी जितना लोकमतका आदर नहीं किया उतना अब करें। चंपारनमें सदियोंके जुल्मका विरोधकर मैंने ब्रिटिश न्यायका सर्वश्रेष्ठ होना प्रमाणित कर दिया है। खेडाकी रैयतने यह देख लिया है कि जब उसमें सत्यके लिए कष्ट सहन करनेकी शक्ति है तब सच्ची शक्ति राज्य नहीं, बल्कि लोकमत है। और इसलिए जिस सत्तनतको प्रजा शाप दे रही थी उसके प्रति अब

कदूता कुछ कम हो गई है और जिस राज्यसत्ताने सबिनय कानूनभंग सहन कर लिया है वह लोकमतका सबंधा अनादर नहीं करेगी, ऐसा उनको विश्वास हो गया है। इसलिए मैं यह मानता हूँ कि चपारन और खेडामें मने जो कार्य किया है वह लडाईके सबंधमें मेरी सेवा ही है। यदि आप मुझे इस प्रकारका कार्य बंद करनको कहेंगे तो मैं यही समझूंगा कि आप मुझे अपने श्वासको ही रोक देनेके लिए कहते हैं। यदि शस्त्र-बलके स्थानमें मुझे आत्मबल अर्थात् प्रेमबलको लोकप्रिय बनानेमें सफलता मिले तो मैं यह जानता हू कि हिंदुस्तानपर सारे विश्वकी त्योरी चढ जाय तो भी वह उसका सामना कर सकेगा। इसलिए हर समय कष्ट सहन करनेकी इस सनातन रीतिको अपने जीवनमें उतारनेके लिए मैं अपनी आत्माको कसता रहूंगा और दूसरोको भी इस नीतिको अंगीकार करनेके लिए कहता रहूंगा। और यदि मैं कोई और काम करता भी हू तो वह इसी नीतिकी अद्वितीय उत्तमता सिद्ध करनेके लिए ही।

“अतमें मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुसलमान राज्योंके धारमें निश्चित विश्वास दिलानेकी प्रेरणा ब्रिटिश प्रधानमंडलको करें। आप जानते हैं कि इस विषयमें प्रत्येक मुसलमानको चिंता बनी रहती है। एक हिंदू होकर मैं उनकी इन चिंताके प्रति लापरवाह नहीं रह सकना हू। उनका दुःख तो हमारा ही दुःख है। मुसलमानी राज्यके दरोंकी रक्षा करनेमें, उनके धर्मस्थानोंके विषयमें उनके भावोंका आदर करनेमें और हिंदुस्तानको होमरूलकी मांग स्वीकार करनेमें साम्राज्यसे मन्नामनी है। मने यह पत्र इसलिए लिखा है कि मैं अंग्रेजोंको चाहता हू और अंग्रेजोंमें जैसी वफादारी है, वैसी ही मैं प्रत्येक भारतीयमें जाग्रत करना चाहता हूँ।”

२८

मृत्यु-शैल्यापर

रगस्टोकी भरती करनेमें मेरा शरीर काफी थक गया। उन दिनों केले इत्यादि कुछ फल, भुनी हुई मूंगफलीको कूटकर उसमें गुठ मिला उसे दो-तीन नींबूके पानीके साथ लिया करता था। वस, यही मेरा भोजन था। मैं यह जानता तो था कि अधिक मूंगफली अपथ्य करती है, फिर भी वह अधिक खानेमें आ गई। इससे जरा पेचिश हो गई। मुझे बार-बार आश्रम तो आना ही पड़ता था। मैंने इस पेचिशकी अधिक परवा नहीं की। रातको आश्रम पहुँचा। उन दिनों मैं दवा तो शायद ही कभी लेता था। मुझे विश्वास था कि एक बारका खाना बढ़ कर दूंगा तो तबियत ठीक हो जायगी। दूसरे दिन सुबह कुछ नहीं खाया। इससे दर्द तो लगभग मिट गया। पर मैं जानता था कि मुझे उपवास और करना चाहिए, अथवा यदि कुछ खाना ही हो तो फलका रस जैसी कोई चीज लेनी चाहिए।

उस दिन कोई त्यौहार था। मुझे स्मरण है कि मैंने कस्तूरवाईसे कह दिया था कि दोपहरको भी मैं भोजन नहीं करूंगा। पर उसने मुझे ललचाया और मैं भी लालचमें आ गया। उस समय मैं किसी भी पशुका दूध नहीं पीता था। इसलिए घी और मट्ठा भी मेरे लिए त्याज्य ही था। अतः मेरे लिए तैलमें गेहूँका दलिया बनाया गया। वह और साबत मूंग भी मेरे लिए खास तौरपर रक्खे हुए हैं, ऐसा मुझसे कहा गया। वस, स्वादने मुझे फत्ता लिया। फिर भी इच्छा तो यही थी कि कस्तूरवाईकी बात रखनेके लिए थोड़ा-सा खा लूंगा। इससे स्वाद भी आ जायगा और शरीरकी रक्षा भी हो जायगी। पर गैतान तो मीकेकी ताकमें ही बैठा था। मैंने भोजन शुरू किया और थोड़ा खानेके बदले डटकर पेटभर खा लिया। जायका तो खूब रहा, पर साथ ही जमराजको निमंत्रण भी दे दिया। खायें एक घटा भी न हुआ कि पेटमें जोरोसे दर्द शुरू हुआ।

रातको नडियाद तो वापस जाना ही था। सावरमती स्टेगनतक पैदल गया। पर वह सवा मीलका रास्ता कटना मुश्किल हो गया। अहमदाबादके

स्टेशनपर वल्लभभाई आने वाले थे। वह आयें और मेरी तकलीफको जान गये। पर मेरी व्याधि असह्य थी, यह न तो मैंने उन्हें जानने दिया और न दूसरे साथियोंसे ही कहा।

नडियाद पहुँचे। यहाँमे अनायासम जाना था। मिर्फ आय मील-का फासला था। पर वह दस मील-सा मालूम हुआ। बड़ी मुश्किलसे वहाँ पहुँचा। पर मरोडा बढ़ता जाता था। पन्द्रह-पन्द्रह मिनटमे पाछाना जानेकी हाजत होने लगी। आगिर मँ हारा। अपनी असह्य वेदनाका हाल मित्रोंसे कहा और विस्तर पकडा। अभीनक आथमकी मामूली टट्टियोंमे पाछानेके लिए जाना था। अब कमोड ऊपर मगाया। लज्जा तो बहुत मालूम हो रही थी, पर लाचार था। फूलचद वापूजी विजलीकी तरह दीडकर कमोड लाये। साथी चित्ततुर होकर मेरे आस-पास एकत्र हो गए। उन्होंने अपने प्रेममे मुझे नहला दिया। पर मेरे दुखको आप उठाकर तो बेचारे हलका कर नहीं सकते थे। इधर मेरी हठका कोई ठिकाना न था। डाक्टरको वुलानेसे मैंने इन्कार कर दिया—“दवा तो हर्गिज नहीं लूंगा। अपने कियेका फल भोगूंगा।” साथियोंने यह सब दुखी मुहसे सह लिया। चौबीस घंटेके अदर तीस-चालीस वार मँ टट्टी गया। खाना तो मैंने बंद कर ही दिया था। शुरुके दिनोमे तो फलोका रस भी नहीं लिया। रुचि ही न थी।

जिस शरीरको आजतक मैं पत्थरके जैसा मानता था, वह मिट्टी-सा हो गया। सारी शक्ति जाने कहा चली गई। डॉ० कानूगो आये। उन्होंने दवा लेनेके लिए मुझे बहुत समझाया। पर मैंने इन्कार कर दिया। इजेक्शन देनेकी बात कहीं। मैंने इसपर भी इन्कार ही किया। इजेक्शनके विषयमे मेरा उस समयका अज्ञान हास्यजनक था। मेरा यही खयाल था कि इजेक्शन तो किसी प्रकार की लस—सीरस होगी। बादमें मुझे मालूम हुआ कि डॉक्टरने जो इजेक्शन बताया था वह तो एक प्रकारका वनस्पति-तत्व था। पर जब यह ज्ञान हुआ तब तो अबसर बीत गया था। टट्टिया जारी थी। बहुत परिश्रमके कारण बुखार और बेहोशी भी आ गई। मित्र और भी घबराये। अन्य डॉक्टर भी आये, जो बीमार ही उनकी न सुने तब उसके लिए वे क्या कर सकते थे ? सेठ अवालाल और उनकी धर्मपत्नी नडियाद आई। साथियोंसे सलाह-

भगविरा किया और बड़ी हिफाजतसे मुझे वे अपने मिरजापुरवाले बगले पर ले गये। मैं यह तो जरूर कहूंगा कि इस बीमारीमें जो निर्मल निष्काम सेवा मुझे मिली उससे अधिक सेवा तो कोई नहीं प्राप्त कर सकता। मद ज्वर आने लगा और शरीर भी क्षीण होता चला। मालूम हुआ कि बीमारी बहुत दिनतक चलेगी और शायद मैं विस्तरसे भी न उठ सकूँ। अवालाल सेठके बगलेमें प्रेमसे धिरा हुआ होनेपर भी मेरे चित्तमें अज्ञाति पैदा हुई और मैंने उनसे मुझे आश्रममें पहुँचानेके लिए कहा। मेरा अत्यंत आग्रह देकर वह मुझे आश्रम ले आये।

आश्रममें मैं यह पीडा भोग रहा था कि इननेमें बल्लभभाई यह खबर लाये कि जर्मनी पूरी तरह हार गया और कमिश्नरने कहलाया है कि अब रगस्टोकी भरती करनेकी जरूरत नहीं है। इसलिए रगस्टोकी भरती करनेकी चिंतासे मैं मुक्त हो गया और इससे मुझे ज्ञाति मिली।

अब पानीके उपचारोपर शरीर टिका हुआ था। दर्द चला गया पर शरीर किसी तरह पनप नहीं रहा था। वैद्य और डाक्टर मित्र अनेक प्रकारकी सलाह देते थे। पर मैं किसी तरह दवा लेनेके लिए तैयार न हुआ।

दो-तीन मित्रोंने दूध लेनेमें कोई बाधा हो तो मास का क्षोरवा लेनेकी सिफारिश की और अपने कथनकी पुष्टिमें आयुर्वेदसे इस आशयके प्रमाण बताये कि दवाके बतौर भासादि चाहे जिस वस्तुका सेवन करनेमें कोई हानि नहीं। एक मिसने अड़े खानेकी सलाह दी। पर उनमेंसे किसीकी भी सलाहको मैं स्वीकार न कर सका। सबके लिए मेरा तो एक ही जवाब था।

खाद्याखाद्यका सबाल मेरे लिए महज शास्त्रोके श्लोकोपर निर्भर न था। उसका तो मेरे जीवनके साथ स्वतंत्र रीतिसे निर्माण हुआ था। हर कोई चीज खाकर हर किसी तरह जीनेका मुझे जरा भी लोम न था। अपने पुत्रो, स्त्री और स्नेहियोके लिए मैंने जिस धर्मपर अमल किया उसका त्याग मैं अपने लिए कैंसे कर सकता था।

इस तरह इस बहुत लंबी बीमारीमें, जो कि गभीरताके खयालसे मेरे जीवनमें मुझे पहले ही पहल हुई थी, मुझे धर्म-निरीक्षण करनेका तथा उसे कसौटी-पर चढ़ानेका अलभ्य लाभ मिला। एक रात तो मैं जीवनसे बिल्कुल निराश हो गया था। मुझे मालूम हुआ कि अतकाल आ पहुँचा। श्रीमती अनसूयावहनको

समाचार भिजवाये। वह आई। वल्लभभाई आये। डा० कानूगोने नब्ब देख-कर कहा, "मुझे तो ऐसा एक भी चिह्न नहीं दिखाई देता, जो भयकर हो। नब्ब विलकुल अच्छी है, केवल कमजोरीके कारण यह मानसिक अशांति आपको है।" पर मेरा दिल गवाही नहीं देता था। रात तो बीती। उस रात शायद ही मुझे नींद आई हो।

सवेरा हुआ। मृत्यु न आई। फिर भी मुझे जीनेकी आशा नहीं हो पाई थी। मैं तो यही समझ रहा था कि मृत्यु नजदीक आ पड़ची है। इसलिए जहां तक हो सका, अपने साथियोंसे गीता सुनने हीमे अपने समयका उपयोग मैं करने लगा। कुछ काम-काज करनेको शक्ति तो थी ही नहीं। पढ़नेकी शक्ति भी न रह गई थी। किसीसे बाततक करनेकी जी न चाहता था। जरा-सी बातचीत करनेमे दिमाग थक जाता था। इससे जीनेमें कोई आनंद नहीं रहा था। महज जीनेके लिए जीना मुझे कभी पसंद नहीं था। बिना कुछ काम-काज किये साथियों से सेवा लेते हुए दिन-ब-दिन क्षीण होनेवाली देह को टिकाये रखना मुझे बड़ा कष्टकर प्रतीत होता था।

इस तरह मृत्युकी राह देख रहा था कि इतनेमे डा० तलवलकर एक विचित्र प्राणीको लेकर आए। वह महाराष्ट्रीय है। उनको हिंदुस्तान नहीं जानता। पर मेरे ही जैसे 'चक्रम' है, यह मैंने उन्हें देखते ही जान लिया। वह अपना इलाज मुझपर आजमानेके लिए आये थे। बवईके ग्रैंड मेडिकल कॉलेजमें पढ़ते थे। पर उन्होंने द्वारकाकी छाप—उपाधि—प्राप्त न की थी। मुझे वादमें मालूम हुआ कि वह सज्जन ब्रह्मसमाजी है। उनका नाम है केलकर। बड़े स्वतंत्र मिजाजके आदमी है। बरफके उपचारके बड़े हिमायती है।

मेरी बीमारीकी बात सुनकर जब वह अपने बरफके उपचार मुझपर आजमानेके लिए आये, तबसे हमने उन्हें 'आइस डाक्टर'की उपाधि दे रखी है। अपनी रायके बारेमें वह बड़े आग्रही हैं। डिग्रीवारी डाक्टरकी अपेक्षा उन्होंने कई अच्छे आविष्कार किये हैं, ऐसा उन्हें विश्वास है। वह अपना यह विश्वास मुझमें उत्पन्न नहीं कर सके, यह उनके श्रीर मेरे दोनोंके लिए दुःखकी बात है। मैं उनके उपचारोक्तो एक हृद तक तो मानता हू। पर मेरा खयाल है कि उन्होंने कितने ही अनुमान वाधनेमें कुछ जल्दबाजी की है। उनके आविष्कार सच्चे

हो या गलत, मैंने तो उन्हें उनके उपचारोका प्रयोग अपने शरीर पर करने दिया । वाह्य उपचारोंसे अच्छा होना मुझे पसंद था । फिर ये तो बरफ अर्थात् पानीके उपचार थे । उन्होंने मेरे सारे शरीरपर बरफ मलना शुरू किया । यद्यपि इसका फल मुझपर उतना नहीं हुआ, जितना कि वह मानते थे, तथापि जो मैं रोज मृत्युकी राह देखता पडा रहता था सो अब नहीं रहा । मुझे जीनेकी आशा बघने लगी । कुछ उत्साह भी मालूम होने लगा । मनके उत्साहके साथ-साथ शरीरमें भी कुछ ताजगी मालूम होने लगी । खुराक भी थोड़ी बढ़ी । रोज पाच-दस मिनट टहलने लगा । “अगर आप अडेका रस पिये तो आपके शरीरमें इससे भी अधिक शक्ति आ जावेगी, इसका मैं आपको विश्वास दिला सकता हू । और अब तो हूबके ही समान निर्दोष वस्तु होती है । वह मास तो हर्गिज नहीं कहा जा सकता । फिर यह भी नियम नहीं है कि प्रत्येक अडेमें बच्चे पैदा होते ही हो । मैं साबित कर सकता हू कि ऐसे निर्जीव अडे सेये जाते हैं, जिनमेंसे बच्चे पैदा नहीं होते ।” उन्होंने कहा । पर ऐसे निर्जीव अडे लेनेको भी मैं तो राजी न हुआ । फिर भी मेरी गाड़ी कुछ आगे चली और मैं आस-पास के कामोंमें थोड़ी बहुत दिलचस्पी लेने लगा ।

२६

रौलट-ऐक्ट और मेरा धर्म-संकट

माथेरान जानेसे शरीर जल्दी ही पुष्ट हो जायगा, ऐसी मित्रोंसे सलाह पाकर मैं माथेरान गया । परंतु वहाका पानी भारी था । इसलिए मुझ जैसे बीमारके लिए वहा रहना मुश्किल ही पडा । पेशिषके कारण गुदा-द्वार बहुत ही नाजुक पड गया था और वहा चमडी फट जानेसे मल त्यागके समय बडा दर्द होता था । इसलिए कुछ भी खाते हुए डर लगता था । अत एक सप्ताहमें ही माथेरानसे लौट आया । अब मेरे स्वास्थ्यकी रखवालीका काम श्री अकरलानने अपने हाथमें ले लिया । उन्होंने डा० दलालकी सलाह लेनेपर बहुत जोर दिया । डा० दलाल आये । उनकी तत्काल निर्णय करनेकी शक्तिले मुझे मोह लिया ।

उन्होंने कहा—

“जबतक आप दूध न लेंगे तबतक आपका शरीर नहीं बनपेगा। शरीरकी पुष्टिके लिए तो आपको दूध लेना चाहिए और लोहे व सखियेकी पिचकारी (इजेक्शन) लेनी चाहिए। यदि आप इतना करें तो मैं आपका शरीर फिरसे पुष्ट करनेकी 'गैरटी' लेता हूँ।”

“आप पिचकारी भले ही दें, लेकिन मैं दूध नहीं लूंगा।” मैंने जवाब दिया।

“आपकी दूधकी प्रतिज्ञा क्या है?” डाक्टरने पूछा।

“गाय-भैंसके फूका लगाकर दूध निकालनेकी क्रिया की जाती है। यह जाननेपर मुझे दूधके प्रति तिरस्कार हो आया, और यह तो मैं सदा मानता ही था कि वह मनुष्यकी खुराक नहीं है, इसलिए मैंने दूध छोड़ दिया है।” मैंने कहा।

“तब तो बकरीका दूध लिया जा सकता है।” कस्तूरबाई, जो मेरी खाटके पास ही खड़ी थी, बोल उठी।

“बकरीका दूध ले तो मेरा काम चल जायगा।” डाक्टर दलाल बीचमें ही बोल उठे।

मैं झुका। सत्याग्रहकी लडाईके मोहने मूझमें जीवनका लोभ पैदा कर दिया था और मैंने प्रतिज्ञाके अक्षरोंके पालनमें मत्तप मानकर उसकी आत्माका हनन किया। दूधकी प्रतिज्ञा लेते समय यद्यपि मेरी दृष्टिके सामने गाय-भैंसका ही विचार था, फिर भी मेरी प्रतिज्ञा दूधमात्रके लिए समझी जानी चाहिए, और जबतक मैं पशुके दूध-माथको मनुष्यकी खुराकके लिए निषिद्ध मानता हूँ तबतक मुझे उसे लेनेका अधिकार नहीं है। यह जानते हुए भी बकरीका दूध लेनेके लिए मैं तैयार हो गया। इस तरह सत्यके एक पुजारीने सत्याग्रहकी लडाईकेलिए जीवित रहनेकी इच्छा रखकर अपने सत्यको ध्वंसा लगाया।

मेरे इस कार्यकी वेदना अबतक नहीं मिटी है और बकरीका दूध छोड़ने की धुन अब भी लगी ही रहती है। बकरीका दूध पीते वक्त रोज मैं कष्ट अनुभव करता हूँ। परन्तु मेवा करनेका महामूह्य मोह जो मेरे पीछे लगा है, मुझे छोड़ नहीं रहा है। आहिंसा की दृष्टिमें खुराकके अपने प्रयोग मुझे बड़े प्रिय है। उनमें मुझे आनन्द आता है और यही मेरा विनोद भी है। परन्तु बकरीका दूध मुझे इस

दृष्टिके कारण नहीं अखरता। वह तो मुझे सत्यकी दृष्टिसे अखरता है। अहिंसा-को जितना मैं जान सका हू उसके वनिस्वत मैं सत्यको अधिक जानता हू, ऐसा मेरा ख्याल है। और यदि मैं सत्यको छोड़ दू तो अहिंसाकी बड़ी उलझने में कमी भी न सुलझा सकूंगा, ऐसा मेरा अनुभव है। सत्यके पालनका अर्थ है लिये गए व्रतोंके शरीर और आत्माकी रक्षा, शब्दार्थ और भावार्थका पालन। यहापर मैंने आत्माका—भावार्थका नाश किया है। यह मुझे सदा ही अखरता रहता है। यह जानने पर भी व्रतके सवधमें मेरा क्या धर्म है, मैं यह नहीं जान सका अथवा यो कहिए कि मुझमें उसके पालन करनेकी हिम्मत नहीं है। दोनो एक ही बात है, क्योंकि शकाके मूलमें श्रद्धाका अभाव होता है। ईश्वर, मुझे श्रद्धा दे।

वकरीका डूब शुरू करनेके थोड़े दिन बाद डा० दलालने गुदा-द्वारमें ऑपरेशन किया और वह बहुत कामयाब साबित हुआ।

अभी यो मैं बीमारीसे उठनेकी आशा बाध ही रहा था और अखबार पढना शुरू किया था कि इतनेमें ही रौलट-कमिटीकी रिपोर्ट मेरे हाथ लगी। उस-में जो सिफारिशोंकी हुई थी उन्हें देखकर मैं चौंक उठा। भाई उमर और शकरलाल-ने कहा कि इसके लिए तो कुछ जरूर करना चाहिए। एकाध महीनेमें मैं अहम-दावाद गया। वल्लभभाई मेरे स्वास्थ्यके हाल-चाल पूछने करीब-करीब रोज आते थे। मैंने इस बारेमें उनसे बातचीत की और यह सूचित भी किया कि कुछ करना चाहिए। उन्होंने पूछा—“क्या किया जा सकता है?” जवाबमें मैंने कहा—“अगर कमिटीकी सिफारिशोंके अनुसार कानून बन ही जाय, और यदि इसके लिए प्रतिज्ञा लेनेवाले थोड़ेसे भी मनुष्य मिल जाय तो हमें सत्याग्रह करना चाहिए। अगर मैं रोग-शैथिल्यपर न रहा तो मैं अकेला भी लड़ पड़ूँ और यह आशा रखूँ कि पीछेसे और लोग भी मिल रहेगे। पर मेरी इस लाचार हालतमें अकेले लड़नेकी मुझमें विलकुल ही शक्ति नहीं है।”

इस बातचीतके फलस्वरूप ऐसे लोगोकी एक छोटी-सी सभा करनेका निश्चय हुआ, जो मेरे सपकमें ठीक-ठीक आये थे। रौलट-कमिटीको मिला गयाहिंदोपर से मुझे यह तो स्पष्ट मालूम हो गया था कि उसने जैसी सिफारिश की है वैसे कानूनकी कोई जरूरत नहीं है, और मेरे नजदीक यह बात भी उतनी ही स्पष्ट थी कि ऐसे कानूनको कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र स्वीकार नहीं कर सकता।

सभा हुई। उसमें गायद ही कोई बीस मनुष्योंको निमंत्रण दिया गया होगा। मुझे जहातक स्मरण है, उसमें बल्लभभाईके सिवा श्रीमती सरोजिनी नायडू, मि० हार्निमेन, स्व० उमर सुवानी, श्री शंकरलाल बेंकर, श्रीमती अनसूया बहन इत्यादि थे।

प्रतिज्ञापत्र तैयार किया गया और मुझे ऐसा स्मरण है कि जितने लोग वहा मौजूद थे सभीने उसपर दस्तखत किये थे। इस समय में कोई अखवार नहीं निकालता था। हा, समय-समयपर अखवारोंमें लिखता जरूर था। वैसे ही इस समय भी मैंने लिखना शुरू किया और शंकरलाल बेंकरने अच्छी हलचल शुरू कर दी। उनकी काम करनेकी और संगठन करनेकी_अभितिका उस समय मुझे अच्छा अनुभव हुआ।

मुझे यह असंभव प्रतीत हुआ कि उस समय कोई भी मौजूदा सत्था सत्याग्रह जैसे शस्त्रको उठा ले, इसलिए सत्याग्रह-सभाकी स्थापना की गई। उसमें मुख्यत बवईसे नाम मिले और उसका केंद्र भी बवईमें ही रखा गया। प्रतिज्ञा-पत्रपर दस्तखत होने लगे और जैसा कि लोहाकी लड़ाईमें हुआ था इसमें भी पत्रिकार्यें निकाली गईं और जगह-जगह सभायें की गईं।

इस सभाका अध्यक्ष मैं बना था। मैंने देखा कि भिक्षित-वर्गसे मेरी पटरी अधिक न बैठ सकेगी। सभामें गुजराती भाषा ही इस्तेमाल करनेका मेरा आग्रह और मेरी दूसरी कार्य-पद्धतिको देखकर वे चक्करमें पड़ गये। मगर मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि बहुतेरोंमें मेरी कार्य-पद्धतिको निभा लेनेकी उदारता दिखाई। परंतु आरंभ ही में मैंने यह देख लिया कि यह सभा दीर्घकाल तक नहीं चल सकेगी। फिर सत्य और अहिंसापर जो मैं जोर देता था वह भी कुछ लोगोंको अप्रिय हो पडा था। फिर भी शुरूआतमें तो यह नया काम बड़े जोरमें चल निकला।

३०

वह अद्भुत दृश्य

एक और रौलट-कमिटीके विरुद्ध आंदोलन बढ़ता चला और दूसरी और सरकार उसकी सिफारिशोपर अमल करनेके लिए कमर कसती गई। रौलट-बिल प्रकाशित हुआ। मैं धारा-सभाकी बैठकमें सिर्फ एक ही बार गया हू। सो भी रौलट-बिलकी चर्चा सुनने। शास्त्रीजीने बहुत ही घुआधार भाषण किया और सरकारको चेतावनी दी। जब शास्त्रीजीकी वाग्धारा चल रही थी, उस समय वाइसराय उनकी ओर ताक रहे थे। मुझे तो ऐसा लगा कि शास्त्रीजीके भाषणका असर उनके मनपर पडा होगा। शास्त्रीजी पूरे-पूरे भावावेशमें आ गये थे।

किंतु सोये हुएको जगाया जा सकता है। जागता हुआ सोनेका ढोंग दे तो उसके कानमें ढोल बजानेसे भी क्या होगा। धारा-सभामें बिलोकी चर्चा करनेका प्रहसन तो करना ही चाहिए। सरकारने वह प्रहसन खेला। किंतु जो काम उसे करना था उसका निश्चय तो हो ही चुका था। इसलिए शास्त्रीजीकी चेतावनी बेकार साबित हुई।

और इसमें मुझ जैसे की तूतीकी आवाज तो सुनता ही कौन ? मैंने वाइसरायसे मिलकर खूब विनय की, खानगी पत्र लिखे, खुली चिट्ठिया लिखी, उनमें मैंने यह साफ-साफ बतलाया था कि सत्याग्रहके सिवाय मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। किंतु सब बेकार गया।

अभी बिल गजटमें प्रकाशित नहीं हुआ था। मेरा शरीर था तो निर्बल, किंतु मैंने लंबे सफरका खतरा मोल लिया। अभी ऊंची आवाजसे बोलनेकी शक्ति नहीं आई थी। खडे होकर बोलनेकी शक्ति जो तबसे गई सो अबतक नहीं आई है। खडे होकर बोलते ही थोड़ी देरमें सारा शरीर कापने लगता और छाती और पेटमें घबराहट मालूम होने लगती है। किंतु मुझे ऐसा लगा कि मद्राससे आये हुए निमंत्रणको अवश्य स्वीकार करना चाहिए। दक्षिण प्रांत उस समय मुझे घरके ही समान लगते थे। दक्षिण अफ्रीकाके सबके कारण

मैं मानता आया हूँ कि तामिल-तेलंगू आदि दक्षिण प्रांतके लोगोंपर मेरा कुछ हक है, और अबतक ऐसा नहीं लगा है कि मैंने यह विचार करनेमें जरा भी भूल की है। आमत्रण स्वर्गीय श्री कस्तूरीरंगा ऐयंगरकी ओरसे आया था। मद्रास जाते ही मुझे जान पड़ा कि हम आमत्रणके पीछे श्री राजगोपालाचार्य थे। श्री राजगोपालाचार्यके साथ मेरा यह पहला परिचय माना जा सकता है। पहली ही बार हम दोनोंने एक दूसरेको यहाँ देखा।

सामाजिक काममें ज्यादा भाग लेनेके इरादेसे और श्री कस्तूरीरंगा ऐयंगर आदि मित्रोंकी भांगने वह सेलम छोड़कर मद्रास बकालत करने वाले थे। मुझे उन्हींके साथ उहरानेकी व्यवस्था की गई थी। मुझे दो-एक दिन बाद मालूम हुआ कि मैं उन्हींके घर ठहराया गया हू। वह बगला श्री कस्तूरीरंगा ऐयंगरका होनेके कारण मैंने यहाँ मान लिया था कि मैं उन्हींका अतिथि हू। महादेव देसाईने मेरी यह भूल मुझारी। राजगोपालाचार्य दूर-ही-दूर रहते थे। किंतु महादेवने उनमें मनीभाति परिचय कर लिया था। महादेवने मुझे चेताया, "आपको श्री राजगोपालाचार्यसे परिचय कर लेना चाहिए।"

मैंने परिचय किया। उनके साथ रोज ही लडाईके तगठनकी सलाह किया करता था। समाझके अलावा मुझे और कुछ सुझता ही नहीं था। रौलट-विन अगर कानून बन जाय तो उसका सविनय भग कैसे हो? सविनय भगका अबसर तो तभी मिल सकता था, जब सरकार देती। दूसरे किन कानूनोंका सविनय भग हो सकता है? उसकी मर्यादा क्या निश्चित हो? ऐसी ही चर्चाएँ होती थी।

श्री कस्तूरीरंगा ऐयंगरने नेताओंकी एक छोटी-सी समा की। उसमें भी खूब चर्चा हुई। उसमें श्री विजयराघवाचार्य खूब हाथ बटाते थे। उन्होंने यह सुझाया कि तफ्तीलसे हिदायतें लिखकर मुझे सत्याग्रहका एक शास्त्र लिख डालना चाहिए। पर मैंने कहा कि यह काम मेरी शक्तिके बाहर है।

यों सलाह-मशवरा हो रहा था इनी बीच सबर आई कि विल कानून बनकर गजटमें प्रकाशित हो गया है। जिस दिन यह खबर मिली, उस रातको मैं विचार करता हुआ सो गया। भोरमें बड़े सबरे उठ खड़ा हुआ। अभी अर्धनिद्रा होगी कि मुझे स्वप्नमें एक विचार सूझा। सबरे ही मैंने श्री राजगोपालाचार्यको

बुलाया और बात की—

“मुझे रातको स्वप्नमे विचार आया कि इस कानूनके जवाबमे हमें सारे देशसे हडताल करनेके लिए कहना चाहिए। सत्याग्रह आत्मशुद्धिकी लड़ाई है। यह धार्मिक लड़ाई है। धर्म-कार्यको शुरु करने शुरू करना ठीक लगता है। एक दिन सभी लोग उपवास करे और कामघटा बढ़ रखे। मुसलमान भाई रोजाके अलावा और उपवास नहीं रखते, इसलिए चौबीस घंटेका उपवास रखनेकी सलाह देनी चाहिए। यह तो नहीं कहा जा सकता कि इसमें सभी प्रांत शामिल होंगे या नहीं। बंबई, मद्रास, बिहार और सिंधकी आशा तो मुझे अवश्य है। पर इतनी जगहोंमें भी अगर ठीक हडताल हो जाय तो हमें सतोष मान लेना चाहिए।”

यह सज्जीव श्री राजगोपालाचार्यको बहुत पसंद आई। फिर तुरत ही दूसरे दिनोंके सामने भी रखी। सबने इसका स्वागत किया। मैंने एक छोटा-सा नोटिस तैयार कर लिया। पहले सन् १९१९के मार्चकी ३० तारीख रखी गई थी, किंतु बादमें ६ अप्रैल कर दी गई। लोगोंको खबर बहुत थोड़े दिन पहले दी गई थी। कार्य तुरत करनेकी आवश्यकता समझी गई थी। अतः तैयारीके लिए लंबी मियाद देनेकी गुजाइश ही नहीं थी।

पर कौन जाने कैसे सारा सगठन हो गया। सारे हिंदुस्तानमें—गहरोमें और गावोंमें—हडताल हुई। यह दृश्य भ्रम्य था।

३१

वह सप्ताह !—१

दक्षिणमें थोड़ा भ्रमण करके बहुत करके मैं चौथी अप्रैलको बंबई पहुँचा। श्री शंकरलाल बैकरका ऐसा तार था कि छोटी तारीख का कार्यक्रम पूरा करनेके लिए मुझे बंबईमें मौजूद रहना चाहिए।

किंतु उससे पहले दिल्लीमें तो ३० मार्चको ही हडताल मनाई जा चुकी थी उन दिनों दिल्लीमें स्व० स्वामी अद्वानदजी तथा स्व० हुकीम अजमलखा साहबकी

मान चलनी थी। छठी तारीख तक हड़तालकी मुद्दत घटा दी जाने की खबर दिल्लीमें देरसे पहुँची थी। दिल्लीमें उस दिन जैसी हड़ताल हुई, वैसी पहले कभी न हुई थी। हिंदू और मुसलमान दोनों एक दिल होने लगे। श्रद्धानंदजी को जुमा मन्जिदमें निमंत्रण दिया गया था और वहाँ उन्हें भाषण करने दिया गया था। ये सब बातें मरक़ारी अफसर सहन नहीं कर सकते थे। जलूस स्टेशनकी प्रोर चला जा रहा था कि पुलिसने रोका और गोली चलाई। कितने ही आदमी जमी हुए, और कुछ खून हुए। दिल्लीमें दमन-नीति गुरु हुई। श्रद्धानंदजीने मुझे दिल्ली बुलाया। मैंने तार किया कि बंबईमें छठी तारीख मना कर मैं तुम्हें दिल्ली खाना होऊँगा।

जैसा दिल्लीमें हुआ, वैसा ही लाहौरमें और अमृतसरमें भी हुआ था। अमृतसरमें टा० सत्यपाल और किचलूके तार मुझे जरूरीमें वहाँ बुला रहे थे। उन समय इन दोनों भाइयोंको जरा भी नहीं पहचानता था। दिल्लीसे होकर जानेके निश्चयकी लबर मैंने उन्हें दी थी।

छठीको बंबईमें सुबह हमारो आदमी चौपाटीमें स्नान करने गये और वहाँ गान्धिराज जानेके लिए जलून निकला। उसमें स्त्रिया और बच्चे भी थे। मुननमान भी अच्छी तादादमें शामिल हुए थे। इस जलूसमेंसे हमे मुसलमान भाई एक मन्जिदमें ले गये। वहाँ श्रीमती सरोजिनी देवीने तथा मुझसे भाषण कराये। वहाँ श्री विठ्ठलदास जेराजाणीने स्वदेवीकी तथा हिंदु-मुसलमान-ऐस्यकी प्रतिज्ञा लिखानेके लिए मुझाया। मैंने ऐसी उतावलीमें प्रतिज्ञा लिखाने में ज्यादा कर दिया। जितना ही रहा था उननेही स्तोत्र माननेकी मलाह दी। प्रतिज्ञा लेनेके बाद नहीं टूट सकी। हमें अभी स्वदेवीका अर्थ भी समझना चाहिए। हिंदु-मुननमान-ऐस्यकी जिम्मेदारी का खयाल रखना चाहिए वगैरा गढ़ा और मुनाता कि जिन्हें प्रतिज्ञा देनेकी इच्छा हो, वे कल सबेरे भले ही चौपाटी-के मैदानमें आ जाय।

बंबईमें हमान नौनहों आना सपूर्ण थी।

यहाँ जानूने मजिद नगरी तैयारी कर रखी थी। भग हो सकने मगर दो-तीन बन्दुग थी। ये जानूने ऐसे थे, जो रह होने लायक थे और इनको मर मोत मरती भी मर कर मरने थे। उनमेंसे एकको ही चुननेका निश्चय हुआ

था। नमकपर लगनेवाला कर बहुत ही अखरता था। उसे उठवानेके लिए बहुत प्रयत्न हो रहे थे। इसलिए मैंने यह सुझाया था कि सभी कोई अपने घरमें बिना परवानेके नमक बनायें। दूसरा कानूनभंग सरकारकी, ज्वल की हुई पुस्तके छपाने व बेचनेके सबधमे था। ऐसी दो पुस्तके खुद मेरी ही थी—‘हिंद स्वराज्य’ और ‘सर्वोदय’। इन पुस्तकोको छपाना और बेचना सबसे सरल सविनय-भग जान पडा। इसलिए इन्हे छपाया और साक्षका उपवास छूटनेपर और चौपाटीकी बिराट समा विसर्जन होनेके बाद इन्हे बेचनेका प्रबध हुआ।

साक्षको बहुतसे स्वयसेवक ये पुस्तके बेचने निकल पडे। एक मोटरमें मैं और दूसरीमें श्रीमती सरोजिनी नायडू निकली थी। जितनी प्रतिपा छपाई थी उतनी विक गई। इनकी जो कीमत आती वह लडाईके खर्चमें ही काम आनेवाली थी। प्रत्येक प्रतिकी कीमत चार आना रक्खी गई थी, किंतु मेरे या सरोजिनीदेवीके हाथमे शायद ही किसीने चार आने रक्खे हो। अपनी जेबमे जो कुछ मिल जाय, सभी देकर पुस्तक लेनेवाले बहुत आदमी पंदा हो गये। कोई दस रुपयेका तो कोई पाच रुपयेका नोट भी देते थे। मुझे याद है कि एक प्रतिके लिए तो ५०) का भी एक नोट मिला था। लोगोको समझाया गया कि पुस्तक लेनेवालोंके लिए भी जेल जानेका खतरा है, किंतु थोडी देरके लिए लोगोने जेलका भय छोड दिया था।

सालवी तारीखको मालूम हुआ कि जो किताब बेचनेकी मनाही सरकारने की थी, सरकारकी दृष्टिसे वे विकी हुई नही मानी जा सकती। जो विकी, वे तो उसकी दूसरी आवृत्ति मानी जायगी, ज्वल किताबोमे वे नही ली जायगी। इसलिए इस नई आवृत्तिको छापने, बेचने और खरीदनेमे कोई गुनाह नही माना जायगा। लोग यह खबर सुनकर निराश हुए।

इस दिन सवेरे चौपाटीपर लोगोको स्वदेशी-व्रत तथा हिंदू-मुस्लिम-ऐक्यके के लिए इकट्ठा होना था। विट्ठलदासको यह पहला अनुभव हुआ कि उजला रंग होनेसे ही सब-कुछ दूष नही हो जाता। लोग बहुत ही कम इकट्ठे हुए थे। इनमें दोचार बहनोका नाम मुझे याद हो आता है। पुरुष भी थोडे ही थे। मैंने व्रतका मजमून गढ रक्खा था। उनका अर्थ उपस्थित लोगोको खूब समझाकर उन्हे व्रत लेने दिया। थोडे लोगोकी मीजूदगीसे मुझे आश्चर्य न

हुआ, न दुःख ही हुआ, किंतु तभीसे जोशीले काम और धीमे रचनात्मक कामके भेदका और पहलेके प्रति लोगोंके पक्षपात तथा दूसरेके प्रति अरुचिका अनुभव में बराबर करता आया हूँ ।

किंतु इस विषयके लिए एक अलग ही प्रकरण देना ठीक रहेगा ।

सातकी रातको मैं दिल्ली और अमृतसरके लिए रवाना हुआ । आठको मथुरा पहुंचते ही कुछ भनक मिली कि शायद मुझे पकड़ लें । मथुराके बाद एक स्टेशनपर गाड़ी खड़ी थी । वहीपर मुझे आचार्य गिडवानी मिले । उन्होंने मुझे यह विषयस्त खबर दी कि “आपको जरूर पकड़ेंगे और मेरी सेवाकी जरूरत ही तो मैं हाजिर हूँ ।” मैंने उपकार माना और कहा कि जरूरत पड़नेपर आपसे सेवा लेना नहीं भूलूंगा ।

पलवल स्टेशन आनेके पहले ही पुलिस-अफसरने मेरे हाथमें एक हुकम लाकर रक्खा । “तुम्हारे पजाबमें प्रवेश करनेसे अशांति बटनेका भय है, इसलिए तुम्हें हुकम दिया जाता है कि पजाबकी सीमामें दाखिल मत होओ ।” हुकमका आशय यह था । पुलिसने हुकम देकर मुझे उत्तर जानेके लिए कहा । मैंने उत्तरनेसे इन्कार किया और कहा— “मैं अशांति बटाने नहीं, किंतु आमत्रण मिलनेसे अशांति घटानेके लिए जाना चाहता हूँ । इसलिए मुझे खेद है कि मैं इस हुकमको नहीं मान सकता ।”

पलवल आया । महादेव देसाई मेरे साथ थे । उन्हें दिल्ली जाकर अहमदनदबीको खबर देने और लोगोंको शांतिका सन्देश देनेके लिए कहा । हुकमका अनादर करनेसे जो सजा हो, उसे सहनेका मैंने निश्चय किया है तथा सजा होनेपर भी शांत रहनेमें ही हमारी जीत है, यह समझानेके लिए कहा ।

पलवल स्टेशनपर मुझे उत्तरकर पुलिसके हवाले किया गया । दिल्लीसे आनेवाली किसी ट्रेनके तीसरे दर्जेके हिब्बेमें मुझे बैठाया । साथमें पुलिसकी पार्टी बैठी । मथुरा पहुंचनेपर मुझे पुलिस-वैरकमें ले गये । यह कोई भी अफसर नहीं बता सका कि मेरा क्या होगा और मुझे कहा ले जाना है । सवेरे ४ बजे मुझे उठाया और बबई ले जानेवाली एक मालगाडीमें ले गये । दोपहरकी सवाई माधोपुरमें उतार दिया । वहां बबईकी मेल ट्रेनमें लाहौरसे इस्पेक्टर बोरिंग साथे मैं उनके हवाले किया गया । अब मुझे पहले दर्जेमें बैठाया गया । साथमें साहब

बैठे। अबतक मैं मामूली कैदी था। अबसे 'जेंटिलमैन' कैदी गिना जाने लगा। साहबने सर माइकेल ओडवायरके बखान शुरू किये। उन्होने मुझसे कहा कि हमें तो आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, किंतु आपके पजावमे जानेसे अशांतिका पूरा भय है।" और इसलिए मुझसे अपने आप ही लौट जानेका और पजावकी सरहद पार न करनेका अनुरोध किया। मैंने उन्हें कह दिया कि मुझसे इस दृक्मका पालन नहीं हो सकेगा और मैं स्वेच्छासे लौट जानेको तैयार नहीं हू। इसलिए साहबने लाचारीसे कानूनको काममे लानेकी बात कही। मैंने पूछा— "पर यह भी कुछ कहोगे कि आखिर मेरा करना क्या चाहते हो?" उमने जवाब दिया— "मुझे कुछ मालूम नहीं है। मुझे कोई दूसरा दृक्म मिलेगा। अभी तो मैं आपको बचई ले जाता हू।"

सूरत आया। वहापर किसी दूसरे अफसरने मेरा जिम्मा लिया उसने रास्तेमे मुझे कहा, "आप स्वतंत्र हैं, किंतु आपके लिए मैं बचईमें मरीनलाइन्स स्टेशनपर गाडी खडी कराऊंगा। कोलावापर ज्यादा भीड़ होनेकी सभावना है।" मैंने कहा— "जैसी आपकी मरजी हो।" वह खुश हुआ और मुझे धन्यवाद दिया। मरीनलाइन्समें उतरा। वहा किसी परिचित सज्जनकी घोडागाडी देखी। वह मुझे रेवाशकर जौहरीके घर पर छोड गई। रेवाशकरभाईने मुझे खबर दी— "आपके पकडे जानेकी खबर सुनकर लोग उत्तेजित हो गये हैं। पायघुनीके पास हल्लडका भय है। वहा पुलिस और मजिस्ट्रेट पहुंच गये हैं।"

मेरे घरपर पहुंचते ही उमर सुवानी और अनसूया बहन मोटर लेकर आये और मुझसे पायघुनी चलनेकी बात कही— "लोग अधीर हो गये हैं और उत्तेजित हो रहे हैं। हम किसीके किये वे शांत नहीं रह सकते। आपको देख लेनेपर ही शांत होंगे।"

मैं मोटरमे बैठ गया। पायघुनी पहुंचते ही रास्ते में बहुत बडी भीड़ देखी। मुझे देखकर लोग हर्षोन्मत्त हो गये। अब खासा जलूस बन गया। 'बदे मातरम्', 'अल्लाही अकबर'की आवाजमे आसमान फटने लगा। पायघुनीपर मैंने घुडसवार देखे। ऊपरसे ईंटोंकी बर्षा होती थी। मैं लोगोंमे शांत होनेके लिए हाथ जोडकर प्रार्थना करता था। किंतु ऐसा जान पडा कि हम भी इस ईंटोंकी बर्षासे न बच सकेंगे।

अब्दुल रहमान गलीमेंसे क्रॉफर्ड मार्केटकी ओर जाते हुए जलूसको रोकनेके लिए घुडसवारोंकी टुकड़ी सामने आ खड़ी हुई। जलूसको फोर्टकी ओर जानेसे रोकनेके लिए वे महाप्रयत्न कर रहे थे। लोग समाते न थे। लोगोंने पुलिसकी लाइनको चीरकर आगे बढ़ना शुरू किया। हालत ऐसी न थी कि मेरी आवाज सुनाई पड़े। इनपर घुडसवारोंकी टुकड़ीके अफसरने भीड़को तितर-बितर करनेका हुक्म दिया और इन टुकड़ीने भाले तानकर एकदम घोड़े छोड़ दिये। मुझे भय था कि इनमेंसे कोई भाला हममेंसे भी किसीका काम तमाम कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं, किंतु इस भयके लिए कोई आधार नहीं था। बगलसे होकर मभी भाले रेलगाडीकी चालसे बटे चले जाते थे। लोगोंके झुंड टूट गये। भगदड़ मच गई। कई कुचल गये, कई घायल हुए। घुडसवारोंको निकलनेके लिए रास्ता न था। लोगोंके इधर-उधर हटनेको जगह न थी। वे अगर पीछे भी फिरना चाहें तो उधर भी हजारोंकी जबरदस्त भीड़ थी। सारा दृश्य भयकर लगा। घुडसवार और लोग दोनों ही उन्मत्त जैसे मालूम हुए। घुडसवार न तो कुछ देखते और न देख ही सकते थे। वे तो आँखे मूंदकर सरपट घोड़े दौड़ रहे थे। जितने क्षण हम हजारोंके झुंडको चीरनेमें लगे, उतनेतक तो मैंने देखा कि वे अघातुच हो रहे थे।

लोगोंको यों बिखेरकर आगे जानेसे रोक दिया। हमारी मोटरको आगे जाने दिया। मैंने कमिश्नरके दफ्तरके आगे मोटर रुकवाई और मैं उनके पास पुलिसके व्यवहारके लिए गिनायत करने उतरा।

३२

वह सप्ताह !—२

मैं कमिश्नर ट्रिफिय माह्वने दफ्तरमें गया। उनकी सीढ़ीके पास जाने ही मैंने देखा कि हयियाग्वद मॉन्जर तैयार बैठे थे, मानो किनी लडाईपर जानेके लिए ही तैयार ही रहे हों ! बरामदेमें भी हलचल मच रही थी। मैं गवर्नर मंजूर दफ्तरमें घुसा तो कमिश्नरके पास मि० वॉरिंगको बैठे हुए देखा।

कमिन्गरसे मैंने जो कुछ देखा था उसका वर्णन किया। उसने सक्षेपमे जवाब दिया—“जलूसको हम फोर्टकी और जाने देना नहीं चाहते थे। वहा जलूस जाता तो उपद्रव हुए बिना नहीं रह सकता था। और मैंने देखा कि लोग केवल कहनेसे ही लौट जानेवाले नहीं थे। इसलिए भीडमे घसे बिना और चारा ही नहीं था।”

मैंने कहा—“मगर उसका परिणाम तो आप जानते थे ? लोग घोडोंके नीचे जरूर ही कुचल गये हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि घुडसवारोंकी टुकडीको भेजनेकी जरूरत ही न थी।”

साहबने जवाब दिया—“इसका पता आपको नहीं चल सकता। हम पुलिसवालोंको आपसे कही अधिक इमका पता रहता है कि लोगोंके ऊपर आपकी सीखका कैसा असर पडा है। हम अगर पहलेसे ही कडी कार्रवाई न करे तो अधिक नुकसान होता है। मैं आपसे कहता हू कि लोग तो आपके भी प्रभावमे रहनेवाले नहीं हैं। कानूनके भगकी बात वे चट समझ लेते हैं, मगर शातिकी बात समझना उनकी शक्तके बाहर है। आपका हेतु अच्छा है, मगर लोग आपका हेतु नहीं समझते, वे तो अपने ही स्वभावके अनुसार काम करेंगे।”

मैंने कहा—“यही तो आपके और मेरे बीच मतभेद है। लोग स्वभावसे ही लडाके नहीं हैं। किंतु शातिप्रिय हैं।”

अब बहस होने लगी।

अतमं साहब बोले—“खैर अगर आपको यह विश्वास हो जाय कि लोगोंने आपकी शिक्षाको नहीं समझा, तो आप क्या करेंगे ?”

मैंने जवाब दिया—“अगर मुझे यह विश्वास हो जाय तो इस लडाईको मैं स्थगित कर दूंगा।”

“स्थगित करनेके क्या मानी ? आपने तो मि० वॉरिंगसे कहा है कि मैं छूटते ही तुरत पजाब लौटना चाहता हू।”

“हां, मेरा इरादा तो दूसरी ही ट्रेन से लौटनेका था, किंतु यह तो आज नहीं हो सकता।”

“आप धीरज रखेंगे तो आपको और अधिक बातें मालूम होगी। क्या आपको कुछ पता है कि अभी अहमदाबादमे क्या चल रहा है ? अमृतसरमे

क्या हुआ है ? लोग तो सभी जगह पागल-से हो गये हैं । मुझे भी अभी तो पूरी खबरें नहीं मिली हैं । कितनी ही जगह नार भी टूटे हैं । मैं तो आपसे कहता हूँ कि इस सारे उपद्रवकी जिम्मेदारी आपके निर है ।”

मैं बोला— “मेरी जिम्मेदारी जहाँ होगी, वहाँ उमे मैं अपने सिर ओढ़े बिना नहीं रहूँगा । अहमदाबादमें लोग अगर कुछ भी करें तो मुझे आश्चर्य और दुःख होगा । अमृतसरके वारेमें मैं कुछ नहीं जानता । वहाँ तो मैं कभी गया भी नहीं हूँ । वहाँ मुझे तो कोई जानकारी भी नहीं है, किन्तु मैं इतना जानता हूँ कि पंजाब सरकारने यदि मुझे वहाँ जानेमें रोकना न होता तो मैं शांति बनाये रखनेमें बहुत हाथ बटा सकता था । मुझे रोककर सरकारने लोगोको भडका दिया है ।”

इस तरह हमारी बातें चली । हमारे मतमें मेल मिलनेकी समावना नहीं थी ।

चौपाटीपर समा करने और लोगोको शांति पालन करनेके लिए समझानेका अपना इरादा जाहिर करके मैंने उनसे छुट्टी ली ।

चौपाटी पर समा हुई । मैंने लोगोको शांतिके वारेमें और सत्याग्रहकी मर्यादाके वारेमें समझाया और कहा— “सत्याग्रह सच्चेका खेल है । लोग अगर शांतिके पालन न करे तो मुझसे सत्याग्रहकी लड़ाई कभी पार न सनेगी ।”

अहमदाबादसे श्री अनसूयाबहनको भी खबर मिल चुकी थी कि वह हुल्लाह हो गया है । किसीने अफवाह उडा दी थी कि वह भी पकड़ी गई है । इससे मजदूर पागल-से दन गये । उन्होने हृदताल की और हुल्लाह भी किया । एक सिपाहीका खून भी हो गया था ।

मैं अहमदाबाद गया । नडियादके पास रेलकी पटरी उखाड डालनेका भी प्रयत्न हुआ था । वीरभगाममें एक सरकारी नौकरका खून हो गया था । जब मैं अहमदाबाद पहुँचा, तो उस समय वहाँ मार्शल-नों जारी था । लोग भयभीत हो रहे थे । लोगोने जैसा किया वैसा भरा और उसका व्याज भी पाया ।

कमिश्नर मि० प्रैटके पास मुझे ले जानेके लिए स्टेशनपर आदमी खडा था । मैं उनके पास गया । वह खूब गुस्सेमें ये । मैंने उन्हे शांतिसे उत्तर दिया । जो खून हुआ था, उसके लिए अपना खेद प्रकट किया । मार्शल-नोंकी अनावश्यकता भी बतलाई और जिसमें शांति फिरसे स्थापित हो वैसे उपाय, जो करने उचित

हो, करनेकी अपनी तैयारी बतलाई। मैंने सार्वजनिक सभा करनेकी इजाजत मांगी व सभा आश्रमके मैदानमें करनेकी अपनी इच्छा प्रकट की। यह बात उन्हें पसंद आई। मुझे याद है कि इसके अनुसार १३ मईको रविवारके दिन सभा हुई थी। मार्शल-नों भी उसी दिन या उसके दूसरे दिन रद्द हो गया था। इस सभामें मैंने लोगोंको उनकी गलतिया बतानेका प्रयत्न किया। मैंने प्रायश्चित्त के रूपमें तीन दिनका उपवास किया और लोगोंको एक दिनका उपवास करनेकी सलाह दी। जो खून वगैरामें शामिल हुए हो, उन्हें अपना गुनाह कबूल कर लेनेकी सलाह दी।

अपना धर्म मैंने स्पष्ट देखा। जिन मजदूरो वगैराके वंच मैंने इतना समय बिताया था, जिनकी मैंने सेवा की थी, और जिनसे मैं भलेकी ही आशा रखता था, उनका हुल्लडमें शामिल होना मुझे असह्य लगा और मैंने अपने आपको उनके दोषमें हिस्सेदार माना।

जिस तरह लोगोंको अपना गुनाह कबूल कर लेनेकी सलाह दी, उसी प्रकार सरकारको भी उनका गुनाह माफ करनेके लिए सुझाया। मेरी बात दोनोंमेंसे किसीने नहीं सुनी। न लोगोंने अपना गुनाह कबूल किया और न सरकार ने उन्हें माफ ही किया।

स्व० सर रमणभाई बगैरा, अहमदाबादके नागरिक, मेरे पास आये और सत्याग्रह मुत्तवी रखनेका मुझसे अनुरोध किया। मुझे तो इसकी जरूरत भी न रही थी। जबतक लोग शांतिका पाठ न सीख ले, तबतक सत्याग्रहकी मुत्तवी रखनेका निश्चय मैंने कर ही लिया था। इससे वे प्रसन्न हुए।

कितने ही मित्र नाराज भी हुए। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि अगर मैं सर्वत्र शांतिकी आशा रखू और यही सत्याग्रहकी शर्त हो, तो फिर वडे पैमानेपर सत्याग्रह कभी चल ही न सकेगा। मैंने इससे अपना मतभेद प्रकट किया। जिन लोगोंमें हमने काम किया हो, जिनके द्वारा सत्याग्रह चलानेकी हमने आशा रखी हो, वे अगर शांतिका पालन न करें तो सत्याग्रह जरूर ही नहीं चल सकता। मेरी दलील यह थी कि इतनी मर्यादित शांतिका पालन करनेकी जक्ति सत्याग्रही नेताओंको पैदा करनी चाहिए। इन विचारोंको मैं आज भी नहीं बदल सका हू।

३३

‘हिमालय-जैसी भूल’

अहमदाबादकी सभाके बाद मैं तुरत नडियाद गया। ‘हिमालय-जैसी भूल’के नामसे जो गन्ध-प्रयोग प्रचलित हो गया है, उसका प्रयोग मैंने पहले-पहल नडियादमें किया था। अहमदाबादमें ही मुझे अपनी भूल जान पड़ने लगी थी, किंतु नडियादमें वहाकी म्यिनिका विचार करते हुए खेडा जिलेके बहुतसे आदमियोंके गिरस्तार होनेकी बात सुनते हुए, जिन मभामें मैं इन घटनाओं-पर भाषण कर रहा था, वही-नर मुझे एकाएक ख्याल हुआ कि खेडा जिलेके तथा ऐसे ही दूसरे लोगोंको सविनय भग करनेके लिए निमंत्रण देनेमें मैंने उतावलों करनेकी भूल की थी, और वह भूल मुझे हिमालय-जैसी बड़ी जान पड़ी।

मैंने इसे कबूल किया, इसलिए मेरी खूब ही हर्षा हुई। तो भी मुझे यह कबूल करनेके लिए पञ्चात्ताप नहीं हुआ है। मैंने यह हमेशा माना है कि जब हम दूसरेके गज-बराबर दोषको रज-ममान देखें और अपने राई-जैसे जान उड़नेवाले दोषको पर्वत जैसा देखना सीखेंगे तभी हम अपने और दूसरेके दोषोंका ठीक-ठीक हिसाब लगा सकेंगे। मैंने यह भी माना है कि सत्याग्रही बननेके इच्छुक-को तो इस सामान्य नियमका पालन बहुत ही सूक्ष्मतासे करना चाहिए।

अब हम यह देखें कि वह हिमालय-जैसी दिखाई पड़नेवाली भूल थी क्या? कानूनका सविनय भग उन्ही लोगोंमें हो सकता है, जिन्होंने कानूनको विनय-पूर्वक स्वेच्छासे मान लिया हो—उसका पालन किया हो। बहुतायतमें हम कानूनके भगमें होनेवाली सजाके डरसे उसका पालन करते हैं। इसके अलावा यह बात विशेषकर उन कानूनोपर लागू पडती है, जिनमें नीति-अनीतिका सवाल नहीं होता। कानून हो, या न हो, सज्जन माने जानेवाले लोग एकाएक चोरी नहीं करेंगे, मगर तो भी रातको बाइसिकलकी बत्ती जलानेके नियममेंसे छटक जानेमें भले आदमीको भी क्षोभ नहीं होगा। और ऐसे नियम पालनेकी कोई सलाह भी दे, तो भले लोग भी उसका पालन करनेको क्षत तैयार नहीं होंगे। किंतु जब कि यह कानून इन जाना है, उसका भग करनेसे जुमानिका भय रहता है,

तब जुमना देनेसे बचनेके लिए ही रातको वह बत्ती जलावेगा । नियमके ऐसे पालनको स्वेच्छासे किया गया पालन नहीं कह सकते ।

किंतु सत्याग्रही तो समाजके कानूनको पालन समझ-बूझकर, स्वेच्छामे और धर्म समझकर करेगा । इस प्रकार जिसने समाजके नियमको जान-बूझ कर पालन किया है, उसीमें समाजके नियम, नीति-अनीतिका भेद समझनेकी शक्ति आती है, और उसे मर्यादित अवस्थामें खास-खास नियमोंके भंग करनेका अधिकार प्राप्त होता है । ऐसा अधिकार प्राप्त करनेसे पहले ही सविनय भगके लिए न्याता देनेकी भूल मुझको हिमालय जैसी लगी और खेटा जिलेमें प्रवेश करते ही मुझे वहाकी लॉर्ड याद हो आई । मैंने समझ लिया कि मैं रास्ता चूक गया । मुझे ऐसा लगा कि इसके पहले कि लोग सविनय भग करनेके लायक बनें, उन्हें उसका रहस्य खूब समझ लेना चाहिए । जो रोज ही अपने मनसे कानूनको तोड़ते हों, जो छिपाकर अनेको वार कानूनका भंग करते हों, वे भला एकाएक कैसे सविनयभगको पहचान सकते हैं ? उसकी मर्यादाका पालन कैसे कर सकते हैं ?

यह बात सहज ही समझमें आ सकती है कि इस आदर्शतक हजारों-लाखों आदमी नहीं पहुँच सकते, किंतु बात अगर ऐसी हो तो सविनय भग करानेके पहले ऐसे शूद्ध-स्वयसेवकोंका दल पैदा होना चाहिए जो लोगोंको इसका ज्ञान करावें और प्रतिक्षण उन्हें रास्ता बतलाते रहे और ऐसे दलको सविनयभग और उसकी मर्यादाकी पूरी-पूरी समझ होनी चाहिए ।

ऐसे विचारोंको लेकर मैं बढई पहुँचा और सत्याग्रह-सभाके द्वारा मैंने सत्याग्रही स्वयसेवकोंका एक दल खड़ा किया । उनके जरिये लोगोंको सविनय-भगकी तालीम देना शुरु की और सत्याग्रहका रहस्य बतलानेवाली पत्रिकाये निकाली ।

यह काम चला तो सही, मगर मैंने देखा कि इसमें मैं लोगोंकी बहुत दिलचस्पी नहीं पैदा कर सका । कभी काफी स्वयसेवक न हुए । यह नहीं कहा जा सकता कि जो भरती हुए उन सभीने नियमित तालीम भी पूरी कर ली हो । भरतीमें नाम लिखानेवाले भी, जैसे-जैसे दिन जाने लगे, दृढ़ होनेके बदले खिसकने लगे । मैंने समझ लिया कि सविनयभगकी गाडीके जिस चालसे चलनेकी मैं आशा रखता था, वह उससे कहीं धीमी चलेगी ।

३४

‘नवजीवन’ और ‘यंग इंडिया’

एक ओर यह धीमी किन्तु गानि-रक्षक हलचल चल रही थी तो उधर दूसरी ओर नरकारकी दमन-नीति बड़े वेगने चल रही थी। पञ्जाबमें उसका अनर प्रत्यक्ष देखा गया। वहा फौजी-कानून यानी जो-हुकमी धुरु-हुई। नेताओंको पकडा। खान अदालतें अदाननें न रही, किन्तु एक नूवाका हुकम बजानेवाली नन्या बन गई। उन्होने विला मन्नत ही मजायें ठोक दी। फौजी मिपाहियोंने निर्दोष लोगों को कीडोकी तरह पेटके बल रेंगाया। इनके आगे तो मेरे सामने जनियावाला वागके कल्लेआमकी कोई विभाल ही न थी। हानाकि जनताका तथा हुनियाका ध्यान उस कल्लने ही खीचा था।

पञ्जाबमें चाहे जिन तरह हो, मगर प्रवेश करनेका दबाव मुझपर डाला गया। मैंने वाडमरायको पत्र लिखे, तार किये, किन्तु इजाजत न मिली। इजाजत-के बिना चला जाऊ तो अदर तो जा ही नहीं सकता था। हा, सविनय-भग करनेका सतोष अलबत्ता मिल जाता। अब यह प्रश्न मेरे सामने आ खडा हुआ कि इस बर्म-सकटमें मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगा कि अगर मैं मनाही हुकमका अनादर करके प्रवेश करू तो यह सविनय अनादर नहीं समझा जायगा। शातिकी जिन प्रतीतिकी मैं इच्छा करता था, वह मुझे अबतक नहीं हो रही थी। पञ्जाबकी नादिरमाहीनें लोगोंकी अनातिवृत्तिको बटा दिया था। मुझे ऐसा लगा कि ऐसे नमयमें मेरा कानून-भग आगमें धी डालनेके नमान होगा। और मैंने सहसा पंजाबमें प्रवेश करनेकी नूचना नहीं मानी। यह निर्णय मेरे लिए एक कडुई घूट थी। रोज पञ्जाबमें अन्यायकी खबरें आतीं और रोज मुझे उन्हे चुनना, और दांत पीसकर बैठ रहना पडता था।

इतनेमें प्रजाको सोना छोडकर सरकार मि० हार्निमैनको चुरा ले गई। मि० हार्निमैननें ‘वर्बई आनिकल को एक प्रचड-आक्ति बना दिया था। इन चोरीमें जो गदगो थीं उनकी वदवू मुझे अबतक आया करनी है। मैं जानता हूं कि मि० हार्निमैन अघाघुची नहीं चाहते थे। मैंने सत्याग्रह कमिटी की सलाहके बिना ही

पंजाब-सरकारके हकूमको तोडा था सो उन्हें पसंद नहीं था। मैंने सविनय-भंगको जो मुस्तवी किया, उससे वह पूरे सहमत थे। मेरे सत्याग्रह मुस्तवी रखनेका इरादा प्रकट करनेके पहले ही पत्र-द्वारा उन्होंने मुझे मुस्तवी रखनेकी सलाह दी थी और वह पत्र बर्बई और अहमदाबादके फासलेके कारण, मेरा इरादा जाहिर कर चुकनेके बाद, मुझे मिला था। इसलिए उनके देश-निकालेपर मुझे जितना भास्वर्य हुआ, उतना ही दुःख भी हुआ।

इस घटनाके कारण 'क्रानिकल'के व्यवस्थापकोने उसे चलानेका बोझा मुझपर डाला। मि० बरेलवी तो थे ही, इसलिए मुझे बहुत-कुछ करनेकी जरूरत नहीं थी, किंतु तो भी मेरे स्वभावानुसार यह जिम्मेदारी मेरे लिए बहुत ही गई थी।

किंतु मुझे यह जिम्मेदारी बहुत दिन नहीं उठानी पड़ी। सरकारकी मिह्रजानीसे 'क्रानिकल' बंद हो गया।

जो 'क्रानिकल'के संचालक थे वे ही 'यंग इंडिया'की व्यवस्थाकी भी देखभाल करते थे—यानी उमर सुवानी और अकरलाल वैकर। इन दोनों आग्रियोंने 'यंग इंडिया'की जिम्मेदारी लेनेका सुझाव किया और 'यंग इंडिया' तथा 'क्रानिकल'की घटी थोड़ी कम करनेके लिए हफ्तेमें एक बारके बदले दो बार प्रकाशित करना उन्हें और मुझे ठीक लगा। मुझे सत्याग्रहका रहस्य लोगोंको समझानेका उत्साह था। पंजाबके बारेमें मैं और कुछ नहीं तो उचित टीका जरूर कर सकता था और यह सरकारको भी पता था कि उसके पीछे सत्याग्रहकी शक्ति मौजूद है। इसलिए मैंने इन मित्रोंका सुझाव मजूर कर लिया। किंतु अंग्रेजीके जरिये भला सत्याग्रहकी तालीम कैसे दी जा सकती है? मेरे कार्यका मुख्य क्षेत्र गुजरात था। भाई इंदुलाल याज्ञिक उस समय इसी टोलीमें थे। उनके हाथमें मासिक 'नवजीवन' था। उसका खर्च भी यहीं मित्र उठाते थे। यह पत्र भाई इंदुलाल और उन मित्रोंने मुझे सौंप दिया और भाई इंदुलालने उममें काम करनेका भार भी अपने सिर लिया। इस मासिक को साप्ताहिक बनाया।

इस बीच 'क्रानिकल' पुनर्जीवित हुआ। इसलिए 'यंग इंडिया' फिर साप्ताहिक हो गया और मेरे सुझावपर उसे अहमदाबाद ले गये। दो अखबार अलग-अलग शहरोंमें चलें तो खर्च अधिक होता और मेरी असुविधा अधिक बढती। 'नवजीवन' तो अहमदाबादसे ही निकलता था। यह अनुभव तो मुझे 'इंडियन

ओपीनियन'में ही होगया था कि ऐसे अवधारोंके लिए निजका छापाखाना जरूर चाहिए। फिर उस समय अखबारोंके नवधर्म बान्-कायदे भी ऐसे थे कि मैं जो विचार करना चाह उन्हें व्यापारकी दृष्टिमें चलनेवाले छापाखाने छापते हुए संकुचाने थे। मन्वत्र छापाखाना खोलनेका यह भी एक प्रबल कारण था। और हालत यह थी कि यह अहमदाबादमें ही आनानीमें हो नक्ता था। इसलिए 'यंग इंडिया'को अहमदाबाद ले गये।

इन अखबारोंके द्वारा मैंने मत्याारहकी तालीम लोगोंको यथाशक्ति देना शुरू की। दोनों अखबारोंकी खपत पहले बहुत कम थी, घटते-घटते ४०,००० के आसपास जा पहुँची थी। 'नवजीवन'की विक्री एकदम बड़ी, जबकि 'यंग-इंडिया'की धीरे-धीरे। मेरे जैन ज्ञानके बाद उनकी विक्रीमें घटी आई और आज दोनोंकी विक्री आठ हजारमें नीचे चली गई है।

इन अखबारोंमें विज्ञापन न छापनेका मेरा आग्रह शुरूमें ही था। मेरी धारणा है कि इसमें कुछ भी हानि नहीं हुई है और अखबारोंकी विचार-स्वतंत्रता बनाये रखनेमें इन प्रयत्नों बहुत मदद की है।

इन अखबारोंके द्वारा मैं मनमें शांति प्राप्त कर गया। क्योंकि यद्यपि मैं सुरत सविनय-भंग न कर सका, मगर तो भी अपने विचार आजादीके नाथ जनताके सामने रख सका। जो मेरा मुह जोह रहे थे उन्हें आश्वासन दे सका और मुझे लगता है कि दोनों पत्रोंने उस कठिन प्रसंगपर जनताकी ठीक-ठीक सेवा की और फौज कानूनके जुल्मको हलका करनेमें अच्छा काम किया।

३५

पंजाबमें

पंजाबमें जो कुछ हुआ, उसके लिए सर माइकेल ओड्वायरने मुझे गुनह-गार ठहराया था। इधर वहाके कई नौजवान फौजी कानूनके लिए भी मुझे गुनहगार ठहरानेमें हिचकने न थे। क्रोधके आवेशमें वे यह दलील देते थे कि यदि मैंने सविनय कानून-भंग मुत्तवी न किया होता तो जलियावाला बागमें कभी

यह कत्ल न हुआ होता और न फौजी कानून ही जारी हो पाता । कुछ लोगोंने तो घमकिया भी दी कि यदि अब आपने पंजाबमें पैर रक्खा तो आपका खून कर डाला जायगा ।

पर मैं तो मान रहा था कि मैंने जो-कुछ किया है वह इतना उचित और ठीक था कि उसमें समझदार आदमियोंको गलतफहमी होनेकी सभावना ही न थी । मैं पंजाब जानेके लिए अधीर हो रहा था । इससे पहले मैंने पंजाब देखा नहीं था, पर अपनी आंखों जो-कुछ देख सकू, देखनेकी तीव्र इच्छा थी और मुझे बुलानेवाले डा० सत्यपाल, किचलू, रामभजदत्त चौधरी आदिसे मिलनेकी अभिलाषा भी हो रही थी । वे थे तो जेलमें, पर मुझे पूरा विश्वास था कि उन्हें सरकार अधिक दिनों तक जेलमें नहीं रख सकेगी । जब-जब मैं बचई जाता, तब-तब कितने ही पंजाबी भाई मिलने आ जाते थे । उन्हें मैं प्रोत्साहन देता और वे प्रसन्न होकर उसे ले जाते । उस समय मेरा आत्म-विश्वास बहुत था ।

पर मेरे पंजाब जानेका दिन दूर-ही-दूर होता जाता था । बाइसराय श्री यह कहकर उसे दूर ढकेलते जाते थे कि अभी समय नहीं है ।

इसी बीच हटर-कमिटी आई । वह फौजी कानूनके दौरेमें पंजाबके प्रधिकारियों द्वारा किये कृत्योंकी जांच करनेके लिए नियुक्त हुई थी । दीनबन्धु ईंद्रूज वहा पहुंच गये थे । उनकी विद्विग्योमें बहाका हृदयद्रावक वर्णन होता था । उनके पत्रोंसे यह ध्वनि निकलती थी कि अखबारोंमें जो कुछ बातें प्रकाशित हो चुकी हैं उनसे भी अधिक जुल्म फौजी कानूनका था । वह भी पंजाब आनेका आग्रह कर रहे थे । दूसरी ओर मालवीयजीके भी तार आ रहे थे कि आपको पंजाब अवश्य पहुंच जाना चाहिए । तब मैंने फिर बाइसरायको तार दिया । उनका जवाब आया कि फला तारीखको आप जा सकते हैं । अब तारीख ठीक-ठीक पाद नहीं पड़ती, पर बहुत करके वह १७ अक्टूबर थी ।

लाहौर पहुंचनेपर मैंने जो दृश्य देखा वह कभी मुलाया नहीं जा सकता । स्टेशनपर मुझे लिबानेके लिए ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई थी, मानो किसी बहुत दिनोंके विच्छेद प्रिय-जनसे मिलनेके लिए उसके सगे-सवधी आये हों । लोग हर्षसे पागल हो रहे थे । पंडित रामभजदत्त चौधरीके यहा मैं ठहराया गया था । श्रीमती सरलादेवी चौधरानी से मेरा पहलेका परिचय था । मेरे आतिथ्यका भार उनपर

आ पडा था । 'आनिध्यका भार' शब्दका प्रयोग मैं जान-बूझ कर कर रहा हूँ; क्योंकि आजकी तरह तब भी मैं जहा टहरता, वह घर एक घर्मगाला ही हो जाता था ।

पञाबमें मैंने देखा कि वहाके पञाबी नेताओंके जेलमें होनेके कारण पटिन मालवीयजी, पडिन मोतीलालजी और स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानंदजीने मुख्य नेतृओंका स्थान ग्रहण कर लिया था । मालवीयजी और श्रद्धानंदजीके संपर्कमें तो मैं अच्छी तरह आ चुका था, पर पडित मोतीलालजीके निकट संपर्कमें तो मैं लाहौरमें ही आया । इन तथा दूसरे स्थानिक नेताओंने, जिन्हें जेलमें जानेका गौरव प्राप्त नहीं हुआ था, तुरत मुझ अपना बना लिया । कहीं मुझे यह न मालूम हुआ कि मैं कोई अजनबी हूँ ।

हम सब लोगोंने एकमत होकर हटर-कमिटीके सामने गवाही न देनेका निश्चय किया । इनके कारण उनी समय प्रकट कर दिये थे । अतएव यहाँ इनका उल्लेख छोड देना हूँ । वे कारण सीधे थे और आज भी मेरा यही मत है कि कमिटीका हमने जो वहिष्कार किया वह उचित ही था ।

पर यदि हटर-कमिटीका वहिष्कार किया जाय तो फिर लोगोंकी तरफने अर्थान् कांग्रेसकी ओरने कोई जाच-कमिटी नियुक्त होनी चाहिए, इस निश्चयपर हम योग पहुँचे । पटिन मोतीलाल नेहरू, स्व० चित्तरजन दास, श्री अब्बास तैयबजी श्री जयकर और मैं इनको पडित मालवीयजीने उत्सका सदस्य बनाया । हम जाचके लिए अलग-अलग स्थानोंमें बट गये । इस कमिटीकी व्यवस्थाका बोझ महज ही मुझपर आ पडा था और मेरे हिस्सेमें अचिक-मे-अचिक गांबोकी जाचका काम राजानेके कारण मुझे पञाबको और पञाबके देहातको देखनेका अलभ्य लाभ मिला ।

उन जाचने दिनोंमें पञाबकी स्थिया तो मुझे ऐसी मालूम हुई, मानो मैं उन्हें युगंभि पहचानना होऊँ । मैं जहा जाना बहा मुड-की-मुड स्थिया आ-जाती और अपने उने मूनका टेरे मेरे मामने कर देती । इस जाचके साथ ही मैं अना-पान इस बातको भी देख सका कि पञाब स्यादीना एक महान् क्षेत्र हो सकता है ।

जो-ज्यों मैं भांगोपर दृग जुम्बोंकी जाच अधिकाधिक गहराईसे करने लगा त्यों-त्यों मेरे अनुमानने परे सरकारी अराजकता, हाकिमोंकी नादिरगही

श्रीर उनकी मनमानी अंधाबुधीकी बातें सुन-सुनकर आश्चर्य और ड्रुल हुआ करता । वह पजाब कि जहासे सरकारको ज्यादा-से-ज्यादा सैनिक मिलते हैं, वहा लोग क्यों इतना बडा जुल्म सहन कर सके । इस बातसे मुझे बडा विस्मय हुआ और आज भी होता है ।

इस कमिटीकी रिपोर्ट तैयार करनेका काम मेरे सुपुर्द किया गया था । जो यह जानना चाहते हैं कि पजाबमें कौने-कौसे अत्याचार हुए, उन्हें यह रिपोर्ट अवश्य पढनी चाहिए । इस रिपोर्टके बारेमें मैं तो इतना ही कह सकता हू कि इसमें जान-भूझकर कहीं भी अत्युक्तिसे काम नहीं लिया गया है । जितनी बातें लिखी गई हैं, सबके लिए रिपोर्टमें प्रमाण मौजूद हैं । रिपोर्टमें जो प्रमाण पेश किये गये हैं उनसे बहुत अधिक प्रमाण कमिटीके पास थे । ऐसी एक भी बात रिपोर्टमें दर्ज नहीं की है, जिसके बारेमें थोडा भी शक था । इस प्रकार विलकुल सत्यको ही सामने रखकर लिखी गई रिपोर्टमें पाठक देख सकेगे कि ब्रिटिश राज्य अपनी सत्ता कायम रखनेके लिए किस हदतक जा सकता है और कैसे अमानुषिक कार्य कर सकता है । जहातक मुझे पता है इस रिपोर्टकी एक भी बात आजतक असत्य नहीं माथित हुई है ।

३६

खिलाफतके बदलेमें गोरक्षा ?

पजाबके हत्याकांडको फिलहाल हम यही छोड दे । कांग्रेसकी ओरसे पजाबकी डायरग्राहीकी जाच हो रही थी कि इतनेमें ही एक सार्वजनिक निमंत्रण मेरे हाथमें आ पहुचा । उसमें स्वर्गीय हकीम साहब और भाई आसफअलीके नाम थे । यह भी लिखा था कि अद्वानदजी भी सभामे आनेवाले है । मुझे तो खयाल पडता है कि वह उपसभापति थे । देहलीमें खिलाफतके तथा सधि-उत्सवमें भाग लेने न लेनेके सवधमें विचार करनेके लिए हिंदू-मुसलमानोकी सयुक्तसभा होनेवाली थी और उसमें आनेके लिए यह निमंत्रण मिला था । मुझ याद आता है कि यह सभा नवबरमें हुई थी ।

जन्ममें मंगल । जन्म-दिन मंगल ही । दिन भी शुभ शुभ ही
या कि तारा, तो संज्ञा रक्षण-काली कला ही । इन जन्ममें प्रसन्नता
कामिल है । जो कि माय इन विचारों से जागृत है मंगल । जन्म ही
दलील परम दाई ही उदात्त । जो कि माय ही प्रसन्न है । जन्म
जातनां मात्र भी मन्त्रण विद्या था । प्रसन्नता परम ही धर्म प्रसन्न
विचारों जन्म मुच-दोनों प्रसन्नता प्रसन्नता नाम धर्म । प्रसन्नता
प्रसन्नता प्रसन्नता, इनमें प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता
मानोना माय देना चाहिए, प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता
प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता
मदद देने के लिए, इनमें प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता
प्रसन्नता प्रसन्नता, फिर एक ही भूमि प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता
आदर करने के लिए यदि वे प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता
वात होगी । यह उनका कर्म है, पर यह प्रसन्नता प्रसन्नता । यदि प्रसन्नता प्रसन्नता
उनका कर्म है और जन्म में प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता
मदद करें या न करें, पर मुच-मानोनी प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता
प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता
तो तिकं खिलाफतके विषयपर ही विचार प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता
था । समाको वह पदम आई । प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता
परतु मी० प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता
या न करें, हम चूकि एक ही मुच-के है, मुच-मानोनी प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता
प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता

मान सचमुच ही गो-वध बंद कर देंगे ।

कई लोगोंने तो यह भी सुझाया कि पजाबके सवालको भी खिलाफतके साथ मिला देना चाहिए । मैंने इसका विरोध किया । मेरी दलील यह थी— पजाबका मसला स्थानिक है, पजाब कष्टोंके कारण हम सरकारके सचि-उत्सव-से अलग नहीं रह सकते । इसलिए पजाबके मामलेको खिलाफतके साथ जोड़ देनेसे हम नादानोंके इल्जामके पात्र बन जायगें । मेरी यह राय सबको पसंद आई ।

इस सभामें मौलाना हसरत मोहानी भी थे । उनसे जान-पहचान तो ही गई थी । पर वह कैसे लडवैया है, इस बातका अनुभव मैंने यही किया । मेरे उनके दरमियान यहीसे मत-भेद शुरू हुआ और वह अनेक बातोंमें अतत्क कायम रहा ।

अनेक प्रस्तावोंमें एक यह भी था कि हिंदू-मुसलमान सब स्वदेशी-व्रतका पालन करें और उसके लिए विदेशी कपड़ेका बहिष्कार किया जाय । खादीका पुनर्जन्म अभी नहीं हो सका था । हसरत साहबको यह प्रस्ताव मजूर नहीं हो सकता था । वह तो चाहते थे कि यदि अंग्रेजी सल्तनत खिलाफतके बारेमें इसाफ न करे तो उसका मजा उसे चखाया जाय, अतएव उन्होंने तमाम ब्रिटिश मालका यथासभव बहिष्कार सुझाया । मैंने समस्त ब्रिटिश मालके बहिष्कारकी अशक्यता और अनौचित्यके सबघमें अपनी दलीलें पेश की, जो कि अब तो प्रसिद्ध हो चुकी हैं । अपनी अहिंसा-वृत्तिका प्रतिपादन मैंने किया । मैंने देखा कि सभापर मेरी बातोंका गहरा असर हुआ । हसरत मोहानीकी दलीलें सुनते हुए लोग इतना हर्षनाद करते थे कि मुझे प्रतीत हुआ कि यहाँ मेरी तूतीकी आवाज कौन सुनेगा ? पर यह समझकर कि मुझे अपने धर्मसे न चूकना चाहिए, अपनी बात छिपा न रखनी चाहिए, मैं बोलनेके लिए उठा । लोगोंने मेरे भाषणको खूब ध्यानसे सुना । सभा-मंचपर तो मेरा पूरा-पूरा समर्थन किया गया और मेरे समर्थनमें एकके बाद एक भाषण होने लगे । अंग्रेजी लोग जान गये कि ब्रिटिश मालके बहिष्कारके प्रस्तावसे मतलब तो कुछ भी नहीं सवेगा, उलटे हसीं होकर रह जायगी । सारी सभामें बायद ही कोई ऐसा आदमी दिखाई पड़ता था, जिसके वदनपर कोई-न-कोई ब्रिटिश वस्तु न थी । सभामें उपस्थित रहनेवाले लोग भी जिस बातको करनेमें असमर्थ थे उसका प्रस्ताव करनेसे लाभके

बदले हानि ही होगी— इस वानको बहुतेरे भोग समझ गये ।

‘हमें तो आपके विदेशी बस्त्रके बहिष्कारसे मतोप हो ही नहीं सकता । किस दिन हम अपने लिए सारा कपड़ा ग्रहा बना सकेंगे, और कब विदेशी बस्त्रका बहिष्कार होगा ? हम तो कोई ऐसी चीज चाहते हैं, जिससे ब्रिटिश लोगोपर तुरत असर हो । आपके बहिष्कारसे हमारा झगडा नहीं, पर हमें तो कोई ठेक और तुरत असर करनेवाली चीज बताइए ।’ इस आग्रहका भाषण मौलाना ने किया । इस भाषणको मैं सुन रहा था । मेरे मनमें विचार उठा कि विदेशी बस्त्रके बहिष्कारके साथ ही कोई और नवीन बात पेज करना चाहिए । उस समय मुझे यह तो स्पष्ट मालूम होता था कि विदेशी बस्त्रका बहिष्कार तुरत नहीं हो सकता । सोलहो आना खादी उत्पन्न करनेकी शक्ति यदि हम चाहें तो हमारे अदर है, यह बात जो मैं आगे चल कर देख पाया तो उस समय न देख पाया था । अकेली मिले बक्तपर दगा देगी, यह मैं तब भी जानता था । जिस समय मौलाना साहबने अपना भाषण पूरा किया, उस समय मैं जबाब देनेके लिए तैयार हो रहा था ।

मुझे उस नई चीजके लिए जड़-हिंदी शब्द न सूझा । मुसलमानोंकी ऐसी खास समामें युक्ति-युक्त भाषण करनेका यह मुझे पहला ही अनुभव था । कलकत्तेमें मुस्लिम-लीगकी समामे मैं कुछ बोला था, पर वह तो कुछ ही मिनटके लिए और सो भी बहा हृदयस्पर्शी भाषण करना था । यहा तो मुझे ऐसे समाजकी समजाना था, जो मुझमें विपरीत मत रखता था, पर अब मेरी क्षेप मिट गई थी । देहलीके मुसलमानोंके सामने सकील जड़में लच्छेदार भाषण नहीं करना था बल्कि अपना मत टूटी-फूटी हिंदीमें समझाना था । यह काम मैं अच्छी तरह कर सका । हिंदी-जड़ ही राष्ट्रभाषा हो सकती है, इसका यह सभा प्रत्यक्ष प्रमाण थी । यदि मैंने अंग्रेजीमें बक्तृता की होती तो मेरी गाढी भाषे नही चल सकती थी । और मौलाना साहबने जो पुकार की उसका समय न आया होता और यदि आता तो मुझे उसका उत्तर न मिलता ।

उर्दू अथवा गुजराती शब्द न सूझ पडा, इससे मुझे शर्म मालूम हुई, पर उत्तर तो दिया ही । मुझे ‘नॉन-कोऑपरेशन’ शब्द हाथ लगा । जब मौलाना साहब भाषण कर रहे थे तब मेरे मनमें यह भाव उठ रहा था कि हम खुद का

वातोंमें जिस सरकारका साथ दे रहे हैं उसीके विरोधकी जो ये सब बातें करते हैं, सो व्यर्थ है। तलवारके द्वारा प्रतिकार नहीं करना है, तो फिर उसका साथ न देना ही उसका प्रतिकार करना है, यह मुझे सूझा और मेरे मुखसे पहली बार 'नॉन-कोऑपरेशन' शब्दका उच्चार उस सभामें हुआ। अपने भाषणमें मैंने उसके समर्थनमें अपनी दलीलें पेश की। इस समय मुझे इस बातका खयाल न था कि इस शब्दमें क्या भाव या जाते हैं। इस कारण मैं उनकी तफसीलमें नहीं गया। मुझे इतना ही कहा याद पड़ता है—

“मुसलमान भाइयोंने एक और भी मार्केका फैसला किया है। खुदा न खास्ता अगर चुलहकी शर्तों उसके खिलाफ गईं तो सरकारकी सहायता करना बंद कर देंगे। मैं समझता हूँ, लोगोका यह हक है। सरकारी खिलाफतको रखने या सरकारी नौकरी करनेके लिए हम बधे हुए नहीं हैं। जबकि खिलाफतके जैसे भजहवी मामलेमें हमें नुकसान पहुंचता हो तो हम उसकी मदद कैसे करेंगे? इसलिए अगर खिलाफतका फैसला हमारे खिलाफ जाय तो सरकारको मदद न देनेका हमें हक है।”

पर उसके बाद तो कई महीनेतक इस बातका प्रचार नहीं हुआ। महीनो-तक यह शब्द इस सभामें ही छिपा पड़ा रहा। एक महीनेके बाद जब अमृतसरमें कांग्रेस हुई तब मैंने उसमें असहयोग सवधी प्रस्तावका समर्थन किया था। क्योंकि उस समय मैंने यही आशा रखी थी कि हिंदू-मुसलमानोको असहयोगका अवसर नहीं आयेगा।

३७

अमृतसर-कांग्रेस

फौजी कानूनके अनुसार सैकड़ों निर्दोष पञ्जाबियोंको नाममात्रकी अदालतों-ने नाममात्रके लिए सबूत लेकर कम या अधिक मियादके लिए जेलखानोंमें ठस दिया था, परंतु पञ्जाब सरकार उन्हें जेलमें रख न सकी, क्योंकि इस घोर अन्यायके खिलाफ देशमें चारों ओर इतनी बुलंद आवाज उठी कि सरकार इन कैदियोंको अधिक

समयतक जेल में नहीं रह सकती थी। अतः कांग्रेसके अधिवेशनके पहले ही बहुतेरे कैदी छूट गये थे। लाला हरकिशनलाल इत्यादि सब नेता रिहा कर दिये गये थे और कांग्रेसका अधिवेशन ही हीं रहा था कि अली-भाई भी छूटकर आ पहुँचे। इससे लोगोंके हर्षकी सीमा न रही। पंडित मोतीलाल नेहरू जो अपनी बकालत बंद करके पंजाबमें डेरा डाले बैठे थे, कांग्रेसके अध्यक्ष थे। स्वामी श्रद्धानंदजी स्वागत-समितिके सभापति थे।

अवतक कांग्रेसमें मेरा काम इतना ही रहता था—हिंदीमें एक छोटा-सा भाषण करके हिंदीकी बकालत करना और प्रवासी भारतवासियोंका पक्ष उपस्थित कर देना। अमृतसरमें मुझे यह पता न था कि इससे अधिक कुछ करना पड़ेगा, परंतु अपने विषयमें मुझे जैसा पहले अनुभव हुआ है उसीके अनुसार महा भी एकाएक मुझपर एक जिम्मेदारी आ पड़ी।

सम्राट्की नवीन सुधारोंके सबबमें घोषणा प्रकाशित हो चुकी थी। वह मेरे नजदीक पूर्ण सतोपजनक नहीं थी। औरोंको तो विलकुल ही पसंद नहीं आई। सुधारोंमें भी खामी थी, परंतु उस समय मेरा यही खयाल हुआ कि हम उनको स्वीकार कर सकते हैं। सम्राट्के घोषणापत्रमें मुझे लार्ड सिंघका हाथ दिखाई दिया था। उसकी भावना, उस समय, मेरी आँखे धाँधाकी किरणें देख रही थी, हालांकि अनुभव लोकोमान्य, चित्तरजन दास इत्यादि योद्धा सिर हिला रहे थे। भारत-भूषण मालवीयजी मध्यस्थ थे।

मेरा डेरा उन्होंने अपने ही कमरे में रक्खा था। उनकी सादगीकी कालक मुझे काशीमें विध्व-विद्यालयके शिलारोपणके समय हुई थी, परंतु इस समय तो उन्होंने मुझे अपने ही कमरेमें स्थान दिया था। इसलिए मैं उनकी सारी दिनचर्या देख सका और मुझे आनंदके साथ आश्चर्य हुआ था। उनका कमरा मानो गरीबकी धर्मशाला थी। उसमें कहीं भी रास्ता नहीं छूटा था, जहाँ-तहाँ लोग डेरा डाले हुए थे। न उसमें एकांत की गुंजाइश थी, न फैलाव की। जो चाहता वहाँ आ जाता और उनका अनमाना समय ले जाता। इस दरबके एक कोनेमें मेरा दरबार अर्थात् खटिया लगी हुई थी।

पर यह अध्याय मुझे मालवीयजीके रहन-सहनके वर्णनमें स्वर्ण नहीं करता है। इसलिए अपने विषयपर आ जाता हूँ।

इस स्थितिमें मालवीयजीके साथ रोज सवाद हुआ करता था और वह मुझे सब पक्षोंकी बातें उसी तरह प्रेमपूर्वक समझाते, जैसा कि बड़ा भाई छोटेको समझाता है। मुझे यह जान पड़ा कि सुधार-सबधी प्रस्तावमें मुझे भाग लेना चाहिए। पंजाब हत्याकाण्ड सबधी कांग्रेसकी रिपोर्टकी जिम्मेदारीमें मेरा हाथ था ही। पंजाबके सबधमें सरकारसे काम भी लेना था। खिलाफतका मामला था ही। यह भी मेरी धारणा थी कि माटेगू हिंदुस्तानके साथ दगा नहीं होने देंगे। कैंदियोंके और उसमें भी अली-भाइयोंके छुटकारेको मैंने शुभ चिह्न माना था। इसलिए मैंने सोचा कि सुधारोंको स्वीकार करनेका प्रस्ताव होना चाहिए। किंतु चित्तरजन दासकी मजबूत राय थी कि सुधारोंको बिलकुल असतोषजनक और अधूरा मान उनको रद्द कर देना चाहिए। लोकमान्य कुछ तटस्थ थे, परंतु देशबन्धु जिस प्रस्तावको पसंद करे उसके पक्षमें अपनी शक्ति लगानेका निश्चय उन्होंने किया था।

ऐसे मुक्तमोर्गी सर्वमान्य लोकनायकोसे मेरा मतभेद मुझे असह्य ही रहा था। दूसरी ओर मेरा अन्तर्नाद स्पष्ट था। मैंने कांग्रेसके अधिवेशनमेंसे भाग जानेका प्रयत्न किया। पंडित मोतीलालजी नेहरू और मालवीयजीको मैंने सुझाया कि मुझे अधिवेशनमें गैरहाजिर रहने देनेसे सब काम सध जायगे और मैं महान् नेताओंके इस मतभेदसे भी बच जाऊंगा।

पर यह बात इन दोनों बुजुर्गों को न पटी। लाला हरकिशनलालके कानपर बात आते ही उन्होंने कहा— “यह कर्मा नहीं हो सकता। पंजाबियोंको इससे बड़ी चोट पहुंचेगी।” लोकमान्य और देशबन्धुके साथ मशवरा किया। श्री जिनासे भी मिला। किसी तरह कोई रास्ता नहीं निकला। मैंने अपनी वेदना मालवीयजीके सामने रखी।

“समझौतेके आसार मुझे नहीं दिखाई देते, यदि मुझे अपना प्रस्ताव पेश करना ही पड़े तो अतको मत तो लेने ही पड़ेंगे। मत लिये जानेकी सुविधा यहाँ मुझे दिखाई नहीं देती। आजतक भरी सभामें हम लोग हाथ ही ऊंचे उठवाते आये हैं। दर्शकों और सदस्योंका भेद हाथ ऊंचा करते समय नहीं रहता। ऐसी विशाल सभामें मत गिननेकी सुविधा हमारे यहाँ नहीं होती, इसलिए यदि मैं अपने प्रस्तावके सबधमें मत लिखाना चाहूँ भी तो उसका प्रवचन नहीं।” मैंने कहा।

बाला हरकिशनलालने इसकी मनोपजमक गुविषा कर देनेका बीडा चढाया । उन्होंने कहा कि जिस दिन मत लेना हूं उस दिन दर्शकोसो न माने दूँगे, सिर्फ प्रतिनिधि ही आनेगे और मत गिना देनेका जिम्मा मेरा, पर आप कांग्रेसकी वंठकमे गैरहाजिर नहीं रह सकते ।

अतको मैं हारा । मैंने अपना प्रस्ताव बनाया और बड़े मकोचके साथ उसे पेश करना स्वीकार किया । श्री जिना और मालवीयजी समयन करनेवाले थे । भाषण हुए । मैं देख सकता था कि यद्यपि हमारे मतभेदमें कहीं कटुता न थी, भाषणमें भी इनीलोके सिवा और कुछ न था, फिर भी ममा इन्ने मतभेद को सहन नहीं कर सकती थी, और उसे दु खही रहा था । ममा एकमत चाहती थी ।

उपर भाषण हो रहे थे, पर इधर भेद मिटानेके प्रयत्न चल रहे थे । आपमें चिट्ठिया जा-आ रही थी । मालवीयजी तो हर तरहसे समझौता करनेके लिए मिहनत कर रहे थे । इतनेमें जयरामदासने अपना मुझाव मेरे हाथमें रक्खा और बड़े भवुर शब्दोंमें मत देनेके सन्देसे प्रतिनिधियोंको बचा लेनेका अभूरोच मुझसे किया । मुझे वह पसन्द आ गया । मालवीयजीकी नजर तो चारो और भागाकी खोजमें फिर रही थी । मैंने कहा कि यह संशोधन दोनोंको स्वीकार हो सकता है । लोकमान्यको बताया, उन्होंने कहा, दामको पसन्द हो तो मुझे आपत्ति नहीं । देशवधु पिघल गये । उन्होंने चिपिनचद्र पालकी ओर देखा । मालवीयजीकी अब पूरी आशा बध गई और उन्होंने चिट्ठी हाथसे छीन ली । देशवधुके मुहसे 'हा' शब्द अभी पूरा निकला ही नहीं था कि वह बोल उडे— "सज्जनो, आप यह जानकर प्रमन्न होंगे कि समझौता हो गया है ।" फिर तो क्या पूछना था ? तालियोंकी हर्षध्वनिसे सारा मडप गूज उठा और लोगोंके चेहरोपर जहा गभीरता थी वहा खुशी चमक उठी ।

यह प्रस्ताव क्या था, उसकी चर्चा करनेकी यहा जरूरत नहीं, क्योंकि यह प्रस्ताव कैसे हुआ, यही बताना मेरे इन प्रयोगोंका विषय है ।

समझौतेने मेरी जिम्मेदारी बढा दी ।

३८

कांग्रेसमें प्रवेश

कांग्रेसमें यह जो मुझे भाग लेना पडा, इसे मैं कांग्रेसमें अपना प्रवेश नहीं मानता। उसके पहिलेकी कांग्रेसकी बैठकोमें गया सो तो केवल वफादारीकी निशानीके तौरपर। एक छोटे-से-छोटे सिपाहीके सिवा बहा मेरा दूसरा काम कुछ होगा, ऐसा आभास मुझे दूसरी पिछली समाजोके सबधमें नहीं हुआ और न ऐसी इच्छा ही हुई।

किंतु अमृतसरके अनुभवने बताया कि मेरी एक शक्तिका उपयोग कांग्रेसके लिए है। पञ्जाब-समितिके मेरे कामसे लोकमान्य, मालवीयजी, मोतीलालजी, देशबधु इत्यादि खुश हुए थे, यह मैंने देख लिया था। इस कारण उन्होंने मुझे अपनी बैठकोमें और सलाह-मशवरेमें बुलाया। इतना तो मैंने देखा कि था विषय-समितिका सच्चा काम ऐसी बैठकोमें होता था और ऐसे मशवरोगे खासकर वे लोग होते, जिनपर नेताओका खास विश्वास या आचार होता, पर दूसरे लोग भी किसी-न-किसी वहाने घुस जाया करते।

आगामी वर्ष किये जानेवाले दो कामोमें मेरी दिलचस्पी थी, क्योंकि उनमें मेरा चचुपात हो गया था।

एक था जलियावालाबागके कत्लका रमारक। इसके लिए कांग्रेसने बड़ी शानके साथ प्रस्ताव पास किया था। उसके लिए कोई पाच लाख रुपयेकी रकम एकत्र करनी थी। उसके ट्रस्टियोमें मेरा भी नाम था। देशके सार्वजनिक कार्योंके लिए भिक्षा मागनेका भारी सामर्थ्य जिन लोगोमें है, उनमें मालवीयजीका नवर पहला था और है। मैं जानता था कि मेरा दर्जा उनसे बहुत घटकर न होगा। अपनी इस शक्तिका आभास मुझे दक्षिण अफ्रीकामें मिला था। राजा-महाराजाओपर जादू फेरकर लाखों रुपये पानेका सामर्थ्य मुझमें न था, न आज भी है। इस बातमें मालवीयजीके साथ प्रतिस्पर्धा करनेवाला मैंने किसीको नहीं देखा, पर जलियावालाबागके काममें उन लोगोसे द्रव्य नहीं लिया जा सकता, यह मैं जानता था। अतएव इस स्मारकके लिए धन जुटानेका मुख्य भार मुझपर

पड़ेगा, यह बात मैं ट्रस्टीका पद स्वीकार करते समय समझ गया था। और हुआ भी ऐसा ही। इस स्मारकके लिए बचईके उदार नागरिकोंने पेट-भरके द्रव्य दिया और आज भी लोगोंके पाम उसके लिए जितना चाहिए, रुपया है, परंतु इस हिंदू, मुसलमान और सिक्खके मिश्रित खूनसे पवित्र हुई भूमिपर किस तरहका स्मारक बनाया जाय, अर्थात् आये हुए धनका उपयोग किस तरह किया जाय, यह विकट प्रश्न हो गया है, क्योंकि तीनोंके बीच अथवा दोके बीच दौस्तीके बदले आज दुश्मनीका भास हो रहा है।

मेरी दूसरी शक्ति मसबदे तैयार करने की थी, जिसका उपयोग कांग्रेसके लिए हो सकता था। बहुत दिनोंके अनुभवसे कहा, कैसे और कितने कम शब्दोंमें अविनय-रहित भाषा लिखना मैं सीख गया हू— यह बात नेता लोग समझ गये थे। उस समय कांग्रेसका जो विधान था, वह गोखलेकी दी हुई पूजा थी। उन्होंने कितने ही नियम बना रखे थे, जिनके आचारपर कांग्रेसका काम चलता था। वे नियम किस प्रकार बने, इसका मयूर इतिहास मैंने उन्हींके मुखसे सुना था, पर अब सब यह मानते थे कि केवल उन्हीं नियमोंके बलपर काम नहीं चल सकता। विधान बनानेकी चर्चा भी प्रतिबर्ष चला करती। कांग्रेसके पास ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी कि जिसमें सारे वर्ष-भर उमका काम चलता रहे अथवा अविष्यके विषयमें कोई विचार करे। यों मंत्री उसके तीन रहते, पर कार्य-बाहक मंत्री तो एक ही होता। अब यह एक मंत्री दफ्तरका काम करता या अविष्यका विचार करता, या भूतकालमें ली हुई जिम्मेदारियां चालू वर्षमें अदा करता? इसलिए यह प्रश्न इस वर्ष मवकी दृष्टिमें अधिक आवश्यक हो गया। कांग्रेसमें तो हजारोंकी भीड़ होती है, वहां प्रजाका कार्य कैसे चलता? प्रतिनिधियोंकी सख्याकी हद नहीं थी। हर किसी प्रान्तने जितने चाहे प्रतिनिधि आ सकते थे। हर कोई प्रतिनिधि हो सकता था। इसलिए इसका कुछ प्रबन्ध होनेकी आवश्यकता सबको मालूम हुई। विधानकी रचना करनेका भार मैंने अपने सिरपर लिया। किन्तु मेरी एक शर्त थी। जनता पर मैं दो नेताओंका अधिकार देख रहा था। इसलिए मैंने उनके प्रतिनिधिकी मांग अपने माय की। मैं जानता था कि नेता लोग मुद शाक्तिके साथ बैठकर विधानकी रचना नहीं करते थे। अतएव लोकमान्य तथा देवप्रभुके पाममें उनके दो विश्वामपात्र नाम मैंने मागे। इनके अतिरिक्त

दूसरा कोई संगठन-समितिके न होना चाहिए, यह मैंने सुझाया। यह सूचना स्वीकृत हुई। लोकमान्यने श्री केलकरका और देशवधुने श्री आई० वी० सेनका नाम दिया। यह विधान-समिति एक दिन भी साथ मिलकर न बैठे। फिर भी हमने अपना कार्य चला लिया। इस विधानके सबधमें मुझे कुछ अभिमान है। मैं मानता हू कि इसके अनुसार काम लिया जा सके तो आज हमारा वेडा पार हो सकता है। यह तो जब कमी हो, परंतु मैं मानता हू कि इस जवाबदेही को लेनेके बाद ही मैंने कांग्रेसमें सचमुच प्रवेश किया।

३६

खादीका जन्म

मुझे याद नहीं कि सन् १९०८ तक मैंने चरखा अथवा करघा देखा हो। फिर भी मैंने 'हिंद-स्वराज्य'में यह माना है कि चरखे द्वारा भारतकी गरीबी मिटेगी। और जिस मार्गसे देशकी भुखमरी मिटेगी उसीसे रवराज्य भी मिलेगा। यह तो एक ऐसी बात है कि जिसे सब कोई समझ सकते हैं। जब मैं सन् १९१५ में दक्षिण अफ्रीकासे भारत आया, उस समय भी मैंने चरखाके दर्शन नहीं किये थे। आश्रम खोलनेपर एक करघा ला रक्खा। करघा ला रखनेमें भी मुझे बड़ी कठिनाई हुई। हम सब उसके प्रयोगसे अपरिचित थे, अतः करघा प्राप्त कर लेने भरसे वह चल तो नहीं सकता था। हममें या तो कलम चलानेवाले इकट्ठे हुए थे, या व्यापार करना जाननेवाले थे, कारीगर कोई भी नहीं था। इसलिए करघा मिल जानेपर भी दुनाईका काम सिखानेवाले की जरूरत थी। काठियावाड और पालनपुरसे करघा मिला और एक सिखानेवाला भी आगया। पर उसने अपना सारा हुनर नहीं बताया, लेकिन मगनलाल गांधी ऐसे नहीं थे कि हाथमें लिये हुए कामको छोट छोड़ दे। उनके हाथमें कारीगरी तो थी ही, अतः उन्होंने दुनाईका काम पूरी तरह जान लिया और फिर एक-के-बाद-एक नये बुनकर आश्रममें तैयार हो गये।

हमें तो अपने कपडे तैयार करके पहनने थे। इसलिए अबसे मिलके

कपड़े पहनने बंद किये, आश्रमवासियोंने हाथके करघेपर देशी मिलके सूतसे बुना हुआ कपड़ा पहननेका निर्णय किया। इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। भारतके जुलाहोंके जीवनका, उनकी आमदनीका नूत प्राप्त करनेमें होनेवाली उनकी कठिनाइयोंका, वे उनमें किन तरह घोंखा खाते थे और दिन-दिन किसे तरह कर्जदार हो रहे थे, आदि बातोंका हमें पता चला। ऐसी परिस्थिति तो थी नहीं कि शीघ्र ही हम अपने कपड़े आप बुन सकें। अतः बाहरके बुननेवालोंसे हमें अपनी जरूरतके मनाविक कपड़ा बुनवा लेना था, क्योंकि देशी मिलके सूतसे हाथ-बुना कपड़ा जुलाहोंके पाससे या व्यापारियोंसे शीघ्र ही नहीं मिलता था। जुलाहे अच्छा कपड़ा तो सबका-सब विलायती सूतका ही बुनते थे। इसका कारण यह है कि हमारी मिलें महीन सूत नहीं कातती थीं। आज भी महीन सूत वे कम ही कातती हैं। बहुत महीन तो वह कात ही नहीं सकती। बड़े प्रयत्नके बाद कुछेक जुलाहे हाथ लगे, जिन्होंने देशी सूतका कपड़ा बुन देनेकी मिह्नतबानी की। इन जुलाहोंको आश्रमकी तरफने यह वचन देना पड़ा था कि उनका बुना हुआ देशी सूतका कपड़ा खरीद लिया जायगा। इस तरह खास तौरपर बुनाया गया कपड़ा हमने पहना और मित्रोंमें उसका प्रचार किया। हम सूत कातनेवाली मिलोंके बिना तनत्वाहके एजेंट बन गये। मिलोंके परिचयमें आनेसे उनके काम-काजका, उनकी लाचारीका हाल हमें मालूम हुआ। हमने देखा कि मिलोंका ध्येय खुद कातकर खुद बुन लेना था। वे हाथ-करघेकी इच्छापूर्वक सहायक नहीं थीं, बल्कि अतिच्छापूर्वक थीं।

यह सब देखकर हम हाथसे काननेके लिए अवीर हो उठे। हमने देखा कि जबतक हाथसे न कातेगे तबतक हमारी पराधीनता बनी रहेगी। हमें यह प्रतीति नहीं हुई कि मिलोंके एजेंट बनकर हम देग-मेवा करते हैं।

लेकिन न तो चरखा था, न कोई चरखा चलानेवाला ही था। कुकड़िया भरनेके चरखे तो हमारे पास थे, लेकिन यह खयाल तो था ही नहीं कि उनपर सूत कत सकता है। एक बार जालीदास वकील एक महिलाको दूध लाये। उन्होंने कहा कि यह कानकर बतलायेगी। उसके पास नये कामोंको सीख लेनेमें प्रवीण एक आश्रमबानी भेजे गये, लेकिन हुनर हाथ न आया।

समय बीतने लगा। मैं अवीर हो उठा था। आश्रममें आनेवाले उन

लोगोंको, जो इस सबधमें कुछ बातें कह सकते, मैं पूछता, लेकिन कातनेका इजारा तो स्त्रियोंका ही था। अतः कातनेवाली स्त्री तो कहीं किसी स्त्रीको ही मिल सकती थी।

सन् १९१७की भड़ोचकी शिक्षा-परिपदमें गुजराती भाई मुझे घसीट ले गये। वहाँ महासाहसी विधवा बहन गगाबाई हाथ लगी। वह बहुत पढी-लिखी नहीं थी, लेकिन उनमें साहस और समझ शिक्षित बहनोमें साधारणतः जितनी होती है, उससे अधिक थी। उन्होंने अपने जीवनमेंसे छुआछूतकी जड़ खोद डाली थी और वह निडर होकर अत्यजोंसे मिलती तथा उनकी सेवा करती थी। उनके पास रुपया-पैसा था, लेकिन उनकी अपनी आवश्यकता बहुत थोड़ी थी। उनका गरीर सुगठित था और चाहे जहाँ अकेले जानेमें वह तनिक भी सकोच नहीं करती थी। वह तो घोड़ेकी सवारीके लिए भी तैयार रहती। इस बहनसे मैंने गोधराकी परिपदमें विशेष परिचय बढ़ाया। मैंने अपनी व्यथा उन्हें कह सुनाई और जिम तरह दमयती नलकी तलाश में घूम रही थी उसी तरह, चरखेकी खोजमें घूमनेकी बात स्वीकार करके उन्होंने मेरा बोझ हलका कर दिया।

४०

मिल गया

गुजरातमें खूब घूम चुकनेके बाद गायकवाडी राज्यके बीजापुर गावमें गगाबहनको चरखा मिला। वहाँ बहुतसे कुटुंबोंके पास चरखा था, जिसे उन्होंने टाढ़पर चढाकर रख छोड़ा था, लेकिन अगर कोई उनका कता सूत ले ले और उन्हें पूनिया बराबर दी जाय तो वे कातनेके लिए तैयार थे। गगाबहनने मुझे खबर दी और मेरे हर्षका पार न रहा। पूर्वी पहचानेका काम कठिन जान पड़ा। स्वर्गीय भाई उमर सुबानीसे बातचीत करनेपर उन्होंने अपनी मिलसे पूनिया पहचानेकी जिम्मेदारी अपने सिर ली। मैंने ये गगाबहनके पास भेजी। इसपर तो सूत इतनी तेजीसे तैयार होने लगा कि मैं थक गया।

भाई उमर सुबानीकी उदारता विशाल होते हुए भी आखिर उसकी

नीमा थी। पूनिया खरीदकर लेनेमें मुझे सकोच हुआ। और मिलकी पूनिया केरु कालनेमें मुझे बहुत दोष प्रतीत हुआ। अगर मिलकी पूनिया लेते हैं तो फिर मृत लेनेमें क्या बुराई है? हमारे पुरखाओंके पास मिलकी पूनिया कहा थी? किस तरह पूनिया तैयार करते होंगे? मैंने गगावहनको सुझाया कि वह पूनिया बनानेवाले को ढूँँ। उन्होंने यह काम अपने सिर लिया। एक पिजारेको ढूँँ निकाला। उसे हर महीने ३५) या इससे भी अधिक वेतनपर नियुक्त किया। उसने बालकोको पूनी बनाना सिखाया। मैंने रुईकी भीख मागी। भाई यशवतप्रसाद देवाईने रुईकी गांठे पहचानेका काम अपने जिम्मे लिया। अब गगावहनने काम एकदम बटा दिया। उन्होंने वृनकरांको आवाद किया और कते हुए सूतको वृनवाना नृत किया। अब तो बीजापुरकी खादी मगहर हो गई।

दूमरी और अब आश्रममें भी चरखा दाखिल करनेमें देर न लगी। भगन-नाल गाधीने अपनी शौचक शक्तिसे चरखेमें सुधार किये और चरखे तथा तकले आश्रममें तैयार हुए। आश्रमकी खादीके पहले यानपर फी गज १-) खर्च आया। मैंने मित्रोंके पास मोटी, कच्चे सूतकी खादीके एक गज टुकड़ेके १-) यम्ल किये, जो उन्होंने खुशी-खुशी दिये।

बवईमें मैं रोग शैथ्यापर पडा हुआ था, लेकिन सबसे पूछा करता। वहा दो पातनेवाली बहनें मिली। उन्हें एक सेर मृतपर एक रुपया दिया। मैं अभी-तक खादीशास्त्रमें अंधे जैसा था। मुझे तो हाथ-कना सूत चाहिए था और कातने-वाणी मिन्या चाहिए थी। गगावहन जो दर देती थी उससे तुलना करते हुए मुझे मानूम हुआ कि मैं ठगा जा रहा हूँ। वे बहन कम लेनेको तैयार न थी, इसलिए उन्हें छोड़ देना पडा, लेकिन उनका उपयोग नो था ही। उन्होंने श्री अबतिकावाई, रमासाई कामदार, श्री धक्कनाल बंकर की मानार्ज, और श्री बसुमती बहनको पानना मिनाना और मेरे कमरेमें चरखा गूज उठा। अगर मैं यह कहूँ कि इस गजनें मुझे रोगीमें निरोगी बनानेमें मदद पहुंचाई, तो अत्युक्ति न होगी। यह सच है कि यह मिति मालमिक है। लेकिन मनुष्यको रोगी या नीरोग बनानेमें मरणा दिग्ग नोन हम हैं? मैंने भी चरखेको हाथ लगाया, लेकिन इस समय मैं उनमें आगे नहीं चरखा था।

एउ सगल बट उठा कि महा हाथी पूनिया कहामें मिले ? श्री रेवानवर

जौहरीके बंगलेके पाससे तातकी आवाज करता हुआ एक धुनिया रोज निकला करता था। मैंने उसे बुलाया। वह गद्दे-गद्दियोंकी सई धुनता था। उसने पूनिया तैयार करके देना मजूर किया, लेकिन भाव ऊचा मागा और मैंने दिया भी। इन तरह तैयार सूत मैंने बरगवोगो ठाकुरजीकी मालाके लिए पैसे लेकर बेचा। भाई शिवजीने बचईमें नरनागाता खोगी। इस प्रयोगमें रुपये ठीक-ठीक खर्च हुए। श्रद्धालु देवभगतोंने रुपये दिये और मैंने उन्हें खर्च किया। मेरी नत्र सम्पत्तिमें यह खर्च व्यर्थ नहीं गया। उससे बहुत कुछ सीखनेको मिला; साथ ही मर्यादाकी माप मिली।

अब मैं एकदम खादीमय होनेके लिए अधीर हो उठा। मेरी घोती देसी मिलके कपडेकी थी। बीजापुरमें और आश्रममें जो खादी बनती थी वह बहुत मोटी और तीस इंचके अर्जकी होती थी। मैंने गगाबहनको बताया कि अगर वह पैंतालीस इंच अर्जकी खादीकी घोती एक महीनेके भीतर न दे सकेंगी तो मुझे मोटी खादीका पचा पहनकर काम चलाना पड़ेगा। गगाबहन बचवाई, उन्हें यह मीयाद कम मालूम हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक महीनेके भीतर ही मुझे पचास इंच अर्जका घोती-जोडा ला दिया और मेरी दरिद्रता दूर कर दी।

इसी बीच भाई लदमीदास लाठीगावसे अत्यज भाई रामजी और उनकी पत्नी गगाबहनको आश्रममें लाये और उनके द्वारा लबे अर्जकी खादी बुनवाई। खादीके प्रचारमें इस दपतीका हिम्सा ऐसा-वैसा नहीं कहा जा सकता। उन्होंने गुजरातमें और गुजरातके बाहर हाथ-कते सूतको बुननेकी कला दूसरोंको सिखाई है। यह निरक्षर लेकिन सस्कृत बहून जब करवा चलाने बैठती है तो उसमें इतनी तल्लीन हो जाती है कि इधर-उधर देखनेकी या किसीके साथ बात करनेकी भी फुरसत अपने लिए नहीं रहने देनी।

४१

एक संवाद

जिम समय स्वदेशीके नामपर यह प्रवृत्ति शुरू हुई उस समय मिल-मालिकोंकी ओरने मेरी खूब टीका होने लगी। भाई उमर सुवानी स्वयं होशियार और मावधान मिल-मालिक थे, इनलिए वह अपने ज्ञानसे तो मुझे फायदा पहुंचाते ही थे, लेकिन साथ ही वह दूसरोंके मन भी मुझे मुनाते थे। उनमेंके एक मिल-मालिककी दलीलका अमर भाई उमर सुवानीपर भी पडा और उन्होंने मुझे उनके पाम ले चलनेकी बात कही। मैंने उनकी इस बातका स्वागत किया और हूँ उन मिल-मालिकके पाम गये। वह कहने लगे—

“यह तो आप जानते हैं न कि आपका स्वदेशी आंदोलन कोई पक्का आंदोलन नहीं है ?”

मैंने जवाब दिया— “जी हा।”

“आप यह भी जानते हैं कि बग-भगके दिनोंमें स्वदेशी-आंदोलनने खूब जोर पकडा था ? इन आंदोलनमें हमारी मिलोंने खूब लाभ उठाया था और उपटैनी कीमत बढा दी थी, जो काम नहीं करला चाहिए, वह भी किया था।”

“मैंने यह नव मुता है, और नुनकर दुन्नी हुआ हू।”

“मैं आपके दु वको नमसना हू, लेकिन उसका कोई कारण नहीं है। हम परतोपारके लिए अपना व्यापार नहीं करते हैं। हमें तो नफा कमाना है। अपने मिलके भागीदारों (शेयर होल्डरों)को जबाब देना है। कीमतका आधार तो मिली चीजकी मांग है। इस नियमके खिलाफ कोई क्या कह सकता है ? दालियोंको यह प्रवृत्ति ही जान लेना चाहिए या कि उनके आंदोलनमें स्वदेशी कीमत जरूर ही बढ़ेगी।”

“वे तो बेचारे मैंने नमान ही हूँ किश्वान कर लेतेबाले उहरे, इनकी उन्हीं यह बात लिया या कि मिल-मालिक एकदम स्वार्थी नहीं बन जायें दाता तो रानी देगे ही नहीं, और न कभी स्वदेशीके नामपर विदेशी बत्त ही बेचेगे।”

“मैंने यह मान्यता है कि आप ऐसा मानते हैं इसीलिए मैंने आपक

चल ही रहा था। स्वर्गीय मीलाना अब्दुल बारी वगैरा उलेमाओंके साथ इस विषयमें खूब बहस हुई। इस बारेमें खास तौरपर-तरह-तरहसे विचार होते रहे कि मुसलमान शांति और अहिंसाका किस हद तक पालन कर सकते हैं और आखिर यह फंसला हुआ कि एक हदतक बतौर एक नीतिके उसका पालन करनेमें कोई हर्ज नहीं और यह भी तय हुआ कि जो एक बार अहिंसाकी प्रतिज्ञा ले ले, वह सचाईसे उसका पालन करनेके लिए बधा है। आखिर असहयोगका प्रस्ताव खिलाफत कांग्रेसमें पेश किया गया और लंबी बहसके बाद वह पास हुआ। मैंने याद है कि एक बार उसके लिए इलाहाबादमें सारी रात सभा होती रही। गुरु-शुरूमें स्व० हकीम साहबको शांतिपूर्ण असहयोगकी शक्यताके सबबमें शका थी, लेकिन उनकी शका दूर हो जाने पर वह उसमें शामिल हो गये और उनकी मदद बहुत कीमती साबित हुई।

इसके बाद गुजरातमें राजनैतिक परिषद्की बैठक हुई। इस परिषद्में मैंने असहयोगका प्रस्ताव रखा। परिषद्में प्रस्तावका विरोध करनेवालेकी पहली दलील यह थी कि जबतक कांग्रेस असहयोगका प्रस्ताव पास नहीं करती है तबतक प्रांतीय परिषदोंको उसके पास करनेका अधिकार नहीं। मैंने जवाबमें कहा कि प्रांतीय-परिषदे पीछे पैर नहीं हटा सकती, लेकिन आगे कदम बढ़ानेका अधिकार तो तमाम अधीन सस्थाओंको है, यही नहीं, बल्कि अगर उनमें हिम्मत हो तो ऐसा करना उनका धर्म भी है, इससे तो प्रधान सस्थाका गौरव बढ़ता है। इसके बाद प्रस्तावके गुणदोषोपर भी अच्छी और मीठी बहस हुई। फिर मत लिये गए और बड़े बहुमतसे असहयोगका प्रस्ताव भी पास हो गया। इस प्रस्तावके पास होनेमें अब्बास तैयबजी और वल्लभभाईका बहुत बड़ा हिस्सा था। अब्बास तैयब अध्यक्ष थे और उनका झुकाव असहयोगके प्रस्तावकी ओर ही था।

महासमितिके इस प्रश्नपर विचार करनेके लिए कांग्रेसकी एक खास क १९२०के सितंबर महीनेमें बुलानेका निश्चय किया। बहुत बड़े पैमानेपर गरिया हुई। लाला लाजपतराय अध्यक्ष चुने गये। बवईसे खिलाफत और ग्रेस स्पेशलें छूटीं। कलकत्तेमें सदस्यो और दर्शकोंका बहुत बड़ा समुदाय जमा हुआ।

मीलाना शीकतअलीके कहनेपर मैंने असहयोगके प्रस्तावका मसविदा

जेलमें तैयार किया। इस समयतक मेरे मसविदोमें शांतिमय शब्द प्रायः नहीं आता था। मैं अपने भाषणोंमें उसका उपयोग करता था। लेकिन जहाँ अकेले मूलमान भाष्योकी सभा होती वहाँ शांतिमय शब्दसे मैं जो-कुछ समझाना चाहना, समझा नहीं सकता था, इसलिए मैंने मौलाना अबुलकलाम आजादसे इनके लिए दूसरे शब्द पूछे। उन्होंने 'बाअमन' शब्द बतलाया और असहयोगके लिए 'तर्क मन्वालात' शब्द सुझाया।

इस तरह जब गुजरातीमें, हिंदीमें, हिंदुस्तानीमें असहयोगकी भाषा मेरे दिमागमें तैयार हो रही थी उसी समय, जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ, कांग्रेसके लिए एक प्रस्ताव तैयार करनेका काम मेरे जिम्मे आया। उस प्रस्तावमें 'शांतिमय' शब्द नहीं आ पाया था। प्रस्ताव तैयार कर चुकनेपर ट्रेनमें ही मैंने उसे मानाना श्रीकनअलीके हवाले कर दिया था। रातमें मुझे खयाल आया कि स्वाम शब्द 'शांतिमय' तो प्रस्तावके मसविदोमेंसे छूट गया है। मैंने महादेवको उठी नमस जल्दीमें भेजा और कहलवाया कि छापनेके पहले उसमें 'शांतिमय' शब्द भी जोड़ दिया जाय। मुझे याद आ रहा है कि इस शब्दके जुड़नेके पहले ही प्रस्ताव छप चुका था। उसी रातको विषय-समितिकी बैठक थी, इसलिए वादय मुझे मसविदे मे 'शांतिमय' शब्द जोड़ना पडा। साथ ही मैंने यह भी महसूस किया कि अगर मैंने पहलेसे ही प्रस्ताव तैयार न कर लिया होता तो बड़ी कठिनाई होती।

निम्नपर भी मेरी हालत तों दयाजनक ही थी। मुझे इस बातका पता भी नहीं था कि कौन तों मेरे प्रस्तावको पसंद करेंगे और कौन उसके विरोधमें बोलेंगे। मुझे इस बातका भी दिलकुल पता न था कि लालाजीका झुकाव किस तरफ है। बन्धनसेमें पुराने अनुभवोंी गोंडागण एकत्र हुए थे। विदुषी एर्न वेमंड, पंडित मालवीयजी, विजयराघवाचार्य, पंडित मोतीलालजी, देवदत्त वर्मा तैना उनमें मुख्य थे।

मेरे प्रस्तावमें गितानपन और पञ्चायके अन्यायोको लेकर ही असहयोग करनेकी बात नहीं गई थी। श्री विजयराघवाचार्यकी इतनेसे मतोंप न हुआ उनका रहना था, "अगर असहयोग करना है तों फिर किसी नाम अन्यायोको लेकर तों नहीं किया जाय ? स्वराज्यका अभाव तों बडे-बडे अन्याय है, इसे लेकर

ही असहयोग किया जाना चाहिए । ” मोतीलालजी भी यह जोड़ना चाहते थे । मैंने दुरत ही यह मुझाव मजूर कर लिया और प्रस्तावमे स्वराज्यकी माग भी जोड़ दी । लवी, गर्भार और कुछ तेज वहसके बाद असहयोगका प्रस्ताव पास हो गया ।

सबसे पहले मोतीलालजी आंदोलनमे शामिल हुए । उस समय मेरे साथ उनकी जो मीठी बहग हुई थी, वह मुझे अबतक याद है । कहीं थोड़े जब्दोको बदल देनेकी बात उन्होंने कही थी और मैंने वह मजूर कर ली थी । देशबधुको राजी कर लेनेका बीडा उन्होंने उठाया था । देशबधुका दिल असहयोगकी तरफ था, लेकिन उनकी बुद्धि उनमे कह रही थी कि जनता असहयोगके भारको सह नहीं सकेगी । देशबधु और लालाजी पूरे असहयोगी तो नागपुरमे बने थे । इस विरोध अधिवेचनके अवसरपर मुझे लोकमान्यकी अनुपस्थिति बहुत ज्यादा खटकती थी । आज भी मेरा यह मत है कि अगर वह जिंदा रहते तो अवश्य ही कलकत्तेके प्रसंगका स्वागत करते । लेकिन अगर यह नहीं होता और वह उसका विरोध करते, तो भी मुझे वह अच्छा लगता और मैं उससे बहुत-कुछ शिक्षा ग्रहण करता । मेरा उनके साथ हमेशा मतभेद रहा करता । लेकिन यह मतभेद मधुर होता था । उन्होंने मुझे सदा यह मानने दिया था कि हमारे बीच निकटका सबध है । ये पक्षितया लिखते हुए उनके प्रवसानका चित्र मेरी आखोके सामने घूम रहा है । आधी रातके समय मेरे साथी पटवर्धनने टेलीफोन द्वारा मुझे उनकी मृत्युकी खबर दी थी । उसी समय मैंने अपने साथियोसे कहा था— “मेरी बडी ढाल मुझे छिन गई ।” इस समय असहयोगका आंदोलन पूरे जोरपर था । मुझे उनसे आश्वासन और प्रेरणा पानेकी आशा थी । आखिर जब असहयोग पूरी तरह मूर्तिमान हुआ था तब उनका क्या रुख होता सो तो दैव ही जाने, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि देशके इतिहासकी इस नाजुक घड़ीमें उनका न होना सबको खटकता था ।

४३

नागपुरमें

काग्रेसके विशेष अधिवेशनमें असहयोगका जो प्रस्ताव पास हुआ ! नागपुर वाले बापिक अधिवेशनमें उमें कायम रखना था। कलकत्तेकी तो नागपुरमें भी अनख्य आदर्मी इकट्ठे हुए थे। अभी प्रतिनिधियोंकी सख्या निश्चय नहीं हो पाया था, तिसपर श्री, जहातक मुझे याद है, उम नमय चौ हजार प्रतिनिधि आये थे। लालाजीके आग्रहमें स्कूलो-मधर्मी प्रस्तावमें थो परिवर्तन करना मंने मजूर कर लिया था। देगवधुने भी थोडा फेर-बदल करा था और आखिर अहिंसात्मक असहयोगका प्रस्ताव सर्व-सम्मतिसे पास हुआ था

इसी बैठकमें काग्रेसके विधानका प्रस्ताव भी पास करवाना था। विधानका मसविदा तो मंने विशेष अधिवेशनमें ही रख दिया था, इसलिए वह प्रकाश हो चुका था और उसपर काफी बहस भी हो चुकी थी। श्री विजयारावका इस अधिवेशनके सभापति थे। विधानमें विषय समितिने एक ही महत्त्वका परि किया था। मंने प्रतिनिधियोंकी मट्या पद्रह-सौ रक्ती थी, उसके बदले रि समितिने उसे छ हजार नियम किया। मेरे विचारमें यह कारंवाई बिना वि की गई थी। इतने वर्षोंके अनुभवके बाद भी मेरा तो यही मत है। वह प्रतिनिधियोंमें अधिक अच्छा काम होता है, अथवा प्रजातन्त्रका अच्छी तरह नि होता है, इस कल्पना को मैं एकदम अमपूर्ण मानता हू। अगर पद्रह-सौ प्रतिनि मनके उदार, प्रजाके स्वत्वकी रक्षा करनेवाले और प्रामाणिक हों, तो वे छ ह जैसे-तैसे चुने गये प्रतिनिधियोंकी अपेक्षा प्रजातन्त्रकी अधिक अच्छी तरह रक्षा सकते हैं। प्रजातन्त्रको निवाहनेके लिए जनतामें स्वतंत्रताफी, स्वामिभान और ऐक्यकी भावना तथा अच्छे और सच्चे प्रतिनिधियोंको चुननेका आग्रह ही चाहिए। लेकिन सख्याके मोहमें फनी हुई विषय-समितिको तो छ हजार भी ज्यादा प्रतिनिधियोंकी जरूरत थी। इसलिए छ हजार तो समझौतेके तौर कायम रहे।

काग्रेसमें स्वराज्यके ध्येयपर भी बहुत हुई थी। विधानके एक निय

साम्राज्यमें रहकर अथवा उससे बाहर होकर, जैसी स्थिति हो, स्वराज्य प्राप्त करनेकी बात कही गई थी। कांग्रेसमें एक दल ऐसा भी था, जो साम्राज्यमें रहकर ही स्वराज्य प्राप्त करना चाहता था। इस पक्षका समर्थन पंडित मालवीय- और श्री जिनाने किया था, परंतु उन्हें अधिक मत नहीं मिल सके। विधानमें यही बात कही गई थी कि शांति और सत्य-रूप साधनोके द्वारा ही स्वराज्य प्राप्त किया जाय। लेकिन इस शर्तका भी विरोध किया गया था। कांग्रेसने रोषको नामजूर किया और सारा विधान सुदूर बहसके बाद पास हो गया। विचारमें अगर लोगोंने इस विधानपर प्रामाणिकतापूर्वक और उत्साहसे अमल किया होता तो उससे जनता को बड़ी शिक्षा मिलती और यह भी संभव था कि उरके द्वारा स्वराज्य प्राप्त हो जाता। लेकिन यहा इस विषयकी अधिक चर्चा ना अप्रासंगिक है।

इसी सभामें हिंदू-मुस्लिम-ऐक्य, अछूतोद्धार और खादीके मवधमें भी बड़ा काम पास हुए थे। तभीसे अस्पृश्यताके कलकको दूर करनेका भार कांग्रेसके सदस्योंने अपने जिम्मे लिया है और खादीके द्वारा कांग्रेसने अपना संवध पारम्भके अस्थिपज्वर गरीब लोगोंके साथ जोड़ा है। खिलाफतके मवालको असहयोग करना और उसके द्वारा हिंदू मुस्लिम-एकता साधनेकी कोशिश भी कांग्रेसका एक बड़ा काम था।

४४

पूर्णाहुति

अब इन अध्यायोको बंद करनेका समय आ पहुँचा है, इससे आगेका जीवन इतना अधिक सार्वजनिक हो गया है कि जनता उसके विषयमें कुछ न जानती हो, सो बात नहीं। और सन् १९२१के सालसे तो मैं कांग्रेस नेताओंके साथ इतना हिल-मिलकर रहा हूँ कि कोई बात ऐसी नहीं है, जिसका यथार्थ वर्णन मैं उनका जिक्र किये बिना कर सकूँ। ये संवध अभी ताजे ही हैं। अद्वानंदजी, देसबधु, लालाजी, और हकीम साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी सौभाग्यसे

दूसरे बहुतमे नेता अभी मौजूद है। राष्ट्रेमके महापरिवर्तनके बादका इतिहास तो अभी तैयार ही हो रहा है। मेरे मुख्य प्रयोग काग्रेमके द्वारा ही हुए हैं, इसलिए उन प्रयोगोका वर्णन करते समय नेताओका उल्लेख करना अनिवार्य है। औचित्यकी दृष्टि में भी इन वानोका वर्णन मुझे अभी नहीं करना चाहिए। और जो प्रयोग अभी हो रहे हैं, उनके मन्त्रमें मेरे निर्णय निश्चयात्मक नहीं कहे जा सकते, इसलिए भी इन अध्याओको फिलहाल बंद कर देना ही मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। अगर यह कहूँ कि मेरी लेखनी ही आगे बढ़नेसे इन्कार करती है, तो भी अन्तुक्ति न होगी।

पाठकोसे विवा मागने हुए मुझे दुःख होता है। मेरी दृष्टिमें मेरे प्रयोग बहुत कीमती हैं। मुझे पना नहीं, मैं उनका अर्थ वर्णन कर सना हूँ या नहीं। मैंने अपनी ओरसे तो ठीक-ठीक वर्णन करनेमें कुछ उठा नहीं रखा है। मैंने मत्यको जिम रूपमें देखा है और जिस राहमें देखा है, उसे उसी रूपमें, उसी राहसे वानेकी हमेशा कोशिश की है। और साथ ही पाठकोके सम्मुख उन वर्णनोको रखकर मैंने अपने चित्तमें शांतिका अनुभव किया है, क्योंकि मुझे उनमें आशा रही है कि उनके पढनेमें पाठकोके हृदयमें सत्य और अहिंसाके प्रति अधिक शक्ति उत्पन्न होगी।

मत्यमें भिन्न किसी परमेस्वरके अस्तित्वना मुझे अनुभव नहीं। अगर पाठकोको इन अध्याओके पन्ने-पन्नेमें यह प्रतीति न हुई हो, कि सत्यमय बननेके लिए अहिंसा ही एक राजमार्ग है तो मैं अपने उस प्रयत्नको व्यर्थ समझूंगा। प्रयत्न भले ही व्यर्थ हो, लेकिन यह वचन व्यर्थ नहीं है। मेरी अहिंसा सच्ची होने हुए भी अभी कच्ची है, अपूर्ण है। इसलिए मेरी सत्यकी ज्ञाकी उन सत्यरूपी नूयेंके तेजकी एक किरण-मात्र के दर्शनके समान है, जिसके तेजका अदाज हजारों आचारण मूर्खोको इकट्ठा करनेपर भी नहीं हो सकता। अत अवतकके मेरे प्रयोगोके आचारपर इतना तो मैं अवश्य कह सकता हूँ कि इन सत्यका सपूर्ण दर्शन नपूर्ण अहिंसाके अभावमें अशक्य है।

ऐसे व्यापक सत्यनाराजणके प्रत्यक्ष दर्शनके लिए प्राणी-मात्रके प्रति आत्मवत् (अपने समान) प्रेमकी बड़ी भारी जरूरत है। इस सत्यको पानेकी इच्छा करनेवाला मनुष्य जीवनके एक भी क्षणसे वाहर नहीं रह सकता। यही

कारण है कि मेरी सत्य-पूजा मुझे राजनैतिक क्षेत्रमें घसीट ले गई। जो यह कहते हैं कि राजनीतिमें धर्मका कोई सबध नहीं है, मैं निःसकोच होकर कहना हू कि वे धर्म को नहीं जानते और मेरा विश्वास है कि यह बात कहकर मैं किसी तरह विनयकी सीमाको लाघ नहीं रहा हू।

बिना आत्मशुद्धिके प्राणीमात्रके साथ एकताका अनुभव नहीं किया जा सकता। और आत्मशुद्धिके अभावमें अहिंसा-धर्मका पालन करना भी हर तरह नामुमकिन है। अशुद्धात्मा परमात्माके दर्शन करनेमें असमर्थ रहता है, इसलिए जीवन-मयके सारे क्षेत्रोंमें शुद्धिकी जरूरत रहती है। इस तरहकी शुद्धि हमारा साध्य है, क्योंकि व्यक्ति और समष्टिमें इतना निकटका सबध है कि एककी शुद्धि अनेककी शुद्धिके बराबर हो जाती है। और व्यक्तिगत कोशिश करनेकी ताकत तो सत्य-नारायणने सब किसीको जन्म हीसे दे दी है।

लेकिन मैं तो पल-पलपर इस बातका अनुभव करता हू कि शुद्धिका यह मार्ग विकट है। शुद्ध होनेका मतलब तो मनसे, बचनसे, और कायासे निर्विकार होना, राग-द्वेष आदिमें रहित होना है। इस निर्विकार स्थितितक पहुँचनेके लिए प्रतिपल प्रयत्न करनेपर भी मैं उस तक नहीं पहुँच सका हू। इस कारण लोगोकी प्रशंसा मुझे भुला नहीं सकती, उराटे बहूषा मुझे बुरी लगती है। मैं तो मनके विकारोका जीतना, सारे सभारको अस्त्र-युद्ध करके जीतनेमें भी कठिन समझता हू। भारतमें आनेके बाद भी मैंने अपनेमें छिपे हुए विकारोको देखा है, देखकर शर्मिदा हुआ हू, लेकिन हिम्मत नहीं हारा हू। सत्यके प्रयोगोको करने हुए मैंने मुझका अनुभव किया है, आज भी उसका अनुभव कर रहा हू। लेकिन मैं जानता हू कि अभी मुझे वीहड रास्ता तय करना है। इसके लिए मुझे गून्धवत् बनना पड़ेगा। जबतक मनुष्य खुद होकर अपने आपको सबने छोटा नहीं मानता है तबतक मुक्ति उससे दूर रहती है। अहिंसा नम्रताकी पराकाष्ठा है, उमकी हृद है। और यह अनुभव-सिद्ध बात है कि इस तरहकी नम्रताके बिना मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। इसलिए अभी तो ऐसी नम्रता पानेकी प्रार्थना करते हुए और उसमें सभारमें सहायताकी याचना करते हुए मैं इन अव्यायोको समाप्त करता हू।